छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
दिसम्बर, 2024 सत्र

गुरुवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

<u>प्रदेश में संचालित शासकीय एवं गैर शासकीय अस्पतालों में फायर सेफ्टी की व्यवस्था</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. (*क्र. 645) श्री धर्मजीत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कुल कितने पंजीकृत शासकीय एवं गैर शासकीय अस्पताल संचालित हैं, विवरण देवें? **(ख)** कंडिका "क" के अस्पतालों में फायर सेफ्टी हेतु क्या-क्या प्रावधान हैं एवं फायर सेफ्टी नहीं होने की स्थिति में क्या कार्यवाही करने का प्रावधान हैं, विवरण देवें? **(ग)** कंडिका "क" के अस्पतालों में कब-कब फायर सेफ्टी आडिट कराया गया हैं एवं जिन अस्पतालों में फायर सेफ्टी की उचित व्यवस्था नहीं हैं, उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं, विवरण देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) प्रदेश में नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत गैर शासकीय अस्पतालो की संख्या 1129 है। इस एक्ट में शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को पंजीकृत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। **(ख)** छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग की अधिसूचना दिनांक 29 नवम्बर 2022 के अनुसार ऐसे भवन जिसकी उचाई 9 मीटर से अधिक हो या जिनमें भूतल एवं दो उपरी मंजिले हो या 30 से अधिक बिस्तर वाले हो या जिनमें कोई क्रिटिकल केयर यूनिट हो, को फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र नहीं होने की स्थिति में संस्था के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 की धारा 9 के अंतर्गत अनुज्ञा पत्र का निरस्तीकरण अथवा निलंबन एवं अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत दण्ड और जुर्माने का प्रावधान है। शिकायत प्राप्त होने पर जांच एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। **(ग)** वर्तमान में फायर सेफ्टी ऑडिट प्रक्रियाधीन है। अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के पूर्व प्रत्येक संस्थाओं में जिले स्तर पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत गठित समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है तत्पश्चात् अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है।

<u>''हमर क्लिनिक'' निर्माण हेतु राशि का आबंटन</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. (*क्र. 113) श्री राजेश मूणत : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या अतारांकित प्रश्न संख्या- 25 (क्र. 480), दिनांक 24 जुलाई, 2024 के उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि 15 वें वित्त आयोग द्वारा राशि आबंटन प्राप्त न होने के कारण छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन द्वारा बनाये जा रहे ''हमर क्लिनिक'' अधूरे पड़े हैं और कार्य रूके हुए हैं? **(ख)** यदि हां, तो प्रश्नांक ''क'' में उल्लेखित अधूरे पड़े ''हमर क्लिनिक'' को पूर्ण करने हेतु राज्य शासन की क्या योजना है? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जी हां। **(ख)** मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य

मिशन छ.ग. का पत्र क्रमांक /15th FC/लेखा/ 2024-25/291/276, दिनांक 10.05.2024 द्वारा 15वें वित्त आयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से लंबित राशि के मांग हेतु भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है। राशि आबंटन की स्थिति में पूर्ण करने की योजना है।

जिला-राजनांदगांव अंतर्गत सामग्री एवं उपकरण क्रय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. (*क्र. 631) श्री भोलाराम साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023 -24 से दिनांक 25/11/2024 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव द्वारा कौन-कौन सी सामग्री एवं उपकरण जेम पोर्टल से कितनी लागत से क्रय किये गये हैं ? क्रय किए गए सामग्री एवं उपकरण की निविदा दर क्या है? विवरण देवें? **(ख)** क्या क्रय से पूर्व अधीनस्थ स्वास्थ्य संस्थानों से मांग पत्र लिया गया है एवं सी.जी.एम.सी से एनओ सी प्राप्त की गयी है? सामग्री एवं उपकरण क्रय हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को क्या वित्तीय अधिकार दिए गए हैं, कृपया बताएं।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी **''संलग्न प्रपत्र** अनुसार'' है। **(ख)** जी हाँ। सामग्री एवं उपकरण क्रय हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शासन द्वारा रू. एक लाख तक प्रति इंडेन्ट का वित्तीय अधिकार दिये गये हैं।
[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

प्रदेश में घटित नक्सली घटनाएं

[गृह]

4. (*क्र. 160) डॉ. चरण दास महंत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जुलाई, 2024 से 24 नवम्बर, 2024 की अवधि में प्रदेश में कितनी नक्सली घटनाएं एवं नक्सली पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं किस-किस जिले के, किस-किस थाना क्षेत्र में हुई? जानकारी घटनावार, तिथिवार देवें? **(ख)** नक्सली घटनाओं एवं मुठभेड़ों में सुरक्षाबल के कितने जवान शहीद हुए? कितने घायल हुए? कितने नागरिक क्रॉस फायरिंग में तथा नक्सलियों द्वारा मारे गए? कितने नक्सली मारे गए? कितने नक्सली गिरफ्तार किए गए? **(ग)** मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों पर राज्य पुलिस/केन्द्रीय सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा घोषित इनाम की जानकारी देवें? **(घ)** उक्त घटनाओं में क्या-क्या अस्त्र-शस्त्र, बारूद बरामद हुए? विवरण देवें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कुल 142 नक्सली घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिस नक्सली मुठभेड़ की 35 घटनाएं शामिल है। घटित नक्सली घटनाओं (मुठभेड़ सहित) की घटनावार-तिथिवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** 01 जुलाई 2024 से 24 नवम्बर 2024 की अवधि में प्रदेश में घटित नक्सली घटनाओं एवं मुठभेड़ों में पुलिस एवं सुरक्षाबल के 05 जवान शहीद एवं 34 जवान घायल हुए हैं। उक्त अवधि में माओवादियों द्वारा 24 आम नागरिकों की हत्या की गई है। क्रास फायरिंग में कोई भी आम नागरिक नहीं मारा गया है। नक्सली घटनाओं एवं मुठभेडों में 76 नक्सली मारे गये एवं 338 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। **(ग)** मुठभेड़ मे मारे गये नक्सलियों के विरूद्ध राज्य पुलिस/केन्द्रीय सुरक्षा एजेन्सियों एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित ईनाम राशि की जानकारी **पुस्तकालय** में **रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(घ)** उक्त घटनाओं में नक्सलियों से बरामद हथियार एवं विस्फोटक सामग्रियों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** अनुसार है।

जिला निर्माण समिति दंतेवाड़ा अंतर्गत डीएमएफ मद से स्वीकृत सड़क

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. (*क्र. 129) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला निर्माण समिति,दंतेवाड़ा अंतर्गत डीएमएफ मद से स्वीकृत प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत कोरकोट्टी सड़क निर्माण कार्य एवं ग्राम हिरोली से हेल्प सेंटर तक पहुंच मार्ग भाग-1 व 2 की टेंडर/रिटेंडर

कब-कब हुआ और इसकी लागत राशि कितनी है? कार्यादेश कब हुआ एवं उसकी एजेंसी व प्रोपाईटर का नाम, पता सहित बतायें? **(ख)** उक्त योजनांतर्गत मिट्टी कार्य अनुबंध के तहत् कितने घनमीटर की दर से किया जाना था और कितने दर से किया किया गया और कितनी लागत आयी? **(ग)** क्या उक्त सड़क निर्माण अंतर्गत अनियमितता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो क्या-क्या अनियमितता पायी गयी और उसके जिम्मेदार कौन हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही, किनके द्वारा की गयी?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) यह कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत डी.एम.एफ. मद में स्वीकृत नहीं है अपितु यह कार्य जिला निर्माण समिति को विशेष केन्द्रीय सहायता मद में स्वीकृत है। ''बी.टी. सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक (भाग- 01 से 13 तक), तथा बी.टी. सड़क निर्माण कार्य मड़कामीरास से हिरोली हेल्थ सेन्टर तक 3.50 कि.मी. (भाग 01), एवं बी.टी. सड़क निर्माण कार्य हिरोली हेल्थ सेन्टर से हिरोली कैम्प डोकापारा तक 3.50 कि.मी. (भाग 02) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-ब''** अनुसार है। **(ग)** जी हॉ, शिकायत प्राप्त हुई है। जिसकी प्रथम स्तरीय जाँच कलेक्टर दन्तेवाड़ा के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व की अध्यक्षता में 05 सदस्यीय टीम गठित कर करायी गई है, जिसकी भौतिक सत्यापन में अर्थवर्क, जी.एस.बी., डामरीकरण कार्य, डब्ल्यू.बी.एम. एवं सोल्डर कार्य, पुलिया सह रिटेनिंगवाल में अनियमितता का उल्लेख है। जिसकी विस्तृत जाँच हेतु संबंधित अधीक्षण अभियंता, परियोजना मण्डल क्र. 01, जगदलपुर जिला बस्तर को कार्यालयीन पत्र क्र. 6890/18869/आर.सी.-6/छ.ग.ग्रा.स.वि.अ./2024 रायपुर दिनांक 28.10.2024 के द्वारा लेख किया गया है। जिसकी जाँच प्रक्रियाधीन है।
[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

जनपद पंचायतों हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. (*क्र. 164) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में कितनी जनपद पंचायतें हैं? वर्ष 2024-25 में कितने जनपद पंचायत सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2019-20 की भांति यथावत रखा गया है? विवरण देवें? **(ख)** कितने जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है? विवरण देवें। **(ग)** जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के कितने निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन में प्रभावित हुए हैं? जनपद पंचायतवार विवरण देवें? **(घ)** जनपद पंचायत सारंगढ़ के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में परिसीमन करने का क्या कारण है? बतावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) राज्य में 146 जनपद पंचायतें है। वर्ष 2024-25 में 2773 जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2019-20 की भांति यथावत रखा गया है। जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** 163 जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा परिवर्तन किया गया है। जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-ब''** अनुसार है। **(ग)** जिला सांरगढ़-बिलाईगढ़ के 31 निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन से प्रभावित हुए हैं। जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-स''** अनुसार है। **(घ)** जनपद पंचायत सारंगढ़ अंतर्गत दो ग्राम पंचायत के नगर पंचायत में विस्थापित हो जाने के फलस्वरूप भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या के दृष्टिगत सीमाओं में परिवर्तन हुआ है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

समाज कल्याण विभाग में समाज शिक्षा संगठन के स्वीकृत एवं रिक्त पद

[समाज कल्याण]

7. (*क्र. 514) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- समाज कल्याण विभाग में समाज शिक्षा संगठक के कितने पद स्वीकृत हैं, जिसमें से कितने पद भरे गए हैं व कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पद कब तक भर लिये जायेगे ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : समाज कल्याण विभाग में समाज शिक्षा संगठक

के 146 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 13 पद भरे गए हैं व 133 पद रिक्त हैं। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

108 इमरजेंसी वाहन सेवा,102 महतारी एक्सप्रेस एवं शव वाहन सेवा अंतर्गत वाहनों का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. (*क्र. 586) श्री अनुज शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक 26 नवम्बर, 2024 अंतर्गत कितने 108 इमरजेंसी वाहन सेवा,102 महतारी एक्सप्रेस एवं शव वाहन सेवा के अंतर्गत कितने-कितने वाहनों का संचालन किस-किस ऐजेंसी/ठेकेदारों के माध्यम से किया जा रहा है? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार वाहन संचालन ऐजेंसी/ठेकेदारों को कितनी-कितनी दर पर, किन शर्तो के अधीन संचालन/परिचालन का ठेका प्राप्त हुआ है? क्या वाहन चालक/पैरामेडिकल स्टाफ/अन्य स्टाफ हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण किया गया है? यदि हां तो कितना और यदि नहीं तो किस आधार पर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाता है? **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या संचालित, वाहन सेवाओं में पेरामेडिल स्टाफ/कुशल स्टाफ नहीं होने संबंधी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हां तो इन पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक 26 नवम्बर, 2024 तक कुल 326 इमरजेंसी 108 एम्बुलेंस वाहन संचालित है जिसका संचालन कंर्सोटियम ऑफ जय अम्बे इमरजेंसी आई. प्रा.लिमि., सम्मान फाउन्डेशन एण्ड अदर्स ऐजेंसी रायपुर के माध्यम से किया जा रहा है। 102 महतारी एक्सप्रेस सेवा अंतर्गत 380 एम्बुलेंस वाहनों का संचालन कम्युनिटी एक्शन थ्रू मोटीवेशन प्रोग्राम ''कैम्प'' कन्योटियम सांई राम टेक्नो मैनेजमेट साल्यूसन प्रा.लि. द्वारा किया जा रहा है एवं 1099 शव वाहन (मुक्तांजली) सेवा अंतर्गत 163 एम्बुलेंस वाहनों का संचालन कम्युनिटी एक्शन थ्रूमोटीवेशन प्रोग्राम ''कैम्प'' द्वारा किया जा रहा है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखें ''प्रपत्र'' अनुसार है**। वाहन चालक/ पैरामेडिकल स्टॉफ/अन्य स्टॉफ हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण सेवा प्रदाता संस्था द्वारा राज्य में श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर के अनुसार अकुशल/अर्धकुशल/कुशल कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाता है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आरंग विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित स्वास्थ्य केन्द्र व स्वास्थ्य सुविधायें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. (*क्र. 624) श्री गुरू खुशवंत साहेब : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** आरंग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं, इन स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत भरे एवं रिक्त हैं, स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी बतावें। **(ख)** संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों/ आरंग स्थित स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य परिक्षण/जॉच हेतु आवश्यक उपकरण (एक्सरे- सोनोग्राफी-ईसीजी-एव अन्य) उपलब्ध हैं यदि नहीं तो कौन-कौन से उपकरण उपलब्ध कराने के लिए मांग की गयी है? मांग अनुरूप क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण की जावेगी, समयावधि बतावें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) कुल 51 स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। इन स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'अ'** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'ब'** अनुसार है। सोनाग्राफी, ई.सी.जी. मशीन, क्रैसकार्ट ट्राली, सेडोलस लेम्प की मांग की गई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

प्रदेश के अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा हेतु संचालित योजनायें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. (*क्र. 690) श्री रामकुमार यादव : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों के निःशुल्क ईलाज हेतु क्या क्या योजनाएँ संचालित हैं ? किन-किन बीमारियों का ईलाज किया जाता है? **(ख)** जिला जांजगीर-चांपा में स्मार्ट कार्ड योजना/ आयुष्मान कार्ड योजना/ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की सुविधा देने वाले अस्पतालों का विवरण देवें? **(ग)** क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा उक्त योजनाओं में संचालित अस्पतालों के साथ फीडबैक लिया जाता है कि वे अस्पताल, मरीज का सही ईलाज कर रहे हैं या नहीं? बतावें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) प्रदेश के समस्त शासकीय अस्पतालों के मापदंड में उपलब्धता अनुसार मरीजों को समस्त योजनाओं का लाभ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध मानव संसाधन लैब, उपकरण आदि के आधार पर आम जनता को अनेकों स्वास्थ्य सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश के पंजीकृत शासकीय एवं निजी अस्पतालों में मरीजों के निःशुल्क ईलाज हेतु आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना संचालित हैं। योजनाओं के अंतर्गत बीमारियों के ईलाज हेतु पृथक-पृथक पैकेज की सूची जानकारी **पुस्तकालय** में रखें **प्रपत्र-''अ एवं ब''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय** में रखें **प्रपत्र-''स''** अनुसार है। **(ग)** जी हॉ।

प्रदेश में घुसपैठियों पर की गई कार्यवाही

[गृह]

11. (*क्र. 76) श्री भूपेश बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- पिछले एक वर्ष में छ.ग. में कितने घुसपैठियों का पता चला है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुंगेली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना को हितग्राहियों के आवास

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

12. (*क्र. 508) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजनातंर्गत सर्वे सूची/आवास में कितने हितग्राहियों के नाम शामिल हैं? उपरोक्तानुसार कितनों को आवास स्वीकृत किया गया है एवं दिनांक 25/11/24 तक कितनी राशि उक्त योजना में स्वीकृत की गई है तथा कितनी शेष है तथा कब तक आवास प्रदान किया जावेगा, समयावधि बतावें? **(ख)** वर्ष 2011 की सर्वे सूची में ऐसे हितग्राही जिनका नाम छूट गया है, को क्या पुनः सर्वे कर शामिल किये जाने की कोई योजना शासन स्तर पर लंबित है, यदि हां तो कब तक लागू की जावेगी?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। योजना का विस्तार वित्तीय वर्ष 2028-29 तक किया गया है। भारत सरकार से आगामी वर्षों में लक्ष्य प्राप्त होने पर शेष हितग्राहियों को लाभान्वित किया जावेगा। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल द्वारा शेष पात्र हितग्राहियों की पहचान हेतु आवास प्लस की सूची अद्यतन किये जाने का निर्णय लिया गया है। यद्यपि समयावधि एवं प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश वर्तमान तक अप्राप्त है, अतः कोई स्पष्ट समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

13. (*क्र. 557) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 26 नवंबर, 2024 की स्थिति में कितनी सड़कों का निर्माण किया गया है? सड़क का नाम, स्थान सहित निर्मित सड़कों की लम्बाई एवं निर्माण तिथि बतावें? **(ख)** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण का स्टेण्डर्ड तकनीकी मापदण्ड चौड़ाई, बेस एवं मोटाई क्या है? पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों के संधारण के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 26 नवंबर, 2024 की स्थिति में कोई भी सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है। **(ख)** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण में ट्रेफिक सर्वे के आधार पर इंडियन रोड कांग्रेस (आई.आर.सी.), स्पेशल पब्लिकेशन (एस.पी.) 72.2015 की गाईड लाईन के अनुसार सड़कों की चौड़ाई, बेस एवं मोटाई का निर्धारण किया जाता है। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में जर्जर सड़क निरंक है।

जिला रायगढ़ अंतर्गत आंगनबाड़ी भवन निर्माण की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

14. (*क्र. 502) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं? कितने के स्वयं के भवन हैं? कितने किराए के भवन में संचालित हैं? कितने भवन-विहीन हैं? कितने भवन जर्जर अवस्था में हैं? विकासखंडवार जानकारी देवें? (ख) 25.11.2024 की स्थिति में कितने नवीन भवन स्वीकृत किये गये हैं, कितने निर्माणधीन हैं, कितने पूर्ण अपूर्ण हैं, कब तक पूर्ण कर लिए जाएँगे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत 2706 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें से 1994 के स्वयं के भवन है। 413 आंगनबाड़ी केन्द्र किराए के भवन में संचालित है। 712 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन-विहीन है। 223 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन जर्जर अवस्था में है। विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** 25.11.2024 की स्थिति में 46 नवीन भवन स्वीकृत किये गये हैं, इनमें से 42 निर्माणाधीन/अपूर्ण हैं तथा 04 अप्रारंभ है, कोई भी भवन पूर्ण नहीं है। भवन पूर्ण किये जाने हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छ:"]

जिला चिकित्सालय बेमेतरा में सर्जन/विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. (*क्र. 19) श्री दीपेश साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला चिकित्सालय, बेमेतरा में कितने विशेषज्ञ/सर्जन के पद स्वीकृत/रिक्त हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु शासन की कोई कार्ययोजना है? यदि हां तो क्या एवं कब तक उक्त पदों की पूर्ति कर ली जाएगी ? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में विशेषज्ञों के पद रिक्त होने के कारण जिला बेमेतरा में विगत 03 (तीन) वर्षों में विशेषज्ञ सुविधा के अभाव में रेफर हुये मरीजों की वर्षवार संख्यात्मक जानकारी देवें? **(घ)** क्या जिला स्तर पर कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्त रिक्त पदों को जिला स्तर पर समन्वय से पदस्थापना किये जाने/विशेषज्ञीय चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कोई कार्ययोजना है ? यदि हां तो उसकी जानकारी देवें? **(ड)** प्रश्नांश(घ) के प्रकाश में क्या डी.एम.एफ. मद से विशेषज्ञों को रखा जा सकता है? यदि हां तो इस हेतु शासन का क्या मापदंड है? विशेषज्ञों को नियुक्त किये जाने हेतु उनके वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जिला चिकित्सालय बेमेतरा में नियमित सेटअप

अंतर्गत विशेषज्ञ/सर्जन के कुल 18 पद स्वीकृत है जिसमें से 13 पद रिक्त है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (संविदा) के 09 पद स्वीकृत है, जिसमें सभी पद रिक्त है। **(ख)** जी हां। चिकित्सकीय सुविधाएं के सुधार के लिए विभाग द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे है। वित्त निर्देश 18/2023 एवं 04/2024 के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संविदा नियुक्ति के तहत विशेषज्ञों/चिकित्सकों की भर्ती की कार्यवाही विभागीय ऑनलाईन के माध्यम से निरंतर की जा रही है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' के प्रकाश में विशेषज्ञों के पद रिक्त होने एवं अन्य कारणों से विगत 03 वर्ष (तीन) वर्षो में रेफर किये गये मरीजों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(घ)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड)** जी हां। छत्तीसगढ़ खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के नियम 22 उपनियम (2)(ठ) अनुसार डी.एम.एफ. से स्वास्थ्य सेवा अंतर्गत मानव संसाधन (विशेषज्ञ, चिकित्सक) को रखा जा सकता है। डी.एम.एफ. मद अंतर्गत जिला स्तर पर प्रबंधकारिणी समिति द्वारा तैयार न्यास के शासी परिषद् द्वारा अनुमोदन से निधि का उपयोग किया जा सकता है। तद्नुसार विशेषज्ञों/चिकित्सकों के वेतन/मानदेय का निर्धारण, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा तैयार और न्यास के शासी परिषद् के अनुमोदन द्वारा किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सात"]

प्रदेश में मान्यता प्राप्त नर्सिंग महाविद्यालय

[चिकित्सा शिक्षा]

16. (*क्र. 38) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने नर्सिंग कालेज हैं ? क्या ये सभी इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं? कोर्स की सीट संख्या सहित सूची उपलब्ध कराएं? **(ख)** क्या राज्य शासन को यह अधिकार दिया गया है कि वो केंद्र शासन (इंडियन नर्सिंग कौंसिल) की अनुमति के बिना स्वयं अपने स्तर पर नर्सिंग कॉलेज की सीट वृद्धि की अनुमति दे सकता है? यदि हां तो किस नियम के आधार पर? **(ग)** क्या छत्तीसगढ़ राज्य में अनेक वर्षों से किराए के भवन में नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे हैं? यदि हां तो किन-किन जिलों में कितने नर्सिंग कॉलेज हैं, जो किराए के भवन में संचालित हैं? उसकी सूची उपलब्ध कराएं? **(घ)** किराए के भवन में संचालित नर्सिंग कॉलेजों से क्या राज्य शासन कोई पेनाल्टी या फाईन लेता है? यदि हां तो कितनी और कितने वर्षों तक के लिए किराए के भवन में नर्सिंग कॉलेज संचालित करने की छूट प्राप्त है ? नियम की कॉपी उपलब्ध करावें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल 131 (08 शासकीय एवं 123 निजी) नर्सिंग कॉलेज संचालित है। इंडियन नर्सिंग कांउसिल उपयुक्तता जारी करती है। सभी संचालित नर्सिंग महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ नर्सिग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है, जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** राज्य शासन नर्सिंग कॉलेजों में सीट वृद्धि की अनुमति नहीं देती है। अपितु भारतीय उपचर्या परिषद की अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई 2021 की कंडिकाV (3) अनुसार ''पात्र संगठन/संस्थान को संबंधित राज्य सरकार से अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जहां बी.एस.सी.नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्थापित करने की मांग की गई है'' एवं छ.ग.शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 17-23/2013/नौ/17 दिनांक 20.05.2013 की कंडिका 1.10 चरण-IV के अनुसार ''शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना'' नियम की प्रति जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ग)** जी हॉ, छत्तीसगढ़ राज्य में 111 स्वयं के भवन में तथा 20 किराये के भवन में संचालित है। जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''स''** अनुसार है । **(घ)** भारतीय उपचर्या परिषद की अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई 2021 की कंडिका 10 (द) ''अपना भवन न होने पर जुर्माना:- जिन संस्थानों के पास स्थापना के दो वर्ष के भीतर अपना भवन नहीं है, उन्हें अपना भवन न होने के लिए जुर्माना देना पड़ता है। बी.एस.सी.नर्सिंग के लिए लगातार 6 वर्ष तक जुर्माने की राशि 1 लाख रूपए होगी।'' नियम की प्रति **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''द''** अनुसार है।

जिला महासमुंद में शासकीय चिकित्सालयों हेतु दवा खरीदी तथा स्मार्ट / आयुष्मान कार्ड

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

17. (*क्र. 591) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छ.ग. प्रदेश में शासकीय चिकित्सालयों हेतु दवा खरीदी की प्रक्रिया क्या है ? क्या जिला-महासमुंद में दवा खरीदी के संबध में 01 दिसम्बर 2023 से 24 नवम्बर 2024 तक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? क्या प्रदेश के शासकीय अस्पतालों के लिये दवा खरीदी में IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कोई भूमिका है? यदि हां तो क्या? **(ख)** महासमुन्द जिले में उक्तावधि में क्रय की गई दवा की मात्रा/दर एवं प्रदाय ऐजेन्सी की जानकारी बतायें? उक्त दवाओं के उपयोग व नष्ट करने सम्बंधी प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी बतायें? **(ग)** प्रदेश के अनेक निजी अस्पतालों में स्मार्ट/आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं किया जाता (मान्य नहीं है), इसका क्या कारण है? किस मापदंड के अनुसार स्मार्ट/आयुष्मान कार्ड मान्य किया जाता है? प्रदेश के सभी निजि चिकित्सालयों में स्मार्ट/आयुष्मान कार्ड मान्य हों, इस हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जी हाँ। जिला महासमुंद में दवा खरीदी के संबंध में 01 दिसंबर 2023 से 24 नवम्बर 2024 तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। दवा खरीदी में इंडियन मेडिकल एसोसिएसन की कोई भूमिका नहीं है। **(ख) संलग्न प्रपत्र अनुसार**। दवाओं के उपयोग व नष्ट करने सम्बंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ग)** जी हाँ, प्रदेश के ऐसे निजी अस्पताल जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, में आयुष्मान कार्ड से इलाज नही किया जाता (मान्य नही) है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजनान्तर्गत अस्पताल पंजीकृत होने पर आयुष्मान कार्ड मान्य किया जाता है। योजना में निजी अस्पतालों का पंजीकृत होना अनिवार्य नही है, यह पूर्णतः स्वैच्छिक है। योजनान्तर्गत आवेदन किए जाने उपरांत मापदंड पूर्ण होने पर संबधित अस्पताल का पंजीयन किया जाता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

18. (*क्र. 58) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में नवंबर, 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किन-किन ग्राम/ग्राम पंचायतों में कितने हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है? ग्राम पंचायत/विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)** स्वीकृत आवास के विरूद्ध कितने आवास पूर्ण एवं अपूर्ण हैं एवं कितने आवास अप्रारंभ हैं तथा कितने हितग्राहियों को कितने किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) एवं **(ख)** जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

प्रदेश में अपराध की घटित घटनाएं

[गृह]

19. (*क्र. 520) श्री उमेश पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में बढ़ते अपराध के कारण जनवरी, 2023 से नवम्बर, 2024 तक कितनी-कितनी हत्या, बलात्कार, चोरी डकैती एवं न्यायिक हिरासत में मौत की घटनाएं हुई हैं? जिलावार जानकारी देवें एवं प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए क्या कार्ययोजना है? जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : प्रश्नाधीन अवधि की जिलेवार एवं अपराध शीर्षवार जानकारी

संलग्न प्रपत्र ''अ'' अनुसार है तथा कानून व्यवस्था के संबंध में कार्ययोजना की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

प्रदेश में महिलाओं पर हुए अपराधों पर कृत कार्यवाही

[गृह]

20. (*क्र. 598) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में दिसंबर, 2023 से लेकर दिनांक 25 नवंबर, 2024 तक महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, मारपीट के कितने मामलों में किन-किन जिलों में दर्ज मामलों में कितने मामलों में आरोपियों को पकड़ा गया है और कितने मामलों में आरोपी अब तक फरार हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित समयावधि के दौरान महिलाओं के ऊपर हुए अपराधों में कितने मामलों में चालान प्रस्तुत किए जा चुके हैं और कितने मामलों में अब तक चालान प्रस्तुत नहीं किए गए हैं? **(ग)** विभाग द्वारा महिला अपराधों में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने और महिला अपराधों के रोकथाम के लिए क्या कोई विशेष पहल की गई है? यदि हां, तो जानकारी दें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

निःशक्त (दिव्यांग) जन हेतु संचालित योजनाएं

[समाज कल्याण]

21. (*क्र. 570) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कुल कितने निःशक्त (दिव्यांग) जन हैं? जिलेवार, महिला-पुरूष की जानकारी पृथक-पृथक प्रदान करें? **(ख)** प्रदेश में निःशक्त (दिव्यांग) जनों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? संचालित योजनाओं के लिए पात्रता सहित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करावें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के द्वारा क्रय की गई PET स्कैन मशीन

[चिकित्सा शिक्षा]

22. (*क्र. 673) श्रीमती भावना बोहरा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के द्वारा किस वर्ष में पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफ़ी (PET) स्कैन मशीन क्रय की गई थी? इसके खरीदी हेतू निर्धारित नियमानुसार प्रशासकीय स्वीकृति शासन से ली गई थी या नहीं? **(ख)** क्या शासन या विभाग ने प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफ़ी (PET) स्कैन मशीन की क्रय प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितता की जाँच किसी गठित समिति द्वारा करायी गई है? यदि हाँ तो जांच में परिणाम स्वरूप अनियमितता पायी गई या नहीं? जाँच रिपोर्ट की अद्यतन स्थिति वर्तमान में क्या है और इसके आधार पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के द्वारा वर्ष 2018 में पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (PET) मशीन का क्रय किया गया था, क्रय आदेश सीजीएमएससी के द्वारा दिनांक 23.08.2018 को जारी किया गया था, इसकी खरीदी हेतु नियमानुसार प्रशासकीय स्वीकृत नहीं ली गयी थी।

(ख) प्रश्नांक ''क'' में उल्लेखित पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (PET) मशीन की क्रय प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितता की जांच शासन के द्वारा 06 सदस्यीय समिति निर्मित की गयी थी, जांच में परिणाम स्वरूप पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (PET) मशीन की क्रय के संबंध में अनियमितता पायी गयी। गठित जांच समिति के द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 20.07.2021 को प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर छ.ग. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 30.08.2021 के द्वारा PET CT के क्रय में किये गये भ्रष्टाचार के संबंध में संचालक चिकित्सा शिक्षा को प्रकरण में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया। डॉ. विवेक चौधरी के द्वारा उपरोक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक ड्ब्ल्यू पी.सी. नं. 4421/2021 दायर की गयी, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 01.11.2021 के अनुसार छ.ग. शासन चिकित्सा शिक्षा के निर्देश 30.08.2021 को स्थगित किया गया। यह प्रकरण आज दिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

जिला-गौरेला-पेंड्रा व मरवाही अंतर्गत थानों में स्वीकृत कार्यरत वा रिक्त पद

[गृह]

23. (*क्र. 704) श्री प्रणव कुमार मरपची : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में दिनांक 19 नवम्बर 2024 की स्थिति में कितने टी. आई, ए.एस.आई एवं आरक्षक के पद स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त हैं? थानेवार जानकारी देवें? रिक्त पदों पर पदस्थापना कब तक की जावेगी? थानावार जानकारी देवें? **(ख)** क्या सभी थानों में वाहन पर्याप्त संख्या में हैं? यदि नहीं हैं तो कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे, जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 19 नवम्बर 2024 की स्थिति में टी.आई.(निरीक्षक), ए.एस.आई.(सहायक उप निरीक्षक), एवं आरक्षक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार हैः-

पदनाम	स्वी.	उप.	रिक्त
निरीक्षक	3	4	0
सहा.उप निरीक्षक	25	19	6
आरक्षक	265	150	115

थानेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। सहायक उप निरीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति भविष्य में पदोन्नति से की जा सकेगी तथा आरक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वर्तमान में आरक्षक संवर्ग के 5967 पदों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पदस्थापना हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** जी हॉ, सभी थानो में वाहन उपलब्ध हैं।
[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]

जिला गरियाबंद के संवेदनशील क्षेत्रों में स्थापित CRPF कैंपों को प्राप्त होने वाली निधि व व्यय राशि

[गृह]

24. (*क्र. 702) श्री जनक ध्रुव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला गरियाबंद के संवेदनशील क्षेत्रों में संचालित समस्त CRPF कैंपों में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में 26/11/2024 तक केंद्र सरकार से किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? प्राप्त राशि से किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? कार्यवार एवं मदवार जानकारी दें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : प्रश्नाधीन अवधि में सी.आर.पी.एफ. कैंपों हेतु केन्द्र सरकार से सीधे राशि प्राप्त नहीं होती है, एस.आर.ई. मद अन्तर्गत सी.आर.पी.एफ. कैंपों के लिए संबंधित पुलिस इकाई को राशि प्रदाय कर कार्य पूर्णता उपरांत केन्द्र सरकार से राशि प्रतिपूर्ति की जाती है। एस.आर.ई. मद अन्तर्गत जिला गरियाबंद के संवेदनशील क्षेत्रों में स्थापित सी.आर.पी.एफ. कैंपो को प्राप्त होने वाली निधि व व्यय राशि की कार्यवार एवं मदवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]**

जिला-महासमुंद में संचालित नर्सिंग होम का सेफ्टी ऑडिट

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

25. (*क्र. 145) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला-महासमुंद अंतर्गत किस-किस जिले में कितने-कितने और कौन-कौन से नर्सिंग होम में सेफ्टी ऑडिट कब-कब किया गया है, क्या-क्या गड़बड़ी पाई गई और उस पर क्या कार्यवाही की गई है? अगर नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "]

भाग-2

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

सरगुजा संभाग में पंजीबद्ध अपराध के विभिन्न प्रकरण

[गृह]

1. (क्र. 23) श्रीमती गोमती साय : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2021-22 से अक्टूबर, 2024 तक सरगुजा संभागान्तर्गत कुल कितने चोरी, डकैती, लूटमार, हत्या, हत्या के प्रयास, आत्महत्या, नशीले पदार्थों की बिक्री, बलात्कार, अवैध शराब बिक्री, नक्सली वारदात तथा साइबर क्राइम से संबंधित कितने मामले पंजीकृत किये गये? जिलावार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' के अनुसार सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न अपराधों की रोकथाम हेतु क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण देवें? **(ग)** साइबर क्राइम की रोकथाम एवं ठगी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''स''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव के स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत एवं रिक्त पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. (क्र. 25) श्रीमती गोमती साय : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अंतर्गत कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप केन्द्र संचालित हैं? विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' के अनुसार स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल कितने पद स्वीकृत एवं कितने पद भरे गए हैं तथा कितने पद खाली हैं? पदवार एवं स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी देवें? **(ग)** क्या स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की कमी है? यदि हॉं तो उनकी पूर्ति हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? रिक्त पदों पर भर्ती कब तक की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ग)** जी हाँ। वित्त निर्देश 04/2024 के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग से अनुमति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला चिकित्सालय दुर्ग द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की शिकायत की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. (क्र. 32) श्री ललित चंद्राकर : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक 25 नवम्बर, 2024 तक जिला चिकित्सालय दुर्ग से कितने विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं? विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने में क्या राज्य सरकार के नियमों एवं मापदण्ड का पालन किया गया है? **(ख)** प्रश्नांक 'क' के अनुसार जारी किये गये विकलांगता प्रमाण पत्र के संबंध में क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हॉं तो विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** प्रश्नांक 'ख' के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र के भौतिक सत्यापन हेतु राज्य स्तर पर छानबीन समिति का गठन किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं तो छानबीन समिति का कब तक गठन किया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) कुल 5161 विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किये

गये है। विकलांगता प्रमाण-पत्र बनाने भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड का पालन किया गया है। **(ख)** कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

दुर्ग जिले में संचालित निजी चिकित्सा महाविद्यालय

[चिकित्सा शिक्षा]

4. (क्र. 34) श्री गजेन्द्र यादव : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-दुर्ग अंतर्गत कितने स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी (नर्सिंग/फॉर्मेसी/पैरामेडिकल/हेल्थ एंड एलाइड साइंस/आयुर्वेद) निजी महाविद्यालय संचालित हैं? नाम पता सहित विवरण देवें? वर्ष 2022-23 व 2023-24 में कितने नवीन निजी महाविद्यालय प्रारम्भ हुए हैं? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) अंतर्गत तग सभी निजी महाविद्यालयों की मान्यता आयुष विश्वविद्यालय या INC दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं? क्या उक्त महाविद्यालय में पदस्थ शिक्षक/शिक्षिकाएं विषय संबंधी योग्यता रखते हैं व उक्त महाविद्यालयों में वास्तविक रूप से कार्यरत हैं? क्या महाविद्यालयों का निरीक्षण किया गया है ? यदि हां जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांश (क) अंतर्गत सभी निजी महाविद्यालयों की भवन मान्यता नियमावली के अनुसार 25 एकड़ भूमि एक साथ होनी चाहिए या 6-8 किलोमीटर की दूरी होने पर अलग-अलग दो टुकड़ों में उपलब्ध जमीन पर भी निजी महाविद्यालय की मान्यता प्रदान की जाती है? प्रश्नांश (क) के निजी महाविद्यालय संचालन हेतु भूमि की आवश्यकता संबंधी नियम की प्रति उपलब्ध करावें? **(घ)** क्या किसी निजी विश्वविद्यालय द्वारा एक ही कैम्पस में आयुष विश्वविद्यालय से संबद्ध नर्सिंग आयुर्वेद इत्यादि कोर्स संचालन के साथ-साथ स्वयं अपने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पैरामेडिकल, फॉर्मेसी और एलाईड साइंस आदि पाठयक्रम का संचालन किया जा सकता है? संबंधित नियम की कापी उपलब्ध करावें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जिला दुर्ग में 01 शासकीय एवं 19 निजी नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम महाविद्यालय में संचालित न होकर स्वयं के हॉस्पिटल में संचालित होता है। दुर्ग जिले में श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित है। वर्ष 2022-23 में 01 व 2023-24 में निरंक इस प्रकार कुल 01 नवीन निजी महाविद्यालय प्रारम्भ की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। शेष विषय फार्मेसी/आयुर्वेद इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। **(ख)** सभी निजी नर्सिंग महाविद्यालयों को प्रत्येक वर्ष निरीक्षण उपरांत छत्तीसगढ़ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रायपुर द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। आयुष विश्व विद्यालय, रायपुर संबंद्धता एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली उपयुक्तता प्रदान करती है। सभी महाविद्यालयो में पदस्थ शिक्षक/शिक्षिकाएं भारतीय उपचर्या परिषद के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप विषय संबंधी योग्यता रखते है एवं उक्त महाविद्यलायों में कार्यरत है। हॉ, छत्तीसगढ़ स्टेट नर्सिग काउंसिल, रायपुर द्वारा प्रत्येक वर्ष नर्सिग महाविद्यालयों को नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मान्यता देने से पूर्व प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र- ब** अनुसार है। **(ग)** भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के मापदण्ड अनुसार निजी नर्सिंग महाविद्यालयों की भवन हेतु 25 एकड़ भूमि एवं 6-8 किलो मीटर की दूरी पर अलग-अलग दो टुकड़ों में उपलब्ध जमीन पर निजी नर्सिंग महाविद्यालय को मान्यता दी जा सकती है का कोई उल्लेख नहीं है, अपितु भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई 2021 की कंडिका (अ) शिक्षण ब्लॉक 23200 वर्गफुट एवं छात्रावास ब्लॉक 21100 वर्गफुट कुल 44300 वर्गफुट का उल्लेख है। नियम की प्रति **संलग्न प्रपत्र- स** अनुसार है। **(घ)** आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर के अलावा अन्य निजी विश्व विद्यालय उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में पंजीकृत दिव्यांगों को प्रदत्त उपकरण

[समाज कल्याण]

5. (क्र. 40) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 25 नवम्बर, 2024 तक पंजीकृत दिव्यांग हितग्राहियों की संख्या बतावें? **(ख)** उनके स्वरोजगार के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) विभाग द्वारा दिव्यांगजनों का पंजीयन नहीं किया जाता है। **(ख)** दिव्यांगजनों के स्वरोजगार हेतु छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम संचालित है।

बालोद जिला में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना मद से स्वीकृत कार्यो

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. (क्र. 59) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना मद से बालोद जिला में कौन-कौन से कार्य एवं कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? जनपदवार जानकारी देवें? **(ख)** मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना मद से स्वीकृत कार्यो के विरूद्ध कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं एवं कितने कार्य अप्रारंभ हैं तथा कितनी राशि व्यय हो चुकी है? वर्तमान स्थिति बतावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' की जानकारी **निरंक** है।

राज्य हेल्थ रिसोर्स (एन.जी.ओ.) सेंटर का ऑडिट

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

7. (क्र. 114) श्री राजेश मूणत : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि राज्य हेल्थ रिसोर्स सेंटर विगत 18 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ अनुबंधित है एवं इसका अनुबंध 31 मार्च,2024 तक की अवधि के लिए जीवित था? यदि हाँ तो क्या आज दिनांक की स्थिति में यह अनुबंध समाप्त कर दिया गया है अथवा पुनः समय वृद्धि कर दी गई है? यदि समय वृद्धि दी गई है तो उसका कारण एवं आधार क्या है? **(ख)** क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देश के तहत् मैन पावर की भर्ती तथा छ.ग.भण्डार क्रय नियम के तहत् उपकरणों की खरीद में स्वास्थ्य हेल्थ रिसोर्स सेंटर द्वारा भारी अनियमितता की गई है एवं इस विषय पर साक्ष्य सहित शिकायत प्राप्त होने के बाद भी जिम्मेदारों द्वारा शिकायतें दबा दी गईं? पूर्ण विवरण देवें? **(ग)** जब इसका प्रथम अनुबंध 1 मार्च, 2005 को हुआ था तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कोनकारेंट ऑडिटर द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से ऑडिट क्यों किया जा रहा है? वर्ष 2005-06 से क्यों नही? पूर्ण विवरण देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जी हाँ। अनुबंध समाप्त नहीं किया गया है परन्तु केवल 31 दिसम्बर, 2024 तक के लिए ही समयवृद्धि की गई है। समय वृद्धि का आधार यह है कि आशा रिसोर्स सेंटर, मितानिन कल्याण निधि, मितानिन हेल्प लाईन इत्यादि के संदर्भ में भविष्य की कार्ययोजना निर्धारित करने हेतु कार्यकारिणी समिति के निर्णय अनुसार शासन स्तर से दिनांक 06.12.2024 को मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। समिति को भविष्य की व्यवस्था के संबंध में सुझाव एवं कार्ययोजना शासन के समक्ष प्रस्तुत करना है, तद्नुसार भविष्य की प्रबंधन प्रणाली निर्धारित की जायेगी। **(ख)** प्राप्त शिकायत पर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ से जानकारी प्राप्त की गई है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली से प्रथमतः वित्तीय वर्ष 2012-13 से कॉन्करेंट ऑडिटर नियुक्त कर ऑडिटर कराने के निर्देश प्राप्त हुए, जिसके आधार पर ऑडिटर नियुक्ति प्रक्रिया कर राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र का कॉन्करेंट ऑडिटर कराया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण की जांच

[चिकित्सा शिक्षा]

8. (क्र. 130) श्री अजय चंद्राकर : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कितनी शिकायतें, कब-कब, किनके-किनके विरूद्ध प्राप्त हुयी? प्राप्त शिकायत के आधार पर विभाग द्वारा

क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गयी? क्या उनके खिलाफ जांच समिति बनायी गयी थी? यदि हां तो किस समिति द्वारा, किनके-किनके खिलाफ, कब-कब छानबीन/जांच की गयी थी? छानबीन या जांच करने पर क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा इस संबंध में कितनी बार टाईम लिमिट की बैठक की गयी? उस बैठक में क्या-क्या निर्णय लिये गये? ? यदि विचाराधीन है तो कब तक जांच पूर्ण कर ली जायेगी? जांच समिति व टाईम लिमिट रिपोर्ट की प्रति सहित बतायें? **(ख)** 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति में प्रश्नांश ''क'' नियुक्ति, पदोन्नति, शिक्षा एवं जांच के दौरान किनके-किनके द्वारा किस अधिकारी से सत्यापित/प्रमाणित, किस-किस जाति के प्रमाण पत्र विभाग के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी? जाति प्रमाण पत्र की प्रति के साथ जानकारी देवें? **(ग)** 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति में प्रश्नांश ''क'' में प्राप्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में किस-किस अधिकारी/कर्मचारियों को कब-कब, किन-किन पदों पर पदोन्नति दी गयी? क्या जांच के दौरान पदोन्नति दी जा सकती है? यदि हां तो किस नियम-निर्देश पर की गयी? यदि नहीं तो इन्हें किस आधार पर, किस अधिकारी द्वारा पदोन्नति दी गयी?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कुल 07 शिकायतें 05 अधिकारियों के संबंध में प्राप्त हुई। दिनांक 18.10.2019 को उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, छ0ग0 के समक्ष 04 शिकायतें (01. श्रीमती वर्षा गुर्देकर- सहायक प्राध्यापक,02. श्रीमती वीणा डेविड-प्रदर्शक, 03. श्रीमती नीलम पॉल-सह प्राध्यापक, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायपुर, 04. श्रीमती ममता नायक-सह प्राध्यापक, के विरूद्ध), दिनांक 23.04.2013 व दिनांक 30.04.2019 को 02 शिकायतें उक्त चारों अधिकारियों के विरूद्ध शासन के समक्ष एवं दिनांक 29.08.2024 को 01 शिकायत श्रीमती रेशमा एक्का, प्रदर्शक (संविदा), शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, अंबिकापुर के विरूद्ध शासन के समक्ष प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायतों के आधार पर 04 अधिकारी (01. श्रीमती वर्षा गुर्देकर, 02. श्रीमती वीणा डेविड, 03. श्रीमती नीलम पॉल एवं 04. श्रीमती ममता नायक) के संबंध में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति एवं शासन स्तर से जांच की कार्यवाही की गई। जी हां, छ.ग. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियम) अधिनियम व नियम 2013 के अंतर्गत श्रीमती नीलम पॉल -सह प्राध्यापक एवं श्रीमती ममता नायक-सह प्राध्यापक की जांच उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा की गई। श्रीमती वर्षा गुर्देकर-सहायक प्राध्यापक, एवं श्रीमती वीणा डेविड-प्रदर्शक के संबंध में कार्यवाही उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के समक्ष प्रक्रियाधीन है। प्राप्त शिकायत पर सभी अधिकारियों के विरूद्ध जांच की गई एवं श्रीमती रेशमा एक्का, प्रदर्शक (संविदा) के संबंध में प्राचार्य, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, अंबिकापुर द्वारा गठित समिति द्वारा जांच की गई। उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा श्रीमती ममता नायक के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2022 द्वारा महार, अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र की वैधानिकता प्रमाणिक पायी गई एवं श्रीमती नीलम पाल के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2022 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की वैधानिकता प्रमाणिक पायी गई। श्रीमती वर्षा गुर्देकर एवं श्रीमती वीणा डेविड के संबंध में जांच उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के समक्ष प्रक्रियाधीन है। दिनांक 07.02.2022 में श्रीमती नीलम पॉल अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो कर अनुसूचित जनजाति वर्ग से पदोन्नति का लाभ लिये जाने के संबंध में रिव्यू डीपीसी की अनुशंसा की गई। रिव्यू डीपीसी हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रकरण में से श्रीमती वर्षा गुर्देकर के संबंध में शासन द्वारा 18 बार टीएल बैठक की गई, चुंकि श्रीमती वर्षा गुर्देकर के फर्जी जाति प्रकरण उच्च स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष प्रक्रियाधीन है, अतः जांच छानबीन समिति मे होने के प्रत्याशा में टीएल बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया। श्रीमती रेशमा एक्का, प्रदर्शक (संविदा) के संबंध में गठित जांच समिति द्वारा समस्त दस्तावेज सही पाये गये हैं। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में प्रश्नांश ''क'' अंतर्गत श्रीमती ममता नायक के स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति के समय प्रस्तुत अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र असिस्टेंट सर्जन, मेडिकल कॉलेज रयपुर एवं श्रीमती नीलम पाल के स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति के समय प्रस्तुत अन्य पिछडा वर्ग जाति का प्रमाण पत्र डॉ एम.जी. कृष्णन, एमबीबीएस, एमडी, मेडिकल कॉलेज जबलपुर द्वारा सत्यापित किया गया था। श्रीमती वर्षा गुर्देकर के स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति के समय प्रस्तुत अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र न्यायालय नायब तहसीलदार, दल्लीराजहरा द्वारा प्रमाणित कर जारी किया गया है। श्रीमती वीणा डेविड के स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति के समय प्रस्तुत अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार दुर्ग द्वारा प्रमाणित कर जारी किया गया है। श्रीमती रेशमा एक्का, प्रदर्शक (संविदा) द्वारा अ.ज.जा. वर्ग का संयुक्त संचालक, जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन

समिति छ0ग0 द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय एवं जांच के समय प्रस्तुत किया गया है। पदोन्नति एवं शिक्षा के समय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। उक्त कार्यवाही नियुक्ति के समय दर्ज की गई जाति वर्ग के आधार पर की जाती है। **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में प्रश्नांश ''क'' में प्राप्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती वर्षा गुर्देकर व श्रीमती नीलम पॉल को वर्ष 2008 में स्टाफ नर्स से प्रदर्शक तथा श्रीमती वीणा डेविड व श्रीमती ममता नायक को वर्ष 2009 में स्टाफ नर्स से प्रदर्शक के पद पर पदोन्नति दी गई, वर्ष 2015 में श्रीमती वर्षा गुर्देकर, श्रीमती नीलम पॉल, श्रीमती वीणा डेविड व श्रीमती ममता नायक को प्रदर्शक से सहायक प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति दी गयी, किन्तु श्रीमती वीणा डेविड द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति नहीं लिया गया तथा श्रीमती ममता नायक एवं श्रीमती नीलम पाल को वर्ष 2023 में सहायक प्राध्यापक से सह-प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति दी गयी है। श्रीमती रेशमा एक्का, संविदा में प्रदर्शक के पद पर पदस्थ हैं संविदा भर्ती नियमानुसार संविदा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को पदोन्नति का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है, अतः इन्हें पदोन्नति नहीं दी गयी है। जांच के दौरान पदोन्नति दिये जाने के संबंध मे लेख है कि जी हां, जांच के दौरान पदोन्नति दी जा सकती है। इस हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ सी 6-2/94/3/एक, दिनांक 30 जून 1994 के कंडिका 02(1) अनुसार पदोन्नति दी जा सकती है। (जिसके अनुसार 01-निलम्बित शासकीय सेवक 02-शासकीय सेवक जिन्हें आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं और जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, 03-शासकीय सेवक जिन्हें किसी अपराधिक आरोप के आधार पर अभियोजन के लिये चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई हो तथा कार्यवाही लंबित हो, पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होते) उक्त अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध सामान्य प्रशासन की उपरोक्त कंडिका लागू नहीं होने के कारण पदोन्नति दी गई।

बसना विधानसभा क्षेत्र के सड़क विहीन ग्राम

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

9. (क्र. 146) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)**महासमुंद जिला अंतर्गत बसना विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन गाँव सड़कविहीन हैं? जानकारी देवें? **(ख)**प्रश्नांक "क'' की कौन-कौन सी सड़क स्वीकृत एवं प्रस्तावित हैं? सड़क की अद्यतन स्थिति बतावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) महासमुंद जिला अंतर्गत बसना विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन गाँव सड़क विहीन हैं की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार हैं। **(ख)** प्रश्नांक ''क'' की सड़क विहीन गाँवं हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत कोई भी सड़क वर्तमान में स्वीकृत/प्रस्तावित नहीं हैं।
[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठारह"]

महतारी वंदन योजना अन्तर्गत पात्रों को भुगतान नहीं होने के जिम्मेदारों पर कार्यवाही

[महिला एवं बाल विकास]

10. (क्र. 161) डॉ. चरण दास महंत : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** "महतारी वंदन योजना" अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों तथा पात्र महिलाओं की संख्या कितनी-कितनी थी? नवंबर, 2024 की स्थिति में कितने पात्र हितग्राही हैं? पात्र हितग्राहियों में से कितने पेंशनधारी हैं एवं कितने गैर पेंशनधारी हितग्राही हैं ? जिलेवार जानकारी बतावें? **(ख)** महतारी वंदन की राशि तथा पेंशन की राशि कितनी-कितनी रहती है? केन्द्रांश तथा राज्यांश की राशि कितनी-कितनी रहती है? पृथक-पृथक विवरण जिलेवार बतावें? **(ग)** नवंबर, 2024 की स्थिति में कितने पात्र हितग्राहियों को योजना की राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है? उसमें से पेंशनधारी कितने हैं? योजना की राशि का भुगतान नहीं हो पाने के कारण क्या हैं ? विभाग द्वारा इन कारणों के निराकरण के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए? क्या कारण निराकरण होने पर विगत माहों की राशि का भी भुगतान किया जाता है? **(घ)** योजना के लाभ से वंचित रहने के लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं? उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाहियां की गई हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) महतारी वंदन योजना अंतर्गत ऑनलाईन

पोर्टल पर समय-सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या 70,27,154 थी, जिसमें से माह मार्च 2024 की स्थिति में पात्र महिलाओं की संख्या 70,09,366 थी। दिनांक 30 नवम्बर 2024 की स्थिति में कुल 69,74,830 आवेदक पात्र हितग्राही है। पोर्टल पर दर्ज जानकारी के अनुसार सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशनधारी हितग्राहियों की संख्या 9,06,674 एवं गैर पेंशनधारी हितग्राही 60,68,156 है।**जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** महतारी वंदन योजना अंतर्गत सहायता राशि रू. 1000/- मासिक निर्धारित है तथा महिलाएं, जिन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाओं में प्रतिमाह रू. 1000/- से कम राशि की पेंशन प्राप्त हो रही है, ऐसी पात्र महिलाओं को अतिरिक्त उतनी राशि की सहायता स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है, जिससे उन्हें कुल रू. 1000/- की मासिक राशि प्राप्त हो सके। समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही पेंशन की राशि क्रमशः रू. 500/- एवं रू. 650/- है। महतारी वंदन योजना 100ः राज्य शासन की राशि से संचालित योजना है। यह मापदंड सभी जिलों के लिए एक समान है। **(ग)** माह 30 नवंबर की स्थिति में सभी पात्र 69,74,830 हितग्राहियों को 03 दिसंबर 2024 को भुगतान किया गया है, जिनमें से कुल 38054 हितग्राहियों का भुगतान सफल नहीं हुआ है, इनमें से 5553 हितग्राही पेंशनधारी है। राशि भुगतान न होने का प्रमुख कारण संबंधित हितग्राही के बैंक खाता निष्क्रिय हो जाने, आधार से लिंक न होने, आधार निष्क्रिय होने, खाता बंद हो जाने आदि संबंधी तकनीकी कारण है। विभाग द्वारा संबंधित हितग्राही को विभागीय अमलो के माध्यम से आधार से लिंक कराए जाने, बैंक खाता सक्रिय कराए जाने व अन्य तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु परामर्श दिया जाता है, एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाता है। जी, हॉ निराकरण होने के पश्चात् विगत माहों की राशि का पुनः भुगतान किया जाता है। **(घ)** योजना से सभी पात्र आवेदन करने वाले हितग्राही लाभांवित हो रहे है, अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस"]

ग्राम कुम्हारी (बरमकेला) में सरपंच के पति पर प्राणघातक हमले के दोषियों पर कार्यवाही

[गृह]

11. (क्र. 165) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नवीन जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के अन्तर्गत बरमकेला क्षेत्र के ग्राम कुम्हारी में दिनांक 10.11.2024 को रात्रि में कबड्डी खेल आयोजन के दौरान (रात्रि 7-8 बजे) अज्ञात हमलावरों ने ग्राम लेन्ध्रा के सरंपच के पति नित्यानंद पटेल के उपर जानलेवा हमला किया गया? यदि हां तो क्यों? **(ख)** उक्त घटना की रिपोर्ट लिखवाने के बाद अब तक अज्ञात हमलावरों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? बतावें? **(ग)** अज्ञात आरोपियों को कब तक हिरासत में लिया जायेगा?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी हॉ। प्रकरण में अब तक की विवेचना एवं गवाहों के कथन के आधार पर घटना के कारण एवं आरोपी के संबंध में कोई स्पष्ट तथ्य ज्ञात नहीं हो पाया है। प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की पता तलाश किया जा रहा है। प्रकरण विवेचनाधीन है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कोरबा जिला में कार्यरत एन.जी.ओ.

[समाज कल्याण]

12. (क्र. 178) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कोरबा जिला में कुल कितने एन.जी.ओ. पंजीकृत है? **(ख)** 2020-21 वित्तीय वर्ष से दिनांक 25.11.2024 तक विभाग की ओर से कितने एन.जी.ओ. को किन-किन कार्य क्षेत्र हेतु कौन-कौन सा कार्य दिया गया है ? जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** कार्यरत एन.जी.ओ. को कार्य आबंटन का मापदंड क्या है? कार्य प्राप्त एन.जी.ओ. का कार्य सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है? कितनी राशि भुगतान की गई है? कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? राशि भुगतान करने का मापदंड क्या है? जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जिला-कोरबा अंतर्गत 2192 एन.जी.ओ.

फर्म एवं सोसायटी से पंजीकृत है । **(ख)** विभाग अंतर्गत एन.जी.ओ. को कार्य नहीं दिया गया है अपितु विभागीय मान्यता प्राप्त 02 एन.जी.ओ. को अनुदान नियमों अनुसार श्रवण एवं दृष्टिबाधित तथा बौद्धिक मंदता बच्चों के लिए विशेष विद्यालय संचालन हेतु अनुदान प्रदाय किया गया है। **(ग)** विभाग द्वारा एन.जी.ओ. को कार्य आबंटित नहीं किया जाता है अपितु विभागीय गतिविधियों का संचालन हेतु मान्यता प्राप्त एन.जी.ओ. को विभागीय नियमों के प्रावधानों अनुसार विभागीय जिला अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है। एन.जी.ओ. को अनुदान राशि रूपये 1,31,27,080/- (अक्षरी राशि रूपये-एक करोड़ इकतीस लाख सत्ताईस हजार अस्सी मात्र) का भुगतान किया गया है। भुगतान हेतु राशि शेष नहीं है। राशि का भुगतान विभागीय अनुदान नियमों अनुसार किया जाता है।

आकस्मिक (कंटीजेंसी) राशि एवं जनसंपर्क मद में प्राप्त राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

13. (क्र. 180) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार अंतर्गत जनपद पंचायत पोंड़ी-उपरोड़ा एवं पाली में वर्ष 2021 से दिनांक 25.11.2024 तक कुल कितनी कंटीजेंसी राशि एवं जनसंपर्क मद में राशि प्राप्त हुई है? **(ख)** कंटीजेंसी राशि एवं जनसंपर्क मद में प्राप्त राशि का व्यय किस स्तर पर किन-किन मदों के लिए किन-किन अधिकारियों की अनुशंसा पर खर्च किया गया? क्या जनपद पंचायत में सामान्य सभा से विधि सम्मत प्रस्ताव पारित कर खर्च किया गया? यदि नहीं तो उक्त कंटीजेंसी एवं जनसंपर्क मद में प्राप्त राशि से हुए व्यय की कब-कब जांच की गई? जांचकर्ता अधिकारी का पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-ब''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बीस"]

सीतापुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पहुँच विहीन ग्राम

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

14. (क्र. 181) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के क्षेत्रान्तर्गत ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें या बसाहटें हैं, जहाँ तक जाने में सड़क नहीं हैं या पुलिया नहीं होने के कारण आवागमन बाधित हो रहा है ? जानकारी प्रदान करें ? क्या क्या ऐसे ग्रामों में सड़क, पुल-पुलिया का निर्माण कर आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां तो किन-किन ग्राम पंचायतों व बसाहटों में, विवरण दें ।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के क्षेत्रान्तर्गत ऐसी 93 ग्राम पंचायतें एवं 230 बसाहटें हैं, जहॉ तक जाने में सड़क नहीं हैं या पुलिया नहीं होने के कारण आवागमन बाधित हो रहा है। इसमें से 32 बसाहटों को पीएमजनमन योजना से जोड़ने की कार्ययोजना की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

जिला बालोद में गौण खनिज मद योजना के तहत प्राप्त राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

15. (क्र. 318) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-बालोद अंतर्गत जनपद पंचायत गुण्डरदेही में गौण खनिज मद से वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 में कितनी राशि प्राप्त हुई ? प्राप्त राशि के विरुद्ध नियमानुसार किस सभा के अनुमोदन की आवश्यकता होती है तथा किस दिनांक को बैठक लेकर अनुमोदित किया गया ? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार अनुमोदित

कार्यों को जिला पंचायत बालोद द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई एवं उक्त कार्य कब किया गया तथा जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्य का किस नियम के तहत चयन किया गया ? जानकारी देवें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) गौण खनिज मद अंतर्गत वर्ष 2022-23 में जनपद पंचायत गुण्डरदेही हेतु राशि रू. 87,13,454/- (अक्षरी - सतासी लाख तेरह हजार चार सौ चौवन रू. मात्र) प्राप्त हुआ था। वर्ष 2023-24 में गौण खनिज मद अंतर्गत राशि प्राप्त नहीं हुई है। जनपद पंचायत की सामान्य सभा में कार्यो का अनुमोदन किया जाता है। दिनांक 15.12.2023 की बैठक में कार्यो का अनुमोदन किया गया है। **(ख)** कार्यालय जिला पंचायत बालोद के आदेश क्रमांक 8349 दिनांक 15.03.2024 द्वारा अनुमोदित कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त अनुमोदित कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है। अनुमोदित कार्यो का चयन जिला पंचायत द्वारा नहीं किया जाता है।

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्वीकृत आवास

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

16. (क्र. 431) श्री दिलीप लहरिया : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25.11.2024 तक किस-किस ग्राम पंचायतों में कितने-कितने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास स्वीकृत किए गए हैं? ग्राम-पंचायतवार, विवरण देवें? **(ख)** कंडिका 'क' के अनुसार स्वीकृत आवासों में किस-किस ग्राम पंचायत के कितने हितग्राहियों ने पंजीयन हेतु आवेदन किया है? आवेदन उपरांत कितने हितग्राहियों का पंजीयन हुआ है ? विवरण देवे। **(ग)** स्वीकृत आवासों में किस-किस ग्राम पंचायत के कितने हितग्राहियों की प्रथम,द्वितीयं,तृतीय किस्त जारी किया गया है।आवास निर्माण हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है? क्या यह सही है कि किस्त जारी होने के पश्चात हितग्राही के खाता को होल्ड कर दिया जाता है? ऐसे कितने हितग्राही हैं जिनका खाता होल्ड होने के कारण वे बैंक से राशि आहरण नहीं कर पाए हैं। पंचायतवार विवरण देवें? **(घ)** क्या यह सही है कि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पश्चात उसके वयस्क उत्तराधिकारी के नाम पर पंजीयन किया जाता है? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण हैं ? किन-किन दस्तावेज के आधार पर उत्तराधिकारी को पात्र किया गया है? मूल लाभार्थी एवं उत्तराधिकारी का ग्राम-पंचायतवार विवरण देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास की स्वीकृति आवेदनों के आधार पर न होकर सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) 2011 के स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं 2018 की आवास प्लस सूची के प्राथमिकता क्रम के आधार पर की जाती है। शेषांश प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(ग)** जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मार्गदर्शिका की कंडिका क्रमांक 5.6.2 अनुसार आवास निर्माण स्वीकृति की तारीख से 12 महीने में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। किस्त जारी होने के पश्चात हितग्राही के खाता को होल्ड नहीं किया जाता है। शेष प्रश्नांश उद्भुत नहीं होता। **(घ)** जी हां, कुल 80 लाभार्थी का नॉमिनी संशोधन किया गया है। नॉमिनी संशोधन हेतु ग्राम सभा प्रस्ताव, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा नामिनी का आधार कार्ड तथा बैंक खाते का विवरण व राशन कार्ड एवं शपथ पत्र की आवश्यकता होती है। जिसके आधार पर लाभार्थी का नामिनी संशोधन किया जाता है। ग्राम-पंचायतवार जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-ब''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

मनरेगा योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यो की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

17. (क्र. 432) श्री दिलीप लहरिया : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25.11.2024 तक मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा योजना अंतर्गत कितने कार्य, कितनी लागत से स्वीकृत किए गए हैं? विवरण विकासखण्डवार देवें? **(ख)** कंडिका 'क' के अनुसार स्वीकृत कार्यों का चयन किस प्रक्रिया के तहत किया गया है? **(ग)** क्या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा अनुसार कार्य स्वीकृत किया गया है? यदि हां कितने कार्य? **(घ)** क्या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने मनरेगा योजना

से विभिन्न निर्माण कार्य हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को अनुशंसा पत्र प्रेषित किए हैं? यदि हां, तो अनुशंसा पत्र के आधार पर कितने कार्य स्वीकृत किए गए हैं? विवरण विकासखण्डवार देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25.11.2024 तक मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा योजना अंतर्गत कुल 115 कार्य, राशि रु. 434.37 लाख की लागत से स्वीकृत किये गए हैं। विकासखंड बिल्हा में 14 कार्य, स्वीकृति राशि रु. 41.82 लाख एवं विकासखंड मस्तूरी में 101 कार्य, स्वीकृति राशि रु. 392.55 लाख। **(ख)** कंडिका 'क' के अनुसार स्वीकृत कार्यों का चयन श्रमिकों की मांग के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिकता के आधार पर जी.पी.डी.पी. में प्रस्तावित एवं ग्राम सभा में अनुमोदित कार्यों को महात्मा गांधी नरेगा के निर्धारित मापदंडों तथा शासन की प्राथमिकता के अनुक्रम में किया जाता है। **(ग)** कार्यों की स्वीकृति जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा के आधार पर नहीं अपितु ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किये गए जिला वार्षिक कार्य योजना तथा आवश्यकता अनुरूप कार्य की मांग के आधार पर एवं तकनीकी स्वीकृति उपरांत जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर द्वारा कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है, जिसमें जनप्रतिनिधियों के अनुशंसित कार्य भी शामिल हो सकते हैं। **(घ)** जी हाँ, कार्यों की स्वीकृति जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा के आधार पर नहीं अपितु ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किये गये जिला वार्षिक कार्य योजना तथा आवश्यकता अनुरूप कार्य की मांग के आधार पर एवं तकनीकी स्वीकृति उपरांत जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर द्वारा कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है, जिसमें जनप्रतिनिधियों के अनुशंसित कार्य भी शामिल हो सकते हैं।

<u>जिला चिकित्सालय, बेमेतरा में मरीजों को उपलब्ध आवश्यक चिकित्सकीय उपचार के</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. (क्र. 450) श्री दीपेश साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला चिकित्सालय बेमेतरा में मरीजों को कौन-कौन सी चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध हैं? जो चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध नही हैं उनकी अनुपलब्धता के जानकारी कारण सहित देवें? **(ख)** क्या जिला चिकित्सालय में मरीजों को केवल प्राथमिक उपचार दिया जाता है या इसके अलावा अन्य उपचार दिया जाता है? यदि हां तो मरीजों को उच्च संस्था/निजी संस्था में रेफर किये जाने के क्या कारण है? तथा चिकित्सकीय सुविधाएं सुधार की क्या कार्य योजना है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जिला चिकित्सालय बेमेतरा में ओ.पी.डी. आई.पी.डी., प्रसव, पैथालॉजी, सोनोग्राफी, एक्स-रे, दंत चिकित्सा, मेडिकल बोर्ड, महिला एवं पुरुष नसबंदी, नेत्र जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन, पौषण पुनर्वास केन्द्र, एस.एन.सी.यू. बाल उपचार, एनसीडी कार्यक्रम अंतर्गत (बी.पी., शुगर, मानसिक स्वास्थ्य, कर्ण बधिरता, फिजियोथैरेपी) सिकलसेल, नियमित टीकाकरण, टी.बी., डायलिसिस, ब्लड बैंक एवं सामान्य चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ गंभीर मरीज भी उपचारित किये जाते हैं। वर्तमान में जिला चिकित्सालय बेमेतरा में हड्डी रोग विशेषज्ञ, सर्जरी विशेषज्ञ, निःश्चेतना विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनसे संबंधित सेवायें नहीं दी जा रही है। **(ख)** जी नहीं। जिला चिकित्सालय में मरीजों को प्राथमिक उपचार के साथ-साथ अन्य आवश्यक उपचार भी दिया जाता है। जिला चिकित्सालय बेमेतरा में अनुपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता अनुसार मरीजों को उच्च संस्थाओं में रिफर किया जाता है। जिला चिकित्सालय बेमेतरा में चिकित्सकीय सुविधाओं में सुधार हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

<u>पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत विकास कार्यों के संबंध में</u>

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

19. (क्र. 494) श्री ललित चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2022 से दिनांक 25.11.2024 तक दुर्ग जिला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कितने निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है ? मदवार एवं वर्षवार जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांक 'क'

अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तहत दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन सड़कों का 05 साल पूरा होने के बाद पुनः संवर्धन/मरम्मत का कार्य का ठेका हुआ है ? किन एजेंसियों को कार्य दिया गया ? दिनांक 25.11.2024 तक कितने सड़कों का मरम्मत/संवर्धन का कार्य लंबित है? वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने नये सड़कों की स्वीकृति दी गई है? स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण हैं, कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण सड़क कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत किन-किन भवनो/निर्माण कार्यों का 05 साल पूरा होने के बाद पुनः संवर्धन/मरम्मत का कार्य का ठेका हुआ है ? किन एजेंसियों को कार्य दिया गया ? दिनांक 25.11.2024 तक कितने भवनों का मरम्मत/संवर्धन का कार्य लंबित है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी निरंक है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जानकारी निरंक है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"]**

जिला जशपुर अंतर्गत नाली निर्माण का प्रदत्त मुआवजा

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

20. (क्र. 500) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जशपुर अंतर्गत ग्राम तपकरा में नाली निर्माण हेतु वर्ष 2022-2023 से नवम्बर, 2024 तक कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गयी है? **(ख)**नाली निर्माण में कितने शासकीय अथवा कितने निजी क़ाबिज़ भूमि पर स्थित मकान तोड़े गये हैं,नाम सहित जानकारी देवें ? **(ग)** किस दर पर मुआवज़ा वितरण किया गया है? क्या मुआवज़ा वितरण हेतु प्रकरण लंबित है? यदि हां, तो कब तक निराकृत कर लिए जाएँगे?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जिला जशपुर अंतर्गत ग्राम तपकरा में नाली निर्माण (विनोद के घर से अनिल चक्रेश के घर तक) हेतु वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग (ग्राम पंचायत स्तर) योजना अन्तर्गत राशि रू. 7.00 लाख की स्वीकृति दी गई एवं राशि रू. 7.00 लाख व्यय की गई। **(ख)** इस नाली निर्माण के अंतर्गत कोई भी शासकीय अथवा निजी काबिज भूमि पर स्थित मकान नहीं तोड़े गये हैं। **(ग)** प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता।

बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों पर दर्ज प्रकरण

[गृह]

21. (क्र. 504) श्री विक्रम मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बीजापुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत दिसंबर, 2023 से 26 नवंबर, 2024 तक कुल कितने ग्रामीणों को नक्सली आरोप में जेल में निरूद्ध किया गया है? **(ख)** UAPA (गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? प्रश्नांश **(क)** अवधि में बीजापुर विधान सभा क्षेत्र में उक्त अधिनियम के तहत कुल कितने ग्रामीणों पर प्रकरण दर्ज कर जेल भेजा गया है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) बीजापुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत दिसम्बर, 2023 से 26 नवम्बर, 2024 तक किसी भी ग्रामीण को नक्सली होने के आरोप में जेल में निरूद्ध नहीं किया गया है। **(ख)** UAPA (गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम) अधिनियम 1967 के अध्याय 1-(ण) विधि विरूद्ध क्रियाकलापों से किसी व्यष्टि या संगम के संबंध में, ऐसे व्यष्टि या संगम द्वारा (चाहे कोई कार्य करके, या बोले गये अथवा लिखे गये शब्दो द्वारा, या संकेतो द्वारा, या दृश्यरूपेण द्वारा या अन्यथा) की गई कोई ऐसी कार्यवाही अभिप्रेत है-

1. जो किसी भी आधार पर, चाहे वह कुछ भी हो, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का संघ से विलग हो जाना घटित करने के लिए, आशयित है, या उसके लिए किसी दावे का समर्थन करती है, या जो ऐसा अध्यर्पण या विलग हो जाना घटित करने के लिए किसी व्यष्टि या व्यष्टियों के समूह को उद्दीप्त करती है या

2. जिससे भारत की प्रभुता और प्रादेशिक अखण्डता का अन्-अंगीकरण होता है या उन पर आक्षेप होता है या जो उन्हे विच्छिन्न करती है या विच्छिन्न करने के लिए आशयित है, या

3. जो भारत के विरूद्ध द्रोह कारित करती है या द्रोह कारित करने के लिए आशयित है,

(त) विधि विरूद्ध संगम से कोई ऐसा संगम अभिप्रेत है-

1. जिसका उद्देश्य कोई विधि विरूद्ध क्रिया है या जो कोई विधि विरूद्ध क्रिया करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है या उसकी सहायता करता है अथवा जिसके सदस्य ऐसी क्रिया करते है अथवा

2. जिसका उद्देश्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 क या धारा 153 ख के अधिन दण्डनीय कोई कार्य है या जो कोई ऐसा कार्य करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है, या उनकी सहायता करता है अथवा जिसके सदस्य कोई ऐसा कार्य करते पाये जाने पर उनके विरूद्ध UAPA (गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम)अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है।

दिसम्बर 2023 से 26 नवम्बर 2024 किसी भी ग्रामीण के विरूद्ध UAPA (गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम) अधिनियम के तहत् प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है।

बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासों की स्वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

22. (क्र. 505) श्री विक्रम मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची तथा आवास प्लस सूची के अनुसार हितग्राहियों की संख्या कितनी-कितनी है? ग्राम पंचायतवार बतावें? इनमें स्वीकृत कितने हैं? कितने आवास की प्रथम, द्वितीय, तृतीय किश्त की राशि जारी की गई है? कितने आवास पूर्ण हो चुके हैं? ग्राम पंचायतवार जानकारी देवें? **(ख)** बीजापुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आवास प्लस की सूची में कितने आवासधारियों की स्वीकृति प्रदान की गई? कितने प्रतीक्षा सूची में हैं? कितने प्रारंभ हो चुके हैं? कितने पूर्ण हो चुके हैं? कितने अपूर्ण हैं? विस्तृत जानकारी ग्रामवार देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब''** अनुसार है।

मुंगेली विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मनरेगा कार्य का मजदूरी भुगतान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

23. (क्र. 509) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 26/11/24 तक मनरेगा योजना अंतर्गत कितनी राशि के कितने (मिट्टी तथा मटेरियल पक्का) कार्य स्वीकृत किये गये है? उक्त स्वीकृत कार्यों में कितने पूर्ण, कितने अपूर्ण एवं कितने अप्रारंभ हैं? क्या राज्य शासन द्वारा पक्के कार्य (मटेरियल) की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है तो क्यों? मनरेगा कार्य हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उक्तावधि में जिला मुंगेली हेतु कितनी राशि जारी की गई? जानकारी प्रदान करें? **(ख)** क्या जिला मुंगेली में मनरेगा के सभी कार्यों में 60ः40 के रेशियों का पालन किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? क्या कराए गए कार्यों की मजदूरी का भुगतान हो चुका है? यदि नहीं तो कितनी राशि किन कारणों से लंबित है? मजदूरी का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं, सभी कार्यों में 60ः40 रेशियो का पालन करना अनिवार्य नहीं है। कराये गए कार्यों की मजदूरी का भुगतान हो चुका है। शेषांश प्रश्न उद्भुत नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस"]

रेडी टू ईट का कार्य महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपे जाने के संबंध में गठित अध्ययन दल

[महिला एवं बाल विकास]

24. (क्र. 513) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या रेडी टू ईट का कार्य महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपे जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्तमान स्थिति में परिवर्तन एवं अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्था का निरीक्षण/ परीक्षण किए जाने हेतु अध्ययन दल गठित किया गया था? अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर क्या समुचित निर्णय राज्य सरकार/ विभाग द्वारा लिया गया? क्या-क्या कार्यवाही उक्त प्राप्त प्रतिवेदन पर अब तक की गई? यदि नहीं तो क्यों? जानकारी प्रदान करें? **(ख)** क्या जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में अप्रैल, 2023 से दिनांक 26/11/24 तक महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र हेतु पोषण आहार प्रदान किया गया है? किन-किन केंद्रों में किन-किन समूह द्वारा यह कार्य किया जा रहा है? यदि नहीं तो किसके द्वारा पोषक आहार प्रदाय किया जा रहा है ? यदि जिला में पोषक आहार का विवरण बंद है तो कब से, किन कारणों से वितरण बंद है? जानकारी प्रदान करें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जी हॉ। अध्ययन दल के अनुशंसा के प्रकाश में समुचित निर्णय लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** जी हॉ। जिले में महिला स्व सहायता समूह द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र में नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन हेतु खाद्य सामग्री का प्रदाय एवं परियोजना गोदाम से रेडी टू ईट का परिवहन का कार्य किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रवार, समूहवार जानकारी**पुस्तकालय** में रखे संलग्न परिशिष्ठ अनुसारहै। नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन महिला समूहों द्वारा प्रदाय नहीं किये जाने पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा केन्द्रों में सामग्री प्रदाय किया गया है। तथापि माह जून 2024 में रेडी टू ईट का वितरण में आंशिक अवरोध हुआ था। जिले में पूरक पोषण आहार का वितरण नियमित है।

राज्य में संचालित नर्सिंग कॉलेज

[चिकित्सा शिक्षा]

25. (क्र. 515) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ में कुल कितने नर्सिंग कॉलेज है? क्या ये सभी इंडियन नर्सिंग कॉउंसिल नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं?यदि हां तो कोर्स की सीट संख्या सहित सूची देवें? **(ख)** क्या राज्य शासन को यह अधिकार दिया गया है कि वह बिना केंद्र शासन (इंडियन नर्सिंग कॉउंसिल) की अनुमति के स्वयं अपने स्तर पर नर्सिंग कॉलेज में सीटों की वृद्धि की अनुमति दे सकती है ? यदि हां तो किस नियम के आधार पर कृपया उक्त नियम की प्रति देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) छत्तीसगढ़ में कुल 131 (08 शासकीय, 123 निजी) नर्सिंग कॉलेज है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली किसी भी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता न देकर उपयुक्तता प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रायपुर द्वारा राज्य के नर्सिंग कॉलेजो को मान्यता प्रदान की जाती है। वर्तमान मे इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली द्वारा 99 नर्सिंग कॉलेजांे को उपयुक्तता प्राप्त है व शेष 32 कॉलेजों को उपयुक्तता प्राप्त नहीं है। किन्तु छत्तीसगढ़ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रायपुर से सभी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता प्राप्त है। जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''अ''** अनुसार है।
(ख) राज्य शासन नर्सिंग कॉलेजों में सीट वृद्धि की अनुमति नहीं देती है, अपितु भारतीय उपचर्या परिषद की अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई 2021 की कंडिका V (3) अनुसार ''पात्र संगठन/संस्थान को संबंधित राज्य सरकार से अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जहां बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्थापित करने की मांग की गई है'' एवं छ.ग.शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 17-23/2013/नौ/17 दिनांक 20.05.2013 की कंडिका 1.10 चरण-IV के अनुसार '' शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना'' नियम की प्रति जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''ब''** अनुसार है।

खैरागढ विधानसभा में महतारी वंदन योजना से लाभान्वित महिलाएं

[महिला एवं बाल विकास]

26. (क्र. 517) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कितनी विवाहित महिलाएं हैं जिन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है और कितनी विवाहित महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा क्यों? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के अनुसार महतारी वंदन योजना के लाभ हेतु क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गयी है? कितनी विवाहित महिलाओं का दिनांक 26/11/24 तक पंजीयन होना बाकी है? पंजीयन में छूट गई महिलाओं को योजना में शामिल करने के क्या नियम/योजना बनाये गए हैं? और कब तक लाभार्थियों का पंजीयन पूर्ण कर लिया जाएगा? **(ग)** वर्ष 2023-24 में नवविवाहित महिलाएं का पंजीयन कब तक पूर्ण किया जाएगा? समयावधि बतायें? यदि लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिलता है, इस स्थिति में किसे जिम्मेदार माना जायेगा और उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के मार्च 2024 की स्थिति में आवेदन करने वाले 88,495 आवेदिकाओं में से 88, 307 पात्र विवाहित महिलाओं को लाभ दिया गया है तथा 188 विवाहित महिलाओं को अपात्र होने के कारण योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अद्यतन स्थिति में 87,958 विवाहित महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। विकासखंडवारजानकारी **संलग्न 'प्रपत्र-अ' अनुसार है। (ख)** महतारी वंदन योजना के लाभ हेतु निर्धारित शर्तें **संलग्न 'प्रपत्र-ब'** अनुसारहै। कितनी विवाहित महिलाओं का दिनांक 26.11.2024 तक पंजीयन होना बाकी है यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। पंजीयन में छूट गयी महिलाओं को पुनः योजना में शामिल किए जाने हेतु अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** वर्ष 2023-24 में नवविवाहित महिलाओं के पंजीयन किए जाने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। पात्र आवेदन करने वाली सभीलाभार्थियोंको योजना का लाभ मिल रहा है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]

रायगढ़ जिला के शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ की कमी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

27. (क्र. 521) श्री उमेश पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या रायगढ़ जिला के शासकीय चिकित्सालयों में डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ तथा दवा की कमी के कारण मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मरीजों को ईलाज के लिए परेशानियों का सामना न करना पड़े, इस हेतु शासन की क्या कार्ययोजना है? जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विभाग द्वारा दिसम्बर 2023 से अभी तक रायगढ़ जिला के जिला चिकित्सालय एवं अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 27 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। जिससे मरीजों को ईलाज के लिए कोई परेशानी नहीं हो रही है। चिकित्सकीय सुविधाओं के सुधार के लिए विभाग द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे है। वित्त निर्देश 18/2023 एवं 04/2024 के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग से चिकित्सा विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य पदों पर भर्ती हेतु अनुमति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा संविदा नियुक्ति के तहत चिकित्सा विशेषज्ञों/चिकित्सकों के भर्ती की कार्यवाही ऑनलाईन माध्यम से निरंतर की जा रही है।

रीपा केन्द्रों की जांच/कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

28. (क्र. 528) श्री धरमलाल कौशिक : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- क्या विधान सभा तांराकित प्रश्न सं.06 क्रमांक (1155), दिनांक 15.02.2024 में रीपा योजनांतर्गत पूछे गए प्रश्न के संबंध में मुख्य सचिव/सचिव/अन्य स्तर से जांच की घोषणा की गई थी? यदि हॉ तो जांच प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया? अनियमितता एवं कमियों हेतु दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जी हॉ। जांच प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा। प्रतिवेदन में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरूद्ध गुणदोष के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

क्रय आदेशों की शिकायत पर कृत कार्यवाही

[महिला एवं बाल विकास]

29. (क्र. 529) श्री धरमलाल कौशिक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 26/11/24 तक विभाग द्वारा संचालनालय स्तर से किन-किन सामग्रियों के लिए 10 लाख से अधिक राशि का क्रय आदेश कब-कब जारी किया गया व कितना भुगतान किन-किन को किया गया? इस संबंध में क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई थी व इस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? सामग्रीवार, भुगतानवार जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ठ अनुसार है।** तथापि क्रय आदेश एवं प्रदाय के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। फलस्वरूप कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिला जांजगीर चाम्पा व सक्ती अंतर्गत पुलिस विभाग द्वारा किराये पर लिए गए वाहन का भुगतान

[गृह]

30. (क्र. 536) श्री बालेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या वर्ष जनवरी, 2023 से 18 नवम्बर, 2024 तक जिला जांजगीर-चाम्पा व सक्ती जिले में पुलिस विभाग द्वारा उपयोग की जा रही गाड़ियां किराये पर ली गयी हैं? यदि हां, तो इसके लिए निविदा कब-कब आमंत्रित की गई? निविदा में कितने फर्मो ने भाग लिया? निविदा में चयनित फार्म द्वारा कौन-कौन सी गाडियों के लिए, कितनी-कितनी राशि का किराया निर्धारित किया गया? किराया निर्धारण का मापदंड क्या रखा गया था? निविदा में शामिल होने वाले फर्मो (पूर्ण पता सहित) चयनित फर्म का नाम (पूर्ण पता सहित), भुगतान दिनांकवार, भुगतान राशि आदि का पूर्ण विवरण वाहनवार, विकासखडवार, जिलेवार प्रदान करें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जी हॉ। निविदा आमंत्रित नहीं की गई। वित्त विभाग के निर्देश 09/2010 एवं 05/2024 में प्रावधानित अनुसार जिला कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त कर किराये पर लिया गया है। वाहनों के किराया का निर्धारण कार्यालय राज्य शिष्टाचार अधिकारी के निर्देश दिनांक 04.04.2012 एवं वित्त निर्देश 14/2024, दिनांक 07.06.2024 के माध्यम से किया जा रहा है। शेषांश उपस्थित नहीं होता है।

विकासखण्ड बलौदाबाजार में चल रहे निर्माण कार्यों के गुणवत्ताहीन होने की प्राप्त शिकायतें

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

31. (क्र. 541) श्री इंद्र साव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बलौदाबाजार वि.खं. अंतर्गत ग्राम पंचायत खजरी में वर्ष 2022-23 से दिनांक 26/11/24 तक कितने कार्यों की किन-किन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है? स्वीकृत कार्य की पूर्ण-अपूर्ण जानकारी बतायें? **(ख)** निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है? **(ग)** गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई जांच के मूल्यांकन सत्यापन एवं जांचकर्ता अधिकारी कौन थे? जांच उपरांत किन-किन अधिकारियों के ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गई? जानकारी बतायें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) एवं **(ख)** जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-ब''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

सी.जी.एम.एस.सी द्वारा उपकरण, री-एजेंट, कंज्यूमेबल और दवा-औषधि का क्रय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

32. (क्र. 543) श्री इंद्र साव : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में दिनांक 26/11/24 कब-कब, कितनी-कितनी, कौन-कौन सी और किस-किस से, उपकरण, री-एजेंट, कंज्यूमेबल और दवा-औषधि का बिना बजट उपलब्धता के क्रय सी.जी.एम.एस.सी द्वारा किया गया है? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के बगैर बजट की उपलब्धता के क्रय हेतु दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में उपकरण, रिएजेंट, कंज्यूमेबल और दवाईयों का क्रय का किस मांग पत्र के आधार पर एवं किस मद से की गई है- इस हेतु एक जांच समिति गठित की गई है। जांच समिति से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।**(ख)** समिति की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत महिलाओं की गुमशुदगी के थानावार दर्ज प्रकरण

[गृह]

33. (क्र. 551) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक थानावार कितनी महिलाओं की गुमशुदगी/तस्करी के मामले दर्ज हैं ? **(ख)** उनमें नाबालिग बालिकाओं की संख्या कितनी है? **(ग)** महिला एवं नाबालिग बालिका गुमशुदा/ तस्करी के कितने प्रकरणों में पुलिस की कार्यवाही से सफलता प्राप्त हुई? बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की थानावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** नाबालिग बालिकाओं की संख्या - 94 है। **(ग)** 312 प्रकरणों में सफलता प्राप्त हुई है। सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के काराबेल में हुई चोरी की घटना

[गृह]

34. (क्र. 553) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत काराबेल स्कूल में 8 बार चोरी का मामला सामने आया है? यदि हां, तो दोषी आज तक पकड़ा गया या नहीं? अगर नहीं तो उक्त स्कूल में सुरक्षा की क्या योजना है एवं चोरी व डकैती पर अंकुश लगाने की क्या कार्य योजना है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जी नहीं। काराबेल स्कूल एवं सीतापुर क्षेत्र में चोरी एवं डकैती पर अंकुश लगाने के लिए निम्न कार्य योजना तैयार किया गया है:-01. निगरानी/माफी बदमाश, संदेहियों से पूछताछ एवं सतत् निगरानी रखी जा रही है। 02. चोरी के अपराधों के पूर्व सजायाफ्ता आरोपियों से पूछताछ कर, उन पर सतत् निगरानी रखी जा रही है। 03. काराबेल स्कूल की सुरक्षा एवं चोरी व डकैती पर अंकुश लगाने हेतु जिला पुलिस द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि गश्त, पेट्रोलिंग करायी जा रही है। 04. सीतापुर क्षेत्र में चोरी के समान क्रय-विक्रय करने वालों एवं कबाड़ी खरीदने वालों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। 05. कम्यूनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत ग्राम रक्षा समिति एवं पुलिस मित्र योजना चलायी जा रही है एवं ग्राम रक्षा समिति की बैठक आयोजित कर गांव में बाहर से आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में जानकारी एकत्रित किया जाता है।

जांजगीर-चांपा जिले में पंचायतों के कार्यों में अनियमितता एवं पंचायत सचिवों का स्थानांतरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

35. (क्र. 555) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले के अकलतरा एवं बलौदा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम-पंचायतों द्वारा कराए गए कार्यों के विरूद्ध आर्थिक अनियमितता की कितनी शिकायतें वर्ष 2023-24 एवं वर्तमान वर्ष 2024-25 में 26.11.2024 तक प्राप्त हुई हैं अथवा संज्ञान मे आई हैं? विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी प्रदान करें? क्या प्राप्त शिकायतों की जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सहित, की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी विकासखण्डवार व प्रकरणवार प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांश (क) अवधि में अकलतरा एवं बलौदा विकासखण्ड अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत कितने पंचायत सचिवों का स्थानांतरण आदेश जारी किया गया? स्थानांतरण आदेश की अवहेलना करने वालों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विकासखण्डवार व प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध करावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र''** अनुसार है। प्राप्त शिकायतों पर जांच कराई गई है। 02 जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है। **(ख)** जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र''** अनुसार है।

धमतरी जिले में संचालित सखी वन स्टाप सेंटर

[महिला एवं बाल विकास]

36. (क्र. 562) श्री ओंकार साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** धमतरी जिले में अनाथ, निराश्रित बच्चों के लिए विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त आवासीय परिसर एवम सखी वन स्टाप सेंटर कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं? इसके संचालन हेतु क्या दिशा-निर्देश हैं? विगत 03 वर्षों में कितनी राशि, किन-किन सामग्रियों पर खर्च की गई? **(ख)** 2021-22 से नवंबर, 2024 तक धमतरी जिले में कहां-कहां सामूहिक विवाह आयोजित किए गए? विकासखंडवार जानकारी दें? आयोजित किए गए सामूहिक विवाह में प्रत्येक हितग्राही के लिए कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? कौन-कौन सी सामग्री प्रत्येक हितग्राही को प्रदान की गई? सामग्रियों हेतु विभाग द्वारा कब निविदा जारी की गई और किस-किस वेंडर से खरीदी की गई? **(ग)**क्या सामूहिक विवाह में हितग्राहियों को सामग्रियों के अलावा नकद राशि देने का भी प्रावधान है? यदि हां, तो राशि का विवरण विकासखंडवार दें? सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए हितग्राहियों के चयन के लिए क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) धमतरी जिले में अनाथ, निराश्रित बच्चों के विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त आवासीय परिसर जुनेजा स्टील गली रत्नाबांधा रोड, धमतरी में एवं सखी वन स्टॉप सेंटर ओजस्वी नर्सिग होम के बाजू रूद्री रोड धमतरी में संचालित है। मिशन वात्सल्य अन्तर्गत आवासीय परिसर संचालन के दिशा-निर्देश **पुस्तकालय में रखे ''परिशिष्ठ-अ''** अनुसार एवं सखी वन स्टॉप सेंटर संचालन के सम्बन्ध मे दिशा-निर्देश **पुस्तकालय में रखे ''परिशिष्ठ-ब''** अनुसार है। आवासीय परिसर एवं सखी वन स्टॉप सेंटर हेतु विगत 03 वर्षो में सामग्रियों पर खर्च की गई राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखेपरिशिष्ठ-'स' एवं 'द'** अनुसार है। **(ख)** 2021-22 से नवबंर, 2024 तक धमतरी जिले में आयोजित सामूहिक विवाह, प्रत्येक हितग्राही के लिए व्यय राशि एवं प्रदाय सामग्रियों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे ''परिशिष्ठ-ई''** अनुसार है। सामग्रियों हेतु विभाग द्वारा जारी निविदा की जानकारी **पुस्तकालय में रखे ''परिशिष्ठ-फ''** अनुसार एवं सामग्री आपूर्तिकर्ता वेंडर की जानकारी **पुस्तकालय में रखे ''परिशिष्ठ-ग''** अनुसार है। **(ग)** जी नहीं, सामूहिक विवाह में हितग्राहियों को सामग्रियों के अलावा नकद राशि देनेे का प्रावधान नहीं है अपितु बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में खाते में राशि दिये जाने का प्रावधान हैं। बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में दी गई राशि का विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे ''परिशिष्ठ-ह''** अनुसार है। सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिए हितग्राहियों के चयन हेतु ग्राम पंचायतों में मुनादी कराया गया, प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन एवं पात्रता रखने वालें हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किया गया। तत्पश्चात् आवेदनों एवं संलग्न समस्त दस्तावेजों

का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक व परियोजना अधिकारी द्वारा परीक्षण कर समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया।

सिविल अस्पताल कुरूद और जिला अस्पताल धमतरी में इलाज में लापरवाही के प्रकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

37. (क्र. 563) श्री ओंकार साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सिविल अस्पताल कुरूद और जिला अस्पताल धमतरी में दिनांक 18 सितंबर, 2024 से 10 अक्टूबर, 2024 तक कौन-कौन से डॉक्टर ने दुराचार पीड़ित 4 साल की बच्ची की जांच की? **(ख)** दुराचार पीड़ित बच्ची के इलाज में किसी तरह की चूक हुई? यदि हां तो कौन-कौन डॉक्टर इलाज में लापरवाही बरतने के लिए जिम्मेदार हैं एवं उक्त डॉक्टर पर क्या कार्रवाई की गई?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) सिविल अस्पताल कुरूद में डॉ.एन.के. कामड़े, डॉ. निरजा गिरवानी, डॉ. गौरव नेताम, डॉ बी.के. मरकाम, डॉ. एच.आर. देवांगन, डॉ. जे.पी. दीवान,डॉ. शीलारानी देवांगन द्वारा तथा जिला अस्पताल धमतरी में डॉ. रचना पदमवार, डॉ. रागिनी ठाकुर, डॉ. अखिलेश देवांगन, डॉ. रविकिरण शिंदे द्वारा पीड़िता की जांच एवं उपचार किया गया। **(ख)** पीड़ित बच्ची के उपचार में कुछ लापरवाहियॉ जांच में परिलक्षित हुई है। घटना के पश्चात् सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, धमतरी डॉ. अरूण कुमार टोण्डर को प्रभार से हटा दिया गया है। प्रकरण में जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में घटित अपराधों के दर्ज प्रकरण

[गृह]

38. (क्र. 576) श्री बघेल लखेश्वर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में जनवरी, 2023 से नवम्बर, 2024 तक चोरी-डकैती, लूटपाट, मारपीट, हत्या, बलात्कार, गांजा तस्करी, छेड़छाड़ के कितने प्रकरण दर्ज हुये? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में ही इन प्रकरणों में से कितने प्रकरणों का निराकरण हो गया तथा कितनों में चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही पूर्ण हो गई तथा कितनों का चालान प्रस्तुत होना शेष है? **(ग)** ऐसे कितने विचाराधीन आरोपी जेल में बंद हैं, जिनका चालान प्रस्तुत होना शेष है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की जिलेवार, अपराध शीर्षवार, संख्यात्मक जानकारी संलग्न ''प्रपत्र'' अनुसार है। **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठाईस"]

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में श्रमिकों का पलायन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

39. (क्र. 577) श्री बघेल लखेश्वर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या छ.ग. राज्य में श्रमिकों/मजदूरों का अपने जिले से अन्य जिलों /राज्यों में रोजगार हेतु जाने के लिए पंजीयन का प्रावधान है? यदि हां, तो बस्तर संभागान्तर्गत कितने लोगों ने पंजीयन करवाया? 03 वर्ष की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवें? **(ख)** अवैध रूप से मजदूरों का पलायन होने को रोकने के लिए विभाग के द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे बतावें? **(ग)** रोजगार की तलाश में दूसरे प्रांत में गये मजदूरों को बंधक बनाये जाने संबंधी कितने प्रकरण आये व इसमें कितने प्रकरणों में मजदूरों की रिहाई कराई गई? कृपया बस्तर संभागान्तर्गत जिलों के संबंध में जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी हॉ, विभाग अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में पलायन पंजी संधारित करने का प्रावधान है। बस्तर संभाग अन्तर्गत 438 लोगों ने पंजीयन करवाया। शेष प्रश्नांश की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** अवैध रूप से मजदूरों को ठेकेदारों द्वारा ले जाने संबंधी कोई भी

शिकायत श्रम विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। श्रम विभाग द्वारा अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 अंतर्गत अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकारों के नियोजन एवं सेवा शर्तों का प्रवर्तन किया जाता है। अवैध रूप से मजदूरों को अन्य राज्यों में रोजगार हेतु ले जाने वाले नियोजकों/ठेकेदारों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है। **(ग)** रोजगार की तलाश में दूसरे प्रांत में गये मजदूरों को बंधक बनाये जाने संबंधी कुल 33 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 12 प्रकरणों में मजदूर बंधक बनाया जाना पाया गया तथा शेष शिकायतें सही नहीं पायी गयी। मजदूरों को बंधक बनाये जाने वाले 12 प्रकरणों में कुल 48 श्रमिकों को संबंधित जिला प्रशासन द्वारा अवमुक्त कराया गया। जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"]

रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी के कारण असामायिक मृत्यु

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

40. (क्र. 580) श्री फूलसिंह राठिया : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या दिनांक 24-11-2024 को रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत जोगीपाली में आँगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती कांति राठिया उस एवं उसके नवजात बच्चों की मौत एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण हो गई, इस घोर लापारवाही हेतु जिम्मेदार कौन है? तथा संबंधित उपर क्या कार्यवाही की गई? **(ख)**क्या दोषी अधिकारियों के उपर कार्यवाही करते हुए इनके परिवार को भरण पोषण एवं मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी यदि हां तो इस परिवार को मुआवजा राशि कब तक देंगे?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

41. (क्र. 581) श्री फूलसिंह राठिया : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सर्वे सूची 2011 के अनुसार रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ऐसे कितने हितग्राही हैं जिन्हें आज की स्थिति में दोबारा आवास स्वीकृत हुआ है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सर्वे सूची 2011 के अनुसार दोबारा आवास स्वीकृत प्रकरण **निरंक** है।

जिला सुकमा में महात्मा गांधी नरेगा मद से स्वीकृत कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

42. (क्र. 583) श्री कवासी लखमा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभाग से जिला सुकमा में दिसम्बर 2023 से 20 नवम्बर, 2024 तक महात्मा गांधी नरेगा मद से कितने से कार्य स्वीकृत किए गए ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(ख)** कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? यदि अपूर्ण हैं तो क्यों? **(ग)** स्वीकृत कार्यों की मटेरियल और मजदूरी भुगतान की क्या स्थिति है? क्या कार्य की वर्तमान स्थिति तक भुगतान हो गया है? यदि नहीं तो क्यों? बकाया भुगतान कब तक करा लिया जाएगा?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** कार्यों की भौतिक स्थिति **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। महात्मा गांधी नरेगा मांग आधारित योजना है, पंजीकृत परिवारों के मांग अनुरूप कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाएगा। प्रश्नावधि के कार्य एक वर्ष के भीतर के हैं, जो कि वर्तमान में प्रगतिरत हैं। **(ग)** जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। जी हाँ। शेषांश उद्भुत नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण/संलग्नीकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

43. (क्र. 587) श्री अनुज शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2021 से प्रश्न दिनांक तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एन.एच.एम./एन.एच.आर.एम) अंतर्गत जिला रायपुर कार्यरत कितने अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण/संलग्नीकरण या कार्य संपादन हेतु स्थान परिवर्तन पदस्थापना स्थल से अलग स्थल पर किया गया है? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम./एन.एच.आर.एम) में सेवाशर्तो में स्थानांतरण/संलग्नीकरण किये जाने का नियम है? यदि हां तो किस नियम के तहत? यदि नहीं, तो क्या किये गये सभी स्थानांतरण/संलग्नीकरण निरस्त किये जा सकते है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :(क) जिला-रायपुर मे कार्यरत 74 अधिकारी/कर्मचारी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् पदस्थापना स्थल से अलग स्थल पर कार्य संपादन हेतु आदेशित किया गया है। **(ख)** जी हॉ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जारी मानव संसाधन नीति 2018 में स्थानांतरण की कंडिका क्रमांक 42 में नियम एवं शर्तों में प्रावधान उल्लिखित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिला महासमुंद में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता व लंबित भुगतान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

44. (क्र. 592) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** महासमुन्द जिले में 1 जनवरी 2024 से 24 नवम्बर 2024 तक स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास की कुल संख्या व राशि विकास खण्डवार बतायें? उक्तावधि में जारी राशि व हितग्राहियों की संख्या विकास खण्डवार देवें। **(ख)** महासमुंद जिले में पात्र हितग्राही को स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास की राशि जारी नहीं किये जाने के कारणों का निराकरण कर कब तक राशि जारी कर दी जावेगी? **(ग)** जिले में उक्तावधि में प्रधान मंत्री आवास से सम्बंधित शिकायत व कार्यवाही की जानकारी विकासखण्डवार बतायें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की जानकारी **निरंक** है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की जानकारी **निरंक** है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत हितग्राहियों का भुगतान पीएफएमएस में आधार सत्यापन संबंधी तकनीकी समस्याओं के कारण लंबित है, जिसका निराकरण किया जा रहा है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की जानकारी **निरंक** है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-ब''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस"]

महासमुंद जिले में मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

45. (क्र. 599) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महासमुंद जिले में वर्ष 2023-24 और 2024-25 में दिनांक 25/11/2024 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण के लिए कितने कार्यों के लिए कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है ? जानकारी विकासखंडवार दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्यों को जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा से स्वीकृति प्रदान की गई है ? स्वीकृत राशि सहित जानकारी विकासखंडवार बताएं। **(ग)** डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण में गुणवत्ताहीन निर्माण और अनियमितता की शिकायत कितने व्यक्तियों ने की है ? उपरोक्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है? जानकारी प्रदान करें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** कार्यों की स्वीकृति जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा के आधार पर नहीं अपितु ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किये गये

जिला वार्षिक कार्य योजना तथा आवश्यकता अनुरूप कार्य की मांग के आधार पर एवं तकनीकी स्वीकृति उपरांत जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर द्वारा कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है, जिसमें जनप्रतिनिधियों के अनुशंसित कार्य भी शामिल हो सकते हैं। **(ग)** एक डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण कार्य में दो व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई है, जिसमें शिकायत की जाँच हेतु गठित दल द्वारा जाँच उपरान्त किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गई है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]

महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियों के विरूद्ध घटित अपराधिक घटनायें

[गृह]

46. (क्र. 603) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ में जनवरी 2024 से नवबंर 2024 तक कुल कितने महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियों की हत्या,बलात्कार,अपहरण, मारपीट एवं छेड़खानी की घटना हुई है? जिलावार एवं अपराधवार संख्या की जानकारी दें। **(ख)** उक्त घटनाओं के कितने अपराधी गिरफ्तार हुये हैं और कितने फरार हैं?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की जिलावार एवं अपराधवार जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तैंतीस"]

कोटा में हुये टीकाकरण से बच्चों की मौत होना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

47. (क्र. 605) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कोटा, विकासखंड जिला बिलासपुर के स्वास्थ्य केन्द्र में टीकाकरण के पश्चात हुई बच्चों की मृत्यु की घटना कब हुई और कितने बच्चों की मौत हुई थी? स्वास्थ्य विभाग के जांच रिपोर्ट में बच्चों के मौत का कारण क्या पाया गया है? **(ख)** उक्त घटना दिनांक में स्वास्थ्य केन्द्र, कोटा में कौन-कौन शिशुरोग विशेषज्ञ पदस्थ थे? घटना दिनांक में कौन शिशुरोग विशेषज्ञ, स्वास्थ्य केन्द्र कोटा में उपस्थित थे? क्या परिजन द्वारा गंभीर शिशु के ईलाज हेतु सामु.स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया था? शिशु रोग विशेषज्ञ एवं डयूटी डाक्टर द्वारा गंभीर शिशु का क्या प्राथमिक उपचार किया गया? क्या शिशु रोग विशेषज्ञ पदस्थ होने के पश्चात भी उपस्थित नहीं थे तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिये क्या उपाय एवं तैयारी की गई है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) घटना दिनांक 30.08.2024 एवं 31.08.2024 को हुई, जिसमें 02 बच्चों की मौत हुई थी। जांच रिपोर्ट में बच्चों के मौत का कारण एस्पिरेशन/सडन इन्फेन्ट डेथ होना पाया गया। **(ख)** जिला कार्यालय में प्रभारी जिला टीकाकरण अधिकारी के रूप में डॉ. प्रमोद तिवारी कार्यरत एवं पदस्थ थे। जो घटना के समय स्वास्थ्य केन्द्र कोटा में उपलब्ध नही थे। परिजनों के द्वारा बच्चे को चिकित्सालय में मृत अवस्था में लाया गया था। बच्चे की पूर्व से ही मृत्यु हो जाने के कारण किसी प्रकार का प्राथमिक उपचार नही किया जा सका। पदस्थ शिशुरोग विशेषज्ञ जिले में टीकाकारण अधिकारी के पद पर कार्यरत है अतः विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नही होता। **(ग)** स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन द्वारा भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु शासन स्तर से समस्त संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूर्व से ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है। पूर्व से ही रोग प्रतिक्रिया रोधक सामग्री (एईएफआई किट) एवं जीवनरक्षक औषधियों की उपलब्धता प्रत्येक टीकाकरण सत्र में सुनिश्चित किया जाता है एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षित रहते है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाएं एवं आबंटित राशि की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

48. (क्र. 606) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना से जनवरी 2024 से दिनांक 26/11/2024 तक कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है? जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार संचालित स्वास्थ्य योजनाओं हेतु कितनी राशि बजट में प्रस्तावित है तथा अस्पतालों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है एवं कितनी राशि का भुगतान करना शेष है? जानकारी देवें? **(ग)** माह अक्टूबर 2024 में दंतेवाड़ा जिले में मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान कितने लोगों ने ऑपरेशन कराया था? कितने लोगों की आँखों में इन्फेक्शन हुआ था एवं उनका ईलाज कहाँ कराया गया? घटना में कितने लोगों की आँख की रोशनी चली गई? तथा इस घटना के जिम्मेदार कौन-कौन थे एवं उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-''अ एवं ब'' अनुसार** है। **(ख)** आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रूपये 1778.05 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रूपये 1800.05 करोड़ की राशि बजट में स्वीकृत है। प्रश्नांक ''क'' अनुसार अस्पतालों को जनवरी, 2024 दिनांक 26.11.2024 तक रूपये 1555.8 करोड़ का भुगतान किया गया है एवं रूपये 1169.7 करोड़ की राशि का भुगतान शेष है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रूपये 50 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रूपये 50.00 करोड़ की राशि स्वीकृत है। अस्पतालों को जनवरी, 2024 से दिनांक 26.11.2024 तक रूपये 32.98 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है एवं रूपये 11.93 करोड़ की राशि का भुगतान कराना शेष है। **(ग)** कुल 108 मोतियाबिंद मरीजों का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें से 17 मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन पाया गया था। जिनका उच्च स्तरीय ईलाज पं.जे.एन.एम. मेडिकल कॉलेज, रायपुर में कराया गया। इस घटना में 05 मरीजों की आंख की रोशनी हेतु उपचार जारी है। घटना में प्रथम दृष्टया जिम्मेदार 01 नेत्र रोग विशेषज्ञ, 01 नेत्र सहायक अधिकारी, 01 स्टॉफ नर्स, आई.ओ.टी. प्रभारी को निलंबन किया गया है एवं जिला स्तर से 01 माइक्रोबॉयोलॉजिस्ट, 01 जूनियर साइंटिस्ट संविदा कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौंतीस"]

छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज द्वारा आबंटित वाहन व उन पर व्यय

[गृह]

49. (क्र. 607) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज द्वारा वर्ष 2022 से दिनांक 26/11/2024 तक किन-किन लोगों को शासकीय वाहन आबंटित किया गया है? उनके नाम, मूल पदनाम की जानकारी देवें? **(ख)** शासकीय वाहन आबंटन किस नियम एवं शर्तों के तहत किस कर्मचारी/अधिकारी को आबंटित किया जाता है? नियम की जानकारी देवें? **(ग)** क्या छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज द्वारा आबंटित सभी गाड़ियों पर वार्षिक मेंटेनेंस हेतु कोई राशि का प्रावधान है? यदि है तो प्रश्नांक अवधि तक कितने वाहनों पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** शासकीय वाहनों का आबंटन स्टेट गैरेज के वाहन आबंटन नीति के तहत किया जाता है। **(ग)** जी हॉ। जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''ब''** अनुसार है।

डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित योजनाओं से प्राप्त ब्याज की राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

50. (क्र. 611) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-चौकी एवं केसीजी अंतर्गत वर्ष 2022-2023 से दिनांक

26/11/2024 तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से प्राप्त ब्याज की राशि की जानकारी योजनावार वर्षवार देवें? ब्याज की राशि का प्रयोग किन-किन कार्यों के लिये किया गया? **(ख)** ब्याज की राशि के उपयोग हेतु अनुमति किस सक्षम अधिकारी या विभाग से ली गई? अनुमति लेने का क्या प्रावधान है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** ब्याज की राशि का उपयोग नहीं करने के कारण प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"]

टैक्सी परमिट की जांच की जानकारी

[गृह]

51. (क्र. 613) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जिला राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-चौकी एवं केसीजी अंतर्गत 01 जनवरी 2022 से दिनांक 25/11/2024 तक बिना व्यवसायिक पंजीयन के वाहन विभाग में किराये पर उपयोग कि जा रहे हैं? यदि हां तो वाहनों के व्यवसायिक पंजीयन की जॉंच, परमिट एवं फिटनेस का परीक्षण कब-कब किया गया? परीक्षण उपरांत क्या-क्या कार्यवाही की गई? वाहन क्रमांक, वाहन मालिक का नाम, की गई कार्यवाही का विवरण, जांचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम की जानकारी दिनांकवार, विकासखंडवार देवें? **(ख)** क्या किराये पर चला रहे गाड़ी मालिकों द्वारा जीएसटी, टीडीएस एवं इन्कम टैक्स का भुगतान किया जा रहा हैं? यदि हां तो जीएसटी, टीडीएस, इन्कम टैक्स टीडीएस का भुगतान कब एवं किस माध्यम से किया गया? की जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी हॉ। वित्त निर्देश 09/2010, 05/2024 एवं 14/2024 में प्रत्योजित अधिकार तथा नियम शर्तों के अधीन हल्के वाहन किराये पर लिये जाते हैं। वाहन का परमिट फिटनेस का उत्तरदायित्व वाहन मालिक का है। गैर टैक्सी परमिट वाहनों पर टैक्सी शुल्क अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त द्वारा जारी मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के तहत् कटौत्री की गई है। **(ख)** जी हॉ, भुगतान की कार्यवाही निरंतर व्यवसायिक लेखाशास्त्र संस्था (सीए) के माध्यम से ऑनलाईन की जा रही है।

रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आँगनबाड़ी भवन

[महिला एवं बाल विकास]

52. (क्र. 616) श्री फूलसिंह राठिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या की सेक्टर वार जानकारी देवें ? भवन-विहिन, जर्जर भवन, स्वीकृत भवन एवं किराए से चलने वाली भवनों की सूची उपलब्ध करावें? भवन-विहिन व अहाता-विहिन आँगनबाड़ी भवन कब तक बन जाऐंगे, समय सीमा बतावें? वर्ष 2020-2021 से 2023-24 की स्थिति में स्वीकृत भवन एवं राशि आहरण के पश्चात भी कितने भवन नहीं बने है, इस हेतु दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या की सेक्टर वार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है**। भवन-विहीन, जर्जर भवन, स्वीकृत भवन एवं किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** भवन-विहिन आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अहाता निर्माण हेतु विभाग अंतर्गत बजट प्रावधान नहीं है। वर्ष 2020-2021 से 2023-24 की स्थिति में 68 भवन स्वीकृत किये गये है एव राशि आहरण के पश्चात भी 45 भवन नहीं बने है। इसके लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करतला को कारण बताओं सूचना पत्र प्रेषित किया गया है।

ओनलाईन धोखाधड़ी व साईबर क्राईम के मामलों पर नियंत्रण

[गृह]

53. (क्र. 617) श्री राजेश अग्रवाल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में ऑनलाइन धोखाधड़ी व साइबर क्राइम के अपराध को रोकने व नियंत्रण के लिए शासन ने क्या-क्या योजनाएं बनाई है? विवरण देवें? **(ख)** क्या इन अपराधिक घटनाओं से निपटने के लिए शासन द्वारा तकनीकी योग्यताधारी कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना है? यदि हां तो विवरण दे। **(ग)** क्या ग्रामीण क्षेत्र में साईबर अपराधों पर नियत्रंण लाने के लिए जिला स्तर पर संचालित रेंज साइबर थाना के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर मिनी साइबर सेल थाना का संचालन करने की कोई योजना है? यदि हां तो जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी हॉ। पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं में तकनीकी योग्यता के आधार पर स्वीकृत पदों को एकीकृत कर आई.टी. कॉडर के गठन के लिए पदों की स्वीकृति की योजना है। **(ग)** ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर अपराधों पर नियंत्रण लाने के लिये वर्ष 2024 में जिला स्तर पर विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायतों में जिला साइबर सेल थानों के माध्यम से हाट-बाजार, मेला-मड़ई एवं सांस्कृतिक मंचों से ग्रामीणों को साइबर अपराध के संबंध में जागरूक करने के लिए ''साइबर जन-जागरूकता पखवाड़ा'' मनाया जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आगामी वर्षों में भी इस तरह के ''साइबर जन-जागरूकता पखवाड़ा'' अभियान चलाये जाने की योजना है।
[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

आरंग विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ट्राईसिकल बैटरी चलित/ सामान्य ट्राईसिकल के पात्र हितग्राही

[समाज कल्याण]

54. (क्र. 625) श्री गुरू खुशवंत साहेब : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र आरंग अंतर्गत कितने पात्र विकलांग हितग्राही हैं? विगत 03 वर्षों में दिनांक 26/11/2024 तक कितने आवेदकों से ट्राईसिकल बैटरी चलित/ सामान्य ट्राईसिकल के लिए मांग/ आवेदन प्राप्त हुए हैं, एवं कितने हितग्राहियों को कब-कब ट्राईसिकल बैटरी चलित/ सामान्य ट्राईसिकल उपलब्ध करायी गयी हैं? **(ख)** आरंग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रवणबाधित हितग्राहियों की ग्रामवार संख्या की जानकारी प्रदान करें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) विधानसभा क्षेत्र आरंग अंतर्गत 1,799 दिव्यांग चिन्हांकित है। विगत 03 वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 26/11/2024 तक 109 आवेदकों से बैटरी चलित ट्रायसायकल /सामान्य ट्रायसायकल हेतु आवेदन प्राप्त हुए है। विभिन्न तिथियों में निम्नानुसार हितग्राहियों को बैटरी चलित ट्रायसायकल/सामान्य ट्रायसायकल वितरित की गई है -

क्र.	**वितरण दिनांक**	**हितग्राहियों की संख्या**
1	10.11.2022	01
2	12.12.2022	01
3	15.12.2022	20
4	26.12.2022	02
5	07.02.2023	04
6	07.02.2023	04
7	05.01.2024	02
8	04.07.2024	02
9	04.09.2024	02
10	17.05.2023	14
11	05.06.2023	01
योग		**53**

(ख) जानकारी **प्रपत्र** अनुसार है ।**[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]**

छतीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमि. (CGMSC) द्वारा दवाइयों की खरीदी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

55. (क्र. 627) श्री सुशांत शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छतीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमि. (CGMSC) द्वारा ए.एन.जी. लाईफ साईसेंस अमृतसर से वर्ष 2022 से दिनांक 26/11/2024 तक कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी दवाइयों की खरीदी की गई? जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" की कंपनी के डिफ़ाल्टर होने तथा कंपनी को भुगतान नहीं करने हेतु आयकर विभाग अमृतसर द्वारा पत्र जारी किया गया था ? यदि हां तो पत्र किस दिनांक को प्रेषित किया गया एवं छतीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमि. (CGMSC) को कब प्राप्त हुआ था ? **(ग)** क्या पत्र प्रेषित करने के बाद भी ए.एन.जी. लाईफ साईसेंस अमृतसर को अन्य खाता केनरा बैंक खाता में भुगतान किया गया ? यदि हां तो कब ? कंपनी द्वारा पूर्व में भुगतान हेतु निर्धारित पंजाब नेशनल बैंक खाता में नहीं किए जाने का क्या कारण है ? **(घ)** क्या उपरोक्त प्रकरण पर शासन द्वारा जाँच हेतु आदेश दिया गया था ? यदि हां तो जांच कब एवं किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गयी ? जांच में क्या पाया गया ? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** कंपनी के डिफाल्टर होने के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। कंपनी को भुगतान नहीं करने के संबंध में आयकर विभाग अमृतसर का पत्र प्राप्त हुआ था। आयकर विभाग का पत्र ITBA/COM/F/172023-24/1053752055(1) दिनांक 16.06.2023 छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड को दिनांक 28.06.2023 को प्राप्त हुआ। **(ग)** जी हाँ। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कैनरा बैंक में दिनांक 30.06.2023 को भुगतान किया गया। कंपनी द्वारा ईमेल के माध्यम से निवेदन किया था कि पंजाब नेशनल बैंक खाते की जगह कैनरा बैंक खाते में भुगतान किया जावें। **(घ)** जी हाँ। उक्त प्रकरण पर जाँच प्रबंध संचालक (भारतीय प्रशासनिक सेवा), छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई। शासन को किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं हुई, इसलिएप्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संबंधित अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी करप्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।
[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

अंबिकापुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आयुष्मान योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

56. (क्र. 633) श्री राजेश अग्रवाल : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** आयुष्मान योजनान्तर्गत प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों में किन- किन बीमारियों का इलाज किया जाता है? **(ख)** क्या उक्त योजनांतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों से प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों के संचालक द्वारा इलाज व जांच (टेस्ट) के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, बेड के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूली की जा रही है? **(ग)** यदि हां तो उक्त सम्बन्ध में अधिकृत अस्पतालों में आयुष्मान योजनांतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं एवं ना दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी सूचना पटल पर कब तक प्रस्तावित की जावेगी, जिससे उक्त योजना से हितग्राहियों को जानकारी प्राप्त हो सके? **(घ)** विधान सभा क्षेत्र अंबिकापुर में वर्ष 2024-25 से 26.11.2024 दिनांक तक आयुष्मान योजना से कितने हितग्राहियों को लाभन्वित किया जा चुका है? विकासखंड वार जानकारी उपलब्ध करने का कास्ट करे?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित हितग्राहियों से प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों के संचालक द्वारा इलाज व जॉच (टेस्ट) के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, बेड के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूली किए जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। **(ग)** अधिकृत अस्पतालों में आयुष्मान योजनान्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी अस्पताल से होने वाले अनुबंध में उल्लेखित होती है। इसकी जानकारी सूचना पटल पर प्रसारित किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गये है। **(घ)** विकासखण्ड अंबिकापुर में-3287, लखनपुर में-2026 एवं उदयपुर में-1733 कुल 7046 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

बालोद के शासकीय चिकित्सालयों को प्राप्त आबंटन एवं व्यय राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

57. (क्र. 635) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2021-2022 से दिनाँक 26 नवम्बर, 2024 तक जिला चिकित्सालय बालोद को कितना आबंटन प्राप्त हुआ तथा उनके द्वारा कौन-कौन से चिकित्सा उपकरणों/मशीनों/सामग्रियों/दवाईयों आदि की खरीदी कितनी-कितनी मात्रा में किस एजेंसी/फर्म से की गई है? संबंधित एजेंसी/फर्म को कितनी राशि का भुगतान किया गया है? क्या खरीदी हेतु निविदा आमंत्रित की गयी? वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** कण्डिका 'क' की अवधि में बालोद जिले में खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को कितनी-कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ तथा प्राप्त आबंटन से कितनी राशि की कौन-कौन सी दवाई/सामग्री/उपकरण/मशीन इत्यादि की खरीदी, कितनी मात्रा में, किस एजेंसी/फर्म से की गई तथा उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया है? जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) वर्ष 2021-2022 से दिनाँक 26 नवम्बर, 2024 तक जिला चिकित्सालय बालोद को 50,44,48,400 रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ''** अनुसार है। जी हां। वर्षवार जानकारी **''पुस्तकालय में रखें प्रपत्र अ''** अनुसार है ।**(ख)** जानकारी ''**पुस्तकालय में रखें प्रपत्र ब/स/द एवं ई**'' अनुसार है ।

गेवरा बस्ती से बिरदा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नवीनी करण के संबंध में

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

58. (क्र. 638) श्री प्रेमचंद पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- गेवरा बस्ती से बिरदा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नवीनी करण की स्वीकृति कब तक दी जावेगी?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : प्रश्नांकित सड़क हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ''गेवरा आमगांव से बिरदा'' सड़क के नवीनीकरण कार्य की स्वीकृति दिनांक 13.09.2024 को की गई है।

खुज्जी विधानसभा अंतर्गत सड़कों का संधारण कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

59. (क्र. 639) श्री भोलाराम साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की कौन-कौन सी सड़कें हैं विकास खंडवार विवरण देवें? **(ख)** कंडिका "क" के अनुसार कौन-कौन सी सड़कें वर्तमान में अति जर्जर हैं? विकासखंडवार विवरण देवें? **(ग)** कंडिका "क" के अनुसार वर्ष 2022-23 से 25.11.2024 तक कौन-कौन सड़कों का वार्षिक संधारण/नवीनीकरण कार्य हेतु कब व कितनी राशि स्वीकृत की गई है? वर्षवार, विकासखंडवार, ग्राम सड़कवार जानकारी देवें? **(घ)** वर्तमान में जर्जर सड़कों की किस प्रकार से मरम्मत की जा रही है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत सड़कों की विकासखंडवार जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- अ''** अनुसार है। **(ख)** कंडिका ''क'' के अनुसार वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अति जर्जर सड़कों की जानकारी **निरंक** है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत कंडिका ''क'' के अनुसार वर्तमान में अति जर्जर सड़कों की विकासखण्डवार जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब'** अनुसार है। **(ग)** कंडिका ''क'' के अनुसार वर्ष 2022-23 से 25.11.2024 तक कौन-कौन सड़कों का वार्षिक/संधारण/नवीनीकरण कार्य हेतु कब व कितनी राशि स्वीकृत की गई है की वर्षवार, विकासखंडवार, ग्रामवार, सड़कवार जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स''** अनुसार है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत कंडिका ''क'' के अनुसार वर्ष 2022-23 से 25.11.2024 तक कौन-कौन सड़कों का वार्षिक/संधारण/नवीनीकरण कार्य हेतु कब व कितनी राशि स्वीकृत की गई है की वर्षवार, विकासखंडवार, ग्रामवार, सड़कवार जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द''** अनुसार है। **(घ)** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

अतर्गत वर्तमान में कोई भी सड़क जर्जर नहीं है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत वर्तमान में बजट में राशि प्रावधान नहीं होने के कारण जर्जर सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है।

बलरामपुर एवं सुरजपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत स्वीकृत कार्यरत व रिक्त पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

60. (क्र. 640) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** बलरामपुर एवं सुरजपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग में कौन - कौन से पद स्वीकृत है? **(ख)** कितने पदों में कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं कितने रिक्त हैं? **(ग)** रिक्त पदों कि पूर्ति कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ', 'ब', 'स' एवं 'द'** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ', 'ब', 'स' एवं 'द'** अनुसार है। **(ग)** भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यो का भुगतान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

61. (क्र. 642) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर के अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में मनरेगा के तहत कितने कार्य, कितनी राशि के स्वीकृत किए गए? **(ख)** कितने कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण है एवं कितनी राशि का भुगतान हो चुका है? **(ग)** कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? शेष रहने का क्या कारण है, कब तक भुगतान किया जावेगा?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ग)** भुगतान शेष नहीं है। शेषांश उद्भुत नहीं होता।
[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पद

[चिकित्सा शिक्षा]

62. (क्र. 648) श्री धर्मजीत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि छ.ग. राज्य का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में अवस्थित हैं? **(ख)** कंडिका "क" के दंत चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सालय संचालन हेतु कौन-कौन से, कितने-कितने पद स्वीकृत हैं, जिनमें से कितने-कितने पद भरे हुए हैं एवं कितने-कितने पद रिक्त हैं? **(ग)** कंडिका "ख" के पदों में से कितने पद नियमित एवं कितने पद संविदा भर्ती के हैं, विवरण दें एवं इस महाविद्यालय में संविदा पदों के आमिलन/नियमितिकरण करने हेतु क्या प्रावधान हैं, विवरण देवें? **(घ)** क्या कंडिका "ग" के संविदा पदों को शासन द्वारा आमिलन/नियमितिकरण करने हेतु प्रस्ताव लंबित हैं? यदि हां तो कब तक आमिलन/ नियमितिकरण किया जाएगा? नहीं तो कारण सहित जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जी हॉ। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के समस्त पद नियमित भर्ती के है, संविदा भर्ती हेतु पृथक से चिन्हांकित नहीं है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा भर्ती नियम अनुसार संविदा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को नियमितिकरण किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। **(घ)** प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

जिला चिकित्सालय जांजगीर का 220 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

63. (क्र. 650) श्री ब्यास कश्यप : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जिला जांजगीर-चांपा के 100 बिस्तर जिला चिकित्सालय को 220 बेड चिकित्सालय में अपग्रेड करने की कोई योजना है ? जानकारी प्रदान करें। यदि है, तो कब तक अपग्रेडेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा? जानकारी प्रदान करें। **(ख)** जिला चिकित्सालय, जांजगीर-चांपा में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से सभी विषयों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? जानकारी प्रदान करें। **(ग)** क्या जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत स्वीकृत नवीन मेडिकल कॉलेज भवन के पूर्ण रूप से निर्माण होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जिला मुख्यालय में स्थित किसी भवन में अथवा जिला चिकित्सालय जांजगीर में ही मेडिकल कॉलेज की अध्यापन व्यवस्था आगामी सत्र से प्रारंभ करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जी हॉ। आगामी बजट में प्रावधान हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय अवधि बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** विशेषज्ञ चिकित्सको के रिक्त पदो की पूर्ति हेतु संविदा पदो के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित कर भर्ती प्रकिया संचालित की जा रही है एवं नियमित पदों के लिए वित्त निर्देश 18/2023 एवं 04/2024 के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चिकित्सकों के रिक्त पदो को भरने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे है। जिला जांजगीर-चांपा के विशेषज्ञ चिकित्सको के रिक्त पदों की भर्ती हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के निर्धारित मापदण्डो के अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना केअंतर्गत बजट आबंटन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

64. (क्र. 657) श्री मोतीलाल साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के लिये बजट आबंटन की जानकारी एवं वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिये बजट आबंटन की जानकारी जिलेवार प्रदान करें। **(ख)** उक्त योजना के तहत कितने कार्य हुआ है? **(ग)** संपादित कार्यो की एजेंसी एवं व्यय राशि की जानकारी प्रदान करें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क), (ख) एवं (ग) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]**

सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

65. (क्र. 661) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत कितनी सड़के कहां-कहां स्वीकृत की गई? विकासखण्डवार एवं वर्षवार बतावें? **(ख)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् निर्मित, निर्माणाधीन कितनी सड़कों की पांच वर्ष की संधारण अवधि जून 2024 की स्थिति में पूर्ण हो चुकी है? **(ग)** कंडिका 'ख' के तहत् कितनी सड़कों का नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य किया गया? लागत सहित सड़कवार, विकासखण्डवार जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएम-जनमन) के तहत कुल 10 सड़कें स्वीकृत की गई है, विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। उक्त अवधि में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत कुल 01 सड़क स्वीकृत की गई है, विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी **संलग्न**

''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। **(ख)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र में निर्मित, निर्माणाधीन सड़कों की जून 2024 की स्थिति में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 05 वर्ष संधारण अवधि पूर्ण हो चुकी 97 सड़कें एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत 17 सड़कें पूर्ण हो चुकी है। **(ग)** कंडिका ''ख'' के तहत् प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 92 सड़कों में नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य किया गया है, लागत सहित सड़कवार एवं विकासखंडवार जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-ब''** अनुसार है एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के 07 सड़कों में नवीनीकरण कार्य किया गया है। लागत सहित, सड़कवार, एवं विकासखंडवार जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-ब''** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]

जिला धमतरी के स्वास्थ्य केंन्द्रों हेतु खरीदे गए मेडिकल किट एवं उपकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

66. (क्र. 662) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सी.जी.एम.एस.सी.द्वारा वर्ष 2022-23, 2023-24 में जिला धमतरी के विभिन्न स्वास्थ्य केंन्द्रों में सप्लाई के लिए किन-किन मेडिकल किट एवं उपकरणों की खरीदी की गई है? राशि सहित जानकारी दें? क्रय मेडिकल किट एवं उपकरणों की मात्रा, उपयोग किए गए मेडिकल किट एवं उपकरणों की मात्रा तथा कालातीत मेडिकल किट एवं उपकरणों की मात्रा की केंन्द्रवार पृथक-पृथक जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संपूर्ण प्रदेश के लिये दवा एवं अन्य सामग्री के क्रय हेतु निविदा जारी कर, दर अनुबंध किया जाता है, जिला विशेष के लिये क्रय की कार्यवाही नहीं की जाती है। जानकारी ''**पुस्तकालय** में रखें **प्रपत्र-अ/ब/स**'' अनुसार है।

चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग में सेवानिवृत कर्मचारीयों को संविदा में नियुक्ति की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

67. (क्र. 669) श्री दलेश्वर साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग में सेवानिवृत कर्मचारीयों को संविदा में नियुक्ति का प्रावधान है? यदि हां, तो जिला कायार्लय, आयुर्वेद अधिकारी जिला राजनांदगांव में मार्च-2024 से प्रश्नावधि तक कौन-कौन कर्मचारी किन-किन पदों पर संविदा में पदस्थ हैं? क्या छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम -2012 को नियम 9 (सात) में विभागीय जांच में दोष सिद्ध होने पर संविदा नियुक्ति की जा सकती है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : जी हॉ। श्री अरूण कुमार साहा, सहायक ग्रेड-01 (संविदा) के पद पर जिला कार्यालय राजनांदगांव में दिनांक18.03.2024 से पदस्थ है। जी नहीं।

राजनांदगांव जिले के ग्राम तिलईरवार-टप्पा विधानसभा क्षेत्र डोंगरगांव में पुलिस फायरिंग रेंज

[गृह]

68. (क्र. 670) श्री दलेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राजनांदगांव जिले के ग्राम तिलईरवार-टप्पा विधानसभा क्षेत्र डोंगरगांव में पुलिस फायरिंग रेंज स्थापित है? यदि हॉ तो यह फायरिंग रेंज कब से संचालित है और क्या इस फायरिंग रेंज में खुले पड़े विस्फोटक से ग्रामीणों के घायल या मृत्यु होने की घटना घटित हुई है? यदि हाँ तो घटना कब-कब घटित हुई और इस घटना से किन किन ग्राम के ग्रामीणों के घायल या मृत्यु की पुष्टि हुई? उन्हें कितनी राशि का मुआवजा प्रदान किया गया है? विभागीय जॉच में जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गयी है? क्या इस फायरिंग रेज को बंद करने के संबध में ग्रामवासियों द्वारा पत्र दिया गया है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? उक्ताशय की जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जी हॉ। फायरिंग रेंज 2002-03 से संचालित हैं। जी हॉ। दिनांक 17.03.2024 को फायरिंग रेंज तिलईरवार में नक्ष साहू पिता दुलेचंद साहू, उम्र 12 वर्ष, ग्राम तिलईरवार में विस्फोटक सामान को उठाकर ले जाने के दौरान ब्लास्ट होने के कारण घायल हुआ था । आर्थिक सहायता हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है। दिनांक 17.03.2024 को घटित घटना की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,राजनांदगांव द्वारा जांच की गई, जांच पर घटना में किसी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा त्रुटि करना नहीं पाया गया है । अतः किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच नहीं की गई है।जी हॉ। इस संबध में ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 22.11.2024 को जिला दण्डाधिकारी राजनांदगांव एवं पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को पत्र दिया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त आवेदन पत्र के प्राप्त होने के पूर्व से ही पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव के पत्र क्रमांक-पुअराज/रनि/रीडर/455-ए/2024, दिनांक 19.03.2024 द्वारा फायरिंग रेंज तिलईरवार में अस्थायी रूप से फायरिंग बंद करने का आदेश जारी किया गया है। अतः वर्तमान में वहां फायरिंग बंद है।

जिला कबीरधाम अंतर्गत रीपा योजना में स्वीकृत औद्योगिक पार्क

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

69. (क्र. 674) श्रीमती भावना बोहरा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कबीरधाम जिले में रीपा योजना अंतर्गत कुल कितने एवं कहाँ-कहाँ पर औद्योगिक पार्क स्वीकृत हुए हैं ? इस हेतु शासन द्वारा कुल कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है ? स्वीकृत औद्योगिक पार्क का उपयोग किस-किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है ? विकासखण्डवार विवरण दीजिये । **(ख)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित स्वीकृत औद्योगिक पार्क में स्थापित उत्पादन इकाईयो में कौन-कौन से उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है? इन उत्पादों के निर्माण एवं संचालन की जिम्मेदारी कौन-कौन से स्व सहायता समूह को दी गई है? **(ग)** जिला कबीरधाम में रीपा योजना के तहत औद्योगिक पार्क में अब तक कुल कितने मात्रा में उत्पाद निर्मित किए गए एवं बेचे गये हैं? **(घ)** क्या प्रश्नांश 'ख में उल्लेखित सभी उत्पादन इकाईयो में प्रशिक्षण की सुविधा एवं कुशल प्रशिक्षक उपलब्ध है ? यदि नहीं तो कब तक व्यवस्था की जावेगी? यहाँ कार्यरत प्रशिक्षको एवं कर्मचारियो के वेतन हेतु शासन स्तर पर क्या व्यवस्था की गई है? (ङ) औद्योगिक पार्क में कुल कितनी राशि के, कौन-कौन से मशीन एवं उपकरण किस प्रक्रिया के तहत क्रय किये गये हैं? क्या वर्तमान में जिले कबीरधाम के सभी औद्योगिक पार्क में आवश्यक मशीन एवं उपकरण उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध कराये जावेगे?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क), **(ख)**, **(ग)**, **(घ)** एवं **(ड)** की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]

पंचायत एवं ग्रामीण विकास कार्य के संबंध में।

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

70. (क्र. 681) श्री प्रबोध मिंज : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्माण कार्यों के प्राक्कलन में जो S.O.R. लागू है, इसका निर्धारण कब किया गया था? **(ख)** जिन कार्यों की निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत होती है, उसमें कंटीन्जेंसी की राशि की कटौती कितने प्रतिशत एवं किन के द्वारा की जाती है? **(ग)** कंटीन्जेंसी का प्रावधान प्राक्कलन में किस लिए रखा जाता है, उसका औचित्य क्या है? **(घ)** सरगुजा जिले में जिला पंचायत के द्वारा G.S.T. एवं कंटीन्जेंसी की राशि कब से ग्राम पंचायत के कार्यों में काटी जा रही है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्माण कार्यों के प्राक्कलन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना अंतर्गत दिनांक 22 फरवरी, 2018 से तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर, 2021 से निर्धारित एस.ओ.आर. लागू है। **(ख)** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने वाले निर्माण कार्यों के प्राक्कलन में 03 प्रतिशत कार्यभारित स्थापना तथा 2 प्रतिशत आकस्मिक व्यय रखे जाने का

प्रावधान है। उक्त राशि की कटौती जिला पंचायत/जनपद पंचायत (प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारीकर्ता) द्वारा की जाती है। **(ग)** कंटेंजेंसी का प्रावधान प्राक्कलन तैयार करने, क्रियान्वयन के समय निरीक्षण पर होने वाले व्यय, निरीक्षण एवं माप इत्यादि लेते समय/सर्वेक्षण करते समय लगाये जाने वाले आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान एवं अन्य आकस्मिक रूप से आने वाले व्यय हेतु रखा जाता है। **(घ)** सरगुजा जिले में 01 नवम्बर, 2021 से एस.ओ.आर. निर्धारित होने के पश्चात् से ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों में प्राक्कलन में प्रावधानित 3 प्रतिशत कंटेंजेंसी राशि जिला पंचायत सरगुजा द्वारा काटी जा रही है। जिला पंचायत सरगुजा में जीएसटी की कटौती नहीं की जा रही है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति

[महिला एवं बाल विकास]

71. (क्र. 683) श्री प्रबोध मिंज : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** सरगुजा जिले में वर्ष 2021-22 से दिनांक 26-11-2024 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के कितने पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया? प्रत्येक वर्ष का परियोजना वार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** उपरोक्त पदों पर कितने कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति की गई वर्षवार बतावे? **(ग)** उपरोक्त पदों हेतु कितनी दावा आपत्ति प्राप्त हुई थीं? **(घ)** कितनी आपत्तियों का निराकरण किया गया एवं कितनी शेष हैं? किन-किन आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्तियां शेष हैं एवं उसे कब तक पूरा किया जाएगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रश्नांश अवधि में सरगुजा जिले में कुल 904 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किये गये। परियोजनावार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश अवधि में कुल 490 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति की गई है। वर्षवार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसारहै**। **(ग)** प्रश्नांश अवधि में कुल 693 दावा आपत्ति प्राप्त हुये थे। **(घ)** प्राप्त 693 दावा आपत्ति का निराकरण किया गया। निराकरण हेतु कोई प्रकरण शेष नहीं है। सरगुजा जिले में पोषण ट्रेकर के अनुसार 26 नवम्बर 2024 की स्थिति में 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तथा 523 सहायिका के पद भर्ती हेतु शेष थे। वर्तमान स्थिति में 15 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 399 सहायिका के पद रिक्त है। केन्द्रवार विवरण **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-'ब'** अनुसारहै। भर्ती हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला बलौदाबाजार में हुए कलेक्टर परिसर अग्निकांड में निर्दोषों को जेल से रिहा किया जाना

[गृह]

72. (क्र. 696) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि जिला बलौदाबाजार में हुए कलेक्टर परिसर अग्निकांड में सतनामी समाज के निर्दोष व्यक्तियों को जानबूझकर जेल में रखा गया है? यदि हां, तो क्यों ? जानकारी दें। **(ख)** क्या यह सत्य है कि आरोपी बनाये गये व्यक्तियों के प्रकरणों में पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही गलत है? जानकारी दें। **(ग)** क्या यह सत्य है कि आरोपी बनाये व्यक्तियों के प्रकरणों में पुलिस विभाग द्वारा चालान पेश नही किया जा रहा है, जिससे उन्हें जमानत संबंधी कार्यवाही नहीं हो पा रही है? जानकारी दें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जी नहीं। पुलिस द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की गई है। **(ग)** जी नहीं। इन घटनाओं में पंजीबद्ध 14 प्रकरणों में से 13 प्रकरण में चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है। 01 प्रकरण पुलिस विवेचनाधीन है।

विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ में पक्का पहुंच मार्ग विहीन व सड़क विहीन ग्राम

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

73. (क्र. 697) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ में कौन कौन से ग्रामों में मुख्य मार्ग से गाँव तक पहुँच मार्ग नहीं बना है? किन किन ग्रामों में पहुँच मार्ग का डामरीकरण या पक्का नही बना है? ग्रामवार जानकारी देवें । **(ख)** क्या सड़क विहीन ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़कर सड़क निर्माण की कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? विवरण देवें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** सड़क विहीन ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कार्ययोजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत सड़कविहीन ग्रामों को जोड़ने हेतु प्राप्त प्रस्ताव बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति की जाती है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"]

प्रदेश के थानों में हत्या, दुष्कर्म, अपहरण आदि के दर्ज प्रकरण

[गृह]

74. (क्र. 708) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2022 से दिनांक 26 नवंबर, 2024 तक प्रदेश के थानों में हत्या, दुष्कर्म, अपहरण, छेड़छाड़, चोरी, लूट एवं डकैती के कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? जिलेवार, वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका 'क' की अवधि में प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में कितने अभियुक्त या आरोपियों की किन-किन कारणों से मृत्यु हुई है? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतालीस"]

कैदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए व्यवस्था नियम

[जेल]

75. (क्र. 740) श्री धर्मजीत सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जेल विभाग अंतर्गत कैदियों की समयपूर्व रिहाई हेतु वर्तमान में क्या व्यवस्था/नियम हैं? विस्तृत विवरण देवें? **(ख)** क्या कंडिका "क" के तहत क्या कैदियों के समयपूर्व रिहाई के लिए विभाग द्वारा नये नियम, योजना बनाई जा रही हैं? यदि हां, तो विस्तृत विवरण देवें एवं उसे कब तक लागू किया जाएगा? विस्तृत विवरण देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जेल विभाग के अंतर्गत बंदियों की समयपूर्व रिहाई हेतु वर्तमान में निम्नलिखित व्यवस्था/नियम हैः- 1. भारत का संविधान के अनुच्छेद 161 " क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दण्डादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति" में प्रदत्त प्राधिकार के तहत् समयपूर्व रिहाई। 2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 473 ''दण्डादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति" में प्रदत्त प्राधिकार के तहत् समयपूर्व रिहाई। **(ख)** जेल विभाग द्वारा आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट बंदियों के समयपूर्व रिहाई के लिए उपबंधित प्रक्रिया से संबंधित छत्तीसगढ़ जेल नियम, 1968 के नियम 358 के प्रावधानों में संशोधन कर नवीन नियम 358 प्रतिस्थापित किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त संशोधन की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन तिथि से लागू कर दी जाएगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला धमतरी अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

76. (क्र. 764) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला धमतरी में जून 2024 की स्थिति में कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं? स्वीकृत आवास में कितने पूर्ण, कितने अपूर्ण हैं, कितनी राशि हितग्रहियों को कितने किस्त में दी जा चुकी है और कितना शेष है? **(ख)** आवास हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, कितने स्वीकृति हेतु लंबित हैं, कब तक स्वीकृत कर दिए जायेंगे? **(ग)** कब तक पक्के मकान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है? तत्संबंध में क्या कार्यवाही की गई है, जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत कुल 9,918 आवास स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध 8,413 आवास पूर्ण एवं 1,505 आवास अपूर्ण (853 आवास प्रगतिरत एवं 652 आवास अप्रारंभ) है। हितग्राहियों को 34,452 किस्तों में राशि रूपये 19395.06 लाख जारी किया गया है एवं 809 किस्तों में राशि रूपये 373.38 लाख दिया जाना शेष है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत कुल 10,541 आवेदन प्राप्त हुए है, जिसके विरूद्ध 9918 आवास स्वीकृत है एवं 623 आवासों का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित है, स्वीकृति अपेक्षित है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास की स्वीकृति आवेदनों के आधार पर न होकर एसईसीसी-2011 के स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं आवास प्लस सूची के प्राथमिकता क्रम के आधार पर की जाती है। शेषांश प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(ग)** प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की मिशन अवधि दिसम्बर 2024 निर्धारित है। मिशन अवधि तक समस्त स्वीकृत आवासों को पूर्ण किये जाने हेतु नियमित समीक्षा कर हितग्राहियों को आवास निर्माण पूर्ण किये जाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत भारत सरकार द्वारा योजना का विस्तार वर्ष 2028-29 तक किया गया है। भारत सरकार द्वारा लक्ष्य प्राप्त होने उपरांत आवास स्वीकृति की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बेमेतरा जिले में संचालित निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा मार्गों में वाहन पार्किंग

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. (क्र. 4) श्री दीपेश साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बेमेतरा जिले में कितने निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम/क्लिनिक संचालित हो रहे हैं? स्थानवार, नामवार सम्पूर्ण जानकारी देवें? **(ख)** क्या उक्त स्वास्थ्य संस्थाओं में वाहन पार्किंग की वैध व्यवस्था की गई है? स्थानवार, नामवार सम्पूर्ण जानकारी देवें? कितने नर्सिंग होम, निजी हॉस्पिटल एवं क्लिनिक द्वारा शहर के मार्गों को अवरूद्ध कर अवैध पार्किंग की जा रही है? **(ग)** अवैध तरीके से संचालित की जा रही पार्किंग व्यवस्था वाले निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम/क्लिनिक पर विभाग द्वारा विगत 02 वर्ष में कौन-कौन सी कार्यवाही, कब-कब की गई है? जानकारी देवें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) कुल 71 निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम/क्लीनिक संचालित है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। **(ख)** जी हॉ। जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब'** अनुसार है। शहर के मार्गो को अवरूद्ध कर अवैध पार्किंग नहीं की जा रही है। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]

जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अंतर्गत जनपद पंचायत में संलग्न ग्राम पंचायत सचिव

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

2. (क्र. 42) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अंतर्गत जनपद पंचायत मोहला, मानपुर एवं अं.चौकी में कुल ग्राम पंचायत के विरूद्व कितने ग्राम पंचायत सचिवों की पदस्थापना है? कृपया संख्या बतावें? **(ख)** जनपद पंचायतवार ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिवों की जानकारी देवें? **(ग)** जनपद पंचायत मोहला, मानपुर एवं अं.चौकी के कितने ग्राम पंचायत में 01 सचिव, 02 या अधिक ग्राम पंचायतों के प्रभार में है ? ग्राम पंचायत का नाम एवं सचिवों का नाम उपलब्ध करावें? **(घ)** कितने ग्राम पंचायत सचिवों को जनपद पंचायत में संलग्न कर रखा गया है ? संलग्न कर रखने का क्या कारण है? **(ड)** यदि जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत के विरूद्ध सचिवों की पदस्थापना यदि पूर्ण है तो कई जगह पर 01 सचिव को 02 ग्राम पंचायत का कार्य क्यों दिया गया है ? कारण सहित बताने का कष्ट करें? **(च)** जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कितने सचिव हैं, जिनके द्वारा ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य नहीं किया जा रहा है, उसके उपरांत भी वेतन भुगतान किया जा रहा है? बिना कार्य के वेतन भुगतान के लिए कौन जिम्मेदार है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जिला मोहला-मानपुर-अ.चौकी अंतर्गत जनपद पंचायत मोहला में 57 ग्राम पंचायत के विरूद्व 56, जनपद पंचायत मानपुर में 59 ग्राम पंचायत के विरूद्व 56 एवं जनपद पंचायत अं.चौकी में 69 के विरूद्व 68 सचिव की पदस्थापना है। **(ख)** जिले के जनपद पंचायत मोहला में 56, जनपद पंचायत मानपुर में 56 एवं जनपद पंचायत अं.चौकी में 68 सचिव कार्यरत है। **(ग)** जिला मोहला-मानपुर-अ.चौकी अंतर्गत कुल 22 सचिव 2 ग्राम पंचायत के प्रभार में है। जनपद पंचायत वार जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(घ)** जिला मोहला-मानपुर-अ.चौकी अंतर्गत 09 सचिवों के निलंबित होने एवं 08 सचिवों की अस्वस्थता के कारण जनपद पंचायत में संलग्न किया गया है। **(ड)** जिला मोहला-मानपुर-अ.चौकी अंतर्गत 09 सचिवों के निलंबित होने एवं 08 सचिवों की अस्वस्थता एवं 05 पर रिक्त होने के

कारण कुल 22 सचिव 02 ग्राम पंचायत में कार्यरत है। **(च)** जिला मोहला-मानपुर-अ.चौकी अंतर्गत किसी भी सचिव को बिना कार्य के वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है।
[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"]

रेडी-टू-ईट फूड निर्माण के लिए पूर्ववत स्वसहायता समूहों को कार्य सौंपा जाना

[महिला एवं बाल विकास]

3. (क्र. 60) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या वर्तमान सरकार द्वारा पोषण आहार हेतु रेडी टू ईट फूड निर्माण के लिए पूर्ववत स्वसहायता समूहों को कार्य सौंपे जाने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो कब की गई है? बतावें? **(ख)** उक्त घोषणा के संबंध में रेडी टू ईट फूड निर्माण का कार्य स्वसहायता समूहों को सौंपे जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** घोषणा के अनुरूप यदि वर्तमान में रेडी टू ईट फूड निर्माण का कार्य स्वसहायता समूहों को नहीं दिया गया है तो कब तक उक्त कार्य स्वसहायता समूहों को पूर्ण रूप से सौंप दिया जाएगा? जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) विधानसभा बजट सत्र फरवरी 2024 में दिनांक 13.02.2024 को विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 441 माननीय विधायक श्रीमती रायमूनी भगत द्वारा पूछे गये प्रश्न पर चर्चा के दौरान महिला स्व सहायता समूहों को कार्य दिये जाने पर विचार किये जाने का आश्वासन दिया गया था। **(ख)** रेडी टू ईट फूड निर्माण का कार्य महिला स्व सहायता समूहों को सौंपे जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 3-55/2016/50 पार्ट दिनांक 06.05.2024 द्वारा रेडी टू ईट की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन किये जाने हेतु अध्ययन दल का गठन करते हुए अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण किये जाने हेतु किया गया है। अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर समुचित निर्णय लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** महिला स्व सहायता समूहों को कार्य सौपे जाने की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

4. (क्र. 66) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? नवम्बर, 2024 तक की स्थिति में विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या संचालित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका पदस्थ हैं? यदि नहीं, तो कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी? **(ग)** वर्तमान में गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को शासन की ओर से किन-किन योजनाओं का क्या-क्या लाभ प्रदान किया जा रहा है? **(घ)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुपोषण की वर्तमान में क्या स्थिति है ? छत्तीसगढ़ को कुपोषण से मुक्त करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं? इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 615 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। **(ख)** संचालित 615 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 613 केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा 614 केन्द्रों में आंगनबाड़ी सहायिका पदस्थ हैं। 02 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा 01 आंगनबाड़ी सहायिका के पद रिक्त हैं। रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रिक्त पदों की पूर्ति के लिए समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** प्रश्नांश 'क' के प्रकाश में विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा में गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को शासन की ओर से पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत रेडी-टू-ईट फूड, जिला खनिज न्यास निधि से गर्म भोजन, रागी प्रोटीन बार एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टीकाकरण/ स्वास्थ्य जॉच एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। **(घ)** पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में उम्र के अनुसार वजन लेने पर 13.06 प्रतिशत् बच्चे कुपोषित हैं। **कुपोषण की रोकथाम के लिये शासन द्वारा किये जा रहे प्रयास निम्नानुसार हैं -** कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं तथा संबंधित विभागीय योजनाओं के माध्यम से विविध प्रयास

किये जा रहे हैं। इनमें पूरक पोषण आहार का प्रदाय, टीकाकरण, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य जॉंच, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा का लाभ प्रदान किया जाना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, सामुदायिक जनजागरण से संबंधित गतिविधियों का आयोजन, सुपोषण चौपाल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं जिला स्तर पर स्थानीय प्रयास प्रमुख हैं।

जिला जांजगीर चांपा में अमृत सरोवर योजना के तहत स्वीकृत सरोवर

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. (क्र. 67) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला जांजगीर-चांपा में मिशन अमृत सरोवर के तहत कितने अमृत सरोवर की स्वीकृति हुई है? किस-किस विकासखण्ड के कौन-कौन से पंचायत में, कितनी लागत से अमृत सरोवर की स्वीकृति हुई है? स्वीकृत कार्य में से कितने कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण होने का कारण तथा कब तक पूर्ण किया जावेगा? जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जिला जांजगीर-चांपा में मिशन अमृत सरोवर के तहत स्वीकृत अमृत सरोवरों की विकासखंड एवं ग्राम पंचायतवार जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। समस्त अमृत सरोवर पूर्ण किये जा चुके हैं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"]

जांजगीर चांपा जिले के सरपंचों पर लगाई गई धारा 40 के लंबित प्रकरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. (क्र. 78) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2024 में जांजगीर-चांपा जिले के किस-किस विकासखण्ड के कौन-कौन से ग्राम पंचायतों के सरपंच पर धारा 40 लगायी गयी है? किस-किस सरपंच के विरुद्ध धारा 40 की अनुशंसा की गयी है तथा अंनुशंसित प्रकरण कब से लंबित हैं ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

प्रदेश के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों में सी.बी.सी. मशीन से जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

7. (क्र. 115) श्री राजेश मूणत : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सत्य है कि प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में विगत दो माह से मरीजो की लैब जांच सी.बी.सी. मशीन से जांच नहीं की जा रही है तथा यह तथ्य छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की जानकारी में रहने के बाद भी उसके जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' में उल्लेखित लैब जांच कब प्रारंभ की जायेगी तथा दो-दो माह तक लैब जांच न होने के लिए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कब की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जी नहीं, प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों की सी.बी.सी. मशीनों से जांच की जा रही है। जिन स्थानों में सी.बी.सी. मशीन के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। उनसे संबंधित फर्म को उपकरण सुधार करवाने हेतु निगम द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। तथा संबंधित फर्म को सुधार कार्य में विलंब होने के कारण, कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। **(ख)** संबंधित फर्म को उपकरण सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त संबंधित फर्म को सुधार कार्य में विलंब होने कारण, कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। शीघ्र ही उपकरण क्रियाशील न होने की स्थिति में संबंधित फर्म के विरूद्ध ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही की जा सकती है।

प्रदेश के थानों में उपलब्ध सुविधाएं

[गृह]

8. (क्र. 116) श्री राजेश मूणत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कुल कितने थाना एवं पुलिस चौकी हैं? क्या सभी थानों में पर्याप्त मात्रा में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है? प्रदेश में कितने पुलिस वाहन उपलब्ध हैं और वे किन-किन थानों में हैं? पूर्ण विवरण देवें? **(ख)** पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के निवास हेतु कितने भवन, थाना परिसर अथवा थाना के आसपास बनाए गए हैं? **(ग)** वर्ष 2018 से नवम्बर, 2024 के मध्य पुलिस वाहनों की खरीदी कब-कब की गई थी? वर्तमान में कितने वाहन खराब स्थिति में हैं? नये वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) 498 थाना एवं 109 पुलिस चौकी है। जी हॉ। 7604 पुलिस वाहन उपलब्ध है। थानों में उपलब्ध पुलिस वाहनों की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** 5347 आवासीय भवन थाना परिसर में एवं 8203 आवासीय भवन थाना परिसर के आस-पास है। **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में 4061 पुलिस वाहनों की खरीदी की गई है एवं 142 वाहन खराब स्थिति में हैं। प्रश्नांश की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र 'ब'** अनुसार है।

''हमर लैब'' योजना का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. (क्र. 132) श्री अजय चंद्राकर : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** ''हमर लैब'' योजना का उद्देश्य क्या है ? कब से लागू हुई और कितने जिले में संचालित है? इसका वित्तीय प्रबंधन कैसे किया जा रहा है और लैब का संचालन किनके (शासकीय/निजी संस्था) द्वारा किया जा रहा है? **(ख)** उक्त संचालित लैब में कौन-कौन से टेस्ट कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये हैं व उनमें से कौन-कौन से टेस्ट किये जा रहे हैं? तथा कौन-कौन से टेस्ट नहीं किये जा रहे हैं? और उसका कारण क्या है? **(ग)** उक्त योजना के अंतर्गत क्या-क्या अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुयी हैं और उसमें क्या कार्यवाही किसके खिलाफ की गयी?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) 1.हमर लैब एक Integrated Public Health Lab है जिसका उद्देश्य जांच से संबंधित समस्त मानव संसाधनों एवं अन्य संसाधनों का उपयोग स्वास्थ्य संस्था में एक स्थान पर करते हुए गुणवत्तापूर्ण जांच सेवाएं उपलब्ध कराया जाना है। 2. हमर लैब (Integrated Public Health Lab) वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ROP में स्वीकृति उपरांत राज्य में संचालित है। वर्तमान में 17 जिला अस्पताल, 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 01 मेडिकल कॉलेज में हमर लैब क्रियाशील है। 3. हमर लैब (Integrated Public Health Lab) का वित्तीय प्रबंधन मुख्यतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से किया जा रहा है तथा कुछ स्थानों पर गैप एनालिसिस अनुसार अन्य योजनाएं जैसे CMPHTF इत्यादि के द्वारा किया जा रहा है। उक्त लैब का संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (शासकीय) छत्तीसगढ़ द्वारा किया जा रहा है। **(ख)** Indian Public Health Standards (IPHS) मानक अनुरूप जिला अस्पताल के हमर लैब हेतु 114 तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के हमर लैब हेतु 50 प्रकार की जांच कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये है। (जो क्रमशः **प्रपत्र अ एवं ब में संलग्न** है)। जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सभी आवश्यक जांच किये जा रहे है। इनमें से कुछ जांच पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की अनुपलब्धता तथा कुछ मशीन, किट एवं रिएजेन्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं हो पा रहे हैं। जिसे अन्य संस्थाओं से युक्तियुक्त करण कर जांच किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। **(ग)** उक्त योजना के अंतर्गत अनियमितता की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

महासमुंद जिले में महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योंजनाओ का भुगतान

[महिला एवं बाल विकास]

10. (क्र. 147) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-महासमुंद जिला में महिला बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष नवम्ब,2019 से अक्टूबर,2024 तक जिले में किन-किन गतिविधियों के लिए किन-किन एनजीओ को कार्यादेश दिया गया? गतिविधियाँ संचालन के लिए किन-किन एनजीओ को कितना-कितना अनुदान या भुगतान किया गया है? विभाग में संचालित एनजीओ की पतावार जानकारी दे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : प्रश्नाधीन अवधि में महासमुंद जिला में एनजीओ को विभिन्न गतिविधि संचालन हेतु राशि 1,88,47,694/- रूपये (शब्दों में - एक करोड़ अट्ठयासी लाख सैतालीस हजार छः सौ चौरानब्बे रूपये मात्र) का अनुदान दिया गया है। एनजीओ को दिये गये गतिविधिवार कार्यादेश एवं अनुदान/भुगतान की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है ।**
[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]

बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के स्वीकृत कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

11. (क्र. 148) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)**बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष जनवरी, 2022 से अक्टूबर, 2024 तक कुल कितने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना तथा गौरवपथ योजना अंतर्गत कुल कितने-कितने कार्य, कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गए? स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण एवं किन कारणों से अपूर्ण हैं? अपूर्ण कारणों की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जावेंगे? **(ख)**प्रश्नांक "क" के कार्यो में अनियमितता की कितनी शिकायतें कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सहित बतावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री सड़क एवं विकास योजना की जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र-अ'** अनुसार है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना अंतर्गत जानकारी **''निरंक''** है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के कार्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत अनियमितता संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत 01 सड़क में शिकायत प्राप्त हुई है, विस्तृत विवरण **संलग्न 'प्रपत्र-ब'** अनुसार है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना अंतर्गत शिकायत की जानकारी **''निरंक''** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन"]

प्रदेश में आपराधिक घटनाओं का विवरण

[गृह]

12. (क्र. 162) डॉ. चरण दास महंत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जुलाई, 2024 से नवंबर, 2024 तक प्रदेश में डकैती, हत्या, लूट, सामग्री चोरी, दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न, महिलाओं की तस्करी, ठगी, नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, नशीले पदार्थों की तस्करी, अपहरण, हत्या का प्रयास, सड़क दुर्घटना, गोलीबारी, गैंगवार, बलवा की कितनी घटनाएं घटित हुई? जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** घटित घटनाओं में कितनी प्राथमिकी दर्ज हुई? कितने आरोपी बनाए गए? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? कितनी सामग्री बरामद हुई? जिलेवार जानकारी देवें? **(ग)** ऐसे प्रकरणों की तथा अभियुक्तों की जिलेवार संख्या बताएं, जिनमें गिरफ्तारियां नहीं की जा सकी हैं?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ग)** जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''स''** अनुसार है। **[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]**

आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत भुगतान योग्य राशि तथा शेष राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. (क्र. 163) डॉ. चरण दास महंत : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** आयुष्मान भारत योजना/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अप्रैल, 2023 से 25 नवंबर, 2024 तक कितनी-कितनी राशि का भुगतान अस्पतालों को कब-कब किया गया है? इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? उक्त अवधि में केन्द्रांश की कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है और कितनी राशि प्राप्त होना शेष है? **(ख)** निजी अस्पतालों द्वारा दिसम्बर, 2023 से 25 नवंबर, 2024 तक योजना के तहत कितनी राशि के भुगतान का दावा प्रस्तुत किया गया है? इसके पर्यवेक्षण एवं वित्तीय गड़बड़ियों के नियंत्रण हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ग)** वर्तमान में कितना भुगतान शेष है? भुगतान नहीं होने के कारण क्या किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है? यदि हां तो क्या? योजना के तहत देय राशि का भुगतान कब-तक कर दिया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) आयुष्मान भारत योजना/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक रू. 1153.97 करोड़ तथा अप्रैल 2024 से दिनांक 25 नवंबर, 2024 तक रू. 1195.81 करोड़ की राशि का भुगतान अस्पतालों को किया गया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य बजट में कुल रू. 1526 करोड़ (आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में रू. 182.7 करोड़ राशि एवं शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में रु 1343.3 करोड़) की राशि स्वीकृत की गई है। उक्त अवधि में केन्द्रांश की रू. 167.3 करोड़ राशि प्राप्त हुई है और रू. 106.75 करोड़ राशि प्राप्त होना शेष है। **(ख)** निजी अस्पतालों द्वारा दिसंबर 2023 से 25 नवंबर 2024 तक योजना के तहत रू. 1447.63 करोड़ की राशि के भुगतान का दावा प्रस्तुत किया गया है। इसके पर्यवेक्षण एवं वित्तीय गड़बड़ियों के नियंत्रण हेतु अस्पतालों द्वारा किए गए क्लेम का ऑडिट किया जा रहा है। साथ ही गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों पर जुर्माना लगाने, योजना से निलंबित करने, योजना से निष्कासित किए जाने इत्यादि कार्यवाही की जाती है। **(ग)** वर्तमान में रू. 1398.45 करोड़ का भुगतान शेष है। भुगतान नहीं होने के कारण किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। योजना के तहत देय राशि का भुगतान निरंतर प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत बजट राशि की उपलब्धता अनुसार अस्पतालों को निरंतर भुगतान किया जा रहा है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जनपद पंचायत सारंगढ़ एवं बरमकेला के निराश्रित पेंशनधारियों की संख्या

[समाज कल्याण]

14. (क्र. 166) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र सारंगढ़ के अन्तर्गत जनपद पंचायत सारंगढ़ एवं बरमकेला में सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत निराश्रित पेंशनधारियों की कुल संख्या वित्तीय वर्ष 2023-24 से 25 नवम्बर तक कितनी है? वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या सत्यापन के नाम पर अक्टूबर, 2024 में निराश्रित पेंशनधारियों को अपात्र किया गया है? उन्हें अपात्र करने का कारण क्या है? विस्तृत विवरण देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगढ़ के अंतर्गत जनपद पंचायत सारंगढ़ एवं बरमकेला में सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं से वित्तीय वर्ष 2023-24 कुल 69,796 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25 नवम्बर तक कुल 57,941 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। **(ख)** जी हाँ। अपात्र करने के कारण का विवरण निम्न अंकित है - 1. पात्रता आयु से हितग्राही के आयु कम होना । 2. विधवा नहीं होना । 3. परित्यक्त नहीं होना । 4. पात्रता हेतु दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित दिव्यांगता का प्रतिशत दिव्यांग हितग्राही का नहीं होना।

जनपद पंचायत सारंगढ़ के गौण खनिज मद से निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

15. (क्र. 167) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या जनपद पंचायत सारंगढ़ के द्वारा दिनांक 21.06.2024 को सामान्य सभा में विकास कार्य हेतु 99 कार्य प्रस्तावित कर जिला पंचायत रायगढ़ को प्रशासकीय स्वीकृति व राशि की मांग प्रेषित की गयी है? यदि हां तो क्या आज पर्यन्त स्वीकृति व राशि क्यों उपलब्ध नहीं करवायी गयी है? कब तक उपलब्ध कराई जावेगी? **(ख)** राज्य शासन का गौण खनिज संबंधी क्या नियम-निर्देश है? उपलब्ध करावें? क्या नियमों का पालन हो रहा हैं?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी हाँ, जनपद पंचायत सारंगढ़ के द्वारा दिनांक 21.06.2024 को सामान्य सभा में विकास कार्य हेतु 99 कार्य प्रस्तावित कर जिला पंचायत रायगढ़ को प्रशासकीय स्वीकृति व राशि की मांग प्रेषित की गयी है। जनपद पंचायत सारंगढ़ द्वारा प्रस्तावित 99 कार्यो में से 28 कार्यो के प्रस्तावित स्थल के संबंध में वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकी। प्रशासकीय स्वीकृति एवं राशि उपलब्ध कराए जाने की समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। जी हॉ।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार में मनरेगा अंतर्गत श्रमिक भुगतान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

16. (क्र. 177) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार अंतर्गत विकासखंड पाली एवं पोंडी उपरोड़ा में वर्ष 2023-24 और 2024-25 में 25.11.2024 की स्थिति में कितने श्रमिक पंजीकृत हैं? कितने श्रमिकों का भुगतान किया गया है और कितने मजदूरों का भुगतान बाकी है? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** उक्त वर्ष में कितने कार्य स्वीकृत हुए है? कितने पूर्ण हैं ? कितने प्रगतिरत् हैं तथा कितने अपूर्ण हैं ? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** लंबित श्रमिकों के भुगतान में राज्यांश और केन्द्रांश कितना-कितना लंबित है? लंबित भुगतान को शीघ्र पूर्ण करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? भुगतान कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? जानकारी उपलब्ध करावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ग)** श्रमिकों के भुगतान में राज्य शासन की राशि रु. 5.51 लाख एवं केन्द्र सरकार की राशि रु. 13.00 लाख लंबित है। लंबित राशि का एफ.टी.ओ. तैयार कर दिया गया है, नोडल बैंक से प्रोसेस होने पर राशि सीधे हितग्राही के खाते में हस्तांतरित हो जाएगी। वर्तमान में निरंतर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (ग्रामीण) योजनांतर्गत प्राप्त राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

17. (क्र. 179) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार अंतर्गत विकासखंड पोंड़ी- उपरोड़ा एवं पाली में वर्ष 2022 से 25.11.2024 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कुल कितनी राशि आबंटित की गई है? **(ख)** आबंटित राशि को किन-किन मदों में, कार्यों में खर्च किया गया, विकासखंडवार बतावें? **(ग)** प्रश्नांक "क" एवं "ख" के आंबटित राशि को क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (ग्रामीण) के मापदंड के अनुरूप खर्च किया गया है? यदि नहीं तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र -''अ''**

अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र- ''ब''** अनुसार है। **(ग)** जी हां। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री सड़क योजना के कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

18. (क्र. 195) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुल कितनी सड़क प्रस्तावित एवं स्वीकृत हैं तथा इन सभी सड़क निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति, पूर्ण अपूर्ण एवं अपूर्णता के कारण सहित जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

मस्तूरी विकासखंड अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती

[महिला एवं बाल विकास]

19. (क्र. 433) श्री दिलीप लहरिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** मस्तूरी विकासखंड अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में दिनांक 25.11.2024 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती हेतु कब-कब विज्ञापन प्रकाशित किया गया है? **(ख)** कंडिका 'क' के अनुसार विज्ञापित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती हेतु कब-कब अंतिम योग्यता सूची जारी की गयी? जिसका दावा-आपत्ति देने हेतु अंतिम तिथि कब तक निर्धारित थी? **(ग)** कंडिका 'ख' अनुसार अंतिम योग्यता सूची जारी होने के पश्चात कितने आवेदकों ने दावा आपत्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया? क्या प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण किया गया है? दावा आपत्ति निराकरण पश्चात मेरिट सूची का प्रकाशन कब-कब किया गया? **(घ)** कंडिका 'ग' अनुसार दावा आपत्ति निराकरण पश्चात नियुक्ति आदेश कब-कब जारी किया गया? **(ड)** क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता एवं फर्जी तरीके से भर्ती करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई हैं? यदि हां तो क्या उक्त शिकायतों की जांच की गयी है, यदि हां तो जांच में क्या पाया गया तथा दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) ,**(ख)** , **(ग)** एवं **(घ)** प्रश्नांश की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसारहै। **(ङ)** जी हां कुल दो शिकायत प्राप्त हुई थी जिनकी जांच जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी बिलासपुर द्वारा की गई। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार शिकायतें निराधार थी तथा नियुक्ति की कार्यवाही को नियमानुसार पाया गया। फलस्वरूप किसी भी दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]

मस्तुरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत शासकीय अस्पतालों के जीवनदीप समिति अंतर्गत आय एवं व्यय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. (क्र. 434) श्री दिलीप लहरिया : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित शासकीय अस्पतालों की जीवनदीप समितियों की सामान्य सभा की वित्तीय वर्ष 2023 -24 एवं 2024-25 25.11.2024 तक में कब-कब बैठक रखी गयी है? उक्त बैठक में क्या-क्या निर्णय लिया गया है? विवरण देवें। **(ख)** वित्तीय वर्ष 2023 -24 एवं 2024-25 में 25.11.2024 तक जीवनदीप समितियों को प्राप्त आय एवं व्यय राशि की जानकारी देवें। **(ग)**)क्या जीवनदीप समिति अंतर्गत प्राप्त राशि को निर्माण / मरम्मत कार्यों तथा सामग्री क्रय हेतु भी व्यय किया गया? यदि हाँ, तो क्या-क्या कार्यों हेतु,कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? कार्य ऐजेंसी /ठेकेदार / सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म/ व्यक्ति के नाम

सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या सामग्री क्रय हेतु क्रय समिति का गठन किया गया है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र मे वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 21.08.2023 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मस्तूरी की जीवन दीप समिति की सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया है- 1. जीवन दीप समिति में कार्यरत व्यक्तियों को मानदेय भुगतान। 2. ओ.टी./वार्डो में लाईटिंग रिपेयरिंग का देयक भुगतान। 3. जे.एस.एस. के के तहत् भोजन खिलाये जाने हेतु जितेन्द्र टिफिन सेंटर मस्तूरी का चयन। 4. वार्डो के पुराने कुलरों के के मरम्मत एवं उनके देयक भुगतान। 5. चिकित्सकों/कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था की कुर्सी रिपेयरिंग कार्य। 6. अस्पताल की पानी पाईप लाईन का मरम्मत कार्य। 7. लंबित देयकों के भुगतान पर अनुमोदन। 8. अन्य खर्च अध्यक्ष महोदय जी से चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 दिनांक 25.11.2024 तक की स्थिति में जीवन दीप समिति की सामान्य सभाकी बैठक नहीं रखी गई है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जानकारी संलग्न **प्रपत्र-''अ''अनुसार है**। **(ग)** जी हॉ। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-''ब एवं स''अनुसार है**। जी हॉ।
[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ"]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित

[विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी]

21. (क्र. 495) श्री ललित चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है ? यदि हां तो कहां एवं क्या क्षेत्र के युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए कोई विशेष योजना या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं एवं क्षेत्र में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सभी गांवों में हाईस्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराई जा रही हैं ? यदि हां तो विवरण दें। यदि नहीं तो क्षेत्र में सभी योजनाएं कब तक आरम्भ की जाएंगी। **(ख)**क्या प्रश्नांक 'क' अनुसार क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय में प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला एवं प्रशिक्षण योजनाएं प्रारंभ की गई हैं ? नवाचार एवं स्टार्टअप के क्षेत्र में युवाओं को किस प्रकार जोड़ा जा रहा है ? **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कितने युवाओं को रोजगार मुहैया कराया गया है? विवरण देवें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी नहीं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

15वें वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

22. (क्र. 496) श्री ललित चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 25.11.2024 तक दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 15 वें वित्त से कितने निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी है ? मदवार, ग्रामवार एवं वर्षवार विवरण दें। **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार उक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों की भौतिक प्रगति (पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ) की जानकारी देवें? अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे? **(ग)** क्या प्रश्नांक 'क' अनुसार 15वें वित्त की राशि के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हॉ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र''** अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार 15वें वित्त की राशि के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतएव जानकारी **निरंक** है।

जिला रायगढ़ अंतर्गत जनपद पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

23. (क्र. 501) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)**जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 25.11.2024 तक जनपद पंचायतों में कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किए गये है, वर्षवार, मदवार, जनपद पंचायतवार, जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका ''क'' के अनुसार कितने कार्य पूर्ण अपूर्ण /अप्रारंभ है, जानकारी देवें? **(ग)** क्या घटिया निर्माण अथवा वित्तीय अनियमितत्ता की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब''** अनुसार है।

अमृत मिशन योजना अंतर्गत अमृत सरोवर तालाब निर्माण की जानकारी?

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

24. (क्र. 503) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत अमृत मिशन योजना में कितने तालाब स्वीकृत किए गये हैं, ग्रामवार राशि सहित जानकारी देवें? कितने कार्य पूर्ण हैं कितने अपूर्ण हैं, कितना व्यय किया जा चुका है कार्यवार जानकारी देवें? क्या सामग्री का भुगतान कर दिया गया है, कितना शेष है, अद्यतन जानकारी देवें? **(ख)**जनपद पंचायत खरसिया अंतर्गत ग्राम पंचायत नंदगाँव में अमृत सरोवर योजनांतर्गत कितना राशि स्वीकृत की गयी है, कितनी व्यय की जा चुकी है? निर्माण कार्य अपूर्ण होने के क्या कारण हैं? क्या वित्तीय अनियमियतता की शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई हैं? **(ग)** निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएँगे?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। राशि रू. 61.79 लाख का सामग्री भुगतान शेष है। **(ख)** जनपद पंचायत खरसिया अंतर्गत ग्राम पंचायत नंदगाँव में राशि रू. 16.81 लाख का अमृत सरोवर स्वीकृत किया गया है, जिसमें राशि रू. 7.463 लाख व्यय हुआ है। उक्त निर्माण कार्य यथास्थिति पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ग)** प्रश्न उद्भुत नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - साठ"]

समाज कल्याण विभाग में नियुक्यिां

[समाज कल्याण]

25. (क्र. 506) श्री विक्रम मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में समाज शिक्षा संगठक के कितने पद स्वीकृत,भरे एवं रिक्त हैं? रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही कब तक पूर्ण की जावेगी? **(ख)** क्या छत्तीसगढ़ राज पत्र में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार कुल रिक्त पदों के 15 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति से भरा जाना है। यदि हां,तो में क्या कर्यावाही की जा रही है? **(ग)** क्या प्रश्नांश 'क' के अनुसार भर्ती प्रक्रिया हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो गई है? यदि नहीं तो कब तक स्वीकृति प्राप्त होगी? **(घ)** समाज कल्याण विभाग में ब्लाक समाज शिक्षा संगठक का पद किस श्रेणी में वर्णित है? कितने स्वीकृत, रिक्त व भरे हैं जानकारी दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में समाज शिक्षा संगठक के 146 पद स्वीकृत, 13 पद भरे एवं 133 पद रिक्त है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** जी हां। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** जी नहीं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(घ)** समाज कल्याण विभाग में समाज शिक्षा संगठक का पद कार्यपालिक तृतीय श्रेणी जनपद पंचायतों के लिए वर्णित है। 146 पद स्वीकृत, 133 पद रिक्त व 13 पद भरे हैं।

बीजापुर विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

26. (क्र. 507) श्री विक्रम मंडावी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बीजापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभागाधीन चिकित्सालयों में चिकित्सक MBBS संवर्ग के कितने पद स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त है? जानकारी देंवे? **(ख)** रिक्त पदों की पूर्ति के लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्थाअथवा पदपूर्ति हेतु नवीन भर्ती के लिए क्या कोई कार्ययोजना बनाई गई है जानकारी दें? **(ग)** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) में केन्द्रांश राज्यांश के कौन-कौन से मद हैं? जानकारी देवें? **(घ)** वर्ष 2024-25 में बीजापुर विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कौन-कौन से मदों में कुल कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है? यदि स्वीकृति दी गई है तो कौन-कौन से कार्यों में व्यय की गई है? जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) बीजापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभागाधीन चिकित्सालयों में चिकित्सक MBBS संवर्ग के 65 पद स्वीकृत, 29 कार्यरत एवं 36 रिक्त है। **(ख)** रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारियों की संविदा पदों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित कर भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही है एवं नियमित पदों के लिए वित्त निर्देश 18/2023 एवं 04/2024 के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बीजापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिला खनिज न्यास निधि से 07 संविदा एवं 08 अनुबंधित चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(घ)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब'' एवं ''स''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ"]

जिला-मुंगेली अंतर्गत महतारी वंदन योजना के हितग्राही

[महिला एवं बाल विकास]

27. (क्र. 510) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला-मुंगेली अंतर्गत महतारी वंदन योजना में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितने पात्र अपात्र पाए गये? पात्र हितग्राहियों को दिनांक 26/11/24 तक कुल कितनी राशि प्रदान की गई, विकासखण्डवार बतावें? क्या ऐसे आवेदक/हितग्राही जिसके द्वारा निर्धारित समय में आवेदन नहीं किया गया था, उनको पुनः आवेदन करने तथा योजना में शामिल किये जाने की कोई कार्य योजना विचाराधीन है? यदि हां तो कब तक लागू की जावेगी, समयावधि बतावें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जिला मुंगेली अंतर्गत महतारी वंदन योजना में दिनांक 20.02.2024 की स्थिति में कुल 2,15,151 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 2,14,203 हितग्राही पात्र तथा 948 हितग्राही अपात्र पाये गये। पात्र हितग्राहियों को प्रश्नाधीन अवधी तक कुल 175,17,22,850 राशि प्रदान की गई हैं, विकासखण्डवारजानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** ऐसे आवेदक/हितग्राही जिसके द्वारा निर्धारित समय में आवेदन नहीं किया गया था, उन्हें पुनः आवेदन करने का अवसर दिए जाने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बैंसठ"]

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाएं

[समाज कल्याण]

28. (क्र. 511) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक पेंशन के तहत कितनी राशि का भुगतान किया जाना था? कितना भुगतान किया गया? योजनावार जानकार देवें? समय पर भुगतान न होने के क्या कारण हैं तथा पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार

उपरोक्त योजना में जिला मुंगेली में कितने हितग्राहियों को किस-किस योजना के तहत् कितनी राशि का पेंशन भुगतान किया गया? विकासखण्डवार जानकारी बतावें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाएं एवं इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक पेंशन के तहत किये जाने वाले भुगतान व किये गए भुगतान की योजनावार जानकारी निम्नानुसार है - (राशि रुपये लाख में)

1.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	220544.22	220544.22
2.	सुखद सहारा योजना	59202.96	59202.96
3.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	141233.30	141233.30
4.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	113888.41	113888.41
5.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	43271.31	43271.31
6.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	7176.15	7176.15
योग -		**585316.35**	**585316.35**

(ख) समय पर पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। अतः कारण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समय पर पेंशन राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा पेंशन राशि सीधे लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में जमा करायी जा रही है। ख) जिला मुंगेली में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही तथा उनको किये गए भुगतान की योजनावार विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है -

		लाभान्वित हितग्राही	**भुगतान की गई राशि**	**लाभान्वित हितग्राही**	**भुगतान की गई राशि**	**लाभान्वित हितग्राही**	**भुगतान की गई राशि**
1.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	7585	3075.20	5338	2633.09	3662	2191.53
2.	सुखद सहारा योजना	2490	609.54	3198	874.25	1718	453.66
3.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	9067	1975.25	11642	2199.16	4779	968.36
4.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	7509	1567.69	9019	1623.57	8893	1415.42
5.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1057	192.35	1985	393.65	1974	396.29
6.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	465	110.47	551	140.24	327	73.83
योग-		**28173**	**7530.50**	**31733**	**7863.96**	**21353**	**5499.09**

अविभाजित जिला राजनांदगांव में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु केंद्रीय सहायता

[गृह]

29. (क्र. 512) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2021-22 से दिनांक 26/11/24 तक अविभाजित जिला राजनांदगांव (खैरा-छुईखदान-गंडई व मोहला-मानपुर-चौकी) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (LWE) क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) योजना से कितना आबंटन प्राप्त हुआ है? प्राप्त आबंटन से कौन-कौन से कार्य कराए गए व किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति की गई? क्या स्वीकृत राशि से सामग्री क्रय की गई है? यदि हां तो किनके द्वारा खरीदी हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है? स्वीकृति कार्यवार, राशिवार, वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या LWE क्षेत्र के लिए प्राप्त SCA मद से उक्त अवधि में सोलर लाइट के क्रय का कार्य किया गया?

यदि हां तो स्टीमेट व टी एस किस-किस विभाग से लिया गया है? कार्यों का मूल्यांकन, सत्यापन अधिकार किसे दिया गया है? मूल्यांकन, सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा कार्यों का मूल्यांकन, सत्यापन कार्य की जानकारी देवें? **(ग)** वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (LWE) क्षेत्रों की सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना व विशेष बुनियादी ढाँचा योजनाओं (SIS) से कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु खर्च की गई है? क्या उक्त कार्यों के लिए किसी प्रकार की निविदाआमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो कब-कब यदि नहीं, तो किस नियमों के तहत राशि खर्च की गई है? जानकारी प्रदान करें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नांक की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे ''प्रपत्र अ, ब एवं स'' अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** प्रश्नांक की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे ''प्रपत्र द एवं ई'' अनुसार है।

वि.स. क्षेत्र भानुप्रतापपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण समग्र निर्माण योजना से स्वीकृत राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

30. (क्र. 516) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 25/11/24 तक विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण समग्र निर्माण योजना से कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं? मेरे द्वारा अनुशंसित कार्यो की स्वीकृति कब तक की जावेगी? समय अवधि बताये?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 25/11/24 तक विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण समग्र निर्माण योजना से 20 कार्य स्वीकृत हुए हैं। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

जिला खैरागढ़-छुईखदान गंडई में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आई.टी.आई. कोपा विषय का संचालन

[तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

31. (क्र. 518) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आई. टी. आई. कोपा विषय संचालित है? यदि हां तो कितने सीटआबंटित हैं ? आबंटित सीट के विरूद्ध कितने छात्रों द्वारा प्रवेश लिया गया है? क्या प्रवेशित छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर लैब की सुविधा प्रदान की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों हाँ तो छात्रों के लिए कितने नग कंप्यूटर हैं? यदि नही तो क्यो ? व कितने कंप्यूटर कब से खराब हैं जानकारी देवें? **(ख)** क्या जिले में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आईटीआई कोपा के प्रवेशित प्रत्येक छात्र-छात्राओ के प्रैक्टिकल के लिए कंप्यूटर की संख्या पर्याप्त है? यदि नहीं तो कब तक विभाग द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध करा दिए जाऐंगे? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** अतंर्गत जिलों में संचालितऔद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2023-24 व 2024-25 में दिनांक 25/11/24 तक किस-किस मद से कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ है? प्राप्त आबंटित राशि से किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि खर्च की गई? जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी हॉ । जिले में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में व्यवसाय कोपा के स्वीकृत सीट्स, प्रवेशित छात्रों की संख्या एवं दी जा रही कम्प्यूटर लैब की सुविधा की विस्तृत जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है।**(ख)** जी नहीं, 1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, खैरागढ़ में संचालित व्यवसाय-कोपा के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार कम्प्यूटर की आपूर्ति हेतु सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड से पोषित योजनान्तर्गत तृतीय चरण के प्रस्ताव में प्रावधान सम्मिलित है। 2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था छुईखदान हेतु वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर यथासमय कम्प्यूटर की आपूर्ति की जा सकेगी।**(ग)**जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ"]

निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज भवन, कांकेर में प्रभावित कृषकों को नौकरी दिलाने बाबत

[चिकित्सा शिक्षा]

32. (क्र. 519) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला कांकेर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज भवन हेतु सड़क निर्माण आदि कार्यों हेतु ग्राम-तेलगरा, तहसील-चारामा के 05 किसानों की अधिग्रहित भूमि के प्रभावितों को रोजगार दिए जाने का प्रावधान है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : जी नहीं।

जिला-रायगढ़ में स्वीकृत/पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारम्भ प्रधानमंत्री आवास

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

33. (क्र. 522) श्री उमेश पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-रायगढ़ में दिनांक 26/11/2024 तक कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हैं, कितने पूर्ण हो चुके हैं, कितने अब तक अपूर्ण या अप्रारंभ है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें? यह भी बतावें कि एक हितग्राही को मिलने वाली राशि में केन्द्रांश और राज्यांश की राशि कितनी-कितनी है? क्या पूर्व से लागत राशि को कम किया गया है ? यदि हां तो कितना कम किया गया है ? जानकारी देवें? **(ख)** लागत सामग्री की दर बढ़ जाने से आवास निर्माण के हितग्राहियों के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक अंतर्गत हितग्राही द्वारा आवास निर्माण पर केन्द्रांश राशि रूपये 1.50 लाख एवं राज्यांश राशि रूपये 0.79 लाख इस प्रकार कुल अधिकतम राशि रूपये 2.29 लाख जारी की जाती है। योजनांतर्गत लागत राशि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-ब''** अनुसार है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मिलने वाली राशि में केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत है। रायगढ जिले में हितग्राहियों को प्रति आवास कुल राशि रूपये 1.20 लाख जारी की जाती है। जिला-रायगढ़ अंतर्गत लागत राशि रूपये 1.20 लाख यथावत है। शेषांश प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(ख)** प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की जानकारी **निरंक** है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत अनुदान राशि रूपये 1.20 लाख, मनरेगा योजनांतर्गत 90 दिवस का मजदूरी भुगतान एवं अन्य योजनाओं से अभिसरण के माध्यम से आवश्यकता अनुसार स्वतः श्रमदान एवं हितग्राही के सहयोग से निर्धारित मापदण्ड अनुरूप पक्का आवास बनाये जाने हेतु जागरूकता लायी जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ"]

प्रदेश में मनरेगा के कार्यों का भुगतान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

34. (क्र. 523) श्री उमेश पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-रायगढ़ में मनरेगा के कार्यों का दिनांक 26/11/24 तक कितना भुगतान अप्राप्त है? विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)** उक्त श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान एवं सामग्री भुगतान किस कारण अटका हुआ है एवं कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जिला-रायगढ़ में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सम्पादित कार्यों का दिनांक 26.11.24 तक मजदूरी भुगतान लंबित नहीं है। विकासखंड धरमजयगढ़ का राशि रु. 67.31 लाख, घरघोड़ा का राशि रु. 21.66 लाख, खरसिया का राशि रु. 19.88 लाख, लैलूंगा का राशि रु. 87.57 लाख, पुसौर का राशि रु. 20.22 लाख, रायगढ़ का राशि रु. 1.83 लाख एवं तमनार का राशि रु. 7.47 लाख का सामग्री भुगतान लंबित है। **(ख)** योजनान्तर्गत मजदूरी एवं सामग्री में व्यय का अनुपात 60ः40 निर्धारित है। जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्तमान में सामग्री मद अंतर्गत 37 प्रतिशत व्यय हो चुका है तथा राशि रु. 4.59 करोड़ के सामग्री भुगतान के बिल नरेगासॉफ्ट में प्रविष्ट हैं, जिनका भुगतान किये जाने पर सामग्री मद

अंतर्गत व्यय निर्धारित सीमा 40 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। अतः भविष्य में मजदूरी मद अंतर्गत भुगतान होने से समानुपातिक रूप से सामग्री भुगतान किया जाएगा। दिनांक 19.10.2024 तक के द्वितीय हस्ताक्षरित सामग्री बिल के भुगतान हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री सड़क व मुख्यमंत्री सड़क योजना की स्वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

35. (क्र. 530) श्री धरमलाल कौशिक : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जनवरी, 2023 से दिनांक 26/11/24 तक बिलासपुर संभागान्तर्गत कितनी राशि की प्रधानमंत्री सड़क व मुख्यमंत्री सड़क योजना की स्वीकृति प्रदान की गई हैं? इसमें कितनी व कितने प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है? स्वीकृत सड़कों में कितने के कार्य पूर्ण, अपूर्ण व कितने अप्रांरभ हैं? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** बिलासपुर संभाग के जिलों में किन-किन सड़कों के कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुये हैं व किन-किन सड़कों के लिये समयसीमा किस-किस अधिकारी के द्वारा किस आधार पर बढ़ाई गई है? सड़कवार, फर्मवार, समय-सीमावार, विलंब अवधिवार, राशिवार एवं जिलेवार जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जनवरी, 2023 से दिनांक 26/11/24 तक बिलासपुर संभागान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राशि रू. 24592.31 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार के द्वारा राशि संभागवार उपलब्ध नहीं करायी जाती है। भारत सरकार द्वारा एकमुश्त पूरे राज्य के लिये राशि रू. 28077.50 लाख उक्त अवधि में उपलब्ध करायी गई है। इस राशि में 40 प्रतिशत राज्यांश राशि रू. 19086.00 लाख जोड़कर कुल राशि रू. 47163.00 लाख आहरित कर निर्माण कार्यों में उपयोग की गई है। स्वीकृत सड़कों में कितने कार्य पूर्ण, अपूर्ण व कितने अप्रारंभ हैं की वर्षवार, जिलेवार जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। जनवरी, 2023 से दिनांक 26/11/24 तक बिलासपुर संभागान्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत् राशि रू. 2695.14 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि **''निरंक''** है। स्वीकृत सड़कों में कितने कार्य पूर्ण, अपूर्ण व कितने अप्रारंभ हैं की वर्षवार, जिलेवार जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** बिलासपुर संभाग के जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी **''निरंक''** है। तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-ब''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पैंसठ"]

प्रदेश में संचालित शासकीय व अशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

[चिकित्सा शिक्षा]

36. (क्र. 531) श्री धरमलाल कौशिक : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कुल कितने शासकीय व अशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कब से संचालित हैं? इनमें कितने महाविद्यालय को एमसीआई से मान्यता मिल गई व कितनों को नहीं मिली है? इन महाविद्यालयों में एमबीबीएस की कितनी-कितनी सीटों की स्वीकृति केन्द्र सरकार से विगत 2 वर्षो में कब-कब मिली है और उसके एवज में कितने-कितने विद्यार्थियों को प्रवेश विगत 2 वर्षो में दिया गया है? जिन महाविद्यालय में निर्धारित संख्या से कम प्रवेश दिया गया है, उसके क्या कारण हैं? महाविद्यालयवार जानकारी देवें? **(ख)** उपरोक्तानुसार महाविद्यालय में संविदा/अनियमित रूप से कार्यरत प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक व अन्य चिकित्सा संवर्ग के किन-किन अधिकारियों को कब-कब नियमित किया गया है व शेष को कब तक नियमित किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) प्रदेश में 10 शासकीय एवं 05 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है व सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को एन.एम.सी. से मान्यता प्राप्त है। शेष जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** महाविद्यालय मे संविदा/अनियमित रूप से कार्यरत प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक व अन्य चिकित्सा संवर्ग के अधिकारियो को नियमित नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उद्भूत नही होता।**[संलग्न "परिशिष्ट - छैंसठ"]**

जिला अस्पताल जांजगीर-चाम्पा व सक्ती में डी एम एफ राशि का उपयोग

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

37. (क्र. 538) श्री बालेश्वर साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चाम्पा एवं सक्ती जिले में वर्ष 2023-24 से 26 नवम्बर, 2024 तक की अवधि में खनिज न्यस मद (डी एम एफ) से जिला अस्पताल को डी. एम. एफ. मद से कब-कब, कितनी- कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए जारी की गयी? जानकारी देवें? **(ख)** क्या जारी प्रशासकीय स्वीकृतियों में पुनरीक्षित स्वीकृतियां भी जारी की गयी हैं? यदि हां तो कब-कब कितनी राशि बढ़ाकर पुनरीक्षित स्वीकृति जारी की गई है ? कारण सहित जानकारी देवें? **(ग)** क्या कई कार्यो में निर्माण करने के बाद तोड़-फोड़ रिबिल्ट (पुनर्निर्माण) किया गया है? किन-किन कार्यो का पुनर्निर्माण हुआ है और कितनी लागत आई?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जाजगीर-चाम्पा एवं सक्ती जिले में वर्ष 2023-2024 से 26 नवम्बर, 2024 तक की अवधि में खनिज न्यास मद (डी.एम.एफ.) से जिला अस्पताल को कोई राशि प्रदाय नहीं की गई है। **(ख)** प्रश्नांक ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वि.खं.-सिमगा के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में नवीन सर्वसुविधा युक्त ट्रामा सेंटर की स्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

38. (क्र. 542) श्री इंद्र साव : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वि.खं-सिमगा में शासकीय नवीन सर्वसुविधायुक्त ट्रामा सेंटर की स्वीकृति दी गई है? यदि हां, तो कब तथा उक्त सेंटर में कब तक मरीजों का ईलाज प्रारंभ होगा? जानकारी देवें? **(ख)** भाटापारा में शासकीय ''हमर अस्पताल'' निर्माण कार्य की स्वीकृति कब प्रदान की गई? निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है तथा कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जी हां। दिनांक 01.12.2023 को वि.खं.-सिमगा में शासकीय नवीन सर्वसुविधा युक्त ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में मरीजों का ईलाज प्रारंभ है। **(ख)** भाटापारा में शासकीय ''हमर अस्पताल'' निर्माण कार्य की स्वीकृति दिनांक 29.12.2022 को प्रदान की गई। निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं चिकित्सकीय कार्य प्रारंभ है।

जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में स्वीकृत पी एम आवास

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

39. (क्र. 549) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में दिसंबर 2023, से 26 नवम्बर, 2024 तक कितने पीएम आवास स्वीकृत किए गए? **(ख)** जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में पीएम आवास हेतु हितग्राही को जारी की जाने वाली राशि का विवरण देवें? **(ख)** वर्ष 2023-2024 में स्वीकृत पीएम आवास में कितने पूर्ण हैं? कितने अपूर्ण हैं? कितने प्रगति पर हैं? **(ग)** पीएम आवास स्वीकृति हेतु मापदंड (नियम एवं शर्तें) क्या - क्या हैं? **(घ)** पीएम आवास पूर्ण करने हेतु समय-सीमा निर्धारित है यदि हॉ तो क्या?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की जानकारी **निरंक** है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में कुल 11,060 आवास स्वीकृत किये गये। **(ख)** प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की जानकारी **निरंक** है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास निर्माण हेतु हितग्राहियों को 03 किस्तों में क्रमशः प्रथम किस्त राशि रूपये 40000, द्वितीय किस्त राशि रूपये 60000, तृतीय किस्त राशि रूपये 20000ए इस प्रकार कुल राशि रूपये 1,20,000 प्रदान किया जाता है। **(ग)** प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की जानकारी **निरंक** है। शेषांश प्रश्न उद्भूत नहीं होता। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में पूर्ण आवास की संख्या **निरंक** है। 11060 आवास प्रगतिरत/अपूर्ण है। **(घ)** प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ''** अनुसार है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब''** अनुसार है। (ड.) जी हाँ, प्रधानमंत्री अवास योजना (शहरी) अंतर्गत आवास पूर्ण करने हेतु मिशन अवधि दिसम्बर 2024 एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत अवधि वित्तीय वर्ष 2028-29 निर्धारित है।

सीतापुर वि.स. क्षेत्रांतर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित बंदियों की रिहाई

[जेल]

40. (क्र. 554) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पिछले 5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत आजीवन कारावास के कितने बंदियों के आजीवन कारावास की सजा का परिहार कर रिहा किया गया है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत कितने कैदियों की रिहाई विचाराधीन है? **(ग)** इन कैदियों को अब तक रिहा नहीं किया गया तो क्यों? कब तक रिहा किया जायेगा?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) पिछले 5 वर्षों में (01.01.2019 से 06.12.2024 तक) विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अन्तर्गत आजीवन कारावास के कुल 32 बंदियों के आजीवन कारावास की सजा के शेष भाग का परिहार कर रिहा किया गया है । **(ख)** प्रश्नांश (क) अन्तर्गत कुल 08 बंदियों के प्रकरण विचाराधीन है । **(ग)** कुल 08 दण्डित बंदियों के आजीवन कारावास की सजा के शेष भाग का परिहार किए जाने से संबंधित प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला चिकित्सालय धमतरी को प्राप्त आबंटन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

41. (क्र. 564) श्री ओंकार साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धमतरी जिला चिकित्सालय को विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं में कितना आबंटन वर्ष 2023 से 25/11/2024 तक किन-किन कार्यों हेतु प्राप्त हुआ एवं इसे किन-किन सामग्री/कार्यों में खर्च किया गया? पूर्ण जानकारी देवें? **(ख)** धमतरी जिला चिकित्सालय में जीवनदीप समिति की बैठक विगत 02 वर्षों में कब-कब हुई? उक्त समिति के पदाधिकारी कौन-कौन हैं? जनभागीदारी समिति का गठन कब और किस उद्देश्य से किया गया है? इसके क्या-क्या कार्य हैं? **(ग)** जीवनदीप समिति में कितने पद स्वीकृत,भरे, रिक्त है? पदों की जानकारी (नाम,पदनाम, वेतन, कार्य अवधि देवें? वर्तमान में जीवनदीप समिति की क्या स्थिति है? जीवनदीप समिति का गठन हुआ है अथवा नहीं? अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-''अ''**अनुसार है। **(ख)** धमतरी जिला चिकित्सालय में जीवनदीप समिति की बैठक विगत 02 वर्षो में दिनांक 28.02.2023 एवं दिनांक 16.06.2023 को हुई। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-''ब''** अनुसार है। जनभागीदार समिति का गठन नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जीवन दीप समिति के अंतर्गत पद स्वीकृत नहीं है। जिला चिकित्सालय में कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जीवनदीप समिति के अनुमोदन पश्चात् निश्चित सामेकित पारिश्रमिक/कलेक्टर दर पर रखा गया है, जिसकी जानकारी **संलग्न प्रपत्र-''स''** अनुसार है। वर्तमान में जीवनदीप समिति के अंतर्गत माननीय प्रभारी मंत्रीजी द्वारा 07 सदस्यों का नाम मनोनित कर नामंकित किया गया है। माननीय प्रभारी मंत्रीजी की अध्यक्षता में मनोनित सदस्यों एवं समिति के नियमानुसार पदाधिकारियों की उपस्थिति में आगामी बैठक का आयोजन किया जाना है। जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ"]

जांजगीर-चांपा जिले में घटित अपराधों/घटनाओं के दर्ज प्रकरण

[गृह]

42. (क्र. 569) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले के अंतर्गत अलग-अलग थानों में 01 दिसम्बर, 2023 से दिनांक 26/11/24

तक अलग-अलग आपराधिक प्रकरणों जैसे हत्या, चोरी, बलात्कार, नशीली दवाई, सड़क दुर्घटना, डकैती, जुआ-सट्टा, ठगी, अवैध शराब, मानव तस्करी, गुमशुदगी, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, मारपीट, गबन, भ्रष्टाचार, अपहरण, साईबर अपराध व अन्य आपराधिक प्रकरणों के कुल कितनी घटनाओं/प्रकरणों में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं? वर्षवार, थानावार जानकारी उपलब्ध करावें? अकलतरा नगर क्षेत्र अंतर्गत घटित घटनाओं/प्रकरणों की थानावार जानकारी पृथक से देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में पूछी गई अवधि में पंजीबद्ध प्रकरणों में कितने प्रकरणों के आरोपी पकड़े जा चुके हैं व कितने पकड़ से बाहर हैं? वर्षवार, थानावार जानकारी उपलब्ध करावें? अकलतरा नगर क्षेत्र अंतर्गत घटित घटनाओं/प्रकरणों की जानकारी पृथक से देवें? **(ग)** अपराधों को रोकने के लिए क्या-क्या कार्ययोजना बनाई गई है अथवा क्या कदम उठाए गए हैं? जानकारी उपलब्ध करावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जांजगीर-चांपा जिले की वर्षवार, थानावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। अकलतरा नगर क्षेत्र की थानावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ख)** जांजगीर -चांपा जिले की वर्षवार, थानेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''स''** अनुसार है। अकलतरा नगर क्षेत्र अंतर्गत की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''द''** अनुसार है। **(ग)** संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर तत्काल प्रथम सूचना दर्ज कर विवेचना/साक्षयों का संकलन कर आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है। अपराधों के रोकथाम एंव नियंत्रण हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग, गश्त तथा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत् लगातार गॉवों एवं शहरों के चौक चौराहों, हाट-बाजारों एवं स्कूलों व कालेजों में जागरूकता कार्यक्रम चला कर महिलाओं एवं बच्चों संबंधी अपराध से बचाव हेतु जागरूक किया जा रहा है। सायबर संबंधी अपराध से बचाव हेतु सायबर जागरूकता अभियान, सायबर पखवाड़ा कार्यक्रम चलाकर लोगों में जागरूकता लायी जा रही है। ''अभिव्यक्ति एप'' छात्राओं को डाउनलोड कराया जाकर प्रेरित किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु विश्वास कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, दुर्घटनाजन्य क्षेत्र की पहचान कर सांकेतिक बोर्ड एवं स्पीड ब्रेकर बनवाये गये हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों एंव यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही की जाकर यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। मादक पदार्थ गांजा/अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी के रोकथाम हेतु नषामुक्ति पखवाड़ा कार्यक्रम के माध्यम से गांव/शहरों में बाजार-हाट, चौक-चौराहों, स्कूल-कालेजों मे जन-जागरूकता अभियान चलाकर नशे के विरूद्ध जागरूक किया जा रहा है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़सठ"]

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बलौदा में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण संस्थागत प्रसव में कमी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

43. (क्र. 571) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं वर्तमान वर्ष 2024-25 में दिनांक 26/11/24 तक कितने संस्थागत प्रसव हुए? कराए गए प्रसव में से कितने प्रसव सामान्य एवं कितने ऑपरेशन से हुए हैं? केन्द्रवार, वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या वर्तमान वर्ष में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बलौदा में संस्थागत प्रसव में तुलनात्मक रूप से विगत वर्षों की अपेक्षा कमी आई है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत की कमी आई है व उसके क्या कारण हैं एवं कमी को दूर करने के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किए गए? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बलौदा के नजदीकी संस्थाओं/स्वास्थ्य केन्द्रों में सामान्य संस्थागत प्रसव विगत वर्ष की तुलना में अधिक सम्पादित हुए हैं। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बलौदा क्षेत्र में संस्थागत प्रसव में तुलनात्मक कमी परिलक्षित नहीं हो रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बलौदा में सामान्य प्रसव

सम्पादित किये जा रहे हैं एवं उच्च जोखिम गर्भावस्था अंतर्गत महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य संस्था में रिफर किया जाता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर"]

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में रीपा के तहत् निर्मित भवनों की उपयोगिता

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

44. (क्र. 578) श्री बघेल लखेश्वर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में ''रीपा'' के तहत् कहां-कहां, कौन-कौन से भवन का निर्माण किया गया है? इन भवनों हेतु स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि की जानकारी दें? **(ख)** ''रीपा'' के तहत् निर्मित भवनों में किन-किन लघु व कुटीर उद्योगों का संचालन होना था व हुआ तथा इसमें कितने लोग रोजगार से जुड़े ? **(ख)** इस समय इनके कार्यसंचालन की स्थिति सहित इन भवनों में क्या कोई अन्य कार्य के कार्यसंचालन के संबंध में विभाग/शासन विचार कर रहा है? कृपया बतावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र''** अनुसार है। **(ग)** निर्णय विचाराधीन है।

बस्तर संभागातर्गत जिलो मे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के प्राप्त आवेदन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

45. (क्र. 579) श्री बघेल लखेश्वर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कितने आवेदन प्राप्त हुये? कितने हितग्राहियों का आवास स्वीकृत किया गया? कितने निरस्त व कितने प्रकरण शेष है? जिलेवार विगत् 03 वर्षों की जानकारी बतावें ? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवश्यक बंटन राशि, प्राप्त बंटन राशि के संबंध में बतावें ? **(ग)** विगत् 03 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ अथवा अपूर्ण स्थिति में बंद हैं? कृपया बतावें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों के आवेदन के आधार पर आवास की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आवास की स्वीकृति सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) 2011 के स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं 2018 की आवास प्लस सूची के प्राथमिकता क्रम के आधार पर की जाती है। शेषांश प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता। **(ग)** जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर"]

जिला सुकमा में संचालित आँगनबड़ी केंद्र

[महिला एवं बाल विकास]

46. (क्र. 584) श्री कवासी लखमा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला सुकमा में आंगनबाड़ी केंद्रों की संचालित संख्या विकासखण्डवार बताइए? **(ख)** इनमें से कितने भवन-विहीन हैं तथा कितने स्वयं के भवन में संचालित हैं? भवन-विहीन आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में कौन-कौन से भवन में संचालित हैं? भवन का प्रकार शासकीय या अशासकीय बताए यदि अशासकीय है तो भवन मालिक का नाम, पता सहित जानकारी दें? **(ग)** क्या निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को किराया भुगतान किया जाता है ? किराया किस प्रकार भुगतान किया जाता है? किराये की निर्धारित राशि की जानकारी भी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जिला सुकमा अंतर्गत विकासखण्ड सुकमा में 218, छिन्दगढ़ में 380 एवं कोन्टा में 446 आंगनबाड़ी केंन्द्र संचालित है। **(ख)** इनमें से 237 भवन-

विहीन हैं तथा 807 स्वयं के भवन में संचालित है। भवन-विहीन आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में जिन भवनों में संचालित हैं, उनका प्रकार शासकीय या अशासकीय तथा अशासकीय भवन के मालिक का नाम, पता सहित विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** जी हां, निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को किराया भुगतान किया जाता है। किराया भुगतान भारत शासन के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किया जाता है। भारत शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में किराये के भवन में संचालित केन्द्रों हेतु राशि रूपये 2,000/- मासिक किराया निर्धारित है।
[संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर"]

जिला अस्पताल सुकमा एवं शिशु अस्पताल सुकमा में चिकित्सकों के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

47. (क्र. 585) श्री कवासी लखमा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला अस्पताल सुकमा एवं शिशु अस्पताल सुकमा में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के कितने तथा कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? इनके विरुद्ध कौन-कौन से पद भरे एवं कौन-कौन से पद रिक्त है? रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शासन की क्या योजनाएं है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जाएगी? **(ख)** विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में जरूरतमंद मरीजों के इलाज हेतु शासन द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करायी जा रही है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे है। वित्त निर्देश 18/2023 एवं 04/2024 के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रिक्त संविदा पदों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आनलाईन आवेदन आमंत्रित कर निरंतर भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही है। रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। **(ख)** विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में जरूरतमंद मरीजों के इलाज हेतु स्नातकोत्तर विषय विशेषज्ञों को अनुबंध आधार पर नियुक्त कर एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) तथा जिला खनिज न्यास निधि के मद से भर्ती कर, वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करायी जा रही है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर"]

जिला-महासमुंद में घटित अपराध व कृत कार्यवाही

[गृह]

48. (क्र. 590) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला महासमुंद में 01 जनवरी 2024 से 24.11.24 की स्थिति में हत्या, लूट, बलवा की घटित घटनाओं की संख्या, थानावार बतायें? **(ख)** बढ़ती अपराधिक घटनाओं के लिए क्या-क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं? प्रश्नांश 'क' की घटनाओं में कार्यवाही कर पकड़े गये अपराधियों की संख्या व कार्यवाही, अपराधवार बतायें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की थानावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** अपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी कर विधि अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। अपराध को रोकने के लिए अधिक से अधिक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, संदिग्धों पर सतत् निगरानी, रात्रि में प्रमुख एवं संभावित भीड़ वाली जगहों पर पुलिस की पाइंट ड्यूटी/पैदल गश्त/वाहन पेट्रोलिंग द्वारा चेकिंग की जा रही है। मोबाईल चेक पोस्ट द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की जॉच की जा रही है। नियमित रूप से होटल, धर्मशाला, ढ़ाबा, लॉज, रैनबसेरा आदि की जॉच व थाना क्षेत्रों में किरायेदारों/बाहरी व्यक्तियों की तस्दीक करायी जाती है। स्कूल, कालेजों में जागरूकता अभियान चलाया जाकर अपराधों पर अंकुश लगाया जा रहा है। प्रश्नाधीन अवधि तक हत्या के 37, लूट के 35 एवं बलवा के 62 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर"]

जिला महासमुंद अंतगर्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की जानकारी

[समाज कल्याण]

49. (क्र. 593) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-महासमुंद में सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत वृद्धा पेंशन प्रदान करने का क्या मापदण्ड हैं? दिनांक 24.11.2024 की स्थिति में कुल लाभान्वितों की संख्या विकासखण्डवार बतायें ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत 24.11. 2024 की स्थिति में पात्र किन्तु पेंशन अप्राप्त करने वाले तथा लंबित आवेदनों की संख्या विकासखण्डवार प्रदान करें ? **(ग)** उक्त तिथि की स्थिति में प्रश्नांश `ख' के अनुसार पात्र पेंशन अप्राप्त होने व लंबित रहने का क्या कारण है? जिम्मेदार व्यक्तियों पर क्या कार्यवाही की जा रही है। इन प्रकरणों को कब तक निराकृत कर लिया जावेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धजनों को पात्रता नहीं है, इंदिरा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन प्रदान करने का मापदण्ड "गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध" है । योजना अंतर्गत दिनांक 24.11.2024 की स्थिति में कुल लाभान्वित हितग्राहियों की विकासखण्डवार संख्या निम्नानुसार है-

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1.	महासमुन्द	6,000
2.	बागबाहरा	4,459
3.	पिथौरा	6,099
4.	बसना	8,943
5.	सरायपाली	8,929
योग-		34430

(ख) जानकारी निरंक है ।**(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

महतारी वंदन योजना में जारी राशि व व्यय

[महिला एवं बाल विकास]

50. (क्र. 600) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** महतारी वंदन योजना के तहत अब तक कुल कितनी राशि का प्रावधान बजट में किया गया है? योजना के तहत अब तक कितनी राशि महिला हितग्राहियों को कब-कब जारी की गई है? जिलावार जानकारी दें। **(ख)** विभाग द्वारा आबंटित बजट में से कितनी राशि प्रचार-प्रसार के किन किन माध्यमों में खर्च की गई है? प्रचार के माध्यम, खर्च की गई राशि की जानकारी दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) महतारी वंदन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में रूपये 1200.00 करोड़ का बजट प्रावधान तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में रूपये 7900.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। योजना के तहत् अब तक राशि रूपये 6530.32 करोड़ महिला हितग्राहियों को सभी जिलों हेतु एक साथ क्रमशः दिनांक 10.03.2024, 03.04.2024, 01.05.2024, 01.06.2024, 01.07.2024, 30.07.2024, 02.09.2024, 01.10.2024, 25.10.2024 एवं 03.12.2024 को जारी की गयी है।**जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख)** विभाग द्वारा आबंटित बजट में से होर्डिंग्स, ब्रांडिंग, कटआउट, एलईडी स्क्रीन एवं प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि 1,98,45,614/- रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि 20,00,000/-रूपये खर्च की गयी है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर"]

प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार भत्ता का प्रदाय

[तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

51. (क्र. 602) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रश्नांक अवधि तक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है? **(ख)** जनवरी 2024 से 26 नवंबर

2024 तक छत्तीसगढ़ के कुल कितने बेरोजगारों को भत्ता प्रदान किया गया है? कुल प्रदत्त राशि क्या है? अगर बेरोजगारों को भत्ता प्रदान नहीं किया जा रहा है तो किन कारणों से प्रदान नही किया जा रहा है? बेरोजगारों को क्या रोजगार भत्ता प्रदान किया जावेगा? **(ग)** जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक कुल कितने बेरोजगारों को भत्ता प्रदान किया गया था? कुल प्रदत्त राशि क्या थी?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क)प्रश्नांश अवधि (दिनांक 03.12.2024) तक छत्तीसगढ़ में रोजगार इच्छुक बेरोजगारों की कुल संख्या 1716713 है।**(ख)** जनवरी 2024 से 26 नवंबर 2024 तक बेरोजगार जिन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया गया है जानकारी ''निरंक'' है। एवं प्रदत्त राशि ''निरंक'' है। शेषांश का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।**(ग)**जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 (वास्तवितक भत्ता प्रदान करने का माह अप्रैल 2023 से नवंबर 2023) तक कुल 1,35,440 (एक लाख पैंतीस हजार चार सौ चालीस) बेरोजगारों को भत्ता एवं कुल 249,99,90,000 (दो सौ उन्चास करोड़ निन्यान्बे लाख नब्बे हजार रू. मात्र) राशि प्रदान की गई।

जनपद पंचायत कोटा के आय-व्यय की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

52. (क्र. 604) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनपद पंचायत कोटा जिला बिलासपुर की आय के स्त्रोत्र क्या-क्या हैं? विगत 03 वर्षो में किन-किन कार्यो एवं मदों से कितनी आय प्राप्त हुई है? प्राप्त आय राशि का उपयोग किन-किन कार्यो में किया गया है? वर्षवार जानकारी दें। **(ख)** मुद्रांक शुल्क से विगत 03 वर्षो में कितनी आय हुई है एवं इस राशि का किन-किन कार्यो में व्यय हुआ है? वर्षवार विवरण दें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जनपद पंचायत कोटा जिला बिलासपुर की आय के स्त्रोत्र एवं आय-व्यय की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** मुद्रांक शुल्क से विगत 03 वर्षो के आय-व्यय की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-ब''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पचहत्तर"]

मनरेगा में पंजीकृत व हटाए गए श्रमिक

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

53. (क्र. 608) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 1 अप्रैल, 2024 से 1 अक्टूबर, 2024 तक मनरेगा में पंजीकृत कितने श्रमिकों के नाम हटाये गये है? जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार पंजीकृत श्रमिकों के नाम हटाने के क्या कारण थे? जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - छिहत्तर"]

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना

[महिला एवं बाल विकास]

54. (क्र. 609) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्तमान में महतारी वंदन योजना में हितग्राहियों का नाम जोड़ने हेतु क्या प्रावधान रखा गया है? क्या ऑनलाईन पोर्टल में हितग्राहियों का पंजीयन हो रहा है? **(ख)** वर्ष 2024-25 में महतारी वंदन योजना अंतर्गत राज्य के प्रत्येक महिलाओं को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है? क्या इस योजनान्तर्गत सभी महिलाओं को समान राशि दी जाती है या अन्य योजनाओं की राशि को जोड़कर एक हजार रुपये

दिये जाते हैं? **(ग)** क्या राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के लाभार्थी महिलाओं को महतारी वंदन योजना का भी लाभ दिया जा रहा है? कितने महिलाओं को तीनों योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है? प्रत्येक महिला को तीनों योजनाओं में पृथक-पृथक योजनावार कितनी राशि दी जा रही है? इन योजनाओं से प्रत्येक महिला को प्रतिमाह मिलने वाली कुल राशि की जानकारी जिलेवार देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) वर्तमान में महतारी वंदन योजना अंतर्गत नए हितग्राहियों के नाम जोड़े जाने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जी, नहीं। **(ख)** महतारी वंदन योजना अंतर्गत राज्य के प्रत्येक पात्रताधारी महिलाओं को उसकी पात्रता अवधि में रूपये 1000/- प्रतिमाह की राशि दिए जाने का प्रावधान है। जी नहीं, सभी महिलाओं को समान राशि नहीं दी जाती अपितु ऐसी महिलाएं जिन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाओं में प्रतिमाह रू. 1000/- से कम राशि की पेंशन प्राप्त हो रही है, तो ऐसी पात्र महिलाओं को अतिरिक्त उतनी राशि की सहायता स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है, जिससे उन्हें कुल रू. 1000/- की मासिक राशि प्राप्त हो सके। **(ग)** जी हाँ, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लाभार्थी महिलाओं में, आवेदन करने वाली पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना संचालित नहीं है। समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में संचालित समस्त राष्ट्रीय एवं राज्य की पेंशन योजना में से एक समय में एक ही पेंशन योजना से लाभ दिया जाता है। चूंकि उपरोक्त योजनाओं से महिलाओं को लाभांवित करने के माध्यम पृथक-पृथक है, अतः कितनी महिलाओं को इन सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक पात्र महिला को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से क्रमशः रू. 500/- एवं रू. 650/-, मुख्यमंत्री पेंशन योजना से रू. 500/- तथा महतारी वंदन योजना से क्रमशः रू. 1000/- तथा समाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को क्रमशः रू. 500/- एवं रू. 350/- की राशि दी जा रही है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब** अनुसारहै।
[संलग्न "परिशिष्ट - सतत्तर"]

डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत योजनाओं से प्राप्त राशि की जानकारी

[गृह]

55. (क्र. 610) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 01 जनवरी 2022 से दिनांक 26/11/2024 तक केन्द्रीय विशेष सहायता योजना, विशेष विकास योजना, विशेष बुनियादी ढॉचा योजना, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष एवं विशेष क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार से कब-कब कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई हैं? प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन कार्यों के लिये किया गया? कार्यवार, स्थान एवं ग्रामवार, विकासखंडवार जानकारी देवें? क्या प्राप्त राशि का प्रयोग किसी प्रकार की खरीदी के लिये किया गया हैं? यदि हां तो क्या-क्या सामग्री क्रय की गई? क्रय करने के लिये किस माध्यम का प्रयोग किया गया? फर्म/एजेंसी/अन्य किसी को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? भुगतान करने का माध्यम क्या था? प्राप्त राशि एवं व्यय की जानकारी वर्षवार, कार्यवार, सामग्रीवार, भुगतानवार देवें? **(ख)** उक्त योजनाओं से प्राप्त राशि के प्रयोग के समय किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई? यदि हां तो क्या-क्या अनियमितता पाई गई एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नांक **(क)** की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब''** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। शेषांश उपस्थित नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - अठहत्तर"]

जिला राजनांदगांव अंतर्गत परिसीमन हेतु चयनित ग्राम व ग्राम पंचायत हेतु आधार नियम

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

56. (क्र. 612) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पंचायत विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2024 को जारी आदेश अनुसार जिला राजनांदगांव अंतर्गत जिन ग्रामों का परिसीमन हेतु चयन किया गया, वें किस दुष्टिकोण से सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, कारण सहित जानकारी देवें? सुदूरवर्ती क्षेत्र की परिभाषा एवं राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त सुदूरवर्ती ग्राम व ग्राम पंचायत के नाम की जानकारी विकासखंडवार देवें? **(ख)** पंचायत अधीनियम अनुसार किसी ग्राम को ग्राम पंचायत बनाने से पहले कुल कितनी आबादी एवं क्या-क्या आधार होना चाहिए, जानकारी देवें? 2011 के जनगणना के समय उक्त आदेश अनुसार जिले के ग्रामों की कुल आबादी कितनी थी? परिसीमन हेतु किन-किन प्राधिकृत अधिकारीयों द्वारा कब-कब निरीक्षण एवं परीक्षण प्रस्ताव भेजा गया? क्या परीसीमन आदेश निकालने से पूर्व सक्षम अधिकारीयों/कर्मचारीयों द्वारा सभी औपचारिकतायें पूर्ण करा ली गई थी? यदि हां तो कब-कब निरीक्षण एवं परीक्षण कराया गया दिनांकवार, निरीक्षणकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम सहित जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक पंचा.-05/पंचाग्राविवि/22/2024/4568 दिनांक 09.10.2024 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 हेतु जिलों से प्रस्ताव के अनुसार प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत जिला कलेक्टर द्वारा परिसीमन किया गया है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता। **(ख)** छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 03 के तहत् गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा धारा-129 ख (1) अनुसूचित क्षेत्रों हेतु, धारा 10 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत (सीमाओं का परिवर्तन, मुख्यालयों का विस्थापन या बदला जाना) 1994 में किसी ग्राम को ग्राम पंचायत बनाये जाने का प्रावधान है। अधिनियम में ग्राम पंचायत गठन हेतु न्यूनतम जनसंख्या का उल्लेख नही हैै। वर्ष 2011 के जनसंख्या के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 665047 है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 3 के तहत् नवीन ग्राम पंचायत का गठन हेतु कलेक्टर द्वारा सूचना प्रकाशन किया जाकर प्रभावित ग्रामों से आपत्ति/दावें आमंत्रित किये गये थे, किंतु किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति/दावें प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार परिसीमन की कार्यवाही की गई है। उत्तर के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेज **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र''** अनुसार है।

महासमुंद जिले के स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

57. (क्र. 614) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महासमुंद जिले के अंतर्गत कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र कहां-कहां पर संचालित हैं? वर्ष 2021 से दिनांक 25/11/2024 तक संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में किस-किस योजना से कुल कितनी राशि के मरम्मत, जीर्णोद्धार और नवीन निर्माण कार्य किए गए है? **(ख)** प्रश्नांश "क" के स्वीकृत कार्यों के लिए निर्माण एजेंसी/ ठेकेदार कौन कौन है ? स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण, अपूर्ण एवं कितने अप्रारंभ हैं? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे? स्वास्थ्य केंद्रवार जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश "क" के संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ के कितने पद स्वीकृत एवं रिक्त है? स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने कार्यरत हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी। कृपया सरायपाली विधानसभा क्षेत्र की श्रेणीवार जानकारी अलग से दें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ/ब''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स''** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र द/ड़/च''** अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नवगठित जिला सक्ती अंतर्गत मनरेगा अंतर्गत कार्यो की स्वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

58. (क्र. 615) श्री बालेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नवगठित जिले सक्ती अंतर्गत ग्राम पंचायतों में वर्ष 2023-2024 व 2024-2025 में 26/11/2024 तक मनरेगा अंतर्गत स्वीकृति कार्यो में कितने कार्य निर्धारित कैटेगरी के बाहर स्वीकृत किये गये,जबकि वास्तविक कार्य कैटिगरी से बाहर था? **(ख)** कितने कार्यो के प्राक्कलन में आवश्यकता से अधिक कार्य व्यय किया गया? **(ग)** कंस्ट्रक्शन और ग्राम पंचायत कम्युनिटी के तहत कितने कार्य स्वीकृति किये गए और कितने ऐसे ग्राम पंचायत हैं, जहां पंचायत भवन नहीं बनाये जाकर अन्य निर्माण हुए। **(घ)** उक्त के सम्बंध में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं क्या कार्यवाही की गई? कौन दोषी पाया गया और दोषी पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) नवगठित जिला सक्ती के ग्राम पंचायतों में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में दिनांक 26.11.2024 तक महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कोई भी कार्य कैटेगरी (अनुमेय कार्य) से बाहर स्वीकृत नहीं किया गया है। शेषांश उद्भुत नहीं होता। **(ख)** किसी भी कार्यों के प्राक्कलन में आवश्यकता से अधिक व्यय नहीं किया गया है। **(ग)** वर्ष 2023-24 में 1737 कार्य एवं 2024-25 में दिनांक 26.11.2024 तक 2457 कार्य कंस्ट्रक्शन और ग्राम पंचायत कम्युनिटी के तहत स्वीकृत किये गए हैं। सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्मित हैं। **(घ)** उक्त संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतएव शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

अंबिकापुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत ग्रामों में आधुनिक सुविधाओं को विकसित करना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

59. (क्र. 618) श्री राजेश अग्रवाल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि राज्य में 3000 से अधिक आबादी वाले गांवों का चयन कर शहर जैसी आधुनिक सुविधाओं को विकसित करने के तहत स्मार्ट विलेज योजना लागू की गई है? यदि हां तो उक्त योजना अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र अंबिकापुर के कौन-कौन से गांवों का चयन किया गया है ? चयनित गांवों की सूची प्रदान करें? **(ख)** उक्त योजना अन्तर्गत चयनित गांवों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 26/11/2024 तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किये गये हैं? चयनित गावों में व्यय राशि का विवरण देवें? **(ग)** क्या उक्त चयनित गांवों मे जल निकासी प्रबंधन पक्की नालियां, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, पार्क, खेल मैदान, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, प्राथमिक उपस्वास्थ्य केन्द्र विकसित किये जा चुके हैं? यदि हां, तो कहां-कहां और नहीं तो क्यों? विवरण देवें ।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी नहीं। **(ख)** प्रश्न उद्भुत नहीं होता। **(ग)** प्रश्न उद्भुत नहीं होता।

पुलिस विभाग धमतरी में पदस्थ कितने अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

[गृह]

60. (क्र. 619) श्री ओंकार साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2022 से दिनांक 26/11/2024 तक पुलिस विभाग, धमतरी में पदस्थ कितने अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शासकीय कार्य में लापरवाही, रिश्वत, अवैध वसूली, वित्तीय अनियमिता आम जनता से अभद्रता पूर्वक बातचीत, एवं अन्य की शिकायत प्राप्त हुई है? ऐसे अधिकारियों का नाम, पदनाम, प्राप्त शिकायत की जानकारी देवें? **(ख)** प्राप्त शिकायतों के आधार पर विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की विरुद्ध क्या जांच/कार्रवाई की गई? अगर जांच/कार्रवाई नहीं की गई तो क्यों?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नांश अवधि में जिला-धमतरी में पदस्थ पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध शासकीय कार्य में लापरवाही के-11, रिश्वत-03 अवैध वसूली-101, वित्तीय

अनियमितता-04, आम जनता से अभद्रता पूर्वक बातचीत के-44 एवं अन्य शिकायत के-281 कुल 444 शिकायत प्राप्त हुई है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** प्राप्त शिकायतो पर सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध जांच कार्यवाही की गई। जांच निष्कर्ष के आधार पर 401 शिकायत नस्तीबद्ध, 05 में प्राथमिक जांच, 13 में विभागीय जांच, 01 में अपराधिक प्रकरण एवं 24 में शिकायत जांच पर लंबित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्यासी"]

समाज कल्याण विभाग के निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वीकृत ऋण राशि

[समाज कल्याण]

61. (क्र. 626) श्री गुरू खुशवंत साहेब : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य में वर्ष 2021-2022 से 26/11/2024 तक कितने दिव्यांगजनों को कितनी राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गयी हैं। स्वीकृत ऋण राशि के विरूद्ध कितनी राशि वसूल की गयी है? ऋण की वसूली के लिए जिले से राज्य स्तर पर क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं? वित्तीय वर्ष 2024 में कितने नये प्रकरणों की स्वीकृति दी गयी है? जिलेवार, व्यवसायवार, ऋणवार राशिवार जानकारी प्रदान करें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य में वर्ष 2021-2022 से 26/11/2024 तक कुल 19 दिव्यांगजनों को ऋण के रूप में राशि रूपये 1,17,57,930 स्वीकृत की गई है। स्वीकृत ऋण राशि के विरूद्ध राशि रूपये 5,73,305/- वसूल की गई है। ऋण राशि की वसूली के लिए जिला स्तर पर संयुक्त/उप/सहायक संचालक पदेन जिला प्रबंधक के माध्यम से वसूली का प्रावधान हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में कुल 11 नये प्रकरणों की स्वीकृति दी गई है। जिलेवार, व्यवसायवार, ऋणवार, राशिवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	जिला का नाम	व्यवसाय	ऋणवार	स्वीकृत ऋण राशि
1	रायपुर	ट्रैक्टर वाहन	1	8,44,280.00
		ई-रिक्शा वाहन	3	7,81,280.00
2	बेमेतरा	टेन्ट हाऊस	1	8,50,000.00
3	दंतेवाड़ा	सेन्ट्रिंग प्लेट	1	8,50,000.00
4	जशपुर	ट्रैक्टर ट्राली	2	18,40,250.00
5	बलौदाबाजार-भाटापारा	मेडिकल स्टोर्स	1	8,50,000.00
6	बलरामपुर	रेडीमेट गारमेन्ट एण्ड क्लाथ मर्चेन्ट	1	5,00,000.00
7	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	किराना दुकान	1	4,25,170.00

प्रदेश में संचालित नर्सिंग महाविद्यालय

[चिकित्सा शिक्षा]

62. (क्र. 630) श्री सुशांत शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने नर्सिंग कालेज कब-कब से कहाँ-कहाँ संचालित हैं ? कितने स्वयं के भवन में, कितने किराये के भवन में संचालित हैं ? किराये के भवन में संचालित नर्सिंग कालेजों हेतु राज्य शासन के क्या नियम निर्धारित हैं ? नियम की प्रति उपलब्ध करावें । **(ख)** प्रश्नांश "क" के संचालित महाविद्यालयों में नर्सिंग के कौन-कौन से पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं? इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से कितने महाविद्यालय मान्यता प्राप्त हैं? नर्सिंग कालेजों की सीट संख्या सहित, जिलेवार सूची उपलब्ध करावें । **(ग)** क्या प्रश्नांश "क" के संचालित सभी नर्सिंग कालेज, इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं? यदि नहीं तो क्या राज्य शासन को बिना काउंसिल की मान्यता के महाविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान करने तथा पाठ्यक्रम निर्धारण एवं सीट वृद्धि हेतु अधिकार है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से गैर मान्यता प्राप्त संचालित नर्सिंग कालेजों की जिलेवार सूची उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) छत्तीसगढ़ में 08 शासकीय, 123 निजी नर्सिंग

कॉलेज संचालित है इन मे से 111 स्वयं के भवन एवं 20 किराये के भवन में संचालित है। नर्सिंग कॉलेज संचालित वर्ष, स्थान एवं भवन की स्थिति की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''अ''** अनुसार हैं। नर्सिंग महाविद्यालयों के किराये के भवन में संचालन हेतु छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नया रायपुर के दिशा-निर्देश एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के मापदण्डों के नियम की प्रति **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के संचालित महाविद्यालयों में बी.एस.सी.नर्सिंग, एम.एस.सी.नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित हो रहे है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा नर्सिग कॉलेजो को मान्यता प्रदान न कर उपयुक्तता जारी करती है अपितु छत्तीसगढ़ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रायपुर द्वारा नर्सिग कॉलेजो को मान्यता प्रदान की जाती है। नर्सिंग कॉलेजों की सीट संख्या सहित, जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''स''** अनुसार है। **(ग)** इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली नर्सिंग कॉलेजो को मान्यता नहीं, उपयुक्तता जारी करता है। प्रश्नांश ''क'' के संचालित सभी नर्सिंग महाविद्यालयो को छत्तीसगढ़ स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है। शेष प्रश्न उद्‌भुत नहीं होता है।

खुज्जी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आँगनबाड़ी भवन, निर्माण एवं कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पद

[महिला एवं बाल विकास]

63. (क्र. 632) श्री भोलाराम साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 25/11/2024 की स्थिति में कौन-कौन से आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन हैं एवं कहां-कहां भवन जर्जर अवस्था में हैं और किन-किन आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद रिक्त है ? आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण एवं रिक्त पदों की पूर्ति कब तक पूर्ण की जाएगी ? विकासखंडवार जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 25/11/2024 की स्थिति में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** एवं जर्जर अवस्था वाले भवनों की विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र नरेटीटोला-02 में 01 कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी केन्द्र भोलापुर-01 में 01 सहायिका का पद रिक्त है। आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण एवं रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अस्सी"]

संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाएँ

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

64. (क्र. 634) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कहॉ-कहॉ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों के चिकित्सा उपचार के लिए कौन-कौन सी सुविधाएँ एवं आधुनिक मशीनें/उपकरण आदि की व्यवस्था है? जानकारी देवें **(ख)** कण्डिका 'क' के स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्ष 2021-2022 से दिनांक 26 नवम्बर, 2024 तक किन-किन मदों से कौन-कौन सी सामग्रियॉं/उपकरण/दवाई आदि किस एजेंसी/फर्म से क्रय किये गये हैं?वर्षवार, मदवार जानकारी देवें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''स'' एवं ''द''** अनुसार है।

बालोद जिले में अल्पकुपोषित, कुपोषित एवं अतिकुपोषितों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

65. (क्र. 636) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2021-2022 से दिनांक 26 नवम्बर, 2024 की अवधि में बालोद जिले में अल्पकुपोषित, कुपोषित एवं अतिकुपोषित मातृ व शिशु की संख्या कितनी है एवं इनके कुपोषण नियंत्रण हेतु उक्तावधि में कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विकासखण्डवार, वर्षवार बतावें। **(ख)** बालोद जिले में कितने पोषण पुनर्वास केन्द्र कहॉं-कहॉं पर संचालित हैं? कण्डिका 'क' के कितने कुपोषित बच्चों को इन पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती कराया गया तथा इनमें से कितने कुपोषित बच्चे सुपोषित हो कर वापस आये? जानकारी देवें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रश्नांश 'क' अनुसार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** बालोद जिले में कुल दो पोषण पुनर्वास केन्द्र क्रमशः बालोद एवं डौण्डी में संचालित है। इन पोषण पुनर्वास केन्द्रों में प्रश्नांश अवधि में 1227 बच्चों को भर्ती कराया गया जिनमें से 838 बच्चे सुपोषित होकर वापस आये।
[संलग्न "परिशिष्ट - इक्यासी "]

खुज्जी विधान सभा-क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

66. (क्र. 637) श्री भोलाराम साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2022 से 25 नवंबर 2024 तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत कितनी-कितनी राशि के, कौन-कौन से कार्य के कहां-कहां के लिए कार्यादेश जारी किए गए और इन कार्यों की निविदा कब-कब जारी की गई एवं टेंडर किस-किस फर्म को दिया गया, विकास खंडवार जानकारी उपलब्ध करावे? **(ख)** कंडिका "क" के स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति सहित विकासखंडवार जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र''** अनुसार है।

जिला बलरामपुर में नवाजतन एवं कुपोषण मुक्ती योजना के तहत आवंटित एवं व्यय राशि

[महिला एवं बाल विकास]

67. (क्र. 641) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बलरामपुर में वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषण मुक्ति एवं नवाजतन योजना के तहत कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ था ? वर्षवार एवं योजनावार जानकारी देवें ? **(ख)** प्राप्त आवंटन राशि का कब कब,किस किस कार्य में, कितनी कितनी राशि में व्यय किया गया? **(ग)** कुपोषण मुक्ति में कितने प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रश्नांश-'क' अनुसार बलरामपुर जिले में वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 तक महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बलरामपुर को कुपोषण मुक्ति से संबंधित योजनाओं पर आबंटित एवं व्यय राशि का विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** उक्त अवधि में नवाजतन योजना के लिए राशि का आबंटन अथवा व्यय नहीं किया गया है। **(ख)** प्राप्त आबंटन के विरूद्ध व्यय राशि का योजनावार विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** पोषण ट्रेकर नवम्बर 2024 के अनुसार उम्र के अनुसार वजन लेने पर राज्य में कुपोषण स्तर में एक वर्ष में 2.44 प्रतिशत् की कमी आई है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बयासी"]

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में आजीविका मिशन द्वारा प्राप्त राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

68. (क्र. 643) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** आजीविका मिशन विभाग द्वारा, एन. आर. एल. एम. अंतर्गत प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में विगत 03 वर्षो में कितनी राशि कितने कार्यो हेतु प्राप्त हुई? **(ख)** उक्त राशि में से कितने कार्य एजेंसी को कितनी राशि का भुगतान किया गया? **(ग)** क्या विभिन्न माध्यमों से मशीनरीज आदि का संचालन किया जाता है? यदि हां, तो जिले में कहां-कहां पर संचालन किया जा रहा है तथा वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या है? **(घ)** क्या विभाग द्वारा कर्मचारियों सहित अन्य हितग्राहियों के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है? यदि हां, तो विगत 03 वर्षो में प्रशिक्षण पर व्यय, परिक्षणार्थियों संख्या की जानकारी उपलब्ध करावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत विधानसभावार राशि का आबंटन नहीं किया जाता है। राज्य कार्यालय से सीधे जिले को राशि आबंटित किया जाता है। उक्त राशि विकासखण्डों से वार्षिक कार्ययोजना अनुरूप प्राप्त प्रस्तावों/देयकों अनुरूप जिले से भुगतान किया जाता है। **(ख)** उक्त राशि में से कार्य एजेंसी को किए गए भुगतान राशि का विवरण **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ग)** जी हॉ, योजना अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से मशीनरीज आदि का संचालन किया जाता है। जिले में कहां-कहां संचालन किया जा रहा है तथा वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या है, के संबंध में जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-ब''** अनुसार है। **(घ)** जी हॉ, योजना द्वारा कर्मचारियों सहित अन्य हितग्राहियों के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है। विगत 03 वर्षो में प्रशिक्षण पर व्यय, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-स''** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरासी"]

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी भवन निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

69. (क्र. 646) श्री धर्मजीत सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत दो वर्षों में कहां -कहां आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं? **(ख)** कंडिका "क" के प्राप्त आवेदनों में कितने आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत हुए हैं, कितने अस्वीकृत हुए हैं एवं कितने स्वीकृति हेतु लंबित हैं, विवरण दीजिए? **(ग)** कंडिका "ख" के लंबित आंगनबाड़ी भवन कब स्वीकृत कर लिये जाऐंगे विवरण देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** कंडिका ''क'' के प्राप्त आवेदन में सभी आंगनबाड़ी भवन जर्जर होने एवं उनके निष्प्रयोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से भवन स्वीकृति लंबित है। विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** लंबित आंगनबाड़ी भवनो की स्वीकृति के संबंध में **निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - चौरासी"]

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 50 बिस्तर अस्पताल खोलने जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

70. (क्र. 647) श्री धर्मजीत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 50 बिस्तर अस्पताल खोलने हेतु प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन हैं? **(ख)** यदि हां, तो क्या कंडिका "क" के प्रस्ताव अनुसार 50 बिस्तर अस्पताल खोलने हेतु निर्णय तो कब तक लिया जायेगा? नहीं तो कारण सहित जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जी नहीं। **(ख)** निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधवा एवं बीपीएल परिवार की पुत्री को विवाह के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि

[महिला एवं बाल विकास]

71. (क्र. 654) श्री संदीप साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विधवा एवं बीपीएल परिवार की पुत्री को विवाह के लिए अनुदान राशि देने का प्रावधान है? यदि हां, तो बलौदाबाजार भाटापारा जिले में वर्ष 2023-24 से 26.11.2024 तक कितने परिवार को कितनी -कितनी राशि अनुदान के रूप मैं दी गई है? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** उक्त योजना में कितने प्रकरण लंबित हैं, जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जी नहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विधवा एवं बीपीएल परिवार की पुत्री को विवाह के लिए अनुदान राशि देने काप्रावधान नहीं है,अपितु मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत पात्र परिवार की कन्या के विवाह के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन किये जाने का प्रावधान है। सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में प्रति कन्या प्रावधानित राशि 50,000/- रूपये में से विवाह आयोजन व्यवस्था एवं परिवहन पर राशि 8,000/- रूपये, वर-वधु के कपड़े एवं श्रृंगार सामग्री पर राशि 7,000/- रूपये व्यय किये जाने का एवं वधु को ड्राफ्ट/खाते में राशि 35,000/- रूपये दिये जाने का प्रावधान है। अतः विवाह के लिए अनुदान राशि दिये जाने का **प्रावधान न होने से शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ख)** प्रश्नांश की **जानकारी निरंक है।**

आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को वितरित की जाने वाली साड़ी की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

72. (क्र. 656) श्री संदीप साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-2025 में 25 नवम्बर, 2024 तक आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी प्रदाय करने केंद्र व राज्य शासन से राशि उपलब्ध कराई गयी है? यदि हाँ तो प्रति आँगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका हेतु कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई गयी है? वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका ''क'' अनुसार वर्षों में साड़ी खरीदने के लिए कितनी राशि कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के खातों में जमा की गईं है या उन्हें साड़ी खरीदकर दी गईं है? यदि खरीदकर दी गयी है तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष का क्रय आदेश कब दिया गया था? फर्म/संस्था कौन थी, फर्म के द्वारा कब साड़ी प्रदाय की गईं तथा फर्म को प्रति नग, किस दर से व कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया? **(ग)** वर्षवार बताए क्या साड़ी उसी वर्षो में क्रय न कर अगले वित्तीय वर्षों में क्रय की गयी है? यदि हाँ तो क्यों ? इस हेतु सक्षम स्वीकृति कब -कब ली गयी है तथा केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र / क्लैम कितनी राशि का व किस दिनांक को भेजा गया? वर्षवार जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जी हां। आंगनबाड़ी सेवायें अन्तर्गत प्रति कार्यकर्ता एवं सहायिका को दो नग यूनिफॉर्म दिये जाने का प्रावधान है। केन्द्रीय अंशदान 60 प्रतिशत् एवं राज्यांश 40 प्रतिशत् के मान से यूनिफॉर्म के लिए प्रति कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए 1000-1000 के मान से प्रति वर्ष राशि उपलब्ध होती है। वर्ष 2022-23 के लिए 939.47 लाख रूपये, वर्ष 2023-24 के लिए 939.30 लाख रूपये तथा वर्ष 2024-25 के लिए 1009.07 लाख रूपये उपलब्ध है। **(ख)** यूनिफॉर्म क्रय हेतु राशि कार्यकर्ताओं को देय नहीं है। राज्य भंडार क्रय नियम के नियम 8 अनुसार संचालक ग्रामोद्योग को उनके द्वारा निर्धारित दर पर प्रदाय आदेश दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 29.03.2023 को 500 रूपये की निर्धारित सीमा में यूनिफॉर्म प्रदाय का आदेश संचालक ग्रामोद्योग को दिया गया था। दिये गये आदेश व स्वीकृति अनुसार 939.46 लाख रूपये का भुगतान किया गया। वर्ष 2023-24 में संचालक ग्रामोद्योग द्वारा यूनिफॉर्म (साड़ी) का दर उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप प्रदाय आदेश जारी नहीं किया गया। वर्ष 2024-25 के लिए दरें प्राप्त हो गई है। प्रदाय आदेश हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** प्रश्नांश अवधि में जिस वर्ष के लिए राशि स्वीकृत हुई थी उसी वर्ष में प्रदाय आदेश दिया गया। अतः**शेष जानकारी निरंकहै।**

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में कार्यरत आउड सोर्सिंग कर्मचारी

[चिकित्सा शिक्षा]

73. (क्र. 659) श्री मोतीलाल साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में आउड सोर्सिंग कर्मचारियों के पद अनुसार भुगतान दर की जानकारी देवे? संस्थान में कितने आउड सोर्सिंग कर्मचारियों की निविदा की गई थी और संस्थान में वर्तमान में कितने आउड सोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत हैं? पृथक-पृथक जानकारी देवें। **(ख)** आउड सोर्सिंग कर्मचारियों को कितने अवकाश की पात्रता है एवं जो अवकाश उनके द्वारा लिया जाता है, क्या उसमें वेतन की कटौती विभाग की द्वारा की जाती है? **(ग)** यदि नहीं, तो क्या आउड सोर्सिंग एजेंसी को वेतन कटौती का अधिकार है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) डॉ.भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में आउट सोर्सिंग कर्मचारियों के पद अनुसार भुगतान, दर कर्मचारियों की निविदा एवं वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** आउट सोर्सिंग कर्मचारियों को नियमानुसार प्रतिमाह 04 साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाता है एवं साप्ताहिक अवकाश हेतु कर्मचारियों के वेतन में नियुक्तिकर्ता संस्था द्वारा कटौती नहीं की जाती है। **(ग)** आउट सोर्सिंग कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश पर वेतन की कटौती का अधिकार एजेंसी को नही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चासी"]

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह योजना में आवंटित बजट एवं व्यय राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

74. (क्र. 660) श्री मोतीलाल साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह योजना वर्तमान में संचालित है या नहीं? **(ख)** यदि हां तो योजनांतर्गत वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 तक कितना बजट आबंटन किया गया एवं कितनी राशि व्यय किया गया?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) विभाग अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह योजना संचालित नहीं है। **(ख)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मनरेगा से स्वीकृत कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

75. (क्र. 663) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक मनरेगा से कितने कार्य स्वीकृत हैं ? स्वीकृत कार्यो में कितने पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ हैं ? विकासखण्डवार बतावें ? **(ख)** क्या प्रश्नांश 'क' के स्वीकृत कार्यो की मजदूरी एवं मटेरियल का भुगतान हो चुका है ? यदि नहीं, तो कितनी राशि किन कारणों से लंबित है ? मजदूरी एवं मटेरियल का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ? **(ग)** क्या कार्यो की गुणवत्ता एवं फर्जी मस्टर रोल के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है विवरण देवें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के सम्पादित कार्यों का मजदूरी एवं सामग्री भुगतान पूर्ण हो चुका है। **(ग)** उक्त कार्यो की गुणवत्ता एवं फर्जी मस्टर रोल के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियासी"]

जिला-धमतरी अन्तर्गत थानों में दर्ज एफ.आई.आर.

[गृह]

76. (क्र. 664) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** जिला धमतरी अन्तर्गत जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2023 तक सभी थानों में दर्ज एफ.आई.आर.की संख्या थानावार बतावें? **(ख)** दर्ज एफ.आई.आर. के प्रकरणों में कितनों में कार्यवाही की गई?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) थानावार जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** पंजीबद्ध सभी प्रकरणों पर कार्यवाही की गयी है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तासी"]

ग्राम पंचायतों का परिसीमन प्रस्ताव तैयार किए जाने की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

77. (क्र. 671) श्री दलेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या त्रिस्तरीय पंचायतों का आम निर्वाचन वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायतों का परिसीमन प्रस्ताव तैयार किया गया है? यदि हॉ तो परिसीमन के संबध में प्रशासकीय निर्णय कब और किस स्तर पर लिया गया? राज्य के किन किन ग्राम पंचायतों का परिसीमन छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 के किन प्रावधानों व किन विशेष परिस्थितियों को आधार मानकर किया गया है? क्या वार्ड एवं क्षेत्र निर्धारण हेतु समय सारणी जारी की गयी है ? यदि हॉ तो किस विषय/संक्षेपिका के कार्यों का निष्पादन, किस-किस अधिकारी द्वारा कब कब किया गया? जिलेवार, ग्राम पंचायतवार परिसीमन की जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जी हाँ, त्रिस्तरीय पंचायतों का आम निर्वाचन वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायतों का परिसीमन प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रशासकीय निर्णय के अनुपालन में विभागीय अनुदेश क्रमांक 01, दिनांक 17.09.2024 एवं अनुदेश क्रमांक 03 दिनांक 09.10.2024 के द्वारा परिसीमन हेतु निर्देश जारी किए गए है। राज्य में ग्राम पंचायतों के परिसीमन से 70 नवीन पंचायतों का गठन हुआ है, गठन होने से अन्य 92 ग्राम पंचायत प्रभावित हुए थे इस प्रकार कुल 162 ग्राम पंचायत का परिसीमन हुआ है, (जिसकी सूची **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं ब''** अनुसार है)। जी हाँ, वार्ड एवं क्षेत्र निर्धारण हेतु समय-सारणी जारी की गयी है। जो कि परिसीमन से प्रभावित पंचायतों की वार्ड एवं क्षेत्र का निर्धारण एवं प्रकाशन संबंधी निर्देश छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी अनुदेश क्रमांक/दिनांक - क्रमशः 1/17.09.2024, 3/09.10.2024, 5/23.10.2024, 6/23.10.2024 एवं 7/06.12.2024 के माध्यम से समस्त जिला कलेक्टर को जारी किया गया है। जिलेवार, ग्राम पंचायतवार परिसीमन की जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं ब''** अनुसार है।

कबीरधाम जिले में क्रय किये गये वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जनरेशन मशीन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

78. (क्र. 675) श्रीमती भावना बोहरा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कबीरधाम जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 26 नवम्बर, 2024 तक किस-किस मद से वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जनरेशन मशीन कितनी-कितनी मात्रा में, किस-किस कंपनी से कब-कब क्रय की गई है ? विवरण बताइए । **(ख)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित ऑक्सीजन जनरेशन मशीन में से कितनी मशीन चालू हैं और कितनी मशीन बंद हैं ? वर्तमान में किस शासकीय संस्थान में इन मशीनों का उपयोग किया जा रहा है ? (ग़) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित अवधि में पीएम केयर्स से कितने वेंटीलेटर प्राप्त हुए और इनमें से वर्तमान में कितने वेंटीलेटर चालू स्थिति में हैं और कितने बंद/खराब हो चुके हैं?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) कबीरधाम जिले में प्रश्नांकित अवधि में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जनरेशन मशीन का क्रय नहीं किया गया। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं

होता। **(ग)** पीएम केयर्स से 01 वेंटिलेटर प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में चालू अवस्था में हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़कें

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

79. (क्र. 676) श्रीमती भावना बोहरा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 1 जनवरी, 2024 से 30 नवंबर, 2024 तक पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है ? **(ख)** कितनी सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृति हेतु लंबित हैं एवं लंबित सड़कों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी ? (ग) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों के मरम्मत हेतु 1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 तक की अवधि में कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई है ? किन-किन सड़कों की मरम्मत कब-कब की गई ? राशिवार विवरण दीजिए । **(घ)** क्या प्रश्नांश 'ग' में उल्लेखित मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में क्षेत्रवासियों द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ तो प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या कार्य की समुचित गुणवत्ता की जाँच की गई ? यदि हाँ तो जांच में प्राप्त दोषी कौन है ? दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) 01 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 तक पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएम-जनमन) के तहत 26 सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। **(ख)** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रस्तावित समस्त सड़कों की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। **(ग)** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत मरम्मत कार्य हेतु विधानसभावार/कार्यवार राशि प्राप्त नहीं होती बजट में एकमुश्त राशि प्रावधान किया जाता है। जिन सड़कों में मरम्मत कार्य कराया गया है, उन सड़कों में भुगतान की राशि का विवरण **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(घ)** प्रश्नांश 'ग' में उल्लेखित मरम्मत कार्यो के संबंध में क्षेत्रवासियों से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठासी"]

बस्तर संभाग में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

80. (क्र. 679) श्री कवासी लखमा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिसम्बर, 2023 से 15 नवम्बर, 2024 तक संभाग बस्तर में कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं ? जिलेवार, विकासखण्डवार, ग्राम पंचायत वार जानकारी देवें ? **(ख)** आवास स्वीकृति प्रदान करने के क्या मापदण्ड एवं नियम हैं ? प्रति आवास पर शासन द्वारा कितनी राशि प्रदान किया जाता है ? **(ग)** ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितनी-कितनी राशि प्रदान की जाती है ? क्या शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत राशि में अंतर है ? यदि हाँ तो क्यों ? **(घ)** क्या ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बराबर राशि स्वीकृत करने की शासन की कोई योजना है ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की जानकारी **निरंक** है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब एवं स''** अनुसार है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द''** अनुसार है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रति आवास हेतु राशि रूपये 1.20 लाख तथा पी.एम. जनमन योजनांतर्गत प्रति आवास राशि रू. 2.00 लाख प्रदान किया जाता है। **(ग)** प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स''** अनुसार है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत हितग्राहियों को अनुदान राशि रूपये 1.20 लाख प्रदान जाता है। जी हां, अनुदान राशि का निर्धारण राज्य शासन द्वारा नहीं किया जाता है, अतः कारण बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** जी नहीं।

जिला-सरगुजा में नि:शक्तजन हेतु सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण

[समाज कल्याण]

81. (क्र. 682) श्री प्रबोध मिंज : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला-सरगुजा में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में 26-11-2024 तक विकलांग व्यक्तियों हेतु किस एजेंसी द्वारा सामग्रियों की सप्लाई (ट्राई साईकिल, व्हील चेयर, श्रवण बाधित यंत्र एवं अन्य) किस-किस दर पर, कितनी-कितनी मात्रा में की जा रही है? जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** उक्त सामग्रियों की सप्लाई के विज्ञापनों में दिए गए नियम, शर्तों एवं गारंटियों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं? **(ग)** क्या सरगुजा जिले में वर्ष 2023-24 से दिनांक 26-11-2024 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई सामग्री के खराब होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हॉ, तो कितनों को उपरोक्त गारंटियों के अनुसार सामग्री को बदल कर नवीन सामग्री प्रदान की गयी है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी हाँ। नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है, गारंटी का उल्लेख नहीं है। **(ग)** जी हाँ। गारंटी के आधार पर कोई भी नवीन सामग्री प्रदान नहीं की गई है।
[संलग्न "परिशिष्ट - नवासी"]

विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा में रेडी टू ईट का वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

82. (क्र. 684) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत रेडी टू इट वितरण के लिए कुल कितने समूह अनुबंधित हैं? क्या सभी समूहों के द्वारा नियमित रूप से रेडी टू इट वितरण किया जाता है ? इसके एवज में समूहों को कितना और किस दर पर भुगतान किया जाता है? क्या रेडी टू इट का निर्माण स्व-सहायता समूहों से कराये जाने की शासन की योजना हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत रेडी टू ईट वितरण के लिए कुल 20 महिला स्व सहायता समहों का अनुबंध छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा किया गया है। जी हॉ, समूहों के द्वारा नियमित रूप से रेडी टू ईट का वितरण किया जाता है। समूहों को छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा 1/- रूपये प्रति किलोग्राम की दर से परिवहन राशि एवं मानदेय के रूप में राशि 15000/-रूपये मासिक, प्रति महिला स्व सहायता समूह को भुगतान किया जाता है। जी हॉ, समूहों को रेडी टू ईट निर्माण कार्य दिये जाने पर शासन द्वारा समुचित निर्णय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

83. (क्र. 685) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ग्राम धौराभाटा, बसंतपुर एवं घटगांव में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हॉ, तो इन ग्रामों में कब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभ किये जाऐंगे, जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : जी हां। वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धौराभाठा का संचालन उप स्वास्थ्य केन्द्र धौराभांठा, नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसंतपुर का संचालन उप स्वास्थ्य केन्द्र सरमडेगा तथा नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घटगांव का संचालन उप स्वास्थ्य केन्द्र मुडागांव में किया जा रहा है।

चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत मनरेगा से स्वीकृत कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

84. (क्र. 692) श्री रामकुमार यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर में मनरेगा के तहत वर्ष 2021-22 से दिनांक 26-11-2024 तक कितने कार्य स्वीकृत किये गए हैं ? इनकी अद्यतन स्थिति क्या है? विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या रोजगार गारंटी के तहत ग्रामों की गलियों में निर्माणाधीन नालियों का निर्माण सही हो रहा है, इसका निरीक्षण किया जा रहा है? यदि हां तो कितने नाली निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया गया है? बतावें? **(ग)** क्या कहीं कार्यों में लापरवाही किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है? बतावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 से दिनांक 26.11.2024 तक स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** जी हाँ। सभी 42 नाली निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया है। **(ग)** उपरोक्त कार्यों में लापरवाही किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश उद्भूत नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - नब्बे"]

रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों को स्थाई रोजगार

[तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

85. (क्र. 694) श्री अनुज शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला - रायपुर के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिये विभाग के द्वारा वर्ष 2021 से दिनांक 26/11/2024 तक रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प का आयोजन किस-किस स्थान में कब-कब किया गया?इन रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्पों हेतु विभाग द्वारा कितना-कितना व्यय किया गया ? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार इन रोजगार मेलों/प्लेसमेंट कैंप से कितने युवाओं को कंपनियों के द्वारा विभाग के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया एवं कितनों को विभाग के माध्यम से ज्वाईनिंग कराई गई? **(ग)**क्या विभाग द्वारा यह जानकारी ली जाती है कि रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को कंपनियों द्वारा स्थाई रोजगार प्रदान किया जा रहा है अथवा नहीं ? यदि हां तो प्रश्नांक 'क' की अवधि में रायपुर जिले में कितने शिक्षित बेरोजगारों को स्थाई रोजगार कंपनियों द्वारा इन रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प के माध्यम से प्रदान किया गया?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क)जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर में वर्ष 2021 से दिनांक 26.11.2024 तक रोजगार मेला/प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किस-किस स्थान में कब-कब आयोजन संबंधी जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। प्रति वित्तीय वर्ष में आयोजित किये गये रोजगार मेला/प्लेसमेंट कैंप में व्यय की गई राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।**(ख)**रोजगार मेला/प्लेसमेंट कैंप में शामिल होने वाले कंपनियों द्वारा युवाओं को नियुक्ति पत्र एवं ज्वाईनिंग पत्र प्रदान में कार्यालय की भूमिका नहीं होती है।**(ग)**नहीं। शेषांश का उत्तर दिया जाना उद्भुत नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इनक्यानबे"]

राज्य में इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सिंग कालेजों का संचालन

[चिकित्सा शिक्षा]

86. (क्र. 695) श्री अनुज शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)**राज्य में प्रश्न दिनांक तक कुल कितने नर्सिंग कालेजों का संचालन किया जा रहा है ?इनमे से कौन-कौन से कालेज शासन के तय मानकों के आधार पर स्वयं के भवन में एवं कौन-कौन से किराये के भवन में संचालित किये जा रहे हैं ? क्या किराये के भवनों में संचालित होने वाले नर्सिंग कालेजो से शासन द्वारा किसी प्रकार का पेनाल्टी या फाईन लिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां तो कितना और कितने समय तक यह पेनाल्टी या फाईन वसूल किया जा सकता है? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार किन-किन नर्सिंग कालेजो के द्वारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल

नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त की गई है? **(ग)** प्रश्नांक 'ख' अनुसार नर्सिंग कालेजो के द्वारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नहीं होने कि दशा में भी क्या नियमों को शिथिल कर राज्य शासन द्वारा नर्सिंग कालेजों को संचालन की अनुमति प्रदान की जा सकती है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) राज्य में 131 नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है। जिसमें 08 शासकीय, 123 निजी महाविद्यालय है। 111 स्वयं के भवन में तथा 20 किराये के भवन में संचालित है जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। भारतीय उपचर्या परिषद की अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई 2021 की कंडिका 10 (द) ''अपना भवन न होने पर जुर्माना:- जिन संस्थानों के पास स्थापना के दो वर्ष के भीतर अपना भवन नहीं है, उन्हें अपना भवन न होने के लिए जुर्माना देना पड़ता है। बी.एस.सी.नर्सिंग के लिए लगातार 6 वर्ष तक जुर्माने की राशि 1 लाख रूपए होगी।'' **(ख)** इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा नर्सिंग महाविद्यालयों को उपयुक्तता एवं छत्तीसगढ़ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रायपुर नर्सिंग महाविद्यालयांे को मान्यता प्रदान करती है। विगत वर्ष 131 नर्सिंग महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई है, जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। **(ग)** प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

जिला बेमेतरा अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत कार्यरत व रिक्त पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

87. (क्र. 699) श्री दीपेश साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बेमेतरा अंतर्गत शासन/जिला स्तर पर विगत 03 वर्षों में नियमित/संविदा आधार पर कितने प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी/तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर पदस्थापना की गई है? स्वास्थ्य केन्द्रवार, संख्यावार एवं नियुक्ति की समयावधि सहित जानकारी देवें? **(ख)** जिला बेमेतरा में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत कितने पद स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त है? विस्तृत जानकारी देवेंं? **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' के प्रकाश में क्या रिक्त पदों पर पदस्थापना किये जाने हेतु शासन की कोई कार्ययोजना है? यदि हां तो क्या एवं कब तक उक्त पदों की पूर्ति की जावेगी ? **(घ)** क्य जिला चिकित्सालय बेमेतरा में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सकीय स्टाॅफ न होने के कारण मरीजों को उचित स्वास्थ्य सुविधा नही मिल पा रही है ? स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''स'' एवं ''द''** अनुसार है। **(ग)** जी हां। चिकित्सकीय सुविधाओं के सुधार के लिए विभाग द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे है। वित्त निर्देश 18/2023 एवं 04/2024 के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संविदा नियुक्ति के तहत विशेषज्ञों/चिकित्सकों की भर्ती की कार्यवाही विभागीय ऑनलाईन के माध्यम से निरंतर की जा रही है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** जिला चिकित्सालय बेमेतरा में उपलब्ध मानव संसाधनों के द्वारा ओ.पी.डी. में आए मरीजों एवं भर्ती मरीजों को यथासंभव बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाता है।

मुख्यमंत्री पेंशन योजना एवं प्रदेश में संचालित पेंशन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रदत्त राशि

[समाज कल्याण]

88. (क्र. 705) श्री इंद्र साव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मुख्यमंत्री पेंशन योजना प्रदेश में कब से लागू की गई है ? क्या यह पेंशन योजना वर्तमान में प्रदेश में संचालित है या नहीं? जानकारी दें? **(ख)** प्रदेश में मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ किन-किन हिग्राहियों को दिया जाता है एवं इसके अंतर्गत कितनी-कितनी राशि दी जाती है? पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री पेंशन योजना के कितने लाभान्वित हितग्राही हैं ? जिलावार जानकारी दें? **(ग)** क्या यह सहीं है कि अक्टूबर 2023 से मुख्यमंत्री पेंशन योजना बंद कर दी गई है? यदि हां तो बंद करने के क्या कारण हैं? **(घ)** छ.ग. शासन द्वारा प्रदेश में कौन-कौन सी पेंशन योजनाएं वर्तमान में संचालित है एवं हितग्राहियों को इन योजनाओं के माध्यम से कितनी राशि पेंशन के रूप में प्रतिमाह दी जाती है? जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री पेंशन योजना 31 मई, 2018 से संचालित है। जी हां, वर्तमान में संचालित है। **(ख)** मुख्यमंत्री पेंशन योजना से वृद्ध, विधवा एवं विवाहोपरान्त परित्यक्त महिलाओं को लाभ दिया जाता है, हितग्राहियों को राशि रूपए 500/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन दी जाती है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है । **(ग)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रदेश में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाएं एवं हितग्राहियों को प्रतिमाह प्रदत्त पेंशन राशि की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	**योजना का नाम**		**प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन राशि**
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	60 से 79 वर्ष आयु वर्ग हेतु	500/-
		80 वर्ष या अधिक आयु वर्ग हेतु	650/-
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना		500/-
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना		500/-
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना		500/-
5.	सुखद सहारा योजना		500/-
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना		500/-

[संलग्न "परिशिष्ट - बयानबे"]

बस्तर एवं सुकमा जिले में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की घटनाएं

[गृह]

89. (क्र. 739) श्री किरण देव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर एवं सुकमा जिला में माह दिसम्बर, 2023 से 27 नवम्बर, 2024 तक कितनी पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की घटनाएं हुईं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के मुठभेड़ में कितने नक्सली मारे गए घटनावार, जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ग)** प्रश्नांक(क) के मारे गए नक्सली किस-किस नक्सली संगठन से थे एवं कौन-कौन से पद पर थे, जानकारी देवें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) बस्तर जिले में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की कोई घटना नहीं हुई है। सुकमा जिले में माह दिसम्बर, 2023 से 27 नवम्बर 2024 तक कुल 25 पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं। **(ख)** प्रश्नांक (क) के अनुसार पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में कुल 19 माओवादी मारे गये। घटनावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ग)** पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में मारे गये माओवादियों के संगठन एवं पद की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरानबे"]

नियद नेल्लानार योजनान्तर्गत कार्यो हेतु बजट प्रावधान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

90. (क्र. 786) श्री विक्रम मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य सरकार की नियद नेल्लानार (हमारा अच्छा गांव) योजना में प्रदेश के किन-किन जिलों को सम्मिलित किया गया है? योजनान्तर्गत किन-किन कार्यो का प्रावधान किया गया? योजना किस तिथि से प्रभावशील है? वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त योजना हेतु कुल कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया है? राशि का प्रबंधन अन्य किस-किस मद से किया गया है? मद का नाम राशि सहित बतावें? **(ख)** नियद नेल्लानार योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ तिथि से नवम्बर, 2024 तक किन-किन जिलों में कितने कार्यो हेतु, कितनी राशि स्वीकृत हुई है? कितनी राशि व्यय हुई है? जिलेवार जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) राज्य सरकार की नियद नेल्लानार (हमारा अच्छा गांव) पहल अंतर्गत प्रदेश के बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा एवं कांकेर जिलों को सम्मिलित किया गया है।

इस पहल अंतर्गत पृथक से कार्यो का प्रावधान नहीं किया गया है, वरन् शासन की विभिन्न चिन्हांकित सार्वजनिक सुविधाओं एवं व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजनाओं से चयनित ग्रामों को संतृप्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। यह पहल दिनांक 16 फरवरी, 2024 से प्रभावशील है। शेष प्रश्नांश की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-ब''** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौरानबे"]

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 631) की जानकारी

प्रपत्र

जिला राजनांदगांव अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में जेम पोर्टल से वर्ष 2023–24 से दिनांक 25–11–2024 तक क्रय की गयी सामग्री का विवरण

क्र	वर्ष	जेम पोर्टल से क्रय की गई सामग्री एवं उपकरण	मात्रा	क्रय किये गये सामग्री एवं उपकरण की जेम पोर्टल दर	क्रय किये गये सामग्री एवं उपकरण की निविदा दर	क्रय किये गये सामग्री एवं उपकरण की लागत	स्वास्थ्य संस्था से प्राप्त माग पत्र का विवरण	सी.जी.एम.एस.सी. से प्राप्त एन.ओ.सी. का विवरण
1	2023–24	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
1	2024–25	अम्बु बैग कीट	2	24990.00	495.00	49980.00	हाँ	सी.जी.एम.एस.सी. की ई.डी.एल.यूची मे उल्लेखित है। किन्तु वार्षिक मांगपत्र मे माग न कर पाने के करण एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं हुआ है।
2		डिजिटल थर्मामीटर	50	96.00	70.00	4800.00	हाँ	
3		ग्लास स्लाईड	3000	14.07	45.00	42210.00	हाँ	
4		गॉज थान	110	453.00	160.00	49830.00	हाँ	
5		ई.डी.टी.ए. ट्यूब	5000	9.78	1.85	48900.00	हाँ	
6		मास्क	5000	9.99	100.00	49950.00	हाँ	
7		इक्सामीनेशन ग्लोब्स	2500	19.99	169.00	49975.00	हाँ	
8		आई.व्ही.सेट	3500	25.00	नहीं	87500.00	हाँ	
9		एच.सी.व्ही. रेपीड टेस्ट	1100	43.19	400.00	47509.00	हाँ	
10		एन्टीसिरा एन्टी ए	1000	27.62	357.00	27620.00	हाँ	
11		एन्टीसिरा एन्टी बी	1000	28.57	357.00	28570.00	हाँ	
12		एन्टीसिरा एन्टी सी	1000	38.10	357.00	38100.00	हाँ	
13		सिरिज 5 एम.एल.	20000	5.00	1.60	100000.00	हाँ	
14		सिरिज 3 एम.एल.	25000	4.00	नहीं	100000.00	हाँ	
15		सिरिज 2 एम.एल.	14000	3.50	1.32	49000.00	हाँ	

उप संचालक (वि.सभा)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र 'अ'

जिला निर्माण समिति दन्तेवाड़ा अंतर्गत डी.एम.एफ. मद से स्वीकृत कार्यों की जानकारी

स. क्रं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि. मी.में)	निविदा (टेंडर) का दिनांक	पूर्ननिविदा (रिटेंडर) का दिनांक	निविदा राशि (लाख में)	लागत /अनुबंध राशि (लाख में)	कार्यादेश दिनांक	एजेंसी व प्रोपराईटरका नाम एवं पता	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बीटी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक (भाग– 01 से 13 तक)	5.75	जिला निर्माण समिति 23-08-2023	-	517.79	569.36	15.09.2023	आर्यन कंस्ट्रक्शन, (रितेश उप्पल) रायपुर, C1/48, सेक्टर –7 राजेन्द्र नगर रायपुर, पिन नं. 492001	–
2	बीटी सडक निर्माण कार्य मड़कामीरास से हिरोली हेल्थ सेण्टर तक 3.50 किमी. (भाग –01)	3.5	जिला निर्माण समिति 21-09-2022	-	198.65	218.71	03.01.2023	मेसर्स अवधेश सिंह गौतम, ठाकुरपारा नकुलनार, जिला दन्तेवाड़ा, पिन नं. 494552	–
3	बीटी सडक निर्माण कार्य हिरोली हेल्थ सेण्टर से हिरोली कैम्प डोकापारा तक 3.50 किमी. (भाग –02)	3.5	जिला निर्माण समिति 21-09-2022	-	198.65	218.71	03.01.2023	मेसर्स अवधेश सिंह गौतम, ठाकुरपारा नकुलनार, जिला दन्तेवाड़ा, पिन नं. 494552	–

Superintending Engineer
CGRRDA
Raipur, (C.G.)

प्रपत्र 'ब'

जिला निर्माण समिति दन्तेवाड़ा अंतर्गत डी.एम.एफ. मद से स्वीकृत कार्यों की जानकारी

स. क्रं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.में)	दर अनुसूचि अनुसार मिट्टी कार्य हेतु प्रति घन मीटर की निर्धारित दर (रूपये में)	ठेकेदार का निविदा दर	स्वीकृत निविदा दर मिट्टी कार्य हेतु प्रति घन मीटर के लिये देय राशि (रूपये में)	मिट्टी कार्य की लागत निविदा दर के अनुसार (लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बीटी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक (भाग– 01 से 13 तक)	5.75	246	9.96 % Above	270.5	75.65	
2	बीटी सड़क निर्माण कार्य मड़कामीरास से हिरोली हेल्थ सेण्टर तक 3.50 किमी. (भाग –01)	3.5	246	10.10 % Above	270.85	95.13	
3	बीटी सड़क निर्माण कार्य हिरोली हेल्थ सेण्टर से हिरोली कैम्प डोकापारा तक 3. 50 किमी. (भाग –02)	3.5	246	10.10 % Above	270.85	95.13	
योग						**265.91**	

Superintending Engineer
DGRRDA
Raipur, (C.G.)

परिशिष्ट - तीन

तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 164) की जानकारी

"प्रपत्र-अ"

जनपद पंचायतों हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन संबंधित की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	जनपद पंचायत की संख्या	वर्ष 2019–20 में जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की संख्या	वर्ष 2024–25 में जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की संख्या	यदि किसी जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन हुआ है तो संख्या	जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन उपरांत यथावत रहने वाले क्षेत्रों संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	सरगुजा	7	116	121	5	116
2	जशपुर	8	139	139	0	139
3	सुरजपुर	6	125	126	20	106
4	बलरामपुर	6	120	120	23	97
5	कोरिया	2	35	0	0	0
6	मनेन्द्रगढ –चिरमिरी–भरतपुर	3	47	47	1	46
7	बिलासपुर	4	100	100	4	96
8	मुंगेली	3	75	75	4	71
9	कोरबा	5	114	114	0	114
10	जांजगीर–चांपा	5	112	113	21	92
11	रायगढ़	7	209	159	2	157
12	गौरेला–पेण्ड्रा –मारवाही	3	50	48	02	46
13	सक्ती	4	97	97	0	97
14	सारंगढ–बिलाईगढ	3	75	75	31	44
15	रायपुर	4	100	100	14	86
16	बलौदाबाजार	5	125	125	2	123
17	गरियाबंद	5	105	103	2	101
18	महासमुंद	5	124	124	0	124
19	धमतरी	4	98	98	0	98
20	दुर्ग	3	74	74	2	72
21	बालोद	5	101	101	2	99
22	बेमेतरा	4	97	97	6	91
23	राजनादंगांव	4	95	95	4	91
24	कबीरधाम	4	100	100	5	95
25	खैरागढ–छुईखदान –गंडई	2	50	50	0	50
26	मोहला–मानपुर–अं. चौकी	3	47	47	0	47
27	बस्तर	7	113	113	0	113
28	कोण्डागांव	5	97	97	0	97
29	दंतेवाडा	4	45	45	8	37
30	सुकमा	3	46	46	7	39
31	कांकेर	7	115	115	0	115
32	नारायणपुर	2	28	28	0	28
33	बीजापुर	4	46	46	0	46
	कुल योग	146	3020	2938	163	2773

संचालक
पंचायत संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

जनपद पंचायतों हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन संबंधित जानकारी की जानकारी

प्रपत्र "क"

क्र.	जिला का नाम	जनपद पंचायत की संख्या	वर्ष 2019–20 में जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की संख्या	वर्ष 2024–25 में जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की संख्या	परिसीमन उपरांत सीमा में परिवर्तन उपरांत जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सरगुजा	7	116	121	5
2	जशपुर	8	139	139	0
3	सुरजपुर	6	125	126	20
4	बलरामपुर	6	120	120	23
5	कोरिया	2	35	0	0
6	मनेन्द्रगढ –चिरमिरी–भरतपुर	3	47	47	1
7	बिलासपुर	4	100	100	4
8	मुंगेली	3	75	75	4
9	कोरबा	5	114	114	0
10	जांजगीर–चांपा	5	112	113	21
11	रायगढ़	7	209	159	2
12	गौरेला–पेण्ड्रा –मारवाही	3	50	48	02
13	सक्ती	4	97	97	0
14	सारंगढ–बिलाईगढ	3	75	75	31
15	रायपुर	4	100	100	14
16	बलौदाबाजार	5	125	125	2
17	गरियाबंद	5	105	103	2
18	महासमुद	5	124	124	0
19	धमतरी	4	98	98	0
20	दुर्ग	3	74	74	2
21	बालोद	5	101	101	2
22	बेमेतरा	4	97	97	6
23	राजनादंगांव	4	95	95	4
24	कबीरधाम	4	100	100	5
25	खैरागढ–छुईखदान–गंडई	2	50	50	0
26	मोहला–मानपुर–अं. चौकी	3	47	47	0
27	बस्तर	7	113	113	0
28	कोण्डागांव	5	97	97	0
29	दंतेवाडा	4	45	45	8
30	सुकमा	3	46	46	7
31	कांकेर	7	115	115	0
32	नारायणपुर	2	28	28	0
33	बीजापुर	4	46	46	0
	कुल योग	**146**	**3020**	**2938**	**163**

संचालक
पंचायत संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
एवं ग्रामीण विकास विभाग
भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

जिला सारंगढ–बिलाईगढ़ में परिसीमन उपरांत प्रभावित जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों की जानकारी

प्रपत्र-"स"

क्र.	जिला का नाम	जनपद पंचायत का नाम	प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	रिमार्क
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बरमकेला	2	
2		सारंगढ़	15	
3		बिलाईगढ़	14	
		0	31	

संचालक
पंचायत संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 624) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

क.	विकासखंड का नाम	संस्था का प्रकार	नियमित चिकित्सक			संविदा चिकित्सक		
			स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	आरंग	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आरंग	8	3	5	1	0	1
2		सिविल अस्पताल सेक्टर –25,नया रायपुर	18	7	11	1	1	0
3		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मंदिरहसौद	8	1	7	0	0	0
4		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फरफौद	1	0	1	0	0	0
5		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भानसोज	1	1	0	0	0	0
6		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरूदकुटेला	1	1	0	0	0	0
7		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदखुरी	1	1	0	0	0	0
8		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रीवा	1	1	0	0	0	0
9		हमर क्लीनिक गुमराभाठा	0	0	0	1	1	0
कुल			39	15	24	3	2	1

उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक के पद स्वीकृत नहीं होते है।

उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रपत्र "ब"

क्रं.	संस्था का नाम	उपलब्ध उपकरणों के नाम
1	सामु.स्वा.केन्द्र आरंग	एक्सरें
		डेन्टल चेयर
		नेत्र परीक्षण–कप्म्यूटराईज्ड
		ऑटोरिफ्रैक्टोमीटर
		स्लीट लैम्प
		ओ.टी. टेबल
		आक्सीजन कान्सन ट्रेटर मशीन
		फ्यूमीगेशन मशीन
		सेडोलेस लेम्प
		कार्डियक मॉनीटर
		बॉयोकेमेस्ट्री
2	सामु.स्वा.केन्द्र मंदिरहसौद	एक्सरें
		सोनोग्राफी
		ई.सी.जी. मशीन
		कार्डियक मॉनीटर
		फ्यूमीगेशन मशीन,
		सेडोलेस लेम्प
		डेन्टल चेयर
		आक्सीजन कान्सन ट्रेटर मशीन
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,कुरूद कुटेला	फ्यूमीगेशन मशीन,
		सेडोलेस लेम्प
		आक्सीजन कान्सन ट्रेटर मशीन
		स्लीट लैम्प
		रेडियंट वार्मर
		ऑटोक्लेव
		सी.बी.सी. मशीन

क्रं.	संस्था का नाम	उपलब्ध उपकरणों के नाम
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,चंदखुरी	फ्यूमीगेशन मशीन,
		सेडोलेस लेम्प
		आक्सीजन कान्सनट्रेटर मशीन
		रेडियंट वार्मर
		ऑटोक्लेव
		रेफ्रीजरेटर
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रीवां	फ्यूमीगेशन मशीन,
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रीवां	सेडोलेस लेम्प
		आक्सीजन कान्सनट्रेटर मशीन
		स्लीट लैम्प
		सी.बी.सी. मशीन
		ऑटोक्लेव
		रेफ्रीजरेटर
		आक्सीजन कान्सनट्रेटर मशीन
		सी.बी.सी. मशीन
		ऑटोक्लेव
		रेफ्रीजरेटर
		रेडियंट वार्मर
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फरफौद	फ्यूमीगेशन मशीन,
		सेडोलेस लेम्प
		आक्सीजन कान्सनट्रेटर मशीन
		स्लीट लैम्प
		रेडियंट वार्मर
		ऑटोक्लेव
		रेफ्रीजरेटर
		सी.बी.सी. मशीन
		रेडियंट वार्मर
9	50 बिस्तर सिविल अस्पताल सेक्टर–25 राखी	एक्सरें
		ई.सी.जी. मशीन

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
संचालनालय छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रपत्र

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

(राशि रूपये लाख में)

विधान सभा क्षेत्र	स्थायी प्रतीक्षा सूची /आवास प्लस	कुल शामिल हितग्राहियों की संख्या	कुल स्वीकृत हितग्राही संख्या	स्वीकृत राशि	स्वीकृति हेतु कुल शेष हितग्राही संख्या	स्वीकृति हेतु कुल शेष राशि
मुंगेली	स्थायी प्रतीक्षा सूची	27563	26269	31522.80	1294	1186.80
	आवास प्लस	16395	2897	3476.40	2684	3220.80
योग		**43958**	**29166**	**34999.20**	**3978**	**4407.60**

(चन्द्रप्रकाश पात्रे)
उपायुक्त
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़, मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
पुराना कार्य, मंत्रालय, अटल नगर, नया रायपुर

परिशिष्ट - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 502) की जानकारी

प्रपत्र

जिला रायगढ़ अंतर्गत आंगनबाड़ी भवन निर्माण की जानकारी

क्र0	विकासखंड का नाम	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र का संख्या	स्वयं के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र का संख्या	किराये के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र का संख्या	भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	जर्जर भवन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	धरमजयगढ़	589	471	68	118	51
2	घरघोडा	226	179	22	47	11
3	रायगढ़	434	246	148	188	25
4	पुसौर	331	265	27	66	29
5	लैलूंगा	467	327	87	140	47
6	खरसिया	421	291	57	130	47
7	तमनार	238	215	4	23	13
योग		**2706**	**1994**	**413**	**712**	**223**

परिशिष्ट - सात

तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 19) की जानकारी

प्रपत्र

क्रमांक	वर्ष	रेफर मरीजों की संख्या
1	2022	1344
2	2023	1168
3	2024	981

उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 591) की जानकारी

"प्रपत्र"

दिसम्बर 2023 से 24 नवंबर 2024 तक क्रय की गई दवा/मात्रा/दर/एजेंसी की जानकारी

क्रमांक	दवा का नाम	दर	मात्रा	प्रदाय एजेंसी का नाम
1	टैब ऑनडानसेट्रॉन	0.44	100	अपेक्स फार्मा रायपुर
2	इंजेक्शन रेनिटिडाइन एचसीएल	1.12	9330	अपेक्स फार्मा रायपुर
3	सिरप एमोक्सिसिलिन	15.46	5500	अपेक्स फार्मा रायपुर
4	ब्लीचिंग पाउडर	1920.00	160	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
5	कैपसूल ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम	0.78	1220	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
6	इंजेक्शन अमीकासिन 500 मि.ग्रा	15.25	1077	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
7	इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन 1 ग्राम	24.80	9666	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
8	इंजेक्शन सिप्रोफ्लोक्सासिन	35.00	2000	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
9	सिप्रोफ्लोक्सासिन 100 मि.ली.	35.00	2456	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
10	मलहम पोविडोन आयोडीन	10.40	50300	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
11	सिरप ब्रोमहेक्सिन 60 मि.ली	19.75	14964	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
12	सिपर सेट्रिजिन 30 मि.ली	14.40	5000	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
13	टैब एमोक्सिसिलिन	8.80	121550	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
14	टैब सेफिक्सिम 200 मि.ग्रा	3.97	150000	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
15	टैब मिथाइलकोबालामाइन	2.50	27500	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
16	इंजेक्शन पेरासिटामोल	5.57	5000	हितेन्द्र इंटरप्राइजेज रायपुर
17	इंजे रेनटिडीन	5.95	15000	हितेन्द्र इंटरप्राइजेज रायपुर
18	टैब क्लोरीन	319.00	1000	हितेन्द्र इंटरप्राइजेज रायपुर
19	टैब सिप्रोफॉक्सासिन 500 मि.ग्रा	5.70	2000	हितेन्द्र इंटरप्राइजेज रायपुर
20	टैब डाइसाइक्लोमाइन 100 मि.ग्रा	45.00	48400	हितेन्द्र इंटरप्राइजेज रायपुर

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

	दवा का नाम	दर	मात्रा	प्रदाय एजेंसी का नाम
21	टैब डॉक्सीसाइक्लिन 100 मि.ग्रा	3.00	37500	हितेन्द्र इंटरप्राइजेज रायपुर
22	टैब फ्लुकोनाजोल 150 मि.ग्रा	4.70	20000	हितेन्द्र इंटरप्राइजेज रायपुर
23	टैब टेल्मिसर्टन 40 मि.ग्रा	1.25	100000	हितेन्द्र इंटरप्राइजेज रायपुर
24	इंजेक्शन पेंटाजोसिन 30 मि.ग्रा	10.72	576	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
25	सिरप डोडेप 60 मि.ली	336.00	200	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
26	सिरप फ्लॉक्सेटिन 600 मि.ली	151.20	200	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
27	सिरप लैक्टालोज 100 मि.ली	75.03	1330	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
28	टैब एमिसुलप्राइड 500 मिलीग्राम	48.16	550	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
29	टैब बैक्लोफेन 10 मिलीग्राम	23.80	225	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
30	टैब कैल्शियम. विटामिन डी3	0.62	3000	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
31	टैब कोट्रिमोक्साजोल	1.75	43000	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
32	टैब क्यूविटा फोर्टे	60.53	33	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
33	टैब डाइक्लोफेनाक सोडियम	0.39	208300	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
34	टैब फोलिक एसिड 50 मि.ग्रा	32.48	500	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
35	टैब लेवेतिरसेटम 500 मिलीग्राम	47.80	400	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
36	टैब न्यूट्रफास	70.80	144	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
37	टैब ओमेप्राजोल 200 मिलीग्राम	0.90	4000	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
38	टैब ऑक्सकार्बाजेपाइन 150 मि.ग्रा	10.64	12000	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
39	टैब क्वेंटियापाइन 100 मिलीग्राम	7.00	9000	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
40	टैब क्वेंटियापाइन 200 मिलीग्राम	9.80	2700	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
41	टैब क्वेंटियापाइन 50 मिलीग्राम	4.76	7000	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
42	टैब रोस्पेरिडोन 3एमजी. टीएचपी	35.00	400	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
43	टैब सेर्टालिन 50 मि.ग्रा	30.10	200	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
44	टैब थाइमाइन 100 मि.ग्रा	28.92	205	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
45	टैब ट्राइहेक्सीफेनिडिल 20 मिलीग्राम	18.00	1020	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
46	टैब. बिसाकोडिल	0.85	3500	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
47	टैब. ट्रेनेक्जामिक एसिड	10.60	300	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
48	टैब एस्किटुलोप्रोम. लोमेज	7.28	1700	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर

	दवा का नाम	दर	मात्रा	प्रदाय एजेंसी का नाम
49	ओइंट बेटनोवेट	41.15	90	मालू मेडिकल स्टोर महासमुंद
50	कैप इमैटिनएलबी मेसाइलेट 400	100.80	1	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
51	इंजे कैल्शियम ल्यूकोवोरिन 50 मिलीग्राम	268.80	2	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
52	इंजे कार्बापेटिन 450	2240.00	2	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
53	इंज सिस्प्लैटिन 50 मिलीग्राम	369.60	2	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
54	इंजे डोकेटेक्सेल 120 मिलीग्राम	6160.00	2	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
55	इंजे एपिरुबिसिन 100 मिलीग्राम	2079.00	2	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
56	इंजे जेमसेटाबाइन 1.4 मि.ग्रा	7840.00	1	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
57	इंज मेथोट्रैक्सेट 50 मिलीग्राम	82.11	3	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
58	इंजे ऑक्सालिप्लाटिन 100 मिलीग्राम	2283.75	2	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
59	इंजे पैक्लिटैक्सेल 260 मिलीग्राम	5600.00	2	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
60	इंजे जोल्ड्रोनिक एसिड 4 मिलीग्राम	892.50	2	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
61	टैब कैपेसिटाबाइन 500 मिलीग्राम	47.05	2	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
62	टैब टैमोक्सीफेन 20 मिलीग्राम	2.80	4	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
63	इंजे विन्क्रिस्टिन 1 मिलीग्राम	60.90	1	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
64	टेबलेट थायमिन हाइड्रोक्लोराइड (विट बी1) 100 मि.ग्रा	28.92	105	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
65	टेबलेट बैक्लोफेन 10 मि.ग्रा	23.80	110	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
66	टेबलेट क्वेटियापाइन 50 मि.ग्रा	47.60	200	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
67	टेबलेट क्वेटियापाइन 200 मि.ग्रा	98.00	20	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
68	टेबलेट लेवेट्रिसेटम 500 मि.ग्रा	4.78	1500	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
69	टैबलेट रेस्पेरिडोन 3एमजी़टीएचपी 2एमजी	35.00	240	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
70	टेबलेट टीएचपी 2एमजी	18.00	300	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
71	टेबलेट ऑक्सकार्बाजेपाइन 150 मि.ग्रा	106.40	270	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर

	दवा का नाम	दर	मात्रा	प्रदाय एजेंसी का नाम
72	टेबलेट डिवापोरेक्स सोडियम 500 मि.ग्रा	78.40	30	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
73	टैबलेट एसिटालोप्राम10एमजीक्लोनाजेपम 0.5 एमजी	72.80	150	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
74	टेबलेट ऑक्सकार्बाजेपाइन 300 मि.ग्रा	168.00	500	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
75	टेबलेट डिवापोरेक्स सोडियम 250 मि.ग्रा	54.32	400	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
76	टेबलेट डिवापोरेक्स सोडियम 500 मि.ग्रा	78.40	400	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
77	टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 मि.ग्रा	11.80	30000	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
78	टैब क्लोरफेनिरामाइन मैलेट आईपी 4एमजी	0.32	50000	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
79	टैबलेट इबुप्रोफेन 200 मिलीग्राम	1.20	31000	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
80	टैबलेट पेनिसिलिन 250 मिलीग्राम वी (फेनोक्सिमिथाइल पेनिसिलिन)	4.00	493	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
81	पोविडोन आयोडीन 5: मरहम 15 मिलीग्राम	10.40	500	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
82	टेबलेट मेट्रोनिडाजोल 400 मि.ग्रा	1.25	40000	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
83	टेबलेट निफेडिपिन 10 मि.ग्रा	2.00	1000	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
84	टेबलेट ओमेप्राजोल 20 मि.ग्रा	0.78	60000	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
85	टैब एजिथ्रोमाइसिन 250 मि.ग्रा	11.00	50000	देविका मेडिकल सर्जिकल धमतरी
86	इंज. डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट 4एमजी एमएल	6.84	9400	हितेन्द्र इंटरप्राईजेस रायपुर
87	जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शनरू 40 मिलीग्राम एमएल (2मिली=80मिलीग्राम)	6.40	4710	हितेन्द्र इंटरप्राईजेस रायपुर

	दवा का नाम	दर	मात्रा	प्रदाय एजेंसी का नाम
88	डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल 100 मिलीग्राम	3.00	29000	हितेन्द्र इंटरप्राईजेस रायपुर
89	इंज. रेनिटिडीन एचसीएल 2 मि.ली	5.95	20000	हितेन्द्र इंटरप्राईजेस रायपुर
90	टेबलेट फ्लुकोनाजोल 150 मि.ग्रा	4.70	2000	हितेन्द्र इंटरप्राईजेस रायपुर
91	टेबलेट लेवोथायरोक्सिन सोडियम 50 मि.ग्रा	3.00	400	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
92	टैबलेट ओन्डेनसेट्रॉन 4एमजी	0.44	20000	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
93	इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट	6.38	500	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
94	पेंटाजोसाइन इंजेक्शनरू 30 मिलीग्राम मिली	9.57	3638	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
95	टेबलेट अमोक्सिसिलिन 500 मि.ग्रा	3.18	40000	महेन्द्रा इंटरप्राईजेस रायपुर
96	टैबलेट नोरफ्लॉक्सासिन 400 मि. ग्रा	4.60	30000	महेन्द्रा इंटरप्राईजेस रायपुर
97	पैरासिटामोल सिरप 125एमजी (60एमएल)	15.50	15030	महेन्द्रा इंटरप्राईजेस रायपुर
98	फेनोबार्बिटोन सिरप 20 मिलीग्राम 5 मिलीलीटर (60 मिलीलीटर)	120.00	400	महेन्द्रा इंटरप्राईजेस रायपुर
99	साल्बुटामोल एसिरप 2 मिलीग्राम 5 मिलीलीटर (100 मिलीलीटर)	12.75	2000	महेन्द्रा इंटरप्राईजेस रायपुर
100	बिसाकोडिल टैब 10 मिलीग्राम	0.81	5500	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
101	कैलामाइन लोशन 20: 100 मि.ली	36.23	1000	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
102	म्यूपिरोसिन क्रीम 5 मि.ग्रा	36.80	400	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
103	एमोक्सिसिलिन्क्लैवुनिक एसिड 228.5 ओरेल सस्पें.	48.16	2076	ट्रस्ट फार्मा रायपुर
104	एमोक्सिसिलिन्क्लैवुनिक एसिड 375 टैबलेट आईपी	141.90	70	ट्रस्ट फार्मा रायपुर
105	मल्टीविटामिन +. मल्टीमिनरल सिरप	33.04	650	ट्रस्ट फार्मा रायपुर
106	सेफिक्सिम टैबलेट आईपी 100	56.34	52	ट्रस्ट फार्मा रायपुर

	दवा का नाम	दर	मात्रा	प्रदाय एजेंसी का नाम
107	मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट आईपी	11.98	46	ट्रस्ट फार्मा रायपुर
108	प्रेडनिसोलोन 5 मि.ग्रा	1.34	800	ट्रस्ट फार्मा रायपुर
109	माइक्रोनाजोल नाइट्रेट 2: क्रीम	21.28	2003	ट्रस्ट फार्मा रायपुर
110	हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड टैबलेट 25 मिलीग्राम	1.34	5000	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
111	हाइड्रोजन पेरोक्साइड साल्यू. 6:	34.72	1000	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
112	आइसोसोरबाइड–5– मोनोनिट्रेट टैबलेट 5 मिलीग्राम	2.13	5000	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
113	इस्पघुला ग्रैन्यूल हस्क पाउडर	165.76	200	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
114	मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन (50: साल्यू.) 2 मिलीलीटर	5.04	3000	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
115	मेटफॉर्मिन एसआर टैबलेट 500 मिलीग्राम	1.01	3000	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
116	मेटोप्रोलोल एसआर टैबलेट 25 मिलीग्राम	1.57	5000	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
117	मेटोप्रोलोल टैबलेट 25 मिलीग्राम	1.46	5000	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
118	मेट्रोनिडाजोल टैबलेट 200 एमजी	0.84	5000	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
119	माइक्रोनाजोल मरहम	13.44	2550	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
120	नार्मल सलाईन	23.52	1500	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
121	ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट 400 मिलीग्राम	4.70	5000	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
122	फेनोबार्बिटोन टैबलेट 60 मिलीग्राम	2.13	5000	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
123	पाइरिडोक्सिन टैबलेट 100 मि.ग्रा	2.91	5000	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
124	पाइरिडोक्सिन टैबलेट 25 मि.ग्रा	1.79	5000	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
125	फेनोबार्बिटोन टैबलेट 30 मिलीग्राम	1.68	3000	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
126	जिंक ऑक्साइड क्रीम 10:	110.88	406	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
127	एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन सी) टैबलेट 100 मिलीग्राम	1.18	25000	वेदांश फार्मास्यूटिकल्स रायपुर

	दवा का नाम	दर	मात्रा	प्रदाय एजेंसी का नाम
128	एल्बेंडिम इंजेक्शन 1 मिलीग्राम एक्यूम	5.60	4000	वेदांश फार्मास्यूटिकल्स रायपुर
129	बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट	0.90	30000	वेदांश फार्मास्यूटिकल्स रायपुर
130	बीटामेथासोन क्रीम 0.05	14.56	1000	वेदांश फार्मास्यूटिकल्स रायपुर
131	बेजाइल बेंजोएट मरहम लोशन	35.84	1000	वेदांश फार्मास्यूटिकल्स रायपुर
132	डेक्सट्रोज 25	39.20	1000	वेदांश फार्मास्यूटिकल्स रायपुर
133	कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट 500 मिलीग्राम	0.78	20000	वेदांश फार्मास्यूटिकल्स रायपुर
134	फ्यूरोसेमाइड टैबलेट 40 मिलीग्राम	1.57	10000	वेदांश फार्मास्यूटिकल्स रायपुर
135	क्लोट्रिमेजोल क्रीम 1:	16.80	2000	वेदांश फार्मास्यूटिकल्स रायपुर
136	गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड	19.04	2103	वेदांश फार्मास्यूटिकल्स रायपुर
137	ग्लिबेंक्लामाइड टैबलेट 2.5 मिलीग्राम	0.56	15000	वेदांश फार्मास्यूटिकल्स रायपुर
138	ग्लिबेंक्लामाइड टैबलेट 5 मिलीग्राम	0.67	15000	वेदांश फार्मास्यूटिकल्स रायपुर
139	ग्लिमेपिराइड टैबलेट 2 मिलीग्राम	0.54	15000	वेदांश फार्मास्यूटिकल्स रायपुर
140	इज. हेपेटाइटिस–बी वैक्सीन	472.50	251	एलीगेंस मेडिटेक रायपुर
141	इंज. हेपेटाइटिस–बी इम्यूनोग्लोबिन	4593.77	22	एलीगेंस मेडिटेक रायपुर
142	इंजे– टिटेनस टाक्साईड वायल	41.00	200	राईटमेड फार्मेसी रायपुर
143	इंजे– टिटेनस टाक्साईड एम्पूल	9.63	1080	कोल्ड चेन फार्मासियुटिकल्स रायपुर
144	इंजे– एड्रेनलीन ,म्पूल	13.69	228	अग्रवाल मेडिकल स्टोर्स बसना
145	टेबलेट डेपिन	2.93	290	बिग प्लस आर्गेनिक्स रायपुर
146	इंजे–डेरिफाईलिन	11.08	112	बिग प्लस आर्गेनिक्स रायपुर

	दवा का नाम	दर	मात्रा	प्रदाय एजेंसी का नाम
147	टेबलेट सेफिक्सिम	10.06	9000	बिग प्लस आर्गेनिक्स रायपुर
148	टैब. डिक्लोफैनैक सोडियम 50 मि. ग्रा	1.66	5000	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
149	टैब. ऑक्साकार्बाजेपाइन 300 मि. ग्रा	4.00	200	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
150	टैब. फिनाइटोइन 100 मि.ग्रा	5.50	300	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
151	टैब. ट्राइहेक्साफेनीडल 2 मि.ग्रा	7.00	500	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
152	इंज. ओंडासेट्रॉन 4एमजी	4.00	200	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
153	इंज. ट्रैनेक्समिक एसिड 5 मि.ली	12.00	100	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
154	इंज. फेनरामीन 1 मि.ली	4.00	300	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
155	टैब. लिओसेट्रिजिन और मोंटेलुकास्ट	2.16	180	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
156	टैब. एम्लोडिपिन और टेल्मिसर्टन	2.40	360	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
157	एसआईपी. ब्रोमहेक्सिन	25.00	4	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
158	टैब. कार्वेडीलाल 625	1.27	336	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
159	टैब. एटोरवास्टेटिन और एस्प्रिन और क्लोपाडिग्रिल	4.56	550	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
160	टैब. ग्लिमेप्राइड और मेटफॉर्मिन	2.13	420	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
161	टैब. एस्प्रिन 75	0.30	300	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
162	टैब. ओल्मेसार्टन 40	3.60	360	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
163	टैब. एटोरवेटेटिन 40	2.20	400	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
164	टैब. हाइड्रोक्लोर्थाजडे 12.5	1.38	460	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
165	टैब. टेल्निग्लिप्लिन और मेटफॉर्मिन	3.04	390	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
166	टैब. पेंटोप्राजोल और डीएसआर	2.25	360	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
167	टैब. अमिनोकोम 100	3.10	500	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
168	टैब. टीएचपी 2	0.68	2000	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
169	टैब. क्वेटियापाइन 200	6.50	3200	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
170	टोपी. डॉक्सीसाइक्लिन 100	1.40	3000	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
171	टैब. लोसार्टन 50	1.10	100	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
172	इंज. डेक्सामेथासोन	6.00	200	जन औषधि केन्द्र बागबाहरा
173	ब्लीचिंग पावडर	2265.60	141	देविका मेडिकल सर्जिकल, धमतरी

कमांक	दवा का नाम	दर	मात्रा	प्रदाय एजेंसी का नाम
174	क्लोरिन टेबलेट	0.38	1000000	हितेन्द्र इंटरप्राईजेस रायपुर
175	अमिकासिन सल्फेट इंजे. 500मिग्रा	17.08	1077	देविका मेडिकल सर्जिकल, धमतरी
176	सिट्रीजिन सिरप 5मिग्रा 5एमएल	16.13	5000	देविका मेडिकल सर्जिकल, धमतरी
177	सिप्रोफ्लाक्सासिन इंजे. 2मिग्रा	39.20	2000	देविका मेडिकल सर्जिकल, धमतरी
178	डायक्लोफेनेक सोडियम टेब. 50मिग्रा	0.39	200000	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
179	पेन्टाजोसिन लेक्टेट इंजे. 30मिग्रा	10.72	576	कामाक्षी मेडिकोज रायपुर
180	पैरासिटामोल इंजे. 150मिग्रा	6.24	5000	हितेन्द्र इंटरप्राईजेस रायपुर
181	कैल्सियम विथ विटा. डी 3 500मिग्रा	0.47	106250	अपेक्स फार्मा रायपुर
182	टिटेनस टाक्साईड इंजे. 0.5 एमलएल	35.28	1415	अपेक्स फार्मा रायपुर
183	3एफडीसी		6261	मालू मेडिकल स्टोर्स महासमुन्द
184	टैब मल्टीविटामिन.	0.98	250000	हितेन्द्र इंटरप्राईजेस रायपुर

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

उप संचालक(विधानसभा)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - नौ

तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 58) की जानकारी

प्रपत्र

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

क्रं.	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	स्वीकृत आवासो की संख्या		किश्त अंतरण			अप्रारंभ	प्रारंभ	पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास
				वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त	माह नवम्बर 2024 की स्थिति में			
1	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	आलीखूटा	लक्ष्य अप्राप्त	9	8	2	0	3	6	0	9
2	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	आसरा	लक्ष्य अप्राप्त	1	1	1	0	0	1	0	1
3	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	आतरगांव	लक्ष्य अप्राप्त	7	7	1	0	3	4	0	7
4	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	अछोली	लक्ष्य अप्राप्त	18	17	1	0	10	8	0	18
5	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	अण्डी	लक्ष्य अप्राप्त	6	6	0	0	3	3	0	6
6	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	अरजपुरी	लक्ष्य अप्राप्त	20	20	0	0	11	9	0	20
7	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	बड़ाडुंगेरा	लक्ष्य अप्राप्त	8	8	0	0	8	0	0	8
8	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	बड़गांव	लक्ष्य अप्राप्त	18	17	2	0	7	11	0	18
9	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	बगईकोन्हा	लक्ष्य अप्राप्त	19	15	0	0	10	9	0	19
10	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	बैहाकुंआ	लक्ष्य अप्राप्त	1	1	0	0	1	0	0	1
11	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	बंजारी	लक्ष्य अप्राप्त	0	0	0	0	0	0	0	0
12	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	बटेरा	लक्ष्य अप्राप्त	7	6	0	0	7	0	0	7
13	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	भंवरमरा	लक्ष्य अप्राप्त	5	4	0	0	2	3	0	5
14	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	भरदा (लो)	लक्ष्य अप्राप्त	12	12	2	0	8	4	0	12
15	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	भरनामाट	लक्ष्य अप्राप्त	24	23	0	0	9	15	0	24
16	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	भेंड़ी (लो)	लक्ष्य अप्राप्त	18	18	4	0	2	16	0	18
17	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	भीमाटोला	लक्ष्य अप्राप्त	5	5	0	0	5	0	0	5
18	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	भीमपुरी	लक्ष्य अप्राप्त	27	21	0	0	25	2	0	27
19	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	बिजौरा	लक्ष्य अप्राप्त	8	8	1	0	3	5	0	8
20	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	चिखली	लक्ष्य अप्राप्त	4	4	0	0	2	2	0	4
21	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	चिलमगोटा	लक्ष्य अप्राप्त	14	14	0	0	14	0	0	14
22	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	चिल्हाटीकला	लक्ष्य अप्राप्त	8	6	0	0	5	3	0	8
23	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	धनगांव	लक्ष्य अप्राप्त	13	12	0	0	7	6	0	13
24	डोण्डीलोहारा	डोण्डीलोहारा	खूबली	लक्ष्य अप्राप्त	20	19	1	0	10	10	0	20

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

क्रं.	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	स्वीकृत आवासो की संख्या		किश्त अंतरण			अप्रारंभ	प्रारंभ	पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास
				वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त				
25	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	गैंजी	लक्ष्य अप्राप्त	5	5	0	0	5	0	0	5
26	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	गंजईडीह	लक्ष्य अप्राप्त	20	19	1	0	14	6	0	20
27	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	गारका	लक्ष्य अप्राप्त	3	3	0	0	3	0	0	3
28	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	हितापठार	लक्ष्य अप्राप्त	9	8	0	0	9	0	0	9
29	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	जटादाह	लक्ष्य अप्राप्त	3	3	0	0	3	0	0	3
30	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	झरनटोला	लक्ष्य अप्राप्त	6	4	0	0	5	1	0	6
31	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	जुन्नापानी	लक्ष्य अप्राप्त	38	37	1	0	33	5	0	38
32	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	कामकापार	लक्ष्य अप्राप्त	30	28	0	0	28	2	0	30
33	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	कापसी	लक्ष्य अप्राप्त	1	1	0	0	0	1	0	1
34	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	कर्रेगांव	लक्ष्य अप्राप्त	34	33	1	0	34	0	0	34
35	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	करतूटोला	लक्ष्य अप्राप्त	28	28	0	0	26	2	0	28
36	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	कसही (लो)	लक्ष्य अप्राप्त	14	13	2	0	11	3	0	14
37	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	खड़बत्तर	लक्ष्य अप्राप्त	0	0	0	0	0	0	0	0
38	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	खैरा	लक्ष्य अप्राप्त	3	3	0	0	0	3	0	3
39	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	खैरकट्टा	लक्ष्य अप्राप्त	42	40	2	0	29	13	0	42
40	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	खपरी	लक्ष्य अप्राप्त	4	4	0	0	2	2	0	4
41	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	खरथुली	लक्ष्य अप्राप्त	28	21	2	0	21	7	0	28
42	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	खेरथा बाजार	लक्ष्य अप्राप्त	9	7	2	0	3	6	0	9
43	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	खोलझर	लक्ष्य अप्राप्त	11	10	0	0	11	0	0	11
44	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	किल्लेकोडा	लक्ष्य अप्राप्त	5	5	0	0	4	1	0	5
45	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	कोबा	लक्ष्य अप्राप्त	13	13	3	0	2	11	0	13
46	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	कोचेरा	लक्ष्य अप्राप्त	16	16	3	0	4	12	0	16
47	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	कोडेकसा	लक्ष्य अप्राप्त	4	4	0	0	4	0	0	4
48	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	कोरगुडा	लक्ष्य अप्राप्त	16	16	0	0	10	6	0	16
49	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	कोसमी	लक्ष्य अप्राप्त	4	4	2	0	2	2	0	4
50	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	कोटेरा	लक्ष्य अप्राप्त	12	10	0	0	11	1	0	12
51	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	कुदारी दल्ली	लक्ष्य अप्राप्त	7	6	0	0	7	0	0	7
52	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	मडियाकट्टा	लक्ष्य अप्राप्त	9	9	0	0	6	3	0	9
53	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	मंगचुवा	लक्ष्य अप्राप्त	11	11	0	0	11	0	0	11

क्रं.	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	स्वीकृत आवासो की संख्या		किश्त अंतरण			अप्रारंभ	प्रारंभ	पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास
				वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त				
54	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	परसाडीह (ज)	लक्ष्य अप्राप्त	16	16	0	0	2	14	0	16
55	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	पिंगाल	लक्ष्य अप्राप्त	7	7	0	0	7	0	0	7
56	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	पिपरखार (ख)	लक्ष्य अप्राप्त	6	6	0	0	5	1	0	6
57	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	राणाखुज्जी	लक्ष्य अप्राप्त	13	11	0	0	6	7	0	13
58	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	रेंगाडबरी	लक्ष्य अप्राप्त	15	14	0	0	14	1	0	15
59	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	रेंगनी	लक्ष्य अप्राप्त	7	5	0	0	4	3	0	7
60	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	सहगांव	लक्ष्य अप्राप्त	4	4	0	0	3	1	0	4
61	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	संबलपुर (लो)	लक्ष्य अप्राप्त	42	38	8	0	19	23	0	42
62	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	संजारी	लक्ष्य अप्राप्त	109	105	11	0	77	32	0	109
63	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	सेम्हरडीह	लक्ष्य अप्राप्त	24	23	5	0	3	21	0	24
64	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	सिवनी	लक्ष्य अप्राप्त	21	18	0	0	5	16	0	21
65	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	सोरली	लक्ष्य अप्राप्त	57	55	10	0	31	26	0	57
66	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	तुमडिकसा	लक्ष्य अप्राप्त	12	12	0	0	12	0	0	12
67	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	तुरमुडा	लक्ष्य अप्राप्त	24	23	0	0	24	0	0	24
68	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	अरजाल	लक्ष्य अप्राप्त	12	11	0	0	9	3	0	12
69	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	आमाडुला	लक्ष्य अप्राप्त	23	23	2	0	13	10	0	23
70	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	अरेझर	लक्ष्य अप्राप्त	29	26	0	0	26	3	0	29
71	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	अरमुरकसा	लक्ष्य अप्राप्त	35	34	0	0	26	9	0	35
72	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	अवारी	लक्ष्य अप्राप्त	39	38	0	0	38	1	0	39
73	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	बम्बनी	लक्ष्य अप्राप्त	66	62	1	0	56	10	0	66
74	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	सल्हईटोला	लक्ष्य अप्राप्त	39	38	2	0	36	3	0	39
75	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	बेलोदा	लक्ष्य अप्राप्त	75	70	5	0	42	33	0	75
76	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	भैसबोर	लक्ष्य अप्राप्त	31	30	0	0	17	14	0	31
77	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	भर्रीटोला 36	लक्ष्य अप्राप्त	17	17	0	0	16	1	0	17
78	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	भर्रीटोला 43	लक्ष्य अप्राप्त	6	6	0	0	5	1	0	6
79	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	बिटाल	लक्ष्य अप्राप्त	24	22	0	0	24	0	0	24
80	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	बोरगांव	लक्ष्य अप्राप्त	43	42	0	0	39	4	0	43
81	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	चिहरो	लक्ष्य अप्राप्त	40	38	0	0	36	4	0	40
82	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	चिखली	लक्ष्य अप्राप्त	69	67	0	0	63	6	0	69

क्रं.	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	स्वीकृत आवासो की संख्या		किश्त अंतरण			अप्रारंभ	प्रारंभ	पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास
				वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त				
83	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	छिंदगांव	लक्ष्य अप्राप्त	35	33	0	0	32	3	0	35
84	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	चिपरा	लक्ष्य अप्राप्त	31	30	0	0	28	3	0	31
85	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	दानीटोला	लक्ष्य अप्राप्त	23	23	1	0	20	3	0	23
86	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	धोबेदंड	लक्ष्य अप्राप्त	17	16	0	0	15	2	0	17
87	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	धोतिमटोला	लक्ष्य अप्राप्त	6	6	0	0	6	0	0	6
88	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	धोबनी (अ)	लक्ष्य अप्राप्त	14	13	0	0	11	3	0	14
89	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	धोबनी (ब)	लक्ष्य अप्राप्त	24	23	0	0	20	4	0	24
90	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	धुरवाटोला	लक्ष्य अप्राप्त	14	14	1	0	14	0	0	14
91	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	डोरीठेमा	लक्ष्य अप्राप्त	10	10	0	0	8	2	0	10
92	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	घोटिया	लक्ष्य अप्राप्त	28	27	0	0	25	3	0	28
93	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	गिधाली	लक्ष्य अप्राप्त	21	20	0	0	17	4	0	21
94	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	गुदुम	लक्ष्य अप्राप्त	32	32	0	0	30	2	0	32
95	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	गुजरा	लक्ष्य अप्राप्त	7	6	0	0	7	0	0	7
96	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	कामता	लक्ष्य अप्राप्त	29	27	2	0	26	3	0	29
97	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	कांडे	लक्ष्य अप्राप्त	20	17	0	0	18	2	0	20
98	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	करतुटोला	लक्ष्य अप्राप्त	0	0	0	0	0	0	0	0
99	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	खैरवाही	लक्ष्य अप्राप्त	4	3	0	0	3	1	0	4
100	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	खलारी	लक्ष्य अप्राप्त	53	52	0	0	48	5	0	53
101	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	खम्हारटोला	लक्ष्य अप्राप्त	0	0	0	0	0	0	0	0
102	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	कोपेडेरा	लक्ष्य अप्राप्त	0	0	0	0	0	0	0	0
103	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	कोटागांव	लक्ष्य अप्राप्त	5	5	1	0	2	3	0	5
104	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	कुंआगोंदी	लक्ष्य अप्राप्त	80	68	5	0	70	10	0	80
105	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	कुमुड़कट्टा	लक्ष्य अप्राप्त	58	52	0	0	52	6	0	58
106	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	कुंजकन्हार	लक्ष्य अप्राप्त	46	46	0	0	41	5	0	46
107	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	कुसुमकसा	लक्ष्य अप्राप्त	81	71	5	0	74	7	0	81
108	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	लिमउडीह	लक्ष्य अप्राप्त	46	42	0	0	42	4	0	46
109	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	मंगलतराई	लक्ष्य अप्राप्त	18	18	2	0	13	5	0	18
110	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	मरदेल	लक्ष्य अप्राप्त	70	67	1	0	67	3	0	70
111	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	मरकाटोला	लक्ष्य अप्राप्त	41	38	10	0	25	16	0	41

क्रं	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	स्वीकृत आवासो की संख्या		किश्त अंतरण			अप्रारंभ	प्रारंभ	पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास
				वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त				
112	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	ओगर	लक्ष्य अप्राप्त	40	39	0	0	29	11	0	40
113	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	मठेना	लक्ष्य अप्राप्त	26	26	2	0	11	15	0	26
114	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	नलकसा	लक्ष्य अप्राप्त	77	68	1	0	59	18	0	77
115	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	नरालगुडा	लक्ष्य अप्राप्त	17	17	0	0	8	9	0	17
116	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	नर्राटोला	लक्ष्य अप्राप्त	16	14	0	0	16	0	0	16
117	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	पचेरा	लक्ष्य अप्राप्त	32	31	0	0	29	3	0	32
118	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	पटेली	लक्ष्य अप्राप्त	87	82	2	0	67	20	0	87
119	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	पथराटोला	लक्ष्य अप्राप्त	11	9	0	0	5	6	0	11
120	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	पेन्डरी	लक्ष्य अप्राप्त	11	11	0	0	8	3	0	11
121	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	पुसावड	लक्ष्य अप्राप्त	22	20	1	0	14	8	0	22
122	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	रजही	लक्ष्य अप्राप्त	21	20	1	0	21	0	0	21
123	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	साल्हे	लक्ष्य अप्राप्त	47	42	2	0	42	5	0	47
124	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	सिन्गनवाही	लक्ष्य अप्राप्त	43	38	3	0	40	3	0	43
125	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	सिंघोला	लक्ष्य अप्राप्त	41	39	0	0	29	12	0	41
126	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	सुवरबोर	लक्ष्य अप्राप्त	3	3	0	0	2	1	0	3
127	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	टेकाडोरा	लक्ष्य अप्राप्त	9	9	0	0	9	0	0	9
128	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	ठेमाबुजुर्ग	लक्ष्य अप्राप्त	38	34	0	0	38	0	0	38
129	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	उकारी	लक्ष्य अप्राप्त	0	0	0	0	0	0	0	0
योग					2916	2735	118	0	2252	664	0	2916

(चन्द्रप्रकाश पात्रे)
उपायुक्त
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - दस

तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 520) की जानकारी

"प्रपत्र- अ"

क्र	जिला	दर्ज अपराधों की जिलावार जानकारी					
		वर्ष	हत्या	बलात्कार	चोरी	डकैती	न्यायिक हिरासत में मौत
1	रायपुर	2023	63	223	1588	5	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	70	218	1420	2	0
2	बलौदाबाजार	2023	18	146	557	1	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	30	113	393	4	0
3	महासमुन्द	2023	18	81	101	1	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	22	101	172	0	0
4	धमतरी	2023	27	83	166	0	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	21	67	134	0	0
5	गरियाबन्द	2023	21	68	84	0	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	19	57	76	3	0
6	रेल रायपुर	2023	0	3	368	0	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	4	10	630	0	0
7	बिलासपुर	2023	36	172	843	2	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	47	218	715	2	1
8	रायगढ़	2023	65	140	530	3	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	54	139	414	4	0
9	सारंगढ़	2023	25	58	168	0	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	13	55	157	0	0
10	जांजगीर- चांपा	2023	30	105	286	4	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	24	112	251	1	0
11	सक्ती	2023	20	38	96	6	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	15	39	129	1	0
12	कोरबा	2023	36	107	363	6	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	40	177	684	9	1
13	मुंगेली	2023	9	70	39	3	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	15	44	47	2	0
14	गौरेल्ला- पेण्ड्रा- मरवाही	2023	12	40	133	0	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	15	44	121	0	1

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्र	जिला	दर्ज अपराधों की जिलावार जानकारी					
		वर्ष	हत्या	बलात्कार	चोरी	डकैती	न्यायिक हिरासत में मौत
15	दुर्ग	2023	47	141	754	2	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	55	124	826	2	0
16	राजनांदगांव	2023	21	72	220	1	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	25	73	214	0	0
17	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2023	10	18	81	1	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	8	28	51	0	0
18	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	2023	11	17	34	0	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	5	13	17	0	
19	कबीरधाम	2023	21	63	107	0	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	29	35	100	2	0
20	बेमेतरा	2023	11	37	94	0	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	18	49	102	0	0
21	बालोद	2023	13	58	84	1	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	17	65	87	0	0
22	सरगुजा	2023	58	122	349	3	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	50	160	334	2	0
23	जशपुर	2023	71	118	284	0	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	52	131	207	0	0
24	कोरिया	2023	22	40	55	0	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	12	41	37	1	0
25	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरत पुर	2023	17	85	78	1	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	21	63	65	0	0
26	बलरामपुर	2023	49	161	89	1	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	51	154	78	1	0
27	सूरजपुर	2023	59	98	170	5	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	51	75	126	1	0
28	जगदलपुर	2023	25	93	93	0	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	19	85	90	0	0
29	दंतेवाड़ा	2023	25	25	43	1	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	13	16	16	0	0

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्र	जिला	दर्ज अपराधों की जिलावार जानकारी					
		वर्ष	हत्या	बलात्कार	चोरी	डकैती	न्यायिक हिरासत में मौत
30	कांकेर	2023	40	88	64	1	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	18	76	66	0	0
31	बीजापुर	2023	34	25	13	2	1
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	38	24	23	1	0
32	नारायणपुर	2023	10	21	14	2	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	21	19	23	1	0
33	सुकमा	2023	21	22	12	7	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	26	17	22	5	0
34	कोण्डागांव	2023	9	55	42	0	0
		01 जनवरी से नवम्बर 2024 तक	18	49	30	0	0

Read

अधिकारी
विभाग
रायपुर

प्रपत्र ''ब''

प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाये जाने हेतु कार्य योजना

- जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून–व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिलों में भीड़ नियंत्रण, धरना प्रदर्शन, रैली के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, आम जानमाल की सुरक्षा के लिए पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) तैयार कर शासन स्तर से जारी कराई गई है।
- कानून–व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न समुदाय, संगठनो के मध्य आपसी विश्वास कायम रहे, इसके लिए जिलों में विभिन्न स्तरों पर शांति समितियों का गठन/पुर्नगठन कर सक्रिय किया गया है तथा इन शांति समितियों में सभी समुदाय संगठनों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो और बैठकों में अधिकतम सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्यतः सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- सुरक्षा व कानून–व्यवस्था की चुनौतियों पर उचित अनुक्रिया हेतु जिला स्वयं सक्षम हो इस बाबत जिलों में कानून–व्यवस्था/सुरक्षा प्रबंध हेतु बलवा ड्रील सामाग्री व सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता एवं आवश्यकता का मूल्यांकन कर पुर्ननियोजन व नवीन संसाधनों की पूर्ति हेतु निर्देश जारी किये गये हैं तथा इस बाबत् जिलों को बजट भी आबंटित किया गया है।
- अपराधों पर नियंत्रण तथा परिशांति कायम रखते हुए कानून–व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक धाराओं में बाउण्ड ओव्हर की कार्यवाही एवं जिला बदर की कार्यवाही हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।
- कानून–व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पीटीएस माना, राजनांदगॉव, मैनपाट एवं एपीटीएस बोरगॉव 04 पुलिस प्रशिक्षण ईकाईयों में 15 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से बलवा ड्रील का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- आसूचना संकलन को सृद्ढ़ करने के उद्देश्य से विशेष शाखा में 12 दिवसीय बेसिक विशेष शाखा प्रशिक्षण कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित राज्य है। व्ही.व्ही.आई.पी. सुरक्षा पुलिस का महत्वपूर्ण दायित्व है। जनप्रतिनिधियों की उचित सुरक्षा, समुचित कानून–व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। व्ही.व्ही.आई.पी. सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एन.एस.जी. द्वारा 15 दिवसीय पीएसओ कोर्स माना रायपुर में तथा वाहन चालकों का टेक्टीकल ड्रायविंग कोर्स व्हीआईपी वाहिनी माना रायपुर में संचालित किया जा रहा है। इसमें एनएसजी के मानदण्डों के अनुरूप पीएसओ एवं वाहन चालकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

PS
अधिकारी
विभाग
सचिवालय, रायपुर

परिशिष्ट - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 598) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

01.12.2023 से 25.11.2024 तक

स.क.	जिला	क्र0	अपराध शीर्ष	पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	फरार आरोपियों की संख्या	चालान किये गये प्रकरणों की संख्या	चालान नहीं किये गये प्रकरणों की संख्या
1	रायपुर	1	हत्या	18	19	2	14	3
		2	बलात्कार	102	98	9	83	19
		3	मारपीट	301	328	35	242	52
2	बलौदाबाजार - भाटापारा	1	हत्या	31	83	0	25	6
		2	बलात्कार	124	130	3	100	24
		3	मारपीट	330	602	0	305	25
3	महासमुंद	1	हत्या	6	11	0	5	1
		2	बलात्कार	63	63	2	53	9
		3	मारपीट	162	222	8	100	62
4	गरियाबंद	1	हत्या	10	11	0	5	5
		2	बलात्कार	17	17	0	16	1
		3	मारपीट	221	394	20	182	37
5	धमतरी	1	हत्या	3	4	0	3	0
		2	बलात्कार	74	78	2	66	8
		3	मारपीट	136	242	0	106	30
6	रेल	1	हत्या	0	0	0	0	0
		2	बलात्कार	5	5	0	5	0
		3	मारपीट	4	3	1	2	2
7	दुर्ग	1	हत्या	10	8	1	6	2
		2	बलात्कार	66	63	3	52	13
		3	मारपीट	577	815	76	421	153
8	बेमेतरा	1	हत्या	9	10	1	7	1
		2	बलात्कार	11	10	1	9	2
		3	मारपीट	131	236	12	94	37
9	बालोद	1	हत्या	6	6	0	3	3
		2	बलात्कार	25	28	0	18	7
		3	मारपीट	164	312	0	144	20
10	राजनांदगांव	1	हत्या	3	3	0	3	0
		2	बलात्कार	28	27	3	25	3
		3	मारपीट	144	240	6	114	30
11	कबीरधाम	1	हत्या	15	30	0	12	3
		2	बलात्कार	40	48	0	33	5
		3	मारपीट	105	139	25	84	21

अधिकारी
गृह विभाग
रायपुर

स.क.	जिला	क्र0	अपराध शीर्ष	पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	फरार आरोपियों की संख्या	चालान किये गये प्रकरणों की संख्या	चालान नहीं किये गये प्रकरणों की संख्या
12	खैरागढ़-खुईखदान गण्डई	1	हत्या	3	2	0	1	2
		2	बलात्कार	10	9	0	9	1
		3	मारपीट	61	97	0	38	23
13	मोहला-मानपुर -अंबागढ़ चौकी	1	हत्या	2	2	0	2	0
		2	बलात्कार	5	7	0	4	1
		3	मारपीट	15	21	0	10	5
14	बिलासपुर	1	हत्या	20	26	0	15	4
		2	बलात्कार	153	167	5	138	15
		3	मारपीट	676	1060	55	541	131
15	मुंगेली	1	हत्या	3	5	0	3	0
		2	बलात्कार	8	7	1	7	1
		3	मारपीट	112	201	0	77	35
16	जांजगीर-चांपा	1	हत्या	7	6	0	4	3
		2	बलात्कार	121	145	2	104	15
		3	मारपीट	392	805	25	351	40
17	कोरबा	1	हत्या	17	12	4	9	6
		2	बलात्कार	182	188	14	158	24
		3	मारपीट	451	659	57	333	118
18	गौरेला- पेण्ड्रा -मरवाही	1	हत्या	8	9	0	5	3
		2	बलात्कार	48	49	2	43	5
		3	मारपीट	125	197	12	104	21
19	सारंगढ़ बिलाईगढ़	1	हत्या	6	6	0	2	3
		2	बलात्कार	22	27	1	20	1
		3	मारपीट	139	257	2	123	16
20	रायगढ़	1	हत्या	23	22	0	19	2
		2	बलात्कार	128	144	6	119	9
		3	मारपीट	260	467	16	204	56
21	सक्ती	1	हत्या	6	7	0	2	4
		2	बलात्कार	19	22	1	15	4
		3	मारपीट	180	406	32	152	27
22	सरगुजा	1	हत्या	25	27	1	21	4
		2	बलात्कार	104	108	4	93	10
		3	मारपीट	145	218	16	118	15
23	जशपुर	1	हत्या	22	24	0	18	3
		2	बलात्कार	137	171	4	125	12
		3	मारपीट	4	5	0	4	0

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग

स.क.	जिला	क्र0	अपराध शीर्ष	पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	फरार आरोपियों की संख्या	चालान किये गये प्रकरणों की संख्या	चालान नहीं किये गये प्रकरणों की संख्या
24	कोरिया	1	हत्या	4	5	0	1	3
		2	बलात्कार	17	16	1	14	3
		3	मारपीट	85	124	0	71	14
25	बलरामपुर	1	हत्या	25	32	0	19	5
		2	बलात्कार	61	57	5	51	8
		3	मारपीट	176	290	0	152	24
26	सूरजपुर	1	हत्या	26	27	0	14	9
		2	बलात्कार	26	24	2	24	2
		3	मारपीट	252	404	31	198	53
27	मनेन्द्रगढ़ चिरमीरी-भरतपुर	1	हत्या	11	11	0	9	1
		2	बलात्कार	27	24	3	24	3
		3	मारपीट	198	328	2	166	29
28	जगदलपुर	1	हत्या	9	8	0	6	2
		2	बलात्कार	71	74	4	64	5
		3	मारपीट	112	196	17	102	10
29	दंतेवाड़ा	1	हत्या	3	4	0	3	0
		2	बलात्कार	18	20	0	17	1
		3	मारपीट	12	21	0	8	4
30	कांकेर	1	हत्या	8	8	0	6	1
		2	बलात्कार	79	77	2	69	8
		3	मारपीट	143	249	19	116	27
31	बीजापुर	1	हत्या	4	4	1	3	1
		2	बलात्कार	12	13	0	12	0
		3	मारपीट	9	11	3	6	3
32	नारायणपुर	1	हत्या	3	2	0	2	0
		2	बलात्कार	19	17	2	18	1
		3	मारपीट	16	22	1	11	5
33	सुकमा	1	हत्या	3	1	0	1	2
		2	बलात्कार	6	10	1	6	0
		3	मारपीट	8	8	0	8	0
34	कोण्डागांव	1	हत्या	5	5	0	4	1
		2	बलात्कार	28	35	0	20	8
		3	मारपीट	33	55	0	27	6

psaly
अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र- 'ब'

विभाग द्वारा महिला अपराधों में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने एवं महिला अपराधों के रोकथाम के लिए विभाग द्वारा निम्न पहल की गई है:-

- महिला अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाने के लिये प्रथम सूचना पत्र के तत्काल बाद त्वरित विवेचना एवं साक्ष्य संकलन कर आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया जाता है। महिलाओं/बालिकाओं के साथ घटित अपराधों की विवेचना यथासंभव महिला अधिकारियों द्वारा की जाती है। चिन्हित अपराध योजना के तहत प्रकरणों की न्यायालय में लगातार साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराकर घटना के संबध में अवगत कराते हुए साक्षियों को अभियोजन अधिकारी द्वारा ब्रिफिंग किया जाता है।

- पुलिस मुख्यालय द्वारा महिलाओं से संबंधित प्रकरणों की समयावधि में जॉच कार्यवाही पूर्ण करने हेतु ITSSO (Investigation tracking system for sexual offences) के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है। जिसके अंतर्गत बीएनएसएस में उल्लेखित प्रावधान - महिला संबंधी अपराधों में 60 दिवस की अवधी में अभियोग पत्र प्रस्तुत नही करने पर संबंधित विवेचक पर कार्यवाही करने हेतु पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किया जाता है।

- महिलाएं अपनी रिपोर्ट निर्भीक होकर दर्ज करा सकें इस हेतु राज्य के 04 रेंज मुख्यालयों (रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एवं सरगुजा) में महिला थाना संचालित है, इस वित्तीय वर्ष 05 नये महिला थाना राजनांदगॉव, कबीरधाम, रायगढ़, बस्तर व जशपुर स्वीकृत किये गये है।
- <u>महिला विरूद्ध अपराध अनुसंधान इकाई (IUCAW)</u> :- महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराधों पर त्वरित निराकरण हेतु रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा में 06 महिला विरूद्ध अपराध अनुसंधान इकाई का गठन किया गया है।
- <u>महिला पेट्रोलिंग</u> :- संवेदनशील स्थानों में तथा महिलाओं एवं युवतियों के उपस्थिति वाले क्षेत्रों में महिला पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है।
- <u>जन-जागरूकता अभियान</u> :- महिला अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाकर जन जागरूकता रैली आयोजित कर शहर के विभिन्न कस्बों एवं ग्रामों तथा शिक्षण संस्थानों एवं बालिका आश्रमों, बाजार स्थलों में प्रचार प्रसार कर आम जन को जागरूक किया जा रहा है।
- <u>महिला सुरक्षा "अभिव्यक्ति ऐप"</u>:- महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा एवं उनके द्वारा प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु "अभिव्यक्ति ऐप" लॉच किया गया हैं वर्तमान में इस ऐप के 2 लाख से भी अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं।

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - बारह

तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 570) की जानकारी

प्रपत्र–अ

प्रदेश में जनगणना 2011 अनुसार महिला एवं पुरूष दिव्यांगजनों की जिलेवार जानकारी

क्रमांक	जिला का नाम	दिव्यांगजनों की संख्या		कुल दिव्यांगजन
		महिला	पुरूष	
1	2			
1	रायपुर	53153	60497	113650
2	बलौदाबाजार			
3	गरियाबंद			
4	महासमुंद	15152	15233	30385
5	धमतरी	7743	8752	16495
6	दुर्ग	36444	42562	79006
7	बालोद			
8	बेमेतरा			
9	कबीरधाम	9607	11077	20684
10	राजनांदगांव	20243	21770	42013
11	खैरागढ–छुईखदान–गंडई			
12	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी			
13	बिलासपुर	30020	36828	66848
14	मुंगेली			
15	गौरेला–पेण्ड्रा–मारवाही			
16	जांजगीर–चाम्पा	21057	23094	44151
17	सक्ती			
18	रायगढ़	16517	19905	36422
19	सारंगढ़–बिलाईगढ़			
20	कोरबा	11247	13680	24927
21	सरगुजा	23372	28478	51850
22	सूरजपुर			
23	बलरामपुर			
24	कोरिया	6811	8562	15373
25	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर			
26	जशपुर	10337	11849	22186
27	बस्तर	13022	14688	27710
28	कोण्डागांव			
29	बीजापुर	2073	2383	4456
30	दंतेवाड़ा	4559	4688	9247
31	सुकमा			
32	कांकेर	8222	8666	16888
33	नारायणपुर	1265	1381	2646
	योग	**290844**	**334093**	**624937**

अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

VS 2

प्रपत्र–ब

प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं की पात्रता सहित जानकारी

क्र.	योजना का नाम	योजना की पात्रता एवं जानकारी
1	2	3
1.	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	• दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • आवेदक के माता पिता या स्वंय का मासिक आय 5000/- से 8000/- तक होने पर निःशुल्क उपकरण प्रदाय किये जाते है। मासिक आय 8001/- से अधिक होने पर उपकरण का 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर उपकरण प्रदाय की जाती है। • अधिकतम राशि रूपये 6900/– तक के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण जैसे. कैलीपर्स, ट्रायसायकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवणयंत्र, श्वेतछड़ी व ब्रेल किट आदि प्रदान किया जाता है।
2.	सामर्थ्य विकास योजना	• दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • आवेदक के माता पिता या स्वंय का मासिक आय 5000/- से 8000/- तक होने पर निःशुल्क प्रदाय किये जाते है। मासिक आय 8001/- से अधिक होने पर उपकरण का 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर उपकरण प्रदाय की जाती है। • कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण हेतु मेले/शिविरों का आयोजन कर दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण करते हुए आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण जैसे. कैलीपर्स, ट्रायसायकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवणयंत्र, श्वेतछड़ी व ब्रेल किट आदि प्रदान किया जाता है।
3.	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	• ऐसे दिव्यांग जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो । • युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। • युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। • दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो। • दिव्यांग दम्पत्ति को विवाह उपरांत जोड़े में एक व्यक्ति के दिव्यांग होने पर राशि रूपये 50,000/– एकमुश्त तथा दोनों के दिव्यांग होने पर राशि रूपये 1,00,000/– एकमुश्त आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।
4.	निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना	• कक्षा पहली से बारहवीं तक के नियमित दिव्यांग विद्यार्थी हो । • गत परीक्षा में उत्तीर्ण हो। • दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदक के माता पिता की वार्षिक आय 2,00,000/- तथा पोस्ट -मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु वार्षिक आय 2,50,000/- हो। दिव्यांग विद्यार्थियों को निम्नानुसार छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है:- प्राथमिक स्तर पर रूपये 150/- प्रतिमाह, पूर्व माध्यमिक स्तर पर रूपये 170/- प्रतिमाह एवं माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर रूपये 190/- प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है।

5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	• 18-79 आयु वर्ग के गंभीर एवं बहु दिव्यांगता गंभीर निःशक्त से तात्पर्य किसी एक प्रकार की निःशक्तता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो। बहु दिव्यांगता से तात्पर्य एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता। • आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो। • योजना अंतर्गत राशि रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्रावधान है।
6.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	• 6-17 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे। जिसमें 6-14 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे जो अध्ययनरत् है उन्हें पात्रता नहीं होगी। • 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य दिव्यांग व्यक्ति। • बौने व्यक्ति। • आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो। • योजना अंतर्गत राशि रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्रावधान है।
7.	निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	• दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • जिला अंतर्गत माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में दिव्यांगजनों की श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया हों। • आई.टी.आई/पोलिटेक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर में नियमित विद्यार्थि हो। • चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थि हो। • जिले में माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले दिव्यांग छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 2000/– एकमुश्त। • जिले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (बारहवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले दिव्यांग छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 5,000/– एकमुश्त। • आई. टी. आई/पोलिटेक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राशि 6,000/– रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि। • चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों को राशि 12,000/– रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।
8.	निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना योजना	• संघ/छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यार्थी । • दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 20,000/– एकमुश्त। • मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 30,000/– एकमुश्त। • संघ/छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर राशि रूपये 50,000/– एकमुश्त दिये जाने का प्रावधान है।

9.	निःशक्तजन छात्रगृह योजना	• दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो। • शिक्षण संस्थान से आवेदक के मूल निवास की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक हो। 05 बच्चों के समूह को रेन्ट कन्ट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित किराए की सीमा में रहने की निःशुल्क सुविधा। भवन की अधिकतम मासिक किराया राशि निम्नानुसार श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित है :– 1. A श्रेणी के शहर हेतु 10,000/– (दस हजार) तक देय। 2. B श्रेणी के शहर हेतु 7,000/– (सात हजार) तक देय। 3. C श्रेणी के शहर हेतु 5,000/– (पांच हजार) तक देय, का प्रावधान है।
10.	शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रम	• दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। • आयु 6 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। उक्त का प्रावधान शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए है। शासकीय एवं मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण-प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
11	स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना	• दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • आवेदक की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच हो। • वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम तथा ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम हो। • संबंधित शैक्षिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता और अनुभव हो। दिव्यांगजनों को स्वरोजगार हेतु निम्नानुसार ब्याज दर पर ऋण प्रदाय किया जाता है :– 1. रूपये 5 हजार से रूपये 50 हजार तक – 5% 2. रूपये 50 हजार से रूपये 5 लाख तक – 6% 3. रूपये 5 लाख से रूपये 15 लाख तक – 7% 4. रूपये 15 लाख से रूपये 30 लाख तक – 8% 5. रूपये 30 लाख से रूपये 50 लाख तक – 9% महिला दिव्यांग हितग्राही को 1 प्रतिशत की वार्षिक विशेष छूट दी गई है एवं दृष्टि/मानसिक/श्रवण बाधित दिव्यांगजनों को 0.5% वार्षिक छूट, का प्रावधान है।
12.	उत्थान सब्सिडी योजना	• दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • ऋण की अदायगी 75 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर हितग्राही को उत्थान सब्सीडी प्राप्त होगी। • हितग्राही को ऋण के कुल ब्याज की राशि का 25 प्रतिशत सब्सीडी के रूप में अदा होगी, का प्रावधान है।

13	घरौंदा (आश्रय गृह)	• ऐसी संस्थाएं जो छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के तहत् पंजीकृत हो एवं विभाग से मान्यता प्राप्त हो तथा कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव रखते हो । • राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकृत हो। • राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रमस्तिष्क अंगाघात, स्वपरायणता, बौद्धिक मंदता एवं बहुदिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के लिए आजीवन निःशुल्क आवासीय व्यवस्था का प्रावधान है।
14	हॉफ–वे–होम	• ऐसी संस्थाएं जो छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के तहत् पंजीकृत हो एवं विभाग से मान्यता प्राप्त हो तथा कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव रखते हो । • मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों का मानसिक चिकित्सालय से उपचार उपरांत उनके पुनर्वास हेतु निःशुल्क समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
15	अपराजिता (मानसिक बीमार महिलाओं के लिए एकीकृत महिला सहायता केन्द्र)	• मानसिक रूप से बीमार महिलाओं को सभी आधारभूत सुविधा जैसे- आवास/भोजन/चिकित्सा/विधिक सहायता/दैनिक क्रियाकलाप की वस्तुएं आदि प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
16	मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना	18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थस्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की यात्रा का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।
17.	मोटराईज्ड ट्राईसायकल प्रदाय योजना	• दिव्यांगता का प्रतिशत 60% या उससे अधिक वाले अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं जिनकी न्युनतम आयु 16 वर्ष एवं अधिकतम आयु 55 वर्ष हो, • दिव्यांगता का प्रतिशत 70% या उससे अधिक के रोजगार एवं स्वरोजगार में संलग्न दिव्यांग व्यक्ति हो, • दिव्यांगता का प्रतिशत 80% या उससे अधिक के सामान्य दिव्यांगजन जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हों। • आवेदक के माता पिता या स्वंय का मासिक आय 20,000/- प्रतिमाह तक हों, ऐसे दिव्यांगजनों को योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।

अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - तेरह

तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 704) की जानकारी

प्रपत्र

प्रश्नांश	थाना/चौकी का नाम	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त	संख्याधिक
(क) जिला गौरेला पेण्ड्रा व मरवाही में दिनांक 19 नवम्बर 2024 की स्थिति में कितने टी.आई., एस.आई, एवं आरक्षक के पर स्वीकृत कार्यरत् एवं रिक्त हैं थानेवार जानकारी एवं रिक्त पदों पर पदस्थापना कब तक की जावेगी?	थाना गौरेला	निरीक्षक	1	1	0	0
		सहा.उप निरीक्षक	3	5	0	2
		आरक्षक	30	19	11	0
		1. योग :-	34	25	11	2
	थाना पेण्ड्रा	निरीक्षक	1	0	1	0
		सहा.उप निरीक्षक	3	2	1	0
		आरक्षक	30	15	15	0
		2. योग :-	34	17	17	0
	थाना मरवाही	निरीक्षक	1	0	1	0
		सहा.उप निरीक्षक	3	3	0	0
		आरक्षक	30	10	20	0
		3. योग :-	34	13	21	0
	चौकी खोड़री	निरीक्षक	0	0	0	0
		सहा.उप निरीक्षक	1	1	0	0
		आरक्षक	8	3	5	0
		4. योग :-	9	4	5	0
	चौकी कोटमीकला	निरीक्षक	0	0	0	0
		सहा.उप निरीक्षक	1	0	1	0
		आरक्षक	8	6	2	0
		5. योग :-	9	6	3	0
	अप्रारंभ चौकी शिवनी	निरीक्षक	0	0	0	0
		सहा.उप निरीक्षक	1	0	1	0
		आरक्षक	8	0	8	0
		6. योग :-	9	0	9	0
	अप्रारंभ चौकी कोडगार	निरीक्षक	0	0	0	0
		सहा.उप निरीक्षक	1	0	1	0
		आरक्षक	8	0	8	0
		7. योग :-	9	0	9	0
	रक्षित केन्द्र	निरीक्षक	0	3	0	3
		सहा.उप निरीक्षक	12	8	4	0
		आरक्षक	143	97	46	0
		8. योग :-	155	108	50	3
	पदवार योग :-	निरीक्षक	3	4	0	1
		सहा.उप निरीक्षक	25	19	6	2
		आरक्षक	265	150	115	0

13/12/24
अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - चौदह

तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 702) की जानकारी

प्रपत्र

जिला गरियाबंद के संवेदनशील क्षेत्रों में स्थापित CRPF कैंपों हेतु स्वीकृत व्यय राशि की मदवार एवं कार्यवार जानकारी

स.क्र.	मद का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृति राशि	व्यय राशि
	वर्ष 2023-24			
1	6717-27-006	नवीन सीआरपीएफ कैम्प ओढ़ में 04 नग ग्राउण्ड़ मोर्चा निर्माण कार्य	400000	399996
		नवीन सीआरपीएफ कैम्प ओढ़ में 02 नग गार्ड रूम निर्माण कार्य	400000	400000
		नवीन सीआरपीएफ कैम्प ओढ़ में 01 नग टॉयलेट बाथरूम मय ओपन वाटर टेंक का मोर्चा निर्माण कार्य	945000	944998
2	6717-27-006	नवीन सीआरपीएफ कैम्प ओढ़ में 01 नग कोत रूम निर्माण कार्य	350000	349997
		पुलिस कैम्प धवलपुर में 06 नग टॉयलेट बाथरूम निर्माण कार्य	500000	499430
		नवीन सीआरपीएफ कैम्प छिन्दोला में 01 नग कोत रूम निर्माण कार्य	350000	349997
		सीआरपीएफ कैम्प कुल्हाड़ीघाट में 01 नग कोत रूम निर्माण कार्य	350000	350000
3	6717-27-006	नवीन सीआरपीएफ कैम्प ओढ़ में 02 नग बैरक निर्माण कार्य	1800000	1799994
4	6717-27-006	सीआरपीएफ कैम्प कुल्हाड़ीघाट में 01 नग बैरक निर्माण कार्य	900000	899996
5	6717-27-006	सीआरपीएफ कैम्प शोभा में 01 सेट टॉयलेट/बाथरूम ब्लाक मय ओपन वाटर टैंक निर्माण कार्य	945000	944994
6	6717-27-006	सीआरपीएफ कैम्प दर्रीपारा में 01 सेट टॉयलेट/बाथरूम ब्लाक मय ओपन वाटर टैंक निर्माण कार्य	945000	944994
7	6717-27-006	नवीन सीआरपीएफ कैम्प छिन्दोला में 01 नग कुक हाउस निर्माण कार्य	400000	390541
8	6717-04-005	सीआरपीएफ कैंप कुल्हाड़ीघाट/शोभा/बिन्द्रानवागढ़/ इन्दागांव/पीपरछेड़ी का बिजली बिल	2000000	1771160
9	6717-04-008	सीआरपीएफ नवीन कैंप ओढ़/छिन्दौला/दर्रीपारा/कुल्हाड़ीघाट/ बिन्द्रानवागढ़/पीपरछेड़ी /इन्दागांव/जुगाड़ हेतु पेयजल व्यवस्था/कैंप परिसर का रंगरोगन/विद्युत सामग्री/टॉयलेट बाथरूम मरम्मत कार्य।	1500000	1498874
10	6717-04-011	सीआरपीएफ ज्वाइंट ऑपरेशन हेतु बल को लाने ले जाने के लिये वाहनों में प्रदाय डीजल/पेट्रोल पर व्यय	24800000	13591017
11		सीआरपीएफ कैम्प के सुरक्षा हेतु जनरेटर में रोशनी करने हेतु प्रदाय डीजल पर व्यय		4510966
12	6717-24-002	सीआरपीएफ नवीन कैंप कुल्हाड़ीघाट/बिन्द्रानवागढ़/पीपरछेड़ी/इन्दागांव/शोभा/जुगाड़ को प्रदाय शासकीय जनरेटर के रिपेयरिंग/मरम्मत तथा बैटरी क्रय कार्य एवं सीलिंग फैन/कूलर रिपेयरिंग कार्य साथ ही सबमर्सिबल पंप रिपेयरिंग कार्य।	322038	122038
13	6717-24-012	सीआरपीएफ नवीन कैंप छिन्दौला/दर्रीपारा/जुगाड़/पीपरछेड़ी/इन्दागांव/ओढ़/कुल्हाड़ी घाट/बिन्द्रानवागढ़ में पेयजल व्यवस्था हेतु लगाये गये आरओ प्लांट रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग कार्य तथा शासकीय जनरेटर हेतु इंजन ऑयल क्रय कार्य।	571000	513852
14	6717-25-002	सीआरपीएफ कोबरा बटालियन ओढ़ एवं सीआरपीएफ कैप शोभा/इन्दागांव/बिन्द्रानवागढ़/जुगाड़/कुल्हाड़ीघाट/छिन्दौला/दर्रीपारा कैम्प परिसर रंगरोगन हेतु पेंट सामग्री/विद्युत सामग्री/ निस्तारी व्यवस्था हेतु नल सामग्री/बाथरूम हेतु टाईल्स एवं अन्य सामग्री/सीलिंग फैन, एयर कूलर, विद्युत सामग्री तथा विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान बाहर से आये केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों हेतु ठहराये गये स्थानों पर अस्थाई बाथरूम/लोहे का दरवाजा एवं अन्य सामग्री, बैरकों के चारो ओर प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत सामग्री तथा जनरेटर किराये पर लिया गया गया।	2504314	2232294

13/12/24
अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

15	6717-25-006	सीआरपीएफ ज्वाइंट ऑपरेशन हेतु बल को लाने ले जाने के लिए अधिग्रहित वाहनों का भुगतान राशि।	25000000	15735857
16	6717-25-006	सीआरपीएफ कैंप कुल्हाड़ीघाट/छिन्दौला/इन्दागांव/जुगाड़/ओढ़/बिन्द्रानवागढत्र/पीपरछेड़ी/शोभा में जवानों के बैरकों का रंगरोगन हेतु पेंट/पुट्टी/अन्य सामग्री। जवानों के बैरकों के पेरीफेरी एरिया हेतु प्रकाश व्यवस्था विद्युत सामग्री, जनरेटर हेतु शेड निर्माण के लिए टिन शीट क्रय कार्य। विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के लिए प्रकाश व्यवस्था हेतु डीजल इंजन जनरेटर किराये पर लिया गया तथा पेयजल व्यवस्था/विद्युत	3200000	2912993
	वर्ष 2024-25			
17	6717.04.005	सीआरपीएफ कैंप कुल्हाड़ीधाट/शोभा/बिन्द्रानवागढ़/ इन्दागांव/पीपरछेड़ी का बिजली बिल	1500000	1293010
18	6717.04.008	सीआरपीएफ कैंप छिन्दौला/ओढ़/पीपरछेड़ी/जुगाढ़/शोभा/इन्दागांव के जवानों के लिए निस्तारी एवं पेयजल व्यवस्था हेतु नल सामग्री, टॉयलेट/बाथरूम मरम्मत कार्य हेतु टॉयलेट शीट एवं अन्य सामग्री, एडम/सुरक्षा व्यवस्था हेतु हरा नेट/फिनाईल/अन्य सामग्री क्रय किया गया।	550000	349800
19	6717-04-011	सीआरपीएफ ज्वाइंट ऑपरेशन हेतु बल को लाने ले जाने के लिये वाहनों में प्रदाय डीजल/पेट्रोल पर व्यय	13000000	3482717
		सीआरपीएफ कैम्प के सुरक्षा हेतु जरेटर में रोशनी करने हेतु प्रदाय डीजल पर व्यय		1507898
21	6717-24-002	सीआरपीएफ कैंप ओढ़/पीपरछेड़ी/ इन्दागांव/जुगाड़/ बिन्द्रानवागढ़/कुल्हाड़ीघाट/ पीपरछेड़ी/शोभा में प्रदाय शासकीय जनरेटर रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग कार्य पर व्यय।	410000	409436
22	6717-25-002	सीआरपीएफ कैंप जुगाड़/ओढ़/ इन्दागांव/दर्रीपारा/पीपरछेड़ी/बिन्द्रानवागढ़/शोभा हेतु कैंप परिसर के रंगरोगन एवं साफ-सफाई के लिए पेंट सामग्री, जवानों के मेस स्टोर रूम हेतु जनरेटर सेल एवं अन्य व्यवस्था/मरम्मत हेतु ईंट/रेत/गिट्टी क्रय किया गया साथ बैरकों के पेरीफेरी एरिया में विद्युत व्यवस्था सामग्री क्रय किया गया। विधान सभा चुनाव 2023 के दौरान केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के पेयजल व्यवस्था हेतु सबमर्सिबल पंप सेट/जवानों के सुरक्षा एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत सामग्री क्रय किया गया।	1220000	1219352
23	6717-25-006	सीआरपीएफ ज्वाइंट ऑपरेशन हेतु बल को लाने ले जाने के लिए अधिग्रहित वाहनों का भुगतान राशि।	19500000	13920780
24	6717-25-006	सीआरपीएफ कैंप बिन्द्रानवागढ़/जुगाड़/ओढ़/दर्रीपारा/छिन्दौला/पीपरछेढ़ी/कोबरा बटालियन के जवानों कैम्प परिसर में मोर्चा निर्माण हेतु सेण्ड बैग/काला पोलिथिन/टिनशीट एवं अन्य सामग्री क्रय किया गया। जवानों के बैरकों के पेरीफेरी एरिया हेतु विद्युत सामग्री क्रय किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के मूलभूत सुविधाओं अंतर्गत पेयजल एवं स्नान तथा दैनिक निस्तारी/शौच व्यवस्था हेतु बाल्टी-मग्गा/पानी टंकी एवं अन्य सामग्री क्रय किया गया। जवानों के मेस संचालन हेतु किराये पर बर्तन सामग्री क्रय किया गया।	800000	799065

13/12/24
अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - पन्द्रह

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 145) की जानकारी

प्रपत्र

महासमुन्द जिले में संचालित नर्सिंग होम्स में सेफ्टी ऑडिट की जानकारी

क्र.	नर्सिंग होम/अस्पतालो का नाम	ऑडिट तिथि	पायी गई गड़बड़ी	गड़बड़ी पर की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आर.एल.सी. मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पीटल महासमुंद	22.02.2022	गड़बड़ी न हो इसके लिये आडिट अधिकारी के द्वारा इमरजेंसी स्केप लाईट की व्यवस्था, अग्निशामक यंत्रो की समय समय पर टेस्ट कराया जाना, अग्निशामक यंत्रो को फ्लोर लेबल से 1.5 मी. उचाई पर स्थापित करना, कर्मचारियो को प्रशिक्षित किया जाना, शार्ट शर्किट न हो, धुमप्रान निषेध का कड़ाई से पालन तथा अनुपयोगी एवं ज्वलनशील पदार्थो का भंडारण नही किये जाने हेतु दिशा निर्देश दिये गये है तथा पालन करने के सुझाव दिये है।	ऑडिट मे दिये गये सुझावो और पायी गई कमियो को दूर करने हेतु निर्देशित किया गया है।
2	अंबिका हॉस्पीटल खरखरी सरायपाली	22.02.2022		
3	बनर्जी दा फॉइव लोटस प्रा. लिमि. रायतुम (नैचुरोपैथी)	22.02.2022		
4	साई नमन हॉस्पीटल तुमगॉव	22.02.2022		
5	सेंतकुंवर नर्सिंग होम पिथौरा	22.02.2022		
6	साहू हॉस्पीटल लाखागढ पिथौरा	22.02.2022		
7	एस.एम.डी.सी. नर्सिंग होम सरायपाली	22.02.2022		
8	चण्डी हॉस्पीटल, बागबाहरा	23.02.2022		
9	अरोमा हेल्थकेयर हॉस्पीटल छिलपावन झलप	23.02.2022		
10	सोहम हॉस्पीटील लभरा महासमुंद	23.02.2022		
11	एन.सी.सी. अस्पताल झलप	23.02.2022		
12	जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पीटल एवं ट्रामा संटर पिथौरा जिला महासमुंद	ऑडिट पेंडिंग	–	–

क्र.	नर्सिंग होम/अस्पतालो का नाम	ऑडिट तिथि	पायी गई गड़बड़ी	गड़बड़ी पर की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	भारती हॉस्पीटल सरायपाली	25.03.2022	गड़बड़ी न हो इसके लिये आडिट अधिकारी के द्वारा इमरजेंसी स्केप लाईट की व्यवस्था, अग्निशामक यंत्रो की समय समय पर टेस्ट कराया जाना, अग्निशामक यंत्रो को फ्लोर लेबल से 1.5 मी. उचाई पर स्थापित करना, कर्मचारियो को प्रशिक्षित किया जाना, शार्ट शर्किट न हो, धुमप्रान निषेध का कड़ाई से पालन तथा अनुपयोगी एवं ज्वलनशील पदार्थो का भंडारण नही किये जाने हेतु दिशा निर्देश दिये गये है तथा पालन करने के सुझाव दिये है।	ऑडिट मे दिये गये सुझावो और पायी गई कमियो को दूर करने हेतु निर्देशित किया गया है।
14	श्री अकालपुरख हॉस्पीटल महासमुंद	25.03.2022		
15	आदित्य हॉस्पीटल एवं मेटरनिटी होम महासमुंद	25.03.2022		
16	सेवाभवन हॉस्पीटल जगदीशपुर पिथौरा	25.03.2022		
17	अग्रवाल नर्सिंग होम बसना	25.03.2022		
18	बेतेल हॉस्पीटल रसोड़ा बसना	25.03.2022		
19	जय पतईमाता हॉस्पीटल पटेवा	25.03.2022		
20	अवरलेडी ऑफ प्रोविडेंस हॉस्पीटल बसना	25.03.2022		
21	जैन नर्सिंग होम महासमुंद	25.03.2022		
22	पुष्पा हॉस्पीटल छुईपाली सरायपाली	25.03.2022		
23	महानदी हॉस्पीटल महासमुंद	ऑडिट पेंडिंग	आडिट अधिकारी को आडिट किये जाने हेतु दिनांक 21.08.2023 को पत्र प्रेषित किया गया है।	—
24	मॉ खल्लारी हॉस्पीटल बागबाहरा	ऑडिट पेंडिंग		—
25	ओम हॉस्पीटल सरायपाली	ऑडिट पेंडिंग		—
26	श्री उत्तम साई केयर हॉस्पीटल झलप	ऑडिट पेंडिंग		—
27	श्री श्याम हॉस्पीटल भंवरपुर बसना	ऑडिट पेंडिंग		—
28	शुभा नर्सिंग होम, झिलमिला सरायपाली	ऑडिट पेंडिंग		—
29	श्री कृष्ण केयर हॉस्पीटल पटेवा	ऑडिट पेंडिंग		—
30	आरोग्य चिल्ड्रन हॉस्पीटल, शिशु संस्कार स्कूल के पास महासमुंद	ऑडिट पेंडिंग	—	—

क्र.	नर्सिंग होम/अस्पतालो का नाम	ऑडिट तिथि	पायी गई गड़बड़ी	गड़बड़ी पर की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	भोई हॉस्पीटल, पदमपुर रोड ओवरब्रिज के पास सरायपाली जिला महासमुंद	ऑडिट पेंडिंग	—	—
32	नवजीवन हॉस्पीटल, बाजारपारा तुमगॉव जिला महासमुंद	ऑडिट पेंडिंग	—	—
33	नवजीवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पीटल, चिवराकुटा सिंघोड़ा सरायपाली जिला महासमुंद	ऑडिट पेंडिंग	—	—
34	ओम हास्पीटल टुरीडीह झलप वि.खं. व जिला महासमुंद	ऑडिट पेंडिंग	—	—
35	श्री राधेकृष्ण केयर हॉस्पीटल, बार चौक पटेवा वि.खं. व जिला महासमुंद	ऑडिट पेंडिंग	—	—
36	श्री गजानंद हॉस्पीटल लाखागढ पिथौरा जिला महासमुंद	ऑडिट पेंडिंग	—	—
37	कल्पना नर्सिंग होम, भंवरपुर बसना जिला महासमुंद	ऑडिट पेंडिंग	—	—
38	श्री कान्हा हॉस्पीटल तेंदुकोना बागबाहरा जिला महासमुंद	ऑडिट पेंडिंग	—	—

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय छत्तीसगढ़, नया रायपुर, अटल

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - सोलह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 23) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2021-22 से अक्टुबर 2024 तक दर्ज प्रकरणों की जिलेवार जानकारी (सरगुजा संभाग):-

क्र.	जिला	चोरी	डकैती	लूट	हत्या	हत्या का प्रयास	आत्महत्या	बलात्कार	नशीली पदार्थ की बिक्री	अवैध शराब बिक्री	नक्सली वारदात	सायबर क्राईम
01	सरगुजा	1674	7	75	207	59	32	572	179	1435	0	291
02	जशपुर	1057	5	46	224	54	1164	536	112	1828	1	60
03	कोरिया	203	2	11	51	20	9	137	133	932	0	38
04	एमसीबी	285	5	29	68	44	385	350	170	1334	0	32
05	बलरामपुर	350	8	35	191	76	27	622	66	1040	9	64
06	सूरजपुर	534	12	23	184	167	1186	385	170	1270	0	100

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र ''ब''

भिन्न-भिन्न अपराधों की रोकथाम हेतु प्रयासः-

- प्रदेश में अपराधों की रोकथाम एवं पीडित को त्वरित न्याय दिलाने के लिये अविलंब प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर यथाशीघ्र विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।प्रकरणों में साक्षियो की उपस्थिति माननीय न्यायालय में सुनिश्चित की जा रही है।
- प्रत्येक जिले के थानों में जन-जागरूकता अभियान एवं सघन पेट्रोलिंग, रात्रिगश्त चेकिंग अभियान, पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा नियमित रूप से असमाजिक तत्वों के एकत्र होने वाले स्थानों पर उनके विरूद्ध कार्यवाही, वाहनों की चेकिंग की कार्यवाही की जा रही है।
- अपराध नियंत्रण हेतु निगरानी बदमाशों/गुण्डा बदमाशों, संदेहियों एवं सजायाफ्तों की लगातार चेकिंग, आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है।
- आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी संकलित कर अपराध में अंकुश लगाने हेतु सतत् निगरानी रखी जा रही है।
- संगठित अपराध करने वाले जिला तथा अंतर्राज्यीय गिरोहों का डाटाबेस तैयार कर उनके विरूद्ध हिस्ट्रीशीट तैयार कर उनके गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है।
- संवेदनशील चिन्हित स्थानों के साथ होटल, लॉज, ढाबा एवं संदिग्ध स्थानों पर लगातार चेकिंग करायी जा रही है।
- **डायल 112 :-** डायल 112 आम जनता के लिए संचालित है जिसमें पीड़ित/आम जनता इस नम्बर पर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। दर्ज शिकायतों की त्वरित निराकरण किया जाता है।
- **कम्युनिटी पुलिसिंगः-** जनता में विश्वास पैदा करने के लिए विजिवल पुलिसिंग एवं बेसिक पुलिसिंग मजबूत की जा रही है। जनता के सहयोग से अपराधों में नियंत्रण हेतु समय-समय पर सामुदायिक पुलिसिंग, चलित थाना, ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति, कोटवारों की बैठक, शांति समिति, जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवी के साथ बैठक की जा रही है।
- **जागरूकता अभियानः-** यौन शोषण/ऑनलाईन शोषण के प्रति बालक/बालिकाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा स्कूलों/कॉलेजों एवं छात्रावासों में पोस्टर, शार्ट फिल्म, छायाचित्र आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है साथ ही स्कूल, कॉलेज, मॉल एवं सिनेमाघरों के आसपास पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही है।
- **महिला एवं बच्चों के विरूद्ध हो रहे अपराध को रोकने हेतु अभिव्यक्ति ऐपः-** महिला/बालिकाओं की सुरक्षा एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु लॉच किया गया हैं, वर्तमान में इस ऐप पर 2 लाख से भी अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं।
- **महिला हेल्पलाईन 181 योजना-** राज्यव्यापी 24×7 टोल फ्री नम्बर महिला के विरूद्ध होने वाली हिंसा/घटना के मामलों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए संचालित है।

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

- **सखी वन स्टाप सेंटर योजना**- प्रदेश के 27 जिलों में पीड़ित महिला/बालिकाओ को आवश्यकतानुसार चिकित्सा, विधिक, पुलिस, अस्थायी आश्रय, मानसिक चिकित्सा/परामर्श की सुविधायें तत्काल उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **मिशन वात्सल्य योजना**- किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के अधीन संस्थागत/गैर संस्थागत बालकों की देखरेख, चाईल्ड हेल्प लाईन (1098) तथा जन-जागरूकता के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है।
- <u>शिकायत समितिः-</u> महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध और प्रतितोश) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत कार्यालयों/कार्यस्थलों में आंतरिक निकायत समिति एवं जिलों मे स्थानीय निकायत समिति का गठन किया गया है।
- **महिला उत्पीड़न निवारण एवं अनैतिक व्यापार रोकथाम समिति** - प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न निवारण एवं अनैतिक व्यापार रोकथाम समिति का गठन किया गया है।

- <u>ITSSO</u> **:- (Investigation tracking system for sexual offences)** के माध्यम से महिलाओं से संबंधित प्रकरणों की समयावधि में विवेचना की मॉनिटरिंग की जा रही है।

- **पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना**- "यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना के तहत पीड़ितों को राहत राशि प्रदान की जा रही है।

- <u>नशामुक्ति अभियानः-</u> प्रदेश में नशे के विरूद्ध **"निजात", "नशामुक्त भारत अभियान"** के तहत् **"मानस"** ऐप लांच किया गया है कार्यक्रम के अंतर्गत जनजागरूकता अभियान चलाकर नशा करने वालों को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराया जा रहा है, जिसके लिए नशामुक्ति टोलफ्री नम्बर 14446 तथा रिर्पोटिंग टोलफ्री नम्बर 1933 जारी किया गया है एवं नशा का कारोबारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

अनुसंधान अधिकारी
पुलिस विभाग
पी.एस.टी., रायपुर

प्रपत्र ''स''

सायबर क्राईम/ठगी के रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासः-

- **साइबर पोर्टलः**-राज्य में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु साइबर क्राइम पोर्टल, समन्वय पोर्टल सीआईआर पोर्टल संचालित है।
- **साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर**- हेल्पलाईन नंबर 1930 के माध्यम् से ठगी की गई राशि को होल्ड कर माननीय न्यायालय के माध्यम से राशि वापसी करायी जा रही है।
- **रेंज साइबर थानों का संचालन**- राज्य के 05 संभाग में सायबर थाना एवं फॉरेंसिक लैब संचालित की जा रही है।
- **साइबर जागरूकता**- राज्य में ''सुनो रायपुर'', ''साइबर मितान'', ''सेल्फी विथ साइबर संगी'' अभियान एवं ''साइबर कवच'' सायबर जनजागरूकता पखवाड़ा एवं सायबर वालंटियर के माध्यम् से स्कूल कॉलेज एवं आम जनता को जागरूकता चलाया जा रहा है।
- **क्षमता विकास (Capacity Building)**- सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के अंतर्गत कुल 2782 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों एवं डीपीओ को प्रशिक्षण दिया गया है।
- **अद्योसंरचना**- साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हेल्पलाईन नंबर 1930 के प्रभावी संचालन हेतु पुलिस मुख्यालय में आधुनिक कॉल सेंटर की स्थापना किया गया है। राज्य साइबर फोरेंसिक लैब का उन्नयन किया जा रहा है।

गृह (पुलिस) विभाग स्तर पर साइबर अपराध की रोकथाम हेतु भावी योजना

- आगामी वर्षो में समस्त जिला मुख्यालय में आधुनिक तकनीक एवं टूल्स से युक्त साइबर थाना की स्थापना एवं बल संवर्धन की योजना है।
- आई.टी. कॉडर के तहत तकनीकी रूप से दक्ष आई.टी. प्रोफेशनल की नियुक्ति की जायेगी।
- रेंज स्तर पर साइबर फोरेंसिक क्षमता का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

psdh

प्रपत्र-अ

(क) जिला–दुर्ग अंतर्गत 19 निजी नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है।

छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा सत्र 2024–25 हेतु मान्यता प्रदान किये जाने वाले संस्थाओं की पाठ्यक्रमवार सूची सीट संख्या सहित एवं भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली द्वारा उपयुक्त संस्थाओं की 29.11.2024 की स्थिति की सूची (संलग्न)

कमांक	महाविद्यालय का नाम एवं पता	वर्ष 2024–25 हेतु संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रम सीट संख्या सहित					भारतीय उपचर्या परिषद्, दिल्ली द्वारा उपयुक्तता सूची दिनांक 29.11.2024 की सूची
		बी.एस.सी. नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2024–25 हेतु	पो.बे.बी.एस.सी. नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2024–25 हेतु	एम.एस.सी. नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2024–25 हेतु विषयवार	जी.एन.एम. सत्र 2024–25 हेतु	डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2024–25 हेतु	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री चन्द्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट, वार्ड नं. 60, गली नं. 05, पुष्पक नगर, दुर्ग (छ.ग.)	50	30	Nill	40	Nill	सूची संलग्न है।
2	संदीपनी ऐकेडमी अछोटी, पोस्ट मुरमुंदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	40	40	30 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग – 10 कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग – 05 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग – 05 पिडियाट्रिक नर्सिंग – 10	40 जीएनएम से बी.एस.सी. नर्सिंग उन्नयन	Nill	
3	सी. एम. नर्सिंग इंस्टीट्यूट चंदूलाल चंद्राकर स्मृति हॉस्पिटल, नेहरू नगर चौक, जी.ई. रोड भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)	120	20	12 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग – 04 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग – 04 पिडियाट्रिक नर्सिंग – 04	Nill	Nill	
4	अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वेटेनरी महाविद्यालय के सामने, अंजोरा, दुर्ग (छ.ग.)	90	30	15 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग – 05 कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग – 05 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग – 05	40	Nill	
5	सुयश कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अहिवारा रोड, ग्राम कंदरका तहसील धमधा, कुम्हारी दुर्ग (छ.ग.)	60	Nill	Nill	Nill	Nill	

अनुभाग अधिकारी
चिकित्सा शिक्षा विभाग,

कमांक	महाविद्यालय का नाम एवं पता	वर्ष 2024–25 हेतु संचालित नर्सिंग पाठ्यकम सीट संख्या सहित					भारतीय उपचर्या परिषद, दिल्ली द्वारा उपयुक्तता सूची दिनांक 29.11.2024 की स्थिति में
		बी.एस.सी. नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2024–25 हेतु	पो.बे.बी.एस.सी. नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2024–25 हेतु	एम.एस.सी. नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2024–25 हेतु विषयवार	जी.एन.एम. सत्र 2024–25 हेतु	डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2024–25 हेतु	
6	एम. जे. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोहका, जुनवानी रोड, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	80	Nill	Nill	Nill	Nill	सूची संलग्न है।
7	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, धनोरा रोड, रिसाली भिलाई, दुर्ग (छ.ग.)	40	Nill	Nill	Nill	Nill	
8	पी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सेक्टर 5 हॉस्पिटल, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	130	30	30 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग – 06 कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग – 06 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग – 06 पिडियाट्रिक नर्सिंग – 06 साइकेट्रिक नर्सिंग – 06	Nill	Nill	
9	रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मॉडल टाउन भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	60	40	Nill	40	Nill	
10	भारती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पुलगांव चौक, दुर्ग (छ.ग.)	40	Nill	Nill	Nill	Nill	
11	मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कुम्हारी, पावर ग्रिड कार्पो. के पास, ग्राम चोरहा, रामपुर, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	100	20	20 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग –05 कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग – 05 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग – 05 साइकेट्रिक नर्सिंग – 05	Nill	Nill	
12	छत्तीसगढ़ नर्सिंग कॉलेज, रिसाली, धनोरा रोड, भिलाई जिला–दुर्ग (छ. ग.)	40	Nill	Nill	Nill	Nill	
13	श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आमदी नगर, हुडको, भिलाई, दुर्ग (छ.ग.)	140	20	44 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग –15 कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग –13 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग –09 पिडियाट्रिक नर्सिंग – 07	Nill	Nill	

अनुभाग अधिकारी
चिकित्सा शिक्षा विभाग,

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम एवं पता	वर्ष 2024–25 हेतु संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रम सीट संख्या सहित						भारतीय उपचर्या परिषद, दिल्ली द्वारा उपयुक्तता सूची दिनांक 29.11.2024 की स्थिति में
		बी.एस.सी. नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2024–25 हेतु	पो.बे.बी.एस.सी. नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2024–25 हेतु	एम.एस.सी. नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2024–25 हेतु विषयवार		जी.एन.एम. सत्र 2024–25 हेतु	डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2024–25 हेतु	
14	मैत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जी.ई. रोड, अंजोरा दुर्ग (छ.ग.)	60	Nill	20	मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग – 06 कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग – 04 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग – 06 पिडियाट्रिक नर्सिंग – 04	Nill	Nill	सूची संलग्न है।
15	श्रेयास कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जी.ई. रोड सुपेला भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	40	Nill	25	मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग – 05 कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग – 05 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग – 05 पिडियाट्रिक नर्सिंग – 05 साइकेट्रिक नर्सिंग – 05	30	Nill	
16	शंकराचार्य स्वामी स्वारूपानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, स्मृति नगर, जुनवानी भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	100	Nill	23	मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग – 05 कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग – 05 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग – 05 पिडियाट्रिक नर्सिंग – 05 साइकेट्रिक नर्सिंग – 03	Nill	Nill	
17	श्री सी.एम. नर्सिंग कॉलेज, समर्पण प्रियदर्शनी परिसर वेस्ट, चन्दूलाल चन्द्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल के पीछे, नेहरू नगर भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) 490020	60	Nill	Nill		Nill	Nill	
18	बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बोरसी, जिला दुर्ग (छ.ग.)	60	Nill	Nill		Nill	Nill	
19	लीला देवी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम मोतीपुर, तह. पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)	60 नया प्रस्ताव सत्र 2022–23	Nill	Nill		Nill	Nill	

अनुभाग अधिकारी
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

(क) जिला–दुर्ग अंतर्गत 19 निजी नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है।

छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा सत्र 2024–25 हेतु मान्यता प्रदान किये जाने वाले सस्थाआ की पाठ्यक्रमवार सूची सीट संख्या एवं निरीक्षकों के नाम सहित तथा भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली द्वारा उपयुक्त संस्थाओं की 29.11.2024 की स्थिति की सूची (संलग्न)

कमांक	महाविद्यालय का नाम एवं पता	वर्ष 2024–25 हेतु संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रम सीट संख्या सहित				निरीक्षकों का नाम सत्र 2024–25 हेतु निरीक्षण आदेश के अनुसार (आदेश संलग्न)	भारतीय उपचर्या परिषद्, दिल्ली द्वारा उपयुक्तता सूची दिनांक 29.11.2024 की सूची
		बी.एस.सी. नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2024–25 हेतु	पो.बे.बी.एस.सी. नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2024–25 हेतु	एम.एस.सी. नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2024–25 हेतु विषयवार	जी.एन.एम. सत्र 2024–25 हेतु		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री चन्द्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट, वार्ड नं. 60, गली नं. 05, पुष्पक नगर, दुर्ग (छ.ग.)	50	30	Nill	40	1. डॉ. अतुल मनोहर राव देशकर 2. श्रीमती तृप्ति साहू 3. श्रीमती अनिता सोनी	सूची संलग्न है।
2	संदीपनी ऐकेडमी अछोटी, पोस्ट मुरमुंदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	40	40	30 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग – 10 कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग – 05 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग – 05 पिडियाट्रिक नर्सिंग – 10	40 जीएनएम से बी. एस.सी. नर्सिंग उन्नयन	1. डॉ. स्वाति हिवले 2. डॉ. श्रीमती एस.आर. पिटर 3. श्रीमती तृप्ति साहू	
3	सी. एम. नर्सिंग इंस्टीट्यूट चंदूलाल चंद्राकर स्मृति हॉस्पिटल, नेहरू नगर चौक, जी.ई. रोड भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)	120	20	12 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग – 04 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग – 04 पिडियाट्रिक नर्सिंग – 04	Nill	1. डॉ. अतुल मनोहर राव देशकर 2. श्रीमती दुर्गावती कुंजाम 3. श्रीमती श्वेता सिंदुर	
4	अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वेटेनरी महाविद्यालय के सामने, अंजोरा, दुर्ग (छ.ग.)	90	30	15 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग – 05 कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग – 05 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग – 05	40	1. डॉ. देवप्रिय रथ 2. डॉ. श्रीमती एस.आर. पिटर 3. श्रीमती ज्योति ठाकुर	
5	सुयश कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अहिवारा रोड, ग्राम कंदरका तहसील धमधा, कुम्हारी दुर्ग (छ.ग.)	60	Nill	Nill	Nill	1. डॉ. जयंती चंद्राकर 2. श्रीमती वंदना चंसोरिया 3. श्रीमती शोभी संजीव	

सहायक संचालक
विकलांग शिक्षा विभाग
रायपुर (छ.ग.)

6	एम. जे. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोहका, जुनवानी रोड, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	80	Nill	Nill		Nill	1. डॉ. विजय कुमार मनवानी 2. डॉ. श्रीमती एस.आर. पिटर 3. श्रीमती ज्योति ठाकुर	सूची संलग्न है।
7	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, धनोरा रोड, रिसाली भिलाई, दुर्ग (छ.ग.)	40	Nill	Nill		Nill	1. श्रीमती चंद्रकला जंघेल 2. श्रीमती श्रद्धा चंद्राकर	
8	पी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सेक्टर 5 हॉस्पिटल, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	130	30	30	मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग – 06 कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग – 06 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग – 06 पिडियाट्रिक नर्सिंग – 06 साइकेट्रिक नर्सिंग – 06	Nill	1. डॉ. आनंद राव 2. श्रीमती ममता कौर कपूर 3. श्रीमती भुनेश्वरी दास	
9	रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मॉडल टाउन भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	60	40	Nill		40	1. श्रीमती दुर्गावती कुंजाम 2. श्री स्वप्निल लाल 3. श्रीमती अमृता राजपूत	
10	भारती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पुलगांव चौक, दुर्ग (छ.ग.)	40	Nill	Nill		Nill	1. डॉ. बुधहर लाल चंद्राकर 2. श्रीमती बसंती चकवर्ती 3. श्रीमती राधिका साहू	
11	मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कुम्हारी, पावर ग्रिड कार्पो. के पास, ग्राम चोरहा, रामपुर, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	100	20	20	मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग –05 कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग – 05 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग – 05 साइकेट्रिक नर्सिंग – 05	Nill	1. डॉ. अंशुल सिंघाई 2. डॉ. श्रीमती उमा शेण्डे 3. श्रीमती राधिका साहू	
12	छत्तीसगढ़ नर्सिंग कॉलेज, रिसाली, धनोरा रोड, भिलाई जिला–दुर्ग (छ. ग.)	40	Nill	Nill		Nill	1. डॉ. शशिकांत स्वर्णकार 2. श्रीमती सीता परगनिहा 3. श्रीमती बसंती चकवर्ती	
13	श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आमदी नगर, हुडको, भिलाई, दुर्ग (छ.ग.)	140	20	44	मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग –15 कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग –13 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग –09 पिडियाट्रिक नर्सिंग – 07	Nill	1. श्रीमती वर्तिका गौराहा 2. श्रीमती रचना अब्राहम	
14	मैत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जी.ई. रोड, अंजोरा दुर्ग (छ.ग.)	60	Nill	20	मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग – 06 कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग – 04 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग – 06 पिडियाट्रिक नर्सिंग – 04	Nill	1. डॉ. रत्ना अग्रवाल 2. श्रीमती दिप्तिका नेन्सी कुशवाहा 3. श्रीमती रेशमा एक्का	

अनुभाग अधिकारी
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय रायपुर (छ.ग.)

15	श्रेयास कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जी.ई. रोड सुपेला भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	40	Nill	25	मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग – 05 कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग – 05 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग – 05 पिडियाट्रिक नर्सिंग – 05 साइकेट्रिक नर्सिंग – 05	30	1. श्रीमती सलमा खान 2. श्रीमती बसंती चकवर्ती 3. श्रीमती मीना ठाकुर	सूची संलग्न है।
16	शंकराचार्य स्वामी स्वारूपानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, स्मृति नगर, जुनवानी भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	100	Nill	23	मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग – 05 कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग – 05 ऑब्स एंड गायनी नर्सिंग – 05 पिडियाट्रिक नर्सिंग – 05 साइकेट्रिक नर्सिंग – 03	Nill	1. श्रीमती दुर्गावती कुंजाम 2. श्रीमती श्वेता सिंदुर 3. श्रीमती रंजना सोनवानी	
17	श्री सी.एम. नर्सिंग कॉलेज, समर्पण प्रियदर्शनी परिसर वेस्ट, चन्दूलाल चन्द्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल के पीछे, नेहरू नगर भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) 490020	60	Nill	Nill		Nill	1. डॉ. रोली चंद्राकर 2. श्रीमती दुर्गावती कुंजाम 3. श्रीमती बसंती चकवर्ती	
18	बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बोरसी, जिला दुर्ग (छ.ग.)	60	Nill	Nill		Nill	1. डॉ. अतुल मनोहर राव देशकर 2. श्रीमती स्मिता झा 3. श्रीमती अनिला मेनन	
19	लीला देवी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम मोतीपुर, तह. पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)	60 नया प्रस्ताव सत्र 2022–23	Nill	Nill		Nill	1. डॉ. विजन कुमार मनवानी 2. श्रीमती शैलू साजी 3. डॉ. श्रीमती एस.आर. पिटर	

अनुभाग अधिकारी
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-स

सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072021-228130
CG-DL-E-06072021-228130

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2021/आषाढ़ 14, 1943
No. 275] NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 2021/ASHADHA 14, 1943

भारतीय उपचर्या परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

[भारतीय उपचर्या परिषद् {बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए संशोधित नियम एवं पाठ्यक्रम}, विनियम, 2020]

फा.सं. 11–1/2019–आईएनसी:–समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 16(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, यथा :–

लघु शीर्षक और प्रवर्तन

i. ये विनियम भारतीय उपचर्या परिषद् {बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए संशोधित नियम एवं पाठ्यक्रम}, विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

ii. ये विनियम भारत के राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे।

परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

i. 'अधिनियम' का अभिप्राय समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) से है;

ii. 'परिषद्' का अभिप्राय 1947 के अधिनियम के तहत गठित भारतीय उपचर्या परिषद् से है;

iii. 'एसएनआरसी' का अभिप्राय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किसी भी नाम से गठित तथा बोली जाने वाली राज्य उपचर्या एवं प्रसाविका पंजीकरण परिषद् से है;

iv. 'बी.एससी. (नर्सिंग)' का अभिप्राय परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 10 के तहत स्वीकृत तथा अधिनियम की अनुसूची के भाग–II में शामिल 4–वर्षीय बी.एससी. (नर्सिंग) स्नातक प्रशिक्षण से है;

v. 'प्राधिकरण' का अभिप्राय बी.एससी. (नर्सिंग) उपाधि प्रदान करने के लिए परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त तथा अधिनियम की अनुसूची के भाग–II में शामिल एक विश्वविद्यालय या निकाय से है, जो किसी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया हो;

vi. 'स्कूल ऑफ नर्सिंग' का अभिप्राय जीएनएम पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान है;

अनुभाग अधिकारी
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
[illegible] रायपुर (छ.ग.)

और वह ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी को भवन 30 वर्ष के लिए पट्टे पर देता/देती है, तो उसे नर्सिंग संस्थान का अपना भवन माना जाएगा।

ब) ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी के पक्ष में भवन के विधिवत पंजीकृत उपहार विलेख को 'अपना भवन' माना जाएगा।

इसके अलावा यह स्पष्ट किया जाता है कि, यदि भवन का पट्टा किसी सरकारी प्राधिकरण और ट्रस्ट/ सोसाइटी/कंपनी नर्सिंग संस्थान के बीच है और पट्टा 30 वर्ष या उससे अधिक के लिए है, तो इसे भी स्वयं का भवन माना जाएगा।

भवन का कोई भी विलेख जो ऊपर दिए गए खंड (अ) या (ब) के अनुसार नहीं है, केवल 'किराये का भवन' माना जाएगा।

स) अपरिवर्तनीय मुख्तारनामा के मामलों में, भवन के दस्तावेजों को विधिवत पंजीकृत किया जाना चाहिए।

द) **अपना भवन न होने पर जुर्माना:** जिन संस्थानों के पास स्थापना के दो वर्ष के भीतर अपना भवन नहीं है, उन्हें अपना भवन न होने के लिए जुर्माना देना पड़ता है। बी.एससी. (नर्सिंग) के लिए लगातार 6 वर्ष तक जुर्माने की राशि 1 लाख रुपए होगी। यदि 6 वर्ष के बाद भी संस्था के पास अपना भवन नहीं है तो अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी के ट्रस्टी/ सदस्य/निदेशक के साथ 30 वर्ष का पट्टा मान्य है।

अ) शिक्षण ब्लॉक

कॉलेज ऑफ नर्सिंग की दूरी अपने मूल अस्पताल से 30 किलोमीटर से कम होनी चाहिए, और संस्थागत क्षेत्र में विस्तार के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध होनी चाहिए। **साठ** छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज के लिए, कॉलेज का निर्मित क्षेत्र **23200** वर्ग फुट होना चाहिए।

साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए निर्मित क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	शिक्षण ब्लॉक	क्षेत्र (वर्ग फुट में)
1	व्याख्यान कक्ष	4 @ 900 = 3600
2	**कौशल प्रयोगशाला/सिमुलेशन प्रयोगशाला**	
	i. वयस्क स्वास्थ्य नर्सिंग एवं उन्नत नर्सिंग सहित मौलिक नर्सिंग प्रयोगशाला	1600
	ii. सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग एवं पोषण प्रयोगशाला	1200
	iii. प्रसूति एवं स्त्री रोग नर्सिंग प्रयोगशाला	900
	iv. बाल स्वास्थ्य नर्सिंग प्रयोगशाला	900
	v. प्री–क्लिनिकल साइंस प्रयोगशाला	900
3	कंप्यूटर प्रयोगशाला*	1500
4	ऑडियो–विजुअल एड्स कक्ष	600
5	बहुउद्देशीय हॉल	3000
6	विनोद कक्ष (पुरुष एवं महिला)	1000
7	स्टाफ कक्ष	800
8	प्रधानाचार्य कक्ष	300
9	उपप्रधानाचार्य कक्ष	200
10	पुस्तकालय	2300
11	प्रत्येक विभागाध्यक्ष के लिए एक कक्ष	5 @ 200 = 1000
12	संकाय कक्ष	2400
13	शौचालय के लिए प्रावधान	1000
	कुल निर्मित क्षेत्र	**23200 वर्ग फुट**

***नोट:** प्रविष्ट छात्रों की संख्या आधार पर 1 : 5 कंप्यूटर छात्र अनुपात।

नोट:

i. नर्सिंग शैक्षणिक संस्थान केवल संस्थागत क्षेत्र में होना चाहिए न कि आवासीय क्षेत्र में।

ii. यदि संस्थान के एक ही भवन में गैर–नर्सिंग कार्यक्रम भी संचालित हैं, तो नर्सिंग कार्यक्रम के लिए अलग से शिक्षण ब्लॉक होना चाहिए।

iii. अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ पारी–वार प्रबंधन मान्य नहीं होगा।

iv. यदि संस्थान अस्पताल परिसर में है तो अलग से शिक्षण ब्लॉक होना चाहिए।

v. निर्मित क्षेत्र का आकार स्वीकृत सीटों की संख्या के अनुपात में बढ़/घट जाएगा।

vi. किन्हीं भी दो नर्सिंग कॉलेजों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए।

अनुभाग अधिकारी
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

स्टेशनरी आइटम जैसे इंडेक्स कार्ड, बौरोवर कार्ड, लेबल और रजिस्टर के लिए प्रावधान होना चाहिए। पुस्तकालय में ...क, पत्रिकाएं, जर्नल, समाचार पत्र और अन्य साहित्य उपलब्ध होने चाहिए।

...स्तकालय में नर्सिंग के विभिन्न विषयों से संबंधित कम से कम 500 या उससे अधिक पुस्तकें (सभी के नए संस्करण), 3 तरह के ...र्सिंग जर्नल, 3 तरह की पत्रिकाएं, 2 तरह के समाचार पत्र और अन्य सामयिक स्वास्थ्य संबंधी साहित्य उपलब्ध होने चाहिए।

कॉलेज से संबंधित रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण कागजात/दस्तावेजों के उचित भंडारण के लिए स्टील रैक, बिल्ट–इन अलमारियां व रैक, कपबोर्ड और फाइलिंग कैबिनेट के साथ एक अलग रिकॉर्ड रूम होना चाहिए।

5. ऑडियो–विजुअल एड्स कक्ष एवं भंडारण कक्ष

सभी ऑडियो–विजुअल एड्स के उचित और सुरक्षित भंडारण के लिए एक कक्ष प्रावधान किया जाना चाहिए। कॉलेज में सभी प्रकार के बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण सहायक सामग्री जैसे चाक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड एवं फिल्म–स्ट्रिप प्रोजेक्टर, मॉडल्स के नमूने, चार्ट एवं पोस्टर, टेलिविजन एवं वीसीआर, फोटोस्टेट मशीन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, एलसीडी, और लैपटॉप उपलब्ध होने चाहिए।

कॉलेज की प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरण और अन्य सामग्री को सुरक्षित भंडारण के लिए एक कक्ष का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस कक्ष में उपकरणों एवं सामग्री, कपबोर्ड, बिल्ट–इन–अलमारियां, रैक, केबिनेट, मेज और कुर्सियां जैसे फर्नीचर आदि के उचित एवं सुरक्षित भंडारण की सुविधा होनी चाहिए। इस कक्ष में उचित प्रकाश की सुविधा होनी चाहिए और यह अच्छी तरह से हवादार होना चाहिए।

6. अन्य सुविधाएं

कॉलेज में पुरुष और महिला दोनों के लिए सुरक्षित पेयजल और पर्याप्त सैनिटरी/शौचालय की अलग–अलग सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। छात्रों के लिए भी हाथ धोने की सुविधा के साथ शौचालय की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

7. गैराज

गैराज में **50** सीटों वाले वाहन को खड़ा करने की जगह होनी चाहिए।

8. अग्निशामक यंत्र

स्थानीय नियमों के अनुसार आग बुझाने के पर्याप्त साधनों का प्रावधान किया जाना चाहिए।

9. खेल का मैदान

आउटडोर खेल जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और एथलेटिक्स के लिए खेल के मैदान का आकार पर्याप्त एवं विशाल होना चाहिए।

ब. छात्रावास ब्लॉक

नर्सिंग कॉलेज के निर्धारित निर्मित क्षेत्र के अतिरिक्त छात्रों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त छात्रावास एवं आवास सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

छात्रावास ब्लॉक (60 छात्र)

क्र.सं.	छात्रावास ब्लॉक	क्षेत्र (वर्ग फुट में)
1	सिंगल रूम	12500 (प्रत्येक छात्र के लिए 50 वर्ग फुट)
	डबल रूम	
2	प्रसाधन कक्ष (सेनेटरी)	5 छात्रों के लिए एक लैट्रीन तथा एक बाथ रूम – 600 × 4 = 2400
3	आगंतुक कक्ष	500
4	वाचनालय	250
5	भंडार कक्ष	500
6	मनोरंजन कक्ष	500
7	भोजनालय	3000
8	रसोई तथा स्टोर	1500
9	वार्डन कक्ष	450
	योग	**21100 वर्ग फुट**

निर्मित क्षेत्र का कुल योग

शिक्षण ब्लॉक	23200 वर्ग फुट
हॉस्टल ब्लॉक	21100 वर्ग फुट
कुल योग	**44300 वर्ग फुट**

{**नोटः** संस्थान में प्रविष्ट कुल छात्रों के 30 प्रतिशत के लिए छात्रावास का न्यूनतम प्रावधान अनिवार्य है और तदनुसार पाठ्यक्रम में निर्धारित अनुसार छात्रावास के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे।}

अनुभाग अधिकारी
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
...नया रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - अट्ठारह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 146) की जानकारी

प्रपत्र

महासमुन्द जिला अंतर्गत बसना विधानसभा क्षेत्र के सड़कविहीन गांव की जानकारी

स. क्र.	जिला/ पीआईयू का नाम	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड का नाम	सड़क विहीन ग्राम
1	2	3	4	5
1	महासमुंद	बसना	पिथौरा	बोईरड़ीह बस्ती
2	महासमुंद	बसना	पिथौरा	देवलगढ़ बस्ती

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - उन्नीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 161) की जानकारी

प्रपत्र

क्रमांक	जिले का नाम	30 नबंम्बर 2024 की स्थिति में पात्र हितग्राही	पात्र हितग्राहियों में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशनधारी	पात्र हितग्राहियों में गैर पेंशनधारी
1	बालोद	251442	39699	211743
2	बलौदाबाजार	329299	35794	293505
3	बलरामपुर	213485	30895	182590
4	बस्तर	193203	23312	169891
5	बेमतरा	253646	26698	226948
6	बीजापुर	38370	3104	35266
7	बिलासपुर	423613	54856	368757
8	दंतेवाड़ा	54660	5942	48718
9	धमतरी	234636	32967	201669
10	दुर्ग	402789	37883	364906
11	गरियाबंद	183007	28704	154303
12	गौरेला पेड्रा मरवाही	95566	16334	79232
13	जांजगीर-चांपा	289132	38737	250395
14	जशपुर	231505	31371	200134
15	कबीरधाम	254339	35783	218556
16	कांकेर	184278	17494	166784
17	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	116651	13179	103472
18	कोण्डागांव	140282	17896	122386
19	कोरबा	293828	39895	253933
20	कोरिया	59722	6812	52910
21	महासंमुद	324312	43303	281009
22	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	101131	7639	93492
23	मोहेला-मानपुर अम्बागढ़ चौकी	82118	11742	70376
24	मुंगेली	213216	36327	176889
25	नारायणपुर	27474	3581	23893
26	रायगढ़	304679	53719	250960
27	रायपुर	531806	39270	492536
28	राजनांदगांव	257328	29155	228173

क्रमांक	जिले का नाम	30 नबंम्बर 2024 की स्थिति में पात्र हितग्राही	पात्र हितग्राहियों में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशनधारी	पात्र हितग्राहियों में गैर पेंशनधारी
29	सक्ती	198938	33058	165880
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	189836	44845	144991
31	सुकमा	52200	5896	46304
32	सूरजपुर	215987	25280	190707
33	सरगुजा	232352	35504	196848
	कुल	**6974830**	**906674**	**6068156**

प्रपत्र– अ

आकस्मिक (कंटीजेंसी) राशि एवं जनसंपर्क मद में प्राप्त राशि की जानकारी

(राशि रू. लाख में)

क्र.	वर्ष	जनपद पंचायत का नाम	कंटीजेंसी मद में प्राप्त राशि	व्यय राशि	जनसंपर्क मद में प्राप्त राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	2021-22	पाली	–	–	7.82	7.56
		पोड़ी उपरोड़ा	–	–	0.00	0.00
योगः–					**7.82**	**7.56**
2	2022-23	पाली	–	–	4.70	4.70
		पोड़ी उपरोड़ा	–	–	0.00	0.00
योगः–					**4.70**	**4.70**
3	2023-24	पाली	–	–	8.08	0.00
		पोड़ी उपरोड़ा	–	–	0.00	0.00
योगः–					**8.08**	**0.00**
4	2024-25	पाली	–	–	0.00	0.00
		पोड़ी उपरोड़ा	–	–	0.00	0.00
योगः–					**0.00**	**0.00**

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महा[illegible]

जनसंपर्क मद में प्राप्त राशि के व्यय की जानकारी

(राशि रू. लाख में)

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	कार्य/मद का नाम जिस पर राशि व्यय किया गया है	जनसंपर्क मद से व्यय राशि	अधिकारी का पदनाम जिनकी अनुशंसा पर व्यय किया गया है	व्यय हेतु जनपद पंचायत की सामान्य सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है या नहीं	यदि नहीं तो क्या इस संबंध में कोई शिकायत की गई है या नहीं	यदि हां तो क्या शिकायत की जांच हेतु दल का गठन किया गया	जांच दिनांक	जांचकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	जांच प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पाली	जनसम्पर्क हितग्राही	7.56	तहसीलदार कटघोरा	नहीं	नहीं	–	–	–	–
	पोड़ी उपरोड़ा	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–
योगः–			**7.56**							
2	पाली	जनसम्पर्क हितग्राही	4.70	तहसीलदार कटघोरा	नहीं	नहीं	–	–	–	–
	पोड़ी उपरोड़ा	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–
योगः–			**4.70**							

एवं ग्रामीण विकास

नया रायपु

पारिशिष्ट - इक्कीस
पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 181) की जानकारी

प्रपत्र

सीतापुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पहुंच विहीन ग्राम की जानकारी

क्र.	ग्राम/बसाहट का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	आवागमन की सुविधा हेतु प्रस्तावित योजना
1	2	3	4
1	पेरवाआरा	देवगढ़	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएमजनमन)
2	महुआबथान कोरवापारा	सूर	
3	कोरवापारा	पेटला	
4	बोड़ाझरिया	ढोढ़ागांव	
5	डूमरबूढ़ा	गहिला	
6	पलिहारडूगु	सुवारपारा	
7	लउवाकोना	बिरीमकेला	
8	टिरंगखास	टीरंग	
9	अमटिझरिया	गोविन्दपुर	
10	सेमरहिया	गोविन्दपुर	
11	खीराआमा	गोविन्दपुर	
12	टिकरापारा	सल्याडीह	
13	लोटापानी	कतकालो	
14	मुसाखोल	कुनिया	
15	किराडांड	सुपलगा	
16	पन्हीपखना	परपटिया	
17	बरवाली	नर्मदापुर	
18	बिकुलढाब	नर्मदापुर	
19	नर्मदापुर जमापहाड़	नर्मदापुर	
20	खिरहीरपारा	बड़ेदमाली	
21	बरवाबोदर	चिपरकाया	
22	चुटयापहरी	चिपरकाया	
23	घूईडांड	उडूमकेला	
24	जंगलपारा	उडूमकेला	
25	मोहनीडिहारी	उडूमकेला	
26	गेलहापानी पिड़िया	पिड़िया	
27	मालतीपुर	कलजिवा	
28	जामकानी कोरवापारा	बंदना	
29	मड़वासरई	असकरा	
30	सरहापानी	जामझरिया	
31	घुटियाडांड		
32	कोंदी ढोडी	बगडोली	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - बाईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 431) की जानकारी

प्रपत्र–अ

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

स.क्रं	पंचायत का नाम	स्वीकृत आवास	प्रथम किश्त जारी	द्वितीय किश्त जारी	तृतीय किश्त जारी
1	आमगांव	28	26		
2	आंकडीह	14	13		
3	अकोला	13	13		
4	अमलडीहा	180	175		
5	बहतरा	48	44		
6	बकरकूदा	81	74		
7	बनियाडीह	76	72		
8	बसंतपुर	85	84		
9	बसहा	49	39		
10	बेलटूकरी	58	57	18	
11	भदौरा	26	26		
12	भनेसर	76	75		
13	भरारी	113	108		
14	भटचौरा	190	184		
15	भिलाई	31	30		
16	भिलौनी	17	15		
17	भुरकूण्डा	57	54		
18	बिनौरी	194	158		
19	बिटकूलाा	223	183	46	
20	बोहारडीह	65	64		
21	बुढ़ीखार	74	64		
22	चकरबेढ़ा	45	24	2	
23	चिल्हाटी	200	191	42	
24	चिस्दा	53	41		
25	चौहा	9	9		
26	डगनिया	224	208		
27	दर्राभाठा	300	294	2	
28	दर्रीघाट	56	40		
29	देवगांव	8	8	30	
30	देवरी	93	88		
31	धनगंवा	58	52		

स.कं	पंचायत का नाम	स्वीकृत आवास	प्रथम किश्त जारी	द्वितीय किश्त जारी	तृतीय किश्त जारी
32	धानिया	13	12	8	
33	धुर्वाकारी	158	153		
34	डोंड़की	34	33		
35	एरमसाही	199	191		
36	गतौर	396	346		
37	गिधपुरी	120	114	54	
38	गोडाडीह	108	80		
39	गोपालपुर	48	48	50	
40	गुड़ी	72	65		
41	हरदाडीह	17	12	8	
42	हरदी आमगांव	119	111		
43	हिण्डाडीह	184	176		
44	हिर्री	98	85		
45	इटवा	58	53		
46	जांजी	255	233	4	
47	जयराम नगर	84	74	30	
48	जैतपुर	80	73	6	
49	जैतपुरी	43	40		
50	जलसो	22	22	6	
51	जेवरा	109	96		
52	झलमला	71	69	16	
53	जोंधरा	211	178		
54	जुहली	141	130	44	
55	जुनवानी	146	120	20	
56	कछार	100	92	8	
57	कर्रा	93	43		
58	कौड़िया	34	32	80	
59	कांवाताल	69	66		
60	केंवतरा	102	100		
61	केंवटडीह भू.	66	63		
62	केंवटडीह ता.	22	9		
63	खमरिया	79	58	22	
64	खांड़ा	76	70	42	
65	खपरी	30	22	6	
66	खोंधरा	54	48	6	
67	खुदूभाठा	107	97	4	

स.कं	पंचायत का नाम	स्वीकृत आवास	प्रथम किश्त जारी	द्वितीय किश्त जारी	तृतीय किश्त जारी
68	किरारी	81	67		
69	कोकड़ी	186	172	24	
70	कोनी	33	31		
71	कोसमडीह	22	21		
72	कुकदा	124	112		
73	कुकूर्दीकला	16	16	4	
74	कुकूर्दीकेरा	94	86		
75	कुली	30	29		
76	कुटेला	3	2		
77	लावर	169	163	2	
78	लिमतरा	228	209		
79	लोहर्सी	349	331	2	
80	लूतरा	43	39		
81	मचहा	111	102		
82	मचखण्डा	79	69		
83	मड़ई	16	14	10	
84	मानिकचौरी	31	24		
85	मनवा	45	40	14	
86	मस्तूरी	66	62	6	
87	मटिया	31	29		
88	मोहतरा	10	9		
89	मुड़पार	91	79	2	
90	मुड़पार खो.	347	328		
91	नरगोड़ा	52	48		
92	नवागांव	120	116		
93	नवागांव ह.	109	96		
94	निरतु	125	117		
95	ओखर	92	90		
96	ऊनी	65	59		
97	पचपेड़ी	143	117		
98	पाली	23	19	18	
99	पंधी	102	97		
100	पाराघाट	75	69		
101	परसदा किसान	59	56		
102	परसाही	25	23		
103	परसदा वेद	159	139		

स.क्रं	पंचायत का नाम	स्वीकृत आवास	प्रथम किश्त जारी	द्वितीय किश्त जारी	तृतीय किश्त जारी
104	परसोड़ी	32	30	24	
105	पतईडीह	36	35		
106	पेण्ड्री	97	93		
107	पोंड़भ	226	213		
108	रांक	206	194		
109	रैलहा	51	47		
110	रलिया	27	23		
111	रहटाटोर	71	69		
112	रिस्दा	322	183		
113	सरगंवा	37	25	236	18
114	सरसेनी	42	37		
115	सीपत	317	231		
116	शिवटिकारी	68	67	128	
117	सोंठी	274	257		
118	सोन	227	224	18	
119	सोनसरी	60	57		
120	सुकूलकारी	208	198		
121	सुलौनी	85	78		
122	ठाकुरदेवा	31	27		
123	ठरकपुर	104	90		
124	टिकारी	194	174		
125	उड़ांगी	214	206		
126	विद्याडीह	30	26		
योग :–		**12675**	**11391**	**1042**	**18**

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

(चन्द्रप्रकाश पात्रे)
उपायुक्त
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र–ब

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

क्रमांक	जिला	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत वर्ष	मृत हितग्राही का नाम	पिता/पति का नाम	उत्तराधिकारी का नाम	उत्तराधिकारी का मृत हितग्राही से संबंध
1	बिलासपुर	मस्तूरी	अमलडीहा	2022-23	सहारु	सोनारु	फिरतीन बाई	पत्नी
2	बिलासपुर	मस्तूरी	अमलडीहा	2020-21	प्रेमलाल पटेल	कथाराम	महेन्द्र कुमार पटेल	पुत्र
3	बिलासपुर	मस्तूरी	बेलटूकरी	2017-18	बैशाखू	आनंदराम	रमौतिन बाई	पत्नी
4	बिलासपुर	मस्तूरी	विघाडीह	2019-20	कलीराम टंडन	बुद्धू राम	चंद्रदर्शन टंडन	पुत्र
5	बिलासपुर	मस्तूरी	बुढ़ीखार	2020-21	छेदी	भुखऊ	सुकवारा	पत्नी
6	बिलासपुर	मस्तूरी	बुढ़ीखार	2020-21	मंगल राम		ब्रिकेश बंजारे	पोता
7	बिलासपुर	मस्तूरी	बुढ़ीखार	2020-21	मंगली बाई	सुखचंद		पुत्र
8	बिलासपुर	मस्तूरी	बुढ़ीखार	2020-21	छेदी	भुखऊ	सुखराम टंडन	पुत्र
9	बिलासपुर	मस्तूरी	चिल्हाटी	2022-23	पिलालाल गंधर्व	बनाऊ	रामनाथ गाड़ा	पुत्र
10	बिलासपुर	मस्तूरी	चिल्हाटी	2020-21	उमेंद राम वर्मा	भुखन	पवन वर्मा	पुत्र
11	बिलासपुर	मस्तूरी	चिल्हाटी	2020-21	बिहारी केंवट	अगरसाय केंवट	संजू केंवट	पोता
12	बिलासपुर	मस्तूरी	चिल्हाटी	2022-23	भागमती लहरी	घसिया	मेलाराम लहिरी	पुत्र
13	बिलासपुर	मस्तूरी	डगनिया	2022-23	गोवर्धन जांगड़े	परदेशी	रमतला बाई जांगड़े	पत्नी
14	बिलासपुर	मस्तूरी	देवरी	2020-21	भोजराम वस्त्रकार	चोलाराम	छोटेलाल बस्त्रकार	पुत्र
15	बिलासपुर	मस्तूरी	देवरी	2020-21	पंचराम वस्त्रकार	समारु राम	अजीत वस्त्रकार	पुत्र
16	बिलासपुर	मस्तूरी	धनिया	2020-21	गिरधारी लाल	रामलाल	रामबाई कुर्रे	पत्नी
17	बिलासपुर	मस्तूरी	धुर्वाकारी	2019-20	सरजू राम भारद्वाज	सहदेव	बसंता बाई भारद्वाज	पत्नी
18	बिलासपुर	मस्तूरी	एरमसाही	2020-21	जय कुमार गोंड	बहोरिक	विजय कुमारी	पत्नी
19	बिलासपुर	मस्तूरी	एरमसाही	2020-21	भाव सिंग	अमृत लाल	मीनी बाई धृतलहरे	पत्नी
20	बिलासपुर	मस्तूरी	गतौरा	2018-19	गंगाराम भारद्वाज	रामलाल	सूरज कुमार भारद्वाज	पोता
21	बिलासपुर	मस्तूरी	गतौरा	2019-20	लखनलाल सूर्यवंशी	तुंगन	प्रेमलता सूर्यवंशी	पुत्री
22	बिलासपुर	मस्तूरी	गतौरा	2022-23	तिजीया बाई गोंड़	धनसाय	गंगोत्री बाई	बहू
23	बिलासपुर	मस्तूरी	गोडाडीह	2020-21	टेगनू	सुकालू	श्याम बाई केंवट	पत्नी
24	बिलासपुर	मस्तूरी	गोडाडीह	2019-20	बोध राम		कांति बाई बंजारे	पुत्री
25	बिलासपुर	मस्तूरी	गोडाडीह	2016-17	श्याम बाई		राजकुमार केंवट	पुत्र
26	बिलासपुर	मस्तूरी	हरदी	2019-20	राम सिंग जगत	जागेश्वर सिंग	दरशमती बाई	पत्नी
27	बिलासपुर	मस्तूरी	हिर्री	2020-21	रामजी साहू	टेटवा	विशाल कुमार	पोता
28	बिलासपुर	मस्तूरी	हिर्री	2020-21	राधे केंवट	लालसाय	चमारिन केंवट	पत्नी
29	बिलासपुर	मस्तूरी	जांजी	2022-23	बुटानू कुर्रे	सुदन	रामबिशुन कुर्रे	पुत्र
30	बिलासपुर	मस्तूरी	जांजी	2022-23	जानकी बाई	मंगल प्रसाद	रोहित भोसले	भाई

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक	जिला	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत वर्ष	मृत हितग्राही का नाम	पिता/पति का नाम	उत्तराधिकारी का नाम	उत्तराधिकारी का मृत हितग्राही से संबंध
31	बिलासपुर	मस्तूरी	जांजी	2020-21	सुखमत बाई [illegible]	समारु	मोना देवी	पोती
32	बिलासपुर	मस्तूरी	जयराम नगर	2020-21	मेलनबाई यादव	छेदीलाल	मनीषा यदु	पुत्री
33	बिलासपुर	मस्तूरी	जैतपुरी	2019-20	सुनाराम	चैतराम	पितर बाई पटेल	पत्नी
34	बिलासपुर	मस्तूरी	जैतपुरी	2022-23	धन्नू मरावी	घुरऊ	छबीलाल गोंड़	पुत्र
35	बिलासपुर	मस्तूरी	झलमला	2019-20	राजकुमार सूर्या	मनोहर	अविनाश सूर्यवंशी	पुत्र
36	बिलासपुर	मस्तूरी	जोंधरा	2018-19	गोपी राम यादव	श्याम लाल	निर्मला यादव	पत्नी
37	बिलासपुर	मस्तूरी	जुहली	2020-21	चंद्र भुवन मरकाम	भगोला सिंग	सोनकुंवर	पत्नी
38	बिलासपुर	मस्तूरी	कौड़िया	2020-21	सोधराम टंडन	मुनवा राम टंडन	धानबाई टंडन	पत्नी
39	बिलासपुर	मस्तूरी	केंवटाडीह भू.	2020-21	रमला	बालक	लालजी मनहर	पुत्र
40	बिलासपुर	मस्तूरी	केंवटाडीह भू.	2020-21	मंगल लहरे	हिरावन	अराबाई लहरे	पत्नी
41	बिलासपुर	मस्तूरी	केंवटाडीह भू.	2020-21	रामायन	श्रीराम	सोनसाय पटेल	पुत्र
42	बिलासपुर	मस्तूरी	खमरिया	2022-23	शाकीर अहमद	नाजीर अहमद	वाहिदा बेगम	पत्नी
43	बिलासपुर	मस्तूरी	किरारी	2020-21	खोलबहरा कोरिया	भुलऊ	बेदीन बाई	पत्नी
44	बिलासपुर	मस्तूरी	किरारी	2022-23	मोहन लाल डोंगरे	भीखम	गुलाबा बाई	पत्नी
45	बिलासपुर	मस्तूरी	किरारी	2019-20	दुर्गा प्रसाद	मुन्नी लाल	त्रिवेणी श्रीवास	पत्नी
46	बिलासपुर	मस्तूरी	कुली	2020-21	राम कुमार	रम्मन सिंग	कार्तिक कुंवर यादव	पत्नी
47	बिलासपुर	मस्तूरी	लावर	2019-20	बेदित बाई कारके	जोधई	कलेश्वर कारके	पोता
48	बिलासपुर	मस्तूरी	लावर	2020-21	फिरंतीन बाई	महासिंग	पंचराम जगत	पुत्र
49	बिलासपुर	मस्तूरी	लावर	2022-23	मनोज	सावंतराम	डेरा बाई	माता
50	बिलासपुर	मस्तूरी	लावर	2020-21	सुखमती	पंचू	सरिता बाई	पुत्री
51	बिलासपुर	मस्तूरी	लिमतरा	2022-23	चंद्रिका सिंग [illegible]	लखन	निर्मला बाई	पत्नी
52	बिलासपुर	मस्तूरी	लिमतरा	2020-21	सतीश कुमार [illegible]	जीवधन श्रीवास	प्रमिला बाई	पत्नी
53	बिलासपुर	मस्तूरी	लिमतरा	2022-23	फेंकूसिंग बरगाह	पुसऊराम	कृष्णा बाई	पत्नी
54	बिलासपुर	मस्तूरी	लोहर्सी	2020-21	गणेशराम	माचू	सुकलहीन बाई	पत्नी
55	बिलासपुर	मस्तूरी	मचहा	2019-20	सधरु पटेल	धनसाय	जहस राम मरार	पुत्र
56	बिलासपुर	मस्तूरी	मटिया	2020-21	अघन बाई प्रजापति	अनुज बाई	सोनू प्रजापति	पोता
57	बिलासपुर	मस्तूरी	मोहतरा	2020-21	रामधन मारकल	ननकी	कमला बाई	पत्नी
58	बिलासपुर	मस्तूरी	नवागांव	2020-21	बाबूलाल नाई	बोधराम	गायत्री बाई श्रीवास	पत्नी
59	बिलासपुर	मस्तूरी	नवागांव	2020-21	सुरेश सूर्यवंशी	छेदीलाल	प्रभा देवी	पत्नी
60	बिलासपुर	मस्तूरी	निरतु	2019-20	जीवनलाल	लगनू	मोहनमती मरार	पत्नी
61	बिलासपुर	मस्तूरी	निरतु	2019-20	अमोल मरार	महेतरु	अमर सिंग	पोता
62	बिलासपुर	मस्तूरी	ओखर	2022-23	गोकूल	खोलू	फूलबाई यादव	पत्नी
63	बिलासपुर	मस्तूरी	ऊनी	2020-21	छोटेलाल	दयाल	सुशील बाई	पत्नी

क्रमांक	जिला	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत वर्ष	मृत हितग्राही का नाम	पिता/पति का नाम	उत्तराधिकारी का नाम	उत्तराधिकारी का मृत हितग्राही से संबंध
64	बिलासपुर	मस्तूरी	पचपेड़ी	2019-20	उमेश जायसवाल		भानूदेवी जायसवाल	पत्नी
65	बिलासपुर	मस्तूरी	पंधी	2020-21	धुरउ राम सूर्यवंशी	ननका	मोतीलाल सूर्यवंशी	पुत्र
66	बिलासपुर	मस्तूरी	पंधी	2022-23	रेवा राम सूर्यवंशी	पीलाराम	जीवराखन सूर्यवंशी	पुत्र
67	बिलासपुर	मस्तूरी	पंधी	2020-21	दूलौरिन बाई केंवट	रामशरण	विनोदद कुमार केंवट	पुत्र
68	बिलासपुर	मस्तूरी	पेण्ड्री	2019-20	विजय गुलेरी	लोकू राम	लोकू राम	पिता
69	बिलासपुर	मस्तूरी	पोंड़ी	2022-23	चमराराम बिंझवार	तिहारु राम	फूल सिंग	भतीजा
70	बिलासपुर	मस्तूरी	पोंड़ी	2019-20	चैन सिंग गोड़	विदेशी राम	गेंदराम	पुत्र
71	बिलासपुर	मस्तूरी	पोंड़ी	2019-20	सागर सिंग बिंझवार	सुधवार	तिहारीन बाई	पत्नी
72	बिलासपुर	मस्तूरी	रांक	2020-21	पुनीराम यादव	बहोरन	सरिता बाई यादव	पत्नी
73	बिलासपुर	मस्तूरी	रांक	2022-23	राजकुमार वस्त्रकार	विश्राम	गौरी बाई महरा	पत्नी
74	बिलासपुर	मस्तूरी	रलिया	2022-23	हीरालाल	कोलिहा	रमेश कुमार	पुत्र
75	बिलासपुर	मस्तूरी	सोन	2020-21	देवीलाल सागर	रामरतन	दुवासा बाई सागर	पत्नी
76	बिलासपुर	मस्तूरी	सोंठी	2016-17	राधा बाई	भंगी	रोहत कुमार श्रीवास	पुत्र
77	बिलासपुर	मस्तूरी	सोंठी	2020-21	सुफला	राम सिंह	बलराम सिंग ठाकुर	पुत्र
78	बिलासपुर	मस्तूरी	सोंठी	2017-18	सुकलाल	मोहन सिंह	रामकुमार मउवार	पुत्र
79	बिलासपुर	मस्तूरी	सुलौनी	2017-18	धिरजा देवी		यशवंत	पुत्र
80	बिलासपुर	मस्तूरी	ठरकपुर	2020-21	भागीरती पटेल	हीरानंद	कमला बाई पटेल	पत्नी

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

(चन्द्रप्रकाश पात्रे)
उपायुक्त
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र

दुर्ग जिला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत विकास कार्यों के संबंध में जानकारी

(वित्तीय वर्ष 2022–23 से 25.11.2024 तक)

(राशि रू. लाख में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद/योजना का नाम	स्वीकृत निर्माण कार्यों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
1	2022–23	महात्मा गांधी नरेगा	3035	12243.25	8143.85
2		त्रिस्तरीय पंचायती क्षमता विकास योजना	1	5.01	5.01
3		छ.ग. राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण	116	644.20	559.04
4		मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	162	879.13	773.92
5		मुख्यमंत्री ग्रामीण आंतरिक विधुतीकरण	83	796.00	793.64
6		जिला पंचायत विकास निधि	34	65.00	53.57
7		जनपद पंचायत विकास निधि	114	160.00	122.55
8		15वें वित्त आयोग	4391	3389.60	3062.38
9		नवीन व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	1616	193.92	193.92
10		सामुदायिक शौचालय निर्माण	3	6.30	6.30
11		प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	6	1841.84	948.99
12		रीपा	12	1440.00	1422.50
योग			**9573**	**21664.25**	**16085.67**

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद/योजना का नाम	स्वीकृत निर्माण कार्यों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	2023–24	महात्मा गांधी नरेगा	4376	19636.44	10279.00
2		छ.ग. राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण	3	14.99	14.99
3		मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	986	3412.37	2827.10
4		मुख्यमंत्री ग्रामीण आंतरिक विधुतीकरण	9	108.00	108.00
5		जिला पंचायत विकास निधि	41	65.00	51.25
6		जनपद पंचायत विकास निधि	161	160.00	126.51
7		15वें वित्त आयोग	4404	3436.19	2528.50
8		त्रिस्तरीय पंचायती क्षमता विकास योजना	1	9.16	8.41
9		अनुरक्षण मद	1	15.00	14.94
10		नवीन व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	3297	395.64	395.64
11		सामुदायिक शौचालय निर्माण	19	39.90	15.96
12		मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (सड़क निर्माण)	2	413.80	345.22
13		मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना	12	1132.13	766.50
योग			**13312**	**28838.62**	**17482.02**
1	2024–25 (25.11.2024 तक)	महात्मा गांधी नरेगा	1019	7999.43	659.07
2		मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	29	79.30	31.72
3		जिला पंचायत विकास निधि	24	65.00	28.40
4		जनपद पंचायत विकास निधि	70	64.00	45.73
5		15वें वित्त आयोग	4692	1979.11	1093.79
6		नवीन महतारी सदन	8	197.60	0.00
7		नवीन व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	3113	373.56	147.12
8		सामुदायिक शौचालय निर्माण	3	6.30	2.52
योग			**8958**	**10764.3**	**2008.35**
महायोग			**31843**	**61267.17**	**35576.04**

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र

मुंगेली विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में 26.11.2024 मनरेगा के तहत स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्य की जानकारी

(राशि रू. लाख में)

क.	विधानसभा क्षेत्र क्र. व नाम	वर्ष	मनरेगा योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र मुंगेली लिये गये कार्य संख्या					क्या राज्य शासन द्वारा पक्के कार्य (मटेरियल) की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है, तो क्यों ?	केन्द्रांश राशि	राज्यांश राशि	योग
			स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	अप्रारंभ कार्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27–मुंगेली	2023–24	1450	5529.83	1116	153	181	महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत गैर MWC जनपद पंचायतों में कृषि एवं कृषि संबंधित गतिविधियों में 60 प्रतिशत व्यय किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में जिला मुंगेली में उक्त गतिविधियों में 60 प्रतिशत से कम व्यय होने के कारण अन्य अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ करने से पूर्व कृषि एवं कृषि संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता दिये जाने हेतु निर्देश दिया गया है।	8474.40	1232.61	9707.01
2		2024–25 (दिनांक 26.11.2024 तक की स्थिति में)	154	900.03	8	44	102		6940.68	626.74	7567.42
योग–			**1604**	**6429.86**	**1124**	**197**	**283**		**15415.08**	**1859.35**	**17274.43**

परिशिष्ट - पच्चीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 517) की जानकारी

प्रपत्र-अ

खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में महतारी वंदन लाभ प्राप्त महिलाओं की विकासखंडवार संख्या

क्रं.	**विकासखंड का नाम**	**आवेदन करने वाली विवाहित महिलाओं की संख्या**	**मार्च 2024 में पात्र विवाहित महिलाओं की संख्या**	**मार्च 2024 में अपात्र विवाहित महिलाओं की संख्या**	**अद्यतन स्थिति में पात्र विवाहित महिलाओं की संख्या**
1	छुईखदान	56698	56558	140	56327
2	खैरागढ़	31797	31749	48	31631
	कुल योग	**88495**	**88307**	**188**	**87958**

प्रपत्र - ब

महतारी वंदन योजना का लाभ लिए जाने हेतु शर्तें

योजनांतर्गत पात्रता के मापदण्ड:-

योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होंगी जो -

- विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो।
- आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।

योजनांतर्गत अपात्रता के मापदण्ड:-

योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी -

- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल/स्थानीय निकाय में स्थायी/अस्थायी/संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं भूतपूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।

विकासखण्ड बलौदाबाजार में चल रहे निर्माण कार्यों के गुणवत्ताहीन होने की, प्राप्त शिकायतों की जांच (वर्ष 2022–23 से दिनांक 26.11.2024 तक)

क्र.	वर्ष	ग्राम पंचायत का नाम	योजना/मद का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या	गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शिकायत पर की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2022-23	खजुरी	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	1	1	0	0	–	–
2	2022-23	खजुरी	महात्मा गांधी नरेगा	5	4	1	0	–	–
3	2022-23	खजुरी	15वे वित्त (ग्राम पंचायत विकास योजना)	10	10	0	0	–	–
4	2022-23	खजुरी	जनपद पंचायत विकास निधि	1	1	0	0	–	–
योग				**17**	**16**	**1**	**0**	–	–
1	2023–24	खजुरी	मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा)	1	0	1	0	–	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य 03 नग शा.मा.शा. खजुरी, वि.खं. –बलौदाबाजार। निर्माण एजेंसी–ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

उपायुक्त
विकास आयुक्त कार्यालय
रायपुर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़, मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
[illegible], अटल नगर, नया रायपुर

क्र.	वर्ष	ग्राम पंचायत का नाम	योजना/मद का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या	गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शिकायत पर की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2023–24	खजुरी	महात्मा गांधी नरेगा	10	5	5	2	ग्राम पंचायत खजरी में चेकडेम निर्माण के संबंध में जनपद पंचायत बलौदाबाजार से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार शिकायत निराधार होना पाया गया है। उपरोक्त संबंध में जिले को दिनांक 08.11.2024 को पुनः शिकायत प्राप्त हुआ है। जिसकी जांच हेतु जिला पंचायत बलौदाबाजार–भाटापारा के आदेश क्र. 3738 दिनांक 20.11.2024 के माध्यम से जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया गया है। जांच प्रकियाधीन है।	–
3	2023-24	खजुरी	15वे वित्त (जनपद पंचायत विकास योजना)	4	0	4	0	–	अप्रारंभ
4	2023-24	खजुरी	15वे वित्त (ग्राम पंचायत विकास योजना)	4	4	0	0	–	–
योग				**19**	**9**	**10**	**2**	–	–
1	2024-25	खजुरी	15वे वित्त (ग्राम पंचायत विकास योजना)	4	4	0	0	–	–
योग				**4**	**4**	**0**	**0**	–	–
महायोग				**40**	**29**	**11**	**2**	–	–

उपायुक्त
आयुक्त कार्यालय
रायपुर

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़, मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नया रायपुर

कार्य गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र.	कार्य का नाम जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई	शिकायतकर्ता का नाम व पता	कार्य के मूल्यांकन/सत्यापनकर्ता अधिकारी का विवरण				क्या शिकायत के संबंध में जांचदल गठित की गई है	यदि हां तो जांचकर्ता दल का विवरण		जांच में कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया गया? नाम/पदनाम	उस पर क्या कार्यवाही की गई
			मूल्यांकनकर्ता		सत्यापनकर्ता			अधिकारी का नाम	पदनाम		
			नाम	पदनाम	नाम	पदनाम					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चेकडेम निर्माण कार्य	दैनिक समाचार पत्र ''जोहार छत्तीसगढ़''	सुश्री रजनी कश्यप	तकनीकी सहायक, जनपद पंचायत बलौदाबाजार	श्री योगेश खाण्डे	अनुविभागीय अधिकारी (ग्रा.यां.से.) उपसंभाग बलौदाबाजार	हां	श्री योगेश खाण्डे,	अनुविभागीय अधिकारी (ग्रा.यां.से.) उपसंभाग बलौदाबाजार	निरंक	निरंक
								श्री दुर्गा प्रसाद साहू	उप–अभियंता (ग्रा.यां.से.) उपसंभाग बलौदाबाजार		
								सुश्री रजनी कश्यप	तकनीकी सहायक जनपद पंचायत बलौदाबाजार		

उपायुक्त
उपायुक्त कार्यालय
रायपुर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़, मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नया रायपुर

क्र.	कार्य का नाम जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई	शिकायतकर्ता का नाम व पता	कार्य के मूल्यांकन/सत्यापनकर्ता अधिकारी का विवरण				क्या शिकायत के संबंध में जांचदल गठित की गई है	यदि हां तो जांचकर्ता दल का विवरण		जांच में कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया गया? नाम/पदनाम	उस पर क्या कार्यवाही की गई
			मूल्यांकनकर्ता		सत्यापनकर्ता			अधिकारी का नाम	पदनाम		
			नाम	पदनाम	नाम	पदनाम					
2	चेकडेम निर्माण कार्य	श्री खिलावन जायसवाल, बलौदाबाजार	सुश्री रजनी कश्यप	तकनीकी सहायक, जनपद पंचायत बलौदाबाजार	श्री योगेश खाण्डे	अनुविभागीय अधिकारी (ग्रा.यां.से.) उपसंभाग बलौदाबाजार	हां	श्री आर. आर. महिलांगे	कार्यपालन अभियंता (ग्रा.या.से) संभाग बलौदाबाजार	—	—
								श्री सी.एस. सिंह तंवर	कार्यपालन अभियंता (पीएमजीएसवाय) संभाग बलौदाबाजार		

उपायुक्त
युक्त कार्यालय
रायपुर

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़, मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नया रायपुर

परिशिष्ट - सत्ताईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 551) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक थानावार महिलाओं की गुमशुदगी/मानव तस्करी के दर्ज प्रकरणों की जानकारी

क्र.	थाना	गुमशुदगी के दर्ज प्रकरण	मानव तस्करी के दर्ज प्रकरण	योग
1	सीतापुर	263	02	265
2	बतौली	77	01	78
3	कमलेश्वरपुर	41	01	42
महायोग		381	4	385

psalv

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र 'ब'

सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा हेतु किये जा रहे प्रयास

- महिला अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाने के लिये अविलंब प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर यथाशीघ्र विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है तथा महिला संबंधी प्रकरणों में साक्षियों की उपस्थिति माननीय न्यायालय में सुनिश्चित की जा रही है।
- ITSSO (Investigation tracking system for sexual offences) के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित प्रकरणों में 60 दिवस के भीतर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किया जा रहा है।
- महिला हेल्पलाईन 181 योजना- राज्यव्यापी 24×7 टोल फ्री नम्बर महिला के विरूद्ध होने वाली हिंसा/घटना के मामलों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए संचालित है।
- महिला थाना - राज्य के चार बड़े शहरों में **महिला थाना** संचालित है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 05 जिलो हेतु महिला थाना स्वीकृत किये गये है।
- महिला हेल्पडेस्क– प्रदेश के 06 महिला विरूद्ध अपराध अनुसंधान इकाई (IUCAW) का गठन किया गया है तथा 553 थाना/चौकी में महिला हेल्पडेस्क गठित किया गया है।
- बाल हितैषी थाना - प्रदेश के 124 थानों को बाल हितैषी पुलिस थाना के रूप में तैयार किया गया है।
- प्रदेश के समस्त जिलों में विशेष **किशोर पुलिस इकाई (SJPU)** एवं **बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (CWPO)** बच्चों से संबंधित अपराधों की मानिटरिंग हेतु गठित किया गया है।
- पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना- "यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना 2018 के तहत पीड़ितों को राहत राशि प्रदान की जा रही है।
- अभिव्यक्ति ऐप- महिला/बालिकाओं की सुरक्षा एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु लॉच किया गया हैं, वर्तमान में इस ऐप पर 2 लाख से भी अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं।
- सखी वन स्टाप सेंटर योजना- प्रदेश के 27 जिलों में पीड़ित महिला/बालिकाओ को आवश्यकतानुसार चिकित्सा, विधिक, पुलिस, अस्थायी आश्रय, मानसिक चिकित्सा/परामर्श की सुविधायें तत्काल उपलब्ध कराया जा रहा है।
- मिशन वात्सल्य योजना- किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के अधीन संस्थागत/गैर संस्थागत बालकों की देखरेख, चाईल्ड हेल्प लाईन (1098) तथा जन-जागरूकता के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है।
- संवेदलशील स्थानों पर पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग करायी जा रही है।
- जिला सरगुजा में बच्चों को आत्मरक्षा हेतु ताईक्वांडो का प्रशिक्षण तथा हिम्मत अभियान, स्नेह छाया अभियान के तहत बच्चों को खेल के साथ गुड/बेड टच इत्यादि की जानकारी दी जा रही है।
- **AHTU** - मानव दुर्व्यपार को रोकने हेतु राज्य के 27 जिलों में मानव तस्करी निरोधक इकाई (AHTU) स्थापित है।
- **AHTB** - राज्य स्तर पर मानव तस्करी निरोधक ब्यूरो **AHTB** का गठन किया गया है।
- जागरूकता अभियान –यौन शोषण/ऑनलाईन शोषण के प्रति बालक/बालिकाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा स्कूलों/कॉलेजों एवं छात्रावासों में पोस्टर, शार्ट फिल्म, छायाचित्र आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है साथ ही स्कूल, कालेज, मॉल एवं सिनेमाघरों के आसपास पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही है।

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - अट्ठाईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 576) की जानकारी

प्रपत्र

चोरी, डकैती, लूट, मारपीट, हत्या, बलात्कार, गांजा तस्करी एवं छेड़छाड़ की जानकारी

जिला	अपराध शीर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें चालानी कार्यवाही पूर्ण हो गई है।	प्रकरणों की संख्या जिनमें चालान प्रस्तुत होना शेष है।	विचाराधीन आरोपियों की संख्या जो जेल में बंद है लेकिन चालान प्रस्तुत होना शेष है।
बस्तर	चोरी	184	121	95	63	1
	डकैती	0	0	0	0	0
	लूट	24	17	16	7	10
	मारपीट	968	861	861	107	0
	हत्या	44	42	40	2	6
	बलात्कार	178	173	172	5	7
	गांजा तस्करी	181	162	162	19	13
	छेड़छाड़	48	44	44	4	1
दंतेवाड़ा	चोरी	68	32	13	36	0
	डकैती	1	1	1	0	0
	लूट	2	0	0	2	0
	मारपीट	198	158	153	40	0
	हत्या	38	33	33	5	6
	बलात्कार	41	39	38	2	2
	गांजा तस्करी	7	6	6	1	0
	छेड़छाड़	25	22	22	3	0
बीजापुर	चोरी	36	12	11	24	1
	डकैती	8	1	1	7	1
	लूट	1	1	1	0	0
	मारपीट	135	95	95	40	3
	हत्या	72	32	32	40	16
	बलात्कार	49	46	46	3	3
	गांजा तस्करी	4	3	3	1	2
	छेड़छाड़	4	2	1	2	1
नारायणपुर	चोरी	37	13	7	24	2
	डकैती	3	1	1	2	0
	लूट	1	1	1	0	0
	मारपीट	91	71	71	20	0
	हत्या	43	17	15	26	7
	बलात्कार	40	39	39	1	0
	गांजा तस्करी	1	0	0	1	3
	छेड़छाड़	10	9	9	1	0

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

जिला	अपराध शीर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें चालानी कार्यवाही पूर्ण हो गई है।	प्रकरणों की संख्या जिनमें चालान प्रस्तुत होना शेष है।	विचाराधीन आरोपियों की संख्या जो जेल में बंद है लेकिन चालान प्रस्तुत होना शेष है।
कांकेर	चोरी	130	96	36	34	8
	डकैती	1	1	1	0	0
	लूट	7	3	2	4	6
	मारपीट	764	702	697	62	0
	हत्या	58	41	40	17	14
	बलात्कार	164	153	150	11	10
	गांजा तस्करी	21	21	21	0	0
	छेड़छाड़	56	51	51	5	4
कोण्डागांव	चोरी	71	35	29	36	4
	डकैती	1	0	0	1	0
	लूट	1	0	0	1	0
	मारपीट	380	302	296	78	0
	हत्या	27	15	15	12	8
	बलात्कार	104	77	77	27	8
	गांजा तस्करी	43	25	25	18	28
	छेड़छाड़	28	18	18	10	0
सुकमा	चोरी	34	6	6	28	0
	डकैती	12	7	7	5	6
	लूट	3	1	1	2	0
	मारपीट	121	98	98	23	0
	हत्या	47	23	23	24	43
	बलात्कार	39	37	37	2	0
	गांजा तस्करी	65	55	55	10	31
	छेड़छाड़	17	13	13	4	0

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में श्रमिकों का पलायन के संबंध में

क्र.	जिले का नाम	वर्ष	अन्य जिले/राज्यों में रोजगार हेतु जाने पर पंजीकृत मजदूरों की संख्या	रोजगार की तलाश में अन्य प्रांत गये मजदूरों को बंधक बनाए जाने के कुल प्राप्त शिकायतें	रोजगार की तलाश में अन्य प्रांत गये मजदूरों को बंधक बनाए जाने के सही पाये गये कुल प्रकरण	मजदूरों के रिहाई की प्रकरणों की संख्या	अवमुक्त बंधक श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बस्तर	2022–23	–	1	1	1	5
		2023–24	–	2	-	-	-
		2024–25	–	2	-	-	-
2	दंतेवाड़ा	2022–23	17	-	-	-	-
		2023–24	23	-	-	-	-
		2024–25	13	1	1	1	2
3	कांकेर	2022–23	–	3	2	2	3
		2023–24	–	1	1	1	1
		2024–25	–	1	1	1	14
4	नारायणपुर	2022–23	–	2	2	2	3
		2023–24	–	1	1	1	3
		2024–25	–	1	1	1	10
5	बीजापुर	2022–23	264	-	-	-	-
		2023–24	109	-	-	-	-
		2024–25	12	-	-	-	-
6	कोण्डागांव	2022–23	–	12	1	1	1
		2023–24	–	5	-	-	-
		2024–25	–	1	1	1	6
7	सुकमा	2022–23	–	-	-	-	-
		2023–24	–	-	-	-	-
		2024–25	–	-	-	-	-
योग			438	33	12	12	48

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रपत्र

बस्तर संभाग से जिला सुकमा में दिसम्बर 2023 से 20 नवम्बर, 2024 तक महात्मा गांधी नरेगा मद से स्वीकृत कार्य की जानकारी

(राशि रु. लाख में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	विकासखंड का नाम	कुल स्वीकृत कार्यो की संख्या	स्वीकृत कार्यों की भौतिक स्थिति			स्वीकृत कार्यों में भुगतान पूर्ण		स्वीकृत कार्यों में लंबित भुगतान	
				पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	अप्रारंभ कार्य	मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	दिसम्बर 2023 से 31 मार्च 2024	सुकमा	129	62	10	57	9.61	0	0	0
2		कोन्टा	676	516	13	147	99.33	0	0	0
3		छिन्दगढ़	107	44	31	32	61.72	2.32	0	0
योग :–			**912**	**622**	**54**	**236**	**170.66**	**2.32**	**0**	**0**
4	अप्रैल 2024 से 20 नवम्बर 2024	सुकमा	45	0	3	42	0.55	0	0	0
5		कोन्टा	82	0	9	73	10.46	0	0	0
6		छिन्दगढ़	17	0	0	17	0	0	0	0
योग :–			**144**	**0**	**12**	**132**	**11.01**	**0**	**0**	**0**
कुल योग :–			**1056**	**622**	**66**	**368**	**181.67**	**2.32**	**0**	**0**

संयुक्त आयुक्त
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी योजना, रायपुर

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	विकासखंड का नाम	कुल स्वीकृत आवास की संख्या	प्रथम किस्त प्राप्त हितग्राहियों की संख्या	कुल प्रथम किस्त जारी राशि	द्वितीय किस्त प्राप्त हितग्राहियों की संख्या	कुल द्वितीय किस्त जारी राशि
1	बागबाहरा	5786	5356	2142.40	0	0.00
2	बसना	2987	2752	1100.80	149	89.40
3	महासमुन्द	5641	5028	2011.20	280	168.00
4	पिथौरा	8843	8188	3275.20	1063	637.80
5	सरायपाली	4810	4612	1844.80	742	445.20
योग		**28067**	**25936**	**10374.40**	**2234**	**1340.40**

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन)

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	विकासखंड का नाम	कुल स्वीकृत आवास	प्रथम किस्त प्राप्त हितग्राहियों की संख्या	प्रथम किस्त हेतु कुल भुगतान राशि	द्वितीय किस्त प्राप्त हितग्राहियों की संख्या	द्वितीय किस्त हेतु कुल भुगतान राशि	तृतीय किस्त प्राप्त हितग्राहियों की संख्या	तृतीय किस्त हेतु कुल भुगतान राशि	चतुर्थ किस्त प्राप्त हितग्राहियों की संख्या	चतुर्थ किस्त हेतु कुल भुगतान राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	बागबाहरा	289	289	115.60	256	153.60	180	144.00	48	9.60
2	महासमुन्द	277	273	109.20	233	139.80	166	132.80	59	11.80
3	पिथौरा	17	17	6.80	15	9.00	7	5.60	5	1.00
योग		**583**	**579**	**231.60**	**504**	**302.40**	**353**	**282.40**	**112**	**22.40**

(चन्द्रप्रकाश पात्रे)
उपायुक्त
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

क्र	जनपद पंचायत का नाम	शिकायत का विषय	कार्यवाही विवरण
1	महासमुन्द	ग्राम पंचायत धनसुली में रोजगार सहायक के द्वारा पैसे लेन के संबंध में शिकायत विषयक्	जनपद पंचायत महासमुन्द द्वारा जांच टीम गठित कर जांच कराया गया जिसमें प्राप्त शिकायत निराधार पाया गया।
2	बागबाहरा	ग्राम पंचायत डुमरपाली के सरंपच द्वारा आवास स्वीकृत हितग्राहियों से दो–दो हजार रूपये वसूली करने के संबंध में।	जाँच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।
3	बागबाहरा	ग्राम पंचायत कुसमी के सरपंच द्वारा आवास स्वीकृत हितग्राही से 4000.00 रूपये वसूली के संबंध में।	जाँच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।
4	पिथौरा	ग्राम पंचायत उतेकेल में अपात्र महिला को आवास का लाभ दिलाने के अनियमितता के संबंध में।	उक्त शिकायत के जांच में यह पाया गया कि पात्र हितग्राही श्रीमती प्रेमशीला पिता हरिहर, ग्राम पंचायत उतेकेल के स्थान पर उसी ग्राम पंचायत उतेकेल के समान नाम के अन्य महिला प्रेमशीला बांक पति विकास बांक को आवास प्रदान करते हुए किश्त को सम्पूर्ण राशि जारी की गई है। जिसमें संलिप्त (ग्राम पंचायत उतेकेल के सरपंच श्रीमती जनकी बांक, तत्कालीन सचिव सत्यानन्द बांक, रोजगार सहायक श्रीमती कमला सिदार, तत्कालीन डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्री शशिभूषण बरिहा) दोषियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु आरक्षी केन्द्र सांकरा (जोंक) को पत्र प्रेषित किया गया है तथा ग्राम पंचायत उतेकेल के सरपंच के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही एवं अपात्र व्यक्ति जिन्हे राशि जारी हुई है उनके विरूद्ध राशि वसूली हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा को पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही तत्कालीन सचिव सत्यानंद बांक को निलंबित किया गया है। (उपरोक्तानुसार पत्र संलग्न)
5	पिथौरा	ग्राम पंचायत तरेकेल में ग्रामीणजनों द्वारा ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध आवास स्वीकृत हेतु 1000 रूपये की मांग किये जाने के संबंध में शिकायत विषयक।	जनपद पंचायत पिथौरा द्वारा जांच टीम गठित कर जांच कराया गया जिसमें उक्त शिकायत निराधार पाया गया। (पत्र संलग्न)
6	पिथौरा	ग्राम पंचायत बरेकेल में कलेक्टर जनदर्शन के माध्यम से हितग्राही शिवप्रसाद बारीक का प्रथम किस्त की राशि गलत खातें में अंतरित होने के संबंध में शिकायत विषयक।	जनपद पंचायत पिथौरा द्वारा जांच टीम गठित कर जांच की गई जिसमें शिकायत सत्य पाया गया। जिसमें कार्यवाही करते हुए गलत खाता धारक को नोटिस जारी किया गया एवं किस्त की राशि 48000.00 रूपये वसूली कर सही खाता धारक शिवप्रसाद बारीक को किस्त की राशि हस्तांतरित किया गया है। साथ ही पोर्टल में खाता से संबंधित त्रुटि का सुधार कर लिया गया। (पत्र संलग्न)
7	पिथौरा	ग्राम पचांयत धनोरा में शिकायतकर्ता मनीष देवदास द्वारा ग्राम पंचायत सचिव पर आवास स्वीकृत कराने हेतु पैसे की मांग किये जाने के सबंध में शिकायत।	जनपद पंचायत पिथौरा द्वारा गठित जांच दल द्वारा उक्त शिकायत के जांच के दौरान पाया गया कि शिकायतकर्ता विगत दो वर्षो से तेलगांना में निवासरत है एवं दुरभाष के माध्यम से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में शिकायत नहीं किया गया है। (पत्र सलग्न)

क्र	जनपद पंचायत का नाम	शिकायत का विषय	कार्यवाही विवरण
8	बसना	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत ग्राम पंचायत छोटेपटनी के ग्रामवासियों द्वारा प्राप्त शिकायत के संबंध में।	जनपद पंचायत बसना द्वारा जांच दल गठित कर उक्त शिकायत के जांच में पाया गया कि ग्राम पचांयत सचिव द्वारा किसी तरह की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में मनमानी/अनियमितता नही की गई है। एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत जारी नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृति किया गया है।
9	बसना	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में सचिव ग्राम पंचायत बड़ेटेमरी द्वारा की जा रही मनमानी व पात्र हितग्राही से अवैध वसूली करने व अपात्र लोगों के नाम पर नगद राशि लेकर स्वीकृत करने के संबंध में शिकायत।	जनपद पंचायत बसना द्वारा जांच दल गठित कर ली गई है, जांच प्रक्रियाधीन है।
10	सरायपाली	ग्राम पंचायत कनकेवा में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण में हुए अनियमितता के संबंध में शिकायत।	जनपद पंचायत सरायपाली द्वारा जांच दल गठित कर ली गई है, जांच प्रक्रियाधीन है।

(चन्द्रप्रकाश पात्रे)
उपायुक्त
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - बत्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 599) की जानकारी

प्रपत्र

महासमुंद जिले में वर्ष 2023–24 और 2024–25 में दिनांक 25.11.2024 तक डब्ल्यू.बी.एम.सड़क निर्माण की जानकारी

क्र.	वित्तीय वर्ष	विकासखण्ड का नाम	कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
1	2023-24	महासमुन्द	7	122.90
2		बागबाहरा	4	76.01
3		पिथौरा	4	57.64
4		बसना	17	277.37
5		सरायपाली	0	0
		योग :–	**32**	**533.92**
1	2024-25 (25.11.2024)	महासमुन्द	0	0
2		बागबाहरा	0	0
3		पिथौरा	0	0
4		बसना	0	0
5		सरायपाली	0	0
		योग :–	**0**	**0**

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - तैंतीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 603) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 01.01.2024 से 30.11.2024 तक

स.क्र.	जिला	क्र0	अपराध शीर्ष	रिपोर्ट	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	फरार आरोपियों की संख्या
1	रायपुर	1	हत्या	18	19	2
		2	बलात्कार	218	211	17
		3	अपहरण /व्यपहरण	374	11	174
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	116	110	17
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	22	16	13
		6	मारपीट	296	323	31
2	बलौदाबाजार	1	हत्या	8	13	0
		2	बलात्कार	113	117	4
		3	अपहरण /व्यपहरण	126	2	1
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	60	74	0
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	8	6	0
		6	मारपीट	283	459	66
3	महासमुंद	1	हत्या	4	7	0
		2	बलात्कार	101	100	6
		3	अपहरण /व्यपहरण	109	7	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	48	59	8
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	9	4	5
		6	मारपीट	151	205	40
4	गरियाबंद	1	हत्या	9	10	0
		2	बलात्कार	57	55	2
		3	अपहरण /व्यपहरण	27	1	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	16	16	0
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	2	0	0
		6	मारपीट	216	381	16
5	धमतरी	1	हत्या	3	4	0
		2	बलात्कार	67	72	1
		3	अपहरण /व्यपहरण	47	3	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	29	31	0
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	8	6	0
		6	मारपीट	123	224	0

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

स.क्र.	जिला	क्र0	अपराध शीर्ष	रिपोर्ट	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	फरार आरोपियों की संख्या
6	रेल	1	हत्या	0	0	0
		2	बलात्कार	5	5	0
		3	अपहरण /व्यपहरण	2	1	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	3	3	0
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	2	2	0
		6	मारपीट	4	3	1
7	दुर्ग	1	हत्या	10	7	2
		2	बलात्कार	124	111	13
		3	अपहरण /व्यपहरण	220	33	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	98	86	23
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	24	15	6
		6	मारपीट	564	685	98
8	बेमेतरा	1	हत्या	9	11	0
		2	बलात्कार	49	50	3
		3	अपहरण /व्यपहरण	61	17	1
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	33	33	1
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	4	6	1
		6	मारपीट	127	204	5
9	बालोद	1	हत्या	6	6	0
		2	बलात्कार	65	66	0
		3	अपहरण /व्यपहरण	47	29	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	23	18	0
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	2	2	0
		6	मारपीट	149	278	0
10	राजनांदगांव	1	हत्या	4	4	0
		2	बलात्कार	72	80	3
		3	अपहरण /व्यपहरण	77	8	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	34	35	1
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	8	8	0
		6	मारपीट	135	217	10
11	कबीरधाम	1	हत्या	15	30	0
		2	बलात्कार	35	40	0
		3	अपहरण /व्यपहरण	95	33	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	45	50	3
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	4	4	0
		6	मारपीट	103	137	25

अनुसंधान अधिकारी

स.क्र.	जिला	क्र0	अपराध शीर्ष	रिपोर्ट	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	फरार आरोपियों की संख्या
12	खैरागढ़	1	हत्या	3	2	0
		2	बलात्कार	28	27	0
		3	अपहरण /व्यपहरण	43	20	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	25	26	0
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	5	3	0
		6	मारपीट	63	88	0
13	मोहला मानपुर	1	हत्या	2	2	0
		2	बलात्कार	13	15	0
		3	अपहरण /व्यपहरण	13	0	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	1	1	0
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	0	0	0
		6	मारपीट	16	22	0
14	बिलासपुर	1	हत्या	19	25	1
		2	बलात्कार	207	232	12
		3	अपहरण /व्यपहरण	273	7	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	95	97	11
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	20	14	9
		6	मारपीट	1124	1691	88
15	मुंगेली	1	हत्या	3	5	0
		2	बलात्कार	45	44	1
		3	अपहरण /व्यपहरण	50	4	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	22	25	6
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	2	2	0
		6	मारपीट	116	204	0
16	जांजगीर	1	हत्या	7	6	0
		2	बलात्कार	112	131	10
		3	अपहरण /व्यपहरण	148	13	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	73	76	7
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	11	6	5
		6	मारपीट	372	732	40
17	कोरबा	1	हत्या	11	9	0
		2	बलात्कार	176	173	1
		3	अपहरण /व्यपहरण	147	13	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	97	110	1
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	40	25	0
		6	मारपीट	352	256	0

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

स.क्र.	जिला	क्र0	अपराध शीर्ष	रिपोर्ट	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	फरार आरोपियों की संख्या
18	गौरेला पेण्ड्रा	1	हत्या	8	9	0
		2	बलात्कार	44	44	3
		3	अपहरण /व्यपहरण	41	1	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	24	32	2
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	2	1	1
		6	मारपीट	117	178	17
19	सारंगढ़	1	हत्या	6	7	0
		2	बलात्कार	55	64	3
		3	अपहरण /व्यपहरण	71	6	2
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	33	36	3
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	7	4	0
		6	मारपीट	144	267	10
20	रायगढ़	1	हत्या	22	21	1
		2	बलात्कार	135	152	4
		3	अपहरण /व्यपहरण	100	13	2
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	64	68	5
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	8	6	0
		6	मारपीट	259	455	15
21	सक्ती	1	हत्या	6	8	0
		2	बलात्कार	39	43	6
		3	अपहरण /व्यपहरण	103	5	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	52	55	6
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	4	3	1
		6	मारपीट	178	394	36
22	सरगुजा	1	हत्या	24	27	1
		2	बलात्कार	160	171	6
		3	अपहरण /व्यपहरण	84	12	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	55	52	12
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	10	6	0
		6	मारपीट	142	204	19
23	जशपुर	1	हत्या	21	22	1
		2	बलात्कार	131	159	8
		3	अपहरण /व्यपहरण	54	11	3
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	15	16	2
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	6	4	2
		6	मारपीट	4	5	0

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

स.क्र.	जिला	क्र0	अपराध शीर्ष	रिपोर्ट	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	फरार आरोपियों की संख्या
24	कोरिया	1	हत्या	4	5	1
		2	बलात्कार	41	42	2
		3	अपहरण /व्यपहरण	28	0	10
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	17	18	1
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	2	3	0
		6	मारपीट	78	110	11
25	बलरामपुर	1	हत्या	23	29	0
		2	बलात्कार	154	149	5
		3	अपहरण /व्यपहरण	52	7	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	35	49	1
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	1	0	1
		6	मारपीट	171	274	0
26	सूरजपुर	1	हत्या	23	28	3
		2	बलात्कार	74	91	6
		3	अपहरण /व्यपहरण	42	6	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	37	47	5
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	7	5	1
		6	मारपीट	244	380	38
27	मनेन्द्रगढ़	1	हत्या	11	11	0
		2	बलात्कार	67	69	5
		3	अपहरण /व्यपहरण	42	8	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	22	22	0
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	2	2	0
		6	मारपीट	211	295	4
28	जगदलपुर	1	हत्या	9	8	0
		2	बलात्कार	85	87	0
		3	अपहरण /व्यपहरण	67	6	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	31	32	0
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	9	7	0
		6	मारपीट	119	200	6
29	दंतेवाड़ा	1	हत्या	3	3	0
		2	बलात्कार	16	16	0
		3	अपहरण /व्यपहरण	2	0	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	9	10	0
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	1	1	0
		6	मारपीट	12	19	2

Psaly
अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

स.क्र.	जिला	क्र0	अपराध शीर्ष	रिपोर्ट	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	फरार आरोपियों की संख्या
30	कांकेर	1	हत्या	7	7	0
		2	बलात्कार	76	73	2
		3	अपहरण /व्यपहरण	41	3	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	22	26	1
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	7	5	1
		6	मारपीट	132	229	14
31	बीजापुर	1	हत्या	5	2	0
		2	बलात्कार	24	23	2
		3	अपहरण /व्यपहरण	11	3	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	1	0	1
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	0	0	0
		6	मारपीट	8	8	4
32	नारायणपुर	1	हत्या	2	1	0
		2	बलात्कार	19	17	2
		3	अपहरण /व्यपहरण	9	3	8
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	3	5	0
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	0	0	0
		6	मारपीट	16	22	1
33	सुकमा	1	हत्या	3	25	0
		2	बलात्कार	21	22	0
		3	अपहरण /व्यपहरण	4	1	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	6	9	0
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	1	0	0
		6	मारपीट	8	8	0
34	कोण्डागांव	1	हत्या	5	4	0
		2	बलात्कार	49	38	0
		3	अपहरण /व्यपहरण	36	12	0
		4	छेड़खानी (354 भादवि/74 बीएनएस)	9	11	0
		5	छेड़खानी (509 भादवि/79 बीएनएस)	3	2	0
		6	मारपीट	35	53	0

psahu
अनुभाग अधिकारी

परिशिष्ट - चौंतीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 606) की जानकारी

प्रपत्र–अ

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या
(जनवरी 2024 से दिनांक 26.11.2024 तक की स्थिति में)

क्रं	जिला	लाभार्थियों की संख्या
1	बालोद	41,597
2	बलौदाबाजार	54,441
3	बलरामपुर	39,614
4	बस्तर	29,571
5	बेमेतरा	32,746
6	बीजापुर	20,364
7	बिलासपुर	53,188
8	दंतेवाडा	14,750
9	धमतरी	34,403
10	दुर्ग	69,909
11	गरियाबंद	27,919
12	गौरेला पेन्ड्रा मरवाही	9,992
13	जाजगीर–चांपा	38,630
14	जशपुर	38,399
15	कबीरधाम	34,534
16	कांकेर	33,647
17	खैरागढ छुईखदान गडई	15,991
18	कोण्डागांव	23,670
19	कोरबा	42,975
20	कोरिया	16,748
21	महासमुंद	46,744
22	मनेन्द्रगढ चिरमिरी भरतपुर	18,150
23	मोहला मानपुर अम्बागढ चौकी	10,198
24	मुंगेली	24,601
25	नारायणपुर	7,182
26	रायगढ	46,671
27	रायपुर	83,575
28	राजनांदगांव	41,589
29	सक्ती	26,553
30	सारंगढ बिलाईगढ	35,798
31	सुकमा	11,957
32	सूरजपुर	44,392
33	सरगुजा	33,979
योग		11,04,477

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

उपसंचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ

प्रपत्र–ग

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या
(जनवरी 2024 से दिनांक 26.11.2024 तक की स्थिति में)

क्र.	जिला	लाभार्थियों की संख्या
1	बालोद	34
2	बलौदाबाजार	54
3	बलरामपुर	15
4	बस्तर	30
5	बेमेतरा	29
6	बीजापुर	1
7	बिलासपुर	98
8	दंतेवाड़ा	3
9	धमतरी	31
10	दुर्ग	182
11	गौरेला–पेन्ड्रा मरवाही	1
12	गरियाबंद	25
13	जांजगीर–चांपा	67
14	जशपुर	27
15	कबीरधाम	11
16	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	4
17	कोण्डागांव	10
18	कोरबा	29
19	कांकेर	37
20	कोरिया	13
21	महासमुंद	49
22	मोहेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	5
23	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	2
24	मुंगेली	17
25	नारायणपुर	3
26	रायगढ़	57
27	रायपुर	325
28	राजनांदगांव	47
29	सारंगढ़ बिलाईगढ़	2
30	सुकमा	1
31	सूरजपुर	22
32	सक्ती	1
33	सरगुजा	30
	कुल	1262

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

उपसंचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित योजनाओं से प्राप्त ब्याज की जानकारी के संबंध में

(राशि रूपये में)

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम	मद/योजना का नाम	प्राप्त ब्याज की राशि	प्राप्त ब्याज राशि से स्वीकृत कार्य की कुल राशि	ब्याज की राशि से कुल व्यय	कार्य का नाम जिसमें राशि व्यय की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2022–23	राजनांदगांव	जि पं.राजनांदगांव	मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण निर्माण योजना	1211755.00	0.00	0.00	–
2				जिला पंचायत विकास निधि	242009.00	0.00	0.00	–
3				जनपद पंचायत विकास निधि	98573.00	0.00	0.00	–
4				मूलभूत	653690.00	0.00	0.00	–
5				मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना	161506.00	0.00	0.00	–
6				मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्यतीकरण योजना	172276.00	0.00	0.00	–
7				त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता विकास योजना	126265.00	0.00	0.00	–
8				विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना	232885.00	0.00	0.00	–
9				श्रद्धांजलि योजना	266810.00	0.00	0.00	–
10				अटल समरसता भवन योजना	74106.00	0.00	0.00	–
11				15 वें वित्त आयोग	2958667.00	0.00	0.00	–
12			ज.पं.डोंगरगढ़	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	17062.00	0.00	0.00	–
13				जनपद पंचायत विकास निधि	57143.00	0.00	0.00	–
14				15वें वित्त (जनपद पंचायत विकास योजना)	604579.00	0.00	0.00	–
15			ज.पं.राजनांदगांव	श्रद्धांजली योजना	12815.00	0.00	0.00	–
16				विवेकानंद युवा प्रो.	154960.00	0.00	0.00	–
17				जनपद पंचायत विकास निधि	93254.00	0.00	0.00	–
18				15वें वित्त (जनपद पंचायत विकास योजना)	518666.00	0.00	0.00	–

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम	मद/योजना का नाम	प्राप्त ब्याज की राशि	प्राप्त ब्याज राशि से स्वीकृत कार्य की कुल राशि	ब्याज की राशि से कुल व्यय	कार्य का नाम जिसमें राशि व्यय की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	2022–23	राजनांदगांव	ज.पं. छुरिया	15वें वित्त आयोग	317412	0	0	–
20				स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना	42525	0	0	–
21				जनपद पंचायत विकास निधि	24285	0	0	–
22				छ.ग.राज्य अन्य पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण	131738	0	0	–
23			ज.पं. डोंगरगांव	गौण खनिज मद	46989	0	0	–
24				डी.एम.एफ.	32796	0	0	–
25				15 वें वित्त जनपद	262007	0	0	–
26				जनपद पंचायत विकास निधि	16794	0	0	–
27				स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना	37662	0	0	–
28				विधायक मद	96814	0	0	–
29				सर्व शिक्षा अभियान	36739	0	0	–
30		मोहला–मानपुर–अं0चौकी	ज.पं. मोहला	छ0ग0रा0ग्रा0एवं अ0पि0वर्ग0प्राधि0	19120.00	0.00	0.00	–
31				स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना	115624.00	0.00	0.00	–
32				रीपा	21223.00	0.00	0.00	–
33				जनपद पंचायत विकास योजना	19812.00	0.00	0.00	–
34			ज.पं. अ.चौकी	जनपद पंचायत विकास निधि	33535.00	0.00	0.00	–
35				स्वामी विवेकानंद युवा प्रो.योजना	119002.00	0.00	0.00	–
36				श्रद्धांजली योजना	9903.00	0.00	0.00	–
37				मु.म.पंचा.सशक्तिकरण योजना	4092.00	0.00	0.00	–

अनुभाग – अधिकारी
छत्तीसगढ़ मुद्रणालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
महानदी भवन, मंत्रालय, नया

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम	मद/योजना का नाम	प्राप्त ब्याज की राशि	प्राप्त ब्याज राशि से स्वीकृत कार्य की कुल राशि	ब्याज की राशि से कुल व्यय	कार्य का नाम जिसमें राशि व्यय की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	2022–23	मोहला–मानपुर–अं0चौकी	ज.पं. मानपुर	जनपद पंचायत विकास निधि	21544.00	0.00	0.00	–
39				छ0ग0 राज्य प्राधिकरण	17227.00	0.00	0.00	–
40				मु.मं.पंचा.सशक्तिकरण योजना	14790.00	0.00	0.00	–
41				15वें वित्त आयोग	358347.00	0.00	0.00	–
42		खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	ज.पं. खैरागढ़	15वें वित्त आयोग	564123.00	0.00	0.00	–
43				जनपद पंचायत विकास निधि	62799.00	0.00	0.00	–
44			ज.पं. छुईखदान	15वें वित्त आयोग	403594.00	0.00	0.00	–
45				सांसद निधि	34190.00	0.00	0.00	–
46				विधायक निधि	136969.00	0.00	0.00	–
47				जनपद पंचायत विकास निधि	21833.00	0.00	0.00	–
48				श्रद्धांजली योजना	5555.00	0.00	0.00	–
	योग :–				**10686064.00**	**0.00**	**0.00**	–
1	2023–24	राजनांदगांव	जि.पं. राजनांदगांव	मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण निर्माण योजना	4890460.00	0.00	0.00	–
2				जिला पंचायत विकास निधि	258821.00	0.00	0.00	–
3				जनपद पंचायत विकास निधि	229031.00	0.00	0.00	–
4				मूलभूत	1604539.00	0.00	0.00	–
5				मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना	128802.00	0.00	0.00	–

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
...दी भवन, मंत्रालय, नया रा...

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम	मद/योजना का नाम	प्राप्त ब्याज की राशि	प्राप्त ब्याज राशि से स्वीकृत कार्य की कुल राशि	ब्याज की राशि से कुल व्यय	कार्य का नाम जिसमें राशि व्यय की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	2023–24	राजनांदगांव	जि पं. राजनांदगांव	मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्यतीकरण योजना	197766.00	0.00	0.00	–
7				त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता विकास योजना	145248.00	0.00	0.00	–
8				विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना	131226.00	0.00	0.00	–
9				श्रद्धांजलि योजना	316679.00	0.00	0.00	–
10				अटल समरसता भवन योजना	76566.00	0.00	0.00	–
11				15 वें वित्त आयोग	2893072.00			–
12			ज.पं. डोंगरगढ़	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	85527.00	0.00	0.00	–
13				जनपद पंचायत विकास निधि	312266.00	0.00	0.00	–
14				15वें वित्त (जनपद पंचायत विकास योजना)	681707.00	0.00	0.00	–
15			ज.पं. राजनांदगांव	श्रद्धांजली योजना	5091.00	0.00	0.00	–
16				विवेकानंद युवा प्रो.	286483.00	0.00	0.00	–
17				जनपद पंचायत विकास निधि	96390.00	0.00	0.00	–
18				15वें वित्त (जनपद पंचायत विकास योजना)	830892.00	0.00	0.00	–
19			ज.पं. छुरिया	15वें वित्त आयोग	294494	0	0	–
20				स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना	45135	0	0	–
21				जनपद पंचायत विकास निधि	172645	0	0	–
22				छ.ग.राज्य अन्य पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण	70536	0	0	–
23			ज.पं. डोंगरगांव	गौण खनिज मद	72969	0	0	–
24				डी.एम.एफ.	27098	0	0	–
25				15 वें वित्त जनपद	199751	0	0	–

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम	मद/योजना का नाम	प्राप्त ब्याज की राशि	प्राप्त ब्याज राशि से स्वीकृत कार्य की कुल राशि	ब्याज की राशि से कुल व्यय	कार्य का नाम जिसमें राशि व्यय की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	2023–24	राजनांदगांव	ज.पं. डोंगरगांव	स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना	76948	0	0	–
27				जनपद पंचायत विकास निधि	25384	0	0	–
28				विधायक मद	187370	0	0	–
29				सांसद मद	25537	0	0	–
30				सर्व शिक्षा अभियान	21053	0	0	–
31		मोहला–मानपुर–अं0चौकी	ज.पं. मोहला	छ0ग0रा0ग्रा0एवं अ0पि0वर्ग0प्राधि0	20157.00	0.00	0.00	–
32				स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना	65412.00	0.00	0.00	–
33				रीपा	22324.00	0.00	0.00	–
34				जनपद पंचायत विकास योजना	21751.00	0.00	0.00	–
35			ज.पं. अ.चौकी	जनपद पंचायत विकास निधि	97970.00	0.00	0.00	–
36				स्वामी विवेकानंद युवा प्रो.योजना	149048.00	0.00	0.00	–
37				श्रद्धांजली योजना	6991.00	0.00	0.00	–
38				मु.म.पंचा.सशक्तिकरण योजना	2920.00	0.00	0.00	–
39			ज.पं. मानपुर	जनपद पंचायत विकास निधि	111207.00	0.00	0.00	–
40				छ0ग0 राज्य प्राधिकरण	12946.00	0.00	0.00	–
41				मु.मं.पंचा.सशक्तिकरण योजना	15100.00	0.00	0.00	–
42				15वें वित्त आयोग	499227.00	0.00	0.00	–
43		खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	ज.पं. खैरागढ़	15वें वित्त आयोग	609658.00	0.00	0.00	–

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम	मद/योजना का नाम	प्राप्त ब्याज की राशि	प्राप्त ब्याज राशि से स्वीकृत कार्य की कुल राशि	ब्याज की राशि से कुल व्यय	कार्य का नाम जिसमें राशि व्यय की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	2023–24	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	ज.पं. खैरागढ़	जनपद पंचायत विकास निधि	182049.00	0.00	0.00	–
45			ज.पं. छुईखदान	15वें वित्त आयोग	282726.00	0.00	0.00	–
46				सांसद निधि	41450.00	0.00	0.00	–
47				विधायक निधि	177794.00	0.00	0.00	–
48				जनपद पंचायत विकास निधि	70987.00	0.00	0.00	–
49				श्रद्धांजली योजना	19439.00	0.00	0.00	–
				योग :–	**16798642.00**	**0.00**	**0.00**	–
1	01.04.2024 से 26.11.2024	राजनांदगांव	जि पं राजनांदगांव	मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण निर्माण योजना	2056838.00			–
2				जिला पंचायत विकास निधि	482191.00	0.00	0.00	–
3				जनपद पंचायत विकास निधि	78424.00	0.00	0.00	–
4				मूलभूत	565656.00	0.00	0.00	–
5				मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना	136208.00	0.00	0.00	–
6				मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्यतीकरण योजना	137755.00	0.00	0.00	–
7				त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता विकास योजना	157620.00	0.00	0.00	–
8				विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना	145320.00	0.00	0.00	–
9				श्रद्धांजलि योजना	193060.00	0.00	0.00	–
10				अटल समरसता भवन योजना	19396.00	0.00	0.00	–
11				15 वें वित्त आयोग	2316093.00	0.00	0.00	–
12			ज.पं. डोंगरगढ़	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	18398.00	0.00	0.00	–
13				जनपद पंचायत विकास निधि	149874.00	0.00	0.00	–
14			ज.पं. डोंगरगढ़	15वें वित्त (जनपद पंचायत विकास योजना)	311784.00	0.00	0.00	–

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम	मद/योजना का नाम	प्राप्त ब्याज की राशि	प्राप्त ब्याज राशि से स्वीकृत कार्य की कुल राशि	ब्याज की राशि से कुल व्यय	कार्य का नाम जिसमें राशि व्यय की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	01.04.2024 से 26.11.2024	राजनांदगांव	ज.पं. राजनांदगांव	श्रद्धांजली योजना	123249.00	0.00	0.00	–
16				विवेकानंद युवा प्रो.	154318.00	0.00	0.00	–
17				जनपद पंचायत विकास निधि	234969.00	0.00	0.00	–
18				15वें वित्त (जनपद पंचायत विकास योजना)	280725.00	0.00	0.00	–
19			ज.पं. छुरिया	15वें वित्त आयोग	173946	0	0	–
20				स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना	27374	0	0	–
21				जनपद पंचायत विकास निधि	91519	0	0	–
22				छ.ग.राज्य अन्य पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण	30012	0	0	–
23			ज.पं. डोंगरगांव	गौण खनिज मद	32066	0	0	–
24				डी.एम.एफ.	10353	0	0	–
25				15 वें वित्त जनपद	133409	0	0	–
26				जनपद पंचायत विकास निधि	48190	0	0	–
27				स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना	49603	0	0	–
28				विधायक मद	101863	0	0	–
29				सर्व शिक्षा अभियान	80178	0	0	–
30		मोहला–मानपुर–अं0चौकी	ज.पं. मोहला	छ0ग0रा0ग्रा0एवं अ0पि0वर्ग0प्राधि0	18144.00	0.00	0.00	–
31				स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना	61223.00	0.00	0.00	–
32				रीपा	55760.00	0.00	0.00	–

अनुभाग अधिकारी
गृह मंत्रालय

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम	मद/योजना का नाम	प्राप्त ब्याज की राशि	प्राप्त ब्याज राशि से स्वीकृत कार्य की कुल राशि	ब्याज की राशि से कुल व्यय	कार्य का नाम जिसमें राशि व्यय की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	01.04.2024 से 26.11.2024	मोहला–मानपुर–अं0चौकी	ज.पं. मोहला	जनपद पंचायत विकास योजना	56296.00	0.00	0.00	–
34			ज.पं. अ.चौकी	जनपद पंचायत विकास निधि	42253.00	0.00	0.00	–
35				स्वामी विवेकानंद युवा प्रो.योजना	78588.00	0.00	0.00	–
36				श्रद्धांजली योजना	3171.00	0.00	0.00	–
37			ज.पं. मानपुर	जनपद पंचायत विकास निधि	48197.00	0.00	0.00	–
38				छ0ग0 राज्य प्राधिकरण	10404.00	0.00	0.00	–
39				15वें वित्त आयोग	281655.00	0.00	0.00	–
40		खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	ज.पं. खैरागढ़	15वें वित्त आयोग	616440.00	0.00	0.00	–
41				जनपद पंचायत विकास निधि	123528.00	0.00	0.00	–
42			ज.पं. छुईखदान	15वें वित्त आयोग	101764.00	0.00	0.00	–
43				सांसद निधि	7050.00	0.00	0.00	–
44				विधायक निधि	135488.00	0.00	0.00	–
45				जनपद पंचायत विकास निधि	8964.00	0.00	0.00	–
				योग :–	**9989316.00**	**0.00**	**0.00**	–
				महायोग :–	**37474022.00**	**0.00**	**0.00**	–

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
विकास विभाग
रायपुर

परिशिष्ट - छत्तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 617) की जानकारी

प्रपत्र

- **साइबर पोर्टल में उपलब्ध जानकारी पर कार्यवाही** –राज्य स्तर पर साइबर अपराध की रोकथाम हेतु साइबर क्राइम पोर्टल, समन्वय पोर्टल सीआईआर पोर्टल संचालित किये जा रहे हैं।
- **साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर**–सिटीजन फाईनेंशियल फ्रॉड हेल्पलाईन नंबर 1930 की मदद से **30 नवम्बर 2024 तक 35.93 करोड़ रूपये** से अधिक रकम को ठगों के हाथों में जाने से पहले होल्ड कराया गया है।
- **रेंज साइबर थानों का संचालन** –10 अगस्त 2023 से रेंज रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर एवं सरगुजा में रेंज साइबर थाना एवं वर्ष 2012 से फारेंसिक लैब का संचालन प्रारंभ किया गया है।
- **साइबर जागरूकता**– राज्य स्तर पर सभी जिलों में साइबर जनजागरूकता पखवाड़ा एवं साइबर वालिंटियर्स के द्वारा आमजनो को साइबर अपराध से बचने हेतु **कुल 418 साइबर जागरूकता कार्यक्रम** संचालित कर **लगभग 23 लाख लोगों** को विस्तृत जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया है।
- **क्षमता विकास**–सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के अंतर्गत कुल 2782 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है।
- **अद्योसंरचना**– साइबर अपराध की रोकथाम हेतु राज्य स्तर पर अत्याधुनिक साइबर भवन संचालित है एवं साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने, हेल्पलाईन नंबर 1930 का संचालन हेतु पुलिस मुख्यालय में आधुनिक कॉल सेंटर की स्थापना किया गया है।
- **मानव संसाधन**–साइबर क्राइम एवं कम्प्यूटर कॉडर के तहत् भर्ती प्रक्रियाधीन है।

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - सैंतीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 625) की जानकारी

प्रपत्र

आरंग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रवण बाधित दिव्यांगजनों की ग्रामवार संख्यात्मक जानकारी।

——::0::——

कमांक	ग्राम	संख्या
1	अमोदी	1
2	अमसेना	1
3	बहनाकाडी	1
4	बैहार	1
5	बाना	3
6	बनरसी	1
7	बरछा	1
8	भैंसा	1
9	भलेरा	2
10	भानसोज	2
11	भिलाई	2
12	भोथली	2
13	बिरबिरा	1
14	चंदखुरी	1
15	चटौद	2
16	छतौना	2
17	दरभा	1
18	देवदा	1
19	देवर तिल्दा	1
20	डिघरी	1
21	गौरभाठा	3
22	घुमराभाठा	1
23	गिधवा	1
24	गोढ़ी	4
25	गुल्लू	1
26	जरौदा	1
27	जुगेश्वर	1
28	केशला	1
29	खौली	5
30	खोरसी	2
31	कोड़ापार	1

कमांक	ग्राम	संख्या
32	कोरसी	5
33	कोसमखुंटा	1
34	कोसरंगी	2
35	कुम्हारी 2	1
36	कुण्डा	1
37	कुरूद 2	1
38	लखौली	5
39	लांजा	1
40	मंदिर हसौद	3
41	मुनगा	1
42	मुनरेठी	1
43	नारा	1
44	नरदाहा	2
45	नवागांव	1
46	निसदा	4
47	ओडका	1
48	पलौद1	1
49	पारागांव	2
50	परसवानी	1
51	परसदा 1	2
52	राखी	1
53	रानी सागर	1
54	रसनी	2
55	रसोटा	2
56	रिको 1	1
57	समोदा	1
58	सोनपैरी	1
59	टेकारी	1
60	तुलसी1	3
61	आरंग शहर	151
योग		250

अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - अड़तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 627) की जानकारी

क्र	दवा का नाम	प्रपत्र मात्रा
1	एसायक्लोविर (एस सोडियम साल्ट)पाउडर फॉर इंजेक्शन	7497
2	सेफट्राईक्जोन पाउडर फॉर इंजेक्शन 1जीएम आईपी.	2345670
3	फेनिरामाइन इंजेक्शन	30000
4	डेक्सामेथाज़ोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन आईपी -4मिलिग्रा. /ml	252646
5	डायक्लोफेनक सोडियम इंजेक्शन आईपी	4954466
6	अमिकासिन सलफेट इंजेक्शन आईपी	15000
7	अमिकासिन सलफेट इंजेक्शन आईपी	244180
8	अमियोडेरोन इंज	11504
9	मिथाइल प्रेडनिसोलोन सोडियम इंजेक्शन 40मिग्रा/ मिलि के लिए इंजेक्शन यूएसपी	6070
10	मिथाइल प्रेडनिसोलोन 500 मिलीग्राम इंजेक्शन	7400
11	अमोक्सिसिल्लिन + क्लावुलानिक एसिड 600 इंजेक्शन	164280
12	मेटाक्लोप्रामाईड इंजेक्शन आईपी	32000
13	पेरासिटामोल	822135
14	पेंटाज़ोसिन लाक्टाते इंज.आईपी	71500
15	पेंटोप्राजोल इंज.	246530
16	आर्टिसुनेट इंजेक्शन 60 मि.ग्रा/ शीशी (आईएम/आईवी) 1 मिली एम्पूल सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आईपी 0.9%डब्ल्यू/व्ही (5 मिली एम्पूल) 60 मिलीग्राम / शीशी (आईएम/आईवी)	100897
17	वैनकोमाइसिन 250 मिलीग्राम अंतःशिरा आईपी	3481
18	ओंडासेट्रान टेबलेट	856000
19	ट्रामाडोल इंजेक्शन 50 एमजी/एमएल	166180
20	कैल्शियम कार्बोनेट टेबल (विथ फ्लेवर) आईपी	2007600
21	पिपरासिल्लिन एंड ताज़ोबक्टम 15मिलीग्राम पाउडरफॉर इंजेक्शन 4ग्राम+500मिलीग्राम	40169
22	सेफोपेराज़ोन 1 ग्राम + सल्बैक्टम 0.5 ग्राम	11750
23	मेरोपेनेम 1gm + सल्बैक्टम 500 मिलीग्राम इंजेक्शन।	4750
24	सेफ्त्रियाक्सोन + 1 ग्राम सैल्बैक्टम 500 मिलीग्राम इंजेक्शन।	8300
25	सेफोटैक्सिम 1 जीएम इंजेक्शन।	27900
26	सेफ़ोपेराज़ोन 1 जीएम इंजेक्शन।	15500
27	सेफ़ोपेराज़ोन+ सालबैक्ट। जीएम इंजेक्शन।	19350
28	सेफ्ट्रिओक्सोन 500एमजी इंज.	113900
29	पैरासिटामोल 250mg / 5ml एसवाईपी	25400

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रपत्र

महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत विधानसभा प्रतापपुर में स्वीकृत कार्यो व भुगतान की जानकारी

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष	कुल स्वीकृत कार्यो की संख्या	कुल स्वीकृति राशि	पूर्ण कार्यो की संख्या	अपूर्ण कार्यो की संख्या	भुगतान की गई राशि	भुगतान हेतु शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बलरामपुर–रामानुजगंज	प्रतापपुर	2022–23	842	1784.75	746	96	1396.46	0
2	सूरजपुर		2022–23	962	2565.36	834	128	1924.76	0
			योग :–	**1804**	**4350.11**	**1580**	**224**	**3321.22**	**0**
3	बलरामपुर–रामानुजगंज		2023–24	591	1847.45	343	248	1060.71	0
4	सूरजपुर		2023–24	1116	4920.5	779	337	3096.61	0
			योग :–	**1707**	**6767.95**	**1122**	**585**	**4157.32**	**0**

संयुक्त आयुक्त
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छ.ग. रायपुर

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - चालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क्र. 648) की जानकारी

iii=

//शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय मे चिकित्सालय संचालन हेतु स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदो की जानकारी//

श्रेणी	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या		रिक्त पदों की संख्या
			नियमित	संविदा	
प्रथम श्रेणी	प्राचार्य	1	1	0	0
	प्राध्यापक	9	4	5	0
	सह–प्राध्यापक (रीडर, डेन्टल विषय)	21	7	13	1
	सह–प्राध्यापक (रीडर, मेडिकल विषय)	9	4	0	5
	सहायक प्राध्यापक (व्याख्याता, डेन्टल विषय)	39	15	19	5
	सहायक प्राध्यापक (व्याख्याता, मेडिकल विषय)	23	0	2	21
	योग	102	31	39	32
द्वितीय श्रेणी	रेसीडेन्ट/ट्यूटर	12	3	4	5
	दंत चिकित्सक	4	0	3	1
	प्रशासकीय अधिकारी	1	1	0	0
	लाइब्रेरियन (ग्रंथपाल)	1	1	0	0
	योग	18	5	7	6
तृतीय श्रेणी	कार्यालय अधीक्षक	1	0	0	1
	मुख्य लिपिक	1	0	0	1
	स्टोर कीपर	3	3	0	0
	सीनि.रेडियोग्राफर	3	3	0	0
	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0
	लेखापाल	3	3	0	0
	क्लर्क	8	5	0	3
	स्टेनोग्राफर	1	1	0	0
	कैशियर	3	3	0	0
	सीनियर टेक्निशियन इलेक्ट्रिकल	1	1	0	0

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

	पी.ए.टू. प्रिसिपल	1	0	0	1
	रेडियोग्राफर	3	0	0	3
	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / कम्प्यूटर आपरेटर	2	1	0	1
	स्टेनोटायपिस्ट	5	3	0	2
	डेन्टल हाईजिनिस्ट	27	6	0	21
	डेन्टल मेकेनिक	17	4	1	12
	मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट (MLT) (लैब टैक्नीशियन)	5	1	1	3
	लैब असिस्टेंट	45	26	0	19
	जूनि.इंजी.इलेक्ट्रिकल	2	1	0	1
	जूनि इंजी.मेकेनिकल	3	3	0	0
	आर्टिस्ट	3	2	0	1
	फोटोग्राफर	3	1	0	2
	असिस्टेंट लाइब्रेरियन	2	0	0	2
	इलेक्ट्रिशियन	3	2	0	1
	प्लम्बर कम मेकेनिक	3	1	0	2
	असिस्टेंट स्टोर कीपर	3	2	0	1
	रिकार्ड कीपर	3	2	0	1
	स्टोर क्लर्क	17	9	0	8
	स्टाफ नर्स	23	7	0	16
	वाहन चालक	8	6	0	2
	योग	203	97	2	104
चतुर्थ श्रेणी	लाइब्रेरी अटेण्डेन्ट	5	3	0	2
	चपरासी (भृत्य)	10	6	0	4
	क्लीनर	4	4	0	0
	लैब क्लीनर	50	22	7	21
	वॉचमेन	10	10	0	0
	स्वीपर	37	14	1	22
	योग	116	59	8	49
महायोग		**439**	**192**	**56**	**191**

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्रपत्र

राशि रूपये में

क्रमांक	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष	विगत वर्ष की बकाया राशि	प्राप्त आंबटन	कुल राशि	योजना अंतर्गत किये गये कार्यो संख्या	संपादित कार्यो की एजेंसी का नाम	संपादित कार्यो की व्यय राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	बिलासपुर	2019–20	1517571	4793000	6310571	0	–	2054144	
		2020–21	4256427	3356000	7612427	0	–	1438284	
		2021–22	6174143	1918000	8092143	0	–	0	
		2022–23	8092143	1918000	10010143	0	–	160000	
		2023–24	9850143	1917808	11767951	0	–	0	
योग				**13902808**				3652428	
2	कोण्डागांव	2019–20	3552325	3425000	6977325	46	जनपद/ग्राम पंचायत	1692192	
		2020–21	4798992	2397000	7195992	43		1041480	
		2021–22	6165977	2397000	8562977	28		2481427	
		2022–23	8354096	2397000	10751096	25		1516767	
		2023–24	6959325	2397260	9356585	47		2591395	
योग				**13013260**		**189**		**9323261**	
3	रायगढ़	2019–20	2553000	6165000	8718000	0	–	4000000	
		2020–21	2165000	4315000	6480000	0	–	3311405	
		2021–22	1003595	4315000	5318595	0	–	2400000	
		2022–23	1915000	4315000	6230000	0	–	3800000	
		2023–24	515000	4315068	4830068	0	–	3288172	
योग				**23425068**		**0**		**16799577**	

अनुभाग अधिकारी
वित्त विभाग मंत्रालय
ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

4	दुर्ग	2019–20	2818825	2055000	4873825	10	जनपद / ग्राम पंचायत	845785	
		2020–21	3493825	1438000	4931825	7		398056	
		2021–22	4931825	1438000	6369825	16		3063585	
		2022–23	6359825	1438000	7797825	15		1998954	
		2023–24	5457825	1438356	6896181	9		1226357	
योग						**57**		**7532737**	
5	बलरामपुर–रामानुजगंज	2019–20	1426685	4109000	5535685	43	जनपद / ग्राम पंचायत	4109000	
		2020–21	1426685	2877000	4303685	28		1800000	
		2021–22	2503685	2877000	5380685	54		2500000	
		2022–23	2880685	2877000	5757685	60		3600000	
		2023–24	2157685	2876712	5034397	43		3400000	
योग				**15616712**		**228**		**15409000**	
6	गरियाबंद	2019–20	6752603	3425000	10177603	17	जनपद / ग्राम पंचायत	3000000	
		2020–21	6752603	2397000	9149603	18		3000000	
		2021–22	6752603	2397000	9149603	0		0	
		2022–23	9149603	2397000	11546603	9		1815330	
		2023–24	9149603	2397260	11546863	9		1694488	
योग				**13013260**		**53**		**9509818**	
7	राजनांदगांव	2019–20	11520111	6165000	17685111	100	जनपद / ग्राम पंचायत	4157069	
		2020–21	13528042	4315000	17843042	110		2445223	
		2021–22	15397819	4315000	19712819	189		5300771	
		2022–23	14412048	4315000	18727048	80		4432318	
		2023–24	14294730	4315068	18609798	142		3152182	
योग				**23425068**		**621**		**19487563**	

देवव्रत चौधरी
विशेषज्ञ सहायक
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

8	बस्तर	2019–20	0	4795000	4795000	84	जनपद /ग्राम पंचायत	3897210	
		2020–21	897790	3356000	4253790	48		2300856	
		2021–22	1952934	3356000	5308934	57		2763887	
		2022–23	2545047	3356000	5901047	61		2883025	
		2023–24	3018022	3356164	6374186	45		2308706	
योग				**18219164**		**295**		**14153684**	
9	सरगुजा	2019–20	5698065	4795000	10493065	0	–	3900000	
		2020–21	6593065	3356000	9949065	0	–	2800000	
		2021–22	7149065	3356000	10505065	0	–	1800000	
		2022–23	8705065	3356000	12061065	0	–	1800000	
		2023–24	10261065	3356164	13617229	0	–	600000	
योग				**18219164**		0		**10900000**	
10	रायपुर	2019–20	9459000	2740000	12199000	39	जनपद पंचायत तिल्दा, धरसींवा, आरंग एवं अभनपुर	1234491	
		2020–21	10964509	1918000	12882509	0		0	
		2021–22	12882509	1918000	14800509	0		0	
		2022–23	14800509	1917000	16717509	14		1487908	
		2023–24	15229601	1917808	17147409	17		878277	
योग				**10410808**		**70**		**3600676**	
11	बीजापुर	2019–20	1392659	2740000	4132659	6	जनपद /ग्राम पंचायत	2729000	
		2020–21	1403659	1918000	3321659	6		1918000	
		2021–22	1403659	1918000	3321659	6		1918000	
		2022–23	1403659	1918000	3321659	5		1600000	
		2023–24	1721659	1917818	3639477	8		600000	
योग				**10411818**		**31**		**8765000**	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

12	कांकेर	2019–20	0	4795000	4795000	104	जनपद / ग्राम पंचायत	3364579	
		2020–21	1430421	3356000	4786421	10		2185841	
		2021–22	2600580	3356000	5956580	60		3710911	
		2022–23	2245669	3356000	5601669	88		4166540	
		2023–24	1435129	3356164	4791293	69		4317177	
योग				**18219164**		**331**		**17745048**	
13	कोरिया / एमसीबी	2019–20	0	3424000	3424000	0	–	3424000	
		2020–21	0	2398000	2398000	0	–	2398000	
		2021–22	0	2398000	2398000	0	–	2398000	
		2022–23	0	2397000	2397000	0	–	2397000	
		2023–24	0	2397260	2397260	0	–	197260	
योग				**13014260**		**0**		**10814260**	
14	धमतरी	2019–20	7210061	2740000	9950061	1	जनपद पंचायत नगरी	684931	
		2020–21	9265130	1918000	11183130	1	जनपद पंचायत धमतरी	684931	
		2021–22	10498199	1918000	12416199	9	ग्रा.पंचा.सेमरा डी., ग्रा.पंचा. धौराभाठा (ज.पंचा. धमतरी),ज.पचा. धमतरी, ज.पंचा. मगरलोड	1729840	
		2022–23	10686359	1917000	12603359	3	ग्रा.पंचा. देवरी, ग्रा.पंचा. परेवाडीह,(ज.पं. धमतरी), ज.प. मगरलोड़	235000	
		2023–24	12368359	1917808	14286167	8	ज.पंचा. धमतरी, ज.पंचा. कुरूद, ज.पंचा. मगरलोड़, ज.पंचा. नगरी	1600000	
योग				**10410808**		**22**		**4934702**	
15	दंतेवाड़ा	2019–20	51835	2740000	2791835	8	जनपद पंचायत	631340	
		2020–21	2734859	1918000	4652859	11	जनपद / ग्राम पंचायत	1268032	
		2021–22	5909934	1918000	7827934	17		929118	
		2022–23	6432262	1918000	8350262	24		1090000	
		2023–24	7406389	1917808	9324197	22		1251300	
योग				**10411808**		**82**		**5169790**	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
... भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

16	बालोद	2019–20	2925625	3425000	6350625	34	जनपद पंचायत	1664042	
		2020–21	4686583	2397000	7083583	27		1622509	
		2021–22	5461074	2397000	7858074	25		1630121	
		2022–23	6227953	2397000	8624953	22		2377678	
		2023–24	6247275	2397260	8644535	28		2973515	
योग				**13013260**		**136**		**10267865**	
17	जशपुर	2019–20	304326	5479000	5783326	11	जनपद / ग्राम पंचायत	1600000	
		2020–21	4298368	3836000	8134368	0		20	
		2021–22	8339157	3836000	12175157	8		5659000	
		2022–23	6195996	3836000	10031996	8		7455724	
		2023–24	2679822	3835616	6515438	10		4135616	
योग				**20822616**		**37**		**18850360**	
18	कोरबा	2019–20	11535628	3425000	14960628	5	जनपद / ग्राम पंचायत	1457410	
		2020–21	13460628	0	13460628	5		3643371	
		2021–22	9160628	2397000	11557628	5		200000	
		2022–23	11357628	2397000	13754628	6		4775000	
		2023–24	8979628	2397260	11376888	8		3000000	
योग				**10616260**		**29**		**13075781**	
19	महासमुंद	2019–20	7800994	3425000	11225994	8	जनपद / ग्राम पंचायत	946491	
		2020–21	9988953	2397000	12385953	6		829192	
		2021–22	11592876	2397000	13989876	20		3763437	
		2022–23	8226377	2397000	10623377	4		2118902	
		2023–24	8377875	2397260	10775135	7		2020489	
योग				**13013260**		**45**		**9678511**	
20	बलौदाबाजार	2019–20	854694	4106000	4960694	16	जनपद / ग्राम पंचायत	4960694	
		2020–21	0	2877000	2877000	19		2877000	
		2021–22	0	2877000	2877000	7		2877000	
		2022–23	0	2877000	2877000	27		2877000	
		2023–24	0	2876712	2876712	10		2876712	
योग				**15613712**		**79**		**16468406**	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

21	बेमेतरा	2019–20	0	2740000	2740000	–	जनपद / ग्राम पंचायत	2527842	
		2020–21	212158	1918000	2130158	5		1918000	
		2021–22	212158	1918000	2130158	11		1918000	
		2022–23	212158	1918000	2130158	34		1918000	
		2023–24	212158	1917808	2129966	24		1917808	
योग				**10411808**		**74**		**10199650**	
22	कबीरधाम	2019–20	4387770	2740000	7127770	12	सरपंच ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत	1981943	
		2020–21	5145827	1918000	7063827	4		540470	
		2021–22	6523357	1918000	8441357	5		1027800	
		2022–23	7413557	1918000	9331557	4		1127645	
		2023–24	8203912	1917808	10121720	4		1932898	
योग				**10411808**		**29**		**6610756**	
23	सुकमा	2019–20	0	2055000	2055000	5	जनपद / ग्राम पंचायत	2055000	
		2020–21	0	1438000	1438000	2		1438000	
		2021–22	0	1438000	1438000	26		1438000	
		2022–23	0	1438000	1438000	5		1438000	
		2023–24	0	1438356	1438356	2		574045	
योग				**7807356**		**40**		**6943045**	
24	मुंगेली	2019–20	7618764	822000	8440764	0	–	1500000	
		2020–21	6940764	1438000	8378764	0	–	0	
		2021–22	8378764	1438000	9816764	0	–	0	
		2022–23	9816764	1438000	11254764	0	–	4137999	
		2023–24	7116765	1438356	8555121	0	–	3550000	
योग				**6574356**		0		**9187999**	
25	जांजगीर–चांपा	2019–20	0	6165000	6165000	32	जनपद / ग्राम पंचायत	2371264	
		2020–21	3793736	4315000	8108736	12		1721482	
		2021–22	6387254	4315000	10702254	8		1069362	
		2022–23	9632892	4315000	13947892	23		2496035	
		2023–24	11451857	4315068	15766925	33		6180047	
योग				**23425068**		**108**		**13838190**	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

26	सूरजपुर	2019–20	6782977	4109000	10891977	0	–	3286267	
		2020–21	7605710	2877000	10482710	0	–	2454450	
		2021–22	8028260	2877000	10905260	0	–	5180000	
		2022–23	5725260	2877000	8602260	0	–	4876000	
		2023–24	3726260	2876712	6602972	0	–	2314589	
योग				**15616712**		**0**			
27	नारायणपुर	2019–20	2879976	1370000	4249976	20	जनपद / ग्राम पंचायत	2445989	
		2020–21	1832513	959000	2791513	13		521871	
		2021–22	2296495	959000	3255495	21		1633405	
		2022–23	1640529	962000	2602529	20		1814985	
		2023–24	807894	958902	1766796	12		707835	
योग				**5208902**		**86**		**7124085**	
28	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	2019–20	3231855	2054144	5285999	–	–		जिला गठन उपरांत मातृ जिला बिलासपुर से वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक के कुल प्राप्त राशि रू. 5285999.00
		2020–21	5285999	1438000	6723999	–	–		
		2021–22	6723999	1438000	8161999	0	–	–	
		2022–23	8161999	1438000	9599999	0	–	4000000	
		2023–24	9599999	1438356	11038355	0	–	4000000	
योग				**7806500**		0		**8000000**	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
[illegible]दी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अपर संचालक
पंचायत संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़

प्रपत्र – अ

विधानसभा सिहावा में वर्ष 2021–22 से जून 2024 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों की जानकारी

स.क्रं.	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4	5
	2021-22	"निरंक"		
	2022-23	"निरंक"		
1	2023-24	मगरलोड	एल073–बेलोरा से कमारपारा	2.80
2	2023-24	नगरी	टी03–कुकरेल कांटाकुर्रीडीह मुख्यमार्ग से बहनापथरा	1.50
3	2023-24	नगरी	एल082–माकरदोना से कमारपारा राजीव नगर	1.10
4	2023-24	नगरी	एल080–सियादेही से बंजरखार लहसुनवाही मुख्य मार्ग	3.00
5	2023-24	नगरी	एल028–भैंसामुडा मुख्यमार्ग से खुदुरपानी धौराभाठा	4.20
6	2023-24	नगरी	एल115–के.जी.बी.मुख्य मार्ग से बरकोना, बगरूमनाला, आमापारा पहुंच मार्ग	4.63
7	2023-24	नगरी	एल037– उमरगांव से पथर्रा	1.80
8	2023-24	नगरी	एल105– छिन्दभर्री बिजापुर मुख्यमार्ग से फुडहरधाप हितली मार्ग	3.20
9	2023-24	नगरी	एल090– गट्टासिल्ली रैयत से पहरिया पारा खरका भर्री बडेपारा बांधा पहुंच मार्ग	6.00
10	2023-24	नगरी	एल106– कोर्रेमुडा से कमारपारा	0.90

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स.कं.	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4	5
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों की जानकारी				
1	2021-22	**"निरंक"**		
2	2022-23	नगरी	देउरपारा मेन रोड से कणेश्वर महादेव मंदिर होते हुए संगम तक	0.75
3	2023-24	**"निरंक"**		

S. E.

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र "ब'

सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्यों की जानकारी

स.कं.	विकासखण्ड	सड़क का नाम	लंबाई (किमी. में)	लागत राशि रू. (लाख में)
1	2	3	4	5
1	नगरी	दरगहन से सलोनी	4.53	160.12
2	नगरी	देवपुर से मुकुन्दपुर	3.50	26.96
3	नगरी	भीतररास से गड़ियापारा	2.07	20.92
4	नगरी	हरदीभाठा से चमेंदा	1.60	10.94
5	नगरी	डी.एस. से कर्राघाठी सोनामगर	6.00	54.58
6	नगरी	डी.एन.बी. रोड से जुनवानी तांगापानी कोंगेंरा	6.00	55.90
7	नगरी	के.जी.बी. से गोविंदपुर	2.00	15.90
8	नगरी	के.जी.बी. से बटनहर्रा	3.00	28.62
9	नगरी	दुगली से जबर्रा	14.00	134.03
10	नगरी	अमाली से सामतरा	3.50	28.01
11	नगरी	उमरगांव से छिन्दीटोला	2.50	18.54
12	नगरी	कुकरेल से माकरदोना	1.70	15.78
13	नगरी	गुहानपारा से कसपुर	6.50	83.36
14	नगरी	भुरसोडोंगरी से देवखुटपारा	1.10	13.41
15	नगरी	मुख्य मार्ग से छिन्दभर्री बिजापुर	13.00	152.43
16	नगरी	डी.एन.बी. रोड से बिरनपुर	1.20	14.13
17	नगरी	कुकरेल से पत्थर्रीडीह	2.00	28.67
18	नगरी	कुकरेल से सिरौभखुर्द	2.00	27.87

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स.क्रं.	विकासखण्ड	सड़क का नाम	लंबाई (किमी. में)	लागत राशि रू. (लाख में)
1	2	3	4	5
19	नगरी	दुगली से दिनकरपुर	3.00	5.80
20	नगरी	डी.एस.रोड से कोलियारी	1.83	24.04
21	नगरी	भैसासांकरा से मसानडबरा	2.14	23.39
22	नगरी	सिहावा से चर्रा	4.20	40.87
23	नगरी	डी.एस. रोड से परसापानी	4.40	143.76
24	नगरी	सेमरा से बोकराबेड़ा	4.10	23.77
25	नगरी	बिरगुड़ी से भूमका	2.30	12.32
26	नगरी	आमदी से चिंवरी	5.15	56.57
27	नगरी	के.जी.बी. से झुंझराकसा	5.72	37.76
28	नगरी	बांसपानी से मुरूमतरा	1.40	22.13
29	नगरी	घोटगावं से कोर्रेमुडा	2.00	21.03
30	नगरी	गोंदलानाला से खैरभर्री	2.02	21.27
31	नगरी	केरेगांव से राईपारा	3.90	41.77
32	नगरी	के.जी.बी. रोड से बगरूमनाला	3.75	22.2
33	नगरी	बी–कुर्रीडीह से बरबांधा	2.75	26.09
34	नगरी	मेनरोड से लिखमा	2.60	16.67
35	नगरी	डी.एन.बी. (49 कि.मी.) से भड़सिवना	1.45	16.92
36	नगरी	घुटकेल से मोतिमडीह	1.80	6.78
37	नगरी	सांकरा से खम्हरिया	3.30	34.5
38	नगरी	देवपुर से बोधसेमरा	2.05	25.33
39	नगरी	शीतला माता मंदिर से पंडरीपानी	2.70	34.63

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, नया रा...

स.कं.	विकासखण्ड	सड़क का नाम	लंबाई (किमी. में)	लागत राशि रू. (लाख में)
1	2	3	4	5
40	नगरी	बांधा से मोहमल्ला	3.06	40.45
41	नगरी	तुमड़ीबाहर से बेलरबाहरा	2.50	18.76
42	नगरी	डी.एस. रोड से दलदली	1.70	17.15
43	नगरी	डी.एस.रोड से पालगांव	1.90	24.86
44	नगरी	दुगली गट्टासिल्ली रोड से गेदरा	1.74	12.28
45	नगरी	नगरी से चारगांव	15.70	142.42
46	नगरी	केरेगांव से कोर्रा व्हाया डोकाल	6.10	51.75
47	नगरी	सियादेही से लहसुनवाही	1.10	11.17
48	नगरी	डी.एस. रोड (खाडादाह) से ब्रम्हनबाहारा	1.50	17.04
49	नगरी	कुकरेल (आर.डी. 9600 मी.) से पारधी (23950 मी.)	14.35	225.87
50	नगरी	घोटगांव से कोर्रेमुडा	4.60	33.7
51	नगरी	बेलरगांव (गिधावा) से झुरानाला (कसपुर)	5.05	77.28
52	नगरी	बिरगुड़ी से खडपथरा	1.90	30.81
53	नगरी	बेलरगांव जैतपुरी मेनरोड से डोमपदर	1.00	15.94
54	नगरी	दुगली से देवगांव	12.45	164.33
55	नगरी	डी.एस. रोड से गजकन्हार	2.05	32.81
56	नगरी	साहनीखार से लटियारा	2.60	28.72
विकासखंड – नगरी योगः–			**218.06**	**2493.11**
57	मगरलोड	मोंहदी से बेलोरा	1.26	11.57
58	मगरलोड	मोहंदी बोरसी से राजपुर	1.80	6.54
59	मगरलोड	हसदा खिसोरा से मोहरेंगा	1.30	38.31

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स.कं.	विकासखण्ड	सड़क का नाम	लंबाई (किमी. में)	लागत राशि रू. (लाख में)
1	2	3	4	5
60	मगरलोड	कोरगांव से दुधवारा	2.25	30.16
61	मगरलोड	बेलरदोना से शुक्लाभाठा	3.00	129.01
62	मगरलोड	मुख्य मार्ग से नवागांव	1.43	17.99
63	मगरलोड	मुख्यमार्ग छिन्दभर्री से डमकाडीह	1.19	39.15
64	मगरलोड	मुख्य मार्ग से डुमरपाली	1.99	24.43
65	मगरलोड	कपालफोड़ी से नारधा	2.27	22.37
66	मगरलोड	भरदा मुख्य मार्ग से चारभाठा	1.45	10.80
67	मगरलोड	सांकरा से भोथीडीह व्हाया गाड़ाडीह	6.80	65.76
68	मगरलोड	मधुबन से राकाडीह	1.68	1.49
69	मगरलोड	मगरलोड से पिपरौद	15.00	190.11
70	मगरलोड	मेघा सिंगपुर से मुख्य मार्ग से मुरकेरा	5.70	43.91
71	मगरलोड	मोहंदी मुख्य मार्ग से जामली	1.30	11.09
72	मगरलोड	मुख्य मार्ग से डाभा	2.30	13.28
73	मगरलोड	मुख्य मार्ग से लडेर	2.84	16.77
74	मगरलोड	भैसमुण्डा मुख्य मार्ग से सौनपैरी बेलोरा	4.95	68.48
75	मगरलोड	मुख्य मार्ग से मोहरेंगा	1.00	9.03
76	मगरलोड	हसदा से खिसोरा	1.42	1.89
77	मगरलोड	मधुबन राकाडीह से भोथीडीह	3.60	17.05
78	मगरलोड	भोथीडीह, गाड़ाडीह मुख्य मार्ग से बोड़रा आमाचानी	2.00	9.75
79	मगरलोड	आलेखुटा से पठार	5.50	75.77
80	मगरलोड	बोरसी मुख्य मार्ग से देवगांव	5.50	29.46
81	मगरलोड	शुक्लाभाठा, बेलरदोना से आमाचानी	3.60	20.75

स.कं.	विकासखण्ड	सड़क का नाम	लंबाई (किमी. में)	लागत राशि रू. (लाख में)
1	2	3	4	5
82	मगरलोड	मोहंदी बोरसी मुख्य मार्ग से सरगी	1.00	10.78
83	मगरलोड	राजिम परसवानी मेन रोड से नवागांव	1.63	31.50
84	मगरलोड	साल्हेभाठा से भालूचूवा	2.95	33.09
85	मगरलोड	धमतरी सिहावा रोड से सोनझरी	3.75	45.47
86	मगरलोड	बेलरदोना से बकोरी व्हाया मड़ेली	10.20	257.53
87	मगरलोड	मेघा सिंगपुर मेनरोड से लुगे	1.40	18.48
88	मगरलोड	सिगपुर मोहेरा रोड से खड़मा पहुॅच मार्ग	2.27	27.19
89	मगरलोड	परसाबुड़ा से रेंगाडीह	1.10	8.47
90	मगरलोड	बोरसी मेनरोड धनबुड़ा व्हाया पाहन्दा	5.70	67.07
91	मगरलोड	जबर्रा देवगांव मेनरोड से भोभलाबाहरा	1.60	19.19
92	मगरलोड	मुख्य मार्ग से कसारवाही	1.45	14.71
विकासखंड – मगरलोड़ योग			**114.18**	**1438.40**

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना

1	मगरलोड	भोथीडीह से नवागांव	3.80	117.24
2	मगरलोड	मेघा सिंगपुर से सिरकट्टा	3.48	28.20
3	नगरी	खड़पथरा से मुंकुदपुर रोड	4.17	201.01
4	नगरी	हरदीभाठा से चमेदा रोड	2.30	14.63
5	नगरी	सोनामगर से मुकुन्दपुर रोड	2.45	28.24
6	नगरी	मोहलई मेन रोड से लीलर रोड	3.15	35.36
7	नगरी	साल्हेभाट मेन रोड से बगदेही मंदिर रोड	2.00	15.01
योग			**21.35**	**439.68**

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय जिला पंचायत कबीरधाम (छ.ग.)

विधानसभा तारांकित प्रश्न क. 674 की जानकारी

प्रपत्र

क	जिला	विकासखंड	रीपा का नाम	रीपा हेतु स्वीकृत राशि (लाख में)	स्वीकृत औद्यौगिक पार्क का उपयोग किस–किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है	रीपा में निर्मित उत्पाद की जानकारी	उत्पाद निर्माण में संलग्न स्व.सहायता समूह का नाम	रीपा अंर्तगत अब तक कुल निर्मित उत्पाद की मात्रा	रीपा अंतर्गत अब–तक कुल विकय उत्पाद की मात्रा	उत्पादन ईकाई मे प्रशिक्षण की सुविधा एवं कुशल प्रशिक्षक उपलब्ध की जानकारी यदि नहीं तो कब तक व्यवस्था की जावेगी	कार्यरत प्रशिक्षको एवं कर्मचारियो के वेतन हेतु शासन स्तर पर क्या व्यवस्था की गई है	औद्योगिक पार्क मे कय की गई मशीन	औद्योगिक पार्क मे कय की गई मशीन हेतु व्यय राशि (लाख में)	औद्योगिक पार्क मे कय की गई मशीन कय हेतु की गई प्रकिया	औद्योगिक पार्क मे कय आवश्यक मशीन एवं उपकरण उपलब्ध है यदि नही तो कब तक उपलब्ध कराये जायेगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	कबीरधाम	कवर्धा	मजगांव	200.00	महिला स्व. समूहो को स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं आत्मनिर्भर बनाना।	आर.ओ. वाटर एवं बर्फ सिल्ली	जय मां सरस्वती स्व सहायता समूह	9680 जार 3800 सिल्ली	9680 जार 3800 सिल्ली	आर. सेटी एवं एक्सप्लोजर विजिट तथा चयनित तकनीकी संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।	रीपा योजनांतर्गत प्रशिक्षको का मानेदय भुगतान किया गया है।	आर.ओ. वाटर एवं बर्फ सिल्ली मशीन	16.00	स्व सहायता समूह द्वारा कय किया गया है।	उपलब्ध है।
						पेपर कप एवं दोना पत्तल	सुहाना स्व सहायता समूह	77152 पैकेट	76252 पैकेट			पेपर कप एवं दोना पत्तल मशीन	13.80		उपलब्ध है।
						फ्लाई एश ब्रिक्स	जय महामाया स्व सहायता समूह	745000 नग	745000 नग			फ्लाई एश ब्रिक्स मशीन	24.00		उपलब्ध है।
						गोबर पेंट (वर्तमान में बंद है)	जय मां संतोषी स्व सहायता समूह	5000 ली.	4500 ली.			गोबर पेंट मशीन (डीएमएफ मद से)	26.30		उपलब्ध है।
						–	–	–	–			ई–रिक्शा, रीपा में निर्मित उत्पादों के परिवहन हेतु।	2.98		उपलब्ध है।
2	कबीरधाम	कवर्धा	दशरंगपुर	200.00	महिला स्व. समूहो को स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं आत्मनिर्भर बनाना।	फ्लाई एश ब्रिक्स	शिव शक्ति स्व सहायता समूह	822000 नग	822000 नग	आर. सेटी एवं एक्सप्लोजर विजिट तथा चयनित तकनीकी संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।	रीपा योजनांतर्गत प्रशिक्षको का मानेदय भुगतान किया गया है।	फ्लाई एश ब्रिक्स मशीन	24.00	स्व सहायता समूह द्वारा कय किया गया है।	उपलब्ध है।
						फेब्रीकेशन उत्पाद	आजाद महिला ग्राम संगठन	8400 किग्रा	8400 किग्रा			फेब्रीकेशन यूनिट	10.30		उपलब्ध है।
						राईस वेल्यू एडिशन प्रोडक्ट (वर्तमान में बंद है)	जय शनिदेव स्व सहायता समूह	500 किग्रा	350 किग्रा			राईस वेल्यू एडिशन मशीन	18.50		उपलब्ध है।
						–	आजाद महिला ग्राम संगठन द्वारा स्वयं के व्यय से मशीन स्थापित कर संचालन किया जा रहा है।					सेंट्रींग कार्य, मिक्सर मशीन	0.00		उपलब्ध है।
						–	–	–	–			ई–रिक्शा, रीपा में निर्मित उत्पादों के परिवहन हेतु।	2.98		उपलब्ध है।

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़, मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
प्रशासनी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नया रायपुर

क्र.	जिला	विकासखंड	रीपा का नाम	रीपा हेतु स्वीकृत राशि (लाख में)	स्वीकृत औद्योगिक पार्क का उपयोग किस–किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है	रीपा में निर्मित उत्पाद की जानकारी	उत्पाद निर्माण में संलग्न स्व.सहायता समूह का नाम	रीपा अंतर्गत अब तक कुल निर्मित उत्पाद की मात्रा	रीपा अंतर्गत अब–तक कुल विक्रय उत्पाद की मात्रा	उत्पादन इकाई मे प्रशिक्षण की सुविधा एवं कुशल प्रशिक्षक उपलब्ध की जानकारी यदि नही तो कब तक व्यवस्था की जावेगी	कार्यरत प्रशिक्षको एवं कर्मचारियो के वेतन हेतु शासन स्तर पर क्या व्यवस्था की गई है	औद्योगिक पार्क मे कय की गई मशीन	औद्योगिक पार्क मे कय की गई मशीन हेतु व्यय राशि (लाख में)	औद्योगिक पार्क मे कय की गई मशीन कय हेतु की गई प्रक्रिया	औद्योगिक पार्क मे कय आवश्यक मशीन एवं उपकरण उपलब्ध है यदि नही तो कब तक उपलब्ध करायें जायेगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	कबीरधाम	बोड़ला	सिल्हाटी	200.00	महिला स्व. समूहो को स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं आत्मनिर्भर बनाना।	बेकरी प्रोडकट	अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह	42000 कि.ग्रा.	40500 कि.ग्रा.	आर. सेटी एवं एक्सप्लोजर विजिट तथा चयनित तकनीकी संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।	रीपा योजनांतर्गत प्रशिक्षको का मानदेय भुगतान किया गया है।	बेकरी निर्माण यूनिट	7.60	स्व सहायता समूह द्वारा कय किया गया है।	उपलब्ध है।
						दोना पत्तल	खुशी स्व सहायता समूह	25000 नग	22000 नग			दोना पत्तल मशीन	2.10		उपलब्ध है।
						पलैक्स प्रिंटिंग	आशीर्वाद स्व सहायता समूह	–	–			पलैक्स प्रिंटिंग मशीन	15.67		उपलब्ध है।
						गोबर पेंट (वर्तमान में बंद है)	शिव शक्ति स्व सहायता समूह	4500 लीटर	4300 लीटर			गोबर पेंट मशीन	26.30		उपलब्ध है।
						–	–	–	–			ई–रिक्शा, रीपा में निर्मित उत्पादों के परिवहन हेतु।	2.98		उपलब्ध है।
4	कबीरधाम	बोड़ला	दलदली	200.00	महिला स्व. समूहो को स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं आत्मनिर्भर बनाना।	सोलर ड्रायर उत्पाद (वर्तमान में बंद है)	अमीला स्व सहायता समूह	350 कि.ग्रा.	300 कि.ग्रा.	आर. सेटी एवं एक्सप्लोजर विजिट तथा चयनित तकनीकी संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।	रीपा योजनांतर्गत प्रशिक्षको का मानदेय भुगतान किया गया है।	सोलर ड्रायर	4.05	स्व सहायता समूह द्वारा कय किया गया है।	उपलब्ध है।
						नमकीन सिक्वर उत्पाद (वर्तमान में बंद है)	बजरंगबली स्व सहायता समूह	500 कि.ग्रा.	420 कि.ग्रा.			नमकीन सिक्वर निर्माण युनिट	10.25		उपलब्ध है।
						कोदो कुटकी प्रोसेसिंग (वर्तमान में बंद है)	शिव शक्ति स्व सहायता समूह	1250 कि.ग्रा.	1250 कि.ग्रा.			कोदो कुटकी प्रोसेसिंग मशीन	20.50		उपलब्ध है।
						ऑयल प्रोसेसिंग (वर्तमान में बंद है)	सरस्वती स्व सहायता समूह	400 लीटर	350 लीटर			ऑयल प्रोसेसिंग मशीन	11.35		उपलब्ध है।
						–	–	–	–			ई–रिक्शा, रीपा में निर्मित उत्पादों के परिवहन हेतु।	2.98		उपलब्ध है।

C:\Vidhansabha\Vidhansabha 2024-25\VSQ 674 - BijalRIPA VSQ 674 12.12.2024 for CD

क्र.	जिला	विकासखंड	रीपा का नाम	रीपा हेतु स्वीकृत राशि (लाख में)	स्वीकृत औद्योगिक पार्क का उपयोग किस–किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है	रीपा में निर्मित उत्पाद की जानकारी	उत्पाद निर्माण में संलग्न स्व.सहायता समूह का नाम	रीपा अंर्तगत अब तक कुल निर्मित उत्पाद की मात्रा	रीपा अंतर्गत अब–तक कुल विकय उत्पाद की मात्रा	उत्पादन ईकाई मे प्रशिक्षण की सुविधा एवं कुशल प्रशिक्षक उपलब्ध की जानकारी यदि नहीं तो कब तक व्यवस्था की जावेगी	कार्यरत प्रशिक्षको एवं कर्मचारियो के वेतन हेतु शासन स्तर पर क्या व्यवस्था की गई है	औद्योगिक पार्क मे कय की गई मशीन	औद्योगिक पार्क मे कय की गई मशीन कय हेतु व्यय राशि (लाख में)	औद्योगिक पार्क मे कय की गई मशीन कय हेतु की गई प्रकिया	औद्योगिक पार्क मे कय आवश्यक मशीन एवं उपकरण उपलब्ध है यदि नही तो कब तक उपलब्ध कराये जायेगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	कबीरधाम	स. लोहारा	रणवीरपुर	200.00	महिला स्व. समूहो को स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं आत्मनिर्भर बनाना।	सेनेटरी नेपकिन	जय मां संतोषी स्व. सहायता समूह	4000 पैकेट	4000 पैकेट	आर. सेटी एवं एक्सप्लोजर विजिट तथा चयनित तकनीकी संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।	रीपा योजनांतर्गत प्रशिक्षको का मानेदय भुगतान किया गया है।	सेनेटरी नेपकिन मशीन	23.50	स्व सहायता समूह द्वारा कय किया गया है।	उपलब्ध है।
						स्कीन प्रिंटिग	कबीर स्व. सहायता समूह	21074 नग	21074 नग			स्कीन प्रिंटिग मशीन	2.15		उपलब्ध है।
						आचार पापड	मां जगदम्बा स्व. सहायता समूह	870 पैकेट	830 पैकेट			आचार पापड यूनिट	15.75		उपलब्ध है।
						कैंडीबार (वर्तमान में बंद है)	कबीर स्व. सहायता समूह	20 डिब्बा	20 डिब्बा			कैंडीबार यूनिट	10.00		उपलब्ध है।
						गोबर पेंट (वर्तमान में बंद है)	जय भोलनाथ स्व. सहायता समूह	4200 लीटर	3800 लीटर			गोबर पेंट मशीन	26.30		उपलब्ध है।
						–	–	–	–			ई–रिक्शा, रीपा में निर्मित उत्पादों के परिवहन हेतु।	2.98		उपलब्ध है।
6	कबीरधाम	स. लोहारा	पेंड्रीतराई (सुरजपुरा ज.)	200.00	महिला स्व. समूहो को स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं आत्मनिर्भर बनाना।	नमकीन प्रोडक्ट (वर्तमान में बंद है)	जय मां शीतला स्व. सहायता समूह	4100 कि.ग्रा	4100 कि.ग्रा	आर. सेटी एवं एक्सप्लोजर विजिट तथा चयनित तकनीकी संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।	रीपा योजनांतर्गत प्रशिक्षको का मानेदय भुगतान किया गया है।	नमकीन निर्माण युनिट	10.30	स्व सहायता समूह द्वारा कय किया गया है।	उपलब्ध है।
						चना बेसन/आंटा (वर्तमान में बंद है)	जय अहिल्या स्व. सहायता समूह	1000 कि.ग्रा	1000 कि.ग्रा			चना बेसन/आंटा मिल	9.50		उपलब्ध है।
						दाल उत्पादन (वर्तमान में बंद है)	जय हनुमान महिला स्व सहायता समूह	350 किग्रा	350 किग्रा			दाल मिल	3.00		उपलब्ध है।
						मसाला उत्पाद (वर्तमान में बंद है)	कुलदेवी स्व. सहायता समूह	600 कि.ग्रा	600 कि.ग्रा			मसाला प्रोसेसिंग यूनिट	17.95		उपलब्ध है।
						–	–	–	–			ई–रिक्शा, रीपा में निर्मित उत्पादों के परिवहन हेतु।	2.98		उपलब्ध है।

क	जिला	विकासखंड	रीपा का नाम	रीपा हेतु स्वीकृत राशि (लाख में)	स्वीकृत औद्योगिक पार्क का उपयोग किस–किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है	रीपा में निर्मित उत्पाद की जानकारी	उत्पाद निर्माण में संलग्न स्व.सहायता समूह का नाम	रीपा अंर्तगत अब तक कुल निर्मित उत्पाद की मात्रा	रीपा अंतर्गत अब–तक कुल विकय उत्पाद की मात्रा	उत्पादन ईकाई मे प्रशिक्षण की सुविधा एवं कुशल प्रशिक्षक उपलब्ध की जानकारी यदि नहीं तो कब तक व्यवस्था की जावेगी	कार्यरत प्रशिक्षको एवं कर्मचारियो के वेतन हेतु शासन स्तर पर क्या व्यवस्था की गई है	औद्योगिक पार्क मे कय की गई मशीन	औद्योगिक पार्क मे कय की गई मशीन हेतु व्यय राशि (लाख में)	औद्योगिक पार्क मे कय की गई मशीन कय हेतु की गई प्रकिया	औद्योगिक पार्क मे कय आवश्यक मशीन एवं उपकरण उपलब्ध है यदि नही तो कब तक उपलब्ध कराये जायेगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	कबीरधाम	पंडरिया	भुवालपुर	200.00	महिला स्व. समूहो को स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं आत्मनिर्भर बनाना।	चिक्की बार (वर्तमान में बंद है)	जय भारत माता स्व–सहायता समूह	98 कि.ग्रा.	98 कि.ग्रा.	आर. सेटी एवं एक्सप्लोजर विजिट तथा चयनित तकनीकी संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।	रीपा योजनांतर्गत प्रशिक्षको का मानेदय भुगतान किया गया है।	चिक्की बार मशीन	12.50	स्व सहायता समूह द्वारा कय किया गया है।	उपलब्ध है।
						जेगरी बाईट्स (वर्तमान में बंद है)	शिव शक्ति महिला स्व–सहायता समूह	85 कि.ग्रा.	55 कि.ग्रा.			जेगरी बाईट्स मशीन	5.80		उपलब्ध है।
						देशी खाण्ड (वर्तमान में बंद है)	दिशा स्व–सहायता समूह	0.00	0.00			देशी खाण्ड मशीन	7.50		उपलब्ध है।
						गुड़ पावडर (वर्तमान में बंद है)	ज्योति महिला स्व–सहायता समूह	9000 कि.ग्रा.	5942 कि.ग्रा.			गुड़ पावडर मशीन	26.00		उपलब्ध है।
						गोबर पेंट उत्पाद (वर्तमान में बंद है)	शिव शक्ति स्व–सहायता समूह	3100 ली.	2800 ली.			गोबर पेंट मशीन	28.00		उपलब्ध है।
						–	–	–	–			ई–रिक्शा, रीपा में निर्मित उत्पादों के परिवहन हेतु।	2.98		उपलब्ध है।
8	कबीरधाम	पंडरिया	कापादाह	200.00	महिला स्व. समूहो को स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं आत्मनिर्भर बनाना।	पशु चारा उत्पाद	मॉ भगवती स्व–सहायता समूह	5020 कि.ग्रा.	5020 कि.ग्रा.	आर. सेटी एवं एक्सप्लोजर विजिट तथा चयनित तकनीकी संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।	रीपा योजनांतर्गत प्रशिक्षको का मानेदय भुगतान किया गया है।	पशु चारा मशीन	16.50	स्व सहायता समूह द्वारा कय किया गया है।	उपलब्ध है।
						सोलर ड्रायर उत्पाद (वर्तमान में बंद है)	मा भवानी स्व–सहायता समूह	1800 कि.ग्रा.	1675 कि.ग्रा.			सोलर ड्रायर	6.50		उपलब्ध है।
						पेपर कप निर्माण (वर्तमान में बंद है)	मॉ महामाया स्व–सहायता समूह	14000 नग	12000 नग			पेपर कप मशीन	12.80		उपलब्ध है।
						बोरी सिलाई कार्य (वर्तमान में बंद है)	मॉ मड़पी स्व–सहायता समूह	7000 नग	5000 नग			बोरी सिलाई मशीन	10.00		उपलब्ध है।
						पोहा/मुर्रा उत्पाद (वर्तमान में बंद है)	मॉ शक्ति स्व–सहायता समूह	3000 कि.ग्रा.	3000 कि.ग्रा.			पोहा/मुर्रा यूनिट	16.60		उपलब्ध है।
						–	–	–	–			ई–रिक्शा, रीपा में निर्मित उत्पादों के परिवहन हेतु।	2.98		उपलब्ध है।
				1600.00									**515.17**		

अनुभाग अधिकारी
अर्थशास्त्र, मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

संयुक्त मिशन संचालक, ग्रा.वि.अ.
विकास आयुक्त कार्यालय
विकास भवन,सेक्टर-19

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ अंतर्गत मुख्य मार्ग से गॉव तक पहुंच मार्ग नही बने एवं पहुंच मार्ग डामरीकरण या पक्का नही बने है, ग्रामों की जानकारी

स. क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	मुख्यमार्ग से गांव तक पहुंच मार्ग बना है (हॉ या नही)	पहुंच मार्ग डामरीकरण या पक्का बना है (हॉ या नही)
1	2	3	4	5	6
1	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	सेमराडीह	हॉ	नही
2	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	गेड़ापाली	हॉ	नही
3	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	गोंदली	हॉ	नही
4	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	सोनियाडीह	हॉ	नही
5	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शीतलपुर	हॉ	नही
6	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	चिचोली	हॉ	नही
7	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	देवरहा	हॉ	नही
8	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	डोटो	हॉ	नही
9	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	डोकरीडीह	हॉ	नही
10	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	गगोरीटाडा	हॉ	नही
11	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	सेमरा	हॉ	नही
12	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	भोगाडीह	हॉ	नही
13	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	टेरहीभदरा	हॉ	नही

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स. क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	मुख्यमार्ग से गांव तक पहुंच मार्ग बना है (हॉ या नही)	पहुंच मार्ग डामरीकरण या पक्का बना है (हॉ या नही)
1	2	3	4	5	6
14	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	कोरवाडबरी	हॉ	नही
15	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	टेंगनाकछार	हॉ	नही
16	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	तेंदुआ	हॉ	नही
17	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	झरनीडीह	हॉ	नही
18	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	बेंदुआ	हॉ	नही
19	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	नरेशनगर	हॉ	नही
20	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	रनकोट	हॉ	नही
21	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	साल्हेओना	हॉ	नही
22	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	धनोरा	हॉ	नही
23	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	महुआडीह	हॉ	नही
24	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	जंवारडीह	हॉ	नही
25	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	दलदली	हॉ	नही
26	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	सरमनडीह	हॉ	नही
27	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	मुड़कट्टा	हॉ	नही
28	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	डोंगीयाभांठा	हॉ	नही
29	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	जवनार	हॉ	नही

स. क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	मुख्यमार्ग से गांव तक पहुंच मार्ग बना है (हॉ या नही)	पहुंच मार्ग डामरीकरण या पक्का बना है (हॉ या नही)
1	2	3	4	5	6
30	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	अर्जुनी	हॉ	नही
31	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	चंदलीडीह	हॉ	नही
32	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	नोहरपाली	हॉ	नही
33	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	लखुर्रीडीह	हॉ	नही
34	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	ढनढनी	हॉ	नही
35	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	सुरगुली	हॉ	नही
36	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	बोड़ाडीह	हॉ	नही
37	बलौदाबाजार	कसडोल	रामपुर (बार)	हॉ	नही
38	बलौदाबाजार	कसडोल	कहुआडबरा	हॉ	नही
39	बलौदाबाजार	कसडोल	नवाडीह	हॉ	नही
40	बलौदाबाजार	कसडोल	सैहाभांठा	हॉ	नही
41	बलौदाबाजार	कसडोल	गजराडीह	हॉ	नही
42	बलौदाबाजार	कसडोल	कारमेल	हॉ	नही
43	बलौदाबाजार	कसडोल	खोसड़ा	हॉ	नही
44	बलौदाबाजार	कसडोल	हरदी	हॉ	नही
45	बलौदाबाजार	कसडोल	मोहदा	हॉ	नही

स. क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	मुख्यमार्ग से गांव तक पहुंच मार्ग बना है (हॉ या नही)	पहुंच मार्ग डामरीकरण या पक्का बना है (हॉ या नही)
1	2	3	4	5	6
46	बलौदाबाजार	कसडोल	गिदपुरी	हॉ	नही
47	बलौदाबाजार	कसडोल	पंहदा	हॉ	नही
48	बलौदाबाजार	कसडोल	तुरकीनडीह	हॉ	नही
49	बलौदाबाजार	कसडोल	सीरमल	हॉ	नही
50	बलौदाबाजार	कसडोल	कुकरीकोना	हॉ	नही
51	बलौदाबाजार	कसडोल	अचानकपुर	हॉ	नही
52	बलौदाबाजार	कसडोल	अल्दा	हॉ	नही
53	बलौदाबाजार	कसडोल	कटुआझर	हॉ	नही
54	बलौदाबाजार	कसडोल	दलदली आर	हॉ	नही
55	बलौदाबाजार	कसडोल	महकोनी	हॉ	नही
56	बलौदाबाजार	कसडोल	छातलडबरा	हॉ	नही
57	बलौदाबाजार	कसडोल	तालाझर	हॉ	नही
58	बलौदाबाजार	कसडोल	सुरवई	हॉ	नही
59	बलौदाबाजार	कसडोल	गिंदोला	हॉ	नही
60	बलौदाबाजार	कसडोल	गजराडीह	हॉ	नही
61	बलौदाबाजार	कसडोल	मुरूमडीह	हॉ	नही

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
[illegible] मंत्रालय नया रायपुर

प्रपत्र-अ

जनवरी, 2022 से दिनांक 26.11.2024 तक प्रदेश के थानों में हत्या, दुष्कर्म, अपहरण, छेडछाड़, चोरी, लूट एवं डकैती के दर्ज प्रकरणों की जिलेवार, वर्षवार जानकारी

क्र0	अपराध शीर्ष	वर्ष	जिलों का नाम																																		
			रायपुर	बलौदा बाजार-भाठापारा	महासमुन्द	धमतरी	गरियाबंद	दुर्ग	बेमेतरा	बालोद	राजनांदगांव	कबीरधाम	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़-चौकी	बिलासपुर	रायगढ़	जांजगीर	कोरबा	मुंगेली	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	सक्ति	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सरगुजा	जशपुर	कोरिया	बलरामपुर	सूरजपुर	मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी	जगदलपुर	दन्तेवाड़ा	कांकेर	बीजापुर	नारायणपुर	कोण्डागांव	सुकमा	रेल
1	हत्या	2022	75	28	23	27	19	39	31	16	32	22	4	10	68	67	28	45	19	13	21	19	48	64	13	56	48	12	27	43	27	36	9	18	19	0
		2023	63	18	18	27	21	47	11	13	20	21	10	11	36	62	30	36	9	12	20	25	58	71	22	49	59	17	25	25	40	34	22	9	21	0
		2024 (26.11.2024 तक)	68	30	22	21	19	55	18	17	24	29	8	5	47	55	24	47	15	15	15	13	50	51	12	51	49	21	19	13	18	38	21	18	26	2
2	दुष्कर्म	2022	266	124	119	54	64	रुरु	42	77	70	51	33	28	223	132	129	97	62	44	69	79	173	172	37	178	119	129	117	22	97	23	28	42	17	4
		2023	223	142	81	83	68	रुरु	37	58	70	63	18	15	186	156	105	107	70	40	38	58	122	118	40	161	98	85	93	25	88	25	21	55	22	3
		2024 (26.11.2024 तक)	217	107	101	66	57	रुरु	49	64	72	35	28	13	218	140	112	176	44	43	39	54	160	130	41	153	73	65	85	16	76	24	19	49	17	5
3	अपहरण (व्यस्क व्यक्ति)	2022	10	2	0	2	1	4	0	0	0	0	2	1	0	0	4	1	0	1	1	0	0	0	2	4	1	0	0	0	41	2	0	0	0	0
		2023	9	3	1	2	1	17	0	0	2	0	2	1	0	0	1	2	0	2		1	1	0	0	2	1	1	2	0	37	4	0	0	0	0
		2024 (26.11.2024 तक)	5	0	2	1	0	7	0	0	1	0	0	1	2	1	1	3	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	2	0
4	अपहरण (नाबलिक व्यक्ति)	2022	428	127	58	42	24	रुरु	66	47	70	86	34	19	263	108	158	131	40	42	79	58	91	66	22	51	50	37	37	28	41	15	13	66	19	2
		2023	445	158	67	39	38	रुरु	82	52	87	96	35	26	285	89	157	149	68	42	86	59	81	64	26	40	52	61	32	22	37	14	16	38	22	0
		2024 (26.11.2024 तक)	437	150	123	58	29	रुरु	71	62	81	109	47	15	283	108	172	186	56	47	115	67	102	62	37	63	57	53	79	7	45	12	8	51	14	3
5	छेडछाड़	2022	170	91	46	62	45	रुरु	23	48	52	71	17	8	131	88	101	73	37	31	66	54	59	50	32	71	56	58	9	29	26	5	3	29	4	0
		2023	158	76	37	52	41	रुरु	33	36	34	40	21	9	85	55	84	55	35	15	36	49	42	26	20	56	41	50	17	15	34	3	7	16	9	1
		2024 (26.11.2024 तक)	115	60	48	37	18	96	33	25	27	45	25	1	99	62	73	97	24	24	51	32	55	21	18	36	36	21	31	10	22	1	3	12	8	2
6	चोरी	2022	1966	392	163	218	87	रुरु	100	222	318	142	76	30	रुरुरु	509	364	542	76	118	178	187	413	327	73	114	158	85	133	63	64	24	12	54	16	313
		2023	1588	322	101	166	84	रुरु	94	157	252	107	81	18	909	493	286	549	39	133	96	168	349	284	55	89	170	78	93	43	64	13	14	42	12	368
		2024 (26.11.2024 तक)	1406	217	172	134	76	रुरु	101	182	254	98	51	19	715	401	250	681	47	118	128	160	334	198	40	76	125	74	91	25	66	23	23	29	22	309

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
रायपुर

क्र0	अपराध शीर्ष	वर्ष	जिलों का नाम																																		
			रायपुर	बलौदा बाजार-भाठापारा	महासमुन्द	धमतरी	गरियाबंद	दुर्ग	बेमेतरा	बालोद	राजनांदगांव	कबीरधाम	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़-चौकी	बिलासपुर	रायगढ़	जांजगीर	कोरबा	मुंगेली	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	सक्ति	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सरगुजा	जशपुर	कोरिया	बलरामपुर	सूरजपुर	मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी	जगदलपुर	दन्तेवाड़ा	कांकेर	बीजापुर	नारायणपुर	कोण्डागांव	सुकमा	रेल
7	लूट	2022	110	30	17	10	5	61	2	2	11	14	7	2	37	33	15	14	3	3	3	7	25	14	5	12	9	9	14	3	6	2	2	1	0	4
		2023	87	18	7	8	3	48	3	4	2	13	2	0	46	11	21	14	4	3	7	6	15	8	3	7	4	9	10	1	2	1	1	0	1	4
		2024 (26.11.2024 तक)	66	19	14	9	1	46	4	2	10	16	4	0	44	26	15	29	4	2	6	3	12	8	3	8	4	9	13	1	5	0	0	1	2	4
8	डकैती	2022	7	1	1	1	3	1	0	0	0	0	0	1	6	2	2	5	1	0	1	0	3	0	0	6	4	3	1	3	4	7	2	0	5	0
		2023	5	1	1	0	0	2	0	1	1	0	1	5	2	3	4	6	3	0	6	0	3	0	0	1	5	1	0	1	1	2	2	0	7	0
		2024 (26.11.2024 तक)	2	4	0	0	3	2	0	0	0	2	0	5	2	3	1	7	2	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	6	1	0	5	0

पुलिस अधिकारी
मुख्यालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

जनवरी, 2022 से दिनांक 26.11.2024 तक प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त या आरोपियों की हुई मृत्यु की वर्षवार, जिलेवार जानकारी

क्र0	जिला	वर्ष	अभिरक्षा में मृत्यु		
			अभियुक्त	आरोपी	मृत्यु का कारण
1	रायपुर	2022	0	1	सिर में चोट आने के कारण
		2023	0	0	0
		2024 (26.11.2024 तक)	0	0	0
2	बिलासपुर	2022	0	1	स्वास्थ्य खराब होने से मृत्यु
		2023	0	0	0
		2024 (26.11.2024 तक)	0	0	0
3	कोरबा	2022	0	0	0
		2023	0	0	0
		2024 (26.11.2024 तक)	1	0	हृदयाघात होने से मृत्यु
4	बलरामपुर	2022	0	0	0
		2023	0	0	0
		2024 (26.11.2024 तक)	1	0	फांसी लगाने से मृत्यु
5	दन्तेवाड़ा	2022	0	0	0
		2023	0	0	0
		2024 (26.11.2024 तक)	0	1	अचानक तबियत खराब होने से ईलाज के दौरान जिला चिकित्सालय में मृत्यु होने से

टीप - शेष जिलों में उक्त अवधि में अभियुक्त/आरोपी की हिरासत में मृत्यु नहीं हुई है।

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 76 (क्र. 764) की जानकारी

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

जून 2024 की स्थिति में

क्र.	जिला	स्वीकृत आवास	पूर्ण आवास	अपूर्ण/ निर्माणाधीन आवास	हितग्राहियों को जारी राशि का किश्तवार जानकारी							
					प्रथम किश्त		द्वितीय किश्त		तृतीय किश्त		चतुर्थ किश्त	
					हितग्राही संख्या	जारी राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	जारी राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	जारी राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	जारी राशि (लाख में)
1	धमतरी	40388	39107	1281	40370	15415.38	39897	17755.90	39124	10997.02	22992	2427.70

क्र.	जिला	हितग्राहियों की शेष राशि की किश्तवार जानकारी							
		प्रथम किश्त		द्वितीय किश्त		तृतीय किश्त		चतुर्थ किश्त	
		हितग्राही संख्या	जारी राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	जारी राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	जारी राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	जारी राशि (लाख में)
1	धमतरी	18	5.19	473	195.97	773	294.30	225	29.35

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन)

जून 2024 की स्थिति में

क्र.	जिला	स्वीकृत आवास	पूर्ण आवास	अपूर्ण/ निर्माणाधीन आवास	हितग्राहियों को जारी राशि का किश्तवार जानकारी							
					प्रथम किश्त		द्वितीय किश्त		तृतीय किश्त		चतुर्थ किश्त	
					हितग्राही संख्या	जारी राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	जारी राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	जारी राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	जारी राशि (लाख में)
1	धमतरी	788	145	643	752	300.80	659	395.40	350	280.00	114	22.80

क्र.	जिला	हितग्राहियों की शेष राशि की किश्तवार जानकारी							
		प्रथम किश्त		द्वितीय किश्त		तृतीय किश्त		चतुर्थ किश्त	
		हितग्राही संख्या	जारी राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	जारी राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	जारी राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	जारी राशि (लाख में)
1	धमतरी	36	7.20	129	51.60	438	262.80	674	539.20

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

(चन्द्रप्रकाश पात्रे)
उपायुक्त
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारिशेष्ट - सैंतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 4) की जानकारी

प्रपत्र– अ

बेमेतरा जिले में संचालित निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा मार्गो में वाहन पार्किंग की व्यवस्था पर कार्यवाही

पंजीकृत निजी अस्पताल/ नर्सिंग होम/ क्लीनिक की सूची

सं.क्र.	संस्थान का नाम	**पता**
1	भवानी रेसिडंस क्लिनिक	वार्ड क्रमांक 12 संजय नगर नवागढ़ बेमेतरा छ.ग. वार्ड क्रमांक 12,491337
2	तिवारी क्लिनिक	ग्राम- सलधा, तह.- बेरला सलधा,491335
3	ओम साई फिजियोथेरेपी क्लिनिक	वार्ड क्रमांक 03 सिंधी कॉलोनी बेमेतरा बेमेतरा,491335
4	डॉ आशीष कुमार ठाकुर क्लिनिक	प्रताप चौक 03,491335
5	खान होम्योपैथिक क्लिनिक	पोस्ट ऑफिस के सामने, टावरी कॉम्प्लेक्स, बेमेतरा, 491335
6	वर्धान हेल्थ केयर	एसबीआई बेमेतरा के सामने वार्ड क्रमांक-3,491335
7	जीवन ज्योति क्लिनिक	सरकारी अस्पताल के पास साजा साजा,491993
8	नया माँ कर्मा नर्सिंग होम	वार्ड क्रमांक, 17 हनुमान गली साहूपारा,491335
9	श्रीवास्तव क्लिनिक	देवकर देवकर,491331
10	शर्मा हॉस्पिटल	बेमेतरा रोड थानखमरिया वार्ड क्रमांक-2 थानखमरिया वार्ड 2,491338
11	राठी दंत चिकित्सालय	कवर्धा रोड 17,491335
12	वर्मा क्लिनिक	वार्ड क्रमांक 05 देवकर,491341
13	शर्मा डेंटल क्लिनिक	सदर रोड 16,491335
14	ताम्रकार नेत्रालय, बेमेतरा	वार्ड क्रमांक 13, सिंघौरी, दुर्ग रोड, बेमेतरा वार्ड क्रमांक 13,491335
15	ज्योति डेंटल क्लिनिक	पोस्ट ऑफिस के सामने, टवरीकॉम्प्लेक्स, बेमेतरा, बेमेतरा, 491335
16	पांडेज़ क्लिनिक	थान खमरिया रोड पुराने बस स्टैंड के पास साजा,
17	डॉक्टर बसन्त दवाखाना	भेड्नी बेमेतरा
18	प्रभात क्लिनिक	देवरबिजा बेमेतरा
19	डॉक्टर संतोष दवाखाना	देवरबिजा बेमेतरा
20	खान क्लिनिक	मस्जिद रोड रंका,491335
21	फिजियोथेरेपी केंद्र	शंकर नगर नवागढ़, पोस्ट+टाह - नवागढ़ नवागढ़,491337
22	श्री शंकर होमियो क्लिनिक	बस स्टैंड के पास वार्ड नंबर 17 बेमेतरा बेमेतरा,491335
23	जयराम क्लिनिक	मकान नंबर-26/1, पिकरी, बेमेतरा वार्ड नंबर 2,491335
24	जयसवाल क्लिनिक	ग्राम-खंडसरा हनुमान मंदिर के पास वार्ड नंबर 08 08,491335

सं.क्र.	संस्थान का नाम	पता
25	डॉ शिरीष शर्मा क्लिनिक	शिव मंदिर परिसर, नए बस स्टैंड के सामने 17,491335
26	डॉ.श्रीमती स्वाति शर्मा क्लिनिक	शिव मंदिर परिसर, नए बस स्टैंड के सामने 17,491335
27	दुबे क्लिनिक	ग्राम और पोस्ट दाढ़ी ,491335
28	चौबे क्लिनिक	गांधी चौक के सामने, राम मंदिर के पास, बेमेतरा, 491335
29	लकवा आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्र क्लिनिक नवागढ़	के.आर.डी. कॉलेज के सामने छिरहा रोड नवागढ़ नवागढ़,491337
30	डॉ वर्मा क्लिनिक	दुर्ग रोड बेमेतरा वार्ड क्रमांक-14,491335
31	गुप्ता क्लिनिक	साजा वार्ड क्रमांक-17,ब्लॉक एवं तहसील-साजा 17,491993
32	इकबाल क्लिनिक	मस्जिद रोड थान खमरिया वार्ड क्रमांक 12,491338
33	टावरी डेंटल क्लिनिक	वार्ड क्रमांक 12, दुर्ग रोड, साजा साजा, 491993
34	आयुष अस्पताल	बस स्टैंड रोड नंदघाट,491340
35	डॉ ज्योति वर्मा क्लिनिक	गुरु गोविंद सिंह वार्ड, बेमेतरा वार्ड नं.08,491335
36	गुप्ता क्लिनिक दाढी	ग्राम और पोस्ट दाढ़ी ,491335
37	बेमेतरा हेल्थकेयर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल	वार्ड 17 बेमेतरा,491335
38	न्यु एसआरएस. मल्टीस्पेशलिटी, डॉ. राजकुमार बरनवार हॉस्पिटल, वार्ड क्रमांक 02 बेमेतरा	वार्ड पिकरी बेमेतरा
39	ए.के. मल्टीस्पेसिलिटी हॉस्पिटल बेमेतरा	वार्ड क्रमांक 08 सुन्दर नगर बेमेतरा
40	गायत्री हॉस्पिटल	शंकर नगर नवागढ़
41	पलक हॉस्पिटल	रायपुर रोड बजाज शो रूम के पास बेमेतरा
42	क्लिनिक लाइफ लाइन	ग्राम-जेवरा पोस्ट जिया ब्लॉक एवं जिला- बेमेतरा
43	सोनी डेंटल केयर	नया बस स्टैंड बेमेतरा
44	जयसवाल क्लिनिक और एक्स-रे सेंटर	ग्राम-खंडसरा बेमेतरा
45	गीता हेल्थ केयर	सिविल लाइन कचहरी पारा बेमेतरा
46	एकता हेलथ केयर	रायपुर रोड बजाज शो रूम के पास बेमेतरा
47	अम्बे क्लिनिक	वार्ड क्रमांक 10 कॉलेज कोबिया के पास बेमेतरा
48	श्री साई क्लिनिक	वार्ड क्रमांक 03 नगर पंचायत देवकर देवकर,491331
49	मस्तुरिया क्लिनिक	वार्ड क्रमांक 04,थान खमरिया 04,491338
50	ओम शंकर अस्पताल	जनपद पंचायत वार्ड 10 कोबिया बेमेतरा के पास,

सं.क्र.	संस्थान का नाम	पता
51	न्यू आयुष्मान हॉस्पिटल	रायपुर रोड पुराना बस स्टैंड बेमेतरा वार्ड क्रमांक 08,491335
52	श्री डायग्नोस्टिक्स क्लिनिक	सीएचसी साजा के सामने, बाजार चौक साजा: 491991
53	वेदांता अस्पताल	लिमाही चौक, ग्राम बहेरा, बेरला बेमेतरा लिमही चौक, ग्राम बहेरा, बेरला बेमेतरा,491335
54	माँ महामाया हॉस्पिटल	नवागढ़ बाघुल रोड, बस स्टैंड के पास, नवागढ़, 491337
55	श्रीराम क्लिनिक	मुंगेली रोड संबलपुर मुंगेली रोड संबलपुर,491340
56	बसु क्लिनिक	वार्ड क्रमांक 10 देवांगन पारा थान खमरिया,491338
57	शिवनाथ क्लिनिक	नंदघाट,491340
58	भवानी हॉस्पिटल	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 15. बेरला
59	चेतना हेल्थ केयर बेमेतरा	मोहभट्टा रोड बेमेतरा ,491335
60	न्यू सूर्या चिकित्सालय	थानखम्हरिया,491338
61	डॉ. साहूस होम्योपैथी क्लिनिक	पंजाब नेशनल बैंक दुर्ग रोड बेमेतरा के पास गस्ती चौक, बेमेतरा,491335
62	अरुण्या मदर एंड चिल्ड्रेन हॉस्पिटल	सलूजा कॉम्प्लेक्स, मेन रोड वार्ड 04 सलूजा कॉम्प्लेक्स, मेन रोड,491335
63	जीवन पॉली क्लिनिक	ग्राम सोमईकला, पोस्ट-चिल्फी ग्राम सोमईकला, पोस्ट-चिल्फी,491993
64	किरण आयुर्वेद क्लिनिक	बस स्टैंड देवरबिजा 491993
65	शिवनाथ क्लिनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटर	ग्राम और पोस्ट नंदघाट
66	सूर्या नेत्रालय बेमेतरा	होंडा शोरूम रायपुर रोड के पास, बेमेतरा ,491335
67	तान्या क्लिनिक	परशुराम चौक बेमेतरा बेमेतरा,491335
68	वेदिका आयुर्वेद पाईल्स एवं पैन रिलीफ केंद्र	राधाकृष्ण मंदिर के पास कोदवा,491993
69	चौहान क्लिनिक	मुंगली रोड नांदघाट मोहित मोबाइल प्वाइंट नांदघाट के सामने,491340
70	मितान हेल्थ केयर	वार्ड क्रमांक 07, माहेश्वरी भवन के पास, बेमेतरा,491335
71	गरिमा अस्पताल	मारो रोड वार्ड क्रमांक 20 पटनाकापा संबलपुर तहसील नांदघाट जिला बेमेतरा छ.ग. वार्ड 20,491340

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रपत्र– ब

बेमेतरा जिले में संचालित निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा मार्गो में वाहन पार्किंग की व्यवस्था पर कार्यवाही

पंजीकृत निजी अस्पताल/ नर्सिंग होम/ क्लीनिक की सूची

सं.क्र.	संस्थान का नाम	पता
1	भवानी रेसिडंस क्लिनिक	वार्ड क्रमांक 12 संजय नगर नवागढ़ बेमेतरा छ.ग. वार्ड क्रमांक 12,491337
2	तिवारी क्लिनिक	ग्राम- सलधा, तह.- बेरला सलधा,491335
3	ओम साई फिजियोथेरेपी क्लिनिक	वार्ड क्रमांक 03 सिंधी कॉलोनी बेमेतरा बेमेतरा,491335
4	डॉ आशीष कुमार ठाकुर क्लिनिक	प्रताप चौक 03,491335
5	खान होम्योपैथिक क्लिनिक	पोस्ट ऑफिस के सामने, टावरी कॉम्प्लेक्स, बेमेतरा, 491335
6	वर्धान हेल्थ केयर	एसबीआई बेमेतरा के सामने वार्ड क्रमांक-3,491335
7	जीवन ज्योति क्लिनिक	सरकारी अस्पताल के पास साजा साजा,491993
8	नया माँ कर्मा नर्सिंग होम	वार्ड क्रमांक, 17 हनुमान गली साहूपारा,491335
9	श्रीवास्तव क्लिनिक	देवकर देवकर,491331
10	शर्मा हॉस्पिटल	बेमेतरा रोड थानखमरिया वार्ड क्रमांक-2 थानखमरिया वार्ड 2,491338
11	राठी दंत चिकित्ससलय	कवर्धा रोड 17,491335
12	वर्मा क्लिनिक	वार्ड क्रमांक 05 देवकर,491341
13	शर्मा डेंटल क्लिनिक	सदर रोड 16,491335
14	ताम्रकार नेत्रालय, बेमेतरा	वार्ड क्रमांक 13, सिंघौरी, दुर्ग रोड, बेमेतरा वार्ड क्रमांक 13,491335
15	ज्योति डेंटल क्लिनिक	पोस्ट ऑफिस के सामने, टवरीकॉम्प्लेक्स, बेमेतरा, बेमेतरा, 491335
16	पांडेज़ क्लिनिक	थान खमरिया रोड पुराने बस स्टैंड के पास साजा,
17	डॉक्टर बसन्त दवाखाना	भेड़नी बेमेतरा
18	प्रभात क्लिनिक	देवरबिजा बेमेतरा
19	डॉक्टर संतोष दवाखाना	देवरबिजा बेमेतरा
20	खान क्लिनिक	मस्जिद रोड रंका,491335
21	फिजियोथेरेपी केंद्र	शंकर नगर नवागढ़, पोस्ट+टाह - नवागढ़ नवागढ़,491337
22	श्री शंकर होमियो क्लिनिक	बस स्टैंड के पास वार्ड नंबर 17 बेमेतरा बेमेतरा,491335
23	जयराम क्लिनिक	मकान नंबर-26/1, पिकरी, बेमेतरा वार्ड नंबर 2,491335
24	जयसवाल क्लिनिक	ग्राम-खंडसरा हनुमान मंदिर के पास वार्ड नंबर 08 08,491335

सं.क्र.	संस्थान का नाम	पता
25	डॉ शिरीष शर्मा क्लिनिक	शिव मंदिर परिसर, नए बस स्टैंड के सामने 17,491335
26	डॉ.श्रीमती स्वाति शर्मा क्लिनिक	शिव मंदिर परिसर, नए बस स्टैंड के सामने 17,491335
27	दुबे क्लिनिक	ग्राम और पोस्ट दाढ़ी ,491335
28	चौबे क्लिनिक	गांधी चौक के सामने, राम मंदिर के पास, बेमेतरा, 491335
29	लकवा आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्र क्लिनिक नवागढ़	के.आर.डी. कॉलेज के सामने छिरहा रोड नवागढ़ नवागढ़,491337
30	डॉ वर्मा क्लिनिक	दुर्ग रोड बेमेतरा वार्ड क्रमांक-14,491335
31	गुप्ता क्लिनिक	साजा वार्ड क्रमांक-17,ब्लॉक एवं तहसील-साजा 17,491993
32	इकबाल क्लिनिक	मस्जिद रोड थान खमरिया वार्ड क्रमांक 12,491338
33	टावरी डेंटल क्लिनिक	वार्ड क्रमांक 12, दुर्ग रोड, साजा साजा, 491993
34	आयुष अस्पताल	बस स्टैंड रोड नंदघाट,491340
35	डॉ ज्योति वर्मा क्लिनिक	गुरु गोविंद सिंह वार्ड, बेमेतरा वार्ड नं.08,491335
36	गुप्ता क्लिनिक दाढ़ी	ग्राम और पोस्ट दाढ़ी ,491335
37	बेमेतरा हेल्थकेयर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल	वार्ड 17 बेमेतरा,491335
38	न्यु एसआरएस. मल्टीस्पेशलिटी, डॉ. राजकुमार बरनवार हॉस्पिटल, वार्ड क्रमांक 02 बेमेतरा	वार्ड पिकरी बेमेतरा
39	ए.के. मल्टीस्पेसिलिटी हॉस्पिटल बेमेतरा	वार्ड क्रमांक 08 सुन्दर नगर बेमेतरा
40	गायत्री हॉस्पिटल	शंकर नगर नवागढ़
41	पलक हॉस्पिटल	रायपुर रोड बजाज शो रूम के पास बेमेतरा
42	क्लिनिक लाइफ लाइन	ग्राम-जेवरा पोस्ट जिया ब्लॉक एवं जिला- बेमेतरा
43	सोनी डेंटल केयर	नया बस स्टैंड बेमेतरा
44	जयसवाल क्लिनिक और एक्स-रे सेंटर	ग्राम-खंडसरा बेमेतरा
45	गीता हेल्थ केयर	सिविल लाइन कचहरी पारा बेमेतरा
46	एकता हेलथ केयर	रायपुर रोड बजाज शो रूम के पास बेमेतरा
47	अम्बे क्लिनिक	वार्ड क्रमांक 10 कॉलेज कोबिया के पास बेमेतरा
48	श्री साई क्लिनिक	वार्ड क्रमांक 03 नगर पंचायत देवकर देवकर,491331
49	मस्तुरिया क्लिनिक	वार्ड क्रमांक 04,थान खमरिया 04,491338
50	ओम शंकर अस्पताल	जनपद पंचायत वार्ड 10 कोबिया बेमेतरा के पास,

सं.क्र.	संस्थान का नाम	पता
51	न्यू आयुष्मान हॉस्पिटल	रायपुर रोड पुराना बस स्टैंड बेमेतरा वार्ड क्रमांक 08,491335
52	श्री डायग्नोस्टिक्स क्लिनिक	सीएचसी साजा के सामने, बाजार चौक साजा: 491991
53	वेदांता अस्पताल	लिमाही चौक, ग्राम बहेरा, बेरला बेमेतरा लिमही चौक, ग्राम बहेरा, बेरला बेमेतरा,491335
54	माँ महामाया हॉस्पिटल	नवागढ़ बाघुल रोड, बस स्टैंड के पास, नवागढ़, 491337
55	श्रीराम क्लिनिक	मुंगेली रोड संबलपुर मुंगेली रोड संबलपुर,491340
56	बसु क्लिनिक	वार्ड क्रमांक 10 देवांगन पारा थान खमरिया,491338
57	शिवनाथ क्लिनिक	नंदघाट,491340
58	भवानी हॉस्पिटल	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 15. बेरला
59	चेतना हेल्थ केयर बेमेतरा	मोहभट्ठा रोड बेमेतरा ,491335
60	न्यू सूर्या चिकित्सालय	थानखम्हरिया,491338
61	डॉ. साहूस होम्योपैथी क्लिनिक	पंजाब नेशनल बैंक दुर्ग रोड बेमेतरा के पास गस्ती चौक, बेमेतरा,491335
62	अरुण्या मदर एंड चिल्ड्रेन हॉस्पिटल	सलूजा कॉम्प्लेक्स, मेन रोड वार्ड 04 सलूजा कॉम्प्लेक्स, मेन रोड,491335
63	जीवन पॉली क्लिनिक	ग्राम सोमईकला, पोस्ट-चिल्फी ग्राम सोमईकला, पोस्ट-चिल्फी,491993
64	किरण आयुर्वेद क्लिनिक	बस स्टैंड देवरबिजा 491993
65	शिवनाथ क्लिनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटर	ग्राम और पोस्ट नंदघाट
66	सूर्या नेत्रालय बेमेतरा	होंडा शोरूम रायपुर रोड के पास, बेमेतरा ,491335
67	तान्या क्लिनिक	परशुराम चौक बेमेतरा बेमेतरा,491335
68	वेदिका आयुर्वेद पाईल्स एवं पैन रिलीफ केंद्र	राधाकृष्ण मंदिर के पास कोदवा,491993
69	चौहान क्लिनिक	मुंगली रोड नांदघाट मोहित मोबाइल प्वाइंट नांदघाट के सामने,491340
70	मितान हेल्थ केयर	वार्ड क्रमांक 07, माहेश्वरी भवन के पास, बेमेतरा,491335
71	गरिमा अस्पताल	मारो रोड वार्ड क्रमांक 20 पटनाकापा संबलपुर तहसील नांदघाट जिला बेमेतरा छ.ग. वार्ड 20,491340

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - अड़तालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 42) की जानकारी

प्रपत्र

जिला मोहला–मानपुर–अं.चौकी अंतर्गत 02 ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों की जनपद पंचायतवार जानकारी

क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	सचिवों का नाम	मूल ग्राम पंचायत/अतिरिक्त प्रभार का नाम
1	2	3	4
1	मोहला	श्री संतोष कुमार गोटे	करमरी/वासड़ी
2		श्री अर्जन सिंह कलिहारे	पिडिंगपार/कुंजामटोला
3		श्री दारसू राम हारमें	पाटनखास/मरकाटोला
4		श्री रतिराम धुर्वे	बिरझूटोला/डूमरटोला
5		श्री सियाराम उईके	मरारटोला/रानाटोला
6		श्रीमती रसीदा खान	मटेवा/ककईपार
7	मानपुर	श्री टूम्मन लाल नागराज	हथरा/दिघवाड़ी
8		श्री लाल सिंह टाड़िया	मोरचुल/बागड़ोंगरी
9		श्री दिलीप कुमार आचला	ढब्बा/कनेली
10		श्री महेश कुमार यादव	उमरपाल/कहडबरी
11		श्री अखलेश कुमार उर्वशा	कोसमी/कमकासूर
12		श्री शंकर लाल माहला	हलोरा/सीतागांव
13		श्री सेवन्त कुमार कोमरे	जक्के/सिवनी
14	अं.चौकी	श्री गौन्दसिंह साहू	कौड़ीकसा /मांगाटोला
15		श्री बिसाहू दास साहू	कौडूटोला /केकतीटोला
16		श्री फुल कुमार मंडावी	गुण्डरदेही/बांधाबाजार
17		श्री चिरंजीव लाल यादव	खड़खड़ी /चिल्हाटी
18		श्री महाजन कोमरे	हालमकोड़ो /तिरपेमेटा
19		श्री राजेन्द्र कुमार उईके	अरजकुण्ड/ मा.मंचादुर
20		श्री विष्णुराम अम्बादे	कुसुमकसा /लाताकोड़ो
21		श्री राजेश कुमार वैद्य	जोरातराई/आमाटोला
22		श्री दिलीप यादव	पांगरी/आटरा

संचालक
पंचायत संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र

जिला जांजगीर–चांपा में मिशन अमृत सरोवर के तहत स्वीकृत अमृत सरोवरों की लागत सहित विकासखंड एवं ग्राम पंचायतवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	अकलतरा	अकलतरी	अकलतरी	नया तालाब गहरीकरण (अमृत सरोवर)	9.59
2	अकलतरा	कटनई	देवरी	शंकर डबरी तालाब गहरीकरण कार्य (अमृत सरोवर)	9.59
3	अकलतरा	नरियरा	नरियरा	अमृत सरोवर चरागाह के पास नया तालाब गहरीकरण/गाद सफाई कार्य	9.99
4	अकलतरा	करूमहूँ	करूमहूँ	अमृत सरोवर सिवाना तालाब गहरीकरण/गाद सफाई कार्य	9.80
5	अकलतरा	कोटगढ़	कोटगढ़	अमृत सरोवर रानीसागर तालाब गहरीकरण/गाद सफाई कार्य	9.96
6	अकलतरा	खटोला	खटोला	अमृत सरोवर छुईहा तालाब गहरीकरण/गाद सफाई कार्य	9.99
7	अकलतरा	पोड़ीदल्हा	पोड़ीदल्हा	मुर्रा तालाब गहरीकरण कार्य (अमृत सरोवर)	8.63
8	अकलतरा	पोड़ीदल्हा	पोड़ीदल्हा	अम्बेडकर उद्यान के पास नया तालाब निर्माण कार्य	18.73
9	अकलतरा	परसदा रे.	परसदा रे.	नया तालाब निर्माण (अमृत सरोवर)	19.57
10	अकलतरा	पड़रिया	पड़रिया	ठाकुरदिया तालाब गहरीकरण कार्य (अमृत सरोवर)	9.59
11	अकलतरा	बिरकोनी	बिरकोनी	दर्री तालाब गहरीकरण कार्य (अमृत सरोवर)	9.77
12	अकलतरा	सांकर	सांकर	जोरहा डबरी तालाब गहरीकरण कार्य (अमृत सरोवर)	5.65
13	अकलतरा	पिपरसत्ती	पिपरसत्ती	अमृत सरोवर नया तालाब निर्माण	13.15
14	बम्हनीडीह	खपरीडीह	अमोदी	डबरी तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण कार्य, ग्राम अमोदी	9.94
15	बम्हनीडीह	बंसुला	बंसुला	लेवा तालाब गहरीकरण अमृत सरोवर	9.12
16	बम्हनीडीह	सोनाईडीह	सोनाईडीह	बड़े तालाब गहरीकरण कार्य	9.79
17	बम्हनीडीह	दुरपा	दुरपा	तालाब गहरीकरण अमृत सरोवर	9.12
18	बम्हनीडीह	लखुर्री	लखुर्री	सोलाही तालाब गहरीकरण अमृत सरोवर कार्य, लखुर्री	9.68

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
Page 1 of

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
19	बम्हनीडीह	मौहाडीह च	मौहाडीह	समुदाय के लिए सामुदायिक जल संचयन तालाबों का नवीनीकरण ठाकुरदेवा तालाब गहरीकरण एवं पंचरी निर्माण	9.92
20	बम्हनीडीह	नक्टीडीह	नक्टीडीह	शंकरबंध तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण कार्य	9.99
21	बम्हनीडीह	पोड़ीकला	पोड़ीकला	समुदाय के लिए सामुदायिक तालाब का गहरीकरण पानीपीया तालाब	9.54
22	बम्हनीडीह	सिलादेही	सिलादेही	डोंगिया तालाब गहरीकरण अमृत सरोवर	9.09
23	बलौदा	ढोरला	ढोरला	श्रम तालाब गहरीकरण (अमृत सरोवर)	6.45
24	बलौदा	रैनपुर	रैनपुर	नया तालाब निर्माण कार्य (अमृत सरोवर)	19.62
25	बलौदा	महुदा–च	महुदा–च	नया तालाब निर्माण कार्य (अमृत सरोवर)	19.62
26	बलौदा	महुदा–च	महुदा–च	गणेश सागर तालाब गहरीकरण (अमृत सरोवर)	9.64
27	बलौदा	कमरीद	कमरीद	नया तालाब निर्माण कार्य (अमृत सरोवर)	19.62
28	बलौदा	नवापारा–ब	नवापारा–ब	नया तालाब निर्माण कार्य (अमृत सरोवर)	19.62
29	बलौदा	चारपारा	चारपारा	पशु आश्रय स्थल के पास सामुदायिक डबरी तालाब गहरीकरण कार्य	4.67
30	बलौदा	औराईकला	औराईकला	चुनुबंध्द नाला के अंतर्गत तालाब निर्माण	17.11
31	बलौदा	पुरैना	पुरैना	नया तालाब निर्माण कार्य	15.12
32	बलौदा	अंगारखार	अंगारखार	नया तालाब निर्माण कार्य अमृत सरोवर	19.53
33	बलौदा	बगडबरी	बगडबरी	नया तालाब निर्माण कार्य अमृत सरोवर	19.43
34	बलौदा	जाटा	जाटा	अमृत सरोवर ताालाब एवं इनलेट आउटलेट निर्माण	19.13
35	नवागढ़	केवा	नवापारा	वैद्यराज श्री दास अमृत सरोवर निर्माण	19.47
36	नवागढ़	मुड़पार खि.	मुड़पार खि.	साहेबलाल साहू तालाब निर्माण	19.60
37	नवागढ़	खिसोरा	खिसोरा	मनोहर कठौतिया अमृत सरोवर	19.59
38	नवागढ़	पुटपुरा	पुटपुरा	शहीद ललीत खरसन अमृत सरोवर तालाब निर्माण	19.70
39	नवागढ़	सिउड़	सिउड़	पशुआश्रय स्थल के पास नया तालाब निर्माण	16.93

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
40	नवागढ़	धुरकोट	धुरकोट	अमृत सरोवर सह इनलेट व आउटलेट निर्माण कार्य भर्री खार में ग्राम पंचायत धुरकोट	14.26
41	नवागढ़	कामता	कामता	शहीद गिरवर कुमार अमृत सरोवर	17.00
42	नवागढ़	कुरियारी	कुरियारी	कटौद रोड नया तालाब गहरीकरण सह इनलेट आउटलेट निर्माण कार्य	9.91
43	नवागढ़	गौद	गौद	बंधवा तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण कार्य	9.81
44	नवागढ़	पचेड़ा	पचेड़ा	नेती तालाब गहरीकरण सह पचरी एवं इनलेट व आडटलेट निर्माण कार्य पचेडा	10.00
45	पामगढ़	चोरभट्ठी	चोरभट्ठी	राजू क्रेसर के पास नया तालाब	9.70
46	पामगढ़	कोसा	कोसा	अखरहा तालाब गहरीकरण	9.79
47	पामगढ़	पनगांव	पनगांव	डोंगिया तालाब	9.69
48	पामगढ़	केसला	केसला	खम्हरनीन तालाब गहरीकरण	9.70
49	पामगढ़	मुड़पार चू	मुड़पार चू	खदरहा तालाब गहरीकरण	9.79
50	पामगढ़	देवरी	देवरी	तेंदुवाही तालाब गहरीकरण	9.76
51	पामगढ़	बारगांव	बारगांव	तलवा तालाब गहरीकरण	9.70
52	पामगढ़	मेकरी	मेकरी	नया तालाब निर्माण गौठान के पास	19.60
53	पामगढ़	हिर्री	हिर्री	पहाड़ा तालाब गहरीकरण	9.84
54	पामगढ़	भिलौनी	भिलौनी	आवास तालाब गहरीकरण	9.99
55	पामगढ़	मेंऊ	मेंऊ	पैठु तालाब गहरीकरण	9.99
56	पामगढ़	पेण्ड्री	पेण्ड्री	नया चार तालाब निर्माण	19.99
57	पामगढ़	तनौद	तनौद	नया तालाब निर्माण	19.99
58	पामगढ़	जेवरा	जेवरा	नया तालाब निर्माण	19.98
59	पामगढ़	ससहा	ससहा	नया तालाब निर्माण	19.28
60	पामगढ़	भवतरा	भवतरा	नया तालाब निर्माण	18.21

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 78) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा – जांजगीर–चांपा जिले के सरपंचो पर लगाई धारा 40 के लंबित प्रकरण की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	जनपद पंचायत का नाम	पंचायत का नाम जिसके सरपंच के विरूद्व धारा 40 लगाए जाने हेतु अनुशंसा की गयी है।	सरपंच के विरूद्व धारा 40 की कार्यवाही अनुसंशा उपरांत प्रकरण की वर्तमान स्थिति		लंबित अवधि
				पूर्ण	प्रक्रियाधीन	
1	2	3	4	5	6	7
1	जांजगीर–चांपा	अकलतरा	पोंड़ीदल्हा	पोंडीदल्हा	–	–
2			कोटमीसोनार	–	कोटमीसोनार	12.08.2024 से
3			चंगोरी	–	चंगोरी	22.02.2024 से
4			कल्याणपुर	–	कल्याणपुर	28.06.2024 से
5			अकलतरी	–	अकलतरी	22.11.2024 से
6		पामगढ़	कमरीद	कमरीद	–	–
7		नवागढ़	खोखसा	–	खोखसा	अगस्त 2024 से
कुल			7	2	5	

संचालक
पंचायत संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - इन्कयावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 132) की जानकारी

प्रपत्र–अ

जिला अस्पताल के हमर लैब में उपलब्ध जांच के प्रकार

स. क्र	हेमाटोलॉजी
1	हीमोग्लोबिन (एचबी)
2	टोटल/डिफरेन्सनल डब्ल्यूबीसी कांउट (टीएलसी/डीएलसी)
3	टोटल आरबीसी कांउट
4	कंप्लीट हेमोग्राम (सीबीसी)
5	ई.एस.आर
6	पेरिफेरल स्मीयर
7	पी.एस. फॉर एम.पी./एमएफ
8	टेस्ट फॉर सिकल सेल
9	पीसीवी
10	प्लेटलेट काउंट
11	रेटिकुलोसाइट काउंट
12	ब्लड ग्रुपिंग
13	कूम्ब टेस्ट
14	बी.टी./सी.टी.
15	फीटल हीमोग्लोबिन
	पैथोलॉजी
16	सीमेन एलालिसिसि
17	यूरिन माइक्रोस्कोपी एग्जामनेशन
18	यूरिन शुगर
19	यूरिन एल्बुमिन
20	यूरिन फॉर एसीटोन
21	यूरिन फॉर बिलम साल्ट बिले पिग्मेन्ट
22	यूरिन फॉर यूरोबिलिनोजेन
23	स्टूल रिड्यूसिंग शुगर
24	यूरिन पीएच
25	यूरिन स्पिसिफिक ग्रैविटी
26	प्रेगनेंसी टेस्ट
27	स्टूल फॉर ओवा एंड सिस्ट
28	स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड
29	एल.ई.सेल
30	टोटल काउंट बॉडी फ्लूईड
	बायोकेमिस्ट्री
31	पीटीआईएनआर

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

32	फाइब्रिनोजेन
33	एपीटीटी
34	ब्लड शुगर
35	एचबी ए1सी
36	आरएफटी
37	ब्लड यूरिया
38	सीरम क्रिएटिनिन
39	टोटल प्रोटीन
40	एल्बुमिन
41	एलएफटी
42	डारेक्ट बिलीरुबिन
43	इनडारेक्ट बिलीरुबिन
44	एसजीओटी
45	एसजीपीटी
46	एल्कालाईन फॉस्फटेज
47	लिपिड प्रोफाइल
48	सीरम क्लोलेस्ट्रोल
49	ट्राइग्लिसराइड
50	एच.डी.एल.
51	एल.डी.एल.
52	वी.एल.डी.एल
53	यूरिक एसिड
54	ग्लोकोस टॉलरेंस टेस्ट
	बायोकेमिस्ट्री
55	एसिड फॉस्फेट
56	कैल्शियम,
57	मैगनीशियम
58	फेरिटिन
59	टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी (टीआईबीसी)
60	एमाइलेस
61	लाइपेज
62	सोडियम
63	पोटैशियम
64	क्लोराइड
65	सीएसएफ एग्जामनेशन
66	बीटा एचसीजी
67	सीए 125

68	सीईए
69	सीए 19.9
70	सीए 15.3
71	पीएसए
72	अल्फा फेटोप्रोटिन
73	विट डी
74	विटामिन बी12
75	सीकेएमबी
76	ट्रोपोनिन टी
77	प्रो बी एनपी
78	टी3
79	टी –4
80	टीएसएच
81	फ्री टी3
82	फ्री टी4
83	एफएसएच
84	एलएच
85	प्रोलैक्टिन
86	टेस्टोस्टेरोन
87	प्रोजेस्टेरोन
88	एस्ट्राडियोल
89	इंसुलिन
90	डेंगू
91	चिकनगुनिया
92	लेप्टोस्पाइरोसिस
93	स्क्रब टाइफस
94	हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई
95	रूबेला
96	जैपनीज एनफेलाइटिस
	सेरोलॉजी
97	एचआईवी
98	एचबीएसएजी
99	एचसीवी
100	वी.डी.आर.एल.
101	सी.आर.पी.
102	आर.ए. टेस्ट
103	ए.एस.ओ

104	विडाल टेस्ट
	माक्रोबायोलॉजी
105	कल्चर एण्ड सेंस्सेटिव बॉडी फ्लूईड (प्लेयरल एसाइटिक, सीएसएफ,) आदि।
106	कल्चर एण्ड सेंस्सेटिव बॉडी फ्लूईड (पस, स्पूटम, स्टूल, थ्राउटस्वाद, नल्स स्वाद) आदि।
107	ब्लड कल्चर एण्ड सेंस्सेटिव
108	एनारोबिक कल्चर
109	स्कीन स्प्रिंग फॉर फंगस
110	सीमर फॉर ग्राम्स स्टेनिंग
111	सीमर फॉर केएलबी
112	फंगस कल्चर
113	कल्चर फॉर मोकोबैक्टीरिया
114	स्टूपम फॉर एएफबी

उपसंचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–ब

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के हमर लैब में उपलब्ध जांच के प्रकार

स. क्र	हेमाटोलॉजी
	हेमाटोलॉजी
1	हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन
2	टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट
3	डिफरेन्ड ल्यूकोसाइट्स काउंट
4	कंम्पलीट ब्लड काउंट (सीबीसी)
5	मलेरिया (रेपिड)
6	बीटी/सीटी
7	प्लेटलेट काउंट
8	पेरिफेरल ब्लड सीमर फॉर एमपी
9	ब्लड ग्रुपिंग
10	आरएच टाइपिंग
11	कूम्ब टेस्ट – डारेक्ट/इनडारेक्ट
12	ब्लड क्रास मेचिंग
13	स्लूबिलिटी
14	इलेक्ट्रोफोरेरिस
	पैथेलॉजी
15	यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन, शुगर, डेपोजिट,बिले साल्ट्स, बिले पिगमेन्टस, एसीटोन, स्पेसिफिक ग्रैविटी, पित्त लवण, पित्त वर्णक, एसीटोन, विशिष्ट गुरुत्व, केटोन बोडियस, रिएक्शन (पीएच)
16	माइक्रोस्कोपी
17	स्टूल फॉर ओवा/(पीएच),
18	हैंगिंग ड्रॉप फॉर कोरेला
19	स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड
20	सीमर मोरफोलॉजी, काउंट
	माइक्रोबायोलॉजी
21	सीमर फॉर एएफबी
22	सीमर फॉर लेप्रोसी
23	सीमर फॉर फेरिफेरिसिस
	सेरोलॉजी
24	आरपीआर कार्ड टेस्ट फॉर सिफलिस
25	वीडीआरएल टेस्ट
26	प्रेगनेंसि टेस्ट (यूरिन ग्रेविडेक्स)
27	बीआईडीएएल टेस्ट

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

28	एचआईवी रैपिड टेस्ट
29	एचबीएसएजी रैपिड टेस्ट
30	एचसीवी रैपिड टेस्ट
31	डेंगू रैपिड टेस्ट
	बायोकेमेस्ट्री
32	ब्लड शुगर
33	ग्लूकोज टोलेरेन्स टेस्ट
34	ब्लड यूरिया
35	एस. क्रिएटिनिन
36	एस बिलीरुबिन (टी)
37	एस बिलीरुबिन (डी)
38	एसजीपीटी/एसजीओटी
39	एस. अल्काइन फॉस्फेट
40	एस. टोटल प्रोटीन
41	एस एल्बुमिन
42	एस. टोटल कोलेस्ट्रॉल
43	एस. ट्राइग्लिसराइड
44	एस. वीएलडीएल
45	एस. एचडीएल
46	एस.एमाइलेज
47	एस. कैल्शियम
48	एस. पोटैशियम
49	एस. सोडियम
50	एचबीए 1 सी

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

उपसंचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 147) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	एन.जी.ओ. का नाम एवं पता	वर्ष नवम्बर 2019 से अक्टूबर 2024 तक एन.जी.ओ. को विभिन्न गतिविधियों हेतु दिये गये कार्यादेश एवं प्रदाय अनुदान		रिमार्क
		गतिविधि	प्रदाय अनुदान/भुगतान राशि रूपये में	
1	2	3	4	5
1	तृप्ति समाज सेवा संस्था, जुनेजा रोड, धमतरी (छ.ग.)	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण, महासमुन्द का संचालन	**127122**	एन.जी.ओ. द्वारा दिनांक 12.04.2019 से गतिविधि संचालन नहीं
2	निदान सेवा परिषद, जगत विहार कालोनी, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण, महासमुन्द का संचालन	**1176489**	एन.जी.ओ. द्वारा दिनांक 15.09.2022 से गतिविधि संचालन नहीं
3	बाल आश्रम समिति, कचहरी चौक रायपुर (श्री कृष्ण अग्रवाल सेवा केन्द्र बाल आश्रम (बालक) बिहाझर पो. बागबाहरा, महासमुन्द)	बाल गृह (बालक) बिहाझर बागबाहरा, महासमुन्द का संचालन	**16998583**	एन.जी.ओ. द्वारा संस्था संचालन किया जा रहा है।
4	आर्ष ज्योति गुरूकुल आश्रम कोसरंगी, पो. पचेड़ा, महासमुन्द जिला- महासमुन्द	बाल गृह (बालक) कोसरंगी, महासमुन्द का संचालन	**0**	एन.जी.ओ. द्वारा दिनांक 02.09.2022 से गतिविधि संचालन नहीं
5	वनीता समाज महासमुन्द, जिला सहकारी मर्या. बैंक के सामने, सतबहनिया चौक, महासमुन्द (छ.ग.)	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन	**545500**	प्रश्नाधीन अवधि में संस्था को कार्यादेश नहीं दिया गया है, पूर्व वर्षो का भुगतान किया गया है।
कुल			**18847694**	

बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष जनवरी 2022 से अक्टूबर 2024 तक स्वीकृत नवीनीकरण कार्यो की जानकारी

स. क्र.	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी. में)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	भौतिक स्थिति	कार्य पूर्णता तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बसना	2022-23	चनाट से रंगमटिया	8.55	85.73	कार्य पूर्ण	25.02.2023
2	बसना	2022-23	टी.आर. 04 कापुडीह से बिरसिंगपाली	1.65	26.53	कार्य पूर्ण	25.02.2023
3	बसना	2022-23	डोंगरीपाली से भंवरचुवां	4.62	61.67	कार्य पूर्ण	25.02.2023
4	बसना	2022-23	टी. 02 बड़ेसाजापाली से भुतहाबाहरा	2.55	24.02	कार्य पूर्ण	25.02.2023
5	बसना	2022-23	टी. 03 बड़ेसाजापाली से हरदा	3.01	23.94	कार्य पूर्ण	25.02.2023
6	बसना	2022-23	टी. 04 से करनापाली	1.10	1.86	कार्य पूर्ण	25.02.2023
7	बसना	2022-23	टी. 03 से बम्हनीडीह	3.80	41.42	कार्य पूर्ण	25.02.2023
8	बसना	2022-23	बिजराभांठा से धामनघुटकुरी	1.20	17.95	कार्य पूर्ण	25.02.2023
9	बसना	2022-23	टी.आर. 04 से रूपापाली	0.85	10.96	कार्य पूर्ण	25.02.2023
10	बसना	2022-23	कुड़ेकेल से पोटापारा	2.20	24.73	कार्य पूर्ण	25.02.2023

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
पटवारी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

स. क्र.	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी. में)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	भौतिक स्थिति	कार्य पूर्णता तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
11	बसना	2022-23	एन.एच. 06 से बड़ेटेमरी	2.52	29.94	कार्य पूर्ण	25.02.2023
12	बसना	2022-23	टी. 02 से पथियापाली	1.01	20.95	कार्य पूर्ण	25.02.2023
13	बसना	2022-23	टी. 02 से छिर्राचुवां	2.19	32.19	कार्य पूर्ण	25.02.2023
14	बसना	2022-23	टी. 02 से करर्राभौना	0.80	14.25	कार्य पूर्ण	25.02.2023
15	बसना	2022-23	टी. 02 (भंवरपुर) से पतेरापाली	5.55	105.32	कार्य पूर्ण	25.02.2023
16	बसना	2022-23	रेमड़ा से बामडाडीह	1.95	33.04	कार्य पूर्ण	25.02.2023
17	बसना	2023-24	टी. 06 से कायतपाली	1.83	24.53	कार्य पूर्ण	15.11.2023
18	बसना	2023-24	एन.एच.06 सिंघनपुर तोषगांव रोड़ (4.4 किमी.) से बरडीह	0.98	11.84	कार्य पूर्ण	15.11.2023
19	पिथौरा	2022-2023	टी.आर. 08 (सागुनढाप) से माटीदरहा	3.60	47.78	कार्य पूर्ण	15.04.2023
20	पिथौरा	2022-2023	टी.आर. 08 से छातामौहा	1.80	24.56	कार्य पूर्ण	15.04.2023
21	पिथौरा	2022-2023	एन.एच. 06 से सावित्रीपुर	4.90	72.26	कार्य पूर्ण	15.04.2023
22	पिथौरा	2022-2023	कटंगतराई से नवागांव	4.80	73.7	कार्य पूर्ण	15.04.2023
23	पिथौरा	2022-2023	कटंगतराई से छोटेलोरम	4.70	64.07	कार्य पूर्ण	15.04.2023
24	पिथौरा	2022-2023	एन.एच. 06 से गौरिया	4.80	66.4	कार्य पूर्ण	15.04.2023

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय

स. क्र.	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी. में)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	भौतिक स्थिति	कार्य पूर्णता तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
25	पिथौरा	2022-2023	पिरदा से भौंरादादर	1.00	13.25	कार्य पूर्ण	15.04.2023
26	पिथौरा	2022-2023	नरसैयापालम से परधिया सरायपाली	1.15	17.11	कार्य पूर्ण	15.04.2023
27	पिथौरा	2022-2023	एल. 040 से कोटगढ़	1.20	16.47	कार्य पूर्ण	15.04.2023
28	पिथौरा	2022-2023	ढाबाखार (बिजेमाल) से भजपुरी	3.60	61.28	कार्य पूर्ण	15.04.2023
29	पिथौरा	2022-2023	टी. 05 (बैतारी) से जबलपुर	4.00	71.51	कार्य पूर्ण	15.04.2023
30	पिथौरा	2022-2023	टी. 04 से नायकटडा	2.25	28.12	कार्य पूर्ण	15.04.2023
31	पिथौरा	2022-2023	टी. 06 (जोगीदादर) से रजपालपुर	4.00	50.67	कार्य पूर्ण	15.04.2023
32	पिथौरा	2022-2023	टी.आर. 05 बम्हनी से केसरपुर	2.35	32.23	कार्य पूर्ण	15.04.2023
33	पिथौरा	2022-2023	टी.आर. 12 से सरगतोरा	3.20	40.32	कार्य पूर्ण	15.04.2023
34	पिथौरा	2022-2023	एन.एच. 06 (डोंगरीपाली) से पिलवापाली	3.60	62.49	कार्य पूर्ण	15.04.2023
35	पिथौरा	2023-24	मुढ़ीपार से जम्हर (बचत कार्य)	1.50	25.97	कार्य पूर्ण	15.11.2023
36	पिथौरा	2023-24	एन.एच. 06 (बल्दीडीह) से कलमीडीपा	3.03	46.36	कार्य पूर्ण	31.03.2024
योग				**101.84**	**1405.42**		

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नवीनीकरण तथा मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यो की जानकारी

स. क्र.	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी. में)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	भौतिक स्थिति	कार्य पूर्णता तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पिथौरा	2023–24	एन.एच.–43 से मेमरा गोपालपुर	4.64	105.06	कार्य पूर्ण	02.12.2024
2	पिथौरा	2023–24	चनाट रोड़ से सांई सरायपाली	2.44	43.75	कार्य पूर्ण	02.12.2024
3	पिथौरा	2023–24	पथरला से मोहगांव	2.24	49.85	कार्य पूर्ण	02.12.2024
4	पिथौरा	2023–24	पिरदा से झगरेनडीह	1.80	103.82	कार्य पूर्ण	02.12.2024
5	बसना	2023–24	कुम्हारी से खुसरूपाली	1.60	41.21	कार्य पूर्ण	01.12.2024
6	बसना	2023–24	गौरटेक से धनापाली	4.19	101.78	कार्य पूर्ण	01.12.2024
7	बसना	2023–24	बिजराभांठा से कलमीदादर	1.43	27.21	कार्य पूर्ण	01.12.2024
8	बसना	2023–24	एन.एच.–53 से सेंमलिया बैगनडीह	3.37	88.45	कार्य पूर्ण	03.12.2024

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स. क्र.	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी. में)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	भौतिक स्थिति	कार्य पूर्णता तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
9	बसना	2023–24	मुण्डापारा पसेरलेवा से महलीनटिकरा	2.65	58.07	अपूर्ण	(1.गली में सी.सी. कार्य कराते समय आवागमन के लिए अलग से रास्ता नहीं होने के कारण कार्य कराने में विलंब हुआ। वर्तमान में सी.सी. कार्य पूंर्ण हो गया है। 2. रोड फर्निचर कार्य शेष है जिसे दिनांक 12.12.2024 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।)
योग				**24.36**	**619.20**		

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र–ब

विधानसभा बसना क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2022 से अक्टूबर 2024 तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो में अनियमितता की शिकायत एवं शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी

स.क्र.	जिला	विकासखण्ड	शिकायतकर्ता का नाम	सड़क का नाम	शिकायत पर कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1	महासमुंद	बसना	नंदकुमार पटेल ग्राम संकरी, पोस्ट–भूकेल	गौरटेक से धनापाली पहुंच मार्ग	शिकायत पर जांच करायी गई। जांच में शिकायत निराधार पाये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-"अ"

प्रदेश में डकैती, हत्या, लूट, सामग्री चोरी, दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न, महिलाओं की तस्करी, ठगी, नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, नशीले पदार्थो की तस्करी, अपहरण, हत्या का प्रयास, सड़क दुर्घटना, गोलीबारी, गैंगवार एवं बलवा की घटित घटनाओं में पंजीबद्ध अपराध की जानकारी

क्र0	अपराध शीर्ष	जिलों का नाम अवधि जुलाई, 2024 से नवम्बर, 2024 तक																																		
		रायपुर	बलौदा बाजार-भाठापारा	महासमुन्द	धमतरी	गरियाबंद	दुर्ग	बेमेतरा	बालोद	राजनांदगांव	कबीरधाम	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	बिलासपुर	रायगढ़	जांजगीर	कोरबा	मुंगेली	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	सक्ति	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सरगुजा	जशपुर	कोरिया	बलरामपुर	सूरजपुर	मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी	जगदलपुर	दन्तेवाड़ा	कांकेर	बीजापुर	नारायणपुर	कोण्डागांव	सुकमा	रेल
1	डकैती	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0
2	हत्या	32	15	12	8	11	30	8	8	10	12	2	1	25	22	10	18	5	9	7	6	22	24	7	23	21	7	10	2	9	16	5	6	16	1
3	लूट	32	13	9	4	1	20	3	0	4	4	3	0	15	11	7	18	3	0	4	1	4	4	2	4	2	2	9	1	4	0	0	0	1	2
4	सामग्री चोरी	578	232	93	99	37	357	63	93	86	51	17	10	369	154	97	356	26	47	47	55	145	92	19	26	48	27	77	10	33	6	20	16	5	126
5	दुष्कर्म	89	47	39	27	21	49	22	30	33	14	14	8	92	46	57	71	17	14	21	19	54	55	16	77	29	24	36	7	26	11	8	22	7	1
6	महिला उत्पीड़न	65	43	17	21	10	50	1	21	11	45	1	0	41	12	62	16	8	11	42	15	31	9	8	20	4	15	8	8	11	1	1	7	5	2
7	महिलाओं की तस्करी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ठगी	118	24	21	11	9	94	9	16	42	17	8	8	64	15	16	30	13	15	12	8	77	16	9	12	26	13	30	9	13	5	0	19	3	3
9	नौकरी लगाने के नाम पर ठगी	8	12	3	0	0	5	1	4	3	3	1	0	5	1	4	9	0	2	1	1	6	3	0	0	0	0	8	1	3	0	0	5	0	0
10	नशीले पदार्थों की तस्करी	6	13	40	16	7	35	2	9	4	11	4	0	22	13	8	7	0	5	7	15	15	10	10	9	3	1	20	2	3	2	0	11	14	13
11	अपहरण	197	83	69	29	15	103	37	30	36	43	18	7	131	48	77	72	29	22	62	42	42	38	19	26	28	25	35	5	28	11	4	18	9	1
12	हत्या का प्रयास	42	24	18	7	6	57	8	5	9	15	2	2	16	13	8	9	1	5	7	4	9	7	2	15	16	4	8	8	2	11	9	3	10	0
13	सड़क दुर्घटना	820	272	194	142	106	412	156	169	190	122	81	42	584	268	195	380	104	64	98	72	262	177	77	122	163	78	207	35	119	24	21	131	36	0
14	गोलीबारी	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	गैंगवार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	बलवा	44	25	11	5	7	15	10	1	10	14	0	1	24	14	29	18	10	4	29	7	28	17	7	23	13	5	11	3	6	1	1	4	0	0

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र "ब"

प्रश्नांश "क" में घटित घटनाओं में दर्ज प्राथमिकी, बनाये गये आरोपी, गिरफ्तार आरोपी एवं सामग्री बरामद की जानकारी

क0	जिला	दर्ज प्रकरण	आरोपी	गिरफ्तार किये गये	बरामद सामग्री
1	रायपुर	2114	2656	1462	15739076
2	बलौदा बाजार-भाठापारा	804	843	616	1931842
3	धमतरी	487	506	442	5670260
4	महासमुन्द	535	510	371	1691110
5	गरियाबंद	232	227	214	698600
6	रेल, रायपुर	150	47	47	397958
7	दुर्ग	1273	1122	803	4396600
8	बेमेतरा	322	407	296	2346053
9	बालोद	386	239	232	2429900
10	राजनांदगांव	447	401	319	3026800
11	कबीरधाम	353	689	735	999377
12	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	154	121	114	1008400
13	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	79	45	41	338400
14	बिलासपुर	1418	1483	977	6840510
15	रायगढ़	625	483	429	2503899
16	जांजगीर- चांपा	574	701	525	402700
17	कोरबा	1020	452	422	6077693
18	मुंगेली	216	217	193	404000
19	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	200	217	156	108164
20	सक्ति	340	412	290	176835
21	सारंगढ़-बिलाईगढ़	250	263	263	615450
22	सरगुजा	701	360	360	3685350
23	जशपुर	419	474	349	844317
24	कोरिया	176	225	109	770585
25	सूरजपुर	357	458	373	256700
26	बलरामपुर	361	8	370	24618637

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्र0	जिला	दर्ज प्रकरण	आरोपी	गिरफ्तार किये गये	बरामद सामग्री
27	मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी	194	197	145	303100
28	जगदलपुर	459	538	438	2521783
29	दन्तेवाड़ा	91	92	55	1248386
30	कांकेर	257	268	223	541500
31	बीजापुर	95	195	31	73525
32	नारायणपुर	69	465	38	40700
33	सुकमा	108	291	111	750000
34	कोण्डागांव	242	221	91	10000

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र "स"

प्रश्नांश "ग" प्रकरण एवं अभियुक्तों की जिलेवार संख्या जिनमें गिरफ्तारियां नहीं की जा सकी है।

क्र0	जिला	डकैती		हत्या		लूट		सामग्री चोरी		दुष्कर्म		महिला उत्पीड़न		महिलाओं की तस्करी		ठगी		नौकरी लगाने के नाम पर ठगी		नशीले पदार्थो की तस्करी		अपहरण		हत्या का प्रयास		सड़क दुर्घटना		गोलीबारी		गैंगवार		बलवा	
		प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.
1	रायपुर	0	0	1	1	8	14	464	464	15	15	16	16	0	0	93	95	2	2	0	0	113	113	4	8	236	236	0	3	0	0	20	133
2	बलौदा बाजार-भाठापारा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	11	0	0	12	19	3	3	1	1	0	0	8	22	98	98	0	0	0	0	10	69
3	धमतरी	0	0	0	0	2	0	51	0	1	2	5	8	0	0	6	4	0	0	0	0	15	0	0	0	49	49	0	0	0	0	1	6
4	महासमुन्द	0	0	0	0	0	6	2	2	5	4	1	1	0	0	9	10	0	0	2	2	0	0	7	12	52	52	0	0	0	0	5	49
5	गरियाबंद	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
6	रेल, रायपुर	0	0	0	0	5	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	दुर्ग	0	0	3	1	1	3	275	66	10	10	18	18	0	0	77	81	3	7	0	0	62	0	7	9	155	60	0	0	0	0	6	46
8	बेमेतरा	0	0	0	0	0	4	37	1	0	0	1	1	0	0	6	20	1	2	0	0	19	1	2	14	57	40	0	0	0	0	4	34
9	बालोद	0	0	1	1	0	0	63	0	4	0	7	11	0	0	6	9	2	1	1	1	18	0	1	1	92	62	0	0	0	0	1	6
10	राजनांदगांव	0	0	0	0	1	0	54	5	3	3	1	0	0	0	31	22	2	3	0	0	12	0	0	0	79	45	0	0	0	0	3	8
11	कबीरधाम	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	9	22	0	0	8	15	2	2	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	1	5
12	खैरागढ़- छुईखदान-छुईखदान	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0
13	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़-चौकी	0	0	0	0	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	1	0
14	बिलासपुर	1	2	1	1	1	3	270	50	10	6	10	6	0	0	42	42	2	2	0	0	73	54	2	7	258	258	0	0	0	0	2	10
15	रायगढ़	0	0	1	0	3	0	104	6	2	2	4	0	0	0	10	0	0	0	0	1	17	1	1	0	125	38	0	0	0	0	6	6
16	जांजगीर- चांपा	0	0	1	0	6	4	57	7	4	7	13	22	0	0	5	13	2	1	0	0	52	0	1	1	76	76	0	0	0	0	9	46
17	कोरबा	1	28	2	3	1	0	295	0	13	0	13	0	0	0	27	0	9	9	0	0	50	0	4	0	302	0	0	0	0	0	9	6
18	मुंगेली	0	0	0	0	0	0	12	0	1	1	3	3	0	0	4	3	0	0	0	0	20	0	0	0	33	2	0	0	0	0	0	0
19	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	0	0	1	0	1	0	31	6	2	2	2	2	0	0	14	14	2	2	4	11	10	0	1	1	19	19	0	0	0	0	0	0

Psaly

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्र0	जिला	डकैती		हत्या		लूट		सामग्री चोरी		दुष्कर्म		महिला उत्पीड़न		महिलाओं की तस्करी		ठगी		नौकरी लगाने के नाम पर ठगी		नशीले पदार्थो की तस्करी		अपहरण		हत्या का प्रयास		सड़क दुर्घटना		गोलीबारी		गैंगवार		बलवा	
		प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.
20	सक्ति	0	0	2	0	1	0	31	1	4	4	8	27	0	0	4	8	1	2	0	0	52	0	0	0	35	21	0	0	0	0	5	32
21	सारंगढ़-विलाईगढ़	0	0	0	0	3	0	34	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	2	0	28	0	1	0	29	0	0	0	0	0	0	0
22	सरगुजा	0	0	0	0	2	1	125	0	6	6	7	7	0	0	75	0	6	0	0	0	28	0	1	15	149	38	0	0	0	0	17	109
23	जशपुर	0	0	1	1	1	2	62	1	4	3	3	3	0	0	15	25	1	3	0	0	19	0	1	1	77	60	0	0	0	0	7	27
24	कोरिया	0	0	0	0	0	3	15	0	1	1	1	1	0	0	5	27	0	0	0	0	12	3	1	3	48	48	0	0	0	0	5	30
25	सूरजपुर	0	0	0	0	1	0	24	3	5	5	2	1	0	0	13	12	0	0	0	0	9	3	2	5	61	36	0	0	0	0	5	5
26	बलरामपुर	0	0	1	0	2	4	22	1	19	14	2	2	0	0	7	1	0	0	0	0	10	2	3	5	72	70	0	0	0	0	13	70
27	मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी	0	0	0	0	3	3	9	0	1	1	2	2	0	0	6	16	0	0	0	0	7	0	0	0	25	16	0	0	0	0	2	16
28	जगदलपुर	0	0	1	1	1	3	26	3	1	0	2	1	0	0	20	18	2	3	1	2	11	2	0	0	78	65	0	0	0	0	3	12
29	दन्तेवाड़ा	0	0	1	1	2	0	8	3	0	0	2	2	0	0	6	5	1	4	0	0	4	0	6	0	23	23	0	0	0	0	2	0
30	कांकेर	0	0	3	1	0	0	17	0	1	1	0	0	0	0	2	9	1	1	0	0	15	0	1	24	47	0	0	0	0	0	1	5
31	बीजापुर	7	55	12	51	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	2	2	0	0	2	3	0	0	9	41	5	5	0	0	0	0	1	5
32	नारायणपुर	0	0	3	122	1	0	17	17	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	9	272	11	11	0	0	0	0	0	0
33	सुकमा	1	6	13	67	0	2	1	1	0	0	2	3	0	0	2	2	0	0	0	0	4	7	8	77	26	26	0	0	0	0	0	0
34	कोण्डागांव	0	0	0	0	0	0	15	0	2	2	0	0	0	0	16	18	4	5	0	0	14	0	2	1	104	80	0	0	0	0	1	1

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष्ट - पचपन
अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 167) की जानकारी

"प्रपत्र"

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक/पंचा./पंग्रांविवि/22/2011/1110 रायपुर, दिनांक 04-11-2011

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत – छत्तीसगढ़ ।

विषय :– गौण खनिज से प्राप्त रायल्टी राजस्व का समुचित उपयोग करने बाबत्।

****

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम 58 के उपनियम (2) के प्रावधान के कियान्वयन में संबंधित क्षेत्र की गौण खनिज से प्राप्त रायल्टी राशि जिला पंचायत में जमा की जाती है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 में बने प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ जिला पंचायत वित्तनिधि नियम, 1998 बनाये गये है। शासन की अपेक्षा है कि आपके द्वारा उक्त नियमों का भलीभांति पालन किया जा रहा होगा।

2. खनिज साधन विभाग द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में गौण खनिजों से प्राप्त समस्त राजस्व को एक निर्धारित सीमा में पंचायतों को उपलब्ध कराने के लिए आबंटन सौंपा जाता है। कलेक्टरों द्वारा खदान प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायतों को राशि उपलब्ध करायी जाती है। इस राशि से अर्जित ब्याज राशि का उपयोग भी विकास कार्यों में किया जायेगा ।

3. खनिज साधन विभाग द्वारा राशि जारी करते समय स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाता है कि आबंटित राशि का उपयोग केवल विकास कार्यों हेतु किया जाय। किसी भी प्रकार के आकस्मिक व्यय, स्थापना व्यय, वाहन खरीदी या अन्य किसी प्रकार के व्यय हेतु इस राशि का उपयोग न किया जाय। इस निर्देश के बावजूद भी कतिपय पंचायतों द्वारा प्रतिबंधित कार्यों में इस राशि का उपयोग किया जाता रहा है। प्रतिबंधित कार्यों में खनिज रायल्टी राशि का उपयोग किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। आप अपने जिले में वस्तुस्थिति का परीक्षण करते हुए संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही भी किया जाना सुनिश्चित करें।

अधिकारी
मंत्रालय
विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नया रायपुर

(2)

4. आपके ध्यान में यह बात लाना उचित प्रतीत होता है, कि खनिज रायल्टी की राशि से प्राप्त होने वाली राशि का विधिवत आडिट भी होगा, ऐसी स्थिति में इस राशि की उपयोगिता सुनिश्चित करने की आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

अतः गौण खनिज मद से प्राप्त राशि का लेखा संधारण, वितरण एवं उपयोगिता सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही से एक सप्ताह के भीतर मुझे अवगत कराया जाय।

(विवेक ढाँड)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास

क्रमांक / पंचा. / पंग्राविवि / 22 / 2011 / 1111 रायपुर, दिनांक 04-11-2011

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. संचालक पंचायत एवं समाज सेवा, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त संयुक्त / उपसंचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ की ओर पालनार्थ।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//आदेश//

रायपुर, दिनांक : 10 OCT 2012

क्रमांक एफ 7–7/2004/12 :: राज्य शासन के द्वारा गौण खनिजों से प्राप्त रायल्टी राजस्व राशि का पंचायतों/नगरीय निकायों को वितरण के संबंध में जारी पत्र क्रमांक एफ 5–11/2007/12, दिनांक 10.06.2008 एवं पत्र क्रमांक एफ 7–7/2004/12 रायपुर, दिनांक 01.01.2011 पृष्ठांकन दिनांक 08.03.2011 द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम 56 के उप नियम 2 के प्रावधान के क्रियान्वयन में संबंधित क्षेत्र की जिला पंचायत में जमा की गई गौण खनिज राजस्व वितरण हेतु राज्य शासन द्वारा प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्देश प्रसारित किए गए हैं। उक्त निर्देश में संशोधन करते हुए अब राज्य शासन गौण खनिजों से प्राप्त रायल्टी राजस्व की राशि के वितरण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित करता है :–

1. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में गौण खनिजों से प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व के 33 प्रतिशत् की समतुल्य राशि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अंतरित की जाएगी।
2. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में गौण खनिजों से प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व के 67 प्रतिशत् समतुल्य राशि का वितरण संबंधित पंचायत एवं जनपद पंचायत को निम्नानुसार किया जाएगा:–

2.1 रूपये 5.00 लाख (रूपये पांच लाख) तक प्राप्त संपूर्ण राशि संबंधित ग्राम पंचायत को वितरित की जावेगी।

2.2 रूपये 5.00 लाख (रूपये पांच लाख) से अधिक किन्तु रूपये 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार) तक प्राप्त राजस्व का 90 प्रतिशत् संबंधित ग्राम पंचायत को तथा शेष 10 प्रतिशत् राशि संबंधित जनपद पंचायत को वितरित की जाएगी।

2.3 रूपये 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार) से अधिक किन्तु रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख) तक प्राप्त राजस्व का 80 प्रतिशत् संबंधित ग्राम

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़, मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नया रायपुर

की जाएगी।

2.4 रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख) से अधिक किन्तु रूपये 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख) तक प्राप्त राजस्व का 70 प्रतिशत् संबंधित ग्राम पंचायत को तथा शेष 30 प्रतिशत् राशि संबंधित जनपद पंचायत को वितरित की जाएगी।

2.5 रूपये 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख) से अधिक किन्तु रूपये 20.00 लाख (रूपये बीस लाख) तक प्राप्त राजस्व का 60 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत को तथा 40 प्रतिशत राशि संबंधित जनपद पंचायत को वितरित की जायेगी।

2.6 रूपये 20.00 (रूपये बीस लाख) से अधिक प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत को तथा शेष 50 प्रतिशत राशि संबंधित जनपद पंचायत को वितरित की जायेगी।

3. <u>ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत को राजस्व वितरण की प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–</u>

3.1 किसी वर्ष में गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का वितरण अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

3.2 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का खनिज साधन विभाग के द्वारा मांग संख्या 41 एवं मांग संख्या 80 के अंतर्गत जिलों को आवंटन आदेश जारी किये जायेंगे।

3.3 संबंधित कलेक्टर आवंटन आदेश के अनुसार राशि का आहरण कर जिला पंचायत निधि में जमा करायेंगा।

3.4 कलेक्टरेट के खनिज शाखा के प्रभारी (उप संचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक यथापदस्थ) के द्वारा प्राप्त आवंटन राशि का ग्राम पंचायतवार एवं जनपद पंचायतवार वितरित की जाने वाली राशि की सूची तैयार की जायेगी जिसके अनुसार संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को राशि जारी की जायेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत प्राप्त राशि को जनपद निधि में जमा करेंगे और सूची अनुसार ग्राम पंचायतों को वितरित की जाने वाली राशि संबंधित ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर करेंगे।

3.5 कलेक्टर के द्वारा किसी वर्ष में संबंधित जनपद पंचायतों को राशि जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि राशि प्राप्त करने वाले जनपद पंचायतों के द्वारा ठीक पूर्व के वर्ष में प्राप्त राशि का कम से कम 75 प्रतिशत भाग व्यय कर लिया गया हो तथा इसके पूर्व वर्षो की भी सम्पूर्ण राशि खर्च कर ली गयी हो। तत्संबंध में कलेक्टर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

3.6 गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व राशि के उपयोग किए जाने के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व संबंधित कलेक्टर का होगा।

3.7 लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आदि निर्माण विभागों (Works Departments) से एकमुश्त प्राप्त ऐसी खनिज राजस्व राशि जिसकी ग्राम पंचायतवार जानकारी उपलब्ध नही हो सकती हो उसे ग्राम पंचायतों के मध्य उसी अनुपात में वितरित किया जाएगा, जिस अनुपात में कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उन ग्राम पंचायतों को राशि संवितरित की गई है।

4 **वितरित की गई राजस्व राशि का उपयोग निम्नानुसार किया जा सकेगा:—**

4.1 ग्राम पंचायतों को वितरित की गई राशि का व्यय, उसी पंचायत क्षेत्रों के विकास कार्यों में किया जायेगा जहां उत्खनन कार्य हो रहा है।

4.2 जनपद पंचायतों को वितरित की गई राशि का व्यय उन क्षेत्रों के विकास कार्यों में किया जाएगा, जहां उत्खनन कार्य हो रहा है। ऐसे क्षेत्र उत्खनन कार्य हो रहे स्थल से 07 कि.मी. की परिधि के अंदर हो तथा ऐसे हों जहां उत्खनन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो।

4.3 वितरित की गई राशि और उस पर अर्जित ब्याज की राशि से वृक्षारोपण, जल संग्रहण/जल संवर्धन, पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित कार्य, घाट निर्माण/पचरी निर्माण, भूमि संरक्षण, सड़क निर्माण एवं मरम्मत तथा पुल–पुलिया निर्माण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाये।

4.4 **गौण खनिज राजस्व से पंचायतों द्वारा किसी भी प्रकार के आकस्मिक व्यय, स्थापना व्यय, वाहन खरीदी, गेट निर्माण इत्यादि कार्य पूर्णतः वर्जित होंगे।**

5. स्थानीय निकायों यथा–निगम, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, नगर पंचायत आदि क्षेत्रों में स्थित खदानों से प्राप्त गौण खनिज राजस्व की राशि, संबंधित स्थानीय निकाय को वितरित की जाएगी। संबंधित निकाय के द्वारा इस राशि का उत्खनन क्षेत्र के विकास हेतु किया जाएगा। उक्त राशि एवं अर्जित ब्याज की राशि से वृक्षारोपण, जल संग्रहण/जल संवर्धन, पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित कार्य, घाट निर्माण/पचरी निर्माण, भूमि संरक्षण, सड़क निर्माण एवं मरम्मत तथा पुल–पुलिया निर्माण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाये। **गौण खनिज राजस्व से किसी भी प्रकार के आकस्मिक व्यय, स्थापना व्यय, वाहन खरीदी, गेट निर्माण इत्यादि कार्य पूर्णतः वर्जित रहेंगे।**

6. जिला कलेक्टर/पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/सचिव/स्थानीय निकायों के सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्तानुसार वितरित की गई राशि का उपयोग विहित प्रकिया के अनुसार ही किया जा रहा है तथा इसका उचित लेखा संधारित किया जा रहा है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

छत्तीससगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(संजय कनकने)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

अनुभाग अधिकारी
[illegible], मंत्रालय
[illegible] विकास विभाग
[illegible] नगर, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/पंचा.–398/22/पंग्राविवि/2013/926 नया रायपुर, दिनांक 28-11-2013

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत – छत्तीसगढ़

विषय :– गौण खनिज से प्राप्त रायल्टी राजस्व का सनुचित उपयोग करने बाबत्।

संदर्भ :– छ.ग. शासन, पंग्राविवि का समसंख्यक निर्देश क्र. 1110, दि. 04.11.2011

****

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। विषयांतर्गत जारी निर्देश के अनुक्रम में पुनः निम्नानुसार निर्देश जारी किया जा रहा है :–

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम 56 के उपनियम (2) के प्रावधान के क्रियान्वयन में संबंधित क्षेत्र की गौण खनिज से प्राप्त रायल्टी राशि जिला पंचायत में जमा की जाती है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 में बने प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ जिला पंचायत राजनिधि नियम, 1998 बनाये गये हैं। शासन की अपेक्षा है कि आपके द्वारा उक्त नियमों का भलीनीति पालन किया जा रहा होगा।

2/ खनिज साधन विभाग द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में गौण खनिजों से प्राप्त समस्त राजस्व को एक निर्धारित सीमा में पंचायतों एवं जनपद पंचायतों को उपलब्ध कराने के लिए आवंटन सौंपा जाता है। प्रायः देखा जा रहा है कि संबंधित ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों को राशि अत्याधिक विलंब से उपलब्ध कराया जाता है, जो कतई उचित नहीं है अतएव सुनिश्चित किया जाय कि खनिज साधन विभाग से आवंटन प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में राशि पहुंच जावे। पंद्रह दिवस के पश्चात् के प्रत्येक दिवस के लिये प्रतिदिन को

अनुभाग अधिकारी
पंचायत, मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, नया रायपुर

मान से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर के बराबर की राशि संबंधित ग्राम/जनपद पंचायतों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा दी जावेगी।

3./ गौण खनिज मद से अर्जित ब्याज राशि का वितरण भी उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में मूल राशि का वितरण हुआ हो तथा उपयोग भी अनुमत्य विकास कार्यों में ही किया जायेगा।

4./ खनिज साधन विभाग द्वारा राशि जारी करते समय स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाता है कि आवंटित राशि का उपयोग केवल अनुमत्य विकास कार्यों हेतु किया जाये। किसी भी प्रकार के आकस्मिक व्यय, स्थापना व्यय, वाहन खरीदी या अन्य किसी प्रकार के व्यय हेतु इस राशि का उपयोग न किया जाय। इस निर्देश के बावजूद भी कतिपय पंचायतों द्वारा प्रतिबंधित कार्यों में इस राशि का उपयोग किया जाता रहा है। प्रतिबंधित कार्यों में खनिज रायल्टी राशि का उपयोग किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपके जिले में वस्तुस्थिति का परीक्षण करते हुए समुचित कार्य संपन्न नहीं करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।

5./ आपके ध्यान में यह बात लाना भी उचित प्रतीत होता है कि खनिज रायल्टी की राशि से प्राप्त होने वाली राशि का विधिवत आडिट भी होगा। ऐसी स्थिति में इस राशि की उपयोगिता सुनिश्चित करने की आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

6./ गौण खनिज से प्राप्त राशि का उपयोग किसी भी स्थिति में जिला पंचायत द्वारा नहीं किया जावे।

7./ गौण खनिज मद में ग्राम पंचायतों को वितरित की गई राशि का व्यय उसी पंचायत क्षेत्रों के विकास कार्यों में किया जायेगा, जहां उत्खनन कार्य हो रहा है। जनपद पंचायतों को वितरित की गई राशि का व्यय उन क्षेत्रों के विकास कार्यों में किया जायेगा, जहां उत्खनन कार्य हो रहा है। ऐसे क्षेत्र उत्खनन कार्य हो रहे स्थान से सात किलोमीटर की परिधि के अन्दर हों तथा ऐसे हों जहां उत्खनन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो।

8/ वितरित की गई राशि और उस पर अर्जित ब्याज की राशि से वृक्षारोपण, नव सृजन, जल संवर्धन, पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित कार्य, घाट निर्माण, पक्का निर्माण, भूमि संरक्षण, सड़क निर्माण एवं मरम्मत तथा पुल-पुलिया निर्माण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जावे। प्रतिबंधित कार्य किसी भी स्थिति में न लिये जावे।

9/ इस मद में प्राप्त राशि के लिये ग्राम पंचायतें एवं जनपद पंचायतें, विकास कार्य कराने के लिये कार्य योजना तैयार करेंगी, जिसका अनुमोदन क्रमशः ग्रामसभा एवं जनपद पंचायत की सामान्य सभा से प्राप्त किया जाये। इसके पश्चात् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने कार्य क्षेत्र की सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव तथा अपनी जनपद पंचायत के प्रस्ताव राशि प्राप्ति के एक माह के भीतर अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को भेजेंगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कार्य योजना का परीक्षण कर 15 दिवस के भीतर अनुमोदन प्रदान किया जावेगा।

10./ सुलभ संदर्भ हेतु छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7–7/2004/12, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 एवं छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश कमांक पंचा./पंग्राविवि/22/2011/1110, दिनांक 04.11.2011 तथा रेत खदानों के लिये जारी दिशा निर्देश कमांक 20/पंचा./पंग्राविवि/2012, दिनांक 17.01.2013 की प्रतियां संलग्न है। कृपया उक्त निर्देशों का अक्षरशः एवं कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11./ गौण खनिज मद से प्राप्त राशि का लेखा संधारण, वितरण एवं उपयोगिता सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही से एक सप्ताह के भीतर मुझे अवगत कराया जाए।

(विवेक ढाँड)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़, मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
अटल नगर, नया रायपुर

विधानसभा क्षेत्र पाली–तानाखार के विकासखंड पाली एवं पोंडी उपरोड़ा में वर्ष 2023–24 और 2024–25 में दिनांक 25.11.2024 तक की स्थिति में पंजीकृत श्रमिक एवं भुगतान तथा स्वीकृत कार्यों की विकासखंडवार जानकारी

(राशि रू. लाख में)

क्र.	विकासखण्ड का नाम	पंजीकृत श्रमिक	मजदूरी भुगतान पूर्ण श्रमिकों की संख्या	भुगतान लंबित श्रमिकों की संख्या	स्वीकृत कार्य की संख्या	पूर्ण कार्य की संख्या	अपूर्ण/ प्रगतिरत कार्य की संख्या	अप्रारंभ कार्य की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वित्तीय वर्ष 2023–24								
1	पोड़ी उपरोड़ा	82340	46367	0	2530	1771	506	253
2	पाली	74498	46935	0	1962	145	1637	180
वित्तीय वर्ष 2024–25 (25.11.2024 तक की स्थिति में)								
1	पोड़ी उपरोड़ा	66398	35378	179	809	162	492	155
2	पाली	66714	36580	1181	669	107	321	241

संयुक्त आयुक्त
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी योजना छ.ग. रायपुर

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री सड़क योजना में कुल स्वीकृत व पूर्ण अपूर्ण कार्य की जानकारी

क्रं.	योजना का नाम	प्रस्तावित सड़कों की संख्या	स्वीकृत सड़कों की संख्या	अद्यतन भौतिक स्थिति		अपूर्णता का कारण
				पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	–	70	68	2	वर्तमान में पी.एम. जनमन का 2 कार्य प्रगतिरत है। अनुबंधानुसार कार्य की पूर्णता तिथि 13.03.2025
2	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	–	11	10	1	01 सड़क बनई से चारभांठा में पर्यावरण एवं अधोसंरचना मद अंतर्गत आबंटन प्राप्त नहीं होने के कारण यथास्थिति अनुबंध समाप्त किया गया है।
योग		0	81	78	3	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र

मस्तूरी विकासखण्ड अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानकारी (वर्ष 2023-24 से दिनांक 25.11.2024 की स्थिति में)

क्र.	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी केंद्र का नाम जहां कार्यकर्ता/सहायिका का पद रिक्त है।	रिक्त पद (कार्यकर्ता/सहायिका)	रिक्त पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी करने की तिथि	जारी विज्ञापन के विरूद्ध प्राप्त आवेदन (अभ्यर्थियों) की संख्या	योग्यता सूची जारी करने की तिथि	दावा आपत्ति करने की अंतिम तिथि	दावा आपत्ति में कितने आवेदकों द्वारा आपत्ति की	क्या दावा आपत्ति का निराकरण किया गया(हां/नहीं)	दावा आपत्ति निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची की तिथि	किसकी नियुक्ति की गई उसका नाम	रिक्त पद पर भर्ती हेतु नियुक्ति आदेश की तिथि	क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है(हां/नहीं)	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	क्या उक्त शिकायत की जांच की गई है (हां/नहीं)	जांच के बिंदु तथा कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
वर्ष 2023-24																
1	मस्तूरी	भड़हा	सहायिका	05-09-2023	10	09-06-2023	15/9/2023	0	हां	15/3/2024	रविता	15/3/2024	-	-	-	-
2	मस्तूरी	गोबरी 2	सहायिका	05-09-2023	4	09-06-2023	15/9/2023	4	हां	15/3/2024	सभी आवेदिका के निवास प्रमाण पत्र अपूर्ण होने के कारण मूल्यांकन समिति द्वारा पुनः नवीन आवेदन आमंत्रण का निर्णय लिया गया। जिसका स्थाई समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया। वर्तमान में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, जिसका उल्लेख वर्ष 2024-25 के स.क्र. 31 में है।		-	-	-	-
3	मस्तूरी	मानिकचौरी 1	सहायिका	05-09-2023	14	09-06-2023	15/9/2023	3	हां	15/3/2024	ज्योति मरावी	15/3/2024	-	-	-	-
4	मस्तूरी	डगनिया	सहायिका	05-09-2023	11	09-06-2023	15/9/2023	1	हां	15/3/2024	रीतू टण्डन	15/3/2024	-	-	-	-
5	मस्तूरी	बिनैका 1	सहायिका	05-09-2023	9	09-06-2023	15/9/2023	2	हां	15/3/2024	राजेश्वरी साण्डे	15/3/2024	-	-	-	-
6	मस्तूरी	थेम्हापार	सहायिका	05-09-2023	8	09-06-2023	15/9/2023	5	हां	15/3/2024	शकुन्तला कुर्रे	15/3/2024	-	-	-	-
7	मस्तूरी	पाराघाट 1	सहायिका	05-09-2023	10	09-06-2023	15/9/2023	1	हां	15/3/2024	सुशीला वस्त्रकार	15/3/2024	-	-	-	-
8	मस्तूरी	किसानपरसदा 1	कार्यकर्ता	17/1/2024	3	-	-	-	-	15/3/2024	आरती कुर्रे	15/3/2024	-	-	-	-
9	मस्तूरी	बिनौरी	कार्यकर्ता	17/1/2024	2	-	-	-	-	15/3/2024	राजेश्वरी साण्डे	15/3/2024	-	-	-	-

क्र.	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी केंद्र का नाम जहां कार्यकर्ता/सहायिका का पद रिक्त है।	रिक्त पद (कार्यकर्ता/सहायिका)	रिक्त पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी करने की तिथि	जारी विज्ञापन के विरूद्ध प्राप्त आवेदन (अभ्यर्थियों) की संख्या	योग्यता सूची जारी करने की तिथि	दावा आपत्ति करने की अंतिम तिथि	दावा आपत्ति में कितने आवेदकों द्वारा आपत्ति की	क्या दावा आपत्ति का निराकरण किया गया(हां/नहीं)	दावा आपत्ति निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची की तिथि	किसकी नियुक्ति की गई उसका नाम	रिक्त पद पर भर्ती हेतु नियुक्ति आदेश की तिथि	क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है(हां/नहीं)	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	क्या उक्त शिकायत की जांच की गई है (हां/नहीं)	जांच के बिंदु तथा कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	मस्तूरी	पाराघाट 4	कार्यकर्ता	17/1/2024	2	-	-	-	-	15/3/2024	रंजीता चेल्कर	15/3/24	-	-	-	-
11	मस्तूरी	डिपरीपारा बिनौरी	सहायिका	17/2/2024	12	24/9/24	10-04-24	2	हां	28/11/2024	लिशा सोनी	12-03-24	-	-	-	-
12	मस्तूरी	टिकारी 2	सहायिका	17/2/2024	17	24/9/24	10-04-24	1	हां	28/11/2024	मनीषा जोशी	28/11/24	-	-	-	-
13	सीपत	पोड़ी 6	सहायिका	25-05-2023	10	23-08-2023	01-09-2023	1	हां	13-09-2023	प्रेमलता सूर्यवंशी	27/09/23	हां	वहां के मूल निवासी की भर्ती न करते हुये दूसरे ग्राम के निवासी की नियुक्ति कर दी गई है जो पूर्णतः फर्जी है।	हां	जांच जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा की गई है। जांच में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 728/1098/2008/म बावि/50 रायपुर दिनांक 02.04.2008 के भर्ती नियम की कंडिका 1.5 के नियमानुसार पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को चयनित किया गया।
14	सीपत	सोंठी	सहायिका	25-05-2023	18	23-08-2023	01-09-2023	-	-	13-09-2023	प्रतिभा कुर्रे	27/09/23	-	-	-	-

क्र.	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी केंद्र का नाम जहां कार्यकर्ता/सहायिका का पद रिक्त है।	रिक्त पद (कार्यकर्ता/सहायिका)	रिक्त पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी करने की तिथि	जारी विज्ञापन के विरूद्ध प्राप्त आवेदन (अभ्यर्थियों) की संख्या	योग्यता सूची जारी करने की तिथि	दावा आपत्ति करने की अंतिम तिथि	दावा आपत्ति में कितने आवेदकों द्वारा आपत्ति की	क्या दावा आपत्ति का निराकरण किया गया(हां/नहीं)	दावा आपत्ति निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची की तिथि	किसकी नियुक्ति की गई उसका नाम	रिक्त पद पर भर्ती हेतु नियुक्ति आदेश की तिथि	क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है(हां/नहीं)	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	क्या उक्त शिकायत की जांच की गई है (हां/नहीं)	जांच के बिंदु तथा कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		(साजापाली)														
15	सीपत	उड़ागी 1	सहायिका	08-10-2023	11	13-09-2023	23-09-2023	2	हां	10-04-2023	राजेश्वरी	22/11/24	-	-	-	-
16	सीपत	मचखण्डा 3	सहायिका	03-01-2024	17	13-09-2023	23-09-2024	3	हां	10-10-2023	रजिना बेगम	11-12-2024	हां	विधवा निराश्रित महिला को ध्यान न देकर किसी अन्य महिला की नियुक्ति एवं 01 अन्य आवेदिका के अंकसूची फर्जी प्रतीत होने की शिकायत।	हां	शिकायत की जांच परियोजना अधिकारी द्वारा की गई, जांच में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 728/1098/2008/म बावि/50 रायपुर दिनांक 02.04.2008 के भर्ती नियम के अनुसार विधवा महिला को विधवा का अंक प्रदान किया गया है। मूलअंक सूची प्राप्त कर अवलोकन किया गया है। शिकायत निराधार पाई गई।
17	सीपत	पंधी 5	सहायिका	03-01-2024	11	13-09-2024	23-09-2024	3	हां	10-04-2024	किरण रात्रर	11-12-2024	-	-	-	-

क्र.	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी केंद्र का नाम जहां कार्यकर्ता/सहायिका का पद रिक्त है।	रिक्त पद (कार्यकर्ता/सहायिका)	रिक्त पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी करने की तिथि	जारी विज्ञापन के विरूद्ध प्राप्त आवेदन (अभ्यर्थियों) की संख्या	योग्यता सूची जारी करने की तिथि	दावा आपत्ति करने की अंतिम तिथि	दावा आपत्ति में कितने आवेदकों द्वारा आपत्ति की	क्या दावा आपत्ति का निराकरण किया गया(हां/नहीं)	दावा आपत्ति निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची की तिथि	किसकी नियुक्ति की गई उसका नाम	रिक्त पद पर भर्ती हेतु नियुक्ति आदेश की तिथि	क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है(हां/नहीं)	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	क्या उक्त शिकायत की जांच की गई है (हां/नहीं)	जांच के बिंदु तथा कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	सीपत	खाड़ा 1	कार्यकर्ता	03-01-2024	22	13-09-2024	23-09-2024	2	हां	10-04-2024	मानसी मकल	11-12-2024	-	-	-	-
वर्ष 2024-25																
1	मस्तूरी	किरारी 4	कार्यकर्ता	20/6/2024	36	23/10/2024	11-04-2024	0	-	28/11/2024	काजल राय	28/11/2024	-	-	-	-
2	मस्तूरी	लावर 5	कार्यकर्ता	20/6/2024	49	23/10/2024	11-04-2024	2	हां	28/11/2024	कु. अंजली	28/11/2024	-	-	-	-
3	मस्तूरी	ओखर 1	कार्यकर्ता	20/6/2024	36	23/10/2024	11-04-2024	3	हां	28/11/2024	न्यायालयीन प्रकरण		-	-	-	-
4	मस्तूरी	आंकडीह	सहायिका	20/6/2024	14	23/10/2024	11-04-2024	0	-	28/11/2024	सोनम कुर्रे	28/11/2024	-	-	-	-
5	मस्तूरी	लोहर्सी 2	सहायिका	20/6/2024	19	23/10/2024	11-04-2024	3	हां	28/11/2024	स्थायी समिति से अनुमोदन शेष		-	-	-	-
6	मस्तूरी	सरगवां 1	सहायिका	20/6/2024	9	23/10/2024	11-04-2024	0	-	28/11/2024	स्थायी समिति से अनुमोदन शेष		-	-	-	-
7	मस्तूरी	जौंधरा 4	सहायिका	20/6/2024	17	23/10/2024	11-04-2024	0	-	28/11/2024	पूजा पटेल	12-03-2024	-	-	-	-
8	मस्तूरी	कुकुर्दीकेरा 1	सहायिका	20/6/2024	8	23/10/2024	11-04-2024	0	-	28/11/2024	जगेश्वरी मरावी	28/11/2024	-	-	-	-
9	मस्तूरी	इन्दिरापवारा बिनौरी	सहायिका	20/6/2024	18	23/10/2024	11-04-2024	1	हां	28/11/2024	रिंकी महिलांगे	28/11/2024	-	-	-	-
10	मस्तूरी	किसानपरसदा 1	सहायिका	20/6/2024	10	23/10/2024	11-04-2024	0	-	28/11/2024	स्थायी समिति से अनुमोदन शेष		-	-	-	-
11	मस्तूरी	पाराघाट 4	सहायिका	20/6/2024	14	23/10/2024	11-04-2024	1	हां	28/11/2024	स्थायी समिति से अनुमोदन शेष		-	-	-	-
12	मस्तूरी	बहतरा 1	सहायिका	20/6/2024	13	23/10/2	11-04-	1	हां	28/11/2024	कु. नीलम	28/11/20	-	-	-	-

क्र.	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी केंद्र का नाम जहां कार्यकर्ता/सहायिका का पद रिक्त है।	रिक्त पद (कार्यकर्ता/सहायिका)	रिक्त पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी करने की तिथि	जारी विज्ञापन के विरूद्ध प्राप्त आवेदन (अभ्यर्थियों) की संख्या	योग्यता सूची जारी करने की तिथि	दावा आपत्ति करने की अंतिम तिथि	दावा आपत्ति में कितने आवेदकों द्वारा आपत्ति की	क्या दावा आपत्ति का निराकरण किया गया(हां/नहीं)	दावा आपत्ति निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची की तिथि	किसकी नियुक्ति की गई उसका नाम	रिक्त पद पर भर्ती हेतु नियुक्ति आदेश की तिथि	क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है(हां/नहीं)	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	क्या उक्त शिकायत की जांच की गई है (हां/नहीं)	जांच के बिंदु तथा कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						024	2024					24				
13	मस्तूरी	ईटवा आवासपारा	सहायिका	29/8/2024	21	13/11/2024	25/11/2024	1	हां	28/11/2024	इन्दू मानिकपूरी	28/11/2024	-	-	-	-
14	मस्तूरी	खुड़ुभाठा 2	सहायिका	29/8/2024	6	13/11/2024	25/11/2024	0	-	28/11/2024	शिवकुमारी	28/11/2024	-	-	-	-
15	मस्तूरी	मोहतरा 2	सहायिका	29/8/2024	18	13/11/2024	25/11/2024	6	नहीं लंबित	-	-	-	-	-	-	-
16	मस्तूरी	जोंधरा 3	सहायिका	29/8/2024	20	13/11/2024	25/11/2024	0	-	28/11/2024	अंजली प्रजापति	28/11/2024	-	-	-	-
17	मस्तूरी	टिकारी 4	सहायिका	29/8/2024	22	28/11/2024	12-09-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	मस्तूरी	अकोला 2	सहायिका	29/8/2024	10	28/11/2024	12-09-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	मस्तूरी	दलदली 3	सहायिका	29/8/2024	14	28/11/2024	12-09-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	मस्तूरी	जुनवानी 2	सहायिका	29/8/2024	29	13/11/2024	25/11/2024	0		28/11/2024	गामिनी यादव	28/11/2024	-	-	-	-
21	मस्तूरी	भरारी 3	सहायिका	29/8/2024	21	28/11/2024	12-09-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	मस्तूरी	तालाबपारा नेवारी	सहायिका	29/8/2024	14	28/11/2024	12-09-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	मस्तूरी	नवोदयपारा बुढ़ीखार	सहायिका	29/8/2024	12	28/11/2024	12-09-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	मस्तूरी	चिलहाटी 3	सहायिका	29/8/2024	22	28/11/2024	12-09-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मस्तूरी	बोहारडीह 3	सहायिका	29/8/2024	18	28/11/2024	12-09-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र.	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी केंद्र का नाम जहां कार्यकर्ता/सहायिका का पद रिक्त है।	रिक्त पद (कार्यकर्ता/सहायिका)	रिक्त पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी करने की तिथि	जारी विज्ञापन के विरूद्ध प्राप्त आवेदन (अभ्यर्थियों) की संख्या	योग्यता सूची जारी करने की तिथि	दावा आपत्ति करने की अंतिम तिथि	दावा आपत्ति में कितने आवेदकों द्वारा आपत्ति की	क्या दावा आपत्ति का निराकरण किया गया(हां/नहीं)	दावा आपत्ति निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची की तिथि	किसकी नियुक्ति की गई उसका नाम	रिक्त पद पर भर्ती हेतु नियुक्ति आदेश की तिथि	क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है(हां/नहीं)	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	क्या उक्त शिकायत की जांच की गई है (हां/नहीं)	जांच के बिंदु तथा कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	मस्तूरी	लोहर्सी 7	सहायिका	29/8/2024	20	28/11/2024	12-09-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	मस्तूरी	लोढ़ाबोर 2	सहायिका	29/8/2024	25	13/11/2024	25/11/2024	3	हां	स्थायी समिति से अनुमोदन शेष			-	-	-	-
28	मस्तूरी	छोटे खपरी लिमतरा	सहायिका	29/8/2024	16	13/11/2024	25/11/2024	7	हां	स्थायी समिति से अनुमोदन शेष			-	-	-	-
29	मस्तूरी	सरगवां 2	सहायिका	29/8/2024	10	28/11/2024	12-09-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	मस्तूरी	गोबरी 3	सहायिका	29/8/2024	9	13/11/2024	25/11/2024	0	-	28/11/2024	निशा सिंह	28/11/2024	-	-	-	-
31	मस्तूरी	गोबरी 2	सहायिका	1/102024	8	13/11/2024	25/11/2024	0	-	28/11/2024	पूर्णिमा ध्रुव	28/11/2024	-	-	-	-
32	मस्तूरी	अमलडीहा	सहायिका	1/102024	14	28/11/2024	12-09-2024	-	-	-	.	-	-	-	-	-
33	मस्तूरी	मनवा 2	कार्यकर्ता	29/8/2024	2	-	-	-	-	28/11/2024	सुशीला बाई जांगड़े	28/11/2024	-	-	-	-
34	सीपत	मड़ई 2	कार्यकर्ता	24-06-2024	26	13-09-2024	23-09-2024	1	हां	10-04-2024	शलिनी टेंगवार	11-12-2024	-	-	-	-
35	सीपत	निरतू 3	कार्यकर्ता	06-04-2024	2	-	-	-	-	10-04-2024	रामकुमारी मरार	25-10-2024	-	-	-	-
36	सीपत	कर्रा 2	कार्यकर्ता	06-04-2024	2	-	-	-	-	10-04-2024	अश्वनी पटैल	25-10-2024	-	-	-	-
37	सीपत	कौवताल 2	सहायिका	09-03-2024	14	15-10-2024	24-10-2024	-	-	29-10-2024	रजनी साहू	21-11-2024	-	-	-	-
38	सीपत	दर्राभाठा 5	सहायिका	09-09-2024	32	15-10-2024	24-10-2024	-	-	29-10-2024	ज्योति नवरंग	21-11-2024	-	-	-	-
39	सीपत	झलमला 1	सहायिका	14-10-2024	13	20-11-2024	29-11-2024	1	-	-	-	-	-	-	-	-
40	सीपत	कर्रा 2	सहायिका	11-04-2024	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	सीपत	निरतू 2	सहायिका	11-04-2024	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट - उन्सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 434) की जानकारी

प्रपत्र "अ

क्र	वित्तीय वर्ष	स्वास्थ्य संस्था का नाम	प्रारंभिक शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष
1	2023–24	सीएचसी मस्तूरी	4350.04	698897.00	677055.50	26191.54
2		पीएचसी जोंधरा	0.00	116000.00	115898.00	102.00
3		पीएचसी पचपेड़ी	0.00	116000.00	115803.00	197.00
4		पीएचसी खोंधरा	0.00	116000.00	48080.00	67920.00
5		पीएचसी मल्हार	0.00	116000.00	111755.00	4245.00
6		पीएचसी जयरामनगर	0.00	116000.00	116000.00	0.00
7		पीएचसी सीपत	0.00	116000.00	116000.00	0.00
8		पीएचसी लोहर्सी	65006.00	116000.00	132865.00	48141.00
9		पीएचसी कुकुर्दीकला	0.00	116000.00	111355.00	4645.00
10		पीएचसी नवागांव	0.00	116000.00	116000.00	0.00
11		पीएचसी लुथरा	19920.50	116000.00	97767.00	38153.50
12		पीएचसी देवरीखुर्द	81052.00	239756.00	285737.00	35071.00
		कुल योग	**170328.54**	**2098653.00**	**2044315.50**	**224666.04**

क्र	वित्तीय वर्ष	स्वास्थ्य संस्था का नाम	प्रारंभिक शेष	आय	व्यय	अंतिम शेष
1	2024–25 (25.11.2024 तक)	सीएचसी मस्तूरी	26191.54	231447.00	250271.00	7367.54
2		पीएचसी जोंधरा	102.00	0.00	0.00	102.00
3		पीएचसी पचपेड़ी	197.00	0.00	0.00	197.00
4		पीएचसी खोंधरा	67920.00	0.00	66460.00	1460.00
5		पीएचसी मल्हार	4245.00	0.00	0.00	4245.00
6		पीएचसी जयरामनगर	0.00	0.00	0.00	0.00
7		पीएचसी सीपत	0.00	0.00	0.00	0.00
8		पीएचसी लोहर्सी	48141.00	0.00	0.00	48141.00
9		पीएचसी कुकुर्दीकला	4645.00	0.00	0.00	4645.00
10		पीएचसी नवागांव	0.00	0.00	0.00	0.00
11		पीएचसी लुथरा	38153.50	0.00	34970.00	3183.50
12		पीएचसी देवरीखुर्द	35071.00	139032.00	165794.00	8309.00
		कुल योग	**224666.04**	**370479.00**	**517495.00**	**77650.04**

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय [illegible] अटल नगर

उप संचालक (विधान सभा)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रपत्र "ब"

वित्तीय वर्ष 2023–24 मे व्यय की जानकारी फर्म/व्यक्ति के नाम सहित

सीएचसी मस्तुरी				
क्र.	दिनांक	राशि	कार्य	फर्म/व्यक्ति का नाम
1	05-10-2023	14160.00	लैब कार्य	व्ही.के. मेडीकल एंड सर्जिकल
2	10-09-2023	36070.00	बिजली मरम्मत कार्य	श्री रमाशंकर तिवारी संरकंडा बिलासपुर
3	10-09-2023	64460.00	बिजली मरम्मत कार्य	श्री रमाशंकर तिवारी संरकंडा बिलासपुर
4	10-09-2023	69810.00	प्रिटींग/स्टेशनरी	पूजा प्रिटींग प्रेस मस्तूरी
5	20-09-2023	49820.00	सौर उर्जा विस्थापन व्यय	क्रेडा बिलासपुर
6	12-02-2024	77640.00	बिजली मरम्मत कार्य	महामाया मोटर वाडिंग एवं इलेक्ट्रिल मस्तूरी
7	12-02-2024	76250.00	बिजली मरम्मत कार्य	श्री रमाशंकर तिवारी संरकंडा बिलासपुर
8	12-02-2024	39725.00	प्रिटींग/स्टेशनरी	प्रार्थ ग्राफिक्स बिलासपुर
9	12-02-2024	82795.00	प्रिटींग/स्टेशनरी	पूजा प्रिटींग प्रेस मस्तूरी
10	12-02-2024	10830.00	बैठक व्यवस्था	ओम टेंट क्लाथ हाउस, मस्तूरी
11	21-02-2024	7950.00	लांड्री व्यवस्था	सुरेश लांड्री, मस्तूरी
12	21-02-2024	10000.00	ओपीडी व्यवस्था	ओम टेंट क्लाथ हाउस, मस्तूरी
13	26-02-2024	4100.00	रेफिजरेटर मरम्मत	दशमेश रेफ्रिजरेटर नेहरू चौक बिलासपुर
14	29-03-2024	2500.00	वाहन भाड़ा व्यवस्था	अंशु ट्रांसपोर्ट मस्तूरी
योग		**546110.00**		

पीएचसी देवरीखुर्द

क्र.	दिनांक	राशि	कार्य	फर्म/व्यक्ति का नाम
1	19-04-2023	10000.00	जननी सुरक्षा योजना, मोपका हेतु क्रय	ACE TECHNOLOGY, BILASPUR
2	19-04-2023	10000.00	जननी सुरक्षा योजना, मटियारी हेतु क्रय	ACE TECHNOLOGY, BILASPUR
3	01-05-2023	22912.00	आयुष्मान भारत टेंट टेबल	श्री विनायक एडवरटाइजिंग
4	01-05-2023	8750.00	फायर अलार्म, CO2 सिलेंडर	बादशाह सेफ्टी इक्युपमेंट, बिलासपुर
5	01-05-2023	5010.00	इलेक्ट्रिक वर्क	श्री योगेश कुमार साहू
6	27-05-2023	13810.00	स्टॉक रजिस्टर, फ्लैक्स अन्य	श्री भारत स्क्रीन प्रिंटर्स, बिलासपुर
7	01-09-2023	25276.00	सीसी टीवी वर्क	सुरक्षा सॉल्युशन, बिलासपुर
8	12-01-2024	7980.00	विनाइल बोर्ड, रजिस्टर व अन्य	श्री भारत स्क्रीन प्रिंटर्स, बिलासपुर
9	12-01-2024	13500.00	पेंटिंग वर्क	श्री सौरभ कश्यप
10	12-01-2024	20000.00	रिपेयर एंड मेटनेंस	सेल्फ हॉस्पीटल
11	01-03-2024	5699.00	कंप्यूटर रिपेयर वर्क	ट्रिनिटी कंप्यूटर, बिलासपुर
12	01-03-2024	6560.00	स्टेशनरी, पेपर, रजिस्टर	भाटिया स्टेशनरी
13	01-03-2024	3400.00	थंब मिन्त्रा डिवाइस	हॉटलाईन कंप्यूटर सर्विसेज
14	01-03-2024	10000.00	रिपेयर एंड मेटनेंस	सेल्फ हॉस्पीटल
15	01-03-2024	6565.00	ओपीडी पर्ची	श्री भारत स्क्रीन प्रिंटर्स, बिलासपुर
16	01-03-2024	13775.00	पेंट सामान	श्री आयुष सिंह
17	01-03-2024	8000.00	स्टील रेलिंग	श्री नोहर सिंह देवांगन
योग		**191237.00**		

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पीएचसी लोहर्सी

क्र.	दिनांक	राशि	कार्य	फर्म/व्यक्ति का नाम
1	18-04-2023	1500.00	कार्ट्रिज रिफिलिंग	नितेश गार्डिया
2	18-04-2023	4800.00	धोबी चार्ज, बिजली सामान, टायलेट क्लीनर, टाईल्स क्लीनर, झाड़ू, पोछा, एसिड, टॉयलेट ब्रश आदि	किशोर कोसले
3	18-04-2023	9000.00	टेंट, कुर्सी किराया– हेल्थ मेला के लिये	विक्की कुमार साहू
4	21-06-2023	5320.00	कार्ट्रिज रिफिलिंग, दवाई ट्रांसपोर्टिंग, फिनाईल, झाड़ू पोछा, एसिड, ब्रश, हैंडवॉश, सर्फ आदि	नितेश गार्डिया
5	21-06-2023	13500.00	मुरुम पटाव	सत्यनारायण कोसले
6	21-06-2023	3000.00	मुरुम पटाव, लेबर चार्ज	मुकेश कुमार
7	27-03-2024	4500.00	कार्ट्रिज रिफिलिंग	सुष्मिता कंप्यूटर, बिलासपुर
8	27-03-2024	4000.00	सबमर्सिबल रिपेयरिंग चार्ज	सत्यनारायण कोसले
9	27-03-2024	4800.00	स्वतंत्रता दिवस पूर्व संध्या व राज्योत्वस के पूर्व संध्या रौशनी व धोबी भुगतान	नितेश गार्डिया
10	27-03-2024	7565.00	स्टेशनरी सामान	पूजा स्टेशनरी एवं जनरल स्टोर, चिल्हाटी
11	27-03-2024	7480.00	फिनाईल, झाड़ू पोछा, हार्पिक आदि	किशोर कोसले
12	27-03-2024	2000.00	दवाई ट्रांसपोर्टिंग	शेखर प्रसाद रत्नाकर
योग		**67465.00**		

पीएचसी कुकुर्दीकला

क्र.	दिनांक	राशि	कार्य	फर्म/व्यक्ति का नाम
1	19-04-2023	4850.00	कार्ट्रिज रिफिलिंग, धोबी चार्ज	सुचिता केरकेट्टा
2	19-04-2023	4900.00	बिजली रिपेयरिंग, मिस्त्री लेबर	पद्मभूषण सिंह पैकरा
3	21-06-2024	5340.00	दवाई ट्रांसपोर्टिंग, कार्ट्रिज रिफिलिंग, फिनाईल, झाड़ू पोछा आदि	सुचिता केरकेट्टा
4	27-03-2024	4500.00	कार्ट्रिज रिफिलिंग	सुष्मिता कंप्यूटर, बिलासपुर
5	27-03-2024	2350.00	धोबी चार्ज, नेट प्रोटेक्टर	सुचिता केरकेट्टा
6	27-03-2024	7545.00	फिनाईल, झाड़ू पोछा, हार्पिक, एसिड	घसनीन बाई
7	27-03-2024	6970.00	स्टेशनरी सामान	पूजा स्टेशनरी एवं जनरल स्टोर, चिल्हाटी
8	27-03-2024	3000.00	बिजली सुधार कार्य	अजय कुमार वस्त्रकार
9	27-03-2024	4000.00	बिजली सुधार कार्य	राजनंदिनी डहरिया
10	27-03-2024	2500.00	बिजली सुधार कार्य	उदित कुमार साहू
योग		**45955.00**		

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
संचालय, नवा रायपुर, अटल नगर

उप संचालक (विधान सभा)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रपत्र "स"

वित्तीय वर्ष 2024–25, 25/11/2024 तक मे व्यय की जानकारी

सीएचसी मस्तुरी				
क्र.	दिनांक	राशि	कार्य	फर्म/व्यक्ति का नाम
1	09-09-2024	39506.00	बिजली मरम्मत कार्य	महामाया मोटर वाडिंग एवं इलेक्ट्रिल मस्तूरी
2	09-09-2024	33500.00	बिजली मरम्मत कार्य	महामाया मोटर वाडिंग एवं इलेक्ट्रिल मस्तूरी
3	09-09-2024	2000.00	वाहन भाड़ा	चतुर्वेदी ट्रांसपोर्ट, मस्तूरी
4	30-09-2024	11725.00	लॉंड्री व्यवस्था	सुरेश लॉंड्री, मस्तूरी
योग		**73006.00**		

पीएचसी देवरीखुर्द

क्र.	दिनांक	राशि	कार्य	फर्म/व्यक्ति का नाम
1	02-04-2024	6650.00	आलमारी रिपेयरिंग	ए.आर.एस. स्टील, देवरीखुर्द
2	05-07-2024	10000.00	रिपेयर एंड मेन्टेन	सेल्फ हास्पीटल
3	05-07-2024	6400.00	फ्लैक्स एवं रजिस्टर	श्री भारत स्क्रीन प्रिंटर्स, बिलासपुर
4	05-07-2024	46465.00	बोर्ड, माइका, अन्य सामान	श्री अजित कुमार यादव
5	19-09-2024	9779.00	बीएसएनएल फाइबर बिल	A O CASH BSNL, BILASPUR
योग		**79294.00**		

टीपः उपरोक्त के अलावा अन्य सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा निर्माण/ मरमम्त कार्य एवं सामग्री क्रय हेतु राशि व्यय नहीं किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

उप संचालक (विधान सभा)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

जिला रायगढ़ में अमृत मिशन योजना के तहत स्वीकृत तालाब की ग्रामवार जानकारी

(राशि रु. लाख में)

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	पूर्णता की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धरमजयगढ़	खम्हार	खम्हार	1	19.50	11.83	पूर्ण
2	धरमजयगढ़	बरबसपुर	बरबसपुर	1	19.94	6.06	पूर्ण
3	धरमजयगढ़	कुमा	कुमा	1	18.22	14.35	पूर्ण
4	धरमजयगढ़	सिसरिंगा	सिसरिंगा	1	18.22	6.34	पूर्ण
5	धरमजयगढ़	विजयनगर	विजयनगर	1	17.23	11.20	पूर्ण
6	धरमजयगढ़	पखनाकोट	पखनाकोट	1	19.99	11.73	पूर्ण
7	धरमजयगढ़	पोड़ीछाल	पोड़ीछाल	1	18.76	16.53	पूर्ण
8	धरमजयगढ़	पेलमा	पेलमा	1	19.78	6.97	पूर्ण
9	धरमजयगढ़	रायमेर	रायमेर	1	18.22	6.60	पूर्ण
10	धरमजयगढ़	रतनपुर	रतनपुर	1	19.99	13.25	पूर्ण
11	धरमजयगढ़	सलका	सलका	1	18.22	16.96	पूर्ण
12	धरमजयगढ़	चरखापारा	चरखापारा	1	19.50	10.65	पूर्ण
13	धरमजयगढ़	जमरगीडी	जमरगीडी	1	19.73	17.98	पूर्ण
14	धरमजयगढ़	नवागांव	नवागांव	1	19.91	15.83	पूर्ण
15	धरमजयगढ़	अमलीटिकरा	अमलीटिकरा	1	19.39	8.51	पूर्ण

संयुक्त आयुक्त

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	पूर्णता की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
16	धरमजयगढ़	आमापाली	आमापाली	1	18.22	12.76	पूर्ण
17	धरमजयगढ़	ओंगना	ओंगना	1	18.22	4.70	पूर्ण
18	धरमजयगढ़	कुमरता	कुमरता	1	19.89	5.95	पूर्ण
19	धरमजयगढ़	बोजिया	बोजिया	1	19.94	3.56	पूर्ण
20	घरघोड़ा	कुडुमकेला	कुडुमकेला	1	19.27	17.48	पूर्ण
21	घरघोड़ा	ढोरम	ढोरम	1	19.50	7.59	पूर्ण
22	घरघोड़ा	बड़ेगुमड़ा	बड़ेगुमड़ा	1	15.71	8.03	पूर्ण
23	घरघोड़ा	कोसमघाट	कोसमघाट	1	9.63	7.20	पूर्ण
24	घरघोड़ा	बरौनाकुण्डा	बरौनाकुण्डा	1	9.53	0.01	पूर्ण
25	घरघोड़ा	झरियापाली	झरियापाली	1	13.06	11.06	पूर्ण
26	घरघोड़ा	बटुराकछार	बटुराकछार	1	19.89	18.79	पूर्ण
27	घरघोड़ा	बैहामुड़ा	बैहामुड़ा	1	3.00	3.00	पूर्ण
28	घरघोड़ा	कंचनपुर	कंचनपुर	1	14.32	13.67	पूर्ण
29	घरघोड़ा	फगुरम	कारीछापर	1	2.99	2.99	पूर्ण
30	खरसिया	पुछियापाली	पुछियापाली	1	17.73	16.10	पूर्ण
31	खरसिया	केवाली	केवाली	1	17.73	13.20	पूर्ण
32	खरसिया	तिउर	तिउर	1	19.83	16.25	पूर्ण
33	खरसिया	कुर्रू	कुर्रू	1	14.50	9.65	पूर्ण
34	खरसिया	छोटे मुड़पार	छोटे मुड़पार	1	19.54	15.04	पूर्ण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार
गारंटी योजना जि.पं. रायपुर

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	पूर्णता की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
35	खरसिया	करूमौहा	करूमौहा	1	19.82	8.61	पूर्ण
36	खरसिया	बगडेवा	बगडेवा	1	19.86	6.94	पूर्ण
37	खरसिया	सोनबरसा	सोनबरसा	1	19.99	16.32	पूर्ण
38	खरसिया	बगडेवा	झाराडीह	1	19.85	14.91	पूर्ण
39	खरसिया	गोरपार	कसाईपाली	1	17.73	14.77	पूर्ण
40	खरसिया	नंदगांव	नंदगांव	1	16.81	7.46	पूर्ण
41	खरसिया	सूती	सूती	1	16.97	11.24	पूर्ण
42	खरसिया	तुरेकेला	तुरेकेला	1	19.88	14.98	पूर्ण
43	खरसिया	मौहापाली	मौहापाली	1	19.58	16.49	पूर्ण
44	खरसिया	जोबी	जोबी	1	18.79	14.27	पूर्ण
45	खरसिया	गुरदा	गुरदा	1	18.93	14.20	पूर्ण
46	खरसिया	रानीसागर	रानीसागर	1	14.09	11.32	पूर्ण
47	खरसिया	नावागांव	नावागांव	1	17.60	13.90	पूर्ण
48	खरसिया	पतरापाली	उल्दा	1	19.70	14.33	पूर्ण
49	लैलूंगा	बगुडेगा	बगुडेगा	1	17.640	10.74	पूर्ण
50	लैलूंगा	भेड़ीमुड़ा ब	भेड़ीमुड़ा ब	1	17.640	6.94	पूर्ण
51	लैलूंगा	तोलमा	तोलमा	1	17.640	12.93	पूर्ण
52	लैलूंगा	करवाजोर	करवाजोर	1	17.640	11.14	पूर्ण
53	लैलूंगा	लोहड़ापानी	लोहड़ापानी	1	17.640	12.13	पूर्ण

संयुक्त आयुक्त
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी योजना छ.ग. रायपुर

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	पूर्णता की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
54	लैलूंगा	रेगड़ी	रेगड़ी	1	17.640	10.28	पूर्ण
55	लैलूंगा	चिराईखार	चिराईखार	1	17.640	12.56	पूर्ण
56	लैलूंगा	गुडुबहाल	गुडुबहाल	1	17.640	12.74	पूर्ण
57	लैलूंगा	धौराडांड़	धौराडांड़	1	17.640	1.74	पूर्ण
58	लैलूंगा	मोहनपुर	मोहनपुर	1	17.640	14.20	पूर्ण
59	लैलूंगा	राजगांव	राजगांव	1	14.531	3.57	पूर्ण
60	लैलूंगा	कोड़ासिया	कोड़ासिया	1	19.500	13.22	पूर्ण
61	लैलूंगा	मुकडेगा	मुकडेगा	1	19.500	9.59	पूर्ण
62	लैलूंगा	टटकेला	टटकेला	1	19.810	15.92	पूर्ण
63	लैलूंगा	चिरईखार	चिरईखार	1	18.080	11.34	पूर्ण
64	लैलूंगा	गहनाझरिया	गहनाझरिया	1	18.250	9.87	पूर्ण
65	पुसौर	कोंड़ातराई	कांड़ातराई	1	17.94	8.43	पूर्ण
66	पुसौर	गोर्रा	गोर्रा	1	18.10	1.66	पूर्ण
67	पुसौर	तुरंगा	तुरंगा	1	18.84	6.35	पूर्ण
68	पुसौर	सेमरा	सेमरा	1	19.50	14.75	पूर्ण
69	पुसौर	जोगीतराई	जोगीतराई	1	19.97	4.17	पूर्ण
70	पुसौर	तेलीपाली	तेलीपाली	1	19.96	15.93	पूर्ण
71	पुसौर	झलमला	झलमला	1	19.91	12.02	पूर्ण
72	पुसौर	त्रिभौना	त्रिभौना	1	19.99	14.74	पूर्ण

संयुक्त आयुक्त
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी योजना छ.ग. रायपुर

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	पूर्णता की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
73	पुसौर	चिखली	चिखली	1	19.97	6.05	पूर्ण
74	रायगढ़	गोपालपुर	गोपालपुर	1	18.00	13.88	पूर्ण
75	रायगढ़	सम्बलपुरी	सम्बलपुरी	1	19.50	11.11	पूर्ण
76	रायगढ़	तिलगा	तिलगा	1	19.46	15.03	पूर्ण
77	रायगढ़	विश्वनाथपाली	विश्वनाथपाली	1	19.99	9.73	पूर्ण
78	रायगढ़	टारपाली	टारपाली	1	19.65	14.38	पूर्ण
79	रायगढ़	नावापारा	नावापारा	1	17.72	7.50	पूर्ण
80	रायगढ़	बनसिया	बनसिया	1	15.37	9.08	पूर्ण
81	रायगढ़	जोरापाली	जोरापाली	1	8.65	4.85	पूर्ण
82	रायगढ़	कांटाहरदी	कांटाहरदी	1	19.92	5.78	पूर्ण
83	रायगढ़	लेबडा	लेबडा	1	17.82	12.71	पूर्ण
84	रायगढ़	बायंग	बायंग	1	19.86	11.11	पूर्ण
85	तमनार	बड़गांव	बड़गांव	1	15.68	7.78	पूर्ण
86	तमनार	बरकसपाली	बरकसपाली	1	13.36	6.57	पूर्ण
87	तमनार	देवगढ़	देवगढ़	1	13.49	8.73	पूर्ण
88	तमनार	धौराभांठा	धौराभांठा	1	9.70	0.23	पूर्ण
89	तमनार	केशरचऑ	केशरचुऑ	1	14.71	9.54	पूर्ण
90	तमनार	महलोई	महलोई	1	11.79	6.93	पूर्ण
91	तमनार	पेलमा	पेलमा	1	10.49	5.88	पूर्ण

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - इकसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 507) की जानकारी

प्रपत्र–'अ'

राज्यांश एवं केन्द्रांश के मद

क्रमांक	एफ.एम.आर.कोड	विवरण
1	आरसीएच (आरआई, आईपीपीआई, एनआईडीडीसीपी सहित)	
	3	जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)
	4	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) (परिवहन को छोड़कर)
	6	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)
	7	सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)
	9	मातृ मृत्यु समीक्षा
	10	व्यापक गर्भपात देखभाल
	15	लक्ष्य
	19	पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम
	20	लिंग आधारित हिंसा और यौन हिंसा के शिकार बचे लोगों के लिए चिकित्सीय कानूनी देखभाल
	21	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)
	22	जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) सहित सुविधा स्तर पर आरबीएसके
	24	सुविधा आधारित नवजात देखभाल
	25	बाल मृत्यु समीक्षा
	26	सांस
	27	बाल चिकित्सा देखभाल
	28	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) (परिवहन को छोड़कर)
	32	मिशन इंद्रधनुष सहित टीकाकरण
	35	किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक
	38	सहकर्मी शिक्षक कार्यक्रम
	42	नसबंदी - महिला
	43	नसबंदी - पुरुष
	44	आईयूसीडी निवेशन (पीपीआईयूसीडी और पीएआईयूसीडी)
	45	अंतरा
	46	एमपीवी (मिशन परिवार विकास)
	48	एफपीएलएमआईएस
	49	विश्व जनसंख्या दिवस एवं पुरुष नसबंदी पखवाड़ा
	50	अन्य परिवार नियोजन घटक
	52	एनीमिया मुक्त भारत
	53	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस
	54	पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी)
	55	विटामिन ए अनुपूरण
	58	सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा
	62	राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) का कार्यान्वयन (योजना एवं एम एंड ई को छोड़कर)
2	एनडीसीपी	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनडीसीपी)

	63	एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) का कार्यान्वयन (योजना एवं एम एंड ई को छोड़कर)
	64	मलेरिया
	66	एईएस/जेई
	67	डेंगू और चिकनगुनिया
	68	लसीका फाइलेरिया
	69	मामले का पता लगाना और प्रबंधन
	70	डीपीएमआर सेवाएं: पुनर्निर्माण सर्जरी
	72	अन्य एनएलईपी घटक
	73	ड्रग सेंसिटिव टीबी (डीएसटीबी)
	74	निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई)
	75	पीपीपी - एनटीईपी
	76	गुप्त टीबी संक्रमण (एलटीबीआई)
	77	दवा प्रतिरोधी टीबी (डीआरटीबी)
	78	टीबी हारेगा, देश जीतेगा अभियान
	79	राज्य विशिष्ट पहल और नवाचार (टीबी)
	80	रोकथाम
	83	इलाज
	84	राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) का कार्यान्वयन (योजना एवं एम एंड ई को छोड़कर)
3	एनसीडी	**गैर-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीडी)**
	87	सुविधाओं के माध्यम से मोतियाबिंद सर्जरी
	97	जिला मानसिक स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन
	99	डीएच में वृद्धावस्था देखभाल
	100	सीएचसी/एसडीएच में वृद्धावस्था देखभाल
	103	राज्य विशिष्ट पहल और नवाचार (एनपीएचसीई)
	104	सीओटीपीए-2003 का कार्यान्वयन
	105	ToEFI दिशानिर्देश का कार्यान्वयन
	106	तम्बाकू समाप्ति
	107	डीएच में एनसीडी क्लीनिक
	108	सीएचसी/एसडीएच में एनसीडी क्लीनिक
	110	अन्य एनपीसीडीसीएस घटक
	114	जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच) का कार्यान्वयन
	115	डीएच में कार्यान्वयन
	116	सीएचसी/एसडीएच पर कार्यान्वयन
	118	राज्य विशिष्ट पहल और नवाचार (एनओएचपी)
	119	प्रशामक देखभाल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीसी) का कार्यान्वयन (योजना और एम एंड ई को छोड़कर)
	120	फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीसीएफ) का कार्यान्वयन
	121	बहरेपन की जांच
4	एचएसएस(यू)	**स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण (एचएसएस) - शहरी**
	143	प्रोत्साहन (भत्ता, प्रोत्साहन, कर्मचारी कल्याण निधि)

5	एचएसएस(आर)	स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण (एचएसएस) - ग्रामीण
	154	रक्त विकारों के लिए स्क्रीनिंग
	156	ब्लड बैंक/बीसीएसयू/बीएसयू/थैलेसीमिया डे केयर सेंटर
	175	गुणवत्ता आश्वासन कार्यान्वयन एवं मेरा अस्पताल
	176	कायाकल्प
	177	स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र
	183	राज्य विशिष्ट कार्यक्रम हस्तक्षेप और नवाचार (ओआई-एचएसएस)
	185	सभी एनएचएम एचआर-एसडी के लिए पारिश्रमिक
	186	प्रोत्साहन (भत्ता, प्रोत्साहन, कर्मचारी कल्याण निधि)
	187	सीएचओ के लिए पारिश्रमिक
	188	सीपीएचसी के तहत प्रोत्साहन
	194	योजना एवं कार्यक्रम प्रबंधन
	195	स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस)
	199	अनटाइड फंड
	200	सर्पदंश से बचाव

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रपत्र–'ब'

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत राशि की जानकारी

क्रमांक	एफ.एम.आर. कोड	विवरण	वर्ष 2024-25 में स्वीकृत राशि (लाख में.)
1	आरसीएच (आरआई, आईपीपीआई, एनआईडीडीसीपी सहित)		320.59
	3	जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)	90.60
	4	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) (परिवहन को छोड़कर)	65.06
	6	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)	6.00
	7	सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)	0.80
	9	मातृ मृत्यु समीक्षा	0.10
	10	व्यापक गर्भपात देखभाल	1.05
	15	लक्ष्य	1.00
	19	पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम	1.00
	20	लिंग आधारित हिंसा और यौन हिंसा के शिकार बचे लोगों के लिए चिकित्सीय कानूनी देखभाल	0.78
	21	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)	11.60
	22	जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) सहित सुविधा स्तर पर आरबीएसके	5.26
	24	सुविधा आधारित नवजात देखभाल	18.92
	25	बाल मृत्यु समीक्षा	1.63
	26	सांस	2.46
	27	बाल चिकित्सा देखभाल	2.00
	28	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) (परिवहन को छोड़कर)	3.60
	32	मिशन इंद्रधनुष सहित टीकाकरण	31.09
	35	किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक	0.22
	38	सहकर्मी शिक्षक कार्यक्रम	1.60
	42	नसबंदी - महिला	20.48
	43	नसबंदी - पुरुष	2.75
	44	आईयूसीडी निवेशन (पीपीआईयूसीडी और पीएआईयूसीडी)	5.31
	45	अंतरा	1.20
	46	एमपीवी (मिशन परिवार विकास)	4.86
	48	एफपीएलएमआईएस	0.95
	49	विश्व जनसंख्या दिवस एवं पुरुष नसबंदी पखवाड़ा	1.80
	50	अन्य परिवार नियोजन घटक	4.39
	52	एनीमिया मुक्त भारत	3.94
	53	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस	2.27
	54	पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी)	24.96
	55	विटामिन ए अनुपूरण	0.69
	58	सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा	1.85
	62	राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) का कार्यान्वयन (योजना एवं एम एंड ई को छोड़कर)	0.38

2	एनडीसीपी	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनडीसीपी)	85.70
	63	एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) का कार्यान्वयन (योजना एवं एम एंड ई को छोड़कर)	4.12
	64	मलेरिया	38.38
	66	एईएस/जेई	1.65
	67	डेंगू और चिकनगुनिया	5.10
	68	लसीका फाइलेरिया	0.30
	69	मामले का पता लगाना और प्रबंधन	2.10
	70	डीपीएमआर सेवाएं: पुनर्निर्माण सर्जरी	0.37
	72	अन्य एनएलईपी घटक	2.06
	73	ड्रग सेंसिटिव टीबी (डीएसटीबी)	8.65
	74	निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई)	12.15
	75	पीपीपी - एनटीईपी	1.00
	76	गुप्त टीबी संक्रमण (एलटीबीआई)	0.10
	77	दवा प्रतिरोधी टीबी (डीआरटीबी)	0.35
	78	टीबी हारेगा, देश जीतेगा अभियान	3.60
	79	राज्य विशिष्ट पहल और नवाचार (टीबी)	3.32
	80	रोकथाम	1.05
	83	इलाज	0.90
	84	राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) का कार्यान्वयन (योजना एवं एम एंड ई को छोड़कर)	0.50
3	एनसीडी	गैर-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीडी)	77.21
	87	सुविधाओं के माध्यम से मोतियाबिंद सर्जरी	10.00
	97	जिला मानसिक स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन	7.50
	99	डीएच में वृद्धावस्था देखभाल	2.90
	100	सीएचसी/एसडीएच में वृद्धावस्था देखभाल	7.98
	103	राज्य विशिष्ट पहल और नवाचार (एनपीएचसीई)	2.20
	104	सीओटीपीए-2003 का कार्यान्वयन	2.20
	105	ToEFI दिशानिर्देश का कार्यान्वयन	5.68
	106	तम्बाकू समाप्ति	1.35
	107	डीएच में एनसीडी क्लीनिक	2.70
	108	सीएचसी/एसडीएच में एनसीडी क्लीनिक	9.90
	110	अन्य एनपीसीडीसीएस घटक	3.85
	114	जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच) का कार्यान्वयन	0.25
	115	डीएच में कार्यान्वयन	3.50
	116	सीएचसी/एसडीएच पर कार्यान्वयन	7.50
	118	राज्य विशिष्ट पहल और नवाचार (एनओएचपी)	2.80
	119	प्रशामक देखभाल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीसी) का कार्यान्वयन (योजना और एम एंड ई को छोड़कर)	0.05
	120	फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीसीएफ) का कार्यान्वयन	0.00
	121	बहरेपन की जांच	6.86
4	एचएसएस(यू)	स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण (एचएसएस) - शहरी	1.00

	143	प्रोत्साहन (भत्ता, प्रोत्साहन, कर्मचारी कल्याण निधि)	1.00
5	एचएसएस(आर)	स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण (एचएसएस) - ग्रामीण	1899.14
	154	रक्त विकारों के लिए स्क्रीनिंग	2.90
	156	ब्लड बैंक/बीसीएसयू/बीएसयू/थैलेसीमिया डे केयर सेंटर	0.10
	175	गुणवता आश्वासन कार्यान्वयन एवं मेरा अस्पताल	19.86
	176	कायाकल्प	18.13
	177	स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र	10.00
	183	राज्य विशिष्ट कार्यक्रम हस्तक्षेप और नवाचार (ओआई-एचएसएस)	24.96
	185	सभी एनएचएम एचआर-एसडी के लिए पारिश्रमिक	1278.25
	186	प्रोत्साहन (भत्ता, प्रोत्साहन, कर्मचारी कल्याण निधि)	136.21
	187	सीएचओ के लिए पारिश्रमिक	74.97
	188	सीपीएचसी के तहत प्रोत्साहन	140.56
	194	योजना एवं कार्यक्रम प्रबंधन	30.93
	195	स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस)	8.05
	199	अनटाइड फंड	154.00
	200	सर्पदंश से बचाव	0.20
योग			2383.64

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रप्रत्र–'स'

व्यय की जानकारी

क्रमांक	एफ.एम.आर. कोड	विवरण	वर्ष 2024.25 व्यय की गई राशि (लाख में.)
1	आरसीएच (आरआई, आईपीपीआई, एनआईडीडीसीपी सहित)		**119.51**
	3	जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)	56.64
	4	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) (परिवहन को छोड़कर)	8.84
	6	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)	0.53
	10	व्यापक गर्भपात देखभाल	1.20
	21	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)	18.81
	22	जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) सहित सुविधा स्तर पर आरबीएसके	0.53
	24	सुविधा आधारित नवजात देखभाल	0.87
	32	मिशन इंद्रधनुष सहित टीकाकरण	7.91
	42	नसबंदी - महिला	5.08
	43	नसबंदी - पुरुष	1.41
	44	आईयूसीडी निवेशन (पीपीआईयूसीडी और पीएआईयूसीडी)	1.55
	54	पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी)	16.15
2	एनडीसीपी	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनडीसीपी)	**25.30**
	64	मलेरिया	6.93
	69	मामले का पता लगाना और प्रबंधन	9.94
	74	निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई)	8.43
3	एनसीडी	गैर-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीडी)	**0.92**
	87	सुविधाओं के माध्यम से मोतियाबिंद सर्जरी	0.82
	106	तम्बाकू समाप्ति	0.10
4	एचएसएस(यू)	स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण (एचएसएस) - शहरी	**0.00**
5	एचएसएस(आर)	स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण (एचएसएस) - ग्रामीण	**962.35**
	183	राज्य विशिष्ट कार्यक्रम हस्तक्षेप और नवाचार (ओआई-एचएसएस)	1.17
	185	सभी एनएचएम एचआर-एसडी के लिए पारिश्रमिक	674.37
	186	प्रोत्साहन (भत्ता, प्रोत्साहन, कर्मचारी कल्याण निधि)	121.04
	187	सीएचओ के लिए पारिश्रमिक	46.84
	188	सीपीएचसी के तहत प्रोत्साहन	62.84
	194	योजना एवं कार्यक्रम प्रबंधन	7.75
	195	स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस)	0.39
	199	अनटाइड फंड	47.96
योग			**1108.09**

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

उप संचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - बैंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 510) की जानकारी

प्रपत्र

क्रं.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल प्राप्त अवेदन	मार्च 2024 की स्थिति में पात्र	पात्र हितग्राहियों को 26.11.2024 तक भुगतान की गयी राशि
1	मुंगेली	लोरमी	83094	82624	669880050
2	मुंगेली	मुंगेली	77157	76888	636229100
3	मुंगेली	पथरिया	54900	54691	445613700
कुल योग			**215151**	**214203**	**1751722850**

पारिशेष्ट - तिरसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 518) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में व्यवसाय कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से संबंधित जानकारी

क्रमांक	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम	संचालित व्यवसाय	सीट्स संख्या	प्रवेशित छात्रों की संख्या	प्रवेशित छात्रों को कम्प्यूटर की सुविधा प्रदान की जा रही है।	उपलब्ध कम्प्यूटर की संख्या	कितने कम्प्यूटर कब से खराब है
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खैरागढ़	कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	24	22	जी हाँ	07 नग	03 नग (सितम्बर, 2024 से खराब है)
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, छुईखदान	कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	48	47	जी हाँ	08 नग	05 नग (सितम्बर, 2024 से खराब है)

10/12/2024
अनुभाग अधिकारी
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र-व

प्रश्नांश (क) अतंर्गत जिलों में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2023-24 व 2024-25 में दिनांक 25/11/24 तक आबंटित राशि की वर्षवार, मदवार एवं खर्च की जानकारी

क्रमांक	संस्था का नाम	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25 (25.11.2024 तक)	
			आबंटित राशि	व्यय राशि	आबंटित राशि	व्यय राशि
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खैरागढ़	01-वेतन एवं भत्ते	564000.00	712640.00	1099000.00	773982.00
		02- मजदूरी	30000.00	22100.00	20000.00	13500.00
		03-यात्रा भत्ता	20000.00	19370.00	30000.00	16203.00
		04 कार्यालय व्यय	60000.00	40704.00	28000.00	9454.00
		05 प्रशिक्षण पर व्यय	00	00	00	00
		07-कार्यभारित-आकस्मिकता स्थापना	00	00	00	00
		10-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियॉं	640000.00	434895.00	400000.00	200130.00
		11-छात्रवृत्ति एवं वृत्तियॉं	10000.00	8094.00	10000.00	5367.00
		24-अनुरक्षण कार्य	00	00	00	00
		25-सामग्री एवं पूर्तियॉं	40000.00	30674.00	30000.00	2950.00

10/12/2024
अनुभाग अधिकारी
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, अटल नगर (छ.ग.)

		27- लघु निर्माण कार्य	00	00	00	00
		28-मशीन और उपकरण	00	00	00	00
		33-औजार एवं संयंत्र	00	00	00	00
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था छुईखदान	01-वेतन एवं भत्ते	1705000.00	1530443.00	1775000.00	2091472.00
		02- मजदूरी	60000.00	50700.00	40000.00	26000.00
		03-यात्रा भत्ता	22000.00	21940.00	50000.00	20995.00
		04 कार्यालय व्यय	342000.00	214032.00	252000.00	128008.00
		05 प्रशिक्षण पर व्यय	00	00	00	00
		07- कार्यभारित–आकस्मिकता स्थापना	00	00	00	00
		10- व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियॉं	1910000.00	1378550.00	800000.00	556310.00
		11-छात्रवृत्ति एवं वृत्तियॉं	40000.00	37078.00	36000.00	00
		24-अनुरक्षण कार्य	00	00	00	00
		25-सामग्री एवं पूर्तियॉं	50000.00	49367.00	30000.00	27420.00

10/12/2024

अनुभाग अधिकारी
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, अटल नगर (छ.ग.)

		27- लघु निर्माण कार्य	236000.00	236000.00	00	00
		28-मशीन और उपकरण	00	00	00	00
		33-औजार एवं संयंत्र	10000.00	9700.00	00	00

10/12/2024
अनुभाग अधिकारी
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, अटल नगर (छ.ग.)

परिशिष्ट - चौंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 522) की जानकारी

प्रपत्र–"अ"

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत जिला रायगढ में स्वीकृत/पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ आवासो की जानकारी :–

क्र.	विकासखण्ड का नाम	निकाय का नाम	स्वीकृत आवास	पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास	अप्रांरभ आवास
1	2	3	4	5	6	7
1	रायगढ़	रायगढ़	3889	3114	721	54
		किरोड़ीमलनगर	800	679	62	59
2	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	1775	1417	278	80
3	घरघोड़ा	घरघोड़ा	954	753	139	62
4	लैलूंगा	लैलूंगा	1126	858	256	12
5	पुसौर	पुसौर	865	630	209	26
6	खरसिया	खरसिया	1660	1398	131	131
कुलयोग–			11069	8849	1796	424

अनुभाग अधिकारी
संचालनालय
विकास विभाग
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, नया रायपुर

उप महाप्रबंधक–तकनीकी
सह अधीक्षण अभियंता
राज्य शहरी विकास अभिकरण
नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र–ब

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

क्रं.	जनपद पंचायत	स्वीकृत आवास	पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास	अप्रारंभ
1	धरमजयगढ़	23429	13548	1613	8268
2	घरघोड़ा	7181	4690	1836	655
3	खरसिया	14727	9216	3392	2119
4	लैलूंगा	11604	4515	5714	1375
5	पुसौर	15608	10489	3747	1372
6	रायगढ़	14530	8795	4003	1732
7	तमनार	6890	4189	930	1771
कुल		**93969**	**55442**	**21235**	**17292**

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन)

क्रं.	जनपद पंचायत	स्वीकृत आवास	पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास	अप्रारंभ
1	धरमजयगढ़	100	14	75	11
2	घरघोड़ा	3	2	1	0
3	लैलूंगा	28	15	12	1
4	तमनार	11	6	5	0
कुल		**142**	**37**	**93**	**12**

(चन्द्रप्रकाश पात्रे)
उपायुक्त
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–अ

परियोजना मण्डल बिलासपुर अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जनवरी 2023 से 26 नवम्बर 2024 तक स्वीकृत कार्यो में केन्द्र सरकार से उपलब्ध राशि, पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ की जानकारी

(राशि रू. लाख में)

क्र.	स्वीकृत वर्ष	जिले का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	अप्रारंभ कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना							
1	2022–23 (01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023)	बिलासपुर	— निरंक —				
2	2023–24	बिलासपुर	20	6081.19	0	20	0
3	2024–25 (26 नवम्बर 2024 तक)	बिलासपुर	12	3058.06	0	0	0
योग			**32**	**9139.25**	**0**	**20**	**0**
1	2022–23 (01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023)	मुंगेली	— निरंक —				
2	2023–24	मुंगेली	2	206.68	0	2	0
3	2024–25 (26 नवम्बर 2024 तक)	मुंगेली	— निरंक —				
योग			**2**	**206.68**	**0**	**2**	**0**

क्र.	स्वीकृत वर्ष	जिले का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	अप्रारंभ कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2023–24 (पीएम–जनमन Batch-II)	कोरबा	22	9032.26	&	17	5
2	2024–25 (पीएम–जनमन Batch-II)	कोरबा	14	2667.42	&	&	&
योग			**36**	**11699.68**	**0**	**17**	**5**
1	2022–23 (01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023)	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	**–निरंक–**				
2	2023–24	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	7	1487.46	0	7	0
3	2024–25 (26 नवम्बर 2024 तक)	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	8	1015.32	0	0	8
योग			**15**	**2502.78**	**0**	**7**	**8**
1	2022–23 (01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023)	रायगढ़	-	-	-	-	-
2	2023–24	रायगढ़	5	509.99	-	5	-
3	2024–25 (26 नवम्बर 2024 तक)	रायगढ़	7	533.93	-	-	-
योग			**12**	**1043.92**		**5**	**0**

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

Superintendent

क्र.	स्वीकृत वर्ष	जिले का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	अप्रारंभ कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2022–23 (01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023)	सारंगढ़–बिलाईगढ़	——— निरंक ———				
2	2023–24	सारंगढ़–बिलाईगढ़					
3	2024–25 (26 नवम्बर 2024 तक)	सारंगढ़–बिलाईगढ़					
1	2022–23 (01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023)	जांजगीर चांपा	——— निरंक ———				
2	2023–24	जांजगीर चांपा					
3	2024–25 (26 नवम्बर 2024 तक)	जांजगीर चांपा					
1	2022–23 (01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023)	सक्ती	——— निरंक ———				
2	2023–24	सक्ती					
3	2024–25 (26 नवम्बर 2024 तक)	सक्ती					
महायोग			**97**	**24592**	**0**	**51**	**13**

Superi...

...प्रशासन एवं पंचायत विभाग
...कार्य संचालनालय तथा उपचार

क्र.	स्वीकृत वर्ष	जिले का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	अप्रारंभ कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना							
1	2022-23 (01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023)	———— निरंक ————					
2	2023-24 (01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024)	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	1	574.28	0	1	0
		रायगढ़	3	655.87	3	0	0
3	2024-25 (01 अप्रैल 2024 से 26 नवम्बर 2024 तक)	रायगढ़	11	1338.63	0	0	11
		सारंगढ़–बिलाईगढ़	1	126.36	0	0	1
योग			**16**	**2695.14**	**3**	**1**	**12**

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र–ब

बिलासपुर संभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जनवरी 2023 से 26 नवम्बर 2024 तक स्वीकृत सड़कों में समय–सीमा में पूर्ण नही हुये कार्यो की सड़कवार, फर्मवार, समय–सीमावार, विलंब अवधिवार, राशिवार, जिलेवार जानकारी

(राशि लाख रू. में)

स.क्र.	जिला का नाम	स्वीकृत वर्ष	सड़क का नाम	कुल स्वीकृत राशि	केन्द्र सरकार से उपलब्ध		अनुबंधित फर्म का नाम	अनुबंध की राशि (निर्माण)	अनुबंधानुसार निर्धारित पूर्णता तिथि	कार्य की अद्यतन भौतिक स्थिति	वास्तविक पूर्णता तिथि	समय–सीमा बढ़ाने वाले अधिकारी	विलंब के कुल दिवस	समय–सीमा बढ़ाने का आधार/ कारण
					राशि	प्रतिशत								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	2023-24	साल्हेघोरी से जामकछार सड़क निर्माण	574.28	-	-	ग्लोबल कंस्ट्रक्शन	559.36	20.10.2024	कार्य प्रगति पर 2.10 कि.मी. में बी.टी. एवं सी.सी. कार्य पूर्ण	-	-	-	-
1			**योग** -	**574.28**				**559.36**						

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

Superintendent
Raipur

परिशिष्ट - छैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 531) की जानकारी

iii=

//शासकीय व अशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का संचालन वर्ष, इनमें विगत 2 वर्षों में एम.बी.बी.एस. सीटों की स्वीकृति वर्ष व विद्यार्थियों की प्रवेशित संख्या एवं निर्धारित संख्या से प्रवेश कम होने के कारण की महाविद्यालयवार जानकारी//

क्र.	नाम	संचालन वर्ष	प्रवेश वर्ष 2023		प्रवेश वर्ष 2024		निर्धारित सीट संख्या से विद्यार्थियों का प्रवेश कम होने का कारण
			कुल सीट	प्रवेशित सीट	कुल सीट	प्रवेशित सीट	
1	पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	1963	230	230	230	230	
2	छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स, बिलासपुर	2003	180	180	150	150	
3	स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर	2006	125	125	125	125	
4	स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़	2013	100	100	125	125	
5	भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव	2014	125	125	100	100	
6	राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, अम्बिकापुर	2016	125	124	125	125	प्रवेश वर्ष 2023 में सरल कमांक 06 राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, अम्बिकापुर में ऑल इण्डिया कोटे से पाठ्यकम में प्रवेश हेतु छात्र/छात्रा आबंटित नहीं होने के कारण निर्धारित संख्या से 01 सीट पर प्रवेश नहीं हुआ है।
7	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कांकेर	2021	125	125	125	125	
8	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कोरबा	2022	125	125	125	125	
9	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, महासमुन्द	2022	125	125	125	125	
10	चंदुलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग	2022	200	200	200	200	
11	रायपुर इस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस, रायपुर	2016	150	150	150	150	
12	श्री शंकराचार्य इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस, भिलाई	2016	150	150	150	150	
13	श्री बालाजी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस, रायपुर	2021	150	150	150	150	
14	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस एण्ड रिसर्च, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर	2024	–	–	150	150	
15	अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च, जुनवानी, भिलाई	2024	–	–	100	100	

अनुभाग अधिकारी
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - सड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 564) की जानकारी

प्रपत्र–अ

जिला चिकित्सालय धमतरी को केन्द्र राज्य योजनाओं में आबंटन राशि/कार्य का नाम एवं व्यय का विवरण।

योजना	आबंटित राशि	मद/सामाग्री/कार्य/योजना का नाम	कार्य/सामाग्री का नाम जिसमें खर्च किया गया।
केन्द्रीय योजना	10,00,000.00	एस.एन.सी.यू.ऑपरेशनल कॉस्ट	एस.एन.सी.यू.ऑपरेशनल कॉस्ट
	08,00,000.00	डिस्ट्रीक्ट मेन्टल हेल्थ प्लान	डिस्ट्रीक्ट मेन्टल हेल्थ प्लान
	09,96,000.00	एस.एन.सी.यू.ऑपरेशनल कॉस्ट	एस.एन.सी.यू.ऑपरेशनल कॉस्ट
	04,70,000.00	डिस्ट्रीक्ट मेन्टल हेल्थ प्लान	डिस्ट्रीक्ट मेन्टल हेल्थ प्लान
राज्य योजना	75,12,000.00	दवाई	दवाई
	41,00,000.00	चिकित्सकीय उपकरण	चिकित्सकीय उपकरण
	61,94,000.00	भण्डार तथा कच्चा माल	भण्डार तथा कच्चा माल

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

उपसंचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रपत्र ''ब''

साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति में निम्नानुसार पदाधिकारी है :–

जिला स्तरीय अस्पताल	
साधारण सभा	**कार्यकारिणी समिति**
संरक्षक :– स्थानीय सांसद 01. जिला के प्रभारी मंत्री – अध्यक्ष 02. जिला पंचायत अध्यक्ष – उपाध्यक्ष 03. जिला कलेक्टर – सदस्य सचिव **सदस्य** – महापौर/नगरपालिक अध्यक्ष – जिला पंचायत के स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष – पुलिस अधीक्षक – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक – जिला आयुर्वेद अधिकारी – समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनित एक विधायक – अध्यक्ष स्वास्थ्य समिति नगर निगम/नगरपालिका – चिकित्सालय के विभिन्न विभागों के अधिकतम तीन वरिष्ठ चिकित्सक सदस्य (जिला कलेक्टर द्वारा मनोनित) – आयुक्त, नगर निगम/नगरपालिका – मुख्य कार्यपालन यंत्री, जिला पंचायत – कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग – संभागीय यंत्री छ.ग. विद्युत मंडल – कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी – सचिव, रेडक्रास सोसायटी – अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल ऐसोसियेषन – जीवनदीप समिति के आजीवन सदस्य :– जो दानदाता 5 लाख या अधिक दान देंगे (भौतिक रुप से या नगद) **जीवनदीप समिति के वार्षिक सदस्य :–** जो दानदाता 50 हजार रुपये या अधिक दान देंगे (भौतिक रुप से या नगद) **वरिष्ठ समाजसेवी/एन.जी.ओ./प्रतिष्ठित संस्थाएं/क्लब (प्रभारी मंत्री द्वारा मनोनित 07 सदस्यों का नाम)**	01. कलेक्टर – अध्यक्ष 02. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत – उपाध्यक्ष **सदस्य** – आयुक्त नगर निगम/नगर पालिका – कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग – कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी – कार्यपालन यंत्री छ.ग. राज्य विद्युत मंडल – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – साधारण सभा द्वारा मनोनीत दानदाताओं/समाज सेवियों सदस्य में से अधिकतम 03 सदस्य – सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक – जिला कार्यक्रम प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन – जिला चिकित्सालय प्रबंधक/सलाहकार – मेट्रन जिला चिकित्सालय

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

उपसंचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रपत्र "स"

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	पारिश्रमिक	कार्य अवधि	रिमार्क
1	श्री खेमलाल ध्रुव	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	12850.00	21.05.2009	निरंतर कार्यरत
2	श्रीमती गीता साहू	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	12850.00	16.03.2011	
3	श्री जीवनलाल साहू	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	12590.00	16.08.2013	
4	श्री राहुल रजक	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	12590.00	01.02.2012	
5	श्री कुन्जमनोहर छाटा	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	12850.00	01.08.2023	
6	श्री दुष्यंत करियाम	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	12590.00	06.07.2018	
7	श्री इमरान कुरैषी	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	12850.00	01.05.2016	
8	श्री विजय डोंगरे	इलेक्ट्रीशियन	12070.00	01.11.2011	
9	श्री संतोष सोनी	वार्ड ब्वाय	10640.00	06.12.2007	
10	श्री हितेश भान्डगे	वार्ड ब्वाय	10640.00	01.04.2011	
11	श्री प्रेमचंद साहू	वार्ड ब्वाय	10640.00	04.10.2010	
12	श्री टाईगर साहू	वार्ड ब्वाय	10380.00	06.02.2019	
13	श्री दुर्गेष सिन्हा	वार्ड ब्वाय	10380.00	05.02.2019	
14	श्री जयप्रकाश छाटा	धोबी	10640.00	23.12.2011	
15	श्री राकेश छाटा	धोबी	10640.00	22.06.2013	
16	कु. नेहा साहू	ड्रेसर	10380.00	01.08.2023	
17	श्री अनीरुद्व साहू	वार्ड ब्वाय	10640.00	20.04.2021	
18	श्री कोमल नाग	वार्ड ब्वाय	10640.00	20.04.2021	
19	श्री प्रवीण पटेल	वार्ड ब्वाय	10640.00	20.04.2021	
20	श्री महेन्द्र कुमार देवांगन	वार्ड ब्वाय	10640.00	20.04.2021	
21	श्री किशोर साहू	चतुर्थ श्रेणी	10380.00	01.08.2023	

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	पारिश्रमिक	कार्य अवधि	रिमार्क
22	श्री अगस्त कुमार कामड़े	वाहन चालक	11290.00	01.08.2023	निरंतर कार्यरत
23	श्रीमती कामिनी चौरे	स्वीपर	10380.00	01.08.2023	
24	श्री चन्दन राम साहू	स्वीपर	10380.00	01.08.2023	
25	श्रीमती बेला सोनवानी	स्वीपर	10380.00	01.08.2023	
26	श्री गोविन्द छाटा	इलेक्टीशियन सहायक	11290.00	01.08.2023	
27	श्री राहुल इलमकर	वाटर मैन	7000.00	01.04.2019	
28	श्री प्रदीप कुमार साहू	वाटर मैन	7000.00	04.04.2018	
29	श्री मोहन कुमार महरोलिया	स्वीपर	10640.00	18.07.2017	
30	श्रीमती रामेश्वरी यादव	वार्ड आया	10640.00	01.08.2023	
31	श्री लालूराम	स्वीपर	8000.00	31.12.2021	
32	श्री भोजराज जैन	रेडियोग्राफर	11790.00	03.09.2024	

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर

उपसंचालक (वि.स.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रपत्र "अ"

जिला जांजगीर के थानावार वर्षवार दर्ज अपराधिक प्रकरणों की जानकारी

अवधि 01 दिसम्बर 2023 से दिनांक 26.11.2024 तक

क्र.	अपराध शीर्ष	थाना का नाम											
		जांजगीर	अकलतरा	बलौदा	चांपा	नवागढ	शिवरी नारायण	पामगढ	सारागांव	मुलमुला	बिर्रा	अजाक	बम्हनीडीह
1	हत्या	2	1	6	4	2	3	1	2	4	0	0	1
2	चोरी	65	22	40	41	32	44	21	7	15	7	0	4
3	बलात्कार	21	21	11	14	13	19	10	5	2	3	0	3
4	नशीली दवाई	4	0	1	5	0	1	0	1	0	0	0	0
5	सड़क दुर्घटना	79	73	63	47	25	33	63	23	28	16	0	13
6	डकैती	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	जुआ-सट्टा	28	20	10	16	30	18	15	12	9	18	0	6
8	ठगी	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	अवैध शराब	241	139	89	189	161	148	154	54	78	49	0	16
10	मानव तस्करी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	गुम इंसान	125	129	70	86	81	109	122	35	64	16	0	23
12	धोखाधड़ी	16	3	2	9	4	2	4	0	0	1	1	2
13	रिश्वतखोरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	सूदखोरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	मारपीट	320	188	118	151	155	188	219	80	179	33	3	31
16	गबन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	भ्रष्टाचार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	अपहरण	32	24	16	10	18	16	32	6	22	6	0	3
19	साय. अपराध	12	0	1	4	0	5	2	0	0	0	0	0
20	अन्य अपराधिक प्रकरण	171	127	93	66	74	32	50	37	55	36	2	30
कुल योग		1116	747	520	644	595	618	693	262	456	185	6	132

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र "ब"

अकलतरा नगर क्षेत्र अंतर्गत थाना अकलतरा में घटित घटनाओं/प्रकरणों की जानकारी

अवधि 01 दिसम्बर 2023 से दिनांक 26.11.2024 तक		
क्र0	अपराध शीर्ष	रिपोर्ट
1	हत्या	1
2	चोरी	22
3	बलात्कार	21
4	नशीली दवाई	0
5	सड़क दुर्घटना	73
6	डकैती	0
7	जुआ-सट्टा	20
8	ठगी	0
9	अवैध शराब	139
10	मानव तस्करी	0
11	गुम इंसान	129
12	धोखाधड़ी	3
13	रिश्वतखोरी	0
14	सूदखोरी	0
15	मारपीट	188
16	गबन	0
17	भ्रष्टाचार	0
18	अपहरण	24
19	सायबर अपराध	0
20	अन्य अपराधिक प्रकरण	127
कुल योग		747

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र "स"

अवधि 01 दिसम्बर 2023 से दिनांक 26.11.2024 तक

क्रमांक	थाना का नाम	दर्ज अपराध	गिरफ्तारी आरोपी	आरोपी जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है
1	जांजगीर	991	1323	41
2	अकलतरा	618	792	124
3	बलौदा	450	637	0
4	चांपा	558	665	18
5	नवागढ़	514	898	12
6	शिव. नारायण	509	802	12
7	पामगढ	571	845	14
8	सारागांव	227	342	8
9	मुलमुला	392	597	10
10	बिर्रा	169	261	0
11	अजाक	6	19	1
12	बम्हनीडीह	109	154	2
कुल योग		**5114**	**7335**	**242**

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र ''द''

अवधि 01 दिसम्बर 2023 से दिनांक 26.11.2024 तक

अकलतरा नगर क्षेत्र अंतर्गत घटित घटनाओं/प्रकरणों की थानावार जानकारी

क्रमांक	थाना का नाम	दर्ज अपराध	गिरफ्तारी आरोपी	आरोपी जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है
1	अकलतरा	618	792	124

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशिष्ट - उनहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 571) की जानकारी

प्रपत्र

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथ.स्वा. केन्द्रों में वर्षवार कराये गये प्रसव की जानकारी

क्रं.	संस्था का नाम	वर्ष 2022–23		वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25 दिनांक 26.11.2024 तक	
		सामान्य	सी–सेक्शन	सामान्य	सी–सेक्शन	सामान्य	सी–सेक्शन
1	सामु.स्वा.केन्द्र अकलतरा	662	19	565	117	379	101
2	प्राथ.स्वा.केन्द्र दल्हापोड़ी	145	0	150	0	88	0
3	प्राथ.स्वा.केन्द्र कापन	70	0	71	0	43	0
4	प्राथ.स्वा.केन्द्र कोटमी सोनार	128	0	127	0	92	0
5	प्राथ.सवा.केन्द्र नरियरा	243	0	227	0	103	0
6	प्राथ.स्वा.केन्द्र तिलई	56	0	55	0	42	0
7	सामु.स्वा.केन्द्र बलौदा	318	0	270	0	155	0
8	प्राथ.स्वा.केन्द्र गतवा	162	0	106	0	60	0
9	प्राथ.स्वा.केन्द्र जर्वे ब	91	0	64	0	42	0
10	प्राथ.स्वा.केन्द्र पहरिया	84	0	81	0	42	0
11	प्राथ.स्वा.केन्द्र पंतोरा	98	0	92	0	71	0

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

उपसंचालक (विधानसभा)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - सत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 579) की जानकारी

प्रपत्र

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

क्र.	जिला	स्वीकृत आवास	पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास	अप्रारंभ आवास	अपूर्ण स्थिति में बंद
2022-23						
1	बस्तर	1416	1201	215	5	
2	बीजापुर	1200	703	497	5	
3	दंतेवाड़ा	1379	1015	364	0	
4	कांकेर	3630	2591	1039	17	
5	कोण्डागांव	2348	1441	907	5	
6	नारायण्पुर	884	135	749	8	
7	सुकमा	671	513	158	18	
योग		**11528**	**7599**	**3929**	**58**	
2023-24						
लक्ष्य अप्राप्त						
2024-25						
1	बस्तर	12862	27	12835	1267	0
2	बीजापुर	4742	3	4739	721	0
3	दंतेवाड़ा	7682	7	7675	1069	0
4	कांकेर	24674	2	24672	1704	0
5	कोण्डागांव	18298	6	18292	1858	0
6	नारायण्पुर	3713	0	3713	468	0
7	सुकमा	6979	7	6972	992	0
योग		**78950**	**52**	**78898**	**8079**	**0**

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन)

क्र.	जिला	स्वीकृत आवास	पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास	अप्रारंभ आवास	अपूर्ण स्थिति में बंद आवास
2023-24						
1	कांकेर	18	13	5	0	0
2	कोण्डागांव	3	1	2	0	0
3	नारायण्पुर	97	0	97		0
योग		118	14	104	0	0

टीप :– वर्ष 2022–23 में प्रधानमत्री जनमन योजना अप्रारंभ थी तथा वर्ष 2023–24 में लक्ष्य अप्राप्त है।

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

(चन्द्रप्रकाश पात्रे)
उपायुक्त
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

पॉरिशेष्ट - इकहत्तर

अतारांकेत प्रश्न संख्या 46 (क्र. 584) की जानकारी

प्रपत्र

जिला सुकमा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

क्रं.	भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	भवन का प्रकार- शासकीय/ अशासकीय	आंगनबाड़ी कहॉ संचालित है	भवन मालिक का नाम एवं पता
1	2	3	4	5
1	श्रीनगर	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती सकुंतला ठाकुर, श्रीनगर
2	कोयलाभट्टी	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती बसन्ती, कोयलाभट्टी
3	रावपारा	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती पाले, रावपारा
4	बोरापारा	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती देवकी मड़कम, बोरापारा
5	बेरगोंदी	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती राधिका मड़कामी, बेरगोंदी
6	गोडेरास	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती मासे माड़वी, गोडेरास
7	पेदापारा	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती सुसीला चिन्नम, पेदापारा
8	लेण्डीपारा	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती राजमणी कोड़ी, लेण्डीपारा
9	पुजारीपारा	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती राधामणी, पुजारीपारा
10	पेरमापारा	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती बोदा, पेरमापारा
11	तोंगरास	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती बुधरी मड़कामी, तोंगरास
12	मरकापारा	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती पोड़ियामी एर्रे, मरकापारा
13	मस्जिदपारा	शासकीय	अन्य शासकीय भवन में	-
14	मारवाड़ीपारा	शासकीय	अन्य शासकीय भवन में	-
15	कुम्हाररास 02	शासकीय	अन्य शासकीय भवन में	-
16	पडवारास	शासकीय	अन्य शासकीय भवन में	-
17	नागारास	शासकीय	अन्य शासकीय भवन में	-
18	कंगोड़ीपारा	शासकीय	सामुदायिक भवन में	-
19	हड़मापारा	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती पायके, हड़मापारा
20	बैटटीपारा	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती सुकमती, बैटटीपारा
21	बण्ड़ीपारा	अशासकीय	किराये के भवन में	श्री हड़मा, बण्ड़ीपारा
22	धनीकोड़ता	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती दुल्ले, धनीकोड़ता
23	हिकमीरास	अशासकीय	किराये के भवन में	श्री लच्छूराम, हिकमीरास
24	टोटेरपारा	अशासकीय	किराये के भवन में	श्री सहादेव, टोटेरपारा
25	सुरभीरास	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती बालमती, सुरभीरास
26	ईरपा	अशासकीय	किराये के भवन में	श्री सुकड़ाराम, ईरपा
27	पैसेलपारा	अशासकीय	किराये के भवन में	श्री मुड़ाराम, पैसेलपारा
28	गोरली पाईकपारा	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती पुनई, गोरली पाईकपारा
29	अन्दुमपाल	अशासकीय	किराये के भवन में	श्री दीपक, अन्दुमपाल
30	काप्पेगोन्दी	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती मासे, काप्पेगोन्दी
31	खासडब्बा	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती बुधरी, खासडब्बा
32	कोलेग डब्बा	अशासकीय	किराये के भवन में	श्रीमती मंगली, कोलेग डब्बा
33	अधिकारीरास 02	शासकीय	अन्य शा0भवन में	-
34	पुजारीपारा	शासकीय	अन्य शा0भवन में	-
35	पाईकपारा	शासकीय	अन्य शा0भवन में	-
36	कुन्दनपाल 02	शासकीय	अन्य शा0भवन में	-
37	दुनामपारा	शासकीय	अन्य शा0भवन में	-
38	बिरसठपाल	शासकीय	अन्य शा0भवन में	-
39	मिचवार	शासकीय	अन्य शा0भवन में	-
40	स्कूल डब्बा	शासकीय	अन्य शा0भवन में	-
41	बकुलाघाट	शासकीय	सामुदायित भवन में	-

क्रं.	भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	भवन का प्रकार- शासकीय/ अशासकीय	आंगनबाड़ी कहॉ संचालित है	भवन मालिक का नाम एवं पता
42	लिटीरास	अशासकीय	किराये के भवन में	सुनिता, ठोठपारा लिटीरास
43	सगुनघाट	अशासकीय	किराये के भवन में	लता मरकाम, स्कूलपारा सगुनघाट
44	मारेंगा	अशासकीय	किराये के भवन में	बोदे नाग, पटेलपारा मारेंगा
45	चिडपाल	अशासकीय	किराये के भवन में	शान्ति, खासपारा चिडपाल
46	नयापारा बाड़नपाल	अशासकीय	किराये के भवन में	मोती, नयापारा बाड़नपाल
47	किकिरपाल	अशासकीय	किराये के भवन में	चमेली सेठिया, खासपारा किकिरपाल
48	मंझारपारा ओलेर	अशासकीय	किराये के भवन में	कमलवती, मंझारपारा ओलेर
49	मेखावाया	अशासकीय	किराये के भवन में	जोगी कवासी, खासपारा मेखावाया
50	कनकापाल लामीपारा 2	अशासकीय	किराये के भवन में	सोमडी, लामीपारा कनकापाल
51	कावराकोपा	शासकीय	अन्य शा0भवन में	-
52	कुमाकोलेंग 2	शासकीय	अन्य शा0भवन में	-
53	टांगररास खासपारा	शासकीय	सामुदायिक भवन में	-
54	दोरनापाल 6	अशासकीय	किराया के भवन	कृष्णा मनिकपुरी, दोरनापाल वार्ड क्र 13
55	दुब्बामरका	अशासकीय	किराया के भवन	मडकम मुत्ता, दुब्बामरका
56	सामसटटी 1	अशासकीय	किराया के भवन	करतम मंगा, खासपारा सामसटटी
57	सामसटटी 2	अशासकीय	किराया के भवन	छोटू नेताम, पटेलपारा सामसटटी
58	परिया 02	अशासकीय	किराया के भवन	मडकम मासा, पुजारीपारा परिया
59	चिचोरगुड़ा	अशासकीय	किराया के भवन	मिडियम सिंगा, चिचोरगुड़ा स्कूलपारा
60	पालामड़गु 2	अशासकीय	किराया के भवन	पोडियम मुडा, पालामड़गु स्कूलपारा
61	गोरगुण्डा 3	अशासकीय	किराया के भवन	पुनेम सिंगा, रेगापारा गोरगुण्डा
62	चिकपल्ली	अशासकीय	किराया के भवन	मुचाकी कोसा, चिकपल्ली
63	इत्तागुड़ा	अशासकीय	किराया के भवन	कुंजाम बुधरी, इत्तागुड़ा
64	बारमलोर	अशासकीय	किराया के भवन	देवा, बारमलोर
65	चिन्तागुफा 1	अशासकीय	किराया के भवन	कलमू शेटीया, चिन्तागुफा बाजापारा
66	तेमेलवाड़ा 1	अशासकीय	किराया के भवन	रेबट ठाकुर, तेमेलवाड़ा स्कूलपारा
67	पिड़मेल 1	अशासकीय	किराया के भवन	कु0लक्ष्मी, पुरानापार पिड़मेल
68	पिड़मेल 2	अशासकीय	किराया के भवन	माडवी बोला, नयापारा पिड़मेल
69	मिनपा 2	अशासकीय	किराया के भवन	पोडियम सुक्का, स्कूलपारा मिनपा
70	ताड़मेटला 1	अशासकीय	किराया के भवन	माडवी हिडमा, पटेलपारा ताड़मेटला
71	ताड़मेटला 3	अशासकीय	किराया के भवन	गौंचे देवा, पुजारीपारा ताड़मेटला
72	दुलेड 03	अशासकीय	किराया के भवन	पोडियम ताती, कहेर दुलेड
73	लखापाल 1	अशासकीय	किराया के भवन	लक्ष्मी रेडडी, मुयापारा लखापाल
74	लखापाल 2	अशासकीय	किराया के भवन	माडवी बुधरा, स्कूलपारा लखापाल
75	कोत्तागुड़ा 2	अशासकीय	किराया के भवन	सायरा, खासपारा कोत्तागुड़ा
76	पोलमपाड़	अशासकीय	किराया के भवन	सुक्का, टोटीपारा पोलमपाड़
77	कोत्तापल्ली 2	अशासकीय	किराया के भवन	गंगी, पटेलपारा कोत्तापल्ली
78	मोरपल्ली 1	अशासकीय	किराया के भवन	लच्छा, स्कूलपारा मोरपल्ली
79	मोरपल्ली 2	अशासकीय	किराया के भवन	रवा देवा, पुजारीपारा मोरपल्ली

क्रं.	भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	भवन का प्रकार- शासकीय/ अशासकीय	आंगनबाड़ी कहॉ संचालित है	भवन मालिक का नाम एवं पता
80	जाबागटटा 1	अशासकीय	किराया के भवन	लक्ष्मण, रेगापारा जाबागटटा
81	जाबागटटा 2	अशासकीय	किराया के भवन	मुचाकी हूंगा, दूडवापारा जाबागटटा
82	चिन्नाबोडकेल	अशासकीय	किराया के भवन	हरी, चिन्नाबोडकेल
83	गटटापाड़	अशासकीय	किराया के भवन	सूरेश, गटटापाड़
84	तिम्मापूरम 1	अशासकीय	किराया के भवन	नन्दा, स्कूलपारा तिम्मापूरम
85	तिम्मापूरम 2	अशासकीय	किराया के भवन	भमलाल, पटेलपारा तिम्मापूरम
86	बडेगानगूलाव	अशासकीय	किराया के भवन	हेमला जोगा, बडेगानगूलाव
87	जगरगूण्ड़ा 3	अशासकीय	किराया के भवन	रामनाथ, आश्रमपारा जगरगूण्ड़ा
88	जगरगुण्ड़ा 4	अशासकीय	किराया के भवन	मुचाकी जोगा, कामापारा जगरगुण्ड़ा
89	तारलागुड़ा	अशासकीय	किराया के भवन	सुण्डम जोगा, स्कूलपारा तारलागुड़ा
90	कोड़मेर	अशासकीय	किराया के भवन	कूंजाम हर्रे, पटेलपारा कोड़मेर
91	कोण्ड़ासांवली 1	अशासकीय	किराया के भवन	माडवी हितेश, स्कूलपारा कोण्ड़ासांवली
92	कोण्ड़ासांवली 2	अशासकीय	किराया के भवन	दूला, कर्रेपारा कोण्ड़ासांवली
93	विक्रमपल्ली	अशासकीय	किराया के भवन	मुचाकी आयतू, विक्रमपल्ली
94	ऐलमपल्ली 1	अशासकीय	किराया के भवन	अर्जून, नदीपारा ऐलमपल्ली
95	ऐलमपल्ली 2	अशासकीय	किराया के भवन	हेमला देवे, स्कूलपारा ऐलमपल्ली
96	कमारगूड़ा	अशासकीय	किराया के भवन	रीता पोंदी, स्कूलपारा कमारगूड़ा
97	चिमलीलावा 1	अशासकीय	किराया के भवन	मुचाकी भीमा, स्कूलपारा चिमलीलावा
98	चिमलीलावा 2	अशासकीय	किराया के भवन	कवासी नन्दा, किसकेपारा चिमलीलावा
99	बंजेपल्ली 01	अशासकीय	किराया के भवन	सोडी गंगा, स्कूलपारा बंजेपल्ली
100	बंजेपल्ली 02	अशासकीय	किराया के भवन	सोडी गंगा, सिंगापारा बंजेपल्ली
101	अचकट 2	अशासकीय	किराया के भवन	सोडी सूक्का, गोलागूड़ा
102	गूमोडी	अशासकीय	किराया के भवन	दूर्वा बारसे, पटेलपारा गूमोडी
103	दूरमा	अशासकीय	किराया के भवन	अनिल, करकोपारा दूरमा
104	चिमलीपेन्टा	अशासकीय	किराया के भवन	मडकम बुसा, स्कूलपारा चिमलीपेन्टा
105	दुरनदरभा 1	अशासकीय	किराया के भवन	मडकम आयती, पटेलपारा दुरनदरभा
106	दूरनदरभा 2	अशासकीय	किराया के भवन	हेमला हर्रा, कूसूमपारा दूरनदरभा
107	सुरपनगुड़ा 2	अशासकीय	किराया के भवन	पोटाम आयता, हिंगीपारा सुरपनगुड़ा
108	सिलगेर 2	अशासकीय	किराया के भवन	कोरसा आयतू, पटेलपारा सिलगेर
109	मिचीगूड़ा	अशासकीय	किराया के भवन	माडवी नन्दा, मिसीपारा मिचीगूड़ा
110	बेदरे 01	अशासकीय	किराया के भवन	उईका भीमा, रोड़पारा बेदरे
111	बेदरे 02	अशासकीय	किराया के भवन	हेमला मगलू, तामूपारा बेदरे
112	जावागण्डा	अशासकीय	किराया के भवन	मडकम लच्छा, पटेलपारा जावागण्डा
113	टेकलगूड़ा	अशासकीय	किराया के भवन	संतोष, स्कूलपारा टेकलगूड़ा
114	भीमापूरम	अशासकीय	किराया के भवन	मडकम मंगडू, भीमापूरम
115	पूवर्ती 1	अशासकीय	किराया के भवन	बोडके राम, पटेलपारा पूवर्ती
116	पूवर्ती 2	अशासकीय	किराया के भवन	हून्गो, बंडीपारा पूवर्ती
117	अलीगूड़ा	अशासकीय	किराया के भवन	नूप्पो भीमे, पटेलपारा अलीगूड़ा
118	तिम्मापुरम	अशासकीय	किराया के भवन	कोरसा मुके, स्कूलपारा तिम्मापुरम
119	तूमलपाड	अशासकीय	किराया के भवन	सोयम रमेश, पटेलपारा तूमलपाड

क्रं.	भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	भवन का प्रकार- शासकीय/ अशासकीय	आंगनबाड़ी कहॉ संचालित है	भवन मालिक का नाम एवं पता
120	उरसागंल 1	अशासकीय	किराया के भवन	मुचाकी भीमा, सरपंचपारा उरसागंल
121	गोंदपल्ली 1	अशासकीय	किराया के भवन	डेडी बोडडा, पटेलपारा गोंदपल्ली
122	गोंदपल्ली 2	अशासकीय	किराया के भवन	लेखमा गुटटो, सोडीपारा गोंदपल्ली
123	मण्ड़ीमरका 1	अशासकीय	किराया के भवन	लक्ष्माण पदाम, स्कूलपारा मण्ड़ीमरका
124	मण्ड़ीमरका 2	अशासकीय	किराया के भवन	लक्ष्माण पदाम, पदमपारा मण्ड़ीमरका
125	मण्डीमरका 3	अशासकीय	किराया के भवन	तेलाम पोदिया, कर्रेपारा मण्डीमरका
126	तोलेवर्ती 1	अशासकीय	किराया के भवन	मिडयम बुधरा, भीमेपारा तोलेवर्ती
127	तोलेवर्ती 2	अशासकीय	किराया के भवन	पदाम हंगा, पटेलपारा तोलेवर्ती
128	मिसीगुड़ा 1	अशासकीय	किराया के भवन	कुंजाम बुधरू, पटेलपारा मिसीगुड़ा
129	मिसीगुड़ा 2	अशासकीय	किराया के भवन	उईका जोगा, स्कूलपारा मिसीगुड़ा
130	पारलागटटा	अशासकीय	किराया के भवन	जोगा, स्कूलपारा पारलागटटा
131	चिमली 1	अशासकीय	किराया के भवन	माडवी देवा, सरपंचपारा चिमली
132	चिमली 2	अशासकीय	किराया के भवन	मडकम मुत्ता, पटेलपारा चिमली
133	बैनपल्ली	अशासकीय	किराया के भवन	मुचाकी मंड़ु, स्कूलपारा बैनपल्ली
134	कलाईगुडा	अशासकीय	किराया के भवन	कुंजाम भीमे, पटेलपारा कलाईगुडा
135	दोरनापाल 1	शासकीय	अन्य शासकीय भवन	-
136	दोरनापाल 8	शासकीय	अन्य शासकीय भवन	-
137	पिन्नाभेजी	शासकीय	अन्य शासकीय भवन	-
138	मिचीगुड़ा	शासकीय	अन्य शासकीय भवन	-
139	पुसवाडा 2	शासकीय	अन्य शासकीय भवन	-
140	मिनपा 1	शासकीय	अन्य शासकीय भवन	-
141	जगरगुण्ड़ा 1	शासकीय	अन्य शासकीय भवन	-
142	कोत्तागुड़ा	शासकीय	अन्य शासकीय भवन	-
143	सिलगेर 3	शासकीय	अन्य शासकीय भवन	-
144	कुन्देड़ 1	शासकीय	अन्य शासकीय भवन	-
145	सिंगाराम 02	शासकीय	अन्य शासकीय भवन	-
146	कोन्टा 2	अशासकीय	किराया के भवन	दुर्गा प्रसाद, कोल्लू पारा कोन्टा
147	कोन्टा 3	अशासकीय	किराया के भवन	बी0 सत्यावती, इंदरा आवास कोन्टा
148	कोन्टा 8	अशासकीय	किराया के भवन	पुनेम वीरी, पटेल पारा कोन्टा
149	कोन्टा 9	अशासकीय	किराया के भवन	श्रीमती सुभाषिनी, छ0ग0 पारा कोन्टा
150	कोन्टा 11	अशासकीय	किराया के भवन	एम0 निरोजा, अम्बेटकर पारा कोन्टा
151	कोन्टा 13	अशासकीय	किराया के भवन	जुबेरकाम, नाकापारा कोन्टा

क्रं.	भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	भवन का प्रकार- शासकीय/ अशासकीय	आंगनबाड़ी कहॉ संचालित है	भवन मालिक का नाम एवं पता
152	ढोढरा 2	अशासकीय	किराया के भवन	मौसम वैंकटराव, नया पटेल पारा ढोढरा
153	गेड़ापाड	अशासकीय	किराया के भवन	मडकम देवा, गेड़ापाड
154	नीला मड़गू 2	अशासकीय	किराया के भवन	मूचाकी गंगा, नीला मड़गू
155	पालेकिटटे	अशासकीय	किराया के भवन	तेलाम देवे, पालेकिटटे
156	बण्ड़ा 1	अशासकीय	किराया के भवन	पुल्ली बाजारी, बण्ड़ा
157	कन्हाईगुड़ा 1	अशासकीय	किराया के भवन	बाडसे सुरेश,कन्हाईगुड़ा
158	कन्हाईगुड़ा 2	अशासकीय	किराया के भवन	मूचाकी हिडमें, कन्हाईगुड़ा
159	उसके वाया	अशासकीय	किराया के भवन	सुमित्रा, उसके वाया
160	बटेरू स्कूलपारा	अशासकीय	किराया के भवन	मूचाकी जोगी, बटेरू स्कूलपारा
161	बटेरू	अशासकीय	किराया के भवन	कवासी जोगी, बटेरू
162	पाताभेजी	अशासकीय	किराया के भवन	कवासी देवे, पाताभेजी
163	भण्डारपादर 1	अशासकीय	किराया के भवन	बारसे जोगा, भण्डारपादर
164	भण्डारपादर 2	अशासकीय	किराया के भवन	लक्ष्मी, भण्डारपादर
165	चिन्तागुफा	अशासकीय	किराया के भवन	कट्टम सिना, चिन्तागुफा
166	मुकुडतोग	अशासकीय	किराया के भवन	देवमती बघेल, मुकुडतोग
167	रामनगर	अशासकीय	किराया के भवन	मडकम बुधरी, रामनगर
168	मैलासुर 1	अशासकीय	किराया के भवन	वेको देवा, मैलासुर
169	मैलासुर 2	अशासकीय	किराया के भवन	वेको हुंगा, मैलासुर
170	दन्तेश्पुरम 1	अशासकीय	किराया के भवन	मडकम बुधरा, दन्तेश्पुरम
171	दन्तेश्पुरम 2	अशासकीय	किराया के भवन	वेको नंदा, दन्तेश्पुरम
172	एतराजपाड़	अशासकीय	किराया के भवन	कलमू दिव्या, एतराजपाड़
173	कंगालतोंग 1	अशासकीय	किराया के भवन	वेट्टी गंगा, कंगालतोंग
174	कंगालतोंग 2	अशासकीय	किराया के भवन	वेट्टी हडमा, कंगालतोंग
175	कोलाईगुडा 2	अशासकीय	किराया के भवन	माडवी देवे, कोलाईगुडा
176	पेन्टापाड	अशासकीय	किराया के भवन	जमुना कलमू, पेन्टापाड
177	एंटापाड 2	अशासकीय	किराया के भवन	सोडी सुकडी, एंटापाड
178	बडेकेडवल	अशासकीय	किराया के भवन	वंजाम भीमा, बडेकेडवल
179	छोटेकेडवल	अशासकीय	किराया के भवन	कुहरामी आयते, छोटेकेडवल
180	छोटेकेडवल स्कूलपारा	अशासकीय	किराया के भवन	इंण्डो पोज्जे, छोटेकेडवल स्कूलपारा
181	पामलुर 1	अशासकीय	किराया के भवन	कवासी आयते, पामलुर
182	पामलुर 2	अशासकीय	किराया के भवन	सोयम कोसी, पामलुर
183	कुम्हारपदर	अशासकीय	किराया के भवन	माड़वी जोगी, कुम्हारपदर
184	भटटपाड	अशासकीय	किराया के भवन	पूजा माड़वी, भटटपाड
185	बुर्कलका 1	अशासकीय	किराया के भवन	पोडियम सुकडी, बुर्कलका
186	बुर्कलका 2	अशासकीय	किराया के भवन	सोड़ी सयत्री, बुर्कलका
187	कन्हाईमरका	अशासकीय	किराया के भवन	मडकम भीमे, कन्हाईमरका
188	गुण्डाराजपाड	अशासकीय	किराया के भवन	देवे माडवी, गुण्डाराजपाड
189	सिंगनमडगू	अशासकीय	किराया के भवन	मडकामी गंगा, सिंगनमडगू
190	तोलनाई	अशासकीय	किराया के भवन	सोडी जोगी, तोलनाई
191	मामड़ीगुड़ा	अशासकीय	किराया के भवन	सुन्नम कन्ना, मामड़ीगुड़ा
192	तारलागुड़ा	अशासकीय	किराया के भवन	सुन्नम बडा, तारलागुड़ा
193	तुमलभटटी	अशासकीय	किराया के भवन	कट्टम सोमा, तुमलभटटी
194	भटटीगुड़ा	अशासकीय	किराया के भवन	वेडमर रमेश, भटटीगुड़ा
195	जिनेलंका	अशासकीय	किराया के भवन	पंकज कवासी, जिनेलंका
196	भण्ड़रचिलका	अशासकीय	किराया के भवन	पोडियम हुर्रा, भण्ड़रचिलका
197	गोंदीगुड़ा	अशासकीय	किराया के भवन	मडकम देवे, गोंदीगुड़ा
198	कोरजगुड़ा	अशासकीय	किराया के भवन	माड़वी हिडमा, कोरजगुड़ा
199	मोसलमडगू	अशासकीय	किराया के भवन	सोड़ी जोगा, मोसलमडगू

क्रं.	भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	भवन का प्रकार- शासकीय/ अशासकीय	आंगनबाड़ी कहॉ संचालित है	भवन मालिक का नाम एवं पता
200	तिगनपल्ली	अशासकीय	किराया के भवन	सुन्नम वीरी, तिगनपल्ली
201	कुमुदतोंग	अशासकीय	किराया के भवन	सोड़ी महेश, कुमुदतोंग
202	सेनेमपेटा	अशासकीय	किराया के भवन	नागम्मा, सेनेमपेटा
203	टेटेमड़गू 1	अशासकीय	किराया के भवन	वंजाम गंगी, टेटेमड़गू
204	टेटेमड़गू 2	अशासकीय	किराया के भवन	मडकम रामे, टेटेमड़गू
205	करीगुण्ड़म	अशासकीय	किराया के भवन	कलमू मंजू, करीगुण्ड़म
206	पालोड़ी	अशासकीय	किराया के भवन	माडवी हर्रे, पालोड़ी
207	जाजपाड	अशासकीय	किराया के भवन	पोडियम नागा, जाजपाड
208	फोननपाड	अशासकीय	किराया के भवन	वण्ड़ो मंगी, फोननपाड
209	फुटेपाड	अशासकीय	किराया के भवन	रवा सिंगे, फुटेपाड
210	फेसलपाड	अशासकीय	किराया के भवन	राजेश्वरी मड़कम, फेसलपाड
211	साकलेर 1	अशासकीय	किराया के भवन	मडकम लक्ष्मी, साकलेर
212	साकलेर 2	अशासकीय	किराया के भवन	वेट्टी मया, साकलेर
213	दुब्बामरका	अशासकीय	किराया के भवन	वेट्टी हिंगे, दुब्बामरका
214	शालातोग 1	अशासकीय	किराया के भवन	पोडियम लक्ष्मी, शालातोग
215	शालातोग 2	अशासकीय	किराया के भवन	माड़वी जोगी, शालातोग
216	टोंड़ामारका	अशासकीय	किराया के भवन	माडवी दुले, टोंड़ामारका
217	कोममपाड	अशासकीय	किराया के भवन	माडवी राजा, कोममपाड
218	कोसमवाडा	अशासकीय	किराया के भवन	कलमू देशा, कोसमवाडा
219	एलमागुण्डा	अशासकीय	किराया के भवन	राजेश वेट्टी, एलमागुण्डा
220	गटटापाड़ 1	अशासकीय	किराया के भवन	सोडी देवे, गटटापाड़
221	गटटापाड़ 2	अशासकीय	किराया के भवन	वंजाम लक्ष्मी,गटटापाड़
222	पालाचलमा 1	अशासकीय	किराया के भवन	मडकम कोसी, पालाचलमा
223	पालाचलमा 2	अशासकीय	किराया के भवन	सोडी राजे, पालाचलमा
224	पालाचलमा 3	अशासकीय	किराया के भवन	सोडी हिडमे, पालाचलमा
225	मंगलतोंग	अशासकीय	किराया के भवन	पोज्जे दिरदो, मंगलतोंग
226	टेनमडगू	अशासकीय	किराया के भवन	सोडी सविता, टेनमडगू
227	मेटलागुडा	अशासकीय	किराया के भवन	माडवी सरिता, मेटलागुडा
228	एर्राबोर 1	अशासकीय	किराया के भवन	सोयम सिल्को, एर्राबोर
229	एर्राबोर 5	अशासकीय	किराया के भवन	सोयम सुब्बी, एर्राबोर
230	एर्राबोर 6	अशासकीय	किराया के भवन	दुर्गा रेडडी, एर्राबोर
231	एर्राबोर 7	अशासकीय	किराया के भवन	सोयम बजारी, एर्राबोर
232	बर्रेमुग्गा	अशासकीय	किराया के भवन	सोयम विजया, बर्रेमुग्गा
233	लेन्ड्रा 2	अशासकीय	किराया के भवन	माडवी हंगी, लेन्ड्रा
234	कसलपाड	अशासकीय	किराया के भवन	पोडियम पारो, कसलपाड
235	इंजरम 1	शासकीय	अन्य शासकीय भवन	-
236	इंजरम 2	शासकीय	अन्य शासकीय भवन	-
237	मराईगुड़ा 2	शासकीय	अन्य शासकीय भवन	-

पारिशिष्ट - बहत्तर
अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 585) की जानकारी

प्रपत्र

जिला अस्पताल सुकमा के विशेषज्ञ चिकित्सक/चिकित्सा अधिकारियों की स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत्	रिक्त	रिमार्क
1	वरिष्ठ विशेषज्ञ सह अधीक्षक	1	1	0	
2	मेडिकल विशेषज्ञ	1	0	1	डीएमएफ–01
3	सर्जिकल विशेषज्ञ	1	0	1	एनएचएम–01
4	शिशुरोग विशेषज्ञ	1	0	1	डीएमएफ–01
5	स्त्री रोग विशेषज्ञ	1	0	1	डीएमएफ–01
6	निश्चेतना विशेषज्ञ	1	0	1	डीएमएफ–01
7	नेत्र रोग विशेषज्ञ	1	0	1	डीएमएफ–01
8	रेडियोलाजिस्ट	1	0	1	रिक्त
9	पैथालाजिस्ट	1	0	1	रिक्त
10	नाक,कान,गला,रोग विशेषज्ञ	1	0	1	रिक्त
11	अस्थिरोग विशेषज्ञ	1	0	1	रिक्त
	मनोरोग विशेषज्ञ	1	0	1	रिक्त
12	मनोरोग चिकित्सक पीजीएमओ	1	0	1	रिक्त
13	चिकित्सा अधिकारी	16	7	9	नियमित के अतिरिक्त बांडेड–09, एनएचएम–04, डीएमएफ–04 कार्यरत
20	दंतरोग चिकित्सक	1	1	0	

मातृ एवं शिशु अस्पताल सुकमा

क्र.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत्	रिक्त	रिमार्क
1	अस्पताल अधीक्षक	1	0	1	रिक्त
2	निश्चेतना विशेषज्ञ	1	0	1	रिक्त
3	शिशुरोग पीजीएमओ	1	0	1	एनएचएम–01
4	स्त्रीरोग पीजीएमओ	1	0	1	एनएचएम–01
5	पीजीएमओ पैथालॉजी	1	0	1	रिक्त
6	चिकित्सा अधिकारी	3	1	2	नियमित के अतिरिक्त बांडेड–1 कार्यरत एवं 01 एनएचएम से कार्यरत

उप संचालक (विधानसभा)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रपत्र

क्र.	थाना	हत्या		लूट		बलवा	
		पंजीबध्द प्रकरण	गिरफ्तारी	पंजीबध्द प्रकरण	गिरफ्तारी	पंजीबध्द प्रकरण	गिरफ्तारी
1	सरायपाली	2	2	5	17	0	0
2	तेन्दुकोना	0	0	0	0	0	0
3	महासमुंद	4	5	4	5	1	0
4	बसना	2	2	0	0	3	5
5	बलौदा	0	0	0	0	1	8
6	तुमगांव	1	1	3	8	2	0
7	बागबाहरा	1	1	0	0	1	13
8	पिथौरा	4	7	1	1	6	26
9	सिंघोड़ा	0	0	0	0	0	0
10	पटेवा	2	3	0	0	1	5
11	कोमाखान	2	2	0	0	2	5
12	खल्लारी	1	1	0	0	0	0
13	सांकरा	3	13	1	4	0	0
योग		22	37	14	35	17	62

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - चौहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 600) की जानकारी

प्रपत्र

मार्च 2024 से दिसम्बर 2024 तक भुगतान की गई राशि

क्र.	जिले का नाम	अब तक जारी की गई राशि
1	बालोद	2320528800
2	बलौदाबाजार	3118434750
3	बलरामपुर	1986011700
4	बस्तर	1817980250
5	बेमेतरा	2406492300
6	बीजापुर	367750300
7	बिलासपुर	3969761650
8	दंतेवाड़ा	515387450
9	धमतरी	2186430250
10	दुर्ग	3843065600
11	गरियाबंद	1689375700
12	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	875059300
13	जांजगीर-चांपा	2704353550
14	जशपुर	2160111050
15	कबीरधाम	2367942250
16	कांकेर	1755345700
17	कोण्डागांव	1314729400
18	खैरागढ़-छुईखदान	1101887750
19	कोरबा	2743046800
20	कोरिया	564109150
21	महासमुंद	3031328800
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	974043500
23	मोहला-मानपुर-चौकी	763296700
24	मुंगेली	1952902050
25	नारायणपुर	257031500
26	रायगढ़	2781886050
27	रायपुर	5126579550
28	राजनांदगांव	2431853150
29	सक्ती	1826216400
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	1676213950
31	सुकमा	491988000
32	सूरजपुर	2035767750
33	सरगुजा	2146320250

आय–व्यय पत्रक दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक

आय पक्ष					व्यय पक्ष		
क्र.	मद का नाम	01.04.2021 को शेष	कुल आय राशि	कुल उपलब्ध राशि	विवरण	कुल व्यय राशि	शेष
1	पूर्व बचत राशि	7273530.32	0.00	7273530.32	बैंक कलेक्शन चार्ज	1885.46	0.00
2	जलाशय	0.00	319765.00	319765.00	स्टेशनरी क्रय	386733.00	0.00
3	बैंक ब्याज	0.00	1508279.00	1508279.00	बैठक व्यवस्था	219674.00	0.00
4	आकास्मिक आय	0.00	685485.00	685485.00	जीप किराया अध्यक्ष	120000.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	दैनिक न्यूज पेपर	2080.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	वकालत फीस	67000.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	कार्यालय विद्युत बिल	387090.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	विद्युत संधारण	37650.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	टेलीफोन	21122.00	0.00
10		0.00	0.00	0.00	आकास्मिक व्यय	436976.10	0.00
11		0.00	0.00	0.00	डाक टिकट	25000.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	मशीन सुधार	39600.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	मु.का.अ.जीप किराया	237372.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	कोरोना कोविड	61973.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	इंवटर क्रय	40700.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	लेखा परीक्षा फीस	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	फर्नीचर क्रय	18760.00	0.00
आय का कुल योग		7273530.32	2513529.00	9787059.32	व्यय का कुल योग	2103615.56	7683443.76

आय–व्यय पत्रक दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक

आय पक्ष					व्यय पक्ष		
क्र.	विवरण	01.04.2022 को शेष	वर्ष में प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	विवरण	कुल व्यय राशि	शेष राशि
1	पूर्व बचत राशि	7683443.76	0.00	7683443.76	बैंक कलेक्शन चार्ज	1267.86	0.00
2	जलाशय	0.00	166060.00	166060.00	स्टेशनरी क्रय	282595.00	0.00
3	बैंक ब्याज	0.00	1877410.69	1877410.69	बैठक व्यवस्था	143018.00	0.00

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
...ी भवन मंत्रालय नया रायपुर

4	आकास्मिक आय	0.00	286344.11	286344.11	जीप किराया अध्यक्ष	120000.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	दैनिक न्यूज पेपर	24747.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	वकालत फीस	144000.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	कार्यालय विद्युत बिल	257406.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	विद्युत संधारण	42360.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	आकास्मिक व्यय	697266.36	0.00
10		0.00	0.00	0.00	टेलीफोन	38500.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	डाक टिकट	50000.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	मु.का.अ.जीप किराया	174860.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	मशीन सुधार/कय	42320.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	लेखा परीक्षा फीस	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	जनपद निधि निर्माण	2930000.00	0.00
कुल आय का योग		**7683443.76**	**2329814.80**	**10013258.56**	कुल व्यय का योग	4948340.22	5064918.34

आय–व्यय पत्रक दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक

आय पक्ष					व्यय पक्ष		
क्र.	विवरण	01.04.2023 को शेष	वर्ष में प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	विवरण	कुल व्यय राशि	शेष राशि
	पूर्व बचत राशि	**5064918.34**	**0.00**	**5064918.34**	बैंक कलेक्शन चार्ज	1152.51	0.00
1	जलाशय	0.00	198215.00	198215.00	स्टेशनरी कय	314721.00	0.00
2	बैंक ब्याज	0.00	1184598.00	1184598.00	बैठक व्यवस्था	549276.00	0.00
3	आकास्मिक आय	0.00	27440.00	27440.00	दैनिक न्यूज पेपर	3080.00	0.00
					वकालत फीस	100000.00	0.00
					कार्यालय विद्युत बिल	210775.00	0.00
					विद्युत संधारण	110255.00	0.00
					टेलीफोन	42000.00	0.00
					डाक टिकट	25000.00	0.00

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
डी भवन, मंत्रालय, नया रायपर

					मु.का.अ.जीप किराया/डीजल व्यय	269075.00	0.00
					फर्नीचर क्रय	141100.00	0.00
					लेखा परीक्षा फीस	0.00	0.00
					जनपद निधि निर्माण	530629.00	0.00
					आकास्मिक व्यय	479509.00	0.00
कुल आय		5064918.34	1410253.00	6475171.34	कुल व्यय	2776572.51	3698598.83

संचालक
पंचायत संचालनालय
नवा रायपुर अटल छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र ब

मुद्रांक शुल्क वर्ष 2021–22

आय पक्ष					व्यय पक्ष		
क्र.	मद का नाम	01.04.2021 को शेष	कुल आय राशि	कुल उपलब्ध राशि	विवरण	कुल व्यय राशि	शेष
1	मुद्रांक शुल्क	5655161.00	4452000.00	10107161.00	कर्मचारी वेतन (नियमित एवं दैनिक वेतन भोगी	3626537.00	6480624.00
कुल आय का योग		**5655161.00**	**4452000.00**	**10107161.00**	कुल व्यय का योग	3626537.00	6480624.00

मुद्रांक शुल्क वर्ष 2022–23

आय पक्ष					व्यय पक्ष		
क्र.	मद का नाम	01.04.2022 को शेष	कुल आय राशि	कुल उपलब्ध राशि	विवरण	कुल व्यय राशि	शेष
1	मुद्रांक शुल्क	6480624.00	4794520.00	11275144.00	कर्मचारी वेतन (नियमित एवं दैनिक वेतन भोगी	4314303.00	6960841.00
कुल आय का योग		**6480624.00**	**4794520.00**	**11275144.00**	कुल व्यय का योग	4314303.00	6960841.00

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

मुद्रांक शुल्क वर्ष 2023–24

आय पक्ष					व्यय पक्ष		
क्र.	मद का नाम	01.04.2023 को शेष	कुल आय राशि	कुल उपलब्ध राशि	विवरण	कुल व्यय राशि	शेष
1	मुद्रांक शुल्क	6960841.00	4794520.00	11755361.00	कर्मचारी वेतन (नियमित एवं दैनिक वेतन भोगी	6454344.00	5301017.00
योग		**6960841.00**	**4794520.00**	**11755361.00**	कुल व्यय	6454344.00	5301017.00

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

संचालक
पंचायत संचालनालय
नवा रायपुर अटल छत्तीसगढ़

पारिशिष्ट - छिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 608) की जानकारी

प्रपत्र

01 अप्रैल 2024 से 01 अक्टूबर 2024 तक महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत हटाये गये पंजीकृत श्रमिकों की संख्या एवं कारण की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	श्रमिकों की संख्या	हटाने का कारण
1	2	3	4
1	सरगुजा	24553	परिवार विभाजन, श्रमिक की मृत्यु, महिला श्रमिक का विवाह हो कर अन्यत्र जाने, डुप्लीकेट जॉब कार्ड होने, नवीन जॉब कार्ड आवेदन, शासकीय सेवा में आने कारण, स्थायी रूप से अन्यत्र निवास करने, निष्क्रिय जॉबकार्डधारी श्रमिक होने के कारण।
2	बलरामपुर	14152	
3	सूरजपुर	9421	
4	जशपुर	110110	
5	कोरिया	1613	
6	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	2363	
7	बिलासपुर	113383	
8	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	7344	
9	मुंगेली	63821	
10	कोरबा	33836	
11	जांजगीर–चांपा	69217	
12	सक्ती	63498	
13	रायगढ़	56930	
14	सारंगढ़–बिलाईगढ़	12776	
15	रायपुर	80747	
16	गरियाबंद	13914	
17	बलौदाबाजार	109673	
18	धमतरी	34026	
19	महासमुंद	116336	
20	दुर्ग	59396	
21	राजनांदगांव	14078	
22	मानपुर–मोहला	7920	
23	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	4524	
24	कबीरधाम	6594	
25	बालोद	19758	
26	बेमेतरा	116915	
27	बस्तर	94173	
28	कोण्डागांव	36596	
29	दंतेवाडा	9827	
30	सुकमा	5442	
31	कांकेर	50512	
32	नारायणपुर	992	
33	बीजापुर	3314	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - सतत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 609) की जानकारी

प्रपत्र-अ

महतारी वंदन योजना अंतर्गत भुगतान की जा रही प्रतिमाह राशि का जिलेवार विवरण

(माह दिसंबर 2024)

क्रं.	जिले का नाम	पात्र महिलाएं, जिन्हें रू. 1000/- के मान से भुगतान किया जा रहा है	पात्र महिलाएं, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही है, उन्हें अंतर की रू. 500/- की राशि दी जा रही है।	पात्र महिलाएं, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही है, उन्हें अंतर की रू. 350/- की राशि दी जा रही है।
1	बालोद	211743	39595	104
2	बलौदाबाजार	293505	35374	420
3	बलरामपुर	182590	30821	74
4	बस्तर	169891	23016	296
5	बेमेतरा	226948	26539	159
6	बीजापुर	35266	3042	62
7	बिलासपुर	368757	54575	281
8	दंतेवाड़ा	48718	5904	38
9	धमतरी	201669	32825	142
10	दुर्ग	364906	37775	108
11	गरियाबंद	154303	28541	163
12	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	79232	16235	99
13	जांजगीर-चांपा	250395	38285	452
14	जशपुर	200134	31182	189
15	कबीरधाम	218556	35633	150
16	कांकेर	166784	17419	75
17	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	103472	13132	47
18	कोंडागांव	122386	17819	77
19	कोरबा	253933	39658	237
20	कोरिया	52910	6766	46
21	महासमुंद	281009	43120	183
22	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरि भरतपुर	93492	7612	27

क्रं.	जिले का नाम	पात्र महिलाएं, जिन्हें रू. 1000/- के मान से भुगतान किया जा रहा है	पात्र महिलाएं, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही है, उन्हें अंतर की रू. 500/- की राशि दी जा रही है।	पात्र महिलाएं, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही है, उन्हें अंतर की रू. 350/- की राशि दी जा रही है।
23	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	70376	11621	121
24	मुंगेली	176889	35695	632
25	नारायणपुर	23893	3574	7
26	रायगढ़	250960	52767	952
27	रायपुर	492536	38989	281
28	राजनांदगांव	228173	29041	114
29	सक्ती	165880	32680	378
30	सारंगढ़ बिलाईगढ़	144991	44218	627
31	सुकमा	46304	5846	50
32	सूरजपुर	190707	24889	391
33	सरगुजा	196848	35434	70
	कुल योग	**6068156**	**899622**	**7052**

प्रपत्र- ब

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिला हितग्राहियों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के महिला हितग्राही	मुख्यमंत्री पेंशन योजना के महिला हितग्राही
1	बालोद	7307	20327
2	बलौदाबाजार	10965	17662
3	बलरामपुर	6551	17921
4	बस्तर	9969	9738
5	बेमेतरा	6672	11111
6	बीजापुर	1831	2377
7	बिलासपुर	21946	17691
8	दंतेवाड़ा	3411	5945
9	धमतरी	8839	19275
10	दुर्ग	13995	8748
11	गरियाबंद	11987	9355
12	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	4445	7031
13	जांजगीर-चांपा	12065	17651
14	जशपुर	10990	21556
15	कबीरधाम	10757	18440
16	कांकेर	6011	12485
17	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	4227	4648
18	कोंडागांव	7452	7624
19	कोरबा	13369	15407
20	कोरिया	3015	2258
21	महासमुंद	16875	10812
22	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरि भरतपुर	3434	5404
23	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	2520	8425
24	मुंगेली	10650	10567
25	नारायणपुर	2705	3801
26	रायगढ़	17042	19506

क्र.	जिला	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के महिला हितग्राही	मुख्यमंत्री पेंशन योजना के महिला हितग्राही
27	रायपुर	18351	11700
28	राजनांदगांव	7952	8509
29	सक्ती	12083	14098
30	सारंगढ़ बिलाईगढ़	13528	12919
31	सुकमा	3886	6283
32	सूरजपुर	7156	14254
33	सरगुजा	12406	18628
कुल योग		**304392**	**392156**

पॉरिशेष्ट - अठहत्तर

अतारांकेत प्रश्न संख्या 55 (क्र. 610) की जानकारी

''प्रपत्र–अ''

स.क.	वित्तीय वर्ष	जिला	विशेष केन्द्रीय सहायता योजना अंतर्गत प्राप्त राशि (राशि रू. लाख में)
1	2021–22	राजनांदगांव	2000.00
2	2022–23	राजनांदगांव	1025.00
3	2023–24	राजनांदगांव	904.00
4	2024–25	मोहला–मानपुर–अं. चौकी	1500.00

13/12/24
अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र–ब

SCA-LWE योजना जिला–राजनांदगांव अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण

स.क.	वर्ष	कियान्वयन एजेंसी	कार्य का नाम	स्थान/ ग्राम	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	राशि (राशि लाख में)
1	2021-22	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	आदर्श गौठान जाने के मार्ग से कोलियार नाला पर पुलिया निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत जटकन्हार	जटकन्हार	जटकन्हार	डोंगरगढ़	17.26
2	2021-22	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	आर. सी. सी. पुलिया निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत पारागांवखुर्द	पारागांवखुर्द	पारागांवखुर्द	डोंगरगढ़	7.790
3	2021-22	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	सामुदायिक भवन निमाण (ठाकरे पारा) ग्राम व ग्राम पंचायत मुडपार	मुडपार	मुडपार	डोंगरगढ़	6.500
4	2021-22	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	सामुदायिक भवन निमाण (शितला पारा) ग्राम व ग्राम पंचायत मेढ़ा	मेढ़ा	मेढ़ा	डोंगरगढ़	2.710
5	2021-22	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत बोरतलाब	बोरतलाब	बोरतलाब	डोंगरगढ़	6.50
6	2021-22	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत बेलगांव	बेलगांव	बेलगांव	डोंगरगढ़	6.50
7	2021-22	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत कातलवाही	कातलवाही	कातलवाही	डोंगरगढ़	6.50
8	2021-22	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत आलीवारा	आलीवारा	आलीवारा	डोंगरगढ़	6.50
9	2021-22	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात खैरागढ़	शेड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत मुढ़ीपार	मुढ़ीपार	मुढ़ीपार	खैरागढ़	6.000
10	2021-22	कार्यपालन अभियंता ग्रा. यां. सेवा संभाग राजनांदगांव	मितानीन प्रशिक्षण भवन निर्माण (सी.डी.पी. ओं.) हेतु डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	15.00
11	2022-23	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	पुलिया निर्माण कार्य मुक्तिधाम मार्ग में ग्राम व ग्राम पंचायत बिजनापुर	बिजनापुर	बिजनापुर	डोंगरगढ़	10.000
12	2022-23	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	आर. सी. सी. पुलिया निर्माण बिझवार खेत के पास ग्राम व ग्राम पंचायत घोटिया	घोटिया	घोटिया	डोंगरगढ़	10.000
13	2022-23	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	आर. सी. सी. पुलिया निर्माण सेंदरी से कुम्हडाटोला ग्राम व ग्राम पंचायत सेंदरी	सेंदरी	सेंदरी	डोंगरगढ़	10.000
14	2022-23	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	आर. सी. सी. पुलिया निर्माण कार्य बांधी तालाब के पास ग्राम व ग्राम पंचायत कन्हारगांव	कन्हारगांव	कन्हारगांव	डोंगरगढ़	13.000
15	2022-23	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	पुलिया निर्माण कार्य (ठाकुरटोला–कोलेन्द्रा मार्ग में सरहद के पास) ग्राम व ग्राम पंचायत ठाकुरटोला (को.)	ठाकुरटोला (को.)	ठाकुरटोला (को.)	डोंगरगढ़	16.000
16	2022-23	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	महिला प्रशिक्षण भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत मुरमुन्दा	मुरमुन्दा	मुरमुन्दा	डोंगरगढ़	10.000

13/12/24
अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

17	2022-23	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	महिला प्रशिक्षण भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत मुसराकला	मुसराकला	मुसराकला	डोंगरगढ़	10.000
18	2022-23	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत सहसपुर	सहसपुर	सहसपुर	डोंगरगढ़	3.000
19	2022-23	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात खैरागढ़	पुलिया निर्माण कार्य सहसपुर रोड़ में ग्राम सहसपुर ग्राम पंचायत लक्षना	सहसपुर	लक्षना	खैरागढ़	10.300
20	2022-23	कार्यपालन अभियंता ग्रा. यां. सेवा संभाग राजनांदगांव	महिला प्रशिक्षण भवन निर्माण कार्य घुमका	घुमका	घुमका	राजनांदगांव	20.000
21	2022-23	कार्यपालन अभियंता ग्रा. यां. सेवा संभाग राजनांदगांव	कृषक प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत आलीवारा	आलीवारा	आलीवारा	डोंगरगांव	17.500
22	2023-24	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	महिला समूह हेतु प्रषिक्षण एवं आजीविका क्रियाकलाप षेड़ ग्राम व ग्राम पंचायत धनडोंगरी	धनडोंगरी	धनडोंगरी	डोंगरगढ़	3.000
23	2023-24	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात डोंगरगढ़	पुलिया निर्माण कार्य मुक्तिधाम पहुंच मार्ग ग्राम व ग्राम पंचायत देवकट्टा	देवकट्टा	देवकट्टा	डोंगरगढ़	7.620
24	2023-24	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात खैरागढ़	पुलिया निर्माण कार्य भरतपुर रोड़ से पिरचा पहाड़ रोड़ तक ग्राम व ग्राम पंचायत भरतपुर	भरतपुर	भरतपुर	खैरागढ	9.650
25	2023-24	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात खैरागढ़	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य ग्राम नवागांव ग्राम पंचायत नवागांव ब	नवागांव	नवागांव ब	खैरागढ	6.500
26	2023-24	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात खैरागढ़	पुलिया निर्माण कार्य कन्हार झोरी भैसासुर के पास तक ग्राम गाड़ाघाट ग्राम पंचायत लछना	गाडाघाट	लछना	खैरागढ	10.300
27	2023-24	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात खैरागढ़	पुलिया निर्माण कार्य षमषान घाट के पास तक ग्राम गाड़ाघाट ग्राम पंचायत लछना	गाडाघाट	लछना	खैरागढ	10.300
28	2023-24	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात खैरागढ़	पुलिया निर्माण कार्य दाऊभर्री रोड़ ग्राम बोरला ग्राम पंचायत लछना	बोरला	लछना	खैरागढ	10.790
29	2023-24	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात खैरागढ़	पुलिया निर्माण कार्य राधे के खेत के पास ग्राम सहसपुर ग्राम पंचायत लछना	सहसपुर	लछना	खैरागढ	10.300
30	2023-24	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात खैरागढ़	पुलिया निर्माण कार्य सर्बे के खेत के पास ग्राम गाड़ाघाट ग्राम पंचायत लछना	गाडाघाट	लछना	खैरागढ	10.300
31	2023-24	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात खैरागढ़	पुलिया निर्माण कार्य कन्हार झोरी मोजू खेत के पास ग्राम सहसपुर ग्राम पंचायत लछना	सहसपुर	लछना	खैरागढ	10.300
32	2023-24	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात खैरागढ़	पुलिया निर्माण कार्य बाग द्वार रोड़ के पास ग्राम व ग्राम पंचायत लछना	लछना	लछना	खैरागढ	8.000
33	2023-24	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायात खैरागढ़	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य ग्राम कटेमा ग्राम पंचायत लछना	कटेमा	लछना	खैरागढ	6.770
34	2023-24	सहायक भूमि अधिकारी, राजनांदगांव	पक्का डेम क. 01 (सी.सी.) ग्राम उदरीछापर ग्राम पंचायत तोतलभर्री	उदरीछापर	तोतलभर्री	डोंगरगढ़	4.000
35	2023-24	सहायक भूमि अधिकारी, राजनांदगांव	पक्का डेम क. 02 (सी.सी.) ग्राम उदरीछापर ग्राम पंचायत तोतलभर्री	तोतलभर्री	तोतलभर्री	डोंगरगढ़	4.000
36	2023-24	सहायक भूमि अधिकारी, राजनांदगांव	पक्का डेम क. 01 (सी.सी.) ग्राम दमउदहरा ग्राम पंचायत कोटनापनी	कोटनापनी	कोटनापनी	डोंगरगढ़	4.000

37	2023-24	सहायक भूमि अधिकारी, राजनांदगांव	पक्का डेम क. 01 (सी.सी.) ग्राम खमपुरा ग्राम पंचायत पिपरखार	पिपरखार	पिपरखार	डोंगरगढ़	4.000
38	2023-24	सहायक भूमि अधिकारी, राजनांदगांव	पक्का डेम क. 01 (सी.सी.) ग्राम कोहलाकसा ग्राम पंचायत मुंगलानी	मुंगलानी	मुंगलानी	डोंगरगढ़	4.000
39	2023-24	सहायक भूमि अधिकारी, राजनांदगांव	पक्का डेम क. 01 (सी.सी.) ग्राम व ग्राम पंचायत मडियान	मडियान	मडियान	डोंगरगढ़	4.000
						योग :–	**338.89**

13/12/24
अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र

क्र.	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	शिकायत का प्रकार																	
			शासकीय कार्य में लापरवाही			रिश्वत			अवैध वसूली			वित्तीय अनियमितता			आम जनता से अभद्रता पूर्वक बातचीत			अन्य		
			वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	श्री मनीष शर्मा	पुलिस अधीक्षक																	2	2
2	श्री प्रशांत ठाकुर	पुलिस अधीक्षक																	1	
3	कृष्ण कुमार पटेल	एसडीओपी																	2	
4	मयंक रणसिंह	एसडीओपी																1		
5	अभिषेक केसरी	एसडीओपी	1						2									3		
6	श्रीमती सारिका वैद्य	डीएसपी																1	7	1
7	श्री मणीशंकर चन्द्रा	उप. पुअ.									1									3
8	श्रीमती रागिनी तिवारी	उप. पुअ.																		1
9	सुश्री नेहा पवार	उप. पुअ.															1			1
10	श्री के0के0 बाजपेयी	उप. पुअ.																	1	
11	विंकेश्वरी पिंदे	प्रशिक्षु उपुअ.															1			
12	के. देवराजू	रक्षित निरीक्षक																	1	
13	शरद ताम्रकार	निरीक्षक								1						1	2		1	
14	बृजेश तिवारी	निरीक्षक																	6	1
15	विनय पम्मार	निरीक्षक							6	1									1	2
16	भावेश गौतम	निरीक्षक							2											

13/12
अनुभाग अधि
छत्तीसगढ़ मंत्रा
गृह विभाग

क्र.	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	शिकायत का प्रकार																	
			शासकीय कार्य में लापरवाही			रिश्वत			अवैध वसूली			वित्तीय अनियमितता			आम जनता से अभद्रता पूर्वक बातचीत			अन्य		
			वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक
17	भुनेश्वर नाग	निरीक्षक													2			4		
18	प्रणाली वैद्य	निरीक्षक	1							2					1		2	4	4	
19	राजेश मरई	निरीक्षक								1										2
20	राजेश जगत	निरीक्षक								2	3				1		1	3	4	3
21	सी. तिर्की	निरीक्षक																	2	2
22	सन्नी दुबे	निरीक्षक															1		1	1
23	उमेंद टंण्डन	निरीक्षक													1			1		
24	दीपा केवट	निरीक्षक																2	14	
25	चन्द्रकांत साहू	निरीक्षक																	1	2
26	अरूण साहू	निरीक्षक																		3
27	गगन वाजपेयी	निरीक्षक													1				1	
28	लेखराम ठाकुर	निरीक्षक																		2
29	एस.आर.नायक	उप निरीक्षक																	2	
30	खेमराज साहू	उप निरीक्षक								1										
31	शंकर लाल नवरतन	उप निरीक्षक																1		
32	शांता लकड़ा	उप निरीक्षक																2		
33	ईश्वर साकार	उप निरीक्षक															3			
34	रमेश साहू	उप निरीक्षक							6	1								1	1	2
35	राजकुमार साहू	उप निरीक्षक								1										
36	संतोष साहू	उप निरीक्षक							1	3								9	2	1
37	सरिता मानिकपुरी	उप निरीक्षक								1										
38	सुनील कश्यप	उप निरीक्षक	5	3														1		

क्र.	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	शिकायत का प्रकार																	
			शासकीय कार्य में लापरवाही			रिश्वत			अवैध वसूली			वित्तीय अनियमितता			आम जनता से अभद्रता पूर्वक बातचीत			अन्य		
			वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक
39	उमाकांत तिवारी	उप निरीक्षक																	2	3
40	अमित बघेल	उप निरीक्षक																		1
41	टी.आर.साहू	उप निरीक्षक								1					2					
42	अजय सिंह	उप निरीक्षक																		3
43	गोवर्धन ठाकुर	उप निरीक्षक																2	9	1
44	गेंदलाल साहू	उप निरीक्षक							3									1		
45	लक्ष्मीनारायण साव	उप निरीक्षक																1	1	
46	लक्ष्मीनारायण नामदेव	उप निरीक्षक																1		
47	बेनीराम सिन्हा	उप निरीक्षक (एमटीओ)												2						1
48	घनश्याम वर्मा	सहा.उप निरी.																1		
49	बोधन ध्रुव	सहा.उप निरी.														1				2
50	कमिल चंद सोरी	सहा.उप निरी.														5				4
51	कांति लाल साहू	सहा.उप निरी.																	1	
52	शिवचरण नेताम	सहा.उप निरी.																2		
53	पुष्पा पाण्डेय	सहा.उप निरी.									1							2		1
54	पुष्पानंद ध्रुव	सहा.उप निरी.							2											
55	प्रकाश नाग	सहा.उप निरी.														1				
56	प्रदीप सिंह	सहा.उप निरी.							4								1	1	2	1
57	रमेश साहू	सहा.उप निरी.						2			1									
58	राधेश्याम बंजारे	सहा.उप निरी.							4											

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	शिकायत का प्रकार																	
			शासकीय कार्य में लापरवाही			रिश्वत			अवैध वसूली			वित्तीय अनियमितता			आम जनता से अभद्रता पूर्वक बातचीत			अन्य		
			वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक
59	राकेश मिश्रा	सहा.उप निरी.							2										2	2
60	संतोष कोमरा	सहा.उप निरी.																2		
61	संतोषी नेताम	सहा.उप निरी.								1								2		2
62	संजय लांजे	सहा.उप निरी.																1		
63	सोमन सिन्हा	सहा.उप निरी.																1		
64	सुरेश नेताम	सहा.उप निरी.																	1	
65	दक्ष कुमार साहू	सहा.उप निरी.																6	2	3
66	दुलाल नाथ	सहा.उप निरी.																2		
67	देवनाथ सिन्हा	सहा.उप निरी.								1	1									1
68	चन्द्रशेखर देवांगन	सहा.उप निरी.							2										1	
69	तेजूराम सिन्हा	सहा.उप निरी.							1									3	1	1
70	जगदीश सोनवानी	सहा.उप निरी.														1				1
71	अमित सिंह	सहा.उप निरी.															1		1	1
72	अनिल यदु	सहा.उप निरी.							2										2	
73	टीकाराम साहू	सहा.उप निरी.														5				2
74	अजय बनारसी	सहा.उप निरी.									1									1
75	लक्ष्मीनाथ निर्मलकर	सहा.उप निरी.																		1
76	शेष नारायण पाण्डेय	प्रधान आरक्षक									1									
77	मधुलिका टिकरिहा	प्रधान आरक्षक									1									
78	माधुरी सोनवानी	प्रधान आरक्षक		1							1							2		1
79	खिनेश साहू	प्रधान आरक्षक																6		
80	शिवशंकर ठाकुर	प्रधान आरक्षक						1	2							1				1

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	शिकायत का प्रकार																	
			शासकीय कार्य में लापरवाही			रिश्वत			अवैध वसूली			वित्तीय अनियमितता			आम जनता से अभद्रता पूर्वक बातचीत			अन्य		
			वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक
81	दिनेश तुरकाने	प्रधान आरक्षक							6	1									1	
82	विजय पति	प्रधान आरक्षक																	1	
83	हरीश साहू	प्रधान आरक्षक																2		
84	प्रमोद पाण्डेय	प्रधान आरक्षक									1									1
85	प्रेमस्वरूप ध्रुव	प्रधान आरक्षक														1			3	
86	राकेश साहू	प्रधान आरक्षक																		2
87	रामसिंह साहू	प्रधान आरक्षक																1		
88	संपत संभाकर	प्रधान आरक्षक																		1
89	दीपक साहू	प्रधान आरक्षक																		1
90	दीपेश देहारी	प्रधान आरक्षक																		1
91	दीनू मारकण्डे	प्रधान आरक्षक								1					1					
92	दारा चन्द्राकर	प्रधान आरक्षक							3									1	1	
93	जैतराम जोगी	प्रधान आरक्षक									2							1		
94	अश्वनी बंजारे	प्रधान आरक्षक																		1
95	लोकेश नेताम	प्रधान आरक्षक							1										1	
96	श्याम सुंदर बरिहा	प्रधान आरक्षक (से.नि.)																	1	
97	धरम सिंह राजपूत	आरक्षक									1									
98	योगेश बाघमारे	आरक्षक																2		
99	योगेश साहू	आरक्षक																3		
100	योगेश टण्डन	आरक्षक																1		
101	खेमू हिरवानी	आरक्षक																	2	

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	शिकायत का प्रकार																	
			शासकीय कार्य में लापरवाही			रिश्वत			अवैध वसूली			वित्तीय अनियमितता			आम जनता से अभद्रता पूर्वक बातचीत			अन्य		
			वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक
102	ठाकुर राम सिन्हा	आरक्षक																	2	
103	बृजेश वैष्णव	आरक्षक							6	1									1	
104	कुलदीप सिंह	आरक्षक							2											
105	मेघराज ध्रुव	आरक्षक													1					
106	मिथलेश डहरिया	आरक्षक																1		

क्र.	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	शिकायत का प्रकार																	
			शासकीय कार्य में लापरवाही			रिश्वत			अवैध वसूली			वित्तीय अनियमितता			आम जनता से अभद्रता पूर्वक बातचीत			अन्य		
			वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक
107	डिलेश्वर मण्डावी	आरक्षक																1		
108	विमल कुमार पटेल	आरक्षक																1		
109	निर्मल नायक	आरक्षक								1										
110	हरीश कावड़े	आरक्षक															1			
111	भागवत साहू	आरक्षक																		3
112	पंकज प्रधान	आरक्षक							3											
113	परमानंद विश्वकर्मा	आरक्षक																1		
114	रघुराज कर्ष	आरक्षक																	1	
115	राकेश बंजारे	आरक्षक							1											
116	रोशन पटेल	आरक्षक																	2	1
117	संतोष ठाकुर	आरक्षक																		1
118	संतोषी नेताम	आरक्षक																	2	1
119	संजय पति	आरक्षक								1								1		
120	सालिक राम पात्रे	आरक्षक																	1	
121	सागर मिश्रा	आरक्षक													1					
122	सुरेन्द्र डड़सेना	आरक्षक																		1
123	सुशील गंगेले	आरक्षक																		1
124	डेगेश्वर साहू	आरक्षक																	1	
125	दयाराम साहू	आरक्षक												2						
126	देवेन्द्र साहू	आरक्षक																	1	
127	फागेश्वर मरकाम	आरक्षक																	1	
128	ताराचंद बंजारे	आरक्षक																	1	

क्र.	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	शिकायत का प्रकार																	
			शासकीय कार्य में लापरवाही			रिश्वत			अवैध वसूली			वित्तीय अनियमितता			आम जनता से अभद्रता पूर्वक बातचीत			अन्य		
			वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक	वर्ष 2022	वर्ष 2023	01 जन 24 से 26.11.24 तक
129	जीवन साहू	आरक्षक																		1
130	नीरज क्षेत्री	आरक्षक																1		
131	अंकुश नंदा	आरक्षक								1										
132	अखिलेश पासवान	आरक्षक							2											
133	अमित रावटे	आरक्षक																	1	
134	अनिल साहू	आरक्षक																		2
135	ओमप्रकाश निषाद	आरक्षक																1		
136	गौकरण कंवर	आरक्षक															1			
137	अमृता सेंगर	महिला आरक्षक															2	5	1	1
138	राम प्यारे वर्मा	सहा0 आरक्षक																	1	
139	मनोज मानिकपुरी	डीएसएफआरक्षक																		1
140	हिमेश नेताम	डीएसएफआरक्षक																		1
योग			7	4	0	0	0	3	63	23	15	0	0	4	11	16	17	92	105	84

13/12/24
अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

पारिशिष्ट - अस्सी
अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्र. 632) की जानकारी

प्रपत्र-अ

खुज्जी विधानसभा अंतर्गत ऑंगनबाड़ी भवन, निर्माण एवं कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पद की पूर्ति

क्र.	विकासखण्ड का नाम	भवन विहीन आंगनबाडी केन्द्र का नाम	क्या भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए भवन स्वीकृत है
1	2	3	4
1	छुरिया	रामपुर 01	हां
2	छुरिया	महराजपुरटोला	नही
3	छुरिया	भोलापुर 01	हां
4	छुरिया	तेन्दुटोला 01	हां
5	छुरिया	जरहामहका 01	हां
6	छुरिया	मगरधोखरा 02	हां
7	छुरिया	मालडोंगरी	हां
8	छुरिया	बेन्दाडी 01	हां
9	छुरिया	ग्वालदंड	हां
10	छुरिया	पंडरपानीटोला	नही
11	छुरिया	कल्लुबंजारी 01	हां
12	छुरिया	गेरुघाट 02	हां
13	छुरिया	छुरियाडोंगरी	हां
14	छुरिया	घोटिया	हां
15	छुरिया	दामाबंजारी	हां
16	छुरिया	मेटेपारा 01	हां
17	छुरिया	मंगियाटोला	नही
18	छुरिया	किडकाडीटोला	नही
19	छुरिया	लालुटोला 02	नही
20	छुरिया	घोघरे 02	हां
21	छुरिया	छुरिया 03	नही
22	छुरिया	छुरिया 04	नही
23	छुरिया	चंदैनीडीह	नही
24	छुरिया	पहाडीपारा	नही
25	छुरिया	धोबीपारा	नही
26	छुरिया	गुजरातीपारा	नही
27	छुरिया	सीताबर्डी	नही

क्र.	विकासखण्ड का नाम	भवन विहीन आंगनबाडी केन्द्र का नाम	क्या भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए भवन स्वीकृत है
1	2	3	4
28	छुरिया	गोपालपुर 01	हां
29	छुरिया	बजरंगपुर 01	हां
30	छुरिया	बजरंगपुर भाटापारा	नही
31	छुरिया	भोजराटोला 01	हां
32	छुरिया	कटेंगाटोला 01	हां
33	छुरिया	मरकाकसा 02	हां
34	छुरिया	मोरकुटुम्ब टोलापारा	नही
35	छुरिया	आलीवारा 01	हां
36	छुरिया	जयसिंगटोला 02	हां
37	छुरिया	साल्हेटोला 01	हां
38	छुरिया	दिवानटोला 01	हां
39	छुरिया	बैरागीभेडी 01	हां
40	छुरिया	खपराभाठ 01	हां
41	छुरिया	मासूलकसा 02	नही
42	छुरिया	अरजकुण्ड 02	नही
43	छुरिया	चिरचारीकला 04	नही
44	छुरिया	दंतरेगाटोला 02	नही
45	छुरिया	पंगरीकला 02	नही
46	छुरिया	पथर्री 02	नही
47	छुरिया	दानीटोला 02	नही
48	छुरिया	तुर्रेगढ़ 03	नही
49	छुरिया	कोरूटोला	हां
50	छुरिया	ठाकुरबांधा	हां
51	छुरिया	बडगांव 01	हां
52	छुरिया	आमाकट्टा	हां
53	छुरिया	करमरी 01	हां
54	छुरिया	पतोरा 01	हां
55	छुरिया	महरूम 01	हां
56	छुरिया	चिरचारीखुर्द 01	हां
57	छुरिया	बननवागांव 01	हां

क्र.	विकासखण्ड का नाम	भवन विहीन आंगनबाडी केन्द्र का नाम	क्या भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए भवन स्वीकृत है
1	2	3	4
58	छुरिया	परेवाड़ीह 01	हां
59	छुरिया	तुर्रेगढ़ 01	हां
60	छुरिया	पांगरीखुर्द 01	हां
61	छुरिया	कन्हारपुरी 01	हां
62	छुरिया	गिदर्री 01	हां
63	छुरिया	संबलपुर 01	हां
64	छुरिया	करेठी	नही
65	छुरिया	नांदिया	नही
66	छुरिया	घुपसाल 01	नही
67	छुरिया	चिखलामटिया	नही
68	छुरिया	उचईपुर	नही
69	अं.चौकी	चौकी 05	नही
70	अं.चौकी	चौकी 07	नही
71	अं.चौकी	चौकी 110	नही
72	अं.चौकी	चौकी 111	नही
73	अं.चौकी	चौकी 114	नही
74	अं.चौकी	चौकी 115	नही
75	अं.चौकी	चौकी 116	नही
76	अं.चौकी	नयापारा जरहाटोला	नहीं

प्रपत्र-ब

खुज्जी विधानसभा अंतर्गत ऑंगनबाड़ी भवन, निर्माण एवं कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पद की पूर्ति

क्र.	विकासखण्ड का नाम	जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
1	**2**	**3**
1	छुरिया	रामपुर 01
2	छुरिया	भोलापुर 01
3	छुरिया	तेन्दुटोला 01
4	छुरिया	जरहामहका 01
5	छुरिया	मगरधोखरा 02
6	छुरिया	मालडोंगरी
7	छुरिया	बेन्दाडी 01
8	छुरिया	ग्वालदंड
9	छुरिया	कल्लुबंजारी 01
10	छुरिया	गेरुघाट 02
11	छुरिया	छुरियाडोंगरी
12	छुरिया	घोटिया
13	छुरिया	दामाबंजारी
14	छुरिया	मेटेपारा 01
15	छुरिया	घोघरे 02
16	छुरिया	गोपालपुर 01
17	छुरिया	बजरंगपुर 01
18	छुरिया	भोजराटोला 01
19	छुरिया	कटेंगाटोला 01
20	छुरिया	मरकाकसा 01
21	छुरिया	आलीवारा 01
22	छुरिया	जयसिंगटोला 02
23	छुरिया	साल्हेटोला 01
24	छुरिया	दिवानटोला 01
25	छुरिया	बैरागीभेडी 01
26	छुरिया	खपराभाठ 01
27	छुरिया	कारूटोला
28	छुरिया	ठाकुरबांधा

क्र.	विकासखण्ड का नाम	जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
1	2	3
29	छुरिया	बडगांव 01
30	छुरिया	आमाकट्टा
31	छुरिया	करमरी 01
32	छुरिया	पतोरा 01
33	छुरिया	महरूम 01
34	छुरिया	चिरचारीखुर्द 01
35	छुरिया	बननवागांव 01
36	छुरिया	परेवाड़ीह 01
37	छुरिया	तुर्रेगढ़ 01
38	छुरिया	पांगरीखुर्द 01
39	छुरिया	कन्हारपुरी 01
40	छुरिया	गिदर्री 01
41	छुरिया	संबलपुर 01
42	छुरिया	करेठी
43	छुरिया	नांदिया
44	छुरिया	घुपसाल 01
45	छुरिया	चिखलामटिया
46	छुरिया	उचईपुर
47	अं.चौकी	हांड़ीटोला
48	अं.चौकी	चिल्हाटी 2
49	अं.चौकी	बांधाबाजार
50	अं.चौकी	भड़सेना
51	अं.चौकी	सिंघाभेड़ी
52	अं.चौकी	चिखली
53	अं.चौकी	होडीटोला
54	अं.चौकी	ढाढूटोला 1
55	अं.चौकी	छछानपाहरी
56	अं.चौकी	चिल्हाटी 1

परिशिष्ट - इक्यासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 65 (क्र. 636) की जानकारी

प्रपत्र

बालोद जिले में विकासखण्डवार, वर्षवार कुपोषण एवं एनीमिक महिलाओं की जानकारी

क्रं.	विकासखण्ड का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2024-25 (26 नवम्बर 2024 की स्थिति में)		
		मध्यम कुपोषित	गंभीर कुपोषित	एनीमिक महिलाएं	मध्यम कुपोषित	गंभीर कुपोषित	एनीमिक महिलाएं	मध्यम कुपोषित	गंभीर कुपोषित	एनीमिक महिलाएं	मध्यम कुपोषित	गंभीर कुपोषित	एनीमिक महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बालोद	805	83	1445	1317	326	2275	1190	210	2679	1065	208	942
2	गुरूर	1236	163	1788	1204	251	2187	1428	266	2121	1311	203	1083
3	गुण्डरदेही	1513	240	2399	2385	557	3040	1955	339	2593	1602	280	1714
4	डौण्डीलोहारा	2035	213	2337	3246	776	2325	2848	526	2666	2192	371	2128
5	डौण्डी	1238	136	2115	1443	313	1773	1687	296	1663	1393	217	1088
योग		**6827**	**835**	**10084**	**9595**	**2223**	**11600**	**9108**	**1637**	**11722**	**7563**	**1279**	**6955**

1. कुपोषण के आंकड़े मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं पोषण ट्रेकर से लिये गये हैं तथा एनीमिक महिलाओं के आंकड़े स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त किये गये हैं।

कुपोषण नियंत्रण हेतु संचालित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आबंटन एवं व्यय राशि का वर्षवार विवरण

योजना का नाम - पूरक पोषण आहार

क्रं.	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25 (26 नवम्बर 2024 की स्थिति में)	
			प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	जिला कार्यालय		12608600	3236100	5800000	1639642	2105000	1083780	1949236	690120
1	बालोद	बालोद	21400000	21377746	11300000	5883839	7615000	7517170	6113000	3751487
2	गुरूर	गुरूर	27500000	27494641	11906665	7498297	8200000	8170636	6942000	3789606
3	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	36500000	36463423	15300000	9940010	12800000	12524452	11255000	6818083
4	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	18000000	17831475	10700000	6480228	7105000	6443429	6650864	4086363
5		देवरी	15600000	15597263	10600000	5041377	6100000	6093377	5589000	2055047
6	डौण्डी	डौण्डी	10600000	10537917	7600000	3303676	3860000	3858281	3663000	2194483
7		डौण्डी-2	12350000	12341483	6800000	3255146	5460000	5410126	4173000	2384700
8		दल्लीराजहरा	5400000	5301136	4000000	1508734	2000000	1916977	1577000	465372
	योग		**159958600**	**150181184**	**84006665**	**44550949**	**55245000**	**53018228**	**47912100**	**26235261**

योजना का नाम - महतारी जतन योजना

क्रं.	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25 (26 नवम्बर 2024 की स्थिति में)	
			प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	जिला कार्यालय		169000	0	701868	0	0	0	0	0
1	बालोद	बालोद	1130000	1102379	321423	321423	0	0	0	0
2	गुरूर	गुरूर	1350000	1341539	358594	358594	0	0	0	0
3	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	800000	770815	439618	439618	0	0	0	0
4	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	1040000	1038556	276786	276786	0	0	0	0
5		देवरी	735000	734928	48746	48746	0	0	0	0
6	डौण्डी	डौण्डी	850000	839937	250000	249995	0	0	0	0
7		डौण्डी-2	450000	449545	10985	10985	0	0	0	0
8		दल्लीराजहरा	285000	273042	31980	31980	0	0	0	0
	योग		**6809000**	**6550741**	**2440000**	**1738127**	**0**	**0**	**0**	**0**

योजना का नाम - पोषण अभियान

क्रं.	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25 (26 नवम्बर 2024 की स्थिति में)	
			प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जिला कार्यालय			3497500	2802194	3003000	2987489	150000	0	50000	0
1	बालोद	बालोद	96500	0	407750	406750	2433250	2299500	1113250	1093250
2	गुरूर	गुरूर	143400	143400	393750	391250	2900500	2900500	1376750	1356750
3	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	195000	0	689250	667000	4214500	4214000	1878500	1865000
4	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	117000	117000	319750	319750	2628500	2624927	1123000	530500
5		देवरी	118800	118800	281750	281750	2471250	2454500	1142000	495000
6	डौण्डी	डौण्डी	97200	97200	324500	324500	2028500	2028500	900250	408250
7		डौण्डी-2	88200	88200	267500	267500	1988250	1988250	832000	401500
8		दल्लीराजहरा	38400	38400	140250	140250	902750	902750	387000	175750
	योग		**4392000**	**3405194**	**5827500**	**5786239**	**19717500**	**19412927**	**8802750**	**6326000**

योजना का नाम - मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना

क्रं.	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25 (26 नवम्बर 2024 की स्थिति में)	
			प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	जिला कार्यालय				0	0	292400	0	0	0
1	बालोद	बालोद	331320	293462	351800	289112	137650	102003	101650	83000
2	गुरूर	गुरूर	457360	289346	355150	268436	450950	389746	105000	83314
3	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	500000	490889	801400	752561	679250	646968	113250	104250
4	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	126800	63311	449792	408507	265750	210620	100750	74840
5		देवरी	89900	59013	208050	164770	139900	97131	100900	0
6	डौण्डी	डौण्डी	118880	82970	348815	319400	221100	196225	98100	48050
7		डौण्डी-2	115280	86075	240350	188774	163350	62930	97350	58500
8		दल्लीराजहरा	95360	38938	113800	58464	127200	77467	90200	66260
	योग		**1834900**	**1404004**	**2869157**	**2450024**	**2477550**	**1783090**	**807200**	**518214**

योजना का नाम - मुख्यमंत्री सुपोषण योजना

क्रं.	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25 (26 नवम्बर 2024 की स्थिति में)	
			प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	जिला कार्यालय		715000	703626	4673200	0	22552278	9259522	0	0
1	बालोद	बालोद	560000	271068	6650000	5589215	10050000	8221498	0	0
2	गुरूर	गुरूर	650000	409168	8250000	3807459	8619895	8619895	0	0
3	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	1045000	886208	11790000	8701835	14975432	14975432	0	0
4	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा	770000	539342	4550000	3308385	4866000	4669685	0	0
5		देवरी	770000	286676	3150000	1100557	3460354	3017988	0	0
6	डौण्डी	डौण्डी	860000	817307	4300000	2928097	4000000	3905323	0	0
7		डौण्डी-2	980000	902229	3400000	2450646	4900041	4570856	0	0
8		दल्लीराजहरा	70000	50419	2350000	680839	1000000	1000000	0	0
	योग		**6420000**	**4866043**	**49113200**	**28567033**	**74424000**	**58240199**	**0**	**0**

योजना का नाम - जिला खनिज न्यास निधि बालोद

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2021-22 में प्राप्त राशि	व्यय राशि	वर्ष 2022-23 में प्राप्त राशि	व्यय राशि	वर्ष 2023-24 में प्राप्त राशि	व्यय राशि	वर्ष 2024-25 (26 नवम्बर 2024 की स्थिति में) में प्राप्त राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जिला खनिज न्यास निधि बालोद	5000000	5000000	19932409	19385995	6648903	5738103	15660756	9432081
योग		5000000	5000000	19932409	19385995	6648903	5738103	15660756	9432081

परिशिष्ट - बयासी
अतारांकित प्रश्न संख्या 67 (क्र. 641) की जानकारी

प्रपत्र

जिला बलरामपुर का योजनावार प्राप्त आबंटन एवं योजनावार व्यय राशि की जानकारी

- **कुपोषण मुक्ति से संबंधित योजनाओं पर प्राप्त आबंटन (2020-21 से 2023-24)**

वर्ष	योजना का नाम				कुलराशि
	पोषण आहार	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ	मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	सुपोषण चौपाल	
2020-21	269600000	902000	37206957	1767000	309475957
2021-22	298752206	1493740	6686665	1194000	308126611
2022-23	96968000	1712800	33597236	1194000	133472036
2023-24	109405000	2937700	44515000	1328750	158186450

- **कुपोषण मुक्ति से संबंधित योजनाओं पर व्यय राशि (2020-21 से 2023-24)**

वर्ष	योजना का नाम				कुलराशि
	पोषण आहार	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ	मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	सुपोषण चौपाल	
2020-21	265443276	564122	35157623	1444250	302609271
2021-22	256602177	1124544	6686665	977000	265390386
2022-23	96377403	1599019	33597220	979500	132553142
2023-24	109083098	2709469	43863712	1262500	156918779

परिशिष्ट - तिरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 68 (क्र. 643) की जानकारी

प्रपत्र–'अ'

जिला बलरामपुर अंतर्गत आने वाले प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी			
स.क.	हितग्राही/एजेसी का नाम	कार्य	भुगतान की गयी राशि
1	लक्ष्मी महिला स्वय सहायता समुह	प्रशिक्षण संबधित व्यय	808906
2	राज स्टेशनरी	प्रशिक्षण/कार्यालयीन बैठक संबधित व्यय	28000
3	रीमा	प्रशिक्षण संबधित व्यय	4000
4	अम्बालिका	प्रशिक्षण संबधित व्यय	4000
5	रजु मेहता	प्रशिक्षण संबधित व्यय	4000
6	मुक्ता	प्रशिक्षण संबधित व्यय	4000
7	तरूण विश्वास	प्रशिक्षण संबधित व्यय	95100
8	निमित ट्रेडर्स	प्रशिक्षण संबधित व्यय	270325
9	बिहान कैटिन	प्रशिक्षण/कार्यालयीन बैठक संबधित व्यय	425040
10	बिराजो खेस	प्रशिक्षण संबधित व्यय	400
11	सुचना प्रभाती एक्का	प्रशिक्षण संबधित व्यय	7800
12	कल्पना प्रिटिंग प्रेंस	प्रशिक्षण/कार्यालयीन स्टेशनरी संबधित व्यय	91543
13	अजय भगत	प्रशिक्षण संबधित व्यय	4000
14	एकता महिला संकुल संगठन	प्रशिक्षण संबधित व्यय	129000
15	लाडली स्वय सहायता समुह	प्रशिक्षण संबधित व्यय	376809
16	होटल प्रिति	प्रशिक्षण संबधित व्यय	268160
17	आकाश महिला संकुल संगठन	प्रशिक्षण संबधित व्यय	68000
18	आम स्वय सहायता समुह	प्रशिक्षण संबधित व्यय	104400
19	अमित कुमार	प्रशिक्षण संबधित व्यय	39050
20	गायत्री स्वय सहायता समुह	प्रशिक्षण संबधित व्यय	320240
21	भगवत स्वय सहायता समुह	प्रशिक्षण संबधित व्यय	31500
22	यादव टेन्ट एण्ड डी जे साउण्ड	प्रशिक्षण संबधित व्यय	22500
23	प्रजापति मेडीकल	प्रशिक्षण संबधित व्यय	15150
24	मुकेश कुमार	प्रशिक्षण संबधित व्यय	28820
25	तिवारी प्रिंटर्स एण्ड स्टेशनरी	प्रशिक्षण/कार्यालयीन स्टेशनरी संबधित व्यय	188600
26	शन्नी स्वीटस	प्रशिक्षण संबधित व्यय	96800
27	अनुज ट्रेवल्स	प्रशिक्षण/कार्यालयीन वाहन उपयोग संबधित व्यय	10000
28	पवन कुमारी	प्रशिक्षण संबधित व्यय	6400
29	हिना कुमारी	प्रशिक्षण संबधित व्यय	6400

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

स.क.	हितग्राही/एजेसी का नाम	कार्य	भुगतान की गयी राशि
30	अतुल टेन्ट हाउस रामानुजगंज	प्रशिक्षण संबधित व्यय	182080
31	वर्मा ट्रेवल्स	प्रशिक्षण/कार्यालयीन वाहन उपयोग संबधित व्यय	20000
32	लंका सिंह	प्रशिक्षण संबधित व्यय	6400
33	नरेन्द्र सिंह	प्रशिक्षण संबधित व्यय	6400
34	लवंग साय टेन्ट	प्रशिक्षण संबधित व्यय	69600
35	शैलेष पटेल	प्रशिक्षण संबधित व्यय	3200
36	मनबसो सिंह	प्रशिक्षण संबधित व्यय	3200
37	आरती स्वय सहायता समुह	प्रशिक्षण संबधित व्यय	523781
38	होटल कुशवाहा जी	प्रशिक्षण संबधित व्यय	165204
39	रमेश	प्रशिक्षण संबधित व्यय	1800
40	भारती फलैक्स एण्ड प्रिटिग	प्रशिक्षण संबधित व्यय	3299
41	हिना सिंह	प्रशिक्षण संबधित व्यय	800
42	अजय सिंह	प्रशिक्षण संबधित व्यय	800
43	संगीता सिंह	प्रशिक्षण संबधित व्यय	800
44	आशिष सिंह	प्रशिक्षण संबधित व्यय	800
45	महामया एण्ड कम्प्युटर स्टेशनरी	प्रशिक्षण संबधित व्यय	22920
46	दुर्गावती स्वय सहायता समुह	प्रशिक्षण संबधित व्यय	66650

जिला सूरजपुर अंतर्गत आने वाले प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी

स.क.	एजेंसी का नाम	कार्य	भुगतान की गई राशि
1	तिवारी प्रिटर्स	कार्यालयीन देयको का भुगतान	39720
2	36 गड़ महिला समूह घुई	कार्यालयीन देयको का भुगतान	56480
3	देव साय ग्रा0 गोविन्दपुर,	कार्यालयीन देयको का भुगतान	16700
4	तिवारी प्रिटर्स	कार्यालयीन देयको का भुगतान	3950
5	मनीलाल पैकरा बनारस रोड अमनदोना	कार्यालयीन देयको का भुगतान	82660
6	संतोष पैकरा	कार्यालयीन देयको का भुगतान	35000
7	तिवारी प्रिटर्स एवं स्टेशनरी, प्रिया स्वीट्स	कार्यालयीन देयको का भुगतान	35349
8	मनीलाल पैकरा बनारस रोड अमनदोना	कार्यालयीन देयको का भुगतान	16630
9	तिवारी प्रिटर्स एवं स्टेशनरी,	कार्यालयीन देयको का भुगतान	72499
10	छाया समूह	कार्यालयीन देयको का भुगतान	94650
11	तिवारी प्रिटर्स एवं स्टेशनरी,	कार्यालयीन देयको का भुगतान	2832
12	दिलीप ट्रेवल्स,	प्रतापपुर कार्यालय देयक(उपयोग किए गए वाहन एवं समिक्षा बैठक)	292114
13	प्रिया स्विटस	प्रतापपुर कार्यालय देयक(उपयोग किए गए वाहन एवं समिक्षा बैठक)	22130
14	कृष्णा स्टेशनरी	ग्राम आम सभा देयक भुगतान	74760
15	छ0ग0 स्वं0सहा0समुह	ग्राम आम सभा देयक भुगतान	236150
16	राजवाडे टेंट	ग्राम आम सभा देयक भुगतान	44000
17	मॉ दुर्गा समूह	ग्राम आम सभा देयक भुगतान	196290
18	जागृति महिला टेंट हाउस	ग्राम आम सभा देयक भुगतान	271940
19	दुर्गा मॉ स्वं0सहा0समुह	ग्राम आम सभा देयक भुगतान	197550

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

स.क.	हितग्राही/एजेसी का नाम	कार्य	भुगतान की गयी राशि
20	बिरंची टेंट	ग्राम आम सभा देयक भुगतान	44000
21	तिवारी प्रिंटस एवं स्टेशनरी	ई.सी.सदस्यों का एस ओ पी विषय पर प्रशिक्षण	13235
22	जागृति महिला टेंट हाउस	ई.सी.सदस्यों का एस ओ पी विषय पर प्रशिक्षण	95300
23	दिरंची बेक	ई.सी.सदस्यों का एस ओ पी विषय पर प्रशिक्षण	1600
24	अंकु सिंह	ई.सी.सदस्यों का एस ओ पी विषय पर प्रशिक्षण	1600
25	तिवारी प्रिंटस एवं स्टेशनरी	ग्राम संगठन उपसमिति प्रशिक्षण	18068
26	जागृति महिला टेंट एण्ड कैटर्स	ग्राम संगठन उपसमिति प्रशिक्षण	69600
27	दिरंची बेक	ग्राम संगठन उपसमिति प्रशिक्षण	800
28	अंकु सिंह	ग्राम संगठन उपसमिति प्रशिक्षण	800
29	कृष्णा स्टेशनरी	संकुल संगठन आम सभा	3360
30	छ0ग0 स्वं0सहा0समुह	संकुल संगठन आम सभा	17600
31	,राजवाडे टेंट हाउस	संकुल संगठन आम सभा	4000
32	मॉ दुर्गा स्वं0सहा0समुह	संकुल संगठन आम सभा	17340
33	जगृति स्वं0सहा0समुह	संकुल संगठन आम सभा	21325
34	दुर्गा मॉ स्वं0सहा0समुह	संकुल संगठन आम सभा	17340
35	बिरंची टेंट	संकुल संगठन आम सभा	4000
36	कृष्णा स्टेशनरी	एफ.आई शाखा देयको का भुगतान	6030
37	संतोष कुमार	एफ.आई शाखा देयको का भुगतान	1200
38	बिरंची टेंट	एफ.आई शाखा देयको का भुगतान	8100
39	दुर्गा मॉ स्वं0सहा0समुह	एफ.आई शाखा देयको का भुगतान	6300
40	तिवारी प्रिंटर्स	कार्यालिन देयक भुगतान	76679
41	तिवारी प्रिंटर्स	कार्यालिन देयक भुगतान	7020
42	इंफोसॉफट	कार्यालिन देयक भुगतान	9228
43	तिवारी प्रिंटर्स	कार्यालिन देयक भुगतान	14051
44	निलम ईन्फोटेक	कार्यालिन देयक भुगतान	2000
45	जागृति महिला स्वं0सहा0समुह	एल.एच.कॉष्ट का भुगतान	23550
46	तिवारी प्रिंटर्स	एल.एच.कॉष्ट का भुगतान	2690
47	दुर्गा मॉ स्वं0सहा0समुह	एल.एच.कॉष्ट का भुगतान	34500
48	जागृति महलिा टेंट	एल.एच.कॉष्ट का भुगतान	9720
49	जागृति महलिा टेंट	एल.एच.कॉष्ट का भुगतान	8000
50	दिलीप ट्रेवर्ल्स	सी.एम.एस.ए राउंड के देयको का भुगतान	69840
51	जागृति महिला टेंट एण्ड कैटर्स	सी.एम.एस.ए राउंड के देयको का भुगतान	4640
52	तिवारी प्रिंटर्स	सी.एम.एस.ए राउंड के देयको का भुगतान	8768
53	दिलीप ट्रेवर्ल्स	आई.सी.आरपी चक देयक भुगतान	29398
54	36 गढ़ समूह	आई.सी.आरपी चक देयक भुगतान	10000
55	तिवारी प्रिंटर्स	आई.सी.आरपी चक देयक भुगतान	6565
56	प्रिया स्विट्स	आई.सी.आरपी चक देयक भुगतान	2840

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

राज्य कार्यक्रम प्रबंधक – वित्त
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
विकास भवन, सेक्टर 19,
[illegible]

प्रपत्र – 'ब'

जिला बलरामपुर अंतर्गत आने वाले प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी			
स.क.	योजना अंर्तगत संचालित मशीनरीज का विवरण	मशीनरी कहॉ संचालित है	भौतिक स्थिति
1	आटा,मशाला मिल	ग्राम बसन्तपुर विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
2	तेल मिल	ग्राम फुलीडूमर विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
3	धान कुटाई मिल	ग्राम गोबरा विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
4	मशाला मिल	ग्राम गोबरा विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
5	धान कुटाई मिल	ग्राम कोटी विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
6	धान कुटाई मिल	ग्राम गुरमुटी विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
7	जेसीबी	ग्राम कोल्हुआ विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
8	आटा चक्की	ग्राम पेण्डारी विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
9	तेल मिल	ग्राम लमोरी विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
10	ट्रेक्टर	ग्राम स्याही विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
11	मिनी राइस मिल	ग्राम विरेन्द्रनगर विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
12	फोटो कॉपी मशीन	ग्राम महुली विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
13	फोटो कॉपी मशीन	ग्राम गोन्दला विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
14	हवा भरने की मशीन	ग्राम महुली विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
15	ट्रेक्टर	ग्राम अमरावतीपुर विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
16	ट्रेक्टर	ग्राम अमरावतीपुर विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
17	ट्रेक्टर	ग्राम मानपुर विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
18	डी0जे0	ग्राम बरतीकलॉ विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
19	तेल मिल	ग्राम बरतीकलॉ विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
20	धान कुटाई मिल	ग्राम भगवानपुर विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
21	ट्रेक्टर	ग्राम बडकागांव विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
22	धान कुटाई मिल	ग्राम अमरावतीपुर विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
23	फोटो कॉपी मशीन	ग्राम अमरावतीपुर विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
24	धान कुटाई मिल	ग्राम कडिया विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
25	तेल मिल	ग्राम ओदारी विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
26	धान कुटाई मिल	ग्राम ओदारी विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
27	वेल्डींग दुकान	ग्राम मानपुर विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
28	आटा चक्की मिल	ग्राम जौराही विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
29	मशाला मिल	ग्राम पण्डरी विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
30	आटा चक्की मिल	ग्राम रघुनाथनगर विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

31	टायर हवा मशीन	ग्राम सरना विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
32	फोटो कॉपी मशीन	ग्राम आसनडीह विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
33	फोटो कॉपी मशीन	ग्राम पण्डरी विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
34	आटा चक्की मिल	ग्राम पण्डरी विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
35	तेल मिल	ग्राम पण्डरी विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
36	धान कुटाई मिल	ग्राम कमलपुर विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
37	आटा चक्की मिल	ग्राम आसनडीह विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
38	थ्रेसर मशीन	ग्राम आसनडीह विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
39	फोटो कॉपी मशीन	ग्राम आसनडीह विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
40	जेसीबी	ग्राम कोगवार विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
41	जेसीबी	ग्राम तुगंवा विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
42	टेन्ट डेकोरेशन	ग्राम जोगीयानी विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
43	आटा चक्की मिल	ग्राम बिजाकुरा विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
44	ट्रेक्टर	ग्राम बगईनार विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
45	फोटो कॉपी मशीन	ग्राम करमडीहा ब विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
46	मिनी राइस मिल	ग्राम करमडीहा ब विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
47	फोटो कॉपी मशीन	ग्राम करमडीहा ब विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
48	धान कुटाई मिल	ग्राम महुली विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
49	वीडियों सुटिंग,फोटो कॉपी मशीन	ग्राम महुली विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
50	फोटो स्टूडियों	ग्राम महुली विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
51	फोटो कॉपी मशीन	ग्राम गोंन्दला विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
52	डी0जे0 मशीन	ग्राम बेलसर विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
53	मिनी आटा चक्की मशीन	ग्राम करमडीहा ब विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
54	धान कुटाई मिल	ग्राम चलगली विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
55	धान कुटाई मिल	ग्राम चलगली विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
56	धान कुटाई मिल	ग्राम मानपुर विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
57	डीजे टेन्ट	ग्राम ओदारी विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
58	डीजे टेन्ट	ग्राम बडकागांव विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
59	मिनी मशाला मिल	ग्राम मिथिलापुर विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
60	दाल मिल	ग्राम रघुनाथनगर विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू
61	मिनी राइस मिल	ग्राम परसडीहा विकासखण्ड वाड्रफनगर	चालू

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

जिला सूरजपुर अंतर्गत आने वाले प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी			
स.क्र.	योजना अन्तर्गत संचालित मशीनरीज का विवरण	मशीनरीज कहॉ संचालित है	भौतिक स्थिति
1	पैकेजिंग मशीन,रोस्टर,एयर ड्रायर,कम्प्रेशर,रिंग रोस्टर,हॉडी मिक्सर	ग्राम पंचायत सरहरी में मां गौरी महिला स्वय सहायता समूह के मनबस दीदी के घर में संचालित है।	चालू
2	धान मिल	ग्राम पंचायत पकनी में बादल महिला स्वय सहायता समूह के कान्ती देवी दीदी के घर में संचालित है।	चालू
3	धान मिल	ग्राम पंचायत पकनी में माता महिला स्वय सहायता समूह के बिन्दु दीदी के घर में संचालित है।	चालू
4	धान मिल	ग्राम पंचायत जजावल में वंदना महिला स्वय सहायता समूह के नीलम दीदी के घर में संचालित है।	चालू
5	आटा चक्की	ग्राम पंचायत जजावल में सरस्वती महिला स्वय सहायता समूह के हिरमनिया दीदी के घर में संचालित है।	चालू

राज्य कार्यक्रम प्रबंधक - वित्त
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
विकास भवन,सेक्टर 19,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र– 'स

जिला बलरामपुर अंतर्गत आने वाले प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी			
स.क.	वर्ष	प्रशिक्षण में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या	प्रशिक्षण में व्यय
1	वित्तीय वर्ष 2021–22	116	324800.00
2	वित्तीय वर्ष 2022–23	3041	3802938.00
3	वित्तीय वर्ष 2023–24	373	408939.00

जिला सूरजपुर अंतर्गत आने वाले प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी			
स.क.	वर्ष	प्रशिक्षण में लाभान्वित हितग्राहीयों की संख्या	प्रशिक्षण में व्यय
1	वित्तीय वर्ष 2021–22	190	169981
2	वित्तीय वर्ष 2022–23	406	666441
3	वित्तीय वर्ष 2023–24	190	39153

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

राज्य कार्यक्रम प्रबंधक - वित
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
विकास भवन,सेक्टर 19,
नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पारिशिष्ट - चौरासी
अतारांकित प्रश्न संख्या 69 (क्र. 646) की जानकारी

प्रपत्र

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी भवन निर्माण

क्र	आ. बा. केन्द्र का नाम	क्र	आ. बा. केन्द्र का नाम
1	वार्ड 13	17	भकुर्रावनापारा
2	बेलसरा 1	18	पांड़
3	पोड़ीकला 1	19	परसदा
4	उमरिया	20	गोकुलपुर
5	समडल 1	21	सागर 1
6	दैजा 1	22	भिलौनी
7	बांधा 2	23	भाड़म 1
8	जरौंधा 3	24	चोरभठ्ठी खुर्द 1
9	जोगीपुर 2	25	छतौना 5
10	राम्हेपुर	26	पेझडछारी 1
11	रानीडेरा 2	27	बहतराई 3
12	मोढे 1	28	अमेरी 3
13	मरहीकापा	29	सकरी 6
14	साल्होकापा	30	उस्लापुर 4
15	घोरामार	31	घुरू 2
16	करनकापा	32	जोंकी 2

परिशिष्ट - पचासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 73 (क्र. 659) की जानकारी

प्रपत्र–

// डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में आउट सोर्सिंग कर्मचारियों के पद अनुसार भुगतान दर, कर्मचारियों की निविदा एवं वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी की जानकारी //

स.क्र.	आउटसोर्स कर्मचारियों का विवरण	प्रतिमाह प्रति कर्मचारी भुगतान की दर (कलेक्टर दर+ई.पी. एफ.+ई.एस.आई.सी.+ सेवा शुल्क+ जी.एस. टी. सहित)	निविदा अनुसार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की संख्या	वर्तमान में कार्यरत् आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की संख्या	रिमार्क
1	सफाई सुपरवाईजर (कुशल श्रमिक अंतर्गत)	रू. 17680.68	06	06	
2	सफाई कर्मचारी (अकुशल श्रमिक अंतर्गत)	रू. 15719.08	230	230	
3	सुरक्षा सुपरवाईजर (कुशल श्रमिक अंतर्गत)	रू. 17445.00	10	10	
4	सुरक्षा कर्मचारी (अकुशल श्रमिक अंतर्गत)	रू. 15483.00	216	216	
5	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	रू. 18000.00	1	2	आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ होने के कारण पदों की संख्या में वृद्धि की गई थी।
6	लैन टेक्नोलॉजिस्ट	रू. 15400.00	1	2	
7	हार्डवेयर टेक्नोलॉजिस्ट	रू. 15400.00	1	1	
8	कम्प्यूटर ऑपरेटर (कुशल श्रमिक अंतर्गत)	रू. 17230.00	61	97	
9	लॉण्ड्री मशीन ऑपरेटर (कुशल श्रमिक अंतर्गत)	रू. 12330.00	08	08	
10	लॉण्ड्री हेल्पर (अकुशल श्रमिक अंतर्गत)	रू. 11550.00	22	22	

अनुभाग अधिकारी
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 से जून 2024 तक स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	वर्ष	कुल कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति कार्य	अप्रारम्भ कार्य	भुगतान राशि (लाख में)	
							मजदूरी	सामग्री
1	जनपद पंचायत नगरी	2021-22	6447	5849	596	2	3705.45	494.71
2		2022-23	3496	2216	1177	103	2775.01	440.61
3		2023-24	5908	4301	848	759	2713.77	777.36
4		2024-25	105	2	57	46	1201.43	421.16
	योग :–		**15956**	**12368**	**2678**	**910**	**10395.66**	**2133.84**
1	जनपद पंचायत मगरलोड	2021-22	916	909	7	0	2290.76	353.96
2		2022-23	914	870	29	15	1768.90	261.30
3		2023-24	1625	1278	168	179	1447.94	323.45
4		2024-25	229	50	100	79	125.78	16.45
योग :–			**3684**	**3107**	**304**	**273**	**5633.38**	**955.16**
महायोग			**19640**	**15475**	**2982**	**1183**	**16029.04**	**3089.00**

संयुक्त आयुक्त
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी योजना छ.ग. रायपुर

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

पॉरिशेष्ट - सत्तासी
अतारांकेत प्रश्न संख्या 76 (क्र. 664) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	थाना	भादवि के दर्ज संख्या	विशेष/स्थानीय अधि. के तहत दर्ज संख्या	योग
1	कोतवाली	134	96	230
2	अर्जुनी	622	73	695
3	कुरूद	1529	159	1688
4	भखारा	411	77	488
5	सिहावा	368	58	426
6	मगरलोड	530	141	671
7	नगरी	323	49	372
8	रूद्री	197	23	220
9	केरेगांव	111	12	123
10	दुगली	71	2	73
11	मेचका	20	0	20
12	बोरई	44	4	48
13	अकलाडोगरी	18	0	18
14	खल्लारी	10	0	10
योग		4388	694	5082

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 01 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 तक की अवधि में किये गये मरम्मत कार्य हेतु प्राप्त राशि की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	सड़क का नाम	लंबाई (किमी. में)	व्यय राशि (रू. लाख में)	प्राप्त राशि दिनांक	मरम्मत किये जाने की अवधि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पंडरिया	महका खैरझिटी से कांपादाह	12.80	321.63	19-11-24, 21-02-24	01/01/2024 से 30-11-2024	सोल्डर एवं फर्नीचर कार्य प्रगति पर
2	कवर्धा	मेनरोड से पेन्ड्रा	3.15	32.70	15-03-24 , 30-10-2024	01/01/2024 से 13/04/2024	पूर्ण
3	पंडरिया	कोयलारीकापा से लालपुरकला	3.75	60.92	15-03-24 , 06-08-24 , 15-10-24	01/01/2024 से 30/07/2024	पूर्ण
4	पंडरिया	मंझोली से देवपुरा	2.60	42.86	15-03-24 , 06-08-24 , 15-10-24	01/01/2024 से 30/07/2024	पूर्ण
5	पंडरिया	बोड़तराखुर्द से बेलमुड़ा	1.40	11.87	15-03-24 , 06-08-24 , 15-10-24	01/01/2024 से 30/07/2024	पूर्ण
6	पंडरिया	धोबघट्टी से केसलमारा	8.53	135.10	06-08-2024	01/01/2024 से 30-11-2024	सोल्डर एवं फर्नीचर कार्य प्रगति पर
7	पंडरिया	चियाडांड से माराडबरा	9.80	94.67	07-03-24 , 21-05-24	01/01/2024 से 13/04/2024	पूर्ण
8	पंडरिया	मेनरोड से मंझोलीरवन	9.70	52.29	15-03-2024	01/01/2024 से 13/04/2024	पूर्ण
योग			**51.73**	**752.04**			

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
विकास विभाग

परिशिष्ट - नवासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 81 (क्र. 682) की जानकारी

प्रपत्र

जिला–सरगुजा में वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में 26.11.2024 तक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामग्री (ट्रायसायकल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र एवं अन्य) सप्लाई करने वाली एजेंसी, सामग्री की दर एवं मात्रा की जानकारी

––::0::––

क्र.	सप्लाई एजेंसी का नाम	सामग्री का नाम	वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25 (26.11.2024 तक)	
			दर	मात्रा	दर	मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जी.टी. रोड, कानपुर	मोटराईज्ड ट्रायसायकल	42,000/–	47	–	–
2	कवीरा सॉल्यूशन, इन्द्रप्रस्थ नगर नागपुर, महराष्ट्र		45,000/–	55	–	–
3	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जी.टी. रोड, कानपुर	व्हीलचेयर	8,700/–	11	–	–
4	आईडियल आर्टिफिशियल लिम्ब सॉल्यूशन, नई–दिल्ली		–	–	6,500/–	32
5	भट्ट सर्जिकल, नई–दिल्ली		–	–	12,300/–	12
6	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जी.टी. रोड, कानपुर	श्रवण यंत्र	3,200/–	1	–	–
7	हेयरिंग केयर सेंटर कचहरी चौक, रायपुर	डिजिटल श्रवण यंत्र	13,990/–	86	–	–
8	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जी.टी. रोड, कानपुर	बैशाखी	1,019/–	1	–	–
9	आईडियल आर्टिफिशियल लिम्ब सॉल्यूशन, नई–दिल्ली		–	–	1,095/–	136
10	आईडियल आर्टिफिशियल लिम्ब सॉल्यूशन, नई–दिल्ली	छड़ी	–	–	420/–	343
योग				201		523

अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्ष 2021–22 से दिनांक 26.11.2024 तक स्वीकृत कार्यों की जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्य की संख्या	कार्य की अद्यतन स्थिति		
				पूर्ण	प्रगतिरत / अपूर्ण	अप्रारम्भ
1	2	3	4	5	6	7
1	डभरा	2021–22	558	516	42	0
		2022–23	391	331	60	0
		2023–24	469	212	179	78
		26 नवम्बर 2024 तक	841	44	98	699
		योग	**2259**	**1103**	**379**	**777**
2	मालखरौदा	2021–22	121	103	18	0
		2022–23	102	85	17	0
		2023–24	270	82	110	78
		26 नवम्बर 2024 तक	508	77	88	343
		योग	**1001**	**347**	**233**	**421**
		महायोग	**3260**	**1450**	**612**	**1198**

संयुक्त आयुक्त
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना छ.ग. रायपुर

परिशिष्ट - इनक्यानबे

अतारांकित प्रश्न संख्या 85 (क्र. 694) की जानकारी

प्रपत्र-अ

01 जनवरी 2021 से दिनांक 26.11.2024 तक रोजगार मेला / प्लेसमेंट कैंप आयोजन की जानकारी

क्र.	दिनांक	स्थान
	वर्ष 2021	
1	11 से 23 जनवरी 2021	ऑनलाईन प्लेसमेंट कैम्प, रोजगार कार्यालय रायपुर
2	20 जनवरी 2021	ऑनलाईन प्लेसमेंट कैम्प, रोजगार कार्यालय रायपुर
3	27 फरवरी 2021	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
4	15 मार्च 2021	रोजगार कार्यालय रायपुर, ऑनलाईन प्लेसमेंट कैम्प)
5	22 मार्च 2021	रोजगार कार्यालय रायपुर, ऑनलाईन प्लेसमेंट कैम्प)
6	11 से 23 जनवरी 2021	ऑनलाईन प्लेसमेंट कैम्प, रोजगार कार्यालय रायपुर
7	14 जुलाई 2021	रोजगार कार्यालय रायपुर
8	19 जुलाई 2021	रोजगार कार्यालय रायपुर
9	24 जुलाई 2021	रोजगार कार्यालय रायपुर
10	24 जुलाई 2021	रोजगार कार्यालय रायपुर
11	26 जुलाई 2021	रोजगार कार्यालय रायपुर
12	30 जुलाई 2021	एक्सटेंशन काउंटर, कमर्शिलय काम्प्लेक्स राखी, नवा रायपुर
13	10 अगस्त 2021	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
14	13 अगस्त 2021	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
15	16 अगस्त 2021	आई.टी.आई. सड्डू, जिला रायपुर
16	23 अगस्त 2021	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
17	26 अगस्त 2021	आई.टी.आई. माना, जिला रायपुर
18	27 अगस्त 2021	एक्सटेंशन काउंटर, नवा रायपुर
19	03 सितम्बर 2021	एक्सटेंशन काउंटर, रोजगार कार्यालय नवा रायपुर
20	06 सितम्बर 2021	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
21	15 सितम्बर 2021	शासकीय पी.जी. उमाठे कन्या उ0मा0 शाला, रायपुर
22	24 सितम्बर 2021	एक्सटेंशन काउंटर, रोजगार कार्यालय नवा रायपुर
23	27 सितम्बर 2021	आई.टी.आई. सड्डू (महिला), रायपुर
24	19 जुलाई 2021	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
25	04 अक्टूबर 2021	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
26	11 अक्टूबर 2021	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
27	21 अक्टूबर 2021	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
28	15 नवंबर 2021	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
29	26 नवंबर 2021	एक्सटेंशन काउंटर, कमर्शिलय काम्प्लेक्स, ग्राम राखी, नवा रायपुर
30	06 दिसम्बर 2021	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
31	31 दिसम्बर 2021	एक्सटेंशन काउंटर, नया रायपुर

10/12/2024
अनुभाग अधिकारी
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, अटल नगर (छ.ग.)

वर्ष 2022		
32	1 से 15 जनवरी 2022	ऑनलाईन प्लेसमेंट कैम्प
33	11 से 30 जनवरी 2022	ऑनलाईन प्लेसमेंट कैम्प
34	31 जनवरी 2022	ऑनलाईन प्लेसमेंट कैम्प
35	15 से 21 फरवरी 2022	ऑनलाईन प्लेसमेंट कैम्प रोजगार कार्यालय रायपुर
36	28 फरवरी 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
37	7 मार्च 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
38	9 मार्च 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
39	10 मार्च 2022	आई0टी0आई0 सड्डू, रायपुर
40	11 मार्च 2022	लाइवलीहुड कॉलेज, रायपुर
41	23 मार्च 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
42	30 मार्च 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
43	30 मार्च 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
44	04 अप्रैल 2022	रोजगार कार्यालय रायपुर
45	07 अप्रैल 2022	रोजगार कार्यालय रायपुर
46	11 अप्रैल 2022	रोजगार कार्यालय रायपुर
47	18 अप्रैल 2022	रोजगार कार्यालय रायपुर
48	19 अप्रैल 2022	रोजगार कार्यालय रायपुर
49	25 अप्रैल 2022	रोजगार कार्यालय रायपुर
50	02 मई 2022	रोजगार कार्यालय रायपुर
51	09 मई 2022	रोजगार कार्यालय रायपुर
52	17 मई 2022	रोजगार कार्यालय रायपुर
53	24 मई 2022	रोजगार कार्यालय रायपुर
54	30 मई 2022	रोजगार कार्यालय रायपुर
55	6 जून 2022	रोजगार कार्यालय रायपुर
56	13 जून 2022	रोजगार कार्यालय रायपुर
57	6 जुलाई 2022	रोजगार कार्यालय रायपुर
58	18 जुलाई 2022	रोजगार कार्यालय रायपुर
59	05 अगस्त 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
60	8 अगस्त 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
61	22 अगस्त 2022	माध्यमिक शाला सिलतरा, रायपुर
62	22 अगस्त 2022	माध्यमिक शाला सिलतरा, रायपुर
63	23 अगस्त 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
64	29 अगस्त 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
65	12 सितम्बर 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
66	26 सितम्बर 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
67	10 अक्टूबर 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
68	17 अक्टूबर 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
69	14 नवंबर 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर

10/12/2024
अनुभाग अधिकारी
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, अटल नगर (छ.ग.)

70	16 नवंबर 2022	जनपद पंचायत भवन, आरंग
71	21 नवंबर 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
72	22 नवंबर 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
73	23 नवंबर 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
74	29 नवंबर 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
75	05 दिसम्बर 2022	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
76	22 दिसम्बर 2022	आई0टी0आई0 सड्डू, रायपुर
	वर्ष 2023	
77	5 जनवरी 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
78	9 जनवरी 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
79	18 जनवरी 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
80	27 जनवरी 2023	एक्सटेंशन काउंटर, नवा रायपुर
81	13 फरवरी 2023	रोजगार कार्यालय परिसर रायपुर
82	21 फरवरी 2023	रोजगार कार्यालय परिसर रायपुर
83	28 फरवरी 2023	रोजगार कार्यालय परिसर रायपुर
84	14 मार्च 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
85	17 मार्च 2023	एक्सटेंशन काउंटर, नवा रायपुर
86	21 मार्च 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
87	24 मार्च 2023	एक्सटेंशन काउंटर, नवा रायपुर
88	27 मार्च 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
89	03 अप्रैल 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
90	13 अप्रैल 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
91	24 अप्रैल 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
92	02 मई 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
93	08 मई 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
94	08 मई 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
95	15 मई 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
96	22 मई 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
97	25 मई 2023	शासकीय प्राथमिक शाला, धरसींवा, जिला-रायपुर
98	25 मई 2023	शासकीय प्राथमिक शाला, धरसींवा, जिला-रायपुर
99	13 जून 2023	पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, रोजगार कार्यालय रायपुर
100	14 से 16 जून 2023	पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, रोजगार कार्यालय रायपुर
101	19 जून 2023	पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, रोजगार कार्यालय रायपुर
102	3 जुलाई 2023	रोजगार कार्यालय रायपुर
103	7 जुलाई 2023	एक्सटेंशन काउंटर, नवा रायपुर
104	18 जुलाई 2023	रोजगार कार्यालय रायपुर
105	19 से 21 जुलाई 2023	रोजगार कार्यालय रायपुर
106	14 अगस्त 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
107	28 अगस्त 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
108	4 से 8 सितम्बर 2023	मल्टीलेवल पार्किंग, कलेक्टोरेट, घड़ी चौक, रायपुर

10/12/2024
अनुभाग अधिकारी
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, अटल नगर (छ.ग.)

109	11 सितम्बर 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
110	20 सितम्बर 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
111	29 सितम्बर 2023	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
112	4 अक्टूबर 2023	छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर
113	6 अक्टूबर 2023	रोजगार कार्यालय परिसर रायपुर
	वर्ष 2024	
114	2 जनवरी 2024	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
115	9 जनवरी 2024	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
116	16 जनवरी 2024	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
117	17 जनवरी 2024	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
118	18 जनवरी 2024	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
119	19 जनवरी 2024	एक्सटेंशन काउंटर, नवा रायपुर
120	29 जनवरी 2024	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
121	05 फरवरी 2024	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
122	12 फरवरी 2024	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
123	18 फरवरी 2024	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
124	28 फरवरी 2024	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
125	04 मार्च 2024	शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय रायपुर
126	11 मार्च 2024	रोजगार कार्यालय परिसर, रायपुर
127	10 जून 2024	रोजगार कार्यालय परिसर रायपुर
128	18 जून 2024	रोजगार कार्यालय परिसर रायपुर
129	05 जुलाई 2024	रोजगार कार्यालय परिसर रायपुर
130	10 जुलाई 2024	रोजगार कार्यालय परिसर रायपुर
131	15 जुलाई 2024	रोजगार कार्यालय परिसर रायपुर
132	27 अगस्त 2024	रोजगार कार्यालय परिसर रायपुर
133	12 से 14 सितम्बर 2024	रोजगार कार्यालय परिसर रायपुर
134	20 सितम्बर 2024	रोजगार कार्यालय परिसर रायपुर
135	15 से 27 अक्टूबर 2024	लाइवलीहुड कॉलेज, आई0टी0आई0 माना, जनपद अभनपुर/ तिल्दा/ धरसींवा/आरंग एवं मंदिर हसौद जिला रायपुर में आयोजित

10/12/2024
अनुभाग अधिकारी
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र-ब

01 जनवरी 2021 से 26 नवंबर 2024 तक रोजगार मेला/प्लेसमेंट कैम्प में किये गये व्यय की वित्तीय वर्षवार जानकारी

क्र.	वित्तीय वर्ष	व्यय की राशि
1	2020-21	निरंक
2	2021-22	1,42,647.00
3	2022-23	2,54,515.00
4	2023-24	82,700.00
5	2024-25 (दिनांक 26.11.2024 तक)	5,370.00

10/12/2024
अनुभाग अधिकारी
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, अटल नगर (छ.ग.)

परिशिष्ट - बयानबे

अतारांकित प्रश्न संख्या 88 (क्र. 705) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में मुख्यमंत्री पेंशन योजना से लाभान्वित हितग्राहियों की जिलेवार जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	लाभान्वित हितग्राही
1	2	3
1	रायपुर	20,268
2	बलौदाबाजार	31,793
3	गरियाबन्द	16,878
4	महासमुंद	19,319
5	धमतरी	33,763
6	दुर्ग	14,539
7	बालोद	34,674
8	बेमेतरा	20,461
9	राजनांदगांव	16,617
10	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	7,814
11	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	14,117
12	कबीरधाम	35,438
13	बस्तर	17,019
14	कोंडागांव	13,033
15	दंतेवाड़ा	8,635
16	सुकमा	8,646
17	कांकेर	22,250
18	बीजापुर	3,188
19	नारायणपुर	6,007
20	बिलासपुर	34,350
21	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	13,184
22	मुंगेली	25,436
23	कोरबा	26,728
24	जांजगीर-चाम्पा	33,615
25	सक्ती	26,871
26	रायगढ़	37,026
27	सारंगढ़-बिलाईगढ़	25,749
28	जशपुर	40,556
29	सरगुजा	35,497
30	बलरामपुर	35,465
31	सूरजपुर	32,175
32	कोरिया	4,181
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	10,148
	योग-	**7,25,440**

अनुभाग अधिकारी

परिशिष्ट - तिरानबे

अतारांकित प्रश्न संख्या 89 (क्र. 739) की जानकारी

अपर – "अ"

पुलिस–नक्सली मुठभेड़ में मृत नक्सलियों की जानकारी
(दिसम्बर 2023 से 27 नवम्बर 2024 तक)

क्रमांक	जिला का नाम	थाना	मुठभेड़ दिनांक	घटना स्थल	मारे गये नक्सलियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	सुकमा	भेज्जी	04.02.2024	पांताभेजी व भण्डारपदर के बीच जंगल	01
2.	सुकमा	किस्टाराम	24.02.2024	बुर्कलंका के जंगल-पहाड़ी	01
3.	सुकमा	जगरगुण्डा	23.03.2024	डोंडीतुमनार एवं गोंदपल्ली के मध्य जंगल पहाड़ी	01
4.	सुकमा	किस्टाराम	01.04.2024	पेसेलपाड़ एवं दोरागुड़ा जंगल पहाड़ी	01
5.	सुकमा	पोलमपल्ली	18.05.2024	बंजारापारा के पास जंगल और नाला के बीच	01
6.	सुकमा	कोन्टा	25.05.2024	बेचलपोच्चा के जंगल पहाड़ी	01
7.	सुकमा	जगरगुण्डा	20.07.2024	राजपेन्टा, मिलियमपल्ली के बीच जंगल पहाड़ी	01
8.	सुकमा	चिन्तागुफा	14.09.2024	तुमालपाड़ और सिंगनमड़गू के बीच जंगल पहाड़ी	01
9.	सुकमा	भेज्जी	07.10.2024	गच्चनपल्ली-पामलुर के बीच जंगल	01
10.	सुकमा	भेज्जी	22.11.2024	मुनूरकोण्डा के जंगल पहाड़ी के बीच	10
				योग -	19

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
गृह सचिव

पृष्ठ-"ब"

पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गये नक्सलियों की जानकारी
(दिसम्बर 2023 से 27 नवम्बर 2024 तक)

क्र	जिला	थाना	मुठभेड़ दिनांक	घटना स्थल	मारे गये माओवादी का नाम एवं पता	मारे गये माओवादी के संगठन का नाम	पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में मारे गये माओवादी का संगठन में पद
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सुकमा	भेज्जी	04.02.24	पांताभेजी व भण्डारपदर के बीच जंगल	मड़कम भीमा पिता मड़कम कोसा उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी पांताभेजी थाना भेज्जी जिला सुकमा	कोंटा एरिया कमेटी	भंडारपदर आरपीसी अन्तर्गत मिलिशिया सदस्य
2.	सुकमा	किस्टाराम	24.02.24	बुर्कलंका के जंगल-पहाड़ी	कट्टम भीमा पिता राजेश निवासी ग्राम बुर्कलंका थाना किस्टाराम जिला सुकमा	किस्टाराम एरिया कमेटी	मिलिशिया कमाण्ड इन-चीफ, बुर्कलंका आरपीसी अन्तर्गत मिलिशिया सदस्य
3.	सुकमा	जगरगुण्डा	23.03.24	डोडीतुमनार व गोंदीगुडा के मध्य जंगल पहाडी	आवलम पोदिया पिता आवलम सन्नू उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम कुपागुड़ा पीड़िया थाना गंगालूर जिला बीजापुर	गंगालूर एरिया कमेटी	गंगालूर एरिया कमेटी का पार्टी सदस्य
4.	सुकमा	किस्टाराम	01.04.24	पेसेलपाड़ एवंदोरागुड़ा जंगल पहाड़ी	दिरदो हड़मा पिता दिरदो मुका उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी पेसेलपाड़ थाना किस्टाराम जिला सुकमा	किस्टाराम एरिया कमेटी	आरपीसी मिलिशिया कमाण्डर
5.	सुकमा	पोलमपल्ली	18.05.24	बंजारापारा के पास जंगल और नाला के बीच	दुधी हुंगा पिता दुधी जोगा उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी स्कूलपारा अरलम पल्ली थाना पोलमपल्ली जिला सुकमा	कोंटा एरिया कमेटी	अरलमपल्ली आरपीसी मिलिशिया कमाण्डर
6.	सुकमा	कोन्टा	25.05.24	बेचलपोच्चा के जंगल पहाड़ी	मुचाकी भीमा पिता मुचाकी कोसा उम्र 30 वर्ष साकिन किन्दरेलपाड़ थाना भेज्जी जिला सुकमा	कोंटा एरिया कमेटी	गोमपाड़ आरपीसी मिलिशिया कमाण्डर
7.	सुकमा	जगरगुण्डा	20.07.24	राजपेन्टा, मिलियमपल्ली के बीच जंगल पहाड़ी	सोड़ी नरसा पिता कन्ना निवासी दोरलापारा, सिंगावरम थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा	जगरगुण्डा एरिया कमेटी	सुरपनगुड़ा आरपीसी मिलिशिया कमांडर
8.	सुकमा	चिंतागुफा	14.09.24	तुमालपाड़ और सिंगनमडगू के बीच जंगल पहाड़ी	माड़वी कोसा पिता माड़वी जोगा निवासी राजपेंटा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा	कोंटा एरिया कमेटी	प्लाटून 04 का सदस्य

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
गृह सचिव

9.	सुकमा	भेज्जी	07.10.24	गच्चनपल्ली-पामलूर के बीच जंगल	पोट्टाम लोकेश निवासी पश्चिम बस्तर बीजापुर	किस्टाराम एरिया कमेटी	डीएकेएमएस अध्यक्ष (एसीएम)
10.	सुकमा	भेज्जी	22.11.24	थाना भेज्जी क्षेत्र के मुनूरकोण्डा जंगल पहाड़ी के बीच	मड़कम मासा उर्फ दूधी मासा पिता एर्रा उम्र 42 वर्ष निवासी भंडारपदर थाना भेजी जिला सुकमा	दक्षिण बस्तर डिवीजन	दक्षिण बस्तर डिवीजन एमआई इंचार्ज/इंचार्ज प्लाटून नंबर 04, 08 प्रभारी/(डीव्हीसीएम)
11.	सुकमा	भेज्जी	22.11.24	थाना भेज्जी क्षेत्र के मुनूरकोण्डा जंगल पहाड़ी के बीच	लखमा माड़वी पिता दसरू उम्र 25 वर्ष निवासी जिलोडगड्डा थाना पामेड़ जिला बीजापुर	दक्षिण बस्तर डिवीजन	दक्षिण बस्तर डिवीजन स्माल एक्शन टीम कमाण्डर/(डीव्हीसीएम)
12.	सुकमा	भेज्जी	22.11.24	थाना भेज्जी क्षेत्र के मुनूरकोण्डा जंगल पहाड़ी के बीच	करतम कोसा पिता करतम बीड़ा उम्र 35 वर्ष निवासी रेगडगट्टा थाना भेज्जी जिला सुकमा	कोंटा एरिया कमेटी	प्लाटून नंबर 08 कमाण्डर
13.	सुकमा	भेज्जी	22.11.24	थाना भेज्जी क्षेत्र के मुनूरकोण्डा जंगल पहाड़ी के बीच	दुर्रोकोसी उर्फ रितिका पिता रुषा उम्र 33 वर्ष निवासी पालामड़गू थाना पोलमपल्ली जिला सुकमा	कोंटा एरिया कमेटी	कोन्टा एलओएस कमाण्डर/(एसीएम)
14.	सुकमा	भेज्जी	22.11.24	थाना भेज्जी क्षेत्र के मुनूरकोण्डा जंगल पहाड़ी के बीच	मुचाकी देवा पिता मुचाकीपाण्डू उम्र 30 वर्ष निवासी दंतेशपुरम थाना भेज्जी जिला सुकमा	किस्टाराम एरिया कमेटी	मिलिशिया कमाण्ड इन-चीफ/(एसीएम)
15.	सुकमा	भेज्जी	22.11.24	थाना भेज्जी क्षेत्र के मुनूरकोण्डा जंगल पहाड़ी के बीच	दूधी हूंगी पति दूधी मासा उम्र 35 वर्ष निवासी भंडारपदर थाना भेज्जी जिला सुकमा	कोंटा एरिया कमेटी	प्लाटून नंबर 04 पार्टी सदस्या
16.	सुकमा	भेज्जी	22.11.24	थाना भेज्जी क्षेत्र के मुनूरकोण्डा जंगल पहाड़ी के बीच	मड़कम जीतू उर्फ बीड़ा पिता मड़कम हुर्रा उम्र 24वर्ष निवासी दंतेशपुरम थाना भेज्जी जिला सुकमा	कोंटा एरिया कमेटी	प्लाटून नंबर 04 पार्टी सदस्य
17.	सुकमा	भेज्जी	22.11.24	थाना भेज्जी क्षेत्र के मुनूरकोण्डा जंगल पहाड़ी के बीच	कुमारी मड़कम कोसी उर्फ ताती देवे पिता ताती गंगा उम्र 26 वर्ष निवासी गंगराजपाड़ थाना कोंटा जिला सुकमा	कोंटा एरिया कमेटी	प्लाटून नंबर 04 पार्टी सदस्या
18.	सुकमा	भेज्जी	22.11.24	थाना भेज्जी क्षेत्र के मुनूरकोण्डा जंगल पहाड़ी के बीच	कवासी केसा पिता स्व. कवासी हिड़मा उम्र 32 वर्ष निवासी पालागुड़ा जिलोडगड्डापारा थाना पामेड़ जिला बीजापुर	कोंटा एरिया कमेटी	प्लाटून नंबर 04 पार्टी सदस्य/(दुधीमासा का गार्ड)
19.	सुकमा	भेज्जी	22.11.24	थाना भेज्जी क्षेत्र के मुनूरकोण्डा जंगल पहाड़ी के बीच	कुंजाम बामन पिता कुंजाम हिड़मा उम्र 33 वर्ष जाति मुरिया निवासी चिंतागुफा थाना भेज्जी जिला सुकमा	कोंटा एरिया कमेटी	मिलिशिया कमाण्ड इन-चीफ

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
गृह सचिव

नियद नेल्लानार पहल अंतर्गत कार्यों हेतु बजट प्रावधान

राशि रू. लाख में

क्र.	पहल में सम्मिलित जिलों का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त पहल हेतु बजट प्रावधान की राशि	यदि अन्य मद से राशि का प्रबंधन किया गया है तो मद का नाम	राशि	रिमार्क
1	2	5	6	7	8
1	बीजापुर	200.00	महात्मा गांधी नरेगा	404.39	
2			15वें वित्त आयोग	28.56	
3			डी.एम.एफ. मद	4.00	
4			महिला एवं बाल विकास	79.80	
5			मुख्यमंत्री समग्र विकास	10.00	
6			डी.एम.एफ. मद	1129.23	
7			मुख्यमंत्री मजराटोला योजना	3465.36	
8			जल जीवन मिशन	2770.13	
9			समग्र शिक्षा	142.10	
10			विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA)	1059.34	
11			नलकूप खनन /विभागीय मद	16.00	
12			खेल एवं युवा कल्याण विभाग	16.00	
13			स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	115.50	
योग–				**9240.41**	

क्र.	पहल में सम्मिलित जिलों का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त पहल हेतु बजट प्रावधान की राशि	यदि अन्य मद से राशि का प्रबंधन किया गया है तो मद का नाम	राशि	रिमार्क
1	2	5	6	7	8
14	नारायणपुर	664.82	विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत	700.30	
15			महात्मा गांधी नरेगा एवं महिला बाल विकास विभाग से अभिसरण	113.17	
16			स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	15.12	
17					
18			प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण	80.1	
19			जल जीवन मिशन	46.20	
20			विभागीय मद 1079– खिलाड़ियों को प्रशिक्षण–25 सामग्री और आपूर्ति	34.00	
21			मुख्य मंत्री मजराटोला	502.85	
22			केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	57.02	
23			क्रेडा आकस्मिक निधि	70.99	
24			लघु वनोपज संग्रहण व्यय	3.25	
25			15 वें वित्त आयोग	94.83	
योग :–				**1717.83**	

क्र.	पहल में सम्मिलित जिलों का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त पहल हेतु बजट प्रावधान की राशि	यदि अन्य मद से राशि का प्रबंधन किया गया है तो मद का नाम	राशि	रिमार्क
1	2	5	6	7	8
26	दन्तेवाड़ा	निरंक	महात्मा गांधी नरेगा	248.56	पहल अंतर्गत राशि का प्रावधान नहीं है। कार्य स्वीकृति पर व्यय राशि का भुगतान एफटीओ के माध्यम से किया जाता है
	योग :–			**248.56**	
27	सुकमा	निरंक	विशेष केन्द्रीय सहायता	4403.17	
28			डी.एम.एफ.	2366.32	
29			नरेगा	24.94	
30			एसबीएम	79.66	
31			प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	168.00	
32			मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	8.92	
33			15वें वित्त आयोग	1.00	
34			मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना	1335.87	
35			लोक स्वास्थय यांत्रिकी (विभागीय राज्य मद)	23.76	
योग :–				**8411.64**	

क्र.	पहल में सम्मिलित जिलों का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त पहल हेतु बजट प्रावधान की राशि	यदि अन्य मद से राशि का प्रबंधन किया गया है तो मद का नाम	राशि	रिमार्क
1	2	5	6	7	8
36	कांकेर	निरंक	मनरेगा एवं (आईसीडीसी+डीएमएफ+15 वें वित्त) योजनाओं के अभिसरण से	217.66	जिले में नियद नेल्लानार पहल अंतर्गत शासन द्वारा पृथक से बजट (राशि) प्रदान नहीं किया गया है। जिले में उपलब्ध विभिन्न मद की राशि से इस पहल के कियान्वयन हेतु कार्यों की स्वीकृती कर राशि व्यय की गई है।
37			स्वच्छ भारत मिशन	73.23	
38			विशेष केन्द्रीय सहायता मद	963.46	
39			जिला खनिज संस्थान न्यास निधि	903.38	
40			विभागीय मद	38.27	
41			प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रा.)	183.60	
योग				**2379.61**	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

नियद नेल्लानार पहल अंतर्गत कार्यो हेतु बजट प्रावधान

राशि रू. लाख में

क्र.	जिले का नाम	योजना/मद का नाम	कुल स्वीकृत कार्य	कुल स्वीकृत राशि	कुल व्यय राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	बीजापुर	महात्मा गांधी नरेगा	63	404.39	1.30	उक्त निर्माण कार्यो में से 33 कार्य महात्मा गांधी नरेगा से स्वीकृत किया गया है। अन्य 30 कार्य महात्मा गांधी नरेगा अभिसरण से स्वीकृति प्रदाय किया गया है।
2		15वें वित्त आयोग		28.56	0.00	
3		डी.एम.एफ. मद		4.00	0.00	
4		महिला एवं बाल विकास		79.80	0.00	
5		मुख्यमंत्री समग्र विकास		10.00	0.00	
6		डी.एम.एफ. मद	146	1129.23	528.39	
7		मुख्यमंत्री मजराटोला योजना	31	3465.36	224.78	
8		जल जीवन मिशन	28	2770.13	1345.48	
9		समग्र शिक्षा	7	142.10	0.00	
10		विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA)	23	1059.34	481.77	
11		नलकूप खनन /विभागीय मद	13	16.00	8.00	
12		खेल एवं युवा कल्याण विभाग	8	16.00	0.00	
13		स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	33	115.50	15.12	
योग–			**352**	**9240.41**	**2604.84**	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्र.	जिले का नाम	योजना/मद का नाम	कुल स्वीकृत कार्य	कुल स्वीकृत राशि	कुल व्यय राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	नारायणपुर	नियद नेल्लानार पहल अंतर्गत ग्रा.यां.से. को प्राप्त राशि	6	100.05	50.025	–
2		विशेष केन्द्रीय सहायता (जनपद पंचायत ओरछा)	25	362.8	259.255	
3		विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत (पुलिस अधीक्षक नारायणपुर)	9	337.50	90.00	
4		मनरेगा/विशेष केन्द्रीय सहायता योजना/महिला एवं बाल विकास विभाग	22	113.174	0.28	
5		स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/मनरेगा/ 15वे वित्त	15	15.12	4.20	
6		प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण	63	80.1	43.11	
7		नलकूप खनन एवं हैण्डपंप स्थापना कार्य	22	46.20	0.00	
8		विभागीय मद 1079– खिलाड़ियों को प्रशिक्षण–25 सामग्री और आपूर्ति	17	34.00	33.92	उक्त राशि सें खेल समग्री क्रय कर संबंधित ग्रामों को उपलब्ध कराने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ओरछा को प्रदाय किया गया है।
9		मुख्य मंत्री मजराटोला	7	502.85	0.00	–
10		केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना आदिवासी विशेष पिछड़े समूह वर्ष 2022–23	2	57.02	28.50	
11		क्रेडा आकस्मिक निधि	12	70.99	17.75	
12		15 वें वित्त आयोग	27	94.83	84.19	
योग			**227**	**1814.63**	**611.23**	

क्र.	जिले का नाम	योजना/मद का नाम	कुल स्वीकृत कार्य	कुल स्वीकृत राशि	कुल व्यय राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	दन्तेवाड़ा	मनरेगा	216	248.56	46.288	–
योग			**216**	**248.56**	**46.288**	
1	सुकमा	विशेष केन्द्रीय सहायता	69	4403.17	1392.69	–
2		डी.एम.एफ.	111	2366.32	86.54	
3		महात्मा गांधी नरेगा	23	24.94	5.25	
4		स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	31	79.66	0.00	
5		प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	12	168.00	70.00	
6		मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	1	8.92	0.00	
7		15वें वित्त आयोग	1	1.00	0.00	
8		मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना	23	1335.87	0.00	
9		लोक स्वास्थय यांत्रिकी (विभागीय राज्य मद)	18	23.76	13.00	
योग			**289**	**8411.64**	**1567.49**	
1	कांकेर	महात्मा गांधी नरेगा (पं.ग्रा.वि.वि.)	170	217.66	20.85	जिले में नियद नेल्लानार पहल अंतर्गत शासन द्वारा पृथक से बजट (राशि) प्रदान नहीं किया गया है। जिले में उपलब्ध विभिन्न मद की राशि से इस पहल के कियान्वयन हेतु कार्यों की स्वीकृती कर राशि व्यय की गई है।
2		स्वच्छ भारत मिशन (पं.ग्रा.वि.वि.)	366	73.23	17.07	
3		विशेष केन्द्रीय सहायता मद (पं.ग्रा.वि.वि.)	27	963.46	502.05	
4		जिला खनिज संस्थान न्यास निधि (पं.ग्रा.वि.वि.)	44	903.38	460.14	
5		(कृषि विभाग) विभागीय मद	89	38.27	0.00	
6		प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	153	183.60	49.20	
योग			**849**	**2379.61**	**1049.31**	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर